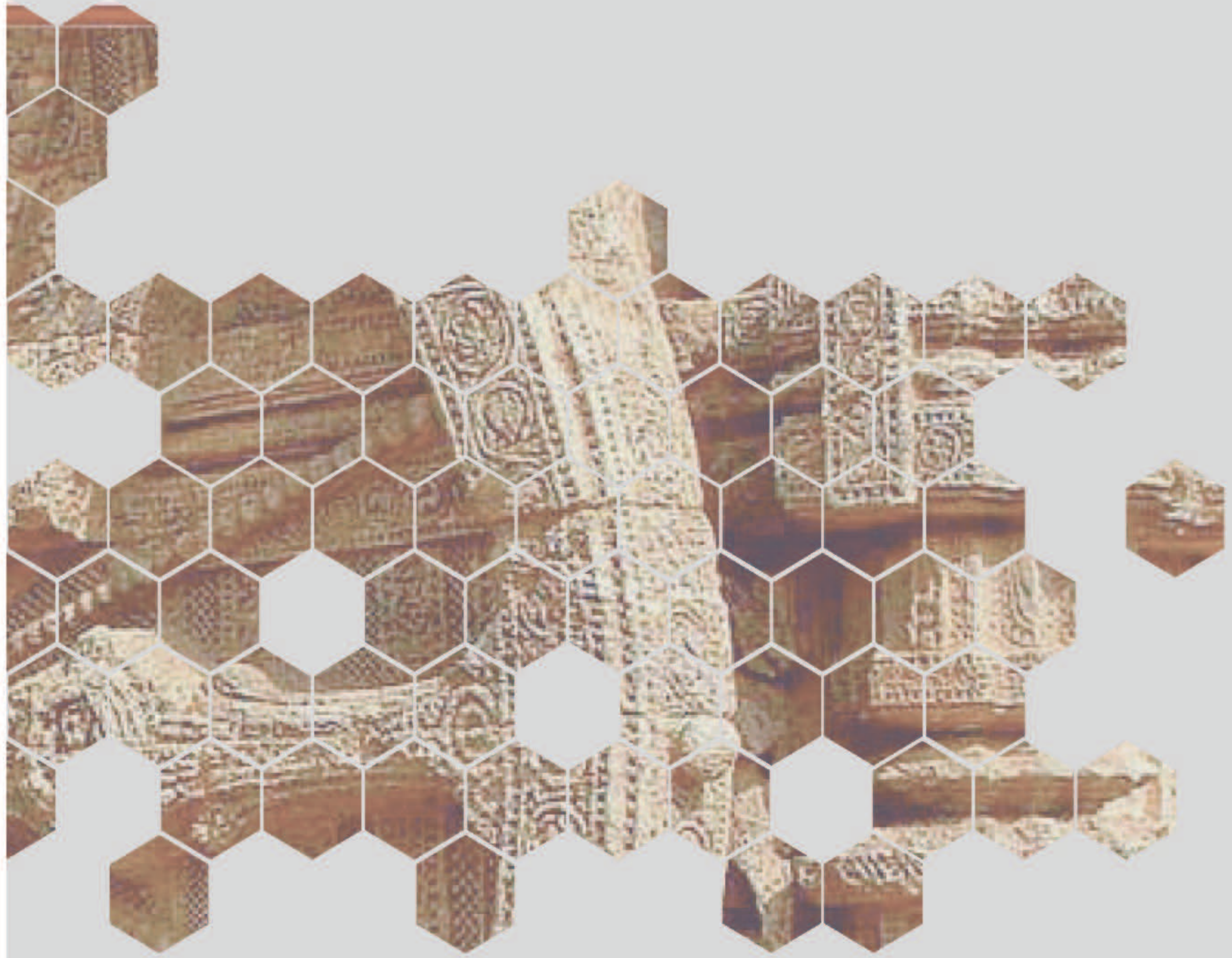

Dr. C.V. Raman University
Kargi Road, Kota, BILASPUR, (C. G.),
Ph. : +07753-253801, +07753-253872
E-mail : info@cvru.ac.in | Website : www.cvru.ac.in

Library and Society

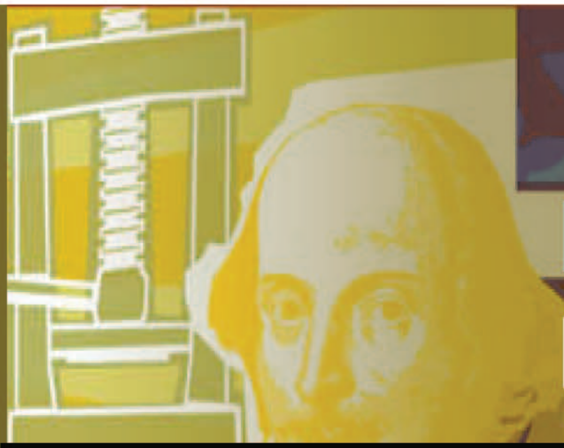

Institute of **Open** and
Distance Education

Faculty of Arts

Library and Society

1BLIB1

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Chhattisgarh, Bilaspur

A STATUTORY UNIVERSITY UNDER SECTION 2(F) OF THE UGC ACT

1BLIB1
पुस्तकालय और समाज

1BLIB1, Library and Society

Edition: March 2024

Compiled, reviewed and edited by Subject Expert team of University

1. Dr. Sarita Mishra

(Associate Professor, Dr. C. V. Raman University)

2. Dr. Anjani Saraf

(Assistant Professor, Dr. C. V. Raman University)

3. Dr. Payal Chakravarti

(Assistant Professor, Dr. C. V. Raman University)

Warning:

All rights reserved, No part of this publication may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

Published by:

Dr. C.V. Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur, (C. G.),

Ph. +07753-253801, 07753-253872

E-mail: info@cvru.ac.in

Website: www.cvru.ac.in

अनुक्रमणिका

अध्याय– 1 आधुनिक समाज में पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों की भूमिका 9–20

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. आधुनिक समाज की आवश्यकताएँ
4. समाज द्वारा स्थापित संस्थाएँ
5. पुस्तकालय एवं शिक्षा
6. अनुसंधान में पुस्तकालय का योगदान
7. सांस्कृतिक गतिविधियों में पुस्तकालय का योगदान
8. सूचना प्रसार में पुस्तकालय का योगदान
9. धार्मिक संस्थाओं में पुस्तकालय का योगदान
10. मनोरंजन में पुस्तकालय का योगदान
11. पुस्तकालय एवं परिवर्तनशील समाज
12. सार-संक्षेप
13. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
14. अभ्यास-प्रश्न
15. संदर्भ-गन्थ सूची

अध्याय– 2 पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र 21–38

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. प्रथम सूत्र "पुस्तकें उपयोग के लिए हैं"
4. द्वितीय सूत्र "प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक"
5. तृतीय सूत्र "प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक"
6. चतुर्थ सूत्र "पाठक का समय बचाएँ"
7. पंचम सूत्र "पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक-तंत्र है"
8. पंच सूत्रों की व्यापक व्याख्या
9. सार-संक्षेप
10. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
11. अभ्यास-प्रश्न
12. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

अध्याय– 3 यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों का विकास.... 39–62

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. यू के में 1850 के पूर्व पुस्तकालयों की स्थिति
4. पुस्तकालय अधिनियम
5. पुस्तकालय सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदन
6. दि ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट
7. पुस्तकालयों के प्रकार, विकास तथा आगामी प्रवृत्तियाँ
8. संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों का विकास
9. पुस्तकालय अधिनियम
10. लोकोपकार तथा पुस्तकालय आन्दोलन
11. लाइब्रेरी ऑफ काँग्रेस
12. पुस्तकालयों के प्रकार, विकास तथा आगामी प्रवृत्तियाँ
13. व्यावसायिक संघों की भूमिका
14. सार–संक्षेप
15. स्व–प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
16. अभ्यास–प्रश्न
17. संदर्भ–ग्रन्थ सूची

अध्याय– 4 आधुनिक भारत में पुस्तकालयों का विकास : योजनाएँ एवं कार्यक्रम 63–84

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. ऐतिहासिक परिदृश्य
4. नियोजन, कार्यक्रम, नीतियाँ
5. पुस्तकालयों के संबंध में महत्वपूर्ण समितियों की संस्तुतियाँ
6. नियोजन एवं कार्यक्रमों के प्रयास
7. योजनाओं एवं कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालय विकास का मूल्यांकन
8. सार–संक्षेप
9. स्व–प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
10. अभ्यास–प्रश्न
11. संदर्भ–ग्रन्थ सूची

अध्याय– 5 राष्ट्रीय पुस्तकालय : उनके कार्य : भारत, यू के और यू एस ए के राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विवरणात्मक अध्ययन........................ 85–114

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय

3. राष्ट्रीय पुस्तकालय की विचारधारा
4. राष्ट्रीय पुस्तकालयों के प्रकार
5. कुछ राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विवरणात्मक अध्ययन
6. सार-संक्षेप
7. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
8. अभ्यास-प्रश्न
9. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

अध्याय– 6 शैक्षिक पुस्तकालय : विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय 115–144

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. विद्यालय पुस्तकालय
4. महाविद्यालय पुस्तकालय
5. विश्वविद्यालय पुस्तकालय
6. सामान्य टिप्पणी
7. सार-संक्षेप
8. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
9. अभ्यास-प्रश्न
10. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

अध्याय– 7 सार्वजनिक पुस्तकालय : भूमिका तथा कार्य 145–160

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के कारक-तत्व
4. सार्वजनिक पुस्तकालय का अर्थ एवं प्रमुख लक्ष्य
5. सार्वजनिक पुस्तकालय के आधारभूत तत्व
6. सार्वजनक पुस्तकालय के अभिलक्षण
7. सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य
8. सार-संक्षेप
9. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
10. अभ्यास-प्रश्न
11. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

अध्याय– 8 विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र 161–176

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय

3. विशिष्ट पुस्तकालय : परिभाषा, अर्थ एवं उद्देश्य
4. संक्षिप्त ऐतिहासिक विहंगावलोकन
5. विशिष्ट पुस्तकालय के कार्य
6. विशिष्ट पुस्तकालय के अभिलक्षण
7. सूचना केन्द्रों का उद्भव एवं विकास
8. भारतीय परिदृश्य
9. सार-संक्षेप
10. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
11. अभ्यास-प्रश्न
12. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

अध्याय– 9 पुस्तकालय अधिनियम तथा आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम........ 177–190

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के लिए राज्य-नीति
4. पुस्तकालय अधिनियम : उद्देश्य तथा आवश्यकता
5. पुस्तकालय अधिनियम के घटक
6. मॉडल एक्ट/बिल
7. सार-संक्षेप
8. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
9. अभ्यास-प्रश्न
10. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

अध्याय– 10 भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम और उनकी प्रमुख विशेषताएँ ... 191–212

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. विभिन्न राज्यों के अधिनियमों का अध्ययन
4. अधिनियमों का तुलनात्मक अध्ययन
5. सामान्य टिप्पणी
6. सार-संक्षेप
7. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
8. अभ्यास-प्रश्न
9. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

अध्याय– 11 उपयोक्ता अध्ययन 213–230

1. अध्ययन के उद्देश्य

2. परिचय
3. उपयोक्ता तथा उपयोक्ता अध्ययन
4. उपयोक्ता अध्ययन : सीमाएँ तथा आलोचनाएँ
5. केस अध्ययन
6. सार-संक्षेप
7. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
8. अभ्यास-प्रश्न
9. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

अध्याय– 12 उपयोक्ता शिक्षा 231–252

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. उपयोक्ता शिक्षा
4. उपयोक्ता शिक्षा का विकास
5. उपयोक्ता शिक्षा: लक्ष्य तथा उद्द्देश्य
6. अध्यापन विधियाँ तथा संचार-माध्यम
7. सूचना प्रौद्योगिकी और उपयोक्ता शिक्षा
8. उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन
9. सार-संक्षेप
10. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
11. अभ्यास-प्रश्न
12. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

अध्याय– 13 संसाधन सहभागिता–अवधरणा, आवश्यकता, स्वरूप और कुछ चुने हुए केस–अध्ययन 253–268

1. अध्ययन के उद्द्देश्य
2. परिचय
3. संसाधन सहभागिता की अवधारणा
4. संसाधन सहभागिता के व्यवस्थापन के लिए अपेक्षाएँ
5. संसाधन सहभागिता के लक्ष्यों की प्राप्ति
6. भारत में किए गए विकास कार्य (कुछ केस-अध्ययन)
7. सार-संक्षेप
8. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
9. अभ्यास-प्रश्न
10. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

अध्याय– 14 पुस्तकालयाध्यक्षता : एक व्यवसाय के रूप में तथा व्यावसायिक आचार–शास्त्रा 269–284

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. सामान्य आचार–शास्त्र
4. व्यवसाय, व्यवसायी, व्यावसायिकता
5. व्यावसायिक आचार–शास्त्र
6. एक व्यवसाय के रूप में पुस्तकालयाध्यक्षता
7. पुस्तकालय व्यवसाय में व्यावसायिक आचार–शास्त्र
8. सार–संक्षेप
9. स्व–प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
10. अभ्यास–प्रश्न
11. संदर्भ ग्रन्थ–सूची

अध्याय– 15 व्यावसायिक संघों की भूमिका 285–314

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. व्यावसायिक संघों की आवश्यकता एवं महत्व
4. भारत के पुस्तकालय संघों का सामान्य लेखा–जोखा
5. अन्य देशों में पुस्तकालय संघ
6. सार–संक्षेप
7. स्व–प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
8. अभ्यास–प्रश्न
9. संदर्भ ग्रन्थ–सूची

अध्याय– 16 पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के विकास में संलग्न संगठन एवं संस्थान...... 315–352

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. अन्तरराष्ट्रीय संगठन
4. भारत के राष्ट्रीय संगठन
5. विश्वस्तरीय सूचना प्रणालियाँ
6. भारत की राष्ट्रीय सूचना प्रणालियाँ
7. भारत के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र
8. सार–संक्षेप
9. स्व–प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
10. अभ्यास–प्रश्न
11. संदर्भ ग्रन्थ सूची

अध्याय-1

आधुनिक समाज में पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों की भूमिका

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. आधुनिक समाज की आवश्यकताएँ
4. समाज द्वारा स्थापित संस्थाएँ
5. पुस्तकालय एवं शिक्षा
   5.1 औपचारिक शिक्षा
   5.2 अनौपचारिक शिक्षा
   5.3 निरक्षरों की शिक्षा
   5.4 कामकाजी समूहों की शिक्षा
   5.5 विकलांगों की शिक्षा
6. अनुसंधान में पुस्तकालय का योगदान
7. सांस्कृतिक गतिविधियों में पुस्तकालय का योगदान
8. सूचना प्रसार में पुस्तकालय का योगदान
9. धार्मिक संस्थाओं में पुस्तकालय का योगदान
10. मनोरंजन में पुस्तकालय का योगदान
11. पुस्तकालय एवं परिवर्तनशील समाज
    11.1 परिवर्तन के आयाम
    11.2 पुस्तकालय की विस्तार-परक भूमिका
12. सार-संक्षेप
13. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
14. अभ्यास-प्रश्न
15. संदर्भ-गन्थ सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन में शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, सांस्कृति गतिविधियों एवं अन्य ऐसे क्षेत्रों में पुस्तकालयों के योगदान एवं प्रभावशीलता की झाँकी प्रस्तुत की गयी है । इसका अध्ययन करने के पश्चात् आप:

- समाज में सूचना के विभिन्न उद्देश्यों की पूति हेतु पुस्तकालयों की आवश्यकता एवं योगदान की व्याख्या कर सकेंगे;
- परिवर्तित समाज में पुस्तकालयों के विस्तारपरक आयामों तथा नये प्रकार की सूचना संस्थाओं के रूप में उनकी उभरती हुई छवि से अवगत हो सकेंगे; तथा
- आज के सूचना समाज के विविध परिप्रेक्ष्यों में पाठकों की विविध सूचनापरक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए पुस्तकालयों द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं से परिचित हो सकेंगे ।

2. परिचय

आधुनिक समाज में मानव की समस्त गतिविधियों का आयोजन संस्थाओं के माध्यम से संपन्न किया जाता है । आज समस्त प्रमुख सामाजिक कार्यों एवं संगठनों का संस्थाकरण किया जा चुका है–चाहे वह आर्थिक कार्यक्रम हो या स्वास्थ्य-सेवा; चाहे शिक्षा हो या अनुसंधान; चाहे व्यवसाय हो या उद्योग । पर्यावरण की सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा की व्यवस्था को भी संस्थाओं एवं संगठनों के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है। पुस्तकालय तथा अन्य ऐसी संस्थाएँ वे संस्थाएँ होती हैं जो प्रलेखों में अभिलेखबद्ध सूचना/ज्ञान का संग्रहण, भंडारण, प्रक्रियाकरण, व्यवस्थापन, वितरण तथा प्रसार करती हैं। चूँकि ज्ञान एवं सूचना मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, अत: पुस्तकालय एवं अन्य संस्थाएँ, जो सूचना तथा ज्ञान की व्यवस्था तथा निष्पादन करती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। इस इकाई के अंतर्गत ज्ञानार्जन की औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रियाओं, अनुसंधान एवं विकास, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, आध्यात्मिक तथा विचारात्मक क्षेत्रों, मनोरंजन और उत्सव इत्यादि में पुस्तकालयों के योगदान और प्रभावशीलता का परिचय दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के चमत्कारों और नित्यप्रति सूचना उपयोक्ताओं की श्रेणियों में वृद्धि के साथ ही साथ उनके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सूचना की माँग में वृद्धि के कारण, आधुनिक समाज सूचना समाज की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें परिवर्तन की मुख्यधारा और परिवर्तन की दिशा में सूचना और ज्ञान सशक्त उपकरण का कार्य कर रहे हैं। इस इकाई में इन विचारधाराओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तकालयों के योगदान के मूल्यांकन के लिए इन विचारधाराओं को आत्मसात करना अति आवश्यक है। व्यावसायिक पद्धतियों, क्रियाकलापों और कार्यों की जानकारी के लिए इनसे प्रचुर सहायता तथा परिज्ञान प्राप्त होगा। इस इकाई के अनुच्छेदों में पुस्तकालयों के योगदान की विवेचना की गई है।

3. आधुनिक समाज की आवश्यकताएँ

आधुनिक समाज का सदस्य होने के कारण हम इसकी विभिन्न आवश्यकताओं से सुपरिचित हैं । संभवत: शिक्षा इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे सुशिक्षित, योग्य एवं दायित्वपूर्ण नागरिकों का निर्माण करती है जो प्रगति एवं उन्नयन में अपना योगदान करने योग्य बन सकते हैं । समाज को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना एक प्रबल लक्ष्य होता है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ऐसे क्रियाकलापों को सतत् रूप से प्रौद्योगिक विकास के माध्यम से कायम रखना है जो अनुसंधान के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं और जिनसे हमें प्रचुर मात्रा में सूचना भी प्राप्त होती है । लेकिन मानव मात्र रोटियों पर ही जीवित नहीं रहता है । मानव में अनेक प्रगाढ़ एवं सूक्ष्म प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे आध्यात्मिक और वैचारिक प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक एवं सौन्दर्यशास्त्रीय प्रवृत्तियाँ इत्यादि जो मानव जीवन को सुसंस्कृत और

उन्नयनशील बनाती हैं। अवकाश एवं विश्राम की अवधि में मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। यदि उसे रचनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों के लिए उपयुक्त सुविधाएँ एवं साधन उपलब्ध नहीं हों तो उसका ध्यान किसी नकारात्मक और विध्वंसात्मक दिशा में आकर्षित हो सकता। जीवन का लक्ष्य समाज को विकसित करना है जिससे सुसंस्कृत, संपन्न एवं पूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सके। यह लक्ष्य जीवन के ऐसे आवश्यक एवं सुनिश्चित मूल्यों पर जोर देता है जिनका परिपालन भी अनिवार्य हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना समाज के सदस्यों का सामूहिक दायित्व एवं कर्तव्य है।

4. समाज द्वारा स्थापित संस्थाएँ

विभिन्न दायित्वों की पूर्ति के उद्देश्य से समाज ने बहुत पहले से ही अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। सामाजिक संस्थाओं में शैक्षणिक संस्थाएँ-जैसे, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, शोध संस्थाएँ सांस्कृतिक संस्थाएँ, ललित कला एवं मनोरंजन के लिए संस्थाएँ, व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान इत्यादि प्रमुख हैं। हमारे पुस्तकालय भी इसी प्रकार की संस्थाएँ हैं। लेकिन इन संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था समाज की मात्र एक अथवा कुछ गिनी-चुनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होती है जबकि पुस्तकालय सभी प्रकार की आवश्यकतारओं की पूर्ति करता है। यदि आप किसी विद्यालय के छात्र हैं तो आपका मुख्य कार्य संबंधित स्तर का ज्ञान अर्जित करना है। इसे शिक्षक के मौखिक संप्रेषण तथा कुछ निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों के अध्ययन से ही संपन्न किया जाता है। लेकिन पुस्तकालयों में अनेक विषयों एवं प्रकरणों से संबंधित ऐसी पुस्तकों का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है, जो आपके आन्तरिक सौन्दर्यबोध को जाग्रत करती है, जिनसे बुद्धि तीव्र होती है, जो मूल्यों को विकसित करती है, ज्ञानार्जन के कौशल को बढ़ाती है और मनोरंजन इत्यादि भी प्रदान करती है। अतः समाज द्वारा स्थापित सभी प्रकार की संस्थाओं में से पुस्तकालय तथा इस प्रकार की अन्य संस्थाएँ ही समकालीन समाज के उपयोक्ताओं की विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतया सक्षम हैं।

5. पुस्तकालय एवं शिक्षा

संक्षेप में, शिक्षा का उद्देश्य है : (i) ज्ञान और कौशल प्रदान करना; (ii) मूल्यों को जाग्रत करना; तथा (iii) व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।

शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। औपचारिक शिक्षा से अभिप्राय है : किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में नियमित रूप से छात्र के रूप में पंजीकृत होकर और प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक-छात्र संपर्क के माध्यम से ज्ञानार्जन करना। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा किसी संस्था पर आधारित नहीं होती है बल्कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा प्रदत्त एवं चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के माध्यम से किसी अन्य ज्ञानार्जन विधि अथवा स्व-अध्ययन की सहायता से शिक्षा प्राप्त की जाती है।

5.1 औपचारिक शिक्षा

औपचारिक शिक्षा की प्रत्येक संस्था-चाहे वह विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय हो-से संबद्ध अपना एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए। जिन विषयों के पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान की जाती है उनसे संबंधित उपयुक्त पुस्तकों का संकलन उसमें होना चाहिए। पुस्तकों का अध्ययन करने और उनमें निहित ज्ञान को धारण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के स्तरों एवं अवस्थाओं में विद्यालयों को कक्षा के अध्ययन के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। कालान्तर में, विशेषतः महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में, ज्ञानार्जन की प्रमुख विधि अर्थात् कक्षा अध्ययन एवं ज्ञानार्जन की परम्परा को पुस्तकालयोन्मुख बना दिया जाना चाहिए। इस पद्धति में छात्रों को विषयों का गहन ज्ञान संबंधित विषयों की अनेक पुस्तकों का विस्तृत एवं विधिवत अध्ययन करने से प्राप्त होगा। विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने की क्षमता छात्रों में जाग्रत होने के पश्चात् उनमें विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिन्तन की योग्यता का विकास

NOTES

होगा। इससे उनमें अपने स्वतंत्र दृष्टिकोणों एवं अभिमतों और सिद्धान्तों को सूत्रबद्ध करने की योग्यता का भी विकास होगा। छात्रों के बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने में पुस्तकालयों के योगदान पर संदेह नहीं किया जा सकता।

विद्यालयीन, महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन पुस्तकालयों के अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा में सहायता करने का दायित्व सार्वजनिक पुस्तकालयों का भी होता है। इसके लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों को संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं के छात्रों तथा शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित उपयुक्त पुस्तकों का संग्रह अवश्य कराना चाहिए और उन्हें सुलभ कराना चाहिए। इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि सार्वजनिक पुस्तकालय को समुदाय के सभी लोगों की सेवा करनी चाहिए और अध्यापकों एवं छात्रों की आवश्यकता की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

5.2 अनौपचारिक शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की सहायता अल्पतम होती है। पुस्तकालयों की इसमें मुख्य भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में छात्रों को ज्ञानार्जन प्रायः स्वाध्याय के माध्यम से करना पड़ता है। इस दिशा में औपचारिक शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक पुस्तकालयों को अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करना पड़ता है। शैक्षणिक संस्थाओं के पुस्तकालयों को अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत छात्रों को पुस्तकालय सुविधाएँ इस प्रकार से सुलभ करानी चाहिए जिससे उनके मूल एवं प्राथमिक उपयोक्ताओं के हितों में व्यवधान न हों। इस संबंध में विश्वविद्यालय, जो एक निकाय के रूप में शैक्षणिक मानक एवं स्तरों को निर्धारित करते हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाओं का आयोजन एवं संचालन करते हैं, का एक विशेष दायित्व होता है। उन्हें अपनी पुस्तकालय सेवाओं को अधिकाधिक व्यवहार एवं विस्तृत बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे उनके मूल उपयोक्ताओं के साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा के छात्र भी पुस्तकालय सेवाओं से लाभान्वित हो सकें। इस कार्य को संभव बनाने के लिए विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय की शाखाओं और केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए और शैक्षिक समुदाय के साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा के छात्रों को भी उन शाखाओं और केन्द्रों के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए।

फिर भी, अनौपचारिक शिक्षा के लिए वांछित सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराने का मुख्य दायित्व सार्वजनिक पुस्तकालयों का ही होता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की सुविधा का लाभ प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनौपचारिक शिक्षा के छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अधिग्रहण कर सुलभ करने का प्रयास करना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के कार्यक्रमों की सफलता के लिए सुदृढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था अति आवश्यक होती है।

अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के छात्रों की पुस्तकालय संबंधी आवश्यकता की पूर्ति यदि शैक्षणिक एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा नहीं की जाती है तो ये छात्र सस्ती और गाइड (Guide) पुस्तिकाओं का ही उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाएँगे जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के स्तर में गिरावट आती जाएगी।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. पुस्तकालयों की स्थापना क्यों की जाती है ?

....

....

....

....

5.3 निरक्षरों की शिक्षा

क्या आप इस बात को उचित मानते हैं कि निरक्षरों को शिक्षा का लाभ नहीं मिलना चाहिए ? साक्षरता ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम है, न कि स्वयं शिक्षा। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है और इससे वंचित होना सबसे बड़ी असुविधा है। इस कार्य के लिए आजकल अनेक ऐसे प्रभावशाली साधन सुलभ हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की देन हैं। श्रव्य-दृश्य के साधनों, विशेषकर वीडियो टेप (Video Tape) के माध्यम से शिक्षा को प्रत्येक घर के दरवाजे तक लाना सर्वथा संभव हो गया है। इस साधनों के माध्यम से समुदाय के निरक्षर लोगों की शिक्षा के लिए कार्य करना सार्वजनिक पुस्तकालय का एक विशेष दायित्व एवं कर्तव्य है। निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षित बनाने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा विद्यार्जन क्लबों (Clubs) और मौखिक संप्रेषण कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए।

भारत जैसे देश में जहाँ निरक्षरता 47.79 प्रतिशत (1991 जनगणना प्रतिवेदन) है, इस प्रकार के दायित्व का अत्यधिक महत्व है तथा इसके विस्तृत आयाम हैं । इस संबंध में सार्वजनिक पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। इस कार्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्वयं को तैयार करना होगा।

5.4 कामकाजी समूहों की शिक्षा

एक अन्य दृष्टिकोण से भी पुस्तकालय की शैक्षणिक भूमिका होती है। अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों एवं श्रमिकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पुस्तकों का संग्रह करना चाहिए । ऐसी पुस्तकों को अध्ययन कर संबंधित कार्यक्षेत्र से वे अपने को अधिकाधिक शिक्षित एवं अवगत रख सकते हैं और अपनी कार्य-कुशलता को बढ़ा सकते हैं। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है । सार्वजनिक पुस्तकालयों को इस दिशा में समर्थनकारी भूमिका अदा करनी चाहिए।

5.5 विकलांगों की शिक्षा

विकलांग लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना समाज और शासन का एक विशेष और आवश्यक दायित्व है। ऐसी संस्थाओं द्वारा उपयुक्त प्रकार की अध्ययन-अध्यापन सामग्री का अधिग्रहण किया जाता है। अन्य भौतिक सुविधाओं के अतिरिक्त नेत्रविहीनों की पुस्तकें (Braille Books) एवं अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री को भी सुलभ किया जाना चाहिए। ऐसी संस्थाओं के पुस्तकालयों में उपयुक्त सामग्री का संग्रह करना आवश्यक होता है और विकलांग व्यक्तियों की उनके शिक्षार्जन में सहायता करना उनका दायित्व होता है।

6. अनुसंधान में पुस्तकालय का योगदान

शोध एवं अनुसंधान के क्रियाकलापों को समर्थन देना पुस्तकालयों का एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व है । अनुसंधान की सफलता एवं पूर्णता के लिए उपलब्ध ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति एवं जानकारी अति आवश्यक होती है । नवीनतम ज्ञान को मुख्यतः पत्रिकाओं, अनुसंधान प्रतिवेदनों तथा अन्य ऐसे प्रकाशनों के माध्यम से संप्रेषित तथा प्रसारित किया जाता है। अतः शोध की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी शोध संगठनों एवं संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उपक्रमों के शोध एवं विकास हेतु विभागीय पुस्तकालयों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अनुसंधान की दृष्टि से कोई भी पुस्तकालय उपादेय सिद्ध हो सकता है। मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधानपरक गतिविधियों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

NOTES

7. सांस्कृतिक गतिविधियों में पुस्तकालय का योगदान

पुस्तकालय का प्रथम सांस्कृतिक योगदान यह होता है कि यह मानव जाति की सांस्कृतिक धरोहर एवं उपलब्धियों को सुरक्षित रखता है जो वस्तुत: पुस्तकों तथा अन्य प्रलेखों में निहित होती हैं। पुस्तकालय की सांस्कृतिक भूमिका दो अन्य दृष्टिकोणों से भी महत्वपूर्ण होती है। इसे उन पुस्तकों को सुलभ कराना चाहिए जो लोगों की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होती हैं और उनके सौन्दर्य बोध और मूल्यांकन की क्षमता को विकसित करती हैं। इसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए-जैसे, संगीत समारोह, नृत्य, नाटक, चित्रकला, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रदर्शनी, इत्यादि और समुदाय के सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध और सशक्त बनाते रहना चाहिए। वस्तुत: ऐसे कार्यक्रम मुख्यत: सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इनका आयोजन करना ऐसे पुस्तकालयों की उपादेयता को बढ़ाता है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालयों का क्या योगदान होना चाहिए?

....

....

....

....

8. सूचना प्रसार में पुस्तकालय का योगदान

अपने पुस्तक-संग्रह के माध्यम से पुस्तकालय ज्ञान एवं सूचना के विशाल भण्डार का निर्माण करते हैं। सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने वाले किसी भी मानवीय क्रियाकलाप की सफलता के लिए सूचना एक आवश्यक उपादान और संसाधन है। शोधार्थी, शिक्षक, छात्र, प्रशासक, औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रबन्धक, शिल्पी, उद्यमी, कृषक, कारखानों एवं खेतों में काम करने वाले श्रमिक, इत्यादि सभी को सूचना की आवश्यकता होती है जिससे वे अपने व्यवसाय में सफलता पाने के लिए अपने को अत्यधिक सक्षम बना सकें। पुस्तकालय का प्रमुख सूचनात्मक योगदान उपयुक्त विधियों से सूचनाप्रद सामग्री का संग्रह करना होता है। इसीलिए पुस्तकालय को सूचना केन्द्र की संज्ञा भी दी जाती है। पुस्तकालय की सूचनात्मक भूमिका इसलिए भी होती है कि लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता के लिए भी सूचना की आवश्यकता होती हे जिसकी पूर्ति पुस्तकालय करता है। पुस्तकालय अपने पुस्तक-संग्रह में रोजगार चयन से सम्बन्धित पुस्तकें भी रख सकते हैं और इस प्रकार उन पाठकों की सहायता कर सकते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हैं। किसी प्रकार के उद्यम को करने के लिए किस प्रकार की जानकारी चाहिए अथवा कोई रोजगार कैसे प्राप्त करें या कैसे प्रारम्भ करें, इत्यादि की सूचनाप्रद सामग्री को भी पुस्तकालय सुलभ कराते हैं। संक्षेप में, पुस्तकालय को इस प्रकार से सुसज्जित एवं व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि यह समुदाय के सदस्यों की वर्तमान तथा संभावित मांग से संबंधित सूचना उपलब्ध करा सकें।

9. धार्मिक संस्थाओं में पुस्तकालय का योगदान

पुस्तकों को सामान्यत: तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है- सूचनात्मक पुस्तकें, मनोरंजनात्मक पुस्तकें, तथा प्रेरणात्मक पुस्तकें। प्रेरणाप्रद पुस्तकों के अंतर्गत आने वाली पुस्तकें हैं : आध्यात्मिक और धार्मिक पुस्तकें, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों एवं विचारधाराओं का प्रतिपादन करने वाली पुस्तकें, तथा अन्य शाश्वत मूल्यों की पुस्तकें जिन्हें हम क्लासिक्स (Classics) कहते हैं। इनसे अध्येताओं की आध्यात्मिक,

धार्मिक तथा वैचारिक एवं नैतिक पिपासा शांत होती है । प्रत्येक पुस्तकालय में इस प्रकार की पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकलन को अवश्य रखना चाहिए जिससे लोगों को उच्च आदर्शों हेतु प्रेरित किया जा सके और उनके मस्तिष्क में मूल्यों का संचार हो सके ।

10. मनोरंजन में पुस्तकालय का योगदान

किसी भी समुदाय के सदस्यों द्वारा फुर्सत या अवकाश के समय का स्वस्थ सदुपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा होने से समुदाय के सदस्यों को अवकाश के समय में नकारात्मक एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने से बचाया जा सकता है। पुस्तकालयों द्वारा उपयोक्ताओं की मनोरंजनपरक आवश्यकताओं की तुष्टि भी की जानी चाहिए तथा इसके लिए उपयुक्त पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए । उपन्यास, विभिन्न कलाओं से संबंधित कृतियाँ, भ्रमण-साहित्य, जीवनियाँ, लोकप्रिय पत्रिकाएँ, मनोरंजनपरक साहित्य की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक पुस्तकालय के प्रलेख-संग्रह में ऐसे साहित्य का प्रचुर संग्रह होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों में, विशेषतः सार्वजनिक पुस्तकालयों में, स्वस्थ मनोरंजन एवं मनोविनोद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए-जैसे, संगीत समारोहों और निष्पादन कलाओं इत्यादि का आयोजन ।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. निरक्षरों की शिक्षा में कौन-कौन से साधन उपयोगी हैं?

....

....

....

....

11. पुस्तकालय एवं परिवर्तनशील समाज

पिछले अनुच्छेदों में हमने शैक्षिक, अनुसंधानपरक, सांस्कृतिक, धार्मिक, एवं आध्यात्मिक क्रियाकलापों में पुस्तकालयों की परम्परागत भूमिका का अध्ययन किया है। वर्तमान अनुच्छेद में हम समाज में अभूतपूर्व परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालयों के विस्तारित आयामों का अध्ययन करेंगे। आधुनिक समाज में परिवर्तनों के अनेक कारण हैं । परिणामतः पुस्तकालयों में व्यापक परिवर्तन किए जा रहे हैं ।

11.1 परिवर्तन के आयाम

आधुनिक समाज में मानव जीवन के विभिन्न पक्षों एवं क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे निम्नांकित परिप्रेक्ष्यों में दृष्टिगोचर होते हैं :

- जनसंख्या के विस्फोट का प्रभाव परिवर्तनों का एक मुख्य कारण है, विशेषकर भारत में यह शहरीकरण की प्रवृत्ति, जनसंख्या स्थानांतरण, तथा सामूहिक गतिशीलता के माध्यम से एक विकट प्रभाव उत्पन्न कर रहा है।
- सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से व्यावसायिक पद्धतियाँ, आय तथा इसके साधन, कीमतें, मानवीय मूल्य, मुद्रा-स्फीति, विकास की गतिशीलता, समष्टि एवं व्यष्टि स्तरों पर आर्थिक विकास इत्यादि अत्यधिक प्रभावित होते हैं।

NOTES

- राजनीतिक स्वरूप एवं प्रणालियों, राजनीतिक दलों एवं उनकी वृद्धि, सांसदों एवं विधायकों के क्रियाकलापों तथा सत्ता-संरचना को राजनीतिक परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावित कर रहे हैं ।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर ज्ञानार्जन एवं शिक्षण प्रक्रिया, ज्ञानार्जन एवं शिक्षण सामग्री और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी को शैक्षणिक परिवर्तन पर्याप्त रूप से प्रभावित कर रहे हैं ।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के फलस्वरूप नित्यप्रति नवीन ज्ञान का उत्पादन एवं सृजन हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप उनमें उन्नयन, विस्तार, वितरण एवं प्रसार तथा उपयोग की दृष्टि से भी वृद्धि हुई है ।
- उत्पादन तथा वितरण में होने वाले परिवर्तनों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मूल्यांकन एवं अनुप्रयोग, विपणन तथा विक्रय इत्यादि से व्यवसाय और वाणिज्य प्रभावित हुए हैं ।
- व्यवसाय एवं वाणिज्य को आयात और निर्यात, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य, बहुराष्ट्रीय व्यापार आदि ने प्रभावित किया है ।
- नियोजन, नीति-निर्धारण, अभिशासन, क्रियान्वयन तथा प्रबंधन से शासन तथा प्रशासन व्यवस्था इत्यादि पर्याप्त प्रभावित हुए हैं ।
- ललित कलाओं, संगीत, प्रदर्शन-व्यवसाय, फिल्म उद्योग, उपग्रह टेलीविजन इत्यादि के क्षेत्र में सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं ।

समकालीन मानव जीवन में तीव्रगामी परिवर्तनों को उत्पन्न करने वाले घटकों एवं कारणों में उपरिलिखित घटक विशेष रूप से प्रबल रहे हैं ।

समकालीन जीवन के ताने-बाने में रचे-बसे सूचना तथा ज्ञान के प्रमुख पहलुओं को नीचे दी गई तीन प्रमुख श्रेणियों में समूहबद्ध किया जा सकता है :

साहित्योन्मुख	प्रबन्ध	सामयिक क्रियाकलाप
ज्ञानार्जन एवं अध्यापन	उच्च स्तरीय उत्पादकता	समाचार विश्लेषण, सामयिक
अनुसंधान एवं विकास	कौशलपूर्ण नियोजन	घटनाओं पर टिप्पणियाँ,
प्रकाशन-अनुसंधान	कार्य एवं नियंत्रण	उपरिलिखित पक्षों से संबंधित
मोनोग्राफ	निर्णय-प्रक्रिया	गतिविधियाँ एवं व्यक्ति
सावधिक प्रकाशन	प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन	टेलीविजन, प्रसारण, वीडियो
तकनीकी प्रतिवेदन	कार्यक्षमता का मूल्यांकन	इत्यादि
शोध प्रबन्ध	अन्य	
विद्वता		
नवप्रवर्तन और आविष्कार		

विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं इत्यादि के संचालन के लिए हमें इन्हीं प्रमुख श्रेणियों से सूचना को हासिल करना होगा तथा अपनी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें समुचित रीति से सम्मिश्रित, एकत्रित तथा एकीकृत करना होगा । सूचना के भंडारण तथा पुनर्प्राप्ति के लिए हमें इन्हीं तीनों प्रमुख श्रेणियों से डेटाबेस तैयार करना होगा तथा इसके लिए सभी प्रक्रियाओं में, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से सूचना-प्रौद्योगिकी की अनुप्रयुक्ति का भी सहारा लेना होगा ।

सूचना के समस्त क्षेत्रों को इसी परिप्रेक्षय में समझना तथा देखना होगा । सूचना की इन तीनों श्रेणियों एवं समूहों में हम सूचना का सुनिश्चित प्रवाह देखते हैं, जिसके अन्तर्गत सूचना के उत्पादन एवं उत्पत्ति से लेकर

उसके प्रक्रियाकरण, प्रसार एवं प्रचार, संग्रह, पुनर्प्राप्ति तथा सूचना की उपादेयता की प्रक्रिया सन्निहित है। संरचनात्मक नवप्रवर्तनों के उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग तथा उन्नत प्रकार की नवीन प्रणालियों एवं सेवाओं के सृजन हेतु नवीन प्रौद्योगिकी एवं तकनीकों को विकसित करने के साथ ही नवीन संस्थागत विधाओं एवं व्यवस्था प्रणालियों की भी स्थापना की जा रही है। सूचना प्रणालियों के अभिकल्प और विकास तथा कार्यक्रम की सभी पद्धतियाँ एवं पक्ष वस्तुत: उनकी माँग, आवश्यकता तथा उनकी उपादेयता पर आधारित हैं। वस्तुत: आज की सूचना प्रणाली उपयोक्ता की सूचना की माँग पर ही टिकी है।

11.2 पुस्तकालय की विस्तृत भूमिका

उपरिलिखित प्रवृत्तियों के फलस्वरूप पुस्तकालयों के कार्यों में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। उपयोक्ताओं की नवीन प्रकार की सूचना की माँग की पूर्ति के लिए पिछले 40 वर्षों में अनेक नवीन गतिविधियाँ चलाई गई हैं जिन्हें अनेक क्रियाकलापों, साधनों एवं विधियों से संपन्न करना पड़ता है जो प्रलेखन, सूचना विश्लेषण, सूचना के समेकन तथा पुनर्सवेष्ठन, कम्प्यूटररीकृत प्रणालियों इत्यादि पर आधारित हैं । इन कार्यक्षेत्रों में हो रही प्रगति के कारण सूचना-उत्पादों तथा सेवाओं का व्यवसायीकरण करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ है जिससे सूचना उद्योग का मार्ग प्रशस्त हुआ है जो तीव्र गति से विकसित हो रहा है । पुस्तकालयों की इस तीव्रगामी भूमिका एवं परिवर्तनशील योगदान के आधार पर प्रसिद्ध सूचना वैज्ञानिक राबर्ट एस. टेलर (Robert S. Taylor) ने कहा है कि "रूपकात्मक भाषा में यह कहा जा सकता है कि हम टालमी कालीन (Ptolemaic) जगत् जिसमें पुस्तकालय केन्द्रभूत रहे हैं, की ओर से कॉपरनिकस कालीन (Copernican) जगत् की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें सूचना केन्द्रीभूत है और पुस्तकालय इसके अनेक ग्रहों में से एक हैं ।" (ग्रीक गणितज्ञ टालमी (Ptolemy) ने इस सिद्धांत और अवधारणा का प्रतिपादन किया था कि पृथ्वी एक केन्द्र के रूप में जगत् में स्थिर है और सभी ग्रह-मण्डल इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं । पोलैण्ड के खगोलशास्त्री कॉपरनिकस (Copernicus) ने इस अवधारणा को बदल दिया और यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी अन्य ग्रहों में एक ग्रह है और सौर-मण्डल में सूर्य की परिक्रमा करती है)। कहने का अभिप्राय यह है कि पहले पुस्तकालय सूचना का केन्द्र माने जाते थे जिनके चारों ओर उपयोक्ता सूचना प्राप्त करने के लिए चक्कर लगाते थे, परन्तु अब सूचना ही केन्द्र है और पुस्तकालय सूचना के संग्रहण और प्रसार के लिए सूचना-जगत् की परिक्रमा करते हैं ।

उपरिलिखित वक्तव्यों एवं तथ्यों से ज्ञान एवं सूचना के बदलते आयाय और उनकी व्यवस्था करने की संस्थागत पद्धति की स्थिति स्पष्ट हो जाती है । अब सूचना केन्द्रीभूत है और जबकि पहले पुस्तकालय केन्द्रीभूत रहा है ।

यद्यपि पुस्तकालय अनिवार्यत: सूचना और ज्ञान की व्यवस्था करते हैं तथापि सूचना समाज में उपयोक्ताओं की माँग एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्थागत पद्धतियों द्वारा आधुनिक सूचना प्रणालियों और सेवाओं को समुचित ढंग से व्यवस्थित एवं क्रियान्वित करके पर्याप्त बनाया गया है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. मनोरंजन में पुस्तकालयों का क्या योगदान है ?

....

....

....

....

NOTES

12. सार-संक्षेप

आधुनिक समाज की अनेक आवश्यकताएँ हैं- जैसे शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक एवं वैचारिक क्रियाकलाप, क्रीड़ा एवं मनोरंजन, इत्यादि। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की। इनमें पुस्तकालय का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अन्य संस्थाएँ एक या दो प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं लेकिन पुस्तकालय सभी प्रकार की आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति करता है समाज की शैक्षणिक एवं अनुसंधानपरक गतिविधियों के प्रोत्साहन, सांस्कृतिक उन्नयन, सूचना के प्रचार-प्रसार, आध्यात्मिक और सैद्धान्तिक आस्थाओं की पूर्ति, मानवीय मूल्यों की स्थापना और मनोरंजनात्मक कार्यों के आयोजन इत्यादि में पुस्तकालय की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है।

सभी कालों में समस्त मानवीय क्रियाकलापों के आयोजन एवं उनकी सफलता में ज्ञान और सूचना पर्याप्त सहायक रहे हैं । लेकिन बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की अवधि में सूचना और ज्ञान विकास के सशक्त साधन बन गए हैं और समस्त गतिविधियों के केन्द्र बन गए हैं । सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के कारण सूचना का संग्रहण, प्रक्रियाकरण और व्यवस्थापन, अभिगम तथा सुलभता भौगोलिक दूरियों के बावजूद भी सरल हो गए हैं और इन कार्यों को तीव्रता एवं सटीकता के साथ संपन्न किया जा रहा है । आज सूचना तथा ज्ञान को मूल संसाधन माना गया है और आधुनिक समाज को 'सूचना समाज' की संज्ञा दी गई है।

सूचना और ज्ञान की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त संस्थागत पद्धतियाँ एवं व्यवस्थाएँ पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई हैं । ज्ञान और सूचना की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली अनेक संस्थाओं में पुस्तकालयों का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

13. स्व प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. विभिन्न दायित्वों की पूर्ति के उद्देश्य से समाज ने बहुत पहले से ही अनेक संस्थाओं की स्थापना की है । सामाजिक संस्थाओं में शैक्षणिक संस्थाएँ-जैसे, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, शोध संस्थाएँ, सांस्कृतिक संस्थाएँ, ललित कला एवं मनोरंजन के लिए संस्थाएँ, व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान इत्यादि प्रमुख हैं । हमारे पुस्तकालय भी इसी प्रकार की संस्थाएँ हैं । लेकिन इन संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था समाज की मात्र एक अथवा कुछ गिनी-चुनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होती है जबकि पुस्तकालय सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।

2. विद्यालयीन, महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन पुस्तकालयों के अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा में सहायता करने का दायित्व सार्वजनिक पुस्तकालयों का भी होता है । इसके लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों को संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं के छात्रों तथा शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित उपयुक्त पुस्तकों का संग्रह अवश्य कराना चाहिए और उन्हें सुलभ कराना चाहिए । इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि सार्वजनिक पुस्तकालय को समुदाय के सभी लोगों की सेवा करनी चाहिए और अध्यापकों एवं छात्रों की आवश्यकता की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ।

3. क्या आप इस बात को उचित मानते हैं कि निरक्षरों को शिक्षा का लाभ नहीं मिलना चाहिए ? साक्षरता ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम है, न कि स्वयं शिक्षा । इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है और इससे वंचित होना सबसे बड़ी असुविधा है । इस कार्य के लिए आजकल अनेक ऐसे प्रभावशाली साधन सुलभ हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की देन हैं । श्रव्य-दृश्य के साधनों, विशेषकर वीडियो टेप (Video Tape) के माध्यम से शिक्षा को प्रत्येक घर के दरवाजे तक लाना सर्वथा संभव हो गया है । इस साधनों के माध्यम से समुदाय के निरक्षर

लोगों की शिक्षा के लिए कार्य करना सार्वजनिक पुस्तकालय का एक विशेष दायित्व एवं कर्तव्य है । निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षित बनाने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा विद्यार्जन क्लबों (Clubs) और मौखिक संप्रेषण कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए ।

4. किसी भी समुदाय के सदस्यों द्वारा फुर्सत या अवकाश के समय का स्वस्थ सदुपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा होने से समुदाय के सदस्यों को अवकाश के समय में नकारात्मक एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त होने से बचाया जा सकता है। पुस्तकालयों द्वारा उपयोक्ताओं की मनोरंजनपरक आवश्यकताओं की तुष्टि भी की जानी चाहिए तथा इसके लिए उपयुक्त पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उपन्यास, विभिन्न कलाओं से संबंधित कृतियाँ, भ्रमण-साहित्य, जीवनियाँ, लोकप्रिय पत्रिकाएँ, मनोरंजनपरक साहित्य की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक पुस्तकालय के प्रलेख-संग्रह में ऐसे साहित्य का प्रचुर संग्रह होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों में, विशेषतः सार्वजनिक पुस्तकालयों में, स्वस्थ मनोरंजन एवं मनोविनोद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए-जैसे, संगीत समारोहों और निष्पादन कलाओं इत्यादि का आयोजन।

14. मुख्य शब्द

अनौपचारिक शिक्षा (Non-formal Education)	:	शिक्षा की ऐसी प्रणाली जिसमें छात्रों को स्वयं-अध्ययन एवं स्वयं-निर्देशन के माध्यम से ज्ञानार्जन करना पड़ता है।
कामकाजी समूह (Working Group)	:	विभिन्न व्यवसायों, धन्धों एवं आजीविका में संलग्न व्यक्ति समूह।
रिपॉजिटरी (Repositories)	:	वह स्थान जहाँ सामग्री को भण्डारित किया जाता है।
व्यावसायिक कौशल (Vocational Skills)	:	किसी प्रकार की आजीविका से संबंधित कौशल
सूचना का प्रसार (Disseminating Information)	:	लोगों को सुलभ करने के लिए सूचना का संग्रह, व्यवस्थापन तथा उपयुक्त स्वरूप में उसका प्रस्तुतीकरण।
सूचना समाज (Information Society)	:	एक ऐसा समाज जिसमें सूचना एवं ज्ञान ही परिवर्तन के प्रमुख कारक तथा शक्तिप्रदायक एवं मार्गदर्शक तत्व के रूप में स्थापित होते हैं।

15. अभ्यास-प्रश्न

1. आधुनिक समाज की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए ।
2. विविध प्रकार की शिक्षा की समीक्षा कीजिए ।
3. शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में पुस्तकालयों की उपयोगिता का विवेचन कीजिए ।
4. सूचना प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालयों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए ।
5. आधुनिक समाज में पुस्तकालय की विस्तृत भूमिका की विवेचना कीजिए ।

NOTES

16. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

Isaac, K.A. (1987). Libraries and Librarianship: A Basic Introduction. Madras: S Vishwanathan Printers and Publishers Pvt. Ltd. pp. 1-35.

Khanna, J.K (1987). Library and Society. Kurukhetra: Research Publications pp.7-79.

Mc Garry, K.J (1981). Changing Concept of Information: An Introductory Analysis. London: Clive Bingley. Chapter5.

Rath, P.K. and Rath. M.M (1992). Sociology of Librarianship. Delhi: Pratibha Prakashan.

महेन्द्रनाथ (1998) । पुस्तकालय और समाज । जयपुर: पोइन्टर पब्लिशर्स ।

शर्मा, पाण्डेय एस. के. (1998) । पुस्तकालय और समाज । नई दिल्ली : ग्रन्थ अकादमी

सैनी, ओमप्रकाश (1999) । ग्रन्थालय एवं समाज । आगरा: वाई.के पब्लिशर्स ।

अध्याय-2

पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. प्रथम सूत्र ''पुस्तकें उपयोग के लिए हैं''
   - प्रथम सूत्र का निहितार्थ
4. द्वितीय सूत्र ''प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक''
   4.1 द्वितीय सूत्र का निहितार्थ
   4.2 संसाधनों की सहभागिता
5. तृतीय सूत्र ''प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक''
   5.1 निहितार्थ-मुक्त प्रवेश
   5.2 निहितार्थ-सेवाएँ
   5.3 निहितार्थ-पुस्तकालय प्रसूची
6. चतुर्थ सूत्र ''पाठक का समय बचाएँ''
   6.1 निहितार्थ-मुक्त प्रवेश
   6.2 निहितार्थ-वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण
   6.3 निहितार्थ-निर्गम प्रणाली
7. पंचम सूत्र ''पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक-तंत्र है''
   7.1 निहितार्थ-प्रलेख-संग्रह
   7.2 निहितार्थ-पाठक
   7.3 निहितार्थ-कर्मचारी
   7.4 निहितार्थ वर्गीकरण एवं प्रसूची
   7.5 निहितार्थ-आधुनिकीकरण
   7.6 निहितार्थ-भविष्य हेतु प्रावधान
   7.7 निहितार्थ-पुस्तकों की छँटनी
8. पंच सूत्रों की व्यापक व्याख्या
9. सार-संक्षेप
10. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
11. अभ्यास-प्रश्न
12. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्र वस्तुत: पुस्तकालय व्यवसाय की गतिविधियों और क्रियाकलापों की उत्तमता को निर्धारित करने वाले मानदण्ड तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं। पुस्तकालय सेवा की व्याप्ति के समस्त क्षेत्रों, जैसे-प्रलेखन एवं सूचना प्रणालियों और सेवाओं में इन सूत्रों की उपादेयता एवं सार्थकता स्वयं सिद्ध है।

इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात् आप:

- इन पंच-सूत्रों द्वारा निर्देशित मार्गदर्शन सिद्धान्तों के आधार पर पुस्तकालय, प्रलेखन एवं सूचना के कार्यों तथा सेवाओं से संबंधित गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या कर सकेंगे; तथा
- पुस्तकालय, प्रलेखन, सूचना कार्यों एवं सेवाओं से सम्बन्धित किसी नवीन क्रियाकलाप को प्रारंभ करने में इन पंच-सूत्रों का उपयोग तर्कसम्मत सिद्धान्तों के रूप में कर सकेंगे।

2. परिचय

डॉ. एस. आर. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के इन पाँच सूत्रों का प्रतिपादन सन् 1928 में किया गया था जब वे मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उसी वर्ष चिदम्बरम में दिसम्बर में आयोजित एक राज्य-स्तरीय शिक्षा सम्मेलन में इन सूत्रों की प्रथम बार अभिव्यक्ति हुई और इन्हें प्रकाश में लाया गया। लन्दन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप (School of Libarianship) में 1924 में पुस्तकालय विज्ञान की अपनी शिक्षा के दौरान तथा इंग्लैण्ड के अनेक प्रमुख पुस्तकालयों की कार्यपद्धति का गहन अवलोकन एवं निरीक्षण करने के उपरान्त वे निरन्तर इस खोज में प्रयत्नशील थे कि जो कुछ उन्होंने सीखा और अनुभव किया है, उन पद्धतियों तथा सिद्धान्तों को नियमबद्ध कर किस प्रकार उपादेय, सार्थक एवं सर्वमान्य सिद्धान्तों के रूप में परिणत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वे कुछ ऐसे सिद्धान्तों की तलाश में थे जो हमें यह बता सकें कि पुस्तकालयों की व्यवस्था, प्रबंध, तथा कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाकर पुस्तकालय की सेवाओं को सर्व-सुलभ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन मौलिक सिद्धान्तों में प्रच्छन्न रूप से अन्य प्रकार की पद्धतियाँ भी निहित हो सकती हैं जो अभी अज्ञात हैं, लेकिन समयानुसार भविष्य में जिनका प्रकटीकरण हो सकता है। पुस्तकालय विज्ञान के इन पाँच सूत्रों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन डॉ. रंगनाथन् की चिंतन-मनन की प्रक्रिया का परिणाम है।

पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र निम्नलिखित हैं:

- पुस्तकें उपयोग के लिए हैं;
- प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक;
- प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक;
- पाठक का समय बचाएँ;
- पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक-तंत्र है।

पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित प्रत्येक गतिविधि में इन सूत्रों का अलग-अलग तथा सामूहिक औचित्य और तर्काधार है। हम इस बात की भी जाँच कर सकते हैं कि इन पंच-सूत्रों के निहितार्थ तथा इनकी

माँग को संतुष्ट करने के लिए सारी आवश्यक गतिविधियाँ पुस्तकालय में चलाई जा रहीं हैं या इस दिशा में कोई कमी रह गई है। अतः पुस्तकालय के सभी कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं सेवाओं के निष्पादन के लिए सूत्रों से दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक आधार प्राप्त होता है। यहाँ इस बात को समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक सूचना-प्रणालियों और सेवाओं में भी इन पंच-सूत्रों की सार्थकता है तथा इनकी सारी गतिविधियों को भी ये नियंत्रित करते हैं। जब रंगनाथन ने "पुस्तकों" एवं "पाठकों" के पदों की अभिव्यक्ति का उपयोग किया था तो "पुस्तकों' से उनका अभिप्राय सभी प्रकार की ज्ञान सामग्री और सूचना से तथा "पाठकों' से उनका अभिप्राय पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के सभी प्रकार के उपयोक्ताओं से था। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें यह समझ लेना चाहिए कि ज्ञान और सूचना, जो पहले केवल मुद्रित रूप में उपलब्ध थे, आज अन्य रूपों में उपलब्ध हैं, परंतु पुस्तकालयों की सारी सेवाएँ अभी भी सूचना-केन्द्रित तथा उपयोक्ता-केन्द्रित हैं। सूचना एवं पुस्तकालय सेवाओं के आयाम भले ही पर्याप्त विस्तृत हुए हैं लेकिन सेवाओं का मूल दर्शन और उद्देश्य अभी भी अपरिवर्तित हैं। अतः सूचना प्रणालियों और पुस्तकालयों के आधुनिक विकास तथा परिवर्तित संन्दर्भों और स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इन सूत्रों का निम्नलिखित रूप में पुनर्कथन किया जा सकता है:

- प्रलेख/सूचना उपयोग के लिए हैं ;
- प्रत्येक उपयोक्ता को उसका/उसकी प्रलेख/सूचना;
- प्रत्येक प्रलेख/सूचना के लिए उसका उपयोक्ता;
- उपयोक्ता का समय बचाएँ;
- प्रलेखन/सूचना प्रणाली एक वर्धनशील जैविक-तंत्र है।

इस अध्याय में, हम पारंपरिक पुस्तकालयों के साथ-साथ आधुनिक प्रलेखन एवं सूचना प्रणालियों तथा सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में इन पाँच सूत्रों के अभिप्राय एवं निहितार्थ की चर्चा करेंगे।

3. प्रथम सूत्र "पुस्तकें उपयोग के लिए हैं"

हम यह सोच सकते हैं कि प्रथम सूत्र (पुस्तकें उपयोग के लिए हैं) एक स्पष्ट एवं स्वयंसिद्ध वक्तव्य है। परंतु ऐसा नहीं है। पुस्तकालयों में पुस्तकों के उपयोग की परम्परा और इतिहास पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा। प्राचीन और मध्यकाल में पुस्तकों के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने की अपेक्षा उन्हें सुरक्षित रखने पर अधिक बल दिया जाता था। यूरोप के मध्यकालीन मठों (पूजागृहों) के पुस्तकालयों में पुस्तकों को फलकों से बाँधकर या अलमारियों में बन्द कर रखने की परिपाटी प्रचलित थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उपयोग किए जाने के कारण कहीं पुस्तकें खो न जाएँ। उस समय ऐसा करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि पुस्तकों का लेखन या उत्पादन अत्यन्त कठिन कार्य था। परंतु मुद्रण कला के आविष्कार के पश्चात् जब पुस्तकों की पर्याप्त प्रतियों का उत्पादन करना सरल हो गया तब भी उक्त परिपाटी प्रचलित रही। यद्यपि आज भी पुस्तकों के निर्बाध उपयोग के प्रति उदासीनता के छिट-पुट उदाहरण यत्र-तत्र दिखाई पड़ते हैं, परंतु सामान्यतया पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों को निर्बाध उपयोग के लिए सुलभ किया जा रहा है। पुस्तकों के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पुस्तकालय की सभी प्रकार की नीतियों को उदार एवं सहायक सिद्ध होने की आवश्यकता है। पुस्तकालय के क्रियाकलापों में इस सूत्र के निहितार्थ का स्पष्टीकरण अगले अनुच्छेदों में किया गया है।

NOTES

प्रथम सूत्र का निहितार्थ

(क) पुस्तकालय की अवस्थिति

पुस्तकालय के कार्यों के लिए प्रथम सूत्र के अनेक संदेश हैं। पुस्तकालय भवन का चयन करते समय इस सूत्र के संन्देश को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस संबध में प्रथम सूत्र का संदेश यह है कि पुस्तकालय भवन को किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थित होना चाहिए जहाँ सरलतापूर्वक पहुँचा जा सके। यदि पुस्तकों का उपयोग करने के लिए लोगों को दूर तक चलना पड़ता है तो यह उन्हें हतोत्साहित करता है और पुस्तकों का उपयोग कम होता है। पुस्तकालय भवन ऐसे स्थान पर स्थित होना चाहिए जो शोरगुल से मुक्त और मोलाहल रहित हो जिससे गहन अध्ययन संभव हो सके। सार्वजनिक पुस्तकालय का भवन शान्त एवं केन्द्रीय क्षेत्र में होना चाहिए। विद्यालय पुस्तकालय की अवस्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों को वह आसानी से दिखाई पड़ सके। महाविद्यालय पुस्तकालय की अवस्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए। विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा गया है। पुस्तकालय की भौगोलिक स्थिति से भी यह परिलक्षित होना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि पुस्तकालय भवन की अवस्थिति ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पाठक आसानी से और सुविधापूर्वक पहुँच सकें।

(ब) पुस्तकालय का कार्य-समय

इस सूत्र का दूसरा अभिप्राय तथा निहितार्थ है कि पुस्तकालय का कार्य-समय उपयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। हमारे देश में बहुत से पुस्तकालय इस सूत्र के संदेश एवं निर्देश की उपेक्षा करते हैं। विशेष रूप से विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय तथा सार्वजनिक पुस्तकालय इस बात पर विशेष ध्यान नहीं देते। इनमें से बहुत से पुस्कालय उस समय खुलते और कार्यरत होते हैं अतः पुस्तकालय का कार्य-समय उसके उपयोक्ताओं की सुविधानुसार होना चाहिए। इससे पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि होती है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र का परिचय दीजिए ।

....

....

....

....

(स) पुस्तकालय भवन तथा फर्नीचर

प्रथम सूत्र की एक माँग यह भी है कि पुस्तकालय भवन तथा फर्नीचर के नियोजन और बनावट पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। पुस्तकालय भवन को कार्यात्मक और सुरुचि संपन्न होना चाहिए तथा इसके फर्नीचर भी कार्यात्मक एवं आकर्षक होने चाहिए। यदि निधानी (Racks) जिनमें पुस्तकों को व्यवस्थित कर रखा जाता है, अधिक ऊँची हो तो उनके सबसे ऊँचे खानों (Shelves) में रखी पुस्तकों तक पहुँचना कठिन हो जाता है जिससे पुस्तकों के उपयोग में बाधा उत्पन्न होती है। पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए बाल-पुस्तकालयों के फर्नीचर को बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार कराना चाहिए। फर्नीचर को आकर्षक और आरामदेह होना चाहिए जिससे उपयोक्तागण पुस्तकालय में निरंतर आने के लिए लालायित रहें।

(द) कर्मचारी

प्रथम सूत्र अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह निर्देश देता है कि पुस्तकालय कर्मियों में सुनिश्चित योग्यताएँ एवं विशेषताएँ होनी चाहिए। उनमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए जिससे पुस्तकालय की कुशल व्यवस्था तथा प्रबन्ध करने में तथा संतोषजनक सेवाओं को सुलभ करने में वे सफल तथा सक्षम सिद्ध हो सकें। इससे पुस्तकों के उपयोग को बढ़ावा मिलता है। औपचारिक योग्यता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय कर्मियों की व्यक्तिगत विशेषताएँ और गुण। उन्हें शिष्ट, सभ्य, उदार, हँसमुख और सहायक होना चाहिए। उन्हें "मुस्कानयुक्त सेवा' का आदर्श अपनाना चाहिए। कर्मियों को सदा यह याद रखना चाहिए कि पुस्तकालय में जो कुछ वे करते हैं वह लक्ष्य की पूर्ति का एक साधन है और वह लक्ष्य उपयोक्ताओं की सेवा है। यदि कोई नया एवं संभावित उपयोक्ता किसी कर्मिक के उपेक्षापूर्ण व्यवहार एवं प्रवृत्ति का अनुभव करता है तो वह अवश्य ही पुस्तकालय के प्रति विमुख और उदासीन हो जाएगा। इससे प्रथम सूत्र की अवहेलना होगी। पुस्तकों का उपयोग बढ़ाने में पुस्तकालय कर्मियों के ज्ञान, योग्यता, क्षमता, तथा पाठकों के प्रति उनका व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका पुस्तकों का उपयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान है।

4. द्वितीय सूत्र "प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक"

"प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक" पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र है। यह सूत्र "सबके लिए पुस्तकें" की मांग करता है जो इस सूत्र का एक भिन्न रूप है। इस सूत्र का निर्देश यह है कि सुस्पष्ट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह सूत्र पुस्तकालय सेवा के सार्वभौमीकरण तथा लोकतंत्रीकरण पर बल देता है। पहले समाज के कुछ गिने-चुने उच्चवर्गीय और धनाढ्य लोगों एवं विशिष्ट व्यक्तियों को ही पुस्तकालय एवं पुस्तकों की सुविधा सुलभ होती थी। जन-सामान्य इस सुविधा से वंचित था। लेकिन लोकतंत्र, जिसमें शासन व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, के आविर्भाव के कारण स्थिति मूलतः और व्यापक रूप से बदल गई है। लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने तथा उसे सशक्त बनाने के लिए सुशिक्षित, प्रबुद्ध, और निष्ठावान नागरिकों की परमावश्यकता होती है। सभी प्रकार की संभावित संस्थाओं के माध्यम से बिना किसी भेद-भाव के शिक्षा तथा ज्ञान-प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है। अतः द्वितीय सूत्र, अर्थात् "प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक" अथवा "सबके लिए पुस्तकें" की सार्थकता स्वयं-सिद्ध है।

4.1 द्वितीय सूत्र का निहितार्थ

द्वितीय सूत्र राज्य, राज्य के पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारियों, एवं पाठकों को सुनिश्चित दायित्वों का पालन करने का निर्देश तथा संदेश देता है।

(अ) राज्य का दायित्व

सभी नागरिकों को पर्याप्त पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए समुचित पुस्तकालय प्रणाली एवं व्यवस्था विकसित करना और उसका पोषण करना राज्य का दायित्व है। इसे निष्पादित करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम लागू करने की आवश्यकता है। इस कार्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है क्योंकि पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा पुस्तकालयों की वित्त-व्यवस्था तथा विभिन्न पुस्तकालयों के समन्वयन के लिए प्रभावी प्रावधान बनाये जा सकते हैं। इस बात को पहले ही तय कर लेना चाहिए कि समाज को किस प्रकार की पुस्तकालय-प्रणाली और पुस्तकालय-सेवा की आवश्यकता है तथा उस प्रणाली और सेवा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। उन लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकालय अधि

नियम के माध्यम से आवश्यक प्रावधान बनाये जाने चाहिए। पुस्तकालयों के विकास में धन की कमी सदा खटकती है। अतः सीमित वित्तीय साधनों से अधिक से अधिक पुस्तकालय सेवाओं और सुविधाओं को सुलभ करने का लक्ष्य होना चाहिए।

NOTES

अधिनियम के माध्यम से जिस पुस्तकालय प्रणाली की कल्पना यहाँ की गयी है वह वस्तुतः सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली है जो सभी के उपयोग के लिए होती है। लेकिन कोई भी सार्वजनिक पुस्तकालय स्वयं प्रत्येक पाठक को उसकी आवश्यकतानुसार पुस्तकें सुलभ करने में सक्षम नहीं होता है। विद्यार्थियों, अध्यापकों, तथा शोधकर्ताओं को द्वितीय उपसूत्र के अनुसार सेवा सुलभ करने में सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका सीमित होती है। अतः यह भी राज्य का दायित्व होता है कि वह अन्य प्रकार के पुस्तकालयों–जैसे, विद्यालय पुस्तकालयों, महाविद्यालय पुस्तकालयों तथा विशिष्ट पुस्तकालयों की भी स्थापना करे।

(ब) पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व

द्वितीय सूत्र पुस्तकालय प्राधिकरण के दो प्रकार के दायित्व निर्धारित करता है: (i) पुस्तकों के चयन से संबंधित दायित्व, तथा (ii) कर्मचारियों के चयन की पद्धति से संबंधित दायित्व।

(i) पुस्तकों का चयन

किसी भी पुस्तकालय में इतनी धनराशि नहीं होती है कि वह सभी प्रकार की सभी पुस्तकों का क्रय कर सके। अतः पुस्तकों के चयन की एक पद्धति को अपनाने की आवश्यकता होती है। पुस्तक-चयन बड़े ही विवेकपूर्ण और समुचित ढंग से करना होता है जिससे उपलब्ध धनराशि से उपयुक्त एवं आवश्यक पुस्तकों का अधिग्रहण किया जा सके। प्रत्येक पुस्तकालय को अपने पाठकों की पठन-संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए तथा पुस्तक-चयन की एक नीति बनानी चाहिए। अपने पाठकों की पठन-संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आधुनिक पुस्तकालयों द्वारा सुसंबद्ध रीति से पाठकों का सर्वेक्षण किया जाता है और उसके आधार पर पुस्तक-चयन एवं पुस्तक-अधिग्रहण नीति बनाई जाती है। इस खंड की इकाई 12 में पाठक अध्ययन की पद्धतियों और तकनीकों की चर्चा की गई है। यहाँ इतना जानना ही पर्याप्त होगा कि किसी पुस्तकालय में उत्तम प्रलेख-संग्रह का निर्माण करने के उद्देश्य से पाठकों की पुस्तकों संबंधी आवश्यकता का निर्धारण करने में "पाठक-अध्ययन' का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन पुस्तकों का क्रय करने से इस सूत्र की अवहेलना होती है जिनकी माँग और आवश्यकता नहीं होती है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र की सार्थकता की समीक्षा कीजिए ।

   ....

   ....

   ....

   ....

(ii) कर्मचारियों का चयन

प्रथम सूत्र की भाँति द्वितीय सूत्र भी पुस्तकालय कर्मचारियों के चयन से संबंधित निर्देश देता है। द्वितीय सूत्र के संदेशानुसार प्रत्येक पाठक को उसकी आवश्यकतानुसार पुस्तक प्रदान करने के लिए पर्याप्त और सक्षम

कार्मिकों की भी आवश्यकता होती है। अपनी पठन आवश्यकता की पूर्ति के लिए अध्येता को पुस्तकालय के समस्त संसाधनों का उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन इस प्रयास में उसे पुस्तकालय कर्मचारियों की सक्रिय सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसी सहायता के अभाव में जिन पुस्तकों की आवश्यकता उसे होती है वैसी अनेक पुस्तकों को प्राप्त करने में वह सफल नहीं हो सकता है। प्राय: ऐसा देखा गया है कि पुस्तकालयों में उपयुक्त योग्य एवं पर्याप्त कार्मिकों के अभाव में उपयोक्ताओं को समुचित पुस्तकालय सेवा उपलब्ध करना संभव नहीं हो पाता है। अत: द्वितीय सूत्र का निर्देश यह है कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और पुस्तकालय प्राधिकरण को आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा होने से द्वितीय सूत्र की उपेक्षा होती है।

(स) कर्मचारियों का दायित्व

पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना ही काफी नहीं है। कर्मचारियों को भी अपने दायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के लिए द्वितीय सूत्र के संदेश पर सदा ध्यान देना चाहिए और इसके संदेश और निर्देश से प्रेरित होना चाहिए।

द्वितीय सूत्र कर्मचारियों द्वारा संदर्भ सेवा का आयोजन करने पर अत्यधिक बल देता है। उन्हें उपयोक्ताओं को समझने तथा उनकी पुस्तकों की आवश्यकता को ज्ञात करने के लिए प्रयास करना चाहिए तथा वांछित पुस्तकों की प्राप्ति में उनकी सहायता करनी चाहिए। पुस्तकालय में किसी उपयोक्ता की अभिरुचि की अनेक पुस्तकें हो सकती हैं, लेकिन उसे उनमें से कुछ पुस्तकों की जानकारी नहीं भी हो सकती है। अत: पुस्तक सेवा मात्र उसी पुस्तक को सुलभ कराने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए जिसकी पाठक माँग करते हैं। द्वितीय सूत्र की माँग यह भी है कि उपयोक्ता को उसकी अभिरुचि एवं आवश्यकता की सभी सामग्रियों की पूर्णसूचना मिलनी चाहिए। पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पुस्तकों का उपयोग बढ़ाने के लिए संदर्भ सेवा प्रभावकारी एवं उपादेश विधि है।

कभी-कभी किसी पाठक की अभिरुचि एवं आवश्यकता की सामग्री किसी पुस्तक के किसी अध्याय अथवा कुछ पृष्ठों में निहित हो सकती है। संभव है कि उपयोक्ता उस पुस्तक में अपनी अभिरुचि के अनुरुप सामग्री होने की कल्पना नहीं कर सके और तब साधारणतया उस पुस्तक पर वह दृष्टिपात भी नहीं कर सकेगा। अत: पाठक को ऐसी सामग्रियों से वंचित होने की संभावना बनी रहती है जिससे द्वितीय सूत्र की अवहेलना होती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए पुस्तकालय प्रसूची में प्रचुर मात्रा में विषय विश्लेषी संलेखों (Subject Analytical Entries) अथवा वर्ग निर्देशी संलेखों (Cross Reference Entries) को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उपयोक्ताओं का ध्यान उनकी अभिरुचि की पुस्तकों के अंतर्विषय की ओर आकर्षित किया जा सके।

"प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक" में "पुस्तक' पद का अभिप्राय लघु-प्रलेखों (Micro-documents) से भी है, जैसे- पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएँ। वर्तमान में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अत्यधिक साहित्य-सामग्रियों के उत्पादन और अनेक स्रोतों में उनके बिखरे होने के कारण उपयुक्त एवं वांछित सामग्री की खोज तथा उसकी प्राप्ति एक जटिल समस्या हो गयी है। द्वितीय सूत्र यह निर्देश देता है कि पुस्तकालय कर्मियों को ग्रन्थसूचियों, तथा अनुक्रमणीकरण और सारकरण सेवाओं इत्यादि के माध्यम से उपयोक्ताओं की ऐसी सामग्री को खोजने में, सभी प्रकार की सहायता करनी चाहिए।

द) पाठकों का दायित्व

द्वितीय सूत्र द्वारा पाठकों का दायित्व भी निर्धारित किया गया है। द्वितीय सूत्र पाठकों से यह आशा करता है कि पुस्तकों के उपयोग में तथा देय-आदेय कार्य में वे पुस्तकालय के नियमों का पालन करेंगे। यदि

NOTES

कोई पाठक किसी पुस्तक को अपने पास समयावधि से अधिक दिनों तक रखता है और उसे समय से लौटाता नहीं है तो अन्य पाठकों को उस पुस्तक का उपयोग करने से वंचित कर देता है। ऐसे भी पाठक होते हैं जो मात्र स्वयं के उपयोग के लिए तथा उन पर अपना एकाधिकार रखने हेतु पुस्तकों को छिपा देते हैं, पुस्तकों के पृष्ठों को काट लेते हैं, और यहाँ तक कि पुस्तकों को चुरा लेते हैं। परिणामत: द्वितीय सूत्र की खुली अवहेलना होती है। उपयोक्ताओं को ऐसे अवांछनीय कुकृत्यों के परिणामों से अवगत तथा सजग कराने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से पाठक-शिक्षण (User Education) कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। पुस्तकालयों में इस कार्यक्रम के आयोजन पर द्वितीय सूत्र अत्यधिक जोर देता है।

4.2 संसाधनों की सहभागिता

अथक प्रयासों के द्वारा भी किसी पुस्तकालय को स्वयं-परिपूर्ण बनाना संभव नहीं है। शायद ही ऐसा कोई पुस्तकालय हो जो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक प्रदान करने में सक्षम हो। इस परिप्रेक्ष्य में विश्व के सर्वाधिक संसाधन संपन्न पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ काँग्रेस (Library of Congress), वाशिंगटन, तथा लेनिन स्टेट लाइब्रेरी (Lenin State Library), मास्को भी अपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि पुस्तकालयों में संसाधन सहभागति अवश्य स्थापित की जानी चाहिए। संसाधन सहभागिता अथवा संसाधन साझेदारी तथा नेटवर्क के माध्यम से एक पुस्तकालय के संसाधनों को अन्य पुस्तकालयों में उपयोगार्थ सुलभ किया जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था स्थानीय, राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर की जानी चाहिए। संसाधनों की ऐसी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों (Agencies) के तत्वावधान में सहभागिता के अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। द्वितीय सूत्र के अनुपालन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

5. तृतीय सूत्र "प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक"

पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है "प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक"। प्रथम सूत्र के समान यह सूत्र भी पुस्तकों के उपयोग पर केन्द्रित है। किसी भी पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तक को उसका संभावित एवं उपयुक्त पाठक प्राप्त होना चाहिए और उसके द्वारा पुस्तक का उपयोग किया जाना चाहिए। अनुपयोगी पुस्तकों पर किसी प्रकार का व्यय एवं निवेश करना अपव्यय है। ऐसी स्थिति को उत्पन्न नहीं होने दिया जाना चाहिए।

5.1 निहितार्थ-मुक्त प्रवेशं

तृतीय सूत्र के अनुपालन की सर्वोत्तम विधि एक ऐसी व्यवस्था का अनुसरण करना है जिसमें पुस्तकों द्वारा पाठकों के ध्यान को सर्वाधिक आकर्षित करने की संभावना बनी रहे। मुक्त प्रवेश प्रणाली में इसकी संभावना अत्यधिक होती है। इस प्रणाली में पुस्तकों को खुले फलकों या शेल्फ (Shelves) पर वर्गीकृत क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। इससे पाठकों को पुस्तकों तक पूर्ण अभिगम प्राप्त होता है और पुस्तकों के आवलोकन की पूर्ण स्वतंत्रता भी होती है। निधानियों पर पुस्तकों का अवलोकन करते समय पाठकों को ऐसी पुस्तकों को भी प्राप्त करने और देखने का अवसर मिलता है जिनकी पुस्तकालय में उपलब्धता का अनुमान उन्हें नहीं होता जबकि वे पुस्तकें उनकी अभिरुचि और आवश्यकता के अनुरूप होती हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि मुक्त प्रवेश प्रणाली में पुस्तकों के बारे में जानने और उनका अध्ययन करने की संभावना बढ़ जाती है। अत: तृतीय सूत्र इस व्यवस्था को लागू करने पर अधिक जोर देता है।

मुक्त प्रवेश प्रणाली को तृतीय सूत्र के अनुरूप कार्य करने योग्य बनाने के लिए कर्मचारियों तथा पाठकों को सुनिश्चित दायित्वों का निर्वाह करना होता है। पुस्तकों को फलकों के ऊपर वर्गीकृत क्रम में रखना चाहिए। वर्गीकृत व्यवस्था में विभिन्न विषयों की पुस्तकों को उनके पारस्परिक संबंध के आधार पर एक-दूसरे के निकट रखा जाता है। इसी प्रकार, पाठकों द्वारा उपयोग या अन्य कारणों से अपने स्थान से हट गई या हटा दी गई पुस्तकों को कर्मचारियों द्वारा निरंतर रूप से पुन: उनके स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ, शेल्फ-गाइड (Shelf Guides), बे-गाइड (Bay Guides) इत्यादि भी बनाना और प्रदर्शित करना चाहिए जिससे पाठकों को उपयुक्त फलकों की ओर निर्देशित किया जा सके।

पाठकों को भी अपने दायित्व का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। फलकों से पुस्तकों को निकाल कर अध्ययन करने अथवा अवलोकन करने के पश्चात् उन्हें स्वयं फलकों पर व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा पुस्तकों के इधर-उधर रखे जाने की अधिक संभावना होती है। पाठकों को जानबूझकर पुस्तकों को छिपाकर रखने, पृष्ठों को काटने या फाड़ने अथवा चोरी करने इत्यादि अन्य असामाजिक कुकृत्य और क्रियाकलापों से बचना चाहिए। प्रत्येक प्रणाली या पद्धति के अपने गुण होते हैं और अपनी सीमाएँ होती हैं, यदि मुक्त-प्रवेश प्रणाली का संतुलित एवं सुसंबद्ध रूप में पालन किया जाए तो इसके गुण इसकी सीमाओं पर भारी पड़ते हैं तथा इससे तृतीय सूत्र का अनुपालन होता है।

पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश प्रणाली अपनाने से यह लाभ होता है कि पुस्तकालय में किसी पुस्तक विशेष के साथ रखी गई अन्य पुस्तकों, जिसमें पाठक की अभिरुचि हो सकती है, तक पाठकों को अभिगम प्राप्त होता है। पुस्तकों के अवलोकन की इस प्रक्रिया में उन्हें न केवल अपनी अभिरुचि के क्षेत्र की पुस्तकों की पर्याप्त सूचना प्राप्त होती है बल्कि उससे संबंधित विषय-क्षेत्र की पुस्तकों की भी सूचना प्राप्त होती है। उपयोक्ता को इस प्रकार के अवलोकन की सुविधा बाधित प्रवेश प्रणाली में सुलभ नहीं होती है। मुक्त प्रवेश या अभिगम प्रणाली से यह हानि है कि इस प्रणाली को लागू करने से प्राय: पुस्तकें पाठकों द्वारा फलकों पर अव्यस्थित कर दी जाती हैं या छिपा दी जाती हैं। इससे अन्य उपयोक्ताओं को उन पुस्तकों के अवलोकन की सुविधा से वंचित होना पड़ता है। ऐसी असामाजिक गतिविधियों-जिनमें पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ने, पुस्तकों की चोरी करने अथवा जानबूझकर पुस्तकों का छिपा देने की प्रवृत्ति शामिल है-से अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पाठकों की ऐसी असामाजिक प्रवृत्तियों को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु इस पर नियंत्रण अवश्य लगाया जा सकता है। फिर भी, अंतत: मुक्त अभिगम या मुक्त प्रवेश प्रणाली से सुविधाएँ और लाभ अधिक हैं और ऐसी व्यवस्था से पुस्तकालय सेवा के मूल लक्ष्य की पूर्ति होती है।

5.2 निहितार्थ-सेवाएँ

(अ) नव-अधिगृहीत पुस्तकों की सूची

पुस्तकालय में प्राप्त सभी नवीन पुस्तकों की सूची नियमित रूप से बनानी चाहिए तथा उसका वितरण किया जाना चाहिए। इसके द्वारा संभावित पाठकों को उनकी पुस्तकों की सूचना दी जाती है।

(ब) नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन

पुस्तकालय में प्राप्त नवीन पुस्तकों को उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित हो सके और उनमें अभिरुचि रखने वाले पाठक उनका अध्ययन कर सकें।

(स) पुस्तक प्रदर्शनी

सामयिक प्रकरणों से संबंधित पुस्तकों की प्रदर्शनी का समय-समय पर आयोजन करने से पुस्तकों की ओर उनके उपयुक्त पाठकों को आकर्षित किया जाता है।

NOTES

पुस्तकों के चयन में पर्याप्त सावधानी बरतने के बावजूद भी कुछ ऐसी पुस्तकों का चयन हो जाता है जिनका उपयोग पुस्तकालय में नहीं हो पाता है। इसका एक कारण यह भी है कि पुस्तकों की जानकारी पाठकों को नहीं हो पाती है। अत: समय-समय पर ऐसी अप्रयुक्त पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित करने से उनके पाठकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जा सकता है और उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

5.3 निहितार्थ-पुस्तकालय प्रसूची

द्वितीय सूत्र की भाँति तृतीय सूत्र भी उत्तम प्रकार से निर्मित ऐसी प्रसूची की अभिकल्पना पर बल देता है, जिसमें पाठकों के सभी प्रकार के उपागमों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त संलेख हों। संदर्भ सेवा के द्वारा भी पुस्तकों के बारे में पाठकों को जानकारी देने में सहायता प्राप्त होती है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र के अनुसार पुस्तकालय कर्मियों के दायित्व का उल्लेख कीजिए।

....

....

....

....

6. चतुर्थ सूत्र "पाठक का समय बचाएँ"

पुस्तकालय में आने वाले पाठकगण व्यस्त व्यक्ति होते हैं। उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें अनावश्यक रूप से लम्बी प्रतीक्षा नहीं कराई जानी चाहिए। यदि पुस्तकालय में आने के पश्चात् उन्हें यह अनुभव होता है कि उनका समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है तो वे पुस्तकालय में आना पसन्द नहीं करेंगे। अनेक व्यक्तियों में बौद्धिक अभिरुचि और जिज्ञासा की क्षणिक उत्पत्ति होती है और यदि उसे तत्काल संतुष्ट नहीं किया जाए तो वह तुरन्त लुप्त हो जाती है। इस सूत्र, "पाठक का समय बचाएँ" का महत्व इन बातों से सिद्ध होता है। चतुर्थ सूत्र के निहितार्थ निम्नलिखित हैं :

6.1 निहितार्थ-मुक्त प्रवेश

तृतीय सूत्र की भाँति चतुर्थ सूत्र भी मुक्त प्रवेश प्रणाली के ऊपर बल देता है। जिन पुस्तकालयों में बाधित प्रवेश प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उनमें पुस्तकों तक पाठकों की सीधी पहुँच नहीं हो पाती है। उन्हें पुस्तक कक्ष (Stock Room) के बाहर खड़े रहना पड़ता है और वांछित पुस्तकें प्राप्त करने के लिए माँग पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस प्रणाली (वाधित प्रवेश प्रणाली) में पाठकों को प्रसूची का अवलोकन कर वांछित पुस्तकों की सूची तैयार करनी पड़ती है जिन्हें वे पुस्तकालय कर्मचारी को प्रस्तुत करते हैं। वह उनमें से उपलब्ध पुस्तकों को निकाल कर देता है और जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं उनकी सूचना दे देता है। दी गई पुस्तकों का अवलोकन करने के पश्चात् पाठक ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि उनमें से कुछ पुस्तकें ही उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हैं। पाठक को तब एक दूसरी सूची प्रस्तुत करनी पड़ती है और पुस्तकों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया की अनेक बार पुनरावृत्ति करनी पड़ सकती है और फिर भी पाठक की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। इस प्रक्रिया में अनावश्यक समय नष्ट होता है।

इस प्रक्रिया में दो प्रकार का समय नष्ट होता है: वास्तविक समय (objective time) तथा व्यक्तिनिष्ठ समय (subjective time)। वास्तविक समय वह समय होता है जो वास्तव में व्यतीत होता है, और व्यक्तिनिष्ठ समय वह समय होता है जिसके व्यतीत होने का हम अनुभव करते हैं। हमने बस की प्रतीक्षा मात्र 10 मिनट तक ही की होगी लेकिन हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमने 30 मिनट से अधिक प्रतीक्षा की है। इस उदाहरण में 10 मिनट का समय वास्तविक समय तथा 30 मिनट का समय व्यक्तिनिष्ठ समय है। बाधित प्रवेश प्रणाली में दोनों ही नष्ट होते हैं। इसके विपरीत मुक्त प्रवेश प्रणाली में पाठक पुस्तकों को स्वयं उठाने-रखने और उनका अवलोकन करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समय के बीतने का अनुभव ही नहीं होता है। इस प्रकार उसके पर्याप्त व्यक्तिनिष्ठ समय की बचत का अनुभव होता है। यदि पुस्तकें सुचारु रूप से व्यवस्थित हैं और किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं हैं तो उसके वास्तविक समय की भी बचत होती है। अतः चतुर्थ सूत्र के अनुपालन में मुक्त प्रवेश या अभिगम प्रणाली एक प्रभावी साधन का कार्य करती है।

6.2 निहितार्थ-वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण

चतुर्थ सूत्र की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित बातें भी अत्यंत आवश्यक हैं: किसी समुचित वर्गीकरण प्रणाली के द्वारा पुस्तकों को इस प्रकार वर्गीकृत करना जिससे एक विषय की सारी पुस्तकें तथा संबंधित विषयों की पुस्तकें एक साथ व्यवस्थित हों; पुस्तकालय प्रसूची पाठकों के प्रत्येक अभिगम को संतुष्ट करने में सक्षम हो। उत्तम कोटि की संदर्भ सेवा प्रदान की जा रही हो; तथा स्टैक रूप (Stack Room) में संदर्शिकाएँ प्रदर्शित की गई हों। यह सूत्र पुस्तकों तथा सामयिकियों के त्वरित अधिग्रहण की प्रक्रिया और पद्धति को अपनाना भी आवश्यक मानता है।

6.3 निहितार्थ-निर्गम प्रणाली

चतुर्थ सूत्र में पुस्तकालय की निर्गम प्रणाली के लिए भी संदेश है। इसे आदान-प्रदान प्रणाली या देय-आदेय प्रणाली भी कहते हैं। प्रारंभ में पुस्तकों के देय-आदेय कार्य के लिए रजिस्टर-प्रणाली का उपयोग किया जाता था। इस प्रणाली में पाठकों को पुस्तकें रजिस्टर में दर्ज करने के बाद दी जाती थीं तथा रजिस्टर में ही उनकी वापसी लिपिबद्ध की जाती थी।

इस प्रकार की परिपाटी आज भी अनेक पुस्तकालयों में प्रचलित है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह समय नष्ट करने वाली पद्धति है और इससे चतुर्थ सूत्र की अवहेलना होती है। परिणामतः इस प्रक्रिया को सरल बनाने और पुस्तकों के आदान-प्रदान के समय को कम करने के लिए आधुनिक निर्गम की प्रणालियों, जैसे- टिकट प्रणाली, चित्र आधारित निर्गम प्रणाली तथा कम्प्यूटर आधारित निर्गम प्रणाली इत्यादि का विकास हुआ। इन आधुनिक आदान-प्रदान या निर्गम प्रणालियों का अनुसरण करने से पर्याप्त समय की बचत होती है। अतः चतुर्थ सूत्र इन्हें लागू करने पर बल देता है।

7. पंचम सूत्र "पुस्तकालय एवं वर्धनशील जैविक-तंत्र है"

पंचम सूत्र के अनुसार "पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक-तंत्र है।" मूल अंग्रेजी भाषा में इस सूत्र का प्रतिपादन करते हुए डॉ. रंगनाथन ने लिखा था "लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गनिज्म", (Library is a Growing Organism)। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रयुक्त शब्द "ऑर्गनिज्म" (Organism) है न कि "ऑर्गनाइजेशन" (Organisation)। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूत्र पुस्तकालय की विशेषताओं को उसे एक जैविक-तंत्र मानकर निर्धारित करता है।

जीवधारी या जैविक-तंत्र में विकास दो प्रकार का होता है- (i) शैशव विकास और (ii) प्रौढ़ विकास। शैशवावस्था का विकास मुख्यतः भौतिक और शारीरिक अवयवों में निहित होता है जो तीव्र गति से होता

NOTES

है और साथ ही दृष्टिगोचर भी होता है। लेकिन प्रौढ़ावस्था में विकास मुख्यत: कोशिकाओं की प्रकृति के परिवर्तन एवं प्रतिस्थापन में निहित होता है। विकास की यह (प्रौढ़ावस्था की) प्रक्रिया पुरानी कोशिकाओं के प्रतिस्थापन द्वारा निरंतर चलती रहती है। यह विकास वस्तुत: आन्तरिक गुणात्मक परिवर्तन एवं वृद्धि से संबंधित है जो साधारण: दृष्टिगोचर नहीं होता है।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम पुस्तकालय की अभिकल्पना एक स्थावर या निष्क्रिय सत्ता के रूप में नहीं करें, बल्कि इसे एक गत्यात्मक और वर्धनशील सत्ता मानें। हमें चतुर्थ सूत्र के इस निहितार्थ को समझना होगा और पुस्तकालय की स्थापना के समय से ही इसे लागू करना होगा अन्यथा दूरदृष्टि तथा उपयुक्त नियोजन के अभाव में पुस्तकालय का समुचित विकास रुक जाएगा।

पुस्तकालय के चार मुख्य अंग और तत्व हैं- (i) प्रलेख-संग्रह, (ii) कर्मचारी, (iii) पाठक, तथा (iv) भौतिक आवश्यकताएँ, जैसे- भवन, फर्नीचर तथा उपकरण। जब हम यह कहते हैं कि पुस्तकालय बढ़ रहा है तो इसका अभिप्राय होता है कि इन अंगों एवं तत्वों में प्रत्येक का विकास हो रहा है।

7.1 निहितार्थ-प्रलेख-संग्रह

अब हम प्रलेख-संग्रह के विकास के संबंध में पंचम सूत्र के निहितार्थ का परीक्षण करें। प्रारंभिक अवस्था में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के संग्रह का विकास तीव्र गति से होता है। इसका प्रभाव पुस्तक कक्ष के आकार, प्रसूची कैबिनेट, प्रसूचीकक्ष तथा पुस्तकों के रखरखाव के लिए रैकों तथा फलकों की संख्या, इत्यादि पर पड़ता है। इन सबका संख्या में या भौतिक आयाम में विकास होता है। ज्यों-ज्यों पुस्तक-संग्रह की वृद्धि होती है और वर्गीकृत व्यवस्था में जैसे-जैसे नवागत पुस्तकों को व्यवस्थित किया जाता है तब-तब निधानियों में निरन्तर पुस्तकों का इधर-उधर होना, आना-जाना होता ही रहता है। परिणामत: निधानियों को समय-समय पर व्यवस्थित तथा संकेतांकों से युक्त रखने की आवश्यकता होती है। पुस्तकों की व्यवस्था में परिवर्तन अथवा पुस्तकों के स्थान परिवर्तन के कारण समय-समय पर संदर्शिकाओं को बदलने की आवश्यकता भी होती है।

7.2 निहितार्थ-पाठक

यदि पुस्तकालय प्रथम सूत्र के निर्देशानुसार पुस्तकों का उपयोग बढ़ाने के लिए कार्य करता है तो पाठकों की संख्या में निश्चय ही वृद्धि होगी। इसका अभिप्राय है कि अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सभी कक्षों में पाठकों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना पुस्तकालय का दायित्व होता है जिससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ सके।

7.3 निहितार्थ-कर्मचारी

प्रलेख-संग्रह तथा पाठकों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप पुस्तकालय द्वारा नवीन सेवाओं का आयोजन करना भी आवश्यक है। पाठकों की अभिरुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप ही विभिन्न प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। संदर्भ सेवा को सक्रिय एवं विस्तृत करना पड़ेगा। आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से नवीन सूचना सेवा को भी प्रारम्भ करना पड़ेगा। प्रशासनिक कार्यों एवं सेवाओं में संख्यात्मक वृद्धि तथा सेवाओं में गुणात्मक विस्तार उत्पन्न होगा। परिणामत: विभिन्न स्तरों और सेवाओं की दृष्टि से कार्य करने के लिए, संख्यात्मक और गुणात्मक सेवाओं की दृष्टि से कार्य करने के लिए तथा संख्यात्मक और गुणात्मक सेवाओं के आयोजन के लिए कार्मिकों की संख्या बढ़ने की आवश्यकता होगी। अन्यथा विभिन्न प्रकार की आवश्यक सेवाओं को संतोषपूर्ण ढंग से सुलभ करना संभव नहीं हो पायेगा।

7.4 निहितार्थ-वर्गीकरण एवं प्रसूची

अनेक नवीन विषयों की पुस्तकों के पुस्तकालय में निरंतर अधिग्रहण के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पुस्तकालय द्वारा अपनाई गई वर्गीकरण पद्धति में ग्राह्यता की क्षमता हो। अतः जिस वर्गीकरण पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है। उसमें नवीन विषयों को उपयुक्त स्थान देने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि विषय का गहन अध्ययन प्रस्तुत करने वाली तथा उथला अध्ययन पुस्तक करने वाली पुस्तकों को एक ही वर्गांक के अंतर्गत रखना पड़े। यदि ऐसा होता है तो पुस्तकों की पुनर्प्राप्ति कठिन हो जाएगी। पुस्तकालयों के लिए सतत् विस्तारशीलता से संपन्न प्रसूची की भी आवश्यकता है। पत्रक प्रसूची इसे पूरा कर सकती है। क्योंकि इसमें प्रचुर विस्तारशीलता होती है तथा इसमें किसी भी सीमा तक संलेखों का अंतर्वेशन (Interpolation) किया जा सकता है।

7.5 निहितार्थ-आधुनिकीकरण

बड़े-बड़े पुस्तकालय, जो अपने आकार एवं सेवाओं की दृष्टि से बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ते हैं और विस्तृत होते हैं, उन्हें अपने विविध प्रकार के कार्यों को निष्पादित करने के लिए कम्प्यूटरीकरण को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात् अधिग्रहण, पुस्तकों का आदान-प्रदान, प्रसूचीकरण इत्यादि कार्यों और विभिन्न सेवाओं को कम्प्यूटर की सहायता से संपन्न किया जाना चाहिए।

7.6 निहितार्थ-भविष्य हेतु प्रावधान

पुस्तकालय की भौतिक वृद्धि से यह महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होता है कि पुस्तकालय भवन की योजना बनाने तथा उसका ढाँचा तैयार करने के समय उसमें क्षैतिजिक (Horizontal) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) विस्तार का प्रावधान अवश्य रखना चाहिए। प्रायः थोड़ी ही अवधि में इस प्रकार के विस्तार की आवश्यकता पड़ने लगती है। भविष्य में भवन में विस्तार के प्रावधान के अभाव में पुस्तकालय के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

7.7 निहितार्थ-पुस्तकों की छँटनी

इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि कालांतर में पुस्तकालय का विकास एक वयस्क व्यक्ति की भाँति होता है। इस प्रकार के विकास में पुरानी और अनावश्यक पुस्तकों की छँटनी अथवा प्रत्याहरण और आवश्यक एवं उपयोगी नवीन पुस्तकों का संग्रह सम्मिलित है। कुछ पुस्तकालयों में यह धारणा प्रचलित है कि विकास की एक निश्चित अवस्था के पश्चात् 'वीड' (Weed) या छँटनी की गई पुस्तकों और नव-अधिगृहीत पुस्तकों की संख्या एक समान होती है। इस विचारधारा से पुस्तकालय के स्वयं-नवीनीकरण की अवधारणा का आविर्भाव होता है। यद्यपि यह पूर्णतः सत्य नहीं भी हो सकता है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अवस्था ऐसी भी आती है जब वृद्धि की दर एवं गति मन्द हो जाती है, विशेषकर जब पुस्तकों की छँटनी का कार्य नियमित रूप से किया जाता हो।

छँटनी का अभिप्राय पुस्तकों को अकारण और बिल्कुल निकाल देना या हटा देना नहीं होता है। इसका उद्देश्य यह है कि नवीन तथा आवश्यक पुस्तकों को स्थान प्रदान करने और उनकी व्यवस्था के लिए उन पुस्तकों को पुस्तकालय से हटा लेना चाहिए जिनकी कोई उपादेयता नहीं है। ऐसी पुस्तकें अनावश्यक स्थान घेरती हैं। ऐसी पुस्तकों को पृथक संग्रह में रख दिया जाता है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में अनेक पुस्तकालय मिल-जुलकर किसी केन्द्रीय स्थान पर ऐसी पुस्तकों का संग्रह-केन्द्र स्थापित कर सकते हैं। यह पुस्तकालयों के पारस्परिक सहयोग का एक क्षेत्र हो सकता है।

NOTES

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र के अनुपालन की सर्वोत्तम विधि क्या है ?

....

....

....

....

8. पंच सूत्रों की व्यापक व्याख्या

रंगनाथन के पंच-सूत्र इतने अधिक सारभूत और दूरदृष्टि-संपन्न हैं कि पुस्तकालयों के परिवर्तनशील आयामों को उपयुक्त दिशा और उद्देश्यात्मक आधार प्रदान करने के लिए इनकी पर्याप्त उपादेयता है। पुस्तकालय एवं परिवर्तनशील समाज के परिप्रेक्ष्य में इकाई 1 के 10वें अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि मानव समाज के सभी छात्रों में नित्य प्रति परिवर्तनों का सागर उमड़ रहा है। मानव समाज की प्रत्येक अवस्था में भौतिक प्रगति को प्रोत्साहित करने में ज्ञान तथा सूचना का एक उपकरण साधन के रूप में सदा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, परंतु विगत पाँच दशकों में ज्ञान एवं सूचना के अभिगम तथा उपलब्धता में चमत्कारिक एवं भव्य विकास हुआ है। इस विकास को तीव्रगामी बनाने में **सूचना प्रौद्योगिकी** का योगदान एक प्रबल शक्ति के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। ज्ञान और सूचना का अभिगम आजकल तत्काल प्राप्त किया जा सकता है जिसमें अब स्थान एवं दूरी अवरोधक नहीं रहे। इसे कम्प्यूटर के पर्दे पर सुलभ किया जा सकता है और भविष्य में उपयोग के लिए कम्प्यूटर अथवा अन्य साधनों द्वारा एकत्रित एवं भण्डारित किया जा सकता है। जिन विभिन्न स्वरूपों एवं आकारों तथा प्रकारों के माध्यम से सूचना का प्रसार किया जाता है वे अब समस्यामूलक नहीं रहे हैं। फिर भी, सामग्रियों के उपयोग तथा उपयोक्ताओं की सेवाओं की मूल समस्या यथावत बनी हुई है।

वास्तव में, मूल आवश्यकताए नहीं बदली हैं, बल्कि इनसे संबंधित मानदण्ड बदले हैं। अतः रंगनाथन के पाँच सूत्रों को-उनकी पुनर्व्याख्या के संदर्भ में, अर्थात् "पुस्तकों' के स्थान पर "सूचना' और "पुस्तकालय' के स्थान पर "सूचना प्रणाली' पदों का उपयोग कर-परिवर्तनशील समाज के संदर्भ एवं प्रसंग में समझना सरल है जो उपयुक्त भी प्रतीत होता है। इस संदर्भ में पंच-सूत्रों का निम्नलिखित रूप में पुनर्कथन किया जा सकता है :

- प्रलेख/सूचना उपयोग के लिए हैं;
- प्रत्येक उपयोक्ता को उसका प्रलेख/उसकी सूचना;
- प्रत्येक प्रलेख/सूचना को उसका उपयोक्ता;
- उपयोक्ता का समय बचाएँ;
- प्रलेखन/सूचना प्रणाली एक वर्धनशील जैविक-तंत्र है।

प्रथम सूत्र "प्रलेख/सूचना उपयोग के लिए हैं" में सूचना हस्तांतरण प्रक्रिया के संपूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जो इस मान्यता से प्रस्फुटित होता है कि सूचना एक आधारभूत निवेश है जिसमें किसी वस्तु को संसाधन के रूप में बदल देने का गुण होता है। सूचना स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है,

जिसका पूर्ण लाभ उठाने के लिए उसका संग्रह, संरक्षण तथा सदुपयोग करना पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि राष्ट्र के बहुमुखी में सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका को इस सूत्र में मान्यता प्रदान की गई है।

द्वितीय सूत्र "प्रत्येक उपयोक्ता को उसका प्रलेख/उसकी सूचना" यह संकेत करता है कि उपयोक्ता की सूचनापरक आवश्यकता को उसकी वास्तविक आवश्यकता की ओर उन्मुख होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपयोक्ताओं को सूचना प्रदान करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रलेखन विशेषज्ञों अथवा सूचना वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण अथवा उनके पूर्वाग्रह को सेवा में अवरोधक नहीं होना चाहिए। द्वितीय सूत्र सूचना प्रणालियों एवं सेवाओं के आयोजन में सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति पर जोर देता है-जैसे, सूचना के प्रावधान में सर्वाधिक स्मरणीयता तथा सटीकता। यह सूत्र इस बात पर अधिक महत्व देता है कि सूचना प्रणालियों के अभिकल्प और संचालन में उपयोक्ता ही केन्द्र बिन्दु होते हैं।

तृतीय सूत्र "प्रत्येक प्रलेख/सूचना को उसका उपयोक्ता" को दृष्टिगत रखकर एवं केन्द्र बिन्दु मानकर सूचना का सृजन तथा उत्पादन करने पर जोर देता है। प्रचलित कथन, "उपयुक्त पाठक को उपयुक्त सूचना" का यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया गया है। सूचना-हस्तांतरण की शृंखला की प्रत्येक कड़ी-अर्थात्, सूचना के उत्पादन से लेकर इसके उपयोग तक की समस्त प्रक्रियाओं में-इस पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि सूचना के विपणन तथा उपयोग के क्रियाकलाप भी व्यावसायिक सेवा के ही अनुसार होते हैं।

चतुर्थ सूत्र "उपयोक्ता का समय बचाएँ" तथा इसका उप सिद्धान्त "सूचना व्यवसायियों का समय बचाएँ" दोनों ही यह आदेश देते हैं कि एक ऐसी सूचना सेवा पद्धति तथा प्रक्रिया को विकसित करना चाहिए जिसमें अत्यधिक तीव्रता तथा प्रभावोत्पादकता की क्षमता हो। इस प्रसंग में सेवा की समयावधि में विलम्ब कम करने, कार्यकुशलता बढ़ाने तथा उसके प्रभावोत्पादन की क्षमता हो। इस प्रसंग में सेवा की समयावधि में विलम्ब कम करने, कार्यकुशलता बढ़ाने तथा उसके प्रभावोत्पादक बनाए रखने के लिए आधुनिक सूचना-प्रौद्योगिकी का उपयोग सामयिक और आवश्यक प्रतीत होता है।

पंचम सूत्र, "प्रलेख/सूचना प्रणाली एक वर्धनशील जैविक-तंत्र है" उपयोक्ताओं की गत्यात्मक सूचनापरक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सूचना संस्थानों को विकसित करने के लिए एक प्रणाली-उपागम को निर्धारित करता है जो स्वयं-संशोधन करने एवं स्वयं को अनुरूप बनाने की एक विधि है।

सूचना के स्वयं-संचालन और बहुमुखी वृद्धि में पाँचों सूत्र पर्याप्त सहायक सिद्ध होते हैं और दूरगामी आयाम रखते हैं। सूचना के बहुमुखी जगत की जीव-विज्ञान सम्मत वृद्धि तथा सूचना स्रोतों के एकीकरण को सूचना संस्थाओं के संतुलित एवं एक समान वृद्धि के अनुरूप होना चाहिए।

9. सार-संक्षेप

पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्रों की कल्पना एक ऐसे स्रोत के रूप में की जा सकती है जिससे पुस्तकालय की सारी गतिविधियाँ निःसृत होती हैं। इन सूत्रों में पुस्तकालय विज्ञान और पुस्तकालय व्यवसाय का मूल दर्शन छिपा है। पुस्तकालय में जो-जो गतिविधियाँ चलाई जाती हैं और जिन-जिन गतिविधियों को पुस्तकालयों में चलाना चाहिए-उन सबका औचित्य और उन सबके लिए मानदण्ड इन सूत्रों में निहित हैं। ये सूत्र उन समस्त नवीन विधियों तथा पद्धतियों के प्रति हमें सावधान रखते हैं जिन्हें हमें समुदाय को उत्तम प्रकार की पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए अंगीकार करना चाहिए। पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं के उन्नयन तथा नवप्रवर्तन के लिए इन सूत्रों में अपार शक्ति एवं अनंत संभावनाएँ निहित हैं। सूचना के आधुनिक एवं परिवर्तनशील आयाम के परिप्रेक्ष्य में पंच सूत्रों का पुनर्कथन कर इनकी पुनर्व्याख्या की गई है। राष्ट्र के बहुमुखी विकास में सूचना की बढ़ती हुई भूमिका एवं महत्व के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक सूत्र

NOTES

की उपादेयता तथा औचित्य निःसंदिग्ध है। सूचना समाज के आधुनिक स्वरूप एवं ढाँचे में भी उक्त सूत्र आज भी उपयुक्त प्रतीत होते हैं।

10. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. हम यह सोच सकते हैं कि प्रथम सूत्र (पुस्तकें उपयोग के लिए हैं) एक स्पष्ट एवं स्वयंसिद्ध वक्तव्य है। परंतु ऐसा नहीं है। पुस्तकालयों में पुस्तकों के उपयोग की परम्परा और इतिहास पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा। प्राचीन और मध्यकाल में पुस्तकों के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने की अपेक्षा उन्हें सुरक्षित रखने पर अधिक बल दिया जाता था। यूरोप के मध्यकालीन मठों (पूजागृहों) के पुस्तकालयों में पुस्तकों को फलकों से बाँधकर या अलमारियों में बन्द कर रखने की परिपाटी प्रचलित थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उपयोग किए जाने के कारण कहीं पुस्तकें खो न जाएं। उस समय ऐसा करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि पुस्तकों का लेखन या उत्पादन अत्यन्त कठिन कार्य था। परंतु मुद्रण कला के आविष्कार के पश्चात् जब पुस्तकों की पर्याप्त प्रतियों का उत्पादन करना सरल हो गया तब भी उक्त परिपाटी प्रचलित रही। यद्यपि आज भी पुस्तकों के निर्बाध उपयोग के प्रति उदासीनता के छिट-पुट उदाहरण यत्र-तत्र दिखाई पड़ते हैं, परंतु सामान्यतया पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों को निर्बाध उपयोग के सुलभ किया जा रहा है। पुस्तकों के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पुस्तकालय की सभी प्रकार की नीतियों को उदार एवं सहायक सिद्ध होने की आवश्यकता है।

2. "प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक" पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र है। यह सूत्र "सबके लिए पुस्तकें" की मांग करता है जो इस सूत्र का एक भिन्न रूप है। इस सूत्र का निर्देश यह है कि सुस्पष्ट प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह सूत्र पुस्तकालय सेवा के सार्वभौमीकरण तथा लोकतंत्रीकरण पर बल देता है। पहले समाज के कुछ गिने-चुने उच्चवर्गीय और धनाढ्य लोगों एवं विशिष्ट व्यक्तियों को ही पुस्तकालय एवं पुस्तकों की सुविधा सुलभ होती थी। जन-सामान्य इस सुविधा से वंचित था। लेकिन लोकतंत्र, जिसमें शासन व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, के आविर्भाव के कारण स्थिति मूलतः और व्यापक रूप से बदल गई है। लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने तथा उसे सशक्त बनाने के लिए सुशिक्षित, प्रबुद्ध, और निष्ठावान नागरिकों की परमावश्यकता होती है। सभी प्रकार की संभावित संस्थाओं के माध्यम से बिना किसी भेद-भाव के शिक्षा तथा ज्ञान-प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है। अतः द्वितीय सूत्र, अर्थात् "प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक" अथवा "सबके लिए पुस्तकें" की सार्थकता स्वयं-सिद्ध है।

3. पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना ही काफी नहीं है। कर्मचारियों को भी अपने दायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के लिए द्वितीय सूत्र के संदेश पर सदा ध्यान देना चाहिए और इसके संदेश और निर्देश से प्रेरित होना चाहिए।

   द्वितीय सूत्र कर्मचारियों द्वारा संदर्भ सेवा का आयोजन करने पर अत्यधिक बल देता है। उन्हें उपयोक्ताओं को समझने तथा उनकी पुस्तकों की आवश्यकता को ज्ञात करने के लिए प्रयास करना चाहिए तथा वांछित पुस्तकों की प्राप्ति में उनकी सहायता करनी चाहिए। पुस्तकालय में किसी उपयोक्ता की अभिरुचि की अनेक पुस्तकें हो सकती हैं, लेकिन उसे उनमें से कुछ पुस्तकों की जानकारी नहीं भी हो सकती है। अतः पुस्तक सेवा मात्र उसी पुस्तक को सुलभ कराने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए जिसकी पाठक माँग करते हैं। द्वितीय सूत्र की माँग यह भी है कि उपयोक्ता को उसकी अभिरुचि एवं आवश्यकता की सभी सामग्रियों की पूर्णसूचना मिलनी

चाहिए। पुस्तकालय में उपलब्ध सभी पुस्तकों का उपयोग बढ़ाने के लिए संदर्भ सेवा प्रभावकारी एवं उपादेश विधि है।

4. तृतीय सूत्र के अनुपालन की सर्वोत्तम विधि एक ऐसी व्यवस्था का अनुसरण करना है जिसमें पुस्तकों द्वारा पाठकों के ध्यान को सर्वाधिक आकर्षित करने की संभावना बनी रहे। मुक्त प्रवेश प्रणाली में इसकी संभावना अत्यधिक होती है। इस प्रणाली में पुस्तकों को खुले फलकों या शेल्फ (Shelves) पर वर्गीकृत क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। इससे पाठकों को पुस्तकों तक पूर्ण अभिगम प्राप्त होता है और पुस्तकों के अवलोकन की पूर्ण स्वतंत्रता भी होती है। निधानियों पर पुस्तकों का अवलोकन करते समय पाठकों को ऐसी पुस्तकों को भी प्राप्त करने और देखने का अवसर मिलता है जिनकी पुस्तकालय में उपलब्धता का अनुमान उन्हें नहीं होता जबकि वे पुस्तकें उनकी अभिरुचि और आवश्यकता के अनुरूप होती हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि मुक्त प्रवेश प्रणाली में पुस्तकों के बारे में जानने और उनका अध्ययन करने की संभावना बढ़ जाती है। अत: तृतीय सूत्र इस व्यवस्था को लागू करने पर अधिक जोर देता है।

11. मुख्य शब्द

ज्ञान (Knowledge)	:	किसी भी भौतिक आकार-स्वरूप में उपलब्ध सुसंबद्ध सूचना।
पाठक/उपभोक्ता (Reader/User)	:	पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति, अथवा सूचना संस्थान एवं सूचना का उपभोक्ता।
पुस्तकें (Books)	:	ज्ञान एवं सूचना का संपुटित वाहक।
वर्धनशील जैविक-तंत्र (Growing Organism)	:	जैविक परिघटना या प्रक्रिया जो वृद्धि को द्योतित करती है और जो बाह्यरूप से परिलक्षित नहीं भी हो सकती है।
सूचना (Information)	:	किसी भी भौतिक माध्यम पर या रूप में अलिपिबद्ध संदेश।
सूचना समाज (Information Society)	:	वह समाज जिसमें सूचना और ज्ञान ही परिवर्तन, शक्ति तथा निर्देशन के प्रमुख हथियार के रूप में कार्य करते हैं।

12. अभ्यास -प्रश्न

1. पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र भी विवेचना कीजिए।
2. पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र के निहितार्थ स्पष्ट कीजिए।
3. पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र के आलोक में पाठकों के दायित्व का विवेचन करें।
4. पुस्तकालय की निर्गम प्रणाली के सम्बन्ध में चतुर्थ सूत्र का संदेश स्पष्ट कीजिए।
5. पुस्तकालय विज्ञान के पाँचों सूत्रों की संकल्पना की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए।

NOTES

13. सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

Khanna, J.K. (1987). Library and Society. Kurukshera: Research Publications.

Rajagopalan, T.S. (ed.) (1986). Ranganathan's Philosophy: Assessment, Impact and Library. Delhi: Vikas Publishing House.

Ranganathan, S.R. (1988). Five Laws of Library Science. Delhi: UBS Publishers Distributors.

Rath, P.K. and Rath, M.M. (1992). Sociology of Librarianship, Delhi: Pratibha Prakashan.

त्रिपाठी, एस.एम. (1999)। ग्रन्थालय समाज, ग्रन्थालय विज्ञान के पाँच सूत्र तथा प्रौढ़ शिक्षा में ग्रन्थालयों की भूमिका। आगरा : वाई.के. पब्लिशर्स।

शर्मा, पाण्डेय एस.के. (1998)। पुस्तकालय और समाज। नई दिल्ली : ग्रन्थ अकादमी।

सैनी, ओमप्रकाश (1998)। ग्रन्थालय एवं समाज। आगरा: वाई.के. पब्लिशर्स।

अध्याय-3

यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों का विकास

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. यू के में 1850 के पूर्व पुस्तकालयों की स्थिति
   3.1 मठों के पुस्तकालय
   3.2 सशुल्क तथा परिसंचारी पुस्तकालय
   3.3 मेकानिक्स संस्थान
4. पुस्तकालय अधिनियम
   4.1 1850 का अधिनियम
   4.2 परवर्ती संशोधन
5. पुस्तकालय सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदन
   51. सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु दान
   5.2 एडम्स प्रतिवेदन
   5.3 पेनी दर की समाप्ति
   5.4 मिचेल और केन्योन प्रतिवेदन
   5.5 मेकोल्विन प्रतिवेदन
   5.6 राबर्ट्स प्रतिवेदन
   5.7 1964 का अधिनियम
6. दि ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट
7. पुस्तकालयों के प्रकार, विकास तथा आगामी प्रवृत्तियाँ
8. संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों का विकास
   8.1 उपनिवेशीय काल
   8.2 सामाजिक पुस्तकालय
   8.3 व्यापारिक पुस्तकालय
   8.4 विद्यालय-जिला सार्वजनिक पुस्तकालय
9. पुस्तकालय अधिनियम
10. लोकोपकार तथा पुस्तकालय आन्दोलन
11. लाइब्रेरी ऑफ काँग्रेस
12. पुस्तकालयों के प्रकार, विकास तथा आगामी प्रवृत्तियाँ
13. व्यावसायिक संघों की भूमिका
14. सार-संक्षेप
15. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
16. अभ्यास-प्रश्न
17. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

यू के (UK : United Kingdom) एवं संयुक्त राज्य अमेरिका (USA:United States of America) के पुस्तकालयों का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तकालयों के विकास एवं व्यवस्था में ये पद्धतियों और प्रवृत्तियों के संस्थापक रहे हैं और विश्व स्तर पर एक आदर्श का भी कार्य करते हैं। पुस्तकालय तकनीकों, प्रौद्योगिकी, एवं सेवाओं को विकसित करने में भी ये नीति निर्धारक और अग्रणी रहे हैं। इस अध्याय में इन देशों में पुस्तकालयों के विकास का संक्षेप में वर्णन किया गया है जो एक विहंगम दृष्टि को प्रस्तुत करता है।

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप :

- कुछ प्रमुख कीर्तिमानों के महत्वूपर्ण तथ्यों के साथ यू के एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालयों के विकास की एक ऐतिहासिक झलक प्राप्त करेंगे;
- पुस्तकालयों के विकास में, विशेष रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के लिए पुस्तकालय अधिनियम लागू करने में शासन की महत्वपूर्ण भूमिका का बोध कर पाएँगे;
- व्यावसायिक क्रियाकलापों के प्रोत्साहन में पुस्तकालय संघों के योगदान की सराहना कर सकेंगे; तथा
- पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों तथा सेवाओं के विकास की क्रमिक प्रवृत्तियों और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए अनुप्रयोग तथा आगामी प्रणालियों के प्रयोग की संभावना का आकलन कर पाएँगे।

2. परिचय

विश्व के दो प्रगतिशील देशों-यू के और संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों के विकास का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। इन देशों ने पुस्तकालयों के मूल्य और महत्व को 18वीं सदी में ही भली-भाँति समझ लिया था। इसे अध्याय में निम्नांकित विवरणों को सम्मिलित किया गया है :

(अ) 1850 के पूर्व यू के में पुस्तकालयों की स्थिति।

(ब) पुस्तकालयों की स्थापना में धर्म की भूमिका।

(स) यू के और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक एवं सशुल्क पुस्तकालयों का संक्षिप्त वर्णन।

पुस्तकालय आन्दोलन को गतिशील बनाने में इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति से अत्यधिक समर्थन एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। चूँकि देश को निपुण एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता थी, अतः ज्ञान की पिपासा लोगों में अधिक बढ़ने लगी जिससे यू के में सभी जगह, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना पर अधिक बल दिया जाने लगा। मध्यमवर्गीय लोगों में शिक्षा के प्रसार के कारण भी सभी क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना की आवश्यकता का तीव्र अनुभव किया जाने लगा। इन घटकों के अतिरिक्त वहाँ के कुछ निष्ठावन तथा मानवतावादी लोगों ने भी पुस्तकालयों की स्थापना के लिए निःस्वार्थ कार्य किया। विश्वबन्धुत्व और लोकोपकार की भावना रखने वाले व्यक्ति, पुस्तकालयों की स्थापना के लिए प्रचुर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भी आगे आए।

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का मुख्य श्रेय केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को है। दोनों देशों में स्थानीय प्रशासन को पुस्तकालयों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम पारित कर लागू किए गए। इससे स्थानीय प्रशासन को पुस्तकालयों को संचालित करने और उनके पोषण के लिए कर संग्रह का अधिकार प्राप्त हुआ जो एक अति आवश्यक प्रावधान था।

इन देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के अतिरिक्त शैक्षणिक, विशिष्ट तथा अन्य प्रकार के पुस्तकालयों का भी प्रशंसनीय विकास हुआ। विगत दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी के कारण पुस्तकालयों और सूचना

केन्द्रों द्वारा सूचना के अभिगम को सुलभ करने में उनकी स्थानीय कठिनाइयाँ और बाधाएँ दूर हो गयीं। सूचना प्रौद्योगिकी पुस्तकालय के संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग में अधिक साधक सिद्ध हुई है। यू के में पुस्तकालयों के विकास की समकालीन प्रवृत्तियों की चर्चा करने के साथ हम इनकी परम्परागत भूमिका एवं आगामी संभावनाओं पर विचार करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि नवीन तथा वर्तमान परिस्थितियों में अपनी क्षमताओं एवं संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए किस प्रकार से यूके के पुस्तकालय अपनी विभिन्न सेवाओं का आयोजन कर नवीन तथा चुनौती भरी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

3. यू के में 1850 के पूर्व पुस्तकालयों की स्थिति

यूरोप में मध्यकालीन युग से लेकर 18वीं सदी तक प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का प्रबल प्रभुत्व रहा। इसके फलस्वरूप यहाँ भारतीय मठों जैसी संस्थाओं की स्वाभाविक रूप से स्थापना हुई। इन मठों में पादरियों का मुख्य कार्य पठन-पाठन और लेखन था। परिणामतः उन मठों में पुस्तकालयों की स्थापना की ओर अधिक ध्यान दिया गया। इंग्लैण्ड में मठों के अतिरिक्त कुछ परिषदों की भी स्थापना ईसाई ज्ञान एवं विद्या के प्रोत्साहन और ईसा मसीह के उपदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए की गई। समाज के निर्धन वर्ग में ज्ञान-प्रसार तथा शिक्षण हेतु इसी प्रकार की शैक्षणिक एजेन्सियों का भी आविर्भाव हुआ। इसका तत्कालिक परिणाम यह हुआ कि रविवासरीय स्कूलों की स्थापना की जाने लगी। इन स्कूलों में मात्र धार्मिक विषयों और उपदेशों की ही शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि अनेक विषयों और प्रकरणों पर सांयकालीन व्याख्यानों के आयोजन सामान्य हो गए थे। इसके फलस्वरूप अनेक पत्रिकाओं और सामयिकियों के प्रकाशन को पर्याप्त बढ़ावा मिला।

अपनी ज्ञान-पिपासा बुझाने की लोगों की इच्छा का अनेक व्यापारिक संस्थानों ने लाभ उठाया और परिसंचारी पुस्तकालयों की स्थापना की। 18वीं सदी में सम्पूर्ण इंग्लैण्ड में अनेक सशुल्क पुस्तकालय प्रारंभ किये गये जिन्हें सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी (Subscription Library) कहते थे। वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार तथा प्रोत्साहन हेतु अनेक मैकेनिक्स इन्सटीट्यूट (Mechanics Institutes) की भी स्थापना की गई। इनके अध्ययन कक्ष आगे चलकर सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में परिवर्तित हो गए।

3.1 मठों के पुस्तकालय

यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक जीवन तथा क्रियाकलापों में धर्म की भूमिका बड़ी ही प्रभावकारी रही है। मध्यकाल और बाद की सदियों में यूरोप में गिरजाघरों का प्रभुत्व रहा। ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार के कारण उसके साथ अध्यात्मवादी लोगों के एक वर्ग का भी अभ्युदय हुआ जिन्होंने मठों की स्थापना की। मठों की जीवनधारा में धर्म ग्रन्थों के अध्ययन तथा पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपियाँ लिखकर तैयार करने को एक पुनीत कर्त्तव्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। परिणामतः मठों में पुस्तकालयों की स्थापना की जाने लगी। इन पुस्तकालयों को मोनास्टिक लाइब्रेरी (Monastic Libraries) कहते थे। इंग्लैण्ड में स्थापित कुछ प्रारंभिक मठ केन्टरबरी (Canterbury), वियरमाउथ (Wearmouth) तथा यार्क (York) में स्थित थे।

मठों के पुस्तकालयों से बड़े-बड़े गिरजाघरों और ग्रामीण गिरजाघरों के पुस्तकालय भी संबद्ध होते थे। ग्रामीण गिरजाघरों के पादरियों को पुस्तकें प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती थी। बड़े-बड़े गिरजाघरों के पुस्तकालय (Cathedral Libraries) दूर-दूर स्थानों पर होते थे और उनकी सेवाएँ भी साप्ताहिक दिनों में कुछ सीमित समय तक ही उपलब्ध होती थी। इसी बीच इंग्लैण्ड के तत्कालीन राजाधिराज आठवें हेनरी (Henry VIII) के शासनकाल में सभी मठों के पुस्तकालयों को बन्द कर दिया गया। इन कारणों से ग्रामीण पुस्तकालयों (Parish Libraries) की स्थापना की जाने लगी। ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना में डॉ. थॉमस ब्रे (Dr. Thomas Bray) (1656-1730) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य तथा शासन के संपोषण से वंचित ग्रामीण पुस्तकालय कुछ समय तक ही सक्रिय रह पाए।

युद्धजनित विध्वंस तथा प्राकृतिक विपदाओं के कारण अनेक बड़े-बड़े गिरजाघरों के पुस्तकालयों को बड़ी क्षति पहुँची और वे नष्ट हो गए। तत्कालीन दो विख्यात पुस्तकालय सेण्ट पॉल (St.Paul) और लिंकोन (Lincoln) आग लग जाने के कारण नष्ट हो गए। बड़े-बड़े गिरजाघरों के पुस्तकालयों ने समाज की महती सेवा की थी। इनमें कुछ पुस्तकालय ऐसे भी थे जिन्होंने प्राचीन प्रलेखों के परिरक्षण का प्रशंसनीय कार्य किया था।

उपरिलिखित सभी पुस्तकालयों को सार्वजनिक पुस्तकालय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। वस्तुतः वे मात्र धार्मिक पुजारियों के संगठनों एवं समूहों के लिए होते थे, तथापि उनका उपयोग अन्य लोग भी कुछ शर्तों पर कर सकते थे। लेकिन इनमें से अधिकांश पुस्तकालय बहुत समय तक चल नहीं पाए क्योंकि उनको आर्थिक सहायता मात्र कुछ ही व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाती थी। उनकी व्यवस्था तथा संचालन हेतु आर्थिक सहायता के साधनों का अभाव होने के कारण उन्हें कायम नहीं रखा जा सका।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. यू. के. में 1850 से पूर्व पुस्तकालयों की क्या स्थिति थी ?

....

....

....

....

3.2 सशुल्क तथा परिसंचारी पुस्तकालय

17वीं सदी के अवसान के पूर्व, ब्रिटिश समाज में विशेष प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न हुआ। सन् 1700 के आते-आते शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। उस समय 500 से अधिक ग्रामर (Grammar) स्कूल तथा 460 दान पर आधारित स्कूल चल रहे थे। समाचार-पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था और 1694 में जब शासन द्वारा प्रतिबन्धों को हटा लिया गया तो उनका वितरण अधिक बढ़ने लगा। कॉफी हाउसों (Coffee Houses) में पर्याप्त संख्या में लोग एकत्रित होते थे और विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा तथा विचार-विमर्श करते थे। ये सूचना-प्रसार के महत्वपूर्ण केन्द्र बन गए थे। 17वीं सदी के अवसान के पूर्व वैज्ञानिक विषयों पर सार्वजनिक व्याख्यानों का आयोजन भी प्रारंभ हो गया था।

इस दिशा में हुई प्रगति के कारण अध्ययनशीलता तथा ज्ञानार्जन की प्रवृत्तियों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। धार्मिक विषयों के गहन अध्ययन तथा प्रचार की अपेक्षा धर्म-निर्पेक्ष विषयों के अध्ययन-अध्यापन तथा प्रसार की ओर लोगों का अधिक ध्यान आकर्षित हुआ। 18वीं सदी के प्रथम दशक में कुछ दैनिक समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं-जैसे, टेटलर (Tatler), स्पेक्टेटर (Spectator) तथा जेन्टिलमैन्स मैगजीन (Gentleman's Magazine) का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ जिन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई। सैमुअल जॉन्सन (Samual Johnson) के शब्दों में, तब तक इंग्लैण्ड "पाठकों का देश" (a nation of readers) बन चुका था। मध्यवर्गीय लोगों को भी पाठ्य-सामग्रियों की आवश्यकता का अनुभव होने लगा जिसके लिए उत्तरोत्तर इनकी माँग की जाने लगी। इससे व्यक्तिगत अथवा व्यापारिक सशुल्क पुस्तकालयों (Private or Commercial Subscription Libraries) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। सशुल्क पुस्तकालयों को तीन वर्गों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है- (1) व्यक्तिगत सशुल्क पुस्तकालय (Private Subscription Library), (2) पुस्तक क्लब (Book Clubs), तथा (3) वाणिज्यिक परिसंचारी पुस्तकालय (Commercial Circulating Libraries)।

व्यक्तिगत सशुल्क पुस्तकालय

सशुल्क पुस्तकालयों की स्थापना में एकरूपता नहीं थी। कुछ पुस्तकालयों की स्थापना कुछ मित्रों तथा स्वजनों द्वारा दी गई पुस्तकों अथवा धनराशि द्वारा की गई। कुछ पुस्तकालयों की स्थापना सदस्यों द्वारा

सदस्यता शुल्क के रूप में दी गई धनराशि से पुस्तकें क्रय करके की गयी। इनमें से कुछ संस्थाएँ भद्र-परिषद (Gentlemen's Societies) के नाम से जानी जाती थीं और इनकी बैठकें-कॉफी हाउसों में आयोजित की जाती थीं। भद्रजनों के ये सशुल्क पुस्तकालय कभी-कभी समान ढाँचे पर आधारित होते थे जिनमें सदस्यों की संख्या एक दर्जन से लेकर कुछ सौ हुआ करती थी। सदस्यों का अंशदान अथवा प्रदेश शुल्क प्राय: एक गिन्नी (Guinca) होता था और वार्षिक शुल्क छ: से लेकर दस शिलिंग (Shillings) हुआ करता था।

आधुनिक मानकों के अनुसार विचार करें तो इन पुस्तकालयों के संग्रह में बहुत कम पुस्तकें होती थीं। सन् 1801 में सबसे बड़ा सशुल्क पुस्तकालय लिवरपुल (Liverpool) में था जिसमें 8,000 पुस्तकें थीं। सशुल्क पुस्तकालय आमतौर पर किसी स्थायी भवन में नहीं होते थे और इन्हें बारी-बारी से अनेक स्थानों पर परिवर्तित करना पड़ता था और प्राय; पुस्तकों की दुकानों में ही उन्हें रखकर चलाया जाता था। कुछ पुस्तकालयों को किराए के भवनों में रखा जाता था। कुछ ही ऐसे भाग्यशाली पुस्तकालय थे जिनके अपने थे-जैसे, ब्रिस्टल, बरमिंघम तथा लिवरपुल के पुस्तकालय।

पुस्तकालयों का नियंत्रण उनके स्वामियों की एक समिति द्वारा किया जाता था। पुस्तकों का शुल्क निर्धारित करना, पुस्तकालय परिसर की व्यवस्था तथा पुस्तकालय के कार्य का निर्देशन तथा निरीक्षण इत्यादि एक समिति का दायित्व हुआ करता था। पुस्तकालयों के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था। निर्धारित समय से अधिक समय तक पुस्तकों को रखने और न लौटाने पर अत्यधिक विलंब शुल्क दण्डस्वरूप देना पड़ता था।

सन् 1841 में ब्रिटेन में एक प्रमुख पुस्तकालय की स्थापना की गई जिसे लन्दन लाइब्रेरी (London Library) कहते हैं। इसकी स्थापना का श्रेय तत्कालीन विख्यात् लेखक थोमस कार्लाइल (Thomas Carlyle) को है। यह पुस्तकालय अन्य व्यक्तिगत तथा स्वामित्व वाले पुस्तकालयों की पद्धति से भिन्न था। इसके सदस्यों की संख्या व्यापक स्तर पर थी जिसके सदस्य देश के सभी कोने के लोग हुआ करते थे। यह विख्यात पुस्तकालय अभी भी कार्यशील है और इसमें पुस्तकों के संकलन की संख्या 7 लाख से अधिक है। यह एक समृद्ध पुस्तकालय तो है ही, साथ ही आदान-प्रदान के लिए इसमें पुस्तकों का विशाल संग्रह है।

- **बुक क्लब**

18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में एक-दूसरे प्रकार के सशुल्क पुस्तकालयों का अभ्युदय हुआ जिन्हें बुक क्लब (Book Clubs) अथवा पठन परिषद् (Reading Society) के नाम से जाना जाता था। बुक क्लब सामान्य सशुल्क पुस्तकालयों से तीन से भिन्न हुआ करते थे- (i) बुक क्लब की सदस्यता की संख्या बहुत अल्प थी जो एक अथवा दो दर्जन से अधिक नहीं हुआ करती थी; (ii) स्थायी संकलन के निर्माण हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाता था। पुस्तकों का उपयोग कर लेने के पश्चात् उन्हें सदस्यों में बाँट दिया जाता था अथवा उन्हें बेच दिया जाता था। (iii) ये क्लब सामाजिक तथा साहित्यिक समूह के रूप में कार्य करते थे। उनकी मासिक बैठकें हुआ करती थीं जिनमें नवीन कृतियों के क्रय पर विचार किया जाता था अथवा पुस्तकों के क्रय में सहभागिता को सुनिश्चित किया जाता था। अनेक बुक क्लबों के बीच विभिन्नताएँ भी थीं। प्रत्येक अपने-अपने ढंग से कार्य करते थे। इन्हें अनेक नामों से भी जाना जाता था। जैसे- पुस्तक परिषद् (Book Society), पठन परिषद् (Reading Society), साहित्यिक परिषद् (Literary Society) इत्यादि।

अन्य प्रकार के पुस्तकालयों की अपेक्षा इन बुक क्लबों के अपने लाभ थे। इनका कोई किराए का भवन नहीं होता था न ही कोई वैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष होता था। अत: ऐसे पुस्तकालय कम खर्चीले होते थे। इनकी व्यवस्था किसी सराय/धर्मशाला/कॉफी हाउस अथवा किसी सदस्य के निवास स्थान में की जाती थी। कस्बों और गाँवों के लिए ऐसी पुस्तकालय व्यवस्था उपयुक्त होती थी। नौकरीपेशा लोग, जो पुस्तकालय के लिए स्थायी भवन की व्यवस्था करने में असमर्थ होते थे, इन पुस्तकालयों से अधिक लाभान्वित हुए।

NOTES

• वाणिज्यिक परिसंचारी पुस्तकालय

सशुल्क पुस्तकालयों तथा पुस्तक क्लबों के विकास के समानान्तर वाणिज्यिक सशुल्क पुस्तकालयों का विकास होता गया। इनकी व्यवस्था पुस्तक विक्रेताओं द्वारा आर्थिक लाभ के लिए की जाती थी। सन् 1725 में एडिनबर्ग के एक विख्यात पुस्तक विक्रेता एलन रामसे (Allan Ramsay) द्वारा प्रथम परिसंचारी पुस्तकालय (Circulating Library) की स्थापना में की गई। सन्.1728 तक बाथ (Bath) तथा ब्रिस्टन (Briston) में भी ऐसे पुस्तकालय प्रारंभ हो गए थे। 1740 में पहले परिसंचारी पुस्तकालय की स्थापना लन्दन में की गई और एक ही दशक के अंतर्गत वहाँ ऐसे पुस्तकालयों की संख्या छः तक पहुँच गई। सन् 1750 के पश्चात् ऐसे पुस्तकालयों को पर्याप्त लोकप्रियता मिली और 18वीं सदी के अंत तक ऐसे पुस्तकालयों की संख्या पूरे देश में एक हजार से अधिक हो गई। इनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण उपन्यासों के पाठकों की संख्या का बाहुल्य था और इनके संकलन उपन्यासों की दृष्टि से बहुत अच्छे थे। कुछ परचून भण्डारों (Departmental Stores) में भी ऐसे पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई थी। ड्ब्ल्यू.एच.स्मिथ एण्ड सन्स (W.H.Smith and Sons) तथा बूट्स (Boots) दोनों द्वारा परिचालित परिसंचारी पुस्तकालय अधिक लोकप्रिय थे। बूट्स बुकलवर्स लाइब्रेरी (Boots Booklovers Library) की देश में अनेक शाखाएँ भी स्थापित हो गई थीं।

3.3 मेकानिक्स संस्थान

इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति ने मध्यम वर्गीय समूह को जन्म दिया जो प्रमुखतः उद्योगों में कार्यरत थे। विभिन्न उद्योगों में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों को यांत्रिक या मेकानिक्स (Mechanics) कहा जाता था। इनका अपना एक पृथक् समूह एवं संगठन बना हुआ था जिसे मेकानिक्स इन्सटीट्यूट कहा जाता था। लोगों को शिक्षा प्रदान करने में इन संस्थाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रही है।

इसी अवधि में एण्डरसोनियन इन्स्टीट्यूट ऑफ ग्लासगो (Andersonian Institute of Glasgow) के विशेषज्ञ अध्यापक श्री जार्ज बिर्बेक (George Birback) ने यांत्रिकों (Mechanics) को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने की आवश्यकता का अनुभव किया। सन् 1800 में उन्होंने एक यांत्रिकी कक्षा (Mechanics Class) की स्थापना की जिसमें यांत्रिकों के कार्य-कौशल से संबंधित विषयों पर वे व्याख्यान दिया करते थे। चार वर्षों के अल्प समय में 700 प्रशिक्षणार्थी इन कक्षाओं में उपस्थित हुए। सन् 1823 में इसके सदस्यों ने "ग्लासगो मेकानिक्स इन्स्टीट्यूट" (Glasgow Mechanics Institute) के नाम से एक संस्था की स्थापना की।

सन् 1823 के बाद इस कार्य का तीव्र गति से विस्तार हुआ और 1863 तक पूरे देश में एक हजार से अधिक ऐसी संस्थाएँ सक्रिय रूप में कार्य करने लगीं। इन संस्थानों में भिन्नता भी थी। किसी में व्याख्यानों के आयोजन पर अधिक महत्व दिया जाता था तो अन्य संस्थानों में पुस्तकालय की व्यवस्था और सुविधा पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इनके पुस्तकालयों के संकलन की अधिकांश पुस्तकें वैज्ञानिक तथा तकनीकी हुआ करती थीं। कालान्तर में इन संस्थानों के पुस्तकालयों के संकलनों से ही उन स्थानों के सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास हुआ।

4. पुस्तकालय अधिनियम

ब्रिटिश पुस्तकालयों के विकास के इतिहास में 14 अगस्त 1850 के दिन को स्वर्णिम दिवस माना जाता है। इसी दिन ब्रिटेन में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया जो संसद द्वारा पारित विश्व का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम है। इस अधिनियम को पारित और लागू करने की पृष्ठभूमि में न तो किसी जनसमूह की कोई माँग थी, न ही इसकी आवश्यकता का तत्कालीन पुस्तकालय व्यवसायियों ने ही अनुभव किया था। इस अधिनियम को एक सत्य के रूप में परिणत करने का श्रेय ब्रिटेन के तत्कालीन आधे दर्जन महानुभावों और उदारमना व्यक्तियों को है। उनमें से तीन महानुभाव अत्यन्त सक्रिय थे और

इन्होंने पुस्तकालय विकास को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया। ये थे : तत्कालीन ब्रिटिश सांसद विलियम एवार्ट (William Ewart) और जोसेफ ब्रदरटन (Joseph Brotherton) जिन्हें तत्कालीन ब्रिटिश म्यूजियम के सहायक एडवर्ड एडवर्ड्स (House of Commons) से प्रचुर सहायता प्राप्त हुई। दोनों सांसदों ने ब्रिटेन की लोकसभा (House of commons) से पुस्तकालय अधिनियम पारित एवं लागू करने के लिए आग्रह किया और एडवर्ड एडवर्ड्स ने इस संबंध में वांछित एवं आवश्यक सूचना प्रदान करने अपना प्रमुख योगदान दिया।

4.1 1850 का अधिनियम

विलियम एवार्ट का जन्म स्काटलैण्ड के लिवरपुर नगर में हुआ था। अपनी प्रतिभा एवं जन-सेवाओं के कारण 40 वर्षों तक ये ब्रिटिश सांसद रहे। उन्होंने 1830-37 तक लिवरपुल संसदीय क्षेत्र और 1841-68 तक डम्फ्रिज (Dumfries) संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। लोक सभा के वे एक सक्रिय एवं प्रबुद्ध सांसद थे और उन्हें सामाजिक सुधारों का श्रेय प्राप्त था। पूरे इंग्लैण्ड में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना अधिनियम की आवश्यकता पर उन्होंने पर्याप्त जोर दिया और इसके लिए निरन्तर प्रयास करते रहे। जोसेफ ब्रदरटन, जो स्वयं एक सुयोग्य सांसद थे, ने इस कार्य में एवार्ट की अत्यधिक सहायता की। पुस्तकालय अधिनियम की रूपरेखा तैयार करने के लिए 1849 में एवार्ट को ब्रिटिश संसद को एक समिति का गठन करने हेतु सहमत करने में सफलता मिली। एवार्ट को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी दौरान एडवर्ड एडवर्ड्स ने "यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालयों का सांख्यिकीय परिदृश्य" ("A Statistical View of the Principal Public Libraries in Europe and United States") की आख्या से एक विषद् आलेख तैयार किया था जिसे इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने एडवर्ड्स को विदेशों और अपने देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया था।

संसद ने फरवरी 1850 में एवर्ट को पब्लिक लाइब्रेरिज बिल (Pubilic Libraries Bill) प्रस्तुत करने की अनुमति दी और 14 अगस्त 1850 को अधिनियम लागू करने की राज्याज्ञा प्राप्त हुई। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 10.000 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले म्युनिसपल (Municipal) प्राधिकरणों को पुस्तकालय अधिनियम लागू कर अपने अधिक्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करने की वैधानिक अनुमति प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक था और विफलता प्राप्त होने पर दो वर्षों तक पुनः मतदान का प्रावधान नहीं था।

इस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति कर के ऊपर आधा पेनी प्रति पाउण्ड की दर से पुस्तकालय अधिकार लगाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार अधिकार के रूप में प्राप्त धनराशि का व्यय भी सीमित मदों के लिए ही करने का प्रावधान था-जैसे, भवन निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर, उपकरण तथा कर्मचारियों का वेतन। पुस्तकों के क्रय पर किसी प्रकार से इस धनराशि को व्यय नहीं करना था। श्रद्धालुओं एवं परोपकारियों से पुस्तकें तथा धन दान के रूप में देने की अपेक्षा की जाती थी।

1850 के अधिनियम के पश्चात् प्रथम दो वर्षों में नारविच, विनचेस्टर, बोल्टल, इस्पविच, मैनचेस्टर तथा ऑक्सफोर्ड नगर परिषदों (Norwhich, Winchester, Bolton, Ipswich, Manchester ans Oxford Municipal Councils) द्वारा पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया। सन् 1845 में तीन अन्य स्थानों : ब्लेकबर्न, शेफिल्ड तथा कैम्ब्रिज (Blackburn, Sheffield and Cambridge) में इसे लागू किया। 1853 में स्काटलैण्ड और आयरलैण्ड में भी इस अधिनियम को लागू करने हेतु इसका विस्तार कर दिया गया।

4.2 परवर्ती संशोधन

1850 का अधिनियम एक सफल अधिनियम नहीं था। इतमें मात्र एक सिद्धान्त स्थापित किया। व्यावहारिक पक्ष की दृष्टि से यह असन्तोषजनक था क्योंकि, इसमे अनेक बातों से संबंधित कठोर प्रतिबंध लगाये गए थे, जैसे : क) अधिनियम को लागू करने की इच्छा रखने वाले प्राधिकरणों के लिए कठोर शर्त एवं प्रतिबंध

NOTES

ख) व्यय की जाने वाली धन राशि के लिए कठोर शर्त तथा प्रतिबंध; ग) धन राशि को व्यय करने की कठोर रीतियाँ; घ) इस अधिनियम को लागू करने की पद्धति से संबंधित कठोर शर्त एवं प्रतिबं।

सन् 1850 में मैनचेस्टर सार्वजनिक पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के पद का भार एडवर्ड एडवर्ड्स ने ग्रहण किया। उक्त अधिनियम की कुछ प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए एडवर्डस् ने एवार्ट को उसमें आवश्यक संशोधनों के लिए सहमत किया। सन् 1855 में संशोधित अधिनियम पारित किया गया जिसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं– (1) पुस्तकालय अधिकार की दर में आधा पेनी से एक पेनी की वृद्धि; (2) अधिकार द्वारा प्राप्त धन से पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों का क्रय करने की भी अनुमति; तथा (3) 5000 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों (Parish) में पुस्तकालय की स्थापना का अधिकार। अपने सांसद काल की अवधि में एवार्ट 1866 में एक बार फिर इसमें संशोधन कराने में सफल रहे। इस संशोधन द्वारा जनसंख्या की शर्त को पूर्णतः हटा दिया गया और अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए दो-तिहाई के स्थान पर साध रण बहुमत के स्थान पर साधारण बहुमत होने का प्रावधान कर दिया गया।

सन् 1866 के पश्चात् भी इस अधिनियम में अनेक छोटे-छोटे संशोधन सन् 1871, 1877, 1884, 1887, 1889 तथा 1891 में किए गए। 1892 में सभी पूर्व अधिनियमों को भंग कर दिया गया और एक समेकित अधिनियम लागू किया गया। इन सारे अधिनियमों के होते हुए भी सन् 1900 तक इंग्लैण्ड के 1000 शहरी क्षेत्रों (Boroughs) में से मात्र 780 में ही पुस्तकालय अधिनियम लागू किया जा सका था। सन् 1877 में दि लाइब्रेरी एसोसिएशन (The Library Association) का गठन ब्रिटेन में इस अवधि की एक कीर्तिमान उपलब्धि है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. ब्रिटिश पुस्तकालयों के विकास में 14 अगस्त, 1850 का दिन महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

....

....

....

....

5. पुस्तकालय सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदन

पुस्तकालय अधिनियम लागू किए जाने के बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि यू के में पुस्तकालय आन्दोलन एक सत्वर सफल कार्यक्रम था। जनसामान्य सशुल्क पुस्तकालयों की सेवाओं से सन्तुष्ट था। पुस्तकालय अधिकार का विरोध भी किया जा रहा था। आर्थिक कठिनाईयों और अन्य बाध ाओं के कारण पुस्तकालयों की आवश्यक गतिविधियाँ भी सुचारु रूप से नहीं चल रही थीं।

5.1 सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु दान

लगभग इसी समय एंड्रयु कार्नेगी (Andrew Carnegie) की पुस्तकालयों के प्रति सहृदयता सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वरदान साबित हुई। कार्नेगी का जन्म स्कॉटलैण्ड में हुआ था, लेकिन वे अमेरिका में बस गए थे जहाँ उद्योगपति के रूप में उन्होंने असीम धन अर्जित किया। अनेक सामाजिक उद्देश्यों एवं सामाजिक कार्यों के लिए उन्होंने विभिन्न संस्थाओं को पर्याप्त धनराशि दान में दी। इन सामाजिक उद्देश्यों में से एक पुस्तकालयों की स्थापना तथा विकास भी था। कार्नेगी के दान की धनराशि का उपयोग पुस्तकालयों के भवनों के निर्माण के लिए ही सीमित होता था। 1900-1912 की अवधि में कार्नेगी ने बीस लाख पौण्ड का दान पुस्तकालयों के विकास हेतु दिया था। 19वीं सदी की द्वितीय अर्द्धशती में भी अनेक पुस्तकालयों को थोड़े-थोड़े अनुदान कार्नेगी ने प्रदान किए थे। समाज के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती थी कि पुस्तकों का दान वे देंगे।

कार्नेगी अनुदान के अतिरिक्त अन्य अनेक स्रोतों से भी सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान मिलता था। पासमोर एडवर्ड्स (Passmore Edwards) (1823-1911) ने पुस्तकालयों के लिए प्रचुर धनराशि दान में दी। इस प्रकार के दान प्रदान किए जाने की परिणामस्वरूप पुस्तकालय अधिनियम लागू करने के लिए तीव्र प्रयास किए जाने लगे। 1900-1909 की अवधि के मात्र दस वर्षों में 208 प्राधिकरणों ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को लागू किया। 366 पुस्तकालय भवनों का निर्माण तथा 292 पुस्तकालय प्राधिकरणों की स्थापना अल्प समय में कर दी गई। 1913 में कार्नेगी ने कार्नेगी यूनाइटेड किंगडम ट्रस्ट (Carnegie United Kingdom Trust) के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की। यद्यपि कार्नेगी की आर्थिक सहायता से प्राधिकरणों को सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करने में प्रोत्साहन एवं सहायता प्राप्त होती थी किन्तु उनका विकास बड़ी मन्द गति से हुआ। पुस्तकों के संकलन को बढ़ाने के लिए धनाभाव एक अवरोधक कारण था। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय कर्मियों का वेतन अत्यंत कम था जबकि काम उन्हें लंबे समय तक करना पड़ता था।

5.2 एडम्स प्रतिवेदन

पुस्तकालयों को मिलने वाले विपुल दान से पुस्तकालय आन्दोलन की गति तो तेज नहीं हुई, परन्तु इसके कारण अनेक समस्याएँ पैदा हुईं। कार्नेगी ट्रस्ट के सदस्यगण सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का सर्वेक्षण करना चाहते थे। अत: उन्होंने डॉ. डब्ल्यू.जी.एस. एडम्स (Dr. W.G.S. Adams) से इस विषय पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। यह प्रतिवेदन 1951 में प्रकाशित किया गया। इस प्रतिवेदन का आलोचनात्मक अभिमत बड़ा ही रोचक है। इस प्रतिवेदन में पुस्तकालयों की दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है : "अधिकांश: पुस्तकालयों के रख-रखाव, पोषण, तथा भवन निर्माण के लिए प्रचुर धनराशि का प्रावधान किया गया है परंतु पुस्तकालय के मुख्य कार्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यन्त अल्प साधन शेष रहता है। 10,000 पौण्ड (Pound) तथा इससे अधिक व्यय से पुस्तकालय भवनों का निर्माण किया गया है और एक पेनी (Penny) की दर से कराधान से प्राप्त धनराशि की आय का अधिकतम धन भवनों के रख-रखाव और पोषण पर व्यय किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकों के क्रय हेतु नितान्त अल्प धनराशि बच पाती है और किन्हीं-किन्हीं पुस्तकालयों के लिए यह भी नहीं बच पाती है। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहाँ पुस्तकालय भवन पहले एक छोटे परिसर में थे, उन्हें दान द्वारा निर्मित बड़े भवन में स्थानांतरित करने के कारण पुस्तकों के अधिग्रहण व्यय में कटौती करनी पड़ी है। कुछ स्थानों पर आय के स्रोत इतने कम हैं कि पुस्तकालय भवन के अनुरूप, तथा उत्तम पुस्तकालय के निर्माण में सक्षम, सुयोग्य पुस्तकालयाध्यक्ष को नियुक्त करना संभव नहीं है।"

5.3 पेनी दर की समाप्ति

एडम्स के प्रतिवेदन का इच्छित प्रभाव पड़ा। इससे एक नवीन पुस्तकालय अधिनियम को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसी बीच अनेक पुस्तकालय प्राधिकरणों और दि लाइब्रेरी एसोसिएशन (The Library Association) द्वारा 1919 के पब्लिक लाइब्रेरिज एक्ट (Public Libraries Act, Act, 1919) को संशोधित करने का प्रयास किया जा रहा था। इस अधिनियम ने पेनी दर के कराधान को समाप्त कर दिया। प्रांतीय परिषदों (County Councils) को संबंधित क्षेत्रों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने हेतु अधिकृत कर दिया गया जहाँ पहले से पुस्तकालयों के लिए अधिनियम लागू नहीं किया गया था परिणामत: प्रांतीय परिषदों द्वारा इस अधिनियम को तीव्रता के साथ लागू किया गया और 1927 तक 96% जनसंख्या को पुस्तकालय सेवा सुलभ करने का प्रावधान नवीन पब्लिक लाइब्रेरिज एक्ट (New Public Libraries Act) द्वारा कर दिया गया।

5.4 मिचेल और केन्योन प्रतिवेदन

कार्नेगी ट्रस्ट ने 1924 में अपने सचिव लेफ्टीनेन्ट कर्नल जे.एम. मिचेल (Lient-Colonel J.M. Mitchell) को सार्वजनिक पुस्तकालयों की कार्यशैली का अध्ययन कर एक प्रतिवेन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत

NOTES

किया। इसे एडम्स रिपोर्ट की अगली कड़ी के रूप में अभिकल्पित किया गया था। इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम को सम्मिलित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रांतीय स्तर पर पुस्तकालय सेवा का संचालन तथा पुस्तकालय समन्वयन से संबंधित था। इस प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़ों से प्रांतीय पुस्तकालयों की पूर्ण झलक मिलती है।

सन् 1924 में यू के (UK) की शिक्षा परिषद् (Board of Education) ने फ्रेडरिक केन्योन (Frederic Kenyon) को "पब्लिक लाइब्रेरिज ऐक्ट के अंतर्गत पहले से उपलब्ध प्रावधानों की पर्याप्त तथा पूरे इंग्लैण्ड और वेल्स में उन प्रावधानों के विस्तारित करने के उपायों को सुनिश्चित करने" के ऊपर एक प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त किया। यह प्रतिवेदन 1927 में प्रस्तुत किया गया जिसे केन्योन रिपोर्ट (Kenyon Report) के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतिवेदन के अनुसार इंग्लैण्ड एवं वेल्स के 96.3 प्रतिशत जनसंख्या के लिए पुस्तकालय प्राधिकरणों द्वारा पुस्तकालय सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रतिवेदन में प्रति व्यक्ति पर पुस्तकालय सेवा हेतु व्यय, पुस्तकों के आदान-प्रदान की संख्यात्मक स्थिति, पुस्तकों के प्रकार और उनकी आवश्यकता, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं एवं अध्ययन कक्ष पर अनावश्यक व्यय की स्थिति इत्यादि के पूर्ण विवरणों का सविस्तार उल्लेख किया गया है। इस प्रतिवेदन से पुस्तकालय सेवाओं की स्थिति अवश्य स्पष्ट होती है, लेकिन इसके आधार पर तत्कालीन पब्लिक लाइब्रेरिज एक्ट में संशोधन नहीं हुआ।

5.5 मेकोल्विन प्रतिवेदन

सन् 1920 से सन् 1970 की अवधि में ब्रिटेन में सार्वजनिक पुस्तकालयों की कार्यशैली से संबंधित अनेक सर्वेक्षण किये गये और अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। प्रथम सर्वेक्षण 1936 में दि लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया। इसे संपन्न करने के लिए रॉक्फेलर फाउन्डेशन (Rockfeller Foundation) ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। सर्वेक्षण के उद्देश्य ने संपूर्ण देश को 12 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र के ऊपर अलग-अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पृथक् विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पृथक् विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि मात्र एक माह रखी गई। प्रत्येक क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य तथा विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने के कारण सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों की प्रगति शिथिल पड़ गई। अत: इन प्रतिवेदनों पर विशेष विचार नहीं हो पाया।

सन् 1941 में दि लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, वेस्टमिंस्टर (Westminster) के नगर पुस्तकालयाध्यक्ष लायोनेल आर. मेकोल्विन (Lionel R.McColvin) जो इसके मानद सचिव थे, को तत्कालीन सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं की स्थिति तथा आगामी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण कर एक विषद् प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया। इस सर्वेक्षण के लिए आर्थिक व्यय का वहन कार्नेगी ट्रस्ट ने किया। सन् 1942 के वसंत ऋतु तक मेकोल्विन ने सर्वेक्षण को पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। इस प्रतिवेदन को मकेकोल्विन रिपोर्ट (McColvin Report) कहते हैं।

इस प्रतिवेदन में सार्वजनिक पुस्तकालयों की एक अत्यन्त शोचनीय स्थिति प्रकाश में लायी गयी और आमूल परिवर्तन लाने के लिए संस्तुति की गयी। इसकी प्रमुख सिफ़ारिशें निम्नांकित हैं :

(अ) संपूर्ण देश में पुस्तकालय सेवा के प्रोत्साहन तथा पोषण के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना।

(ब) पुस्तकालय भवनों तथा ऋणों के प्रस्तावों का विभागीय परीक्षण करना; पुस्तकों की आपूर्ति से संबंधित मानक बनाना और पुस्तकालय कर्मियों की योग्यता और वेतन को निर्धारित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाना।

(स) सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए अनुदान का प्रावधान उच्च शिक्षा के लिए अनुदान के प्रावधान के बराबर होना चाहिए। मेकोल्विन रिपोर्ट में पुस्तकालय सेवाओं के लिए राज्य द्वारा दी जाने वाली

आर्थिक सहायता तथा उनके निरीक्षण्जा हेतु पूर्ण रूप से सुनिश्चित रूपरेखा एवं योजना भी प्रदान की गई थी।

5.6 रॉबर्टस प्रतिवेदन

इंग्लैण्ड और वेल्स में पुस्तकालयों से संबंधित समस्या को पुन: उठाया गया और 1957 में शिक्षा मंत्री ने डॉ. एस. सी. रॉबर्टस (Dr. S.C. Roberts) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसके गठन का उद्देश्य था : सार्वजनिक पुस्तकालयों की समस्याओं तथा स्वरूप का अध्ययन करना तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं अन्य पुस्तकालयों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं पद्धति में यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उस संबंध में आवश्यक सुझाव एवं सलाह देना। इस समिति का प्रतिवेदन जिसे राबर्ट्स रिपोर्ट (Roberts Report) भी कहते हैं, 1959 में प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन की प्रमुख संस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं :

(1) सारे काउंटी (प्रांत), सारे काउंटी बरो (संसदीय जनपद) सारे मेट्रोपोलिटन बरो (महानगर) तथा लंदन शहर, अपने-अपने पुस्तकालय प्राधिकरण गठित करेंगे।

(2) पेरिश (ग्रामीण क्षेत्रों) में पुस्तकालय प्राधिकरण नहीं होंगे या बंद कर दिये जाएँगे।

(3) अन्य वर्तमान पुस्तकालय प्राधिकरणों को अधिकारों का उपयोग एवं उन्हें बनाए रखने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा बशर्ते कि वे प्रति वर्ष पुस्तकों के क्रय पर कम से कम 5 हजार पाउण्ड व्यय करते हों अथवा संपूर्ण जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति पर 2 शिलिंग की दर से अधिक व्यय पुस्तकों के क्रय पर करते हों।

(4) नॉन-आउंटी बरो तथा अरबन डिस्ट्रिक्ट (शहरी जिलों और नगर) में जहाँ अभी पुस्तकालय प्राधिकरणों कोस्थापित नहीं किया जा सका है और जहाँ की जनसंख्या कम से कम 50 हजार है और वे उपरिलिखित निर्धारित व्यय पुस्तकों पर करने में सक्षम हैं तो ऐसे शहरों को मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की पात्रता प्रदान करनी चाहिए।

(5) इस प्रतिवेदन में पुस्तकालयकर्मियों की भी स्थिति को सुधारने एवं समुन्नत करने और अन्तर-पुस्तकालय सहकारिता को कानून-सम्मत रीति से लागू करने के लिए संस्तुति की गई थी। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा पद्धति की व्यवस्था एवं निरीक्षण का दायित्व सामान्यत: शिक्षा मंत्री का होना चाहिए।

5.7 1764 का अधिनियम

स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श करने के पश्चात् मन्त्री ने राबर्ट्स समिति की अधिकांश संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया और पुस्तकालय एवं प्राधिकरण प्रतिनिधियों के दो कार्य-दलों का गठन किया जिनका कार्य-(अ) कुशल एवं उपयुक्त सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के आयोजन की मूल आवश्यकताओं, तथा (ब) अन्तर-पुस्तकालय सहकारिता से संबंधित सुझाव एवं संस्तुतियों के तकनीकी पक्षों एवं समस्याओं, का परीक्षण एवं अध्ययन करता था।

इन दोनों दलों के अध्यक्ष क्रमश: एच.टी. बोर्डिलोन (H.T Bounrdillon) तथा ई.बी.एच. बेकर (E.B.H Baker) थे। इन दोनों समितियों के प्रतिवेदनों एवं राबर्ट्स प्रतिवेदन की संस्तुतियों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक पुस्तकालय एवं म्युजियम अधिनियम 1964 (Public Libraries and Museum Act, 1964) को पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था, उन्नयन तथा निरीक्षण का दायित्व शिक्षा तथा विज्ञान के राज्य सविच को प्रदान किया गया।

6. दि ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट

ब्रिटेन के विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करने के लिए वहाँ के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने थोमस पैरी (Thomas Parry) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस

NOTES

समिति के प्रतिवेदन का प्रकाशन 1967 में किया गया। ब्रिटिश शासन ने पैरी कमिटी (Parry Committee) के प्रतिवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। इस प्रतिवेदन द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया कि देश की पुस्तकालय प्रणाली में एक शीर्ष-स्तर का पुस्तकालय होना चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ब्रिटिश राष्ट्रीय पुस्तकालय (British National Library) की स्थापना के लिए संस्तुति की गई।

राज्य के शिक्षा एवं विज्ञान सचिव ने एक नवीन समिति का गठन किया जिसका कार्य ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी (British Museum Library) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय प्रदाय पुस्तकालय (National Lending Library for Science and Technology) तथा विज्ञान संग्रहालय पुस्तकालय (Science Museum Library) की कार्य पद्धति और संगठनात्मक स्वरूप का अध्ययन एवं परीक्षण करना था। इस समिति के अध्यक्ष डॉ.एफ.एस. डेन्टन (Dr. F.S. Dainton) थे। जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रीय पुस्तकालय के विभिन्न घटकों के एकीकृत संगठन की सम्भावना का विशद् अध्ययन कर उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया। इस समिति ने राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण (National Libraries Authority) की स्थापना करने की संस्कृति की। इसमें यह भी संस्तुति की गई कि इस प्राधिकरण का नियंत्रण दो संदर्भ इकाइयों-ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, तथा नेशनल रेफरेंस लाइब्रेरी ऑफ साइंस एण्ड इवेंशंन (National Reference Library of Science and Invention) और दो प्रदाय पुस्तकालयों (Lending Libraries), राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदाय पुस्तकालय (National Lending Library for Science and Technology) तथा राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय (National Central Library) पर अवश्य होना चाहिए।

इस संस्तुति को सिद्धान्त स्वीकार कर सरकार ने एक नवीन अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जिसमें तीन विभिन्न कार्य क्षेत्रों को सुनिश्चित किया गया (1) सन्दर्भ सेवा (2) प्रदाय सेवा तथा (2) ग्रन्थात्मक सेवा। इस नवीन राष्ट्रीय संगठन को दि ब्रिटिश लाइब्रेरी (The British Library) नाम प्रदान किया गया। इस प्रकार अब ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय दि ब्रिटिश लाइब्रेरी है। दि ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट (The British Library Act) 1972 में पारित हुआ और जुलाई 1,1973 से लागू हो गया। ब्रिटिश लाइब्रेरी के संगठनात्मक स्वरूप का वर्णन इस पाठ्यक्रम की इकाई 5 में किया गया है।

7. पुस्तकालयों के प्रकार, विकास तथा आगामी प्रवृत्तियाँ

यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों का बहुआयात्मक विकास हुआ। दि ब्रिटिश लाइब्रेरी, जिसका उल्लेख किया गया है, का गठन सन् 1973 में किया गया था। इसकी स्थापना वस्तुतः डेन्टन रिपोर्ट (Dainton Report) की संस्तुतियों और ब्रिटिश लाइब्रेरी अधिनियम 1972 के परिणामस्वरूप पूर्व ब्रिटिश म्युजियम लाइब्रेरी, नेशनल सेन्ट्रल लाइब्रेरी (National Centre Library), नेशनल लेडिंग लाइब्रेरी फॉर साइंस एण्ड टेक्लोलॉजी (National Lending Library for Science and Technology) तथा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी (British National Biblioography) को सम्मिलित कर की गई। ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा अब मानविकी सामाजिक विज्ञानों, प्रौद्योगिकी तथा उद्योगों के क्षेत्र में पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय ग्रन्थपरक सेवाओं के अंतर्गत, जिनमें ब्लेज ऑनलाइन सर्विसेज (Blaise Online Services) भी सम्मिलित हैं, अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्रियाकलापों के उपक्रम इत्यादि की सेवाओं को अनेक विशिष्ट विभागों द्वारा अनेक स्थानों पर आयोजित करने की व्यवस्था है।

इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालयों की एक सर्वांगपूर्ण पद्धति कार्यरत है जिसमें ब्रिटिश लाइब्रेरी तथा स्काटलैण्ड एवं वेल्स के राष्ट्रीय पुस्तकालय; सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली; शैक्षणिक पुस्तकालय जैसे- शोध एवं अनुसंधान पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, पॉलीटेकनिक (Polytechnic) पुस्तकालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालय; विशिष्ट पुस्तकालय, जिनमें औद्योगिक तथा व्यापारिक तथा विशेष प्रकार के उपयोक्ताओं तथा संकलनों से संबंधित पुस्तकालय सम्मिलित हैं।

सार्वजनिक अभिगम प्रसूचियों (Public Access Catalogues) की सुविधा के अतिरिक्त, संसाधनों की सहभागिता एवं नेटवर्क के माध्यम से सामग्रियों की सुलभता, अन्तराष्ट्रीय संसाधनों की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत डेटाबेसों का अभिगम, प्रलेख वितरण सेवाओं इत्यादि की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में होने के कारण ब्रिटेन में सर्वांगपूर्ण पुस्तकालय एवं ग्रन्थात्मक सेवाओं की सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

यू.के. में पुस्तकालय विकास के कुछ विशेष उल्लेखनीय पक्षों की विवेचना यहाँ की गई है जिनसे आगामी प्रवृत्तियों का आभास होता है :

- पुस्तकालय विकास हेतु निर्धारित धनराशि में क्रमशः कमी होती जा रही है। यह प्रवृत्ति विगत बीस वर्षों से प्रारंभ हुई है। आगामी वर्षों में इसका और तीव्र प्रभाव होने की प्रबल संभावना है।
- अधिकांश संगठनों में सूचना के प्रबंध का कार्य एक प्रमुख क्रियाकलाप में रूप में उभर कर आ रहा है। इससे संरचनात्मक पुनर्गठन को नया रूप देने की आवश्यकता उभरी है। अधिकांश पुस्तकालय अपने प्रलेख-संग्रह का विस्तार करने की अपेक्षा अधिकाधिक सूचना के अभिगम पर अधिक बल देने की नीति अपनाएँगे तथा बजट प्रावधान की कठिनाइयों के कारण पुस्तकों का क्रय करने की अपेक्षा के क्रय को अधिक प्राथमिकता देंगे।
- स्थानीय पुस्तकालय सूचना के स्रोत केन्द्र की अपेक्षा स्विचिंग केन्द्र (Switching Centre) के रूप में कार्य करेंगे और प्रलेखन सेवा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल देंगे।
- उपयोक्ता, डेटाबेसों से सूचना को स्वयं खोजने में अधिक सक्रिय भूमिका निभायेंगें और सूचना प्राप्ति के लिए अन्य गतिविधियों को अपनायेंगे, जैसे प्रलेखों को प्राप्त करने के लिए स्वयं आदेश देंगे और सम्पर्क करेंगे और अपने व्यक्तिगत कार्य स्थल से कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ऐसी प्रक्रियाओं द्वारा वांछित सूचना प्राप्त करेंगे।
- नेटवर्क का विकास बड़ी तीव्रतापूर्वक होगा तथा परिसर आधारित प्रणालियों का उच्च शिक्षा व्यवस्था में अनुसरण किया जाएगा।
- गैर-सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की अभिवृद्धि होगी और उपयोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति सूचना का मूल्य लेकर की जाएगी।
- राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली को पुस्तकालय सेवा सुलभ करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना होगा क्योंकि आर्थिक सहायता में निरंतर कमी आती जाएगी और जितनी भी सेवाएँ दी जायेंगी उनकी कीमत उपयोक्ताओं से शुल्क के रूप में प्राप्त की जाएगी।
- शैक्षणिक प्रक्रिया में आए दूरगामी परिवर्तनों के फलस्वरूप शैक्षणिक पुस्तकालयों में दूरगामी परिवर्तन लक्षित हो रहे हैं। शिक्षा बड़ी तीव्र गति से उदार शिक्षा पद्धति से कौशल केन्द्रित सूचना/ज्ञान तथा व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान की तरफ बढ़ रही है और अध्ययन-अध्यापन तथा ज्ञानार्जन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किया जा रहा है। सुगम रीति से ज्ञानार्जन की अवधारणा पॉलीटेक्निक्स तथा व्यावसायिक महाविद्यालयों में बड़ी तीव्र गति से प्रचलित हो रही है, जिसमें कक्षा में प्रत्यक्ष शिक्षण पद्धति की अपेक्षा संसाधन आधारित ज्ञानोपार्जन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। दूर-शिक्षा (Distant Learning) को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर तथा श्रव्य-दृश्य कैसेट, शैक्षणिक प्रसारण, टेली-कांफ्रेंसिंग (Teleconferencing) इत्यादि, जैसे- शिक्षा-प्रौद्योगिकी के उपकरणों के उपयोग द्वारा स्व-शिक्षा के कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जा रहा है।
- प्रत्येक शैक्षणिक पुस्तकालय को ऑनलाइन सार्वजनिक अभिगम प्रसूची को अपनाना पड़ेगा और इस प्रकार की अभिगम सुविधाओं को सतत् रूप से विस्तृत करना होगा।

NOTES

- सार्वजनिक पुस्तकालयों को समुदाय की सूचना सेवाओं को संतोषपरक रीति से उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्वरूपों, प्रकारों और साधनों तथा तकनीकों को अपनाना होगा। विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता वाले उपयोक्ताओं की दृष्टि से इनकी सेवाओं को समुदाय आधारित बनाने की आवश्यकता होगी-जैसे, असहाय एवं विकलांग लोगों, संस्थाओं में कार्यरत लोगों, गृहस्थ जीवन में लगे लोगों, प्रौढ़ों, दृष्टिहीनों, बधिरों, बहु-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों इत्यादि के लिए पुस्तकालय सेवाएँ।
- कुछ मूल प्रकार की व्यवस्था तथा सेवाएँ निःशुल्क बनी रहेंगी। लेकिन सामग्रियों और सेवाओं के व्यय में निरन्तर वृद्धि होने के कारण पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों को अधिक व्ययसाध्य सेवाओं को सुलभ करने के लिए शुल्क लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

जनांकिकीय प्रवृत्तियाँ, सूचना की व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी तथा उसके उपकरणों एवं तकनीकों का अनुप्रयोग, सूचना के लिए उपयोक्ताओं की मांग में विस्मयकारी तथा किंकर्तव्यमूढ़ कर देने वाली विविधताएँ इन परिवर्तनों का मुकाबला करने के लिए अपनाए जाने वाले संस्थागत उपाय, तथा अनेक इसी प्रकार के तत्व इत्यादि कुछ ऐसी सामाजिक प्रवृत्तियाँ हैं जो विद्यमान प्रणालियों तथा सेवाओं में चुपके से परिवर्तन लाएँगी।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. लंदन लाइब्रेरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

....

....

....

....

8. संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों का विकास

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में पुस्तकालयों का विकास अपेक्षाकृत नवीन घटना है। अमेरिका में आने वाले प्रारंभिक प्रवासी वहीं बस जाने और जीविकोपार्जन के प्रति अधिक प्रयत्नशील थे। वे अपने निवास हेतु जंगलों को काट कर मकानों का निर्माण करने और व्यवसाय की खोज के लिए अधिक उत्सुक थे। प्रारंभिक प्रवास काल के संकटग्रस्त एवं अस्त-व्यस्त जीवन के बावजूद भी वे अपनी धार्मिक परम्परा को नहीं भूले थे। प्रवासी पादरी बाइबिल की प्रतियाँ और चिकित्सक अपनी उपचार की पुस्तकें साथ ले गए थे। लेकिन उनके प्रारंभिक संग्रह में धार्मिक कृतियों का ही अधिक्य था। धीरे-धीरे कुछ व्यक्तिगत पुस्तकालयों का अभ्युदय होने लगा जिनके संकलन अत्यंत सीमित होते थे। इन्हीं सीमित एवं छोटे-छोटे संकलनों में संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालयों के इतिहास की झलक मिलती है।

8.1 उपनिवेशीय काल

अमेरिका में प्रारंभिक रूप में बसने वाले लोग अपने व्यक्तिगत पुस्तकों के संकलन अपने साथ लाए थे। अत: उपनिवेशीय काल (Colonial Period) के पुस्तकालय अधिकांशतः व्यक्तिगत पुस्तकालय थे। कुछ प्रमुख व्यक्तिगत पुस्तकालयों के स्वामियों में विशेष उल्लेखनीय हैं-(1) प्लाइमाउथ कॉलोनी के विलियम ब्रिउस्टर (William Brewster) (2) कनेक्टीक के गवर्नर, जॉन विनथ्रोप (John Winthrop) (3) वेस्टोवर, वर्जीनिया के कर्नल विलियम बायर्ड (William Byrd) तथा (4) फिलाडेल्फिया के जेम्स लॉगन (James Logan)। इन पुस्तकालयों के संकलन में 3,000 से 4,000 तक पुस्तकें होती थीं।

सार्वजनिक पुस्तकालय जैसी पहली संस्था की स्थापना बोस्टन नगर में की गई। सन् 1653 में रॉबर्ट केने (Robert Keayne) जो बोस्टन के एक व्यापारी थे, ने अपनी वसीयत में 300 पौण्ड का प्रावधान वहाँ

के टाउन हाउस (Town House) में एक कक्ष सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हेतु कर दिया था। उनकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए टाउन हाउस में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हेतु कर दिया था। उनकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए टाउन हाउस में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई। एक शताब्दी तक यह पुस्तकालय संचालित रहा। सन् 1749 में भयंकर आग लग जाने से यह पुस्तकालय सदा के लिए राख हो गया।

एक अंग्रेज पादरी थोमस ब्रे (Thomas Bray) ने उपनिवेशी लोगों के लिए एक साहित्यिक केन्द्र की स्थापना की। उन्होंने 1695-1704 की अवधि में 70 पुस्तकालयों की स्थापना की। ब्रे की प्रमुख गतिविधियाँ मेरीलैण्ड में आयोजित की जाती थी, लेकिन उनकी आकांक्षा सभी उपनिवेशों में एक-एक विशाल पुस्तकालय स्थापित करने की थी। इन गतिविधियों में थॉमस को दो संगठनों से बढ़ी सहायता प्राप्त हुई ; (i) ईसाई ज्ञान प्रोत्साहन परिषद् (Society for the Promotion of Christian Knowledge) तथा (ii) विदेशों में ईसा मासीह के उपदेशों को प्रसारित करने वाली परिषद् (Society for the Propagation of Gospel in Foreign Parts) इन पुस्तकालयों का संकलन धर्मशास्त्रीय विषयों का था क्योंकि पादरियों को ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता थी। ब्रे द्वारा स्थापित ये पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं थे, यद्यपि कुछ के नामों से ऐसा आभासित हो सकता था।

8.2 सामाजिक पुस्तकालय

आपने इस अध्याय में पहले पढ़ा कि इंग्लैण्ड में बुक क्लब और सशुल्क पुस्तकालय अधिक लोकप्रिय हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उसी पद्धति पर पुस्तकालयों की स्थापना की जाने लगी थी। इन्हें सामाजिक पुस्तकालय (Social Libraries) के नाम से जाना जाता था। बेन्जामिन फ्रैंकलिन (Benjamin Franklin) सामाजिक पुस्तकालयों की स्थापना करने में अग्रणी थे। उन्होंने 1793 में फिलाडेल्फिया में एक कंपनी स्थापित की जिसने लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया (Library Company of Philadelphia) के नाम से ख्याति अर्जित की। उन्होंने पुस्तकालय में अभिरुचि रखने वाले लोगों को उसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। प्रारंभ में इसका शुल्क 40 शिलिंग और वार्षिक चन्दा 10 शिलिंग रखा गया था। फ्रैंकलिन के इस पुस्तकालय को बहुधा अमेरिका के सामाजिक पुस्तकालयों की जननी कहा जाता था।

धीरे-धीरे अमेरिका में सशुल्क पुस्तकालयों की स्थापना की जाने लगी और शीघ्र ही इनकी संख्या भी अत्यधिक हो गयी। ऐसे पुस्तकालयों में तीन पुस्तकालयों का योगदान उल्लेखनीय रहा है- (1) रेडवुड लाइब्रेरी ऑफ न्यूपोर्ट (Redwood Library of Newport) (2) न्यूयार्क सोसाइटी लाइब्रेरी ऑफ न्यूयार्क सिटी (New York Society Library of New York City) तथा (3) चारलेस्टन लाइब्रेरी सोसाइटी ऑफ चारलेस्टन (Charleston Library Society of Charleston) 1790-1815 की अवधि में सामाजिक पुस्तकालयों की लोकप्रियता और भी बढ़ी एवं उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा। लेकिन राज्यों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना प्रारंभ होने के पश्चात् इन पुस्तकालयों का प्रचलन समाप्त होने लगा। सशुल्क पुस्तकालयों की प्रमुख विशेषता उनके संकलन की प्रकृति में निहित थी। इन संकलनों की कृतियाँ अनेक प्रकार एवं स्तरों की थीं जिनमें धार्मिक प्रभाव कम था और धर्म निरपेक्ष कृतियों का संकलन अच्छा था जिसमें-इतिहास, जीवनचरित, यात्रा, भ्रमण, साहित्य, व्याकरण, कृषिशास्त्र, अंकगणित तथा भौतिक विज्ञानों की कृतियाँ अधिक होती थीं। इंग्लैण्ड की भाँति वहाँ भी कुछ वाणिज्यिक पुस्तकालय संचालित थे जिनका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना था।

8.3 व्यापारिक पुस्तकालय

अमेरिका कृषि की ओर से उद्योगीकरण की दिशा में अग्रसारित हो रहा था। व्यापार और वाणिज्य की अभिवृद्धि के कारण एक नये व्यापारिक समुदाय का अभ्युदय होने लगा। समाज का एक अन्य वर्ग औद्योगिक श्रमिकों और कर्मियों का था, जो अनेक उद्योगों की स्थापना के कारण बढ़ रहा था।

NOTES

व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों द्वारा संचालित श्रमिकों और कर्मियों के ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन के लिए व्यापारिक पुस्तकालयों (Mercantile Libraries) की व्यवस्था प्रचलित एवं प्रोत्साहित होने लगी। इन पुस्तकालयों को मेकानिक्स लाइब्रेरी अथवा अप्रेन्टिस लाइब्रेरी (Mechanics Libraries/Apprentices Libraries) भी कहा जाता था। अमेरिका के शिक्षा आंदोलन में 19वीं सदी के पूर्वार्ध काल में इन पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

8.4 विद्यालय-जिला सार्वजनिक पुस्तकालय

सार्वजनिक पुस्तकालयों के आविर्भाव के पहले ही न्यूयार्क के राज्यपाल क्लिन्टन (Dewitt Clinton) ने एक अपूर्व विचारधारा की चर्चा प्रारम्भ की। उन्होंने राज्य विधायिका से यह सिफारिश की कि राज्य में विद्यालय-जिला पुस्तकालयों (School District Public Libraries) की स्थापना की जाए। उनकी सिफारिश यह थी कि इन (विद्यालय-जिला पुस्तकालयों) को विद्यमान विद्यालयों के भवन में रखकर चलाया जाए। सन् 1835 में न्यूयार्क विधायिका ने एक पुस्तकालय प्रारंभ करने हेतु 2 डालर कर वसूल करने के लिए एक अधिनियम पारित किया और इसके विकास के लिए बाद के वर्षों में 60 डालर के कराधान का प्रावधान किया। पुस्तकों के क्रय हेतु राज्य विधायिका ने 55 हजार डालर प्रतिवर्ष सुलभ किए जाने की भी व्यवस्था की। राज्य सरकार के कोष से प्राप्त होने वाली धनराशि के बराबर विद्यालय जनपद द्वारा धनराशि संग्रह किए जाने की अपेक्षा की गई। विद्यालय जनपद सार्वजनिक पुस्तकालयों या विद्यालय-जिला-पुस्तकालयों की स्थापना की इस नवीन विचारधारा को सर्वत्र समर्थन प्राप्त हुआ और अनेक राज्यों ने इस प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना पर जोर दिया। परिणामत: 1876 तक 21 राज्यों में ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना सहर्ष की गयी।

9. पुस्तकालय अधिनियम

आधुनिक अर्थ में नि:शुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय का जो अर्थ हम समझते हैं, उस अर्थ में विश्व का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अमेरिका के हैंपशायर (Hampshire) के पीटरबर (Peterborough) में स्थापित किया गया। सन् 1823 में पीटरबरो नगरपालिका परिषद् ने अपने बजट में एक नि:शुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस दिशा में वैधानिक प्रयासों का प्रारंभ सर्वप्रथम 1848 में किया गया था। जनरल कोर्ट ऑफ मेसाचूसेट्स (General Court of Massachusetts) द्वारा 1848 में एक अधिनियम लागू कर बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी (Boston Public Library) की स्थापना की गई। अगले वर्ष न्यू हैंपशायर ने अपने अधीन शहरों एवं कस्बों को पुस्तकालयों की स्थापना के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान किया और पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पृथक् से कराधान का प्रावधान किया।

आज संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया जा चुका है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना तथा प्रशासन एवं संचालन हेतु अधिनियम द्वारा एक वैधानिक आधार तथा समर्थन प्राप्त होता है और पुस्तकालयों के आर्थिक स्रोत के लिए कर निर्धारण करने हेतु अधिकार तथा समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक राज्य के अधिनियम में भिन्न-भिन्न प्रावधान भी हो सकते हैं। कुछ अधिनियम पर्याप्त विस्तृत और व्यापक होते हैं जिनमें सभी प्रकार के पुस्तकालयों को सम्मिलित किया गया होता है, जैसे- नगरीय, ग्रामीण, जनपदीय, क्षेत्रीय अथवा विद्यालय-जनपद पुस्तकालय इत्यादि। कुछ राज्यों में प्रत्येक प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पृथक्-पृथक् अधिनियम लागू किए गए होते हैं। लेकिन सभी अधिनियमों में एक सामान्य प्रावधान अवश्य होता है कि नगरपालिकाओं के अधिक्षेत्र के निवासियों को पुस्तकालय सेवाएँ नि:शुल्क प्रदान की जानी चाहिए। अधिकांश अधिनियमों की विशेषता यह भी होती है कि पुस्तकालय अधिकर से प्राप्त धनराशि को एक पृथक् कोष में जमा किया जाना चाहिए जिसे पुस्तकालय कोष (Library Fund) कहते हैं। इसका लाभ यह है कि पुस्तकालय कर के रूप में प्राप्त धनराशि जाने-अनजाने किसी अन्य कोष में जमा नहीं की जा सकती और न ही इसका व्यय किसी अनिर्धारित कार्य के लिए किया जा सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक (Federal) पुस्तकालय अधिनियम (संघ सरकार द्वारा पारित अधिनियम) मन्द गति से विकसित हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम सन् 1956 में लागू किया गया। इसो लाइब्रेरी सर्विसेज एक्ट (Library Services Act) कहते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय दायित्व को सुनिश्चित किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू किया गया था। लेकिन 1964 में शहरी क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने हेतु इसमें संशोधन किया गया। इस अधिनियम को अब लाइब्रेरी सर्विसेज एण्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट (Library Services and Construction Act) के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अधीन पुस्तकालय सेवाओं और अन्तर पुस्तकालय सहकारिता के प्रोत्साहन हेतु भी धनराशि व्यय करने का प्रावधान है।

10. लोकोपकार तथा पुस्तकालय आंदोलन

संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालय आंदोलन को सफल और तीव्र बनाने में वहाँ के परोपकारी व्यक्तियों तथा न्यासों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। परोपकार एवं मानव प्रेम की भावना 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में विशेष प्रबल थी। न्यूयार्क पब्लिक लाइब्रेरी (New York Public Library), मानव प्रेम एवं परोपकार द्वारा संस्थापित पुस्तकालय का एक ज्वलन्त उदाहरण है। जॉन जेकब आस्टर (John Jacob Astor) नामक एक व्यापारी ने 1848 में न्यूयार्क नगर में एक संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना के लिए 4 लाख डालर का वसीयतनामा किया था और जॉसेफ ग्रीन कॉसवेल (Joseph Green Cogswell) नामक व्यक्ति को पुस्तकों को क्रय करने के लिए अधिकृत किया था। आस्टर लाइब्रेरी (Astor Library) को 1854 में प्रारंभ किया गया जिसमें उस समय 90,000 पुस्तकों का संकलन तथा और कॉसवेल उसके प्रथम निदेशक थे।

सन् 1870 में न्यार्क में एक अन्य संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना की गई जिसका श्रेय जेम्स लेनाक्स (James Lenox) को है जिन्होंने इस पुस्तकालय के लिए 20,000 पुस्तकें इकट्ठी की थीं। इसमें अनेक विषयों-जैसे, अमेरिकन साहित्य, लोकसाहित्य, इतिहास, मिल्टन (Milton), शेक्सपियर (Shakespeare), बनयन (Bunyan) की कृतियाँ और अनेक श्रेण्य-ग्रन्थ (Classics) इत्यादि सम्मिलित थे। सन् 1800 में न्यूयार्क राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल सैम्युयल जे. टिल्डेन (Samuel J.Tilden) ने अपने वसीयतानामा में निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए 50 लाख डालर के मूल्य का अपना एस्टेट (Estate) छोड़ा। लेकिन इस संबंध में वैधानिक विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उनके संबंधियों से समझौते के बाद मात्र इसकी आधी धनराशि पुस्तकालय विकास के लिए प्राप्त की जा सकी। सन् 1895 में इन तीनों न्यासों (Trusts) को एक साथ सम्मिलित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप न्यूयार्क पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। यह एक गैर-सरकारी पुस्तकालय है। लेकिन इस विशाल सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाएँ निः शुल्क हैं।

19वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 20वीं सदी के प्रारंभिक काल में ऐसे स्थायी न्यासों (Endowments) के अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनके द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालयों की सथापना की गई थी। बाल्टीमोर में एनॉक प्रैट लाइब्रेरी (Enoch Pratt Library) (1884) शिकागों में न्यूबेरी लाइब्रेरी (Newberry Library) (1887), शिकागो में ही जॉन क्रेरर लाइब्रेरी (John Crerar Library) (1894), सैन मैरीनो में हेनरी ई. हटिंगटन लाइब्रेरी (Henery E. Huntington Library) (1919), न्यूयार्क में पियप्रोन्ट मोरगन लाइब्रेरी (Pierpont Morgan Library) इत्यादि ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालय हैं जिनकी स्थापना श्रद्धालुओं एवं मानव प्रेमियों के दान से की गई।

सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास तथा उनके हितों की रक्षा में महान दानीर एंड्रयु कार्नेगी (Andrew Carnegie) (1835-1919) का योगदान अद्वितीय रहा है। इनका दान मुख्यतः पुस्तकालयों के भवन निर्माण हेतु होता था। पुस्तकों के क्रय और पोषण हेतु धनराशि की व्यवस्था का दायित्व समुदाय का था। कार्नेगी स्थायी न्यास के अनुदासन से मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 1681 सार्वजनिक पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण किया गया था तथा 1920 तक कार्नेगी न्यास द्वारा पुस्तकालय भवनों के निर्माण हेतु 5 करोड़

NOTES

डालर का दान दिया जा चुका था। 1890 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 बड़े-बड़े नगरों में मात्र सात नगरपालिकाओं द्वारा संचालित पुस्तकालय कार्यरत थे। लेकिन कार्नेगी के उदार-दान के कारण स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव आया। 19वीं सदी के अन्तिम दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्थापित करने की परिपाटी प्रारंभ हो चुकी थी।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. एडम्स प्रतिवेदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

....

....

....

....

11. लाइब्रेरी ऑफ कॉंग्रेस

लाइब्रेरी ऑफ कॉंग्रेस (LC: Library of Congress) अमेरिका का एक अग्रणी पुस्तकालय है जिसने देश में पुस्तकालयों के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया है। इस पाठ्यक्रम की इकाई 5 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है।

12. पुस्तकालयों के प्रकार, विकास तथा आगामी प्रवृत्तियाँ

संयुक्त राज्य अमेरिका पुस्तकालयों की भूमि है। निम्नांकित सारणी से वहाँ के पुस्तकालयों की प्रकृति, प्रकार तथा अन्य विवरणों का आभास होता है :

संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालय (1989)

प्रकार	संख्या	संकलन	वार्षिक व्यय (डालर)	व्यावसायिक कर्मचारी
राष्ट्रीय	3	29,277,384	....	....
शैक्षणिक	4,607	633.848,000	2,461,988,000	32,919
सार्वजनिक	9,068	600,000,000	3,700,000,000	35,000
विद्यालयीन	102,538	923,025,222	633,301,000	68,391
विशिष्ट	11,146	....	....	....

राष्ट्रीय पुस्तकालय

संयुक्त राज्य अनेक शासकीय अथवा सरकारी पुस्तकालयों को प्रायोजित करता है। लेकिन सेवित क्षेत्रों के आधार पर इनमें से तीन पुस्तकालयों को राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें लाइब्रेरी ऑफ कॉंग्रेस (LC) विशालतम है जो विश्व स्तर पर पुस्तकालय विकास में अनेक दृष्टिकोणों, मानकों, आदर्शों तथा प्रवृत्तियों का संस्थापक है। इस सदी के प्रथम दशक में मुद्रित प्रसूची पत्रकों को वितरित करने की जिस सेवा को प्रारंभ किया गया था। वह चौथे दशक में लाइब्रेरी ऑफ कॉंग्रेस द्वारा राष्ट्रीय संघ प्रसूची (National Union Catalogue) के मुद्रण के रूप प्रस्फुटित हो गई और अन्ततः अब मशीन पठनीय प्रसूचीकरण (MARC: Machine Readable Cataloging) टेपों (Tapes) के रूप में बीसवीं सदी के 6वें दशक से तैयार की जा रही है। लाइब्रेरी ऑफ कॉंग्रेस की भूमिका राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित अन्य क्रियाकलापों में बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इनमें अनेक परियोजनाएँ सम्मिलित हैं। पुस्तकालय व्यवस्था तथा सूचना सेवाओं की उत्तम एवं उन्नत प्रविधियों तथा तकनीकों को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित एवं सुलभ करने में लाइब्रेरी ऑफ कॉंग्रेस का विशिष्ट योगदान रहा है।

दो अन्य राष्ट्रीय पुस्तकालयों के नाम हैं: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय (NML:National Library of Medicine) तथा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुस्तकालय (NAL:National Agricultural Library), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय का अभ्युदय 1950 में आर्मी मेडिकल लाइब्रेरी (Army Medical Library) से हुआ। यह चिकित्सकों तथा आयुर्विज्ञान के शोधकर्ताओं को न केवल संयुक्त राज्य में ही सूचना सेवा सुलभ करता है बल्कि मेड्लार्स (MEDLARS:Medical Literature Analysis and Retrieval System) तथा मेडलाइन सेवाओं (MEDLINE Services) के माध्यम से विश्व के सभी संबंधित जिज्ञासुओं को सूचना सेवा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। मेड्लार्स एक अत्यंत उन्नत एवं विशिष्ट प्रकार की कम्प्यूटरीकृत संग्रह एवं पुनर्प्राप्ति प्रणाली है। यह इन्डेक्स मेडिक्स (Index Medicus) से विकसित हुआ है, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय (NML) की, मुद्रित एवं कागज आधारित, सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका है। इस राष्ट्रीय पुस्तकालय का संकलन 10 लाख की संख्या को छू रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुस्तकालय (NAL) संयुक्त राष्ट्र के कृषि विज्ञान के विभागीय पुस्तकालय से विकसित होकर राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में सक्रिय है और इसने कम्प्यूटरीकृत सूचना संग्रह और पुनर्प्राप्ति प्रणाली को विकसित किया है।

सरकार की अन्य एजेंसियाँ भी हैं जिनके पुस्तकालय अपनी पैतृक संस्थाओं की सूचना आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

शैक्षिक पुस्तकालय

ब्रिटेन की भाँति संयुक्त राज्य अमेरिका में भी विविध प्रकार के शैक्षिक पुस्तकालय हैं, जैसे- विद्यालयों, महविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के पुस्तकालय। इनका विकास अलग-अलग ढाँचों और पद्धतियों के अनुसार हुआ है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पुस्तकालय (Harvard University Library) अन्य संस्थाओं के पुस्तकालयों से अधिक विशाल है। इसके संकलन एवं संस्थागत दायित्व में ज्यामितीय ढंग से वृद्धि हुई है। अन्य विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में बर्कले, स्टैनफोर्ड, कोलम्बिया, शिकागो? प्रिन्सटन तथा येल विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय अग्रणी हैं। अनेक ऐसे पुस्तकालयों ने संसाधनों के विकास एवं उन्नत सूचना सेवाओं के संचालन में अपना प्रचुर योगदान दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षिक पुस्तकालयों की एक प्रमुख विशेषता विद्यालय पुस्तकालयों एवं मीडिया (Media) केन्द्रों का विकास रहा है। 75,000 से अधिक पुस्तकालयों और मीडिया केन्द्रों की व्यवस्था सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में की गई है। संघीय सहायता तथा व्यावसायिक संघों द्वारा विकसित मानकों के द्वारा अध्ययन-अध्यापन तथा संदर्भ इत्यादि की परम्परागत सेवाओं को उन्नत बनाने में विद्यालय पुस्तकालयों और मीडिया केन्द्रों को बड़ी सफलता मिली है। विद्यालय में शिक्षण हेतु अनेक सामग्रियों एवं साधनों को सुलभ कराने में भी विद्यालय पुस्तकालयों एवं मीडिया केन्द्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कम्प्यूटर शिक्षण कार्यक्रमों में भी प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की सक्रिय सहभागिता होती है।

विशिष्ट पुस्तकालय

संयुक्त राज्य अमेरिका में विशिष्ट पुस्तकालयों का भी बाहुल्य है जो विशिष्ट प्रकार के उपयोक्ताओं/पाठकों की सेवा करते हैं। उन्हें स्थापित करने का उद्देश्य सामान्य लोगों को पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना नहीं होता हैं। अतः उनके संकलन भी सीमित होते हैं। इनके व्यावसायिक कार्मिक भी विशेष प्रकार के प्रशिक्षणों से युक्त होते हैं और विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार सूचना सेवा उपलब्ध कराते हैं। विशाल और समृद्ध औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठनों के पुस्तकालयों में ए टी एण्ड टी की बेल लेबोरेटरिज (A T & T's BELL Laboratories), इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन (IBM: International Business Machine) तथा वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कारपोरेशन (Westinghouse Electric Corporation) के विशिष्ट पुस्तकालय विशेष उल्लेखनीय हैं। समाचार-पत्रों, विज्ञापन एजेन्सियों तथा अन्य एजेन्सियों के भी अपने विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं। विद्वत् परिषदों, अस्पतालों, बैंकों, विधि संस्थाओं, प्रकाशन गृहों, वैज्ञानिक संस्थाओं, इत्यादि के पुस्तकालय अपने-अपने उपयोक्ताओं की सूचनापरक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

NOTES

आगामी विकास तथा प्रवृत्तियाँ

यू के में जिन प्रवृत्तियों का पुस्तकालयों के सन्दर्भ में उल्लेख किया गया है वे प्रकारांतर से यू एस ए में भी, वहाँ के लिए उनकी आवश्यकतानुसार भिन्नताओं के साथ, लागू होती हैं। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए) में विशिष्ट प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं जिनका प्रभाव न केवल अपने देश के पुस्तकालयों एवं सूचना सेवाओं पर पड़ा है, बल्कि उन्होंने संबंधित क्षेत्र के अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी प्रभावित किया है।

आधुनिक विकासों में इन्टरनेट (INTERNET) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। पूरे विश्व में आधुनिकोत्तर समाज की कम्प्यूटर तथा सूचना-संचार अवसंरचना इंटरनेट पर ही आधारित होगी। इसका प्रथम भाग नेटवर्क की कड़ियों से निर्मित है और द्वितीय भाग सेंसर (Sensors) और मानीटर्स (Monitors) की सहायता से नेटवर्क को पूरी दुनियाँ से जोड़ेगा। तृतीय भाग डेटाबेसों (Databases) से युक्त होगा जिसमें विश्वकोशीय सूचना, संगीत और नाट्य कृतियों एवं अन्य प्रकार के अभिलेखों को सम्मिलित किया जाएगा। विशेष प्रकार की विशिष्ट सेवाओं को प्रदान करने के लिए नेटवर्क को कार्यशील बनाने के उद्देश्य से इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर (Information Processors) होंगे। सूचना की कड़ियाँ वस्तुतः तंत्रिका की भाँति होती हैं जो मानव शरीर में व्याप्त होती हैं और उसे जीवित रखने में सहायता करती हैं। सेंसर्स तथा मानीटर्स मानव इन्द्रियों के समान होते हैं जो हमें जगत के संपर्क में रखती हैं, अर्थात् चैतन्य रखती हैं। डेटाबेस स्मृति की भाँति है। इन्फार्मेशन प्रोसेसर मानव के बौद्धिक पहलू का कार्य करते हैं। एक बार आधुनिकोत्तर अवसंरचना को उपयुक्त ढंग से एकीकृत कर दिए जाने के पश्चात् क्षमता, तीव्रता, शक्ति और दृढ़ता में यह मानव बुद्धि को पीछे छोड़ देगा अर्थात् जिस गति और क्षमता से यह कार्य करेगा उस गति से मानव मस्तिष्क कार्य नहीं कर सकता है।

इस प्रकार के सभी वक्तव्य एक प्रकार से पूर्वानुमान हैं जिन्हें सुनिश्चित रूप से दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता है। फिर भी, तीन प्रमुख प्रकार के पुस्तकालयों-शैक्षिक, सार्वजनिक और विशिष्ट पुस्तकालयों के संबंध में इन्टरनेट की प्रभावशीलता और उपादेयता का मूल्यांकन करने के लिए विशेष प्रकार के अध्ययन एवं अन्वेषण किये जा रहे हैं। इस अध्ययन से संबंधित एक पुस्तक **'Libraries and the Internet/NRME : Perspectives, Issues, and Challenges'** की आख्या से प्रकाशित कृति पठनीय है।

सूचना के व्यापक आयाम एवं प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए इसकी बढ़ती हुई भूमिका को स्पष्ट करने के लिए जो महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय प्रयास किये गये हैं उनका उल्लेख यहाँ किया गया है। एक राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (NII : National Information Infrastructure) जिसे इन्फॉर्मेशन सुपरहाईवे (Information Superhighway) कहते हैं, की परिकल्पना की गयी है जिससे सूचना के उपयोग की अनेक संभावनाएँ परिलक्षित होती हैं। इस इन्फॉर्मेशन सुपरहाइवे के निम्नांकित घटक हैं:

- सूचना का उत्पादन, प्रकाशन, व्यवस्था, सुरक्षा, प्रबन्ध तथा उपयोग करने वाले लोग; अनुप्रयोगों एवं सेवाओं को विकसित करना; नीतियों तथा मानकों को अभिकल्पित करना तथा उन्हें लागू करना; और राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना (NII) के सभी पक्षों के लिए लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।
- सभी आरूपों, आकारों एवं संचार-माध्यामों में सूचना के अंतर्विषय-जैसे, लिखित पाठ, स्थिर तथा गतिमान प्रतिमाएँ, संख्यात्मक फाइल (Files), ध्वनि रिकॉर्डिंग (Sound Recordings), प्राचीन अभिलेख (Archival Records), संग्रहालय सामग्रियाँ तथा सभी प्रकार के अन्य साक्ष्य।
- हार्डवेयर (Hardware) तथा अन्य भौतिक उपकरण-जैसे, कम्प्यूटर, मॉनीटर, निवेश उपकरण, प्रिन्टर, टेलीफोन, फैक्स मशीन (Fax Machines), काम्पैक्ट डिस्क (CD: Compact Disks), दृश्य-श्रव्य मीडिया, कैमरा (Cameras), टेलीविजन (TV), केबल (Cable) तथा अन्य प्रकार के तार, स्विच (Switches), सैटेलाइट (Satellites), माइक्रोबेव नेट (Micrwave Nets), प्रकाशीय

फाइबर ट्रान्समीशन लाइनस् (Optical Fiber Transmission Lines) इत्यादि तथा ऐसे अन्य उपकरण जिनका आविष्कार अभी होना है।

- सॉफ्टवेयर (Software) तथा समाचार समूह-जैसे, फाइल हस्तांतरण प्रोटोकोल (File Transfer Protocol), गोफर्स (Gophers), यूजनेट (USENET), न्यूज, विस्तृत-क्षेत्र सूचना सेवा (WAIS:Wide Area Information Servers), वर्ल्ड वाइड वेब (WWW World Wide Web), मोजाएक (Mosaic), तथा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप भाषा (HTML Hypertext Markup Language) इत्यादि।
- मानक, संकेताक्षर, नियम-विनियम, तथा अन्य नीतियाँ-जिनका उद्देश्य है अन्तर संयोजन तथा अन्तर क्रियाशीलता सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा, बौद्धिक संपत्ति का प्रतिपूरण, डेटा की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना, नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहन देना, सार्वभौमिक अभिगम और सेवाएँ सुलभ कराना।

उपरिलिखित अवसंरचना के निर्माण के लिए सिद्धान्तों उद्देश्य, कौशल, कार्यविधि इत्यादि को विकसित कर लिया गया। इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्स (IITF: Information Infrastructure Task Force) की स्थापना कर नेशनल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लक्ष्य को स्पष्ट एवं क्रियान्वयन का दायित्व प्रदान किया गया है जो निजी क्षेत्रों से संपर्क कर एक पूर्णतया विस्तृत दूर-संचार तथा सूचना नीतियों को भी सुनिश्चित करेगा।

13. व्यावसायिक संघों की भूमिका

यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों के विकास में व्यावसायिक संघों ने विलक्षण भूमिका निभाई है। यू के में दि ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन (LA-UK) की स्थापना 1877 में हुई थी और एसोसिएशन फॉर एन्फॉर्मेशन मैनेजमेन्ट (ASLIB : Association for Information Management) की स्थापना 1926 में हुई थी। इसे पहले एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरिज एण्ड इन्फॉर्मेशन ब्यूरेक्स (Association of Special Libraries and Information Bureaux) के नाम से जाना जाता था। इन व्यावसायिक संघों ने पुस्तकालय एवं सूचना के क्रियाकलापों को बड़ी निष्ठा एवं लगन के साथ नेतृत्व प्रदान किया। अमेरिका में पुस्तकालयों और सूचना सेवाओं के विकासों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ALA : American Library Association, 1876), स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन (SLA : Special Library Association, 1909) तथा अमेरिकन सोसाइटी फॉर इन्फॉर्मेशन साइन्स (ASIS: American Society for Information Science, 1937) अथक प्रयास कर रहे हैं।

इन व्यावसायिक निकायों ने अपने देशों में पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं और अपने व्यवसाय के लोगों के हितों की भी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने व्यावसायिक दक्षता और कार्य पद्धतियों को विकसित तथा प्रोत्साहित करने के लिए मानको, मार्गदर्शिकाओं, नियमावलियों, मैनुअलों (Manuals) इत्यादि अनेक प्रकाशनों को सुलभ किया है और इस दिशा में अधिकाधिक योगदान दिया है। व्यावसायिक विकासों और अनुसंधानों की अभिव्यक्ति के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन भी इन्होंने किया है, तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षणों का भी समय-समय पर संचालन किया है जिससे व्यावसायिक दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ावा मिला है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार से संपर्क स्थापित करने का प्रयास भी इन्होंने किया है।

14. सार-संक्षेप

इस अध्याय में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और यूनाइटेड किंगडम (UK) के पुस्तकालयों के क्रमिक विकास का वर्णन किया गया है। यू के सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु किये गये प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीर्तिमानों के उल्लेख के साथ किया गया है, जिनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना की जा सकी है और जिसे समय-समय पर पुस्तकालय अधिनियम का समर्थन प्राप्त होता रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में मानव प्रेमियों,

NOTES

उदार महानुभावों एवं पुस्तकालय अधिनियमों से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास तथा श्रेष्ठ व्यावसायिक सेवाओं की नींव अत्यधिक गहरी होने के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पुस्तकालयों, जैसे- शैक्षिक एवं विशिष्ट पुस्तकालयों का भी विकास हुआ है। सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों की सथापना की गई। विश्वविद्यालय में स्थापित शैक्षिक पुस्तकालयों का इतिहास अधिक पुराना है जो विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ। उनका विकास अनेक कारणों से हुआ है- जैसे, छात्रों का विभिन्न स्तरों पर प्रवेश तथा उनकी संख्या, विषयों एवं ज्ञान की अन्य शाखाओं में विशिष्टीकरण की प्रवृत्तियाँ इत्यादि। अनेक नवीन घटकों के कारण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास के क्षेत्रों में पर्याप्त परिवर्तन उत्पन्न हुआ है जिसके परिणामस्वरूप नवीन विचारधारा, चिन्तन, तथा विभिन्न समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण घटक तथा कारण हैं- सूचना प्रौद्योगिकी, उपयोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएँ, सूचना की माँग से संबंधित जनांकिकीय परिवर्तन, सूचना का विशाल उत्पादन, वैविध्यता प्रकाशन और प्रसारण इत्यादि। इन सभी पक्षों की विवेचना इस अध्याय के संबंधित अनुच्छेदों में की गई है।

15. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. यूरोप में मध्यकालीन युग से लेकर 18वीं सदी तक प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का प्रबल प्रभुत्व रहा। इसके फलस्वरूप यहाँ भारतीय मठों जैसी संस्थाओं की स्वाभाविक रूप से स्थापना हुई। इन मठों में पादरियों का मुख्य कार्य पठन-पाठन और लेखन था। परिणामतः उन मठों में पुस्तकालयों की स्थापना की ओर अधिक ध्यान दिया गया। इंग्लैण्ड में मठों के अतिरिक्त कुछ परिषदों की भी स्थापना ईसाई ज्ञान एवं विद्या के प्रोत्साहन और ईसा मसीह के उपदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए की गई। समाज के निर्धन वर्ग में ज्ञान-प्रसार तथा शिक्षण हेतु इसी प्रकार की शैक्षणिक एजेन्सियों का भी आविर्भाव हुआ। इसका तत्कालिक परिणाम यह हुआ कि रविवासरीय स्कूलों की स्थापना की जाने लगी। इन स्कूलों में मात्र धार्मिक विषयों और उपदेशों की ही शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि अनेक विषयों और प्रकरणों पर सायंकालीन व्याख्यानों के आयोजन सामान्य हो गए थे। इसके फलस्वरूप अनेक पत्रिकाओं और सामयिकियों के प्रकाशन को पर्याप्त बढ़ावा मिला।

   अपनी ज्ञान-पिपासा बुझाने की लोगों की इच्छा का अनेक व्यापारिक संस्थानों ने लाभ उठाया और परिसंचारी पुस्तकालयों की स्थापना की। 18वीं सदी में सम्पूर्ण इंग्लैण्ड में अनेक सशुल्क पुस्तकालय प्रारंभ किये गये जिन्हें सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी (Subscription Library) कहते थे। वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार तथा प्रोत्साहन हेतु अनेक मेकेनिक्स इन्सटीट्यूट (Mechanics Institutes) की भी स्थापना की गई। इनके अध्ययन कक्ष आगे चलकर सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में परिवर्तित हो गए।

2. सन् 1841 में ब्रिटेन में एक प्रमुख पुस्तकालय की स्थापना की गई जिसे लन्दन लाइब्रेरी (London Library) कहते हैं। इसकी स्थापना का श्रेय तत्कालीन विख्यात् लेखक थोमस कार्लाइल (Thomas Carlyle) को है। यह पुस्तकालय अन्य व्यक्तिगत तथा स्वामित्व वाले पुस्तकालयों की पद्धति से भिन्न था। इसके सदस्यों की संख्या व्यापक स्तर पर थी जिसके सदस्य देश के सभी कोने के लोग हुआ करते थे। यह विख्यात पुस्तकालय अभी भी कार्यशील है और इसमें पुस्तकों के संकलन की संख्या 7 लाख से अधिक है। यह एक समृद्ध पुस्तकालय तो है ही, साथ ही आदान-प्रदान के लिए इसमें पुस्तकों का विशाल संग्रह है।

3. ब्रिटिश पुस्तकालयों के विकास के इतिहास में 14 अगस्त 1850 के दिन को स्वर्णिम दिवस माना जाता है। इसी दिन ब्रिटेन में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया जो संसद द्वारा पारित विश्व का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम है। इस अधिनियम को पारित और लागू करने की पृष्ठभूमि में न तो किसी जनसमूह की कोई माँग थी, न ही इसकी आवश्यकता का तत्कालीन पुस्तकालय व्यवसायियों ने ही अनुभव किया था। इस अधिनियम को एक सत्य के रूप में परिणत करने का

श्रेय ब्रिटेन के तत्कालीन आधे दर्जन महानुभावों और उदारमना व्यक्तियों को है। उनमें से तीन महानुभाव अत्यन्त सक्रिय थे और इन्होंने पुस्तकालय विकास को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया। ये थे : तत्कालीन ब्रिटिश सांसद विलियम एवार्ट (William Ewart) और जोसेफ ब्रदरटन (Joseph Brotherton) जिन्हें तत्कालीन ब्रिटिश म्यूजियम के सहायक एडवर्ड एडवर्ड्स (House of Commons) से प्रचुर सहायता प्राप्त हुई। दोनों सांसदों ने ब्रिटेन की लोकसभा (House of Commons) से पुस्तकालय अधिनियम पारित एवं लागू करने के लिए आग्रह किया और एडवर्ड एडवर्ड्स ने इस संबंध में वांछित एवं आवश्यक सूचना प्रदान कर अपना प्रमुख योगदान दिया।

यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों का विकास

4. पुस्तकालयों को मिलने वाले विपुल दान से पुस्तकालय आन्दोलन की गति तो तेज नहीं हुई, परन्तु इसके कारण अनेक समस्याएँ पैदा हुईं। कार्नेगी ट्रस्ट के सदस्यगण सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का सर्वेक्षण करना चाहते थे। अतः उन्होंने डॉ. डब्ल्यू.जी.एस. एडम्स (Dr. W.G.S. Adams) से इस विषय पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। यह प्रतिवेदन 1951 में प्रकाशित किया गया। इस प्रतिवेदन का आलोचनात्मक अभिमत बड़ा ही रोचक है। इस प्रतिवेदन में पुस्तकालयों की दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है : "अधिकांशः पुस्तकालयों के रख-रखाव, पोषण, तथा भवन निर्माण के लिए प्रचुर धनराशि का प्रावधान किया गया है। परंतु पुस्तकालय के मुख्य कार्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यन्त अल्प साधन शेष रहता है। 10,000 पौण्ड (Pound) तथा इससे अधिक व्यय से पुस्तकालय भवनों का निर्माण किया गया है और एक पेनी (Penny) की दर से कराधान से प्राप्त धनराशि की आय का अधिकतम धन भवनों के रख-रखाव और पोषण पर व्यय किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकों के क्रय हेतु नितान्त अल्प धनराशि बच पाती है और किन्हीं-किन्हीं पुस्तकालयों के लिए यह भी नहीं बच पाती है। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहाँ पुस्तकालय भवन पहले एक छोटे परिसर में थे, उन्हें दान द्वारा निर्मित बड़े भवन में स्थानांतरित करने के कारण पुस्तकों के अधिग्रहण व्यय में कटौती करनी पड़ी है। कुछ स्थानों पर आय के स्रोत इतने कम हैं कि पुस्तकालय भवन के अनुरूप, तथा उत्तम पुस्तकालय के निर्माण में सक्षम, सुयोग्य पुस्तकालयाध्यक्ष को नियुक्त करना संभव नहीं है।"

16. मुख्य शब्द

इन्फॉर्मेशन सुपरहाईवे (Information Superhighway)	:	इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का एकत्रीकृत रूप जो अनेक डेटाबेसों का अभिगम प्रदान करता है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क प्रौद्योगिकी को एक साथ सम्मिलित करने से संपन्न होता है।
टेलीकॉन्फरेन्सिंग (Teleconferencing)	:	समुन्नत संचार माध्यम एवं प्रौद्योगिकी की सहायता/ वार्तालाप/ बैठक/ विचार-विमर्श जिसके द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के लोग पारस्परिक विचार-विमर्श कर सकते हैं।
डेटाबेस (Database)	:	कम्प्यूटर की फाइल में भंडारित सूचना। यह किसी दूरस्थ कम्प्यूटर टर्मिनल और दूरसंचार की कड़ी के माध्यम से भी अभिगम होती है।
नेटवर्क (Network)	:	भौतिक रूप से पृथक्-पृथक् कम्प्यूटरों की प्रणाली जिसमें ये दूरसंचार की कड़ियों के माध्यम से एक दूसरे के जुड़े होते हैं और जिसके द्वारा प्रत्येक सहभागी कम्प्यूटर के संसाधनों की सहभागिता दूसरे कम्प्यूटरों द्वारा प्राप्त करने की सुविधा होती है।

NOTES

प्रलेखन (Documentation) : विशेष रूप में वैज्ञानिक प्रतिवेदनों, अर्ध-प्रकाशिका सामग्री, सांख्यिकी इत्यादि से संबंधित सूचनाओं के अधिग्रहण, व्यवस्थापन तथा संप्रेषण एवं संचार से संबंधित अध्ययन।

बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) : किसी लेखक द्वारा अपनी कृति के स्वामित्व का दावा।

17. अभ्यास-प्रश्न

1. 1850 के अधिनियम का ब्रिटिश पुस्तकालयों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा ?
2. द ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972 की ब्रिटिश पुस्तकालयों के विकास में क्या भूमिका रही? स्पष्ट कीजिए।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों के विकास में लोकोपकारी संस्थाओं के योगदान की विवेचना कीजिए।
4. संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षिक पुस्तकालयों का वर्णन कीजिए।
5. यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों के विकास में व्यावसायिक संघों की भूमिका का विवेचन कीजिए।

18. संदर्भ ग्रन्थ सूची

Kelley, Thomas (1996) Early Public Libraries. London: The Library Association.

Kelley, Thomas (1997) A History of Public Libraries in Great Britain (1845-1975) London The :Library Association.

Kent, Allen (etal). (1978). Encyclopaedia of Library and Information Science. New York : Dekkar. V24, p267-331

Bearman, T.C. (1995) Natioal Information Infrastructure. In : The Bowker Annual and Library Book Trade Almanac, pp 65-69.

British Librarianship and Information Work (1986-1990) (1992) David W. Bromley and Angela M.Allott (ed). London: Library Association Publishing V2.

Information UK, 2000 (1990). by John Marty Peter Vickers and Mary Feeney (eds.) London : Bowker - Saur.

McClure, C.R. Moen W.E Eyan J. Libraries and the Internet /NREM Perspectives, Issues and Challanges. Westport Mecklermedia.

World Encyclopaedia of Library and Information Science. (ed.3) (1993). Chicago: ALA.

अध्याय-4

आधुनिक भारत में पुस्तकालयों का विकास : योजनाएँ एवं कार्यक्रम

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. ऐतिहासिक परिदृश्य
   3.1 भारत में पुस्तकालय आन्दोलन का विकास
   3.2 पुस्तकालय विकास : विस्तार एवं परिक्षेत्र
4. नियोजन, कार्यक्रम, नीतियाँ
   4.1 नियोजन एवं कार्यक्रमों की आवश्यकता
   4.2 नीति-निर्धारण के प्रयास तथा पुस्तकालय नीतियाँ
   4.3 पुस्तकालयों को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रों से संबंधित नीतियाँ
5. पुस्तकालयों के संबंध में महत्वपूर्ण समितियों की संस्तुतियाँ
   5.1 सार्वजनिक पुस्तकालय
   5.2 शैक्षिक पुस्तकालय
   5.3 कृषि-विज्ञान पुस्तकालय
   5.4 आयुर्विज्ञान पुस्तकालय
6. नियोजन एवं कार्यक्रमों के प्रयास
   6.1 राष्ट्रीय नियोजन
   6.2 आंचलिक नियोजन
7. योजनाओं एवं कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालय विकास का मूल्यांकन
   7.1 वर्तमान स्थिति
   7.2 भविष्य हेतु निर्देशन एवं दिशाएँ
8. सार-संक्षेप
9. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
10. अभ्यास-प्रश्न
11. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात् आप सक्षम होंगे:

- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए प्रयासों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप भारत में पुस्तकालयों एवं पुस्तकालय सेवाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में;
- नीति निर्देशों, योजनाओं की प्रक्रियाओं तथा तदर्थ समितियों की संस्तुतियों के माध्यम से पुस्तकालयों के विकास में शासन की भूमिका का अध्ययन करने में, तथा
- भविष्य हेतु दिशा-निर्देश को सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकालयों के विकास पर योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।

2. परिचय

मानव के किसी भी क्षेत्र एवं प्रयास का क्रमबद्ध एवं सुनिश्चित विकास उसी स्थिति में सम्भव होता है जब वह सुनियोजित योजनाओं और उपयुक्त ढंग से क्रियान्वित कार्यक्रमों पर आधारित होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में पुस्तकालयों के विकास की दिशा में नियोजन एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अनेक प्रयास किए गए हैं। यद्यपि उन प्रयासों का प्रतिफल विभिन्न स्वरूपों में सीमित ढंग से हुआ है लेकिन निःसन्देह रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत में पुस्तकालय सेवाओं के आयोजन हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों के आधार पर विस्तृत अवसंरचना का विकास अनेक स्तरों पर किया गया है। देश में पुस्तकालय नीतियों, नियोजन की प्रक्रियाओं, तथा कार्यक्रमों के प्रयासों की पूर्ण जानकारी आवश्यक है, जिससे देश में पुस्तकालयों की व्यवस्था तथा संगठन की पद्धति को भली-भाँति समझा जा सके। इस अध्याय से इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है क्योंकि इससे सुनियोजित ढंग से पुस्तकालयों के विकास के लिए किए गए प्रयासों की एक झलक प्राप्त होती है।

भारत में पुस्तकालयों के क्रमबद्ध विकास का प्रारंभ सन् 1947 के पश्चात् हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता की स्थापना तथा उसका विकास, सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रणाली की स्थापना करने के लिए कुछ राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करना, पर्याप्त संख्या में विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन पुस्तकालयों का विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, कृषि विज्ञान, सामाजिक विज्ञानों एवं मानविकी के विषय क्षेत्रों में विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों की वृद्धि एवं विकास विगत 50 वर्षों की अवधि कीर्तिमान उपलब्धियाँ हैं। यद्यपि वह विकास प्रभावकारी अवश्य प्रतीत होता है, तथापि हमारे सामाजिक-आर्थिक विकास, उच्च और तकनीकी शिक्षा, उच्च स्तरीय औद्योगिक उत्पादकता, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगकी के अनुसंधान एवं विकास हेतु ज्ञान तथा विविध प्रकार की सूचना की निरन्तर बढ़ती हुई माँग की पूर्ति की दृष्टि से यह अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। इससे यह आभास होता है कि इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों की गतिविधियों एवं कार्यों को एक राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना नीति के आधार पर एकीकृत करने की आवश्यकता है।

पुस्तकालय में संबंधित नीतियों की चर्चा करते हुए भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिपादन पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति (NAPLIS: National Policy on Library and Information System) की संस्तुतियों का सारांश यहाँ दिया गया है। इस नीति प्रलेख में सभी प्रकार के पुस्तकालयों तथा सूचना प्रणालियों के विकास का एक एकीकृत एवं सम्मिलित स्वरूप निर्धारित किया गया है। इस प्रयास के प्रतिफल के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग (National Commission Library) के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। अन्य क्षेत्रों, जैसे- शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सूचना के ऊपर राष्ट्रीय नीतियाँ भी देश में पुस्तकालयों के विकास से जुड़ी हुई हैं।

देश में अनेक निकायों एवं संगठनों द्वारा गठित अनेक तदर्थ समितियों ने सार्वजनिक, शैक्षणिक, आयुर्विज्ञान तथा कृषि विज्ञान पुस्तकालयों के विकास तथा स्थापना से संबंधित संस्तुतियाँ की हैं।

देश की पंचवर्षीय योजनाओं में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों के विकास के ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया है। विशेषकर सप्तम् पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए गए थे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण, जैविक प्रौद्योगिकी इत्यादि से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय योजनाओं में प्रावधान किया गया है।

पुस्तकालयों के विकास और बेहतरी के लिए उठाए गए इन कदमों के बावजूद भी पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के विकास की वर्तमान स्थिति विषम, विखण्डित और असमन्वित दिखाई पड़ती है। पुस्तकालय तथा सूचना प्रणालियों का एक नेटवर्क स्थापित करने में कम्प्यूटर तथा संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करने से इस दिशा में समन्वय तथा एकीकरण अवश्य स्थापित किया जा सकेगा। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों की राष्ट्रीय नीति को शीघ्र ही लागू किए जाने की आशा है- जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के एकीकृत ढाँचे का संख्यात्मक और गुणात्मक विकास हो सकेगा।

3. ऐतिहासिक परिदृश्य

भारत अपनी विद्वता एवं शिक्षा की प्रचीन परम्पराओं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व विख्यात रहा है। प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में विख्यात पुस्तकालयों एवं शिक्षा के केन्द्रों तथा धार्मिक पूजा स्थलों के होने के ज्वलन्त प्रमाण मिलते हैं। मध्यकालीन शासकों ने देश में पुस्तकालयों की स्थापना में पर्याप्त अभिरुचि दिखाई थी। 16वीं सदी में ईसाई मिशनरियों (Christian Missionaries) के कार्यों एवं मुद्रण की कला तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के परिणामस्वरूप कुछ पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी। लेकिन पुस्तकालय आंदोलन का उपयुक्त प्रारंभ आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की गई थी। लेकिन पुस्तकालय आन्दोलन का उपयुक्त प्रारम्भ आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात् हुआ है। भारत में जब अंग्रेजी शिक्षण लागू किया गया और 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में जब ब्रिटिश शासन द्वारा कुछ शैक्षिक सुविधाओं को उपलब्ध किया जाने लगा तब वस्तुत: आधुनिक पुस्तकालयों का अभ्युदय विशेषकर राज्यों की राजधानियों में होने लगा था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और देश के बहुमुखी विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तब पुस्तकालयों के विकास में भी तेजी आई। विगत पंचवर्षीय योजनाओं जिनमें नौवीं योजना भी सम्मिलित है, के द्वारा देश में व्यापक रूप से पुस्तकालय सुविधाओं को प्रारंभ किया गया है।

3.1 भारत में पुस्तकालय आन्दोलन का विकास

19वीं सदी के पूर्वार्द्ध की अवधि में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी (Calcutta Public Library) की स्थापना की गयी थी। तत्पश्चात् 1903 में इम्पीरियल लाइब्रेरी (Imperial Library) की स्थापना की गई। सन् 1948 में इम्पीरियल लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी (National Library) कर दिया गया और उसे वर्तमान परिसर में स्थानान्तरित किया गया। यद्यपि हमारे देश का यह राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारी पुस्तकालय प्रणाली का शीर्षस्थ पुस्तकालय नहीं है, फिर भी विगत वर्षों में इस राष्ट्रीय पुस्तकालय ने तीव्र गति से प्रगति की है और इसके आकार, संकलन, कार्मिकों तथा सेवाओं में विशेष वृद्धि हुई है।

हमारे देश में विशिष्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय भी हैं-इन्सडॉक (INSDOC) में स्थित नेशनल साइन्स लाइब्रेरी (National Science Library) तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (Directorate General of Health Services) द्वारा संचालित नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी (National Medical Library), ये दोनों राष्ट्रीय विशिष्ट पुस्तकालय दिल्ली में स्थित हैं। अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में भी ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव हैं।

NOTES

ऐसा माना जाता है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास का आन्दोलन 1906 में प्रारम्भ हुआ जब तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासन सयाजी राव गायकवाड ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का बीजारोपण किया था। लेकिन इस प्रयास से बाद इस विकास की गति उतनी तेज नहीं रही। स्वतन्त्रता के पूर्व मात्र कुछ गिने-चुने राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों (State Central Libraries) एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्थापित किया जा सका था और विकास की गति भी अत्यंत धीमी थी। अब तक पुस्तकालय अधिनियम दस राज्यों में लागू किया जा सका है-तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, केरल, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम तथा गोवा। इन राज्यों ने सार्वजनिक पुस्तकालयों का नेटवर्क ग्रामीण स्तर तक स्थापित किया है। कुछ राज्यों, जैसे, गुजरात में पुस्तकालय अधिनियम लागू न होने पर भी सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली स्थापित की गई हैं। अन्य राज्यों में भी सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना तथा विकास के लिए पर्याप्त ध्यान की परमावश्यकता है।

शैक्षिक पुस्तकालय प्रणाली में भारत में 220 विश्वविद्यालयीन स्तर की संस्थाओं के पुस्तकालय हैं और 8500 महाविद्यालय पुस्तकालय हैं। साधारण स्तर के 1 लाख विद्यालय पुस्तकालय हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का विकास सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से हुआ है लेकिन महाविद्यालय पुस्तकालयों को सशकत और समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने महाविद्यालय पुस्तकालयों के विकास की ओर भी ध्यान दिया है। विद्यालयों के पुस्तकालयों की उपेक्षा अधिक हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council of Education Research and Training) द्वारा निष्पादित तृतीय अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण (Third All India Educational Survey) (1981) के अनुसार विद्यालयों की स्थिति का आकलन निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

भारत में 5,89,031 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। इनमें से केवल 41.08% में ही पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध थी। जिसका विवरण इस प्रकार है- 32.41% प्राथमिक विद्यालयों, 59.61% उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 94.05% माध्यमिक विद्यालयों और 95.75% उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध थी।

17.8% विद्यालयों के पुस्तकालयों में 100 से कम पुस्तकें थीं, 9.6% में 100-249 पुस्तकें पाई गई थीं; 5.3% में 250-499 पुस्तकें थीं; 3.64% में 500-999 पुस्तकें थीं; 2.52% में 1000-1999 पुस्तकें तथा 0.94% में 2000-3999 पुस्तकें थीं; जबकि 1.63% में 4000-4999 पुस्तकें थीं। 1,441 पूर्णकालिक प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष थे जिन्हें पुस्तकालयों के प्रबन्ध का दायित्व दिया गया था। इस प्रकार मात्र 41% विद्यालयों में पूर्णकालिक प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यरत थे।

इस प्रकार की पुस्तकालय व्यवस्था को अल्पतम स्तर की भी मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। कुछ अपवादों को छोड़कर, यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों में विद्यालयों में न तो पुस्तकालय हैं और न ही पूर्णकालिक प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष हैं।

विशिष्ट पुस्तकालयों की प्रगति उनके विकास की दृष्टि से संतोषजनक रही है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं अनुसंधान तथा औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप संभव हुआ है। वर्तमान में देश में विशिष्ट पुस्तकालयों की संख्या 2000-2500 है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, कृषि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के क्षेत्रों से संबंधित संस्थानों में स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक एवं विद्यालय पुस्तकालयों का विकास शोचनीय रहा है। पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, नेटवर्क की स्थापना, संसाधनों की सहभागिता इत्यादि की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.2 पुस्तकालय विकास: विस्तार एवं परिक्षेत्र

हमारे राष्ट्रीय निर्माण के प्रयासों में पुस्तकालयों के योगदान के महत्व को सर्वत्र स्वीकार किया गया और जिसे सभी लोगों ने अनुभव भी किया है। ज्ञान और सूचना के प्रसार तथा प्रचार में पुस्तकालयों को

महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में मान्य किया गया है। परन्तु विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैले और बिखरे विशाल जनसमूह को पुस्तकालयों की सेवाओं से लाभान्वित करना है तो यह कार्य निःसन्देह एक विशाल पैमाने पर आयोजित करना होगा। एक विकासशील देश में, जहाँ पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करने के लिए निजी प्रयास का अभाव है, शासन से ही पुस्तकालय संरचना को विकसित करने की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। लेकिन शासन को अन्य अनेक कार्यों को वरीयता प्रदान करनी होती है। अतः पुस्तकालयों के विकास एवं स्थापना के लिए सीमित अर्थ स्रोत उपलब्ध हो पाता है।

किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली में लोगों को शिक्षित, संसूचित तथा प्रबुद्ध करना अनिवार्य है। इस कार्य के लिए पुस्तकालय सेवा की आवश्यकता होती है, जिसे ग्रामीण स्तरों तक सुलभ करना है। विद्यालय स्तर तक शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु अथक एवं विशद् प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक माँग एवं दबाव के कारण उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में भी पर्याप्त विस्तार हो रहा है। इससे शैक्षिक संस्थाओं में पुस्तकालय सुविधाओं एवं सेवाओं की व्यवस्था में वृद्धि हो रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, औद्योगिक उत्पादन, और आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में तीव्र विस्तार के परिणामस्वरूप न केवल विशिष्ट पुस्तकालयों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है बल्कि अनेक प्रकार की गहन सेवाओं का भी आयोजन करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा है। आज के सूचना समाज में ज्ञान और सूचना भण्डार के रूप में पुस्तकालयों को अपनी विशद् भूमिक का निर्वाह करना है।

सीमित साधनों के बावजूद भी पुस्तकालयों के विकास की दिशा में अनेक चुनौतियाँ और सुअवसर उत्पन्न हो रहे हैं। देश में पुस्तकालय सेवा की सुदृढ़ अवसंरचना को निर्मित करने के दायित्व को पूरा करने के लिए शासन, उपयोक्ता तथा पुस्तकालय व्यवसायियों एवं विशेषज्ञों को मिलकर पूर्ण प्रयास करना चाहिए।

4. नियोजन, कार्यक्रम, नीतियाँ

4.1 नियोजन एवं कार्यक्रमों की आवश्यकता

हमारे देश में पुस्तकालयों का संचालन एवं व्यवस्था विविध स्वामित्व एवं अधिक्षेत्रों के अनुसार की जा रही है। उनके विकास में सामान्यतया कोई उपयुक्त समन्वय नहीं है। पुस्तकालयों की धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं:

(i) ब्रिटिश शासन काल में पुस्तकालय सेवाओं की उपेक्षा;

(ii) स्वातंत्र्योत्तर भारत में संसाधनों का अभाव एवं बाधाएँ; तथा

(iii) पुस्तकालयों के विकास हेतु मात्र शासकीय धन पर निर्भरता।

अधिक संख्या में निरन्तर बढ़ रहे उपयोक्ताओं की माँग और उनकी तीव्र सूचना आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रणाली को सशक्त और अद्यतन बनाने और नवीन सुविधाओं को सुलभ करने के लिए निष्ठापूर्ण और सतत् प्रयास की आवश्यकता है। देश में पुस्तकालयों के विकास हेतु एकीकृत योजना की आवश्यकता है जिससे इनमें विद्यमान कमियों को दूर किया जा सके, अभावग्रस्त क्षेत्रों को सशक्त बनाया जा सके, और नवीन पुस्तकालय सेवाओं को सुलभ किया जा सके। साथ ही, उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग करने और अनावश्यक पुनरावृत्तियों को कम करने के लिए पुस्तकालयों के विकास की पद्धति को समन्वित करने की भी आवश्यकता है।

विकास वस्तुतः सुसंबद्ध और दूरगामी होना चाहिए जिसके लिए समुचित नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन की प्रक्रिया में राजनीतिक, वैधानिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक स्थिति एवं वास्तविकता को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। योजना के कार्यान्वयन के लिए कुशलतापूर्वक तैयार किए गए पूर्व निर्धारित कदम उठाए जाने चाहिए। कार्यक्रम का अर्थ है, किसी कौशल या उद्यम के कार्यान्वयन के लिए

NOTES

प्रयुक्त तालिकाबद्ध गतिविधियाँ या कार्य। इसके लिए विशेष प्रकार के नियोजन, बजट और संगठनात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साथ ही, विभिन्न स्तरों की सामान्य एवं विशिष्ट बातों के लिए कार्य पद्धति बनाने की भी आवश्यकता होती है। विविध प्रकार की कार्यपद्धतियों को सुनिश्चित तथा निर्धारित कर लेने से महती उद्देश्य की प्राप्ति संभव होती है।

भारत में पुस्तकालयों के विकास को दिशा प्रदान करने हेतु अनेक समितियों ने अपने प्रतिवेदनों में पुस्तकालयों की दशा में सुधार, नीति निर्धारण, एवं नियोजन की प्रक्रियाओं तथा कार्यक्रमों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की हैं जिनसे पुस्तकालयों के सुनियोजित विकास करने में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. भारत में पुस्तकालयों के क्रमबद्ध विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखए।

....

....

....

....

4.2 नीति-निर्धारण के प्रयास तथा पुस्तकालय नीतियाँ

नीति में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति का वक्तव्य और उसके प्रति प्रतिबद्धता का कथन होता है। हमारे परिप्रेक्ष्य में यह लक्ष्य पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है। कोई भी नीति राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरण एवं परिस्थितियों से प्रभावित होती है। अनेक देशों में पुस्तकालय नीति निर्धारित की गई है जिसमें सुनिश्चित दायित्वों एवं आश्वासनों के अनुसार पुस्तकालयों को विकसित तथा साधन सम्पन्न करने में सहायता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के कुछ निश्चित क्षेत्रों की नीतियाँ भी पुस्तकालयों के विकास पर अपना प्रभाव डालती हैं। भारत में पुस्तकालय सेवा से संबंधित विभिन्न मंचों के द्वारा सरकार से पूरे देश के लिए एक पुस्तकालय नीति घोषित करने की मांग जारी है। अंततः आशा की जा रही है कि हमारे देश में पुस्तकालय नीति शीघ्र ही लागू की जाएगी।

पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग ने 1985 में, पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति (NAPLIS: National Policy on Library and Information System) की एक रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय थे और वरिष्ठ पुस्तकालय वैज्ञानिकों एवं अन्य विशेषज्ञों को इस समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। समिति ने इस कार्य को पूर्ण कर अपने प्रतिवेदन को ड्राफ्ट डाक्युमेण्ट (Draft Document) के रूप में 31 मई, 1986 को सरकार को प्रस्तुत कर दिया।

इस प्रतिवेदन में पुस्तकालय एवं सूचना नीति के निम्नांकित उद्देश्यों की संस्तुति की गई है :

(i) राष्ट्रीय क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में सूचना के व्यवस्थापन, सुलभता एवं उपयोग को सभी उपयुक्त साधनों द्वारा प्रोत्साहित करना, उन्नत बनाना और प्रश्रय प्रदान करना;

(ii) वर्तमान पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों एवं सेवाओं को सक्रिय एवं उच्च स्तरीय बनाने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाना और सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम उपलब्धियों एवं विकासों का लाभ उठाते हुए राष्ट्रीय सूचना आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त एवं नवीन कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(iii) पुस्तकालय एवं सूचना कर्मियों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की व्यवस्था जिससे उनमें पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को उपलब्ध करने की पर्याप्त क्षमता उत्पन्न हो सके। साथ ही, राष्ट्र में उच्च स्तरीय विकास और गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए उनकी इन सेवाओं को महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्रदान करना;

(iv) पुस्तकालय एवं सूचना सुविधाओं एवं सेवाओं के तीव्रगामी विकास हेतु पर्याप्त निरीक्षणात्मक पद्धति स्थापित करना जिससे सभी क्षेत्रों एवं स्तरों की सूचना-आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

(v) ज्ञान के संग्रह और प्रसार में तथा बौद्धिक स्वतंत्रता के वातावरण में नवीन ज्ञान के अन्वेषण के लिए व्यक्तिगत प्रयासों और प्रतिभाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना;

(vi) ज्ञान के संग्रह तथा अर्जन एवं अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के लाभों को लोगों के लिए समान रूप से सुलभ करना; तथा

(vii) राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर तथा उसके बहुआयात्मक स्वरूप का परिरक्षण करना और उनसे लोगों को अवगत करना।

इस ड्राफ्ट डाक्युमेण्ट में 10 अध्याय हैं-जिनके नाम है : प्रस्तावना, उद्देश्य, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली, शैक्षिक पुस्तकालय प्रणाली, विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली तथा ग्रन्थात्मक सेवाएँ, जन-शक्ति विकास एवं व्यावसायिक दर्जा, पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण, सामान्य व्यावसायिक समस्याएँ तथा क्रियान्वयन एजेन्सियाँ, तथा वित्तीय सहायता। इस प्रलेख में पाँच परिशिष्ट हैं। प्रत्येक अध्याय में उद्देश्यों को निर्धारित कर कार्यरत पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों तथा सेवाओं के उन्नयन एवं समन्वयन के लिए और पुस्तकालय एवं सूचना सहायता की नित्य प्रति माँग की तीव्रता और वैविध्यंता की पूर्ति की दृष्टि से नवीन कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए उपयुक्त संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। क्रियान्वयन एजेन्सियों से संबंधित अध्याय में, पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Libraries and Information System) के गठन के लिए विशेष सिफारिश की गई है ताकि राष्ट्रीय नीतियों को क्रियान्वित किया जा सके।

भारत सरकार ने इस प्रलेख (नीति-प्रलेख) को क्रियान्वित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाया और नीति प्रलेख की संस्तुतियों के प्रभाव और अभिप्राय के परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए एक अधिकार संपन्न समिति (Empowered Committee) का गठन किया। इस समिति को यह निर्देश था कि इस प्रलेख के परीक्षण के बाद वह अपने निर्णयों से सरकार को अवगत कराए तथा सरकार के अनुमोदन के लिए उन्हें प्रस्तुत करें। समिति ने अपने कार्य को मार्च 1988 में पूरा करने के पश्चात् शासन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।

इस अधिकारसंपन्न समिति की संस्तुतियाँ निम्नांकित हैं :

- राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग (National Commission on Libraries) का गठन जो पुस्तकालय नीति के क्रियान्वयन तथा पुस्तकालयों के विकास में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह करे;
- अखिल भारतीय पुस्तकालय सेवा गठन;
- सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में केन्द्रीय सरकार की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता;
- सामाजिक शिक्षा, ग्रामीण विकास इत्यादि में संलग्न एजेन्सियों का सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास को समर्थन देने की आवश्यकता;
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों को शैक्षिक इकाइयों के रूप में और वरिष्ठ पुस्तकालय कर्मियों को शैक्षिक समुदाय के सदस्य के रूप मान्यता देना;

NOTES

- राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता को समृद्ध बनाना:
- राष्ट्रीय पुस्तकालय की एक प्रणाली विकसित करना।

पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति (NAPLIS) का प्रतिपादन तथा क्रियान्वयन देश में पुस्तकालयों के विकास की दिशा में अभिकल्पित कीर्तिमान हैं। यदि इस नीति की संस्तुतियों को भली-भाँति क्रियान्वित किया जाता है तो भारत में पुस्तकालय विकास के एक नये युग का सूत्रपात होगा। इसके परिणामस्वरूप पुस्तकालयों की कार्यक्षमता तथा उपलब्धियों में गुणात्मक विकास होगा।

पुस्तकालय एवं सूचना से संबंधित अन्य नीतियाँ

विश्व में सभी देशों में राष्ट्रीय (विज्ञान) सूचना प्रणाली लागू करने के लिए यूनेस्को (UNESCO) विगत अनेक वर्षों से अत्यधिक जोर दे रहा है। भारत में यूनेस्को ने इससे संबंधित अनेक क्षेत्रीय बैठकों और संगोष्ठियों का आयोजन किया है। भारत में नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एण्ड टेक्नालॉजी (NISSAT : National Information System for Science and Technology) यूनीसिस्ट/यूनेस्को (UNISIST/UNESCO) के कार्यक्रमों का केन्द्र है जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय सूचना नीति को संस्थापित करने के लिए में समुचित प्रयास करेगा। सोसाइटी फॉर इन्फॉर्मेशन साइन्स (Society for Information Science) ने भारत में राष्ट्रीय (विज्ञान) सूचना नीति को तैयार करने की दिशा में परिश्रम किया है। सितम्बर 1986 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य (साहित्य) सूचना नीति (National Health (Literature) Information Policy) से संबंधित एक ड्राफ्ट डॉक्युमेण्ट मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (Medical Library Association of India) द्वारा किया गया था। लेकिन इस प्रलेख नीति पर सरकार द्वारा अभी विचार नहीं हो पाया है।

4.3 पुस्तकालयों को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रों से संबंधित नीतियाँ

भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए अपनाई गई नीतियाँ भी पुस्तकालयों के विकास को प्रभावित करेंगी।

शिक्षा नीति (Education Policy) मई 1986 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education) के क्रियान्वयन की घोषणा की जिसमें पुस्तकालयों के लिए संक्षिप्त संस्तुति की गई हैं जो इस प्रकार है- "पुस्तकों के विकास के साथ ही कार्यरत पुस्तकालयों के उन्नयन और नवीन पुस्तकालयों की स्थापना के लिए देशव्यापी आंदोलन प्रारम्भ किया जाएगा। सभी शिक्षा संस्थाओं में पुस्तकालयों की सुविधाओं को सुलभ कराने का प्रावधान किया जाएगा और पुस्तकालयाध्यक्षों के पदभाव को भी समुन्नत किया जायेगा।" पुस्तकालय शिक्षा प्रणाली के केन्द्र स्थल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुस्तकालयों के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए था। लेकिन अगस्त 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य निष्पादन के कार्यक्रम (Programme of Action on National Policy on Education) के प्रलेख में शिक्षा संस्थाओं के पुस्तकालयों के विकास के केवल कुछ पक्षों पर ही विचार किया गया है।

पुस्तक नीति (Book Policy) भारत में सन् 1985 में राष्ट्रीय पुस्तक नीति तैयार की गई थी। इसमें पुस्तकों को कम कीमत में सुलभ करने, पुस्तकों की गुणवत्ता को सुधारने, बच्चों एवं अन्य विशेष समूहों के लिए पुस्तकें, पुस्तकों का उत्पादन इत्यादि समस्याओं पर विशेष जोर दिया गया है। इनका संबंध पुस्तकालयों में पठन-सामग्री के सबल संकलन का निर्माण करने से है।

विज्ञान नीति (Science Policy): सन् 1958 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान नीति संकल्प (Scientific Policy Resolution) को लागू किया गया। इसमें पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर अधिक जोर दिया गया है;

- "शैक्षणिक स्वतन्त्रता के वातावरण में ज्ञान को अर्जित तथा प्रसारित करने में व्यक्तिगत प्रयासों एवं क्रियाकलापों को प्रोत्साहन प्रदान करना"

- "वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति और अनुप्रयोग से उत्पन्न सभी लाभों को सामान्य रूप से देश के सभी लोगों को उपलब्ध कराना"

प्रौद्योगिकी नीति (Technology Policy) मार्च 1983 में प्रधानमन्त्री द्वारा घोषित प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य में प्रौद्योगिकीय सूचना के संग्रह एवं विश्लेषण हेतु प्रौद्योगिकी सूचना आधार की स्थापना किए जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

सूचना (संचार) नीति (Information [Communication] Policy) राष्ट्रीय सूचना नीति के विकास की पृष्ठभूमि (Background to Evolving a National Information Policy) नामक प्रलेख में इस बात को स्वीकार किया गया है कि वास्तविक प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए 'सूचना' अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें (वास्तविक प्रजातंत्र में) समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य मुद्दों के ऊपर नागरिकों को नवीन जानकारी अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। इस संबंध में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका स्पष्ट है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के आन्दोलन पर प्रकाश डालिए ।

....

....

....

....

5. पुस्तकालयों के संबंध में महत्वपूर्ण समितियों की संस्तुतियाँ

पुस्तकालयों के सुधार तथा विकास से संबंधित समस्याओं पर अंशतः अथवा पूर्णतः विचार करने के लिए अनेक स्तरों पर शासन द्वारा अनेक तदर्थ समितियों का गठन समय-समय पर किया जाता रहा है। इन समितियों ने तत्कालीन प्रणालियों की त्रुटियों का उल्लेख एवं मूल्यांकन आगामी आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में किया है और उनमें सुधार तथा उन्नयन लाने के लिए संस्तुतियों को प्रस्तावित किया है। शासन के द्वारा सभी समितियों के प्रतिवेदनों को सिद्धान्ततः स्वीकार भी किया है। परंतु समितियों की भूमिका मात्र परामर्शदायी होने के कारण उनकी संस्तुतियों को लागू करना शासन के लिए कोई बाध्यता नहीं रही है। फिर भी, इन समितियों द्वारा प्रकाश में लाई गयी समस्याओं के प्रति अभिरुचि पैदा हुई और नियमित नियोजन और कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से समुचित कदम उठाने में पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।

पुस्तकालयों के लिए गठित विभिन्न समितियों और आयोगों के कार्यों और संस्तुतियों के ऊपर ध्यान देना यहाँ आवश्यक है। केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय सभी समितियों अथवा आयोगों की समीक्षा करना यहाँ संभव नहीं, अतः कुछ महत्त्वपूर्ण समितियों की पुस्तकालयों से संबंधित संस्तुतियों की संक्षिप्त समीक्षा यहाँ दी गई है।

5.1 सार्वजनिक पुस्तकालय

(i) डॉ. रंगनाथन ने पुस्तकालय विकास योजना: तीस वर्षीय कार्यक्रम (Library Development Plan: A Thirty Year Programme) तैयार किया था जिसका पुस्तक रूप में प्रकाशन दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1950 में किया था। यद्यपि यह अधिकृत या सरकारी प्रलेख नहीं था फिर भी इसका उल्लेख यहाँ प्रतीत होता है। बाद में पुस्तकालय विकास की जितनी राष्ट्रीय स्तर की योजनाएँ तैयार की गईं उन सब के ऊपर डॉ. रंगनाथन द्वारा तैयार की गई रूपरेखा की न केवल छाप पड़ी है बल्कि उन्हें तैयार करने में इससे पर्याप्त सहायता भी प्राप्त हुई है।

NOTES

(ii) पुस्तकालय परामर्शदायी समिति का प्रतिवेदन (Report of the Advisory Committee for Libraries), जिसे सिन्हा समिति (Sinha Committee) के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्त्वपूर्ण प्रलेख है। इस प्रतिवेदन के माध्यम से देश में पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय विकास से संबंधित सभी समस्याओं पर विस्तृत और गंभीरतापूर्वक विचार किया गया और अनेक उपयोगी सिफारिशें की गईं। इस समिति ने नवम्बर 1958 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया था। एक अधिकृत प्रलेख के रूप में भारत सरकार द्वारा इसका प्रकाशन 1959 में किया गया। इस प्रतिवेदन में 9 अध्याय हैं-ऐतिहासिक स्थिति, वर्तमान स्थिति, पुस्तकालयों का स्वरूप, सहायक सेवाएँ तथा पुस्तकालय सहकारिता, पुस्तकालय कार्मिक, पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण, पुस्तकालय एवं सामाजिक शिक्षा, पुस्तकालय वित्त, प्रशासन। प्रत्येक अध्याय में सुस्पष्ट संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

सिन्हा समिति की प्रमुख संस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं :

- पंचायत, प्रखण्ड, जिला तथा राज्य स्तरों पर पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए तथा इनके कार्यों एवं नियन्त्रण की सीमा का निर्धारण करना चाहिए;
- सहायक सेवाओं के रूप में बुक ब्यूरो (Book Bureau) तथा मित्र मण्डल की स्थापना की जानी चाहिए;
- अन्तर-पुस्तकालय आदान-प्रदान सेवाओं की स्थापना की जानी चाहिए;
- पुस्तकालय कर्मियों के दायित्वों और पद्भाव का निर्धारण होना चाहिए;
- कार्यकौशल में प्रवीणता लाने के लिए पुस्तकालय कर्मियों को प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए;
- अन्य सामाजिक, शैक्षिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के साथ पुस्तकालयों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए। पुस्तकालयों के भवनों तथा रख-रखाव हेतु स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सम्पत्ति कर के ऊपर 6 पैसे प्रति रुपये की दर से पुस्तकालय अधिकर वसूल किया जाना चाहिए, और इस रीति से उगाही गई धनराशि के बराबर की धनराशि राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए;
- अनेक स्तरों पर पुस्तकालयों के वित्त का विनियोजन करने के लिए पुस्तकालय कोष स्थापित कर उसके निरीक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस पुस्तकालय परामर्शदायी समिति की मूल संस्तुतियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण थीं। लेकिन खेद इस बात का है कि इसकी अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियों को कार्यान्वित नहीं किया गया। परिणामत: देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की स्थिति बहुत पीछे रह गई है।

(iii) क्षेत्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की पहली सुविख्यात समिति, बम्बई की लाइब्रेरी डेवलपमेण्ट कमेटी, (1939-40 (Library Development Committee-Bom bay 1939-40) है जिसका गठन 1939 में किया गया था। इसके अध्यक्ष विख्यात विधि विशेषज्ञ श्री ए.ए.ए. फैजी (A.A.A. Fyzee) थे। यद्यपि इस समिति का क्षेत्र और उद्देश्य मात्र केन्द्रीय और क्षेत्रीय पुस्तकालयों की स्थापना करने की समस्या पर विचार करना था, तथापि इस समिति ने सभी प्रमुख बिन्दुओं पर विचार किया और तत्कालीन बम्बई राज्य में पुस्तकालयों को विकसित एवं स्थापित करने की छ: स्तरीय व्यवस्था की योजना का सुझाव प्रस्तुत किया। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में 1000 की जनसंख्या से कम वाले ग्रामों में भी पुस्तकालय सुविधा सुलभ कराने की संस्तुति की थी। समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों को लागू करना इतना खर्चीला माना गया कि तत्कालीन बम्बई सरकार षड्-स्तरीय पुस्तकालय विकास की संस्तुति को लागू नहीं कर पाई। फैजी समिति

की संस्तुतियों में से जिन्हें माना गया उनके अनुसार प्रथम एवं द्वितीय स्तरों पर एक केन्द्रीय पुस्तकालय, तीन क्षेत्रीय पुस्तकालयों, और 15 जनपद (जिला) पुस्तकालयों की स्थापना तत्कालीन बम्बई राज्य में की गई।

(iv) आन्ध्र प्रदेश में फरवरी 1976 में शासन द्वारा न्यायमूर्ति गोपालराव एकबोटे (Justice Gopal Rao Ekbote) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1960, की कार्यविधि की समीक्षा करना और उसमें आवश्यक संशोधन का सुझाव प्रस्तुत करना था। एकबोटे समिति ने अपने प्रतिवेदन को 1977 में प्रस्तुत किया। आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दीं। आंध्र प्रदेश शासन द्वारा एकबोटे समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार तो किया गया परन्तु उसकी संस्तुतियों को पूर्णतः लागू नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश शासन ने जुलाई 1978 में श्री ववीलला गोपालकृष्णैया (Vavilala Gopalkrishanayya) की अध्यक्षता में एक अन्य समिति गठित की। इस समिति के गठन का उद्देश्य था–सरकार द्वारा सहायता–प्राप्त गैर–सरकारी पुस्तकालयों की अवस्था में सुधार लाने के लिए तथा सरकार द्वारा उनकी आर्थिक सहायता की एक सुसंबद्ध पद्धति विकसित करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना। समिति ने अपना प्रतिवेदन नवंबर 1978 में प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में सहायता प्राप्त गैर–सरकारी पुस्तकालयों के श्रेणी–निर्धारण, आर्थिक अनुदान की विधि एवं दर, उनके निरीक्षण इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण मानकों और प्रक्रियाओं से संबंधित सुझाव दिए गए हैं। इस समिति की अधिकांश संस्तुतियों के राज्य सरकार ने सन् 1982 में स्वीकार कर लिया।

(v) 1974 में तमिलनाडु में श्री बी.एन. शुभरयण (B.N Shubharayan) की अध्यक्षता में पुस्तकालय पुनर्संगठन समिति (Library Reorganising Committce) का गठन किया गया। इस समिति ने अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ प्रस्तुत की जिनके परिणामस्वरूप जनपद पुस्तकालय प्रणाली (District Library System) की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सभी जनपदों के लिए पृथक्–पृथक पूर्णकालिक जनपद पुस्तकालय अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया गया। एक शासकीय समिति, जिसके अध्यक्ष श्री एस. श्रीनिवासन (S.Srinivasan) थे, ने शुभरयण समिति की संस्तुतियों के उद्देश्यों एवं परिणाम का परीक्षण किया और महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु नवम्बर 1978 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में परिवार हितकारी निधि (Family Benefit Fund), सेवानिवृत्ति निधि (Retirement Fund) तथा प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के लिए एकीकृत पुस्तकालय कार्मिकों की व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित सुझाव उल्लेखनीय हैं।

5.2 शैक्षिक पुस्तकालय

माध्यमिक शिक्षा आयोग (Secondary Education Commission-October 1952-June 1953), जिसके अध्यक्ष डॉ. ए.एल. मुदालियार (Dr. A.L. Mudaliar) थे, ने अपने प्रतिवेदन में विद्यालयों में पुस्तकालयों के महत्व पर प्रचुर प्रकाश डाला है। इस आयोग ने देश में विद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति को अत्यन्त शोचनीय बताया था। समिति ने बालवृन्दों की सामान्य विषयों की अध्ययन रुचि की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए विद्यालयों में उत्तम प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना किये जाने तथा उत्तम एवं प्रभावी सेवाओं के आयोजन को अत्यंत आवश्यक माना है। समिति ने इस बात का संकेत किया है कि व्यक्तिगत कार्य, सामूहिक परियोजनाओं के निष्पादन, शिक्षा प्राप्ति एवं ज्ञानार्जन की अभिरुचि तथा अध्ययन–अध्यापन के साथ चलने वाले अन्य कार्यों के लिए उपयुक्त एवं प्रभावकारी पुस्तकालय व्यवस्था तथा सेवाओं की अति आवश्यकता है। आयोग ने यह संस्तुति भी प्रमुख रूप से की कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष के आधीन एक केन्द्रीय पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए। प्रतिवेदन में यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि छोटे–छोटे स्थानों पर विद्यालय पुस्तकालय को इस प्रकार

स्थापित करना मितव्ययी सिद्ध होगा यदि वह पुस्तकालय स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में सेवाओं का आयोजन भी करता रहे।

NOTES

विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (University Education Commission, December 1948-August 1949) जिसके अध्यक्ष डॉ. एस. राधाकृष्णन (Dr. S. Radhakrishnan) थे, ने अपने प्रतिवेदन में पुस्तकालय को शिक्षा प्रणाली का केन्द्र कहा है और पुस्तकालयों की भूमिका एवं सेवाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इस आयोग ने कक्षा में कराई जाने वाली पढ़ाई के अनुपूरक के रूप में छात्रों द्वारा स्व-अध्ययन तथा पुस्तकालय के उपयोग के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में यह माना है कि ज्ञान की उच्चतर विधाओं का सफलतापूर्वक अध्ययन वही कर पाएगा जिसे पुस्तकालयों का और पुस्तकालयों में प्रयुक्त उपकरणों एवं विधियों का उपयोग करना आता हो। अत: पुस्तकालयों को भी चाहिए कि वे आवश्यक उपकरणों तथा विधियों इत्यादि का समुचित प्रावधान करें। प्रतिवेदन के निष्कर्ष में यह उल्लेख किया गया है कि पुस्तकालय के उपयोग की विधियों तथा सूचना की खोज के कौशल को सीखना अति आवश्यक है।

शिक्षा आयोग (Education Commission 1964-66), जिसके अध्यक्ष डॉ.डी.एस. कोठारी (Dr. D. S. Kothari) थे, ने अपने प्रतिवेदन एजुकेशन एण्ड नेशनल डेवलपमेण्ट (Education and National Developement) में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। स्व-अध्ययन में छात्रों की अभिरुचि को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए इस प्रतिवेदन में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया एवं प्रयास में छात्रों द्वारा पुस्तकों तथा अन्य प्रलेखों का उपयोग करने के कौशल तथा कला से सुपरिचित होने पर बल दिया है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों के उन्नयन तथा सुधार के लिए इस शिक्षा आयोग ने 11 उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए हैं।

शिक्षा आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा में भी पुस्तकालयों की महती भूमिका एवं योगदान पर प्रकाश डाला है और सार्वजनिक पुस्तकालयों का नेटवर्क स्थापित करने पर बल दिया है। आयोग ने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं प्रोत्साहन हेतु, विद्यालय पुस्तकालयों को सार्वजनिक पुस्तकालयों के साथ समन्वित करने का सुझाव भी दिया है।

डॉ. एस.आर. रंगनाथन (Dr.S.R. Ranganathan) की अध्यक्षता में यू जी सी द्वारा गठित पुस्तकालय समिति का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालयों के ऊपर आज तक का सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक प्रलेख है। सन् 1959 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC : University Grants Commission) ने इस प्रतिवेदन को यूनिवर्सिटी एण्ड कॉलेज लाइब्रेरिज़ (University and college Libraries) के रूप में प्रकाशित किया। इस प्रतिवेदन में, मार्च 4-7, 1957 में संपन्न एक संगोष्ठी, फ्राम पब्लिशर टू रीडर (From Publisher to Reader), की कार्यवाही भी दी गई है। इस प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की व्यवस्था तथा सेवाओं से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया गया है और इनसे संबंधित विस्तृत संस्तुतियों को सूत्रबद्ध किया गया है। इस समिति की संस्तुतियों का विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस समिति ने न केवल अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों की एक सुसंबद्ध पद्धति सुझाई, बल्कि पुस्तकालयों को प्रभावशाली बनाने के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों के लिए दिशा तथा मार्गदर्शन भी प्रदान किया। पुस्तकालयों की वित्तीय स्थिति से भी संबंधित एक प्रमुख संस्तुति इस समिति ने की है जिसका उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। इससे पुस्तकालयों को अपने विश्वविद्यालयों से पर्याप्त धनराशि वार्षिक रूप में प्राप्त करने में और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास हेतु अनुदान प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिली है। इस समिति के प्रतिवेदन में पुस्तकालय के विभिन्न कार्यों के आधार पर पुस्तकालय कार्मिकों की संख्या का भी निर्धारण किया गया है और इस कार्य के लिए एक परिसूत्र (Formula) भी दिया गया है।

डॉ. रंगनाथन द्वारा प्रदत्त कर्मचारी परिसूत्र (Staff-formula) ने विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए एक दिशा प्रदान की है। देश में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के सुसम्बद्ध विकास हेतु इस प्रतिवेदन में एक सशक्त रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

5.3 कृषि विज्ञान पुस्तकालय

कृषि विज्ञान से संबंधित पुस्तकालयों तथा प्रलेखन सेवाओं को समुन्नत बनाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR : Indian Council of Agricultural Research) ने पर्याप्त रुचि ली है। सन् 1957 में परिषद् ने डॉ. रल्फ शॉ (Dr. Ralph Shaw), जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विशिष्ट विशेषज्ञ थे, को कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए पुस्तकालय एवं ग्रन्थात्मक सेवाओं की आवश्यकता का अध्ययन कर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था। डॉ. शॉ ने डॉ.डी.बी. कृष्णा राव (Dr.D.B. Krishna Rao) के सह-लेखकत्व में पुस्तकालय एवं ग्रन्थात्मक सेवाओं (Library and Bibliographical Services) की आख्या से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) ने 1959 में प्रकाशित किया था। इस प्रतिवेदन के ऊपर सकारात्मक प्रतिक्रिया अवश्य हुई लेकिन इसकी अनेक संस्तुतियों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

सन् 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इन्डो-अमेरिकन एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी सर्वे एण्ड स्टडी टीम (Indo-American Agricultural Library Survey and Study Team) का गठन किया जिसके अध्यक्ष रॉकफेलर फाउन्डेशन (Rockefeller Foundation) के डॉ. डोरोथी पार्कर (Dr. Dorothy Parker) थे। इस दल के प्रतिवेदन को फाइनल रिपोर्ट ऑन दी आई सी ए आर इन्स्टीट्यूट्स एण्ड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरिज (Final Report of the ICAR Institutes and Agricultural University Libraries) की आख्या से 1959 में परिषद् द्वारा प्रकाशित किया गया। इस प्रतिवेदन में अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियों को प्रस्तुत किया गया है जिनमें राष्ट्रीय कृषि पुस्तकालय प्रणाली और प्रलेखन केन्द्रों को विकसित करने पर जोर दिया गया है और इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इण्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, तथा नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट (Indian Agricultural Research Institute, Indian Veterinary Research Institute and National Dairy Research Institute) को कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान, तथा दुग्धशाला विज्ञान के पृथक्-पृथक् राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कृषि सूचना की राष्ट्रीय प्रणाली की परमावश्यकता होते हुए और इस अध्ययन दल द्वारा संस्तुति किए जाने पर भी इसे कार्यान्वित नहीं किया गया।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति का वर्णन कीजिए ।

....

....

....

....

5.4 आयुर्विज्ञान पुस्तकालय

डॉ. जे. भोरे (J.Bhore) की अध्यक्षता में गठित हेल्थ सर्वे एण्ड डेवलपमेन्ट कमिटी (Health Survey and Development Committee) के प्रतिवेदन-जिसका प्रकाशन सन् 1946 में किया गया-के भाग 2 (संस्तुतियाँ) में आयुर्विज्ञान पुस्तकालयों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ दी गई हैं। इस समिति ने तत्कालीन आयुर्विज्ञान के पुस्तकालयों की स्थिति पर विचार किया और केन्द्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय

NOTES

की स्थापना के लिए सशक्त संस्तुति की। समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख भी किया कि डी जी एच एस (DGHS : Director General of Health Services) के पुस्तकालय के अतिरिक्त भारत के किसी भी आयुर्विज्ञान पुस्तकालय में 11,000 से अधिक पुस्तकें नहीं थीं। इस पुस्तकालय को कालान्तर में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय (National Medical Library) के रूप में नई दिल्ली में स्थापित किया गया।

भारत में आयुर्विज्ञान पुस्तकालयों के विषय में भोरे समिति के प्रतिवेदन के बहुत बाद दूसरा विस्तृत प्रतिवेदन किया गया जिसे शंकरन समिति (Sankaran Committee) प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। शंकरन समिति ने अपना प्रतिवेदन 1981 में प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रभावी पुस्तकालय एवं सूचना सेवा नेटवर्क को विकसित तथा स्थापित करने की संस्तुति की गई थी जिसके परिणामस्वरूप हेल्थ लाइब्रेरी एण्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज नेटवर्क (HELLIS : Health Library and Information Services Network) का विकास हुआ।

6. नियोजन एवं कार्यक्रमों के प्रयास

सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए देश में राष्ट्रीय योजनाओं का सूत्रपात किया गया। पंचवर्षीय योजनाएँ 1951 में प्रारम्भ की गई थीं। इनके माध्यम से देश में पर्याप्त सुधार तथा परिवर्तन लाए गए हैं। आधुनिकीकरण को अत्यधिक महत्व देते हुए देश 21 वीं सदी में प्रवेश कर चुका है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्रांति के नवीन आयामों की छाप स्पष्ट नजर आती है।

राष्ट्रीय योजनाओं में पुस्तकालयों के विकास की चर्चा एक उप-क्षेत्र के रूप में तथा अन्य क्षेत्रों या विषयों के अंतर्गत भी की गई है। राज्यों की योजनाओं में भी सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनके अतरिक्त, विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा भी अपने संगठन के पुस्तकालय के लिए योजना बनाई जाती है। इस प्रकार की अलग-अलग कार्यरत पुस्तकालय प्रणालियों को भी क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय स्तर पर एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है।

6.1 राष्ट्रीय नियोजन

देश में प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में हुई पुस्तकालयों की प्रगति का संक्षिप्त विवरण सारणी 1 और 2 में दिया गया है। इन सारणियों के तीन तीन स्तम्भों (Columns) में पंचवर्षीय योजनाओं, वित्तीय प्रावधान तथा योजना के अंत तक की प्रगति एवं कार्यान्वयन को स्पष्ट किया गया है। सारणी 1 में पुस्तकालयों के विकास को एक उप-क्षेत्र (sub-sector) के रूप में दर्शाया गया है एवं सारणी 2 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित पुस्तकालय प्रणालियों के विकास की स्थिति को दर्शाया गया है।

सारणी 1 : विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत पुस्तकालयों का विकास

पंचवर्षीय योजनाएँ एवं वित्तीय प्रावधान	प्रस्तावित विकास	क्रियान्यन की स्थिति
प्रथम 1951-56 1 करोड़ रुपया +	सार्वजनिक पुस्तकालयों का नेटवर्क, जनपद एवं राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों को जोड़ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण पुस्तकालयों को स्थापित करने का प्रयास । पुस्तक प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधि नियम 1954/56 का क्रियान्वयन	1952 में यह योजना लागू की गयी, नौ राज्यों ने अपने राज्य में केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की योजना तैयार की, कुछ राज्यों में जनपद पुस्तकालयों के स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में तथा तीन

	(Enactment of the Delivery of Books (Public Libraries Act) 1954/1956)	निक्षेप पुस्तकालय कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित किए गए।
द्वितीय 1956-61	केन्द्रीय, राज्य एवं जनपद पुस्तकालयों का राष्ट्रीय नेटवर्क।	विकास के अल्प क्रियाकलाप
तृतीय 1961-66	विगत दो योजनाओं के कार्यक्रमों को जारी रखा गया और किसी विशेष प्रकार की स्थिति पर ज़ोर दिया गया।	16 राज्यों में से 12 राज्यों में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों की स्थापना की गयी; 9 केन्द्रीय शासित क्षेत्रों में से 5 में केन्द्रीय पुस्तकालय संस्थापित हुए; 327 जिलों में से 203 में जनपद पुस्तकालयों को स्थापित किया गया; 27% प्रखण्डों में प्रखण्ड पुस्तकालयों को स्थापित किया गया।
चतुर्थ 1966-71 30.99 करोड़ रुपए	योजना आयोग द्वारा पुस्तकालय विकास के लिए एक कार्यकारी दल की नियुक्ति, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना के लिए चरणबद्ध एवं समन्वित कार्यक्रम की योजना, पुस्तकालय को एक उप-क्षेत्र के रूप में मान्यता।	पुस्तकालय विकास के कार्यकारी दल द्वारा निर्धारित एवं सुनिश्चित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुसंगत का अभाव।

6.2 आंचलिक नियोजन

सारणी 2 : अष्टम एवं नवम पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालयों का विकास

आंचलिक योजनाएँ अनुमानित धनराशि : करोड़ रुपए में	प्रस्तावित विकास	क्रियान्वयन की स्थिति
अष्टम योजना 1990-95 सभी अंचलों के लिए अनुमानित धनराशि 1942 करोड़ रुपए	**प्रमुख वरीयता:** पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना; पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली नीति का विकास एवं निर्धारण	संस्तुति का क्रियान्वयन या तो नहीं किया गया अथवा क्रियान्वयन हेतु अल्पतम प्रयास किया गया।
रु. 450 करोड़	सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली तथा ग्राम पंचायत पुस्तकालय	वही
रु. 360 करोड़	शैक्षिक पुस्तकालय	वही
रु. 280 करोड़	विशिष्ट पुस्तकालय एवं	वही
रु. 270 करोड़	राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं ग्रन्थसूची प्रणाली	
रु. 5,00 करोड़	पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय आयोग	वही

NOTES

रु. 41 करोड़	विविध	वही
रु. 535 करोड़	सूचना विज्ञान (निस्सात सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय सूचना सेवा, निकनेट, इंफ्लिबनेट तथा भारतीय सूचना विज्ञान संस्थान)	वही
संपूर्ण योग 1942 करोड़		
नवम योजना 1997-2002	वरीयताएँ : पुस्तकालय को संगामी सूची (कंकरेंट लिस्ट) में सम्मिलित करना, सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालयों का आधुनिकीरण, नेटवर्क राष्ट्रीय एवं सिटी डेटाबेस, सूचना प्राद्यौगिकी का अनुप्रयोग, भारतीय धरोहर का संरक्षण, सामाजिक क्रियाकलापों के समन्वय, निरीक्षण तथा वर्तमान प्रणालियों की समीक्षा के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना आधुनिकी-करण प्रक्रिया का निरीक्षण, डेटा बैंक का विकास, मानव संसाधनों के विकास के लिए मार्गदर्शिका तैयार करना, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के लिए संस्कृति विभाग के अधीन एक ब्यूरो की स्थापना, पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं का एक अखिल भारतीय संवर्ग सेवा का गठन।	प्रयास जारी है
सभी अचंलों हेतु अनुमान		
रु. 2444 करोड़		
रु. 400 करोड़	सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली	
रु. 700	शैक्षिक पुस्तकालय प्रणाली	
रु. 400 करोड़	विशिष्ट पुस्तकालय (प्रौद्योगिकी, राजकीय, कला, संस्कृति एवं मानविकी)	
रु. 525 करोड़	राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली	

रु. 310 करोड़	सूचना विज्ञान (निस्सात, निकनेट, इंफ्लिबनेट, डेलनेट, सिटी नेटवर्क, दुर्लभ पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों का राष्ट्रीय मिशन)	
रु. 5.00 करोड़	पुस्तकालय प्रणालियों लिए एक शीर्षस्थ निकाय	
रु. 52 करोड़	जनशक्ति विकास, अनुसन्धान एवं विकास (R&D) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान	
रु. 52 करोड़	अन्य क्रियाकलाप	

यह प्रसन्नता की बात है कि योजना आयोग इस दिशा में प्रयास कर रहा है और कार्यकारी दल ने अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतिओं को प्रस्तुत किया है। परन्तु इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि योजना आयोग ने इन संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है या इसके लिए वांछित धनराशि का प्रावधान किया है। केन्द्र एवं राज्यों और अन्य क्षेत्रों में अनेक ऐसी एजेन्सियाँ हैं जिनका पुस्तकालयों के विकास के प्रति पूर्ण दायित्व है। अत: पुस्तकालयों के विकास के लिए पर्याप्त अर्थव्यवस्था को सुव्यस्थित एवं समन्वित ढंग से वितरित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह आशा की जाती है कि कार्यकारी दल द्वारा की गई वित्तीय निवेश की संस्तुतियों को लागू करने पर आगामी में ध्यान दिया जाएगा।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. सिन्हा समिति की प्रमुख संस्तुतियों का उल्लेख कीजिए ।

....

....

....

....

7. योजनाओं एवं कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालय विकास का मूल्यांकन

7.1 वर्तमान स्थिति

अब तक बनी योजनाओं एवं आयोजित कार्यक्रमों से देश में समुचित पुस्तकालय सेवाओं की नींव डालने में नि:सन्देह पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है। अनेक समितियों एवं आयोगों की संस्तुतियों से भी इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने हेतु एक दिशा प्राप्त हुई है। लेकिन समग्र दृष्टि से विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तकालय विकास की गति मन्द रही है। संभवत: अपर्याप्त वित्तीय प्रावधान इन योजनाओं और कार्यक्रमों की मांग के अनुरूप पर्याप्त वित्त व्यवस्था नहीं होने के कारण पुस्तकालय विकास की आवश्यकता को वरीयता प्रदान नहीं की जाती है। यदि पुस्तकालयों के विकास एवं स्थापना को संगामी विषय (Concurrent subject) मान लिया जाय तो विकास की दिशा पर स्वत: अधिक ध्यान दिया जाएगा।

NOTES

विद्यालय पुस्तकालयों की आवश्यकता अत्यधिक है। इनकी उपेक्षा उचित नहीं। परंतु इस दिशा में समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

पुस्तकालय नेटवर्क की परमावश्यकता होने पर भी, और इससे संबंधित अनेक प्रयास किए जाने पर भी, इस दिशा में प्रगति मन्द और अवरुद्ध रही है। सूचना प्रौद्योगिकी (IT : Information Technology) के कारण परम्परागत पुस्तकालयों की कार्य पद्धतियाँ अप्रचलित एवं अव्यावहारिक सिद्ध होने लगी हैं अत: उनके लिए उपयुक्त जनशक्ति के विकास की ओर-ध्यान देने की आवश्यकता है।

7.2 भविष्य हेतु निर्देशन एवं दिशाएँ

सम्पूर्ण पुस्तकालय संरचना और स्वरूप को आधुनिकीकरण के माध्यम से पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अत: पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण आवश्यक है। अन्यों के साथ प्रतिस्पर्धा में ठहरने के लिए पुस्तकालयों को कम्प्यूटर, संचार तथा मल्टी मीडिया का उपयोग कर अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में आमूल-चूल परिवर्तन लाना होगा।

देश के पुस्तकालय संसाधनों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना, राष्ट्रीय ग्रंथात्मक डेटाबेसों को निर्मित करना, सूचना को पूर्ण पाठ के रूप में सुलभ करना, ऐसी व्यावसायिक क्षमता उन्नत करना जिससे नवीन स्थिति का सामना किया जा सके, इत्यादि कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनसे पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों को स्तरीय बनाया जा सकता है। नवीन पंचवर्षीय योजना में इन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है और यदि उन्हें कार्यान्वित किया गया तो पुस्तकालय विकास की दिशा में अपेक्षित सफलता अवश्य प्राप्त होगी।

8. सार-संक्षेप

इस अध्याय में भारत में पुस्तकालयों के सुनियोजित विकास के लिए किए गये प्रयासों का वर्णन किया गया है। देश में पुस्तकालय आंदोलन की प्रगति का अवलोकन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि पुस्तकालय विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसका महत्व भी बड़ा व्यापक है। सुव्यवस्थित एवं वांछित विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन तथा कार्यक्रम के प्रयास अति आवश्यक होते हैं। सभी क्षेत्रों एवं स्तरों के लोगों के लिए पुस्तकालय नीति भी अति आवश्यक है। पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ अधिक प्रयत्नशील रही हैं और योजनाओं में इसके लिए समुचित प्रावधान भी किया जाता रहा है। यदि उन प्रावधानों का कार्यान्वयन पूर्णत: किया जाये तो वांछित सफलता अवश्य प्राप्त होगी।

9. स्व-प्रगति प्रीरीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. भारत में पुस्तकालयों के क्रमबद्ध विकास का प्रारंभ सन् 1947 के पश्चात् हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता की स्थापना तथा उसका विकास, सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रणाली की स्थापना करने के लिए कुछ राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करना, पर्याप्त संख्या में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयीन पुस्तकालयों का विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, कृषि विज्ञान, सामाजिक विज्ञानों एवं मानविकी के विषय क्षेत्रों में विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों की वृद्धि एवं विकास विगत 50 वर्षों की अवधि कीर्तिमान उपलब्धियाँ हैं। यद्यपि वह विकास प्रभावकारी अवश्य प्रतीत होता है, तथापि हमारे समाजिक-आर्थिक विकास, उच्च और तकनीकी शिक्षा, उच्च स्तरीय औद्योगिक उत्पादकता, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगकी के अनुसंधान एवं विकास हेतु ज्ञान तथा विविध प्रकार की सूचना की निरन्तर बढ़ती हुई माँग की पूर्ति की दृष्टि से यह अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। इससे यह आभास होता है कि इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजनाओं तथा

कार्यक्रमों की गतिविधियों एवं कार्यों को एक राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना नीति के आधार पर एकीकृत करने की आवश्यकता है।

पुस्तकालय में संबंधित नीतियों की चर्चा करते हुए भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिपादन पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति (NAPLIS: National Policy on Library and Information System) की संस्तुतियों का सारांश यहाँ दिया गया है। इस नीति प्रलेख में सभी प्रकार के पुस्तकालयों तथा सूचना प्रणालियों के विकास का एक एकीकृत एवं सम्मिलिखित स्वरूप निर्धारित किया गया है। इस प्रयास के प्रतिफल के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग (National Commission on Library) के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। अन्य क्षेत्रों, जैसे- शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सूचना के ऊपर राष्ट्रीय नीतियाँ भी देश में पुस्तकालयों के विकास से जुड़ी हुई हैं।

2. ऐसा माना जाता है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास का आन्दोलन 1906 में प्रारम्भ हुआ अब तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासन सयाजी राव गायकवाड ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का बीजारोपण किया था। लेकिन इस प्रयास से बाद इस विकास की गति उतनी तेज नहीं रही। स्वतन्त्रता के पूर्व मात्र कुछ गिने-चुने राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों (State Central Libraries) एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्थापित किया जा सकता था और विकास की गति भी अत्यंत धीमी थी। अब तक पुस्तकालय अधिनियम दस राज्यों में लागू किया जा सका है- तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, केरल, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम तथा गोवा। इन राज्यों ने सार्वजनिक पुस्तकालयों का नेटवर्क ग्रामीण स्तर तक स्थापित किया है। कुछ राज्यों, जैसे- गुजरात में पुस्तकालय अधिनियम लागू न होने पर भी सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली स्थापित की गई है। अन्य राज्यों में भी सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना तथा विकास के लिए पर्याप्त ध्यान की परमावश्यकता है।

3. **पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति–** भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग ने 1985 में, पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति (NAPLIS: National Policy on Library and Information System) की एक रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय थे और वरिष्ठ पुस्तकालय वैज्ञानिकों एवं अन्य विशेषज्ञों को इस समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। समिति ने इस कार्य को पूर्ण कर अपने प्रतिवेदन को ड्राफ्ट डाक्युमेण्ट (Draft Document) के रूप में 31 मई, 1986 को सरकार को प्रस्तुत कर दिया।

इस प्रतिवेदन में पुस्तकालय एवं सूचना नीति के निम्नांकित उद्देश्यों की संस्तुति की गई है :

(i) राष्ट्रीय क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में सूचना के व्यवस्थापन, सुलभता एवं उपयोग को सभी उपयुक्त साधनों द्वारा प्रोत्साहित करना, उन्नत बनाना और प्रश्रय प्रदान करना;

(ii) वर्तमान पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों एवं सेवाओं को सक्रिय एवं उच्च स्तरीय बनाने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाना और सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम उपलब्धियों एवं विकासों का लाभ उठाते हुए राष्ट्रीय सूचना आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त एवं नवीन कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(iii) पुस्तकालय एवं सूचना कर्मियों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की व्यवस्था जिससे उनमें पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं को उपलब्ध करने की पर्याप्त क्षमता उत्पन्न हो सके। साथ ही, राष्ट्र में उच्च स्तरीय विकास और गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए उनकी इन सेवाओं को महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्रदान करना;

NOTES

(iv) पुस्तकालय एवं सूचना सुविधाओं एवं सेवाओं के तीव्रगामी विकास हेतु पर्याप्त निरीक्षणात्मक पद्धति स्थापित करना जिससे सभी क्षेत्रों एवं स्तरों की सूचना-आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

(v) ज्ञान के संग्रह और प्रसार में तथा बौद्धिक स्वतंत्रता के वातावरण में नवीन ज्ञान के अन्वेषण के लिए व्यक्तिगत प्रयासों और प्रतिभाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना;

(vi) ज्ञान के संग्रह तथा अर्जन एवं अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के लाभों को लोगों के लिए समान रूप से सुलभ करना; तथा

(vii) राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर तथा उसके बहुआयात्मक स्वरूप का परिरक्षण करना और उनसे लोगों को अवगत करना।

4. सिन्हा समिति की प्रमुख संस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं :

- पंचायत, प्रखण्ड, जिला तथा राज्य स्तरों पर पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए तथा इनके कार्यों एवं नियन्त्रण की सीमा का निर्धारण करना चाहिए;
- सहायक सेवाओं के रूप में बुक ब्यूरो (Book Bureau) तथा मित्र मण्डल की स्थापना की जानी चाहिए;
- अन्तर-पुस्तकालय आदान-प्रदान सेवाओं की स्थापना की जानी चाहिए;
- पुस्तकालय कर्मियों के दायित्वों और पद्भाव का निर्धारण होना चाहिए;
- कार्यकौशल में प्रवीणता लाने के लिए पुस्तकालय कर्मियों को प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए;
- अन्य सामाजिक, शैक्षिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के साथ पुस्तकालयों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए। पुस्तकालयों के भवनों तथा रख-रखाव हेतु स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सम्पत्ति कर के ऊपर 6 पैसे प्रति रुपये की दर से पुस्तकालय अधिकर वसूल किया जाना चाहिए, और इस रीति से उगाही गई धनराशि के बराबर की धनराशि राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए;
- अनेक स्तरों पर पुस्तकालयों के वित्त का विनियोजन करने के लिए पुस्तकालय कोष स्थापित कर उसके निरीक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

10. मुख्य शब्द

अंचल (Sector)	:	किसी विषय/अनुशासन/मिशन से संबंधित व्यापक एवं विस्तृत क्रियाकलाप के क्षेत्र।
कार्यक्रम (Programme)	:	किसी कार्यशैली के कार्यान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली निर्धारित गतिविधियों तथा लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में किये जाने वाले व्यवहार कुशल कार्य।
नियोजन (Planning)	:	किसी कार्य के निष्पादन के लिए प्रतिपादित पद्धति अथवा किसी कार्य एवं उद्देश्य को सोचने-विचारने की एक विधि। योजना, परियोजना, नियोजन, अभिकल्प-रूपरेखा ये सारे शब्द प्राय: एक पर्यायवाची पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

नीति (Policy) : किसी सामान्य कार्य पद्धति के लिए प्रतिबद्धता एवं आश्वासन का ऐसा वक्तव्य जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक और सहायक हो।

नेटवर्क (Network) : सामान्य उद्देश्य के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ी परस्पर सक्रियात्मक इकाइयों की प्रणाली।

युक्ति (Strategy) : अनेक विकल्पों में से चुनी गई एक पूर्व-निर्धारित कार्य पद्धति।

संसाधनों की सहभागिता (Resource Sharing) : किसी प्रणाली के संसाधनों, सुविधाओं एवं सेवाओं के उपयोग को औपचारिक अथवा अनौपचारिक अनुबंध के आधार पर सहभागिता के माध्यम से अधिकाधिक बढ़ाना और उपादेय बनाना।

11. अभ्यास-प्रश्न

1. भारत में पुस्तकालयों के विकास हेतु चले आन्दोलन की समीक्षा कीजिए।
2. पुस्तकालयों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण समितियों की संस्तुतियों का वर्णन कीजिए ?
3. कृषि विज्ञान पुस्तकालयों के विकास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
4. भारत में प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में हुई पुस्तकालयों की प्रगति का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
5. भारत में विविध योजनाओं एवं कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालयों के विकास का मूल्यांकन कीजिए।

12. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

India. Ministry of Education and Youth Affairs. (1959). Report of Advisory Committee for Libraries. Delhi: Manager of Publications.

India.Ministry of Human Resource Development Department of Culture (1986). National Policy on Library and Information System-A Presentation. New Delhi.

Planning Commission (1966). Report of theWorking Group on Libraries, New Delhi.

Planning Commission (1984). Report of the Working Group on Modernisation of Libraries and Information for the Seventh Five Year Plan 1885-90, New Delhi.

Rajagopalan T.S (1988). Year's Work in Indian Librarianhip. Delhi : Indian Library Association.

Report of the Working Group of Planning Commission on Libraries and Informatics for the Eighth Five Year Plan 1990-95 (1989). New Delhi : Department of Culture

Report of the Working Group of Planning Commission on Libraries and Informatics for the Ninth Five Year Plan 1997-2002. (1996). New Delhi : Department of Culture.

NOTES

University Grants Commission (1959). University and College Libraries, Containing the Report of the Library Committee of the UGC and the Proceedings of the Seminar on From Publisher to Reader held on March 4-7 1957, UGC, New Delhi.

अग्रवाल, एस.डी. (1996)। ग्रन्थालय और समाज। आर.बी.एस.ए.।

व्यास, एस.डी. (1995) पुस्तकालय और समाज। जयपुर : पंचशील।

शर्मा, पाण्डेय एस.के. (1998)। पुस्तकालय और समाज। नई दिल्ली : ग्रन्थ अकादमी।

अध्याय-5

राष्ट्रीय पुस्तकालय : उनके कार्य : भारत, यू के और यू एस ए के राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विवरणात्मक अध्ययन

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. राष्ट्रीय पुस्तकालय की विचारधारा
   3.1 ऐतिहासिक परिदृश्य
   3.2 राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव
   3.3 राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा
   3.4 राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य तथा कार्य
4. राष्ट्रीय पुस्तकालयों के प्रकार
5. कुछ राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विवरणात्मक अध्ययन
   5.1 भारत का राष्ट्रीय, पुस्तकालय, कलकत्ता
   5.2 दि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस
   5.3 दि ब्रिटिश लाइब्रेरी
6. सार-संक्षेप
7. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
8. अभ्यास-प्रश्न
9. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्याय में राष्ट्रीय पुस्तकालयों, उनके उद्देश्यों, कार्यों तथा गतिविधियों से आपका परिचय कराया जा रहा है। साथ ही इस अध्याय में इनके उद्भव का ऐतिहासिक खाका प्रस्तुत किया गया है और केस अध्ययन के रूप में भारत, यू के तथा यू एस ए के राष्ट्रीय पुस्तकालयों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है।

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे :

- राष्ट्रीय पुस्तकालयों के उद्भव और प्रादुर्भाव की रूपरेखा प्रस्तुत करने में;
- उनके विकास का वर्णन करने में;
- उनके उद्देश्यों, कार्यों और गतिविधियों की विवेचना करने में;
- विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के विकास की व्याख्या करने में; और
- भारत, यू के और यू एस ए के राष्ट्रीय पुस्तकालयों का संक्षिप्त विवरण उपस्थित करने में।

2. परिचय

राष्ट्रीय पुस्तकालयों की विचारधारा अपेक्षाकृत एक नवीन विचारधारा है। इनका प्रादुर्भाव और विकास हाल की कुछ शताब्दियों में ही हुआ। इनके जन्म तथा विकास में औद्योगिक रूप से विकसित पाश्चात्य देशों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि, राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी-न-किसी रूप में पिछली अनेक शताब्दियों से अनेक देशों में मौजूद थे, परन्तु राष्ट्रीय पुस्तकालयों के आधुनिक स्वरूप का उद्भव और विकास यूरोप के नवजागरण तथा सुधारवादी आंदोलनों के फलस्वरूप हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों तथा उद्योग, व्यापार, परिवहन और संचार के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोग के कारण राष्ट्रीय पुस्तकालयों के विकास को गति मिली।

इस अध्याय में हम राष्ट्रीय पुस्तकालयों के उद्भव और विकास का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इनके उद्देश्यों, कार्यों और गतिविधियों के ऊपर विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय मंचों पर बहसें और चर्चाएँ होती रही हैं। यद्यपि, इन बहसों और चर्चाओं के बावजूद भी राष्ट्रीय पुस्तकालयों की कोई सर्व-सम्मत परिभाषा नहीं बन पाई है; परन्तु इनके आधार पर राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कुछ उद्देश्यों, कार्यों और गतिविधयों का निर्धारण किया जा सकता है और उन पर आम-राय बनाई जा सकती है।

कुछ दशकों से राष्ट्रीय पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास की दिशा में एक नया आयाम जुड़ा है। यह है, विभिन्न प्रकार के विषयों (जैसे, आयुर्विज्ञान), कार्यों (जैसे, आदान-प्रदान), उपयोक्ता-समुदाय (जैसे दृष्टिहीन) और सामग्रियों (जैसे, समाचार पत्र) के लिए पृथक् और विशेषज्ञता युक्त राष्ट्रीय पुस्तकालयों की आवश्यकता। इस अध्याय के एक अनुभाग में इसकी संक्षिप्त चर्चा की गई है।

आज, विश्व के लगभग प्रत्येक देश में उसका अपना राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित हो चुका है। केस अध्ययन के रूप में इस अध्याय में भारत, यू के और यू एस ए के राष्ट्रीय पुस्तकालयों की चर्चा की गई है। इन सारे महान् राष्ट्रीय पुस्तकालयों के बीच अनेक समानताएँ हैं, परन्तु इन सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ भी हैं। इन पुस्तकालयों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इनके विकास, विगत कुछ दशकों में इनकी उपलब्धियों और इनकी भविष्य की योजनाओं का विवरण देने के लिए अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। इस अध्याय में हमने इन पुस्तकालयों की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डाला है।

3. राष्ट्रीय पुस्तकालय की विचारधारा

औद्योगिक रूप से सुविकसित कुछ पाश्चात्य देशों में पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तकालय की विचारधारा और इसके वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ। इन पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास के

ऊपर संबंधित देशों के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास की स्पष्ट छाप नजर आती है। पिछली अर्द्धशती में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के न केवल आकार और संख्या में ही वृद्धि हुई है, बल्कि इनका बहुआयात्मक विस्तार भी हुआ है। राष्ट्रीय पुस्तकालयों के बीच नेटवर्क के विकास की प्रवृत्ति इसका एक उदाहरण है। आज, कुछ देशों में विविध विषयों, जैसे-आयुर्विज्ञान, कृषि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और कुछ व्यावसायिक सेवाओं, जैसे-प्रलेख आपूर्ति और राष्ट्रीय ग्रंथसूचियों के संकलन एवं प्रकाशन से संबंधित राष्ट्रीय-विषय-पुस्तकालयों की स्थापना हो चुकी है।

3.1 ऐतिहासिक परिदृश्य

पुस्तकालय तभी से अस्तित्व में आ गए थे जब से मानव जाति ने घटनाओं, गतिविधियों और उपलब्धियों का अभिलेख रखना प्रारंभ किया था- यद्यपि उस समय के पुस्तकालयों का स्वरूप आज के पुस्तकालयों से सर्वथा भिन्न था। उदाहरणस्वरूप, प्राचीन काल के पुस्तकालयों में अभिलेख निम्नलिखित माध्यमों पर रखे जाते थे (अन्य शब्दों में, निम्नलिखित प्रकार के पुस्तकालय पाए जाते थे):

- क्ले टेबलेट (Clay tablets) (असीरिया और बेबीलोनिया में);
- पपीरस (Papyrus) (इजिप्ट में);
- वेलम/पार्चमेंट (Vellum/Parchment) तथा काष्ठ बोर्ड (मध्यकालीन यूरोप में);
- हस्त-निर्मित कागज (चीन और भारत में);
- ताड़-पत्र (Palm leaves), भूर्ज छाल (Birch barks), रेशमी कपड़ा, ताम्र-पत्र इत्यादि (भारत में); तथा
- हड्डी और कागज (जैसे, चीन में)।

इन माध्यमों पर अभिलेख तैयार करना न केवल समयलेवा, बल्कि खर्चीला भी था। इसलिए, इन अभिलेखों के पुस्तकालयों की स्थापना केवल सम्राटों और धन-सम्पन्न धार्मिक संस्थाओं द्वारा ही की जा सकती थी। कागज-निर्माण की कला के विकास तथा पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोप में मुद्रण-प्रेस के आविष्कार के फलस्वरूप पुस्तकों (जैसा आज उनका स्वरूप है) का प्रकाशन संभव हुआ। इस प्रकार, इन अभिलेखों के पुस्तकालयों के साथ-साथ कागज पर मुद्रित पुस्तकों के पुस्तकालयों का विकास प्रारंभ हुआ। यूरोप में हुए नवजागरण और सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप जनजीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इन दोनों आंदोलनों ने लोगों को बौद्धिक, प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों में आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप, नवीन आविष्कृत देशों, उनके निवासियों तथा उनसे प्राप्त नवीन ज्ञान को उजागर करने के लिए विपुल मात्रा में पुस्तकें लिखी गईं। धीरे-धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों को स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस प्रकार, विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के लाभार्थ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों का प्रादुर्भाव हुआ। वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों, शिक्षा की उदारवादी विचारधारा, शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने की चाह, प्रजातंत्र की राजनीतिक विचारधारा इत्यादि कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने जन-सामान्य के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वैज्ञानिकों, तकनीशियनों तथा अन्य विशेषज्ञों के लिए विशिष्ट पुस्तकालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3.2 राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव

पुस्तकालयों के पूर्वोल्लिखित प्रकारों के साथ-साथ, इनसे भिन्न एक अन्य प्रकार के पुस्तकालयों का प्रादुर्भाव भी अनेक देशों में हुआ। इस कोटि के पुस्तकालयों का उद्गम, मूलरूप से, किसी पूर्वस्थापित शाही या सांस्थानिक पुस्तकालय से हुआ। बिब्लियोथेक नेशनेल डी फ्रांस (Bibliotheque National de France) जो फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है; ग्रेट ब्रिट्रेन के ब्रिटिश म्युजियम (British Museum) जिसे आज हम दि ब्रिटिश लाइब्रेरी (The British Library) के नाम से जानते हैं; और संयुक्त राज्य के लाइब्रेरी

NOTES

ऑफ कांग्रेस (Library of Congress) का जन्म या उद्गम इसी प्रकार हुआ। हाल की शताब्दियों में इन राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्यों और सेवाओं का और अधिक विकास और विस्तार हुआ है।

राष्ट्रीय पुस्तकालयों का एक प्रारंभिक अभिलक्षण यह है कि ये अपने-अपने देश में केन्द्रीय महत्व के पुस्तकालय के रूप में स्थापित किए गए थे। इन्हें अपने देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने का सौभाग्य और विशेषाधिकार प्राप्त था। इनके पास विदेश में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद के लिए अकूत धन, पुस्तकों को रखने के लिए प्रचुर स्थान तथा प्रकाशनों के प्रक्रियाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध थे। ये देश की राजधानी में स्थित थे। देश की बौद्धिक तथा सांस्कृतिक धरोहर के परिरक्षण, सुरक्षा, स्थायित्व तथा संरक्षण के लिए इनकी स्थापना की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करना नहीं था। इनका पुस्तक-संग्रह मुख्य रूप से कला, साहित्य, दर्शन, धर्म तथा सामाजिक विज्ञान के एक-दो विषयों के ऊपर था। उस समय विज्ञान-संबंधी तथा तकनीकी विषयों के ऊपर अधिक पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी। मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विद्वान, जो इन पुस्तकालयों में दीर्घ-समय बिता सकते थे, ही इन पुस्तकालयों का उपयोग करते थे। बीसवीं शताब्दी के आगमन के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय प्रमुखता में आए। न्यूटन, रोएंगटेन, पियेरे तथा मेरी क्यूरी (Newton, Roentgen, Pierre, and Marie Curie) और इनके जैसे अन्य अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं के शोध कार्यों ने वैज्ञानिक शोध के बाढ़-द्वार खोल दिए।

इसके फलस्वरूप विपुल मात्रा में वैज्ञानिक साहित्य का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। साथ-ही-साथ, अन्य विषय-क्षेत्रों में भी साहित्य-सृजन की झड़ी लग गई। ऐसे समस्त महत्वपूर्ण प्रकाशनों का प्रक्रियाकरण कर उपयोग के लिए उन्हें जारी करने की तो बात ही छोड़ें, इन महत्वपूर्ण प्रकाशनों का अधिग्रहण करना भी राष्ट्रीय पुस्तकालयों के लिए, दिन-ब-दिन, कठिन से कठिनतर होता गया। फिर भी, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों तथा विशिष्ट पुस्तकालयों-जो एक प्रकार से अधिक पाठकोन्मुख थे- के तीव्र विकास के कारण विद्वानों और शोधकर्ताओं की पुस्तकों तथा अन्य प्रलेखों की प्राप्ति संबंधित समस्याओं में कुछ कमी आई।

उपरिलिखित समस्याओं की ओर सरकारों, अग्रणी पुस्तकालयाध्यक्षों तथा अन्य बुद्धिजीवियों का ध्यान आकृष्ट हुआ, जिन्होंने राष्ट्रीय पुस्तकालयों के उद्देश्यों और कार्यों की नए सिरे से व्याख्या की। देश के लिए एक पुस्तकालय प्रणाली के निर्माण के विशेष संदर्भ में भी इन उद्देश्यों और कार्यों की समीक्षा की गई। इन मुद्दों के ऊपर हुई चर्चाओं और परिचर्चाओं से जन्मी नई सोच के फलस्वरूप राष्ट्रीय पुस्तकालयों की अधिक सटीक और ठोस परिभाषाएँ उभर कर आईं।

3.3 राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा

अब हम, इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय पुस्तकालय की दो प्रमुख नवीन परिभाषाओं का परीक्षण करेंगे। ये परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं -

(अ) हैरोड्स लाइब्रेरियंस ग्लोसरी एण्ड रेफरेंस बुक (Harrod's Librarians' Glossary at Reference Book) के छठवें संस्करण (1987) में राष्ट्रीय पुस्तकालय की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :

(i) सरकारी कोष से संपोषित एक पुस्तकालय;

(ii) जो सम्पूर्ण राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो;

(iii) जिसमें रखी हुई पुस्तकें सामान्यतया केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध हों;

(iv) जो सामान्यतया एक प्रतिलिप्यधिकार-संपन्न पुस्तकालय हो;

(v) अपने देश में प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रलेखों का सुदीर्घ काल तक परिरक्षण करना जिसका कार्य हो;

इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता होती है, जिसके प्रावधानों के अनुसार देश के सारे प्रकाशक इस पुस्तकालय में अपनी पुस्तकों को जमा कराने के लिए बाध्य हों, तथा

(vi) जो अन्य देशों में प्रकाशित प्रतिनिधि साहित्य का भी क्रय करता हो।

ए एल ए ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स (ALA Glossary of Library Terms) में राष्ट्रीय पुस्तकालय की एक सरल परिभाषा इस प्रकार दी गई है : "किसी राष्ट्र द्वारा संपोषित पुस्तकालय"।

अपने देश में प्रकाशित समस्त मुद्रित तथा अन-मुद्रित सामग्री को विधि-सम्मत रीति से प्राप्त करना किसी देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक विशेषाधिकार है। संबंधित देश में लागू प्रतिलिप्यधिकार कानून में ऐसा प्रावधान सम्मिलित होता है जिसके अंतर्गत, कुछ वर्षों तक, लेखकों, कलाकारों तथा संगीतकारों को अपनी साहित्यिक, संगीतात्मक तथा कलात्मक कृतियों की प्रतियाँ तैयार करने और उनका निपटारा करने का अधिकार प्राप्त होता है। इन कानूनों में ऐसे प्रावधान भी होते हैं जिनके अंतर्गत देश की सरकार को देश में प्रकाशित, मुद्रित तथा अन-मुद्रित सामग्री की कुछ प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये प्रतियाँ राष्ट्रीय पुस्तकालय में जमा की जाती हैं। देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय को यह कानूनी विशेषाधिकार एक विशेष कानून बनाकर दिया जाता है; जैसे, भारत सरकार द्वारा पारित पुस्तक और समाचार पत्र प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम (Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act)। ऐसे विशेषाधिकार-सम्पन्न राष्ट्रीय पुस्तकालयों को प्रतिलिप्यधिकार-पुस्तकालय (Copyright Library) या वैधानिक निक्षेपण पुस्तकालय (Legal Deposit Library) भी कहा जाता है।

इस परिभाषा में राष्ट्रीय पुस्तकालयों द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं की चर्चा नहीं की गई है, सिवाय इसके कि इसमें राष्ट्रीय पुस्तकालयों के दो कार्यों–राष्ट्र की बौद्धिक विरासत का संकलन तथा संरक्षण करना, और विदेशों में प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकों का क्रय करना, का उल्लेख है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय की एक अधिक व्यापक परिभाषा यूनेस्को (UNESCO) द्वारा दी गई है। अपने सन् 1970 के सामान्य सम्मेलन के 16वें अधिवेशन में यूनेस्कों ने पुस्तकालय सांख्यिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से संबंधित सिफारिशें (Recommendations Concerning Internationl Standardisation of Library Statistics) दी। इस प्रलेख में, अन्य बातों के साथ, राष्ट्रीय पुस्तकालयों की निम्नलिखित परिभाषा मिलती है :

ऐसे पुस्तकालय, जिनका नाम कुछ भी हो, जो :

(i) अपने देश में प्रकाशित समस्त महत्वपूर्ण प्रकाशनों की अवाप्ति और संरक्षण के लिए उत्तरदायी हों;

(ii) विधि या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत निक्षेपण-पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहे हों;

जो निम्नलिखित कार्यों में से कुछ को पूरा कर रहे हों :

(iii) राष्ट्रीय ग्रंथसूची तैयार करना;

(iv) विदेशों में प्रकाशित प्रतिनिधि साहित्य तथा अपने देश के ऊपर प्रकाशित पुस्तकों के वृहद्-संग्रह का निर्माण कर उसे अद्यतन रखना;

(v) राष्ट्रीय ग्रंथात्मक सूचना सेवा के रूप में कार्य करना;

(vi) संघ-प्रसूचियाँ बनाना;

(vii) कालातीत ग्रंथसूचियाँ प्रकाशित करना।

उपरिलिखित परिभाषा, राष्ट्रीय पुस्तकालय की एक अधिक व्यापक परिभाषा है और इसमें राष्ट्रीय पुस्तकालयों के सात प्रमुख कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है।

NOTES

राष्ट्रीय पुस्तकालयों के उद्देश्यों, कार्यों गतिविधियों के ऊपर पिछले दो दशकों में विविध मंचों पर अनेक चर्चाएँ और बहसें हुईं हैं। यद्यपि, राष्ट्रीय पुस्तकालयों की कोई अंतिम परिभाषा अभी तक नहीं उभर पाई है, फिर भी राष्ट्रीय पुस्तकालयों से संबंधित कुछ मुद्दों पर आम सहमति बनी है तथा अन्य देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालयों में प्रचलित कार्यों से विकासशील देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालयों को दिशा-निर्देश मिलता रहा है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय की विचार-धारा का परिचय दीजिए।

....

....

....

....

3.4 राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य तथा कार्य

राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय के उद्देश्यों की समग्रता में चर्चा करते हुए डॉ; रंगनाथन ने निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दियां है :

''राष्ट्र के पुस्तकालयीय-व्यक्तित्व का प्रतीकात्मक-प्रतिनिधित्व करने के बजाय, राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होना चाहिए। इसे, विश्व के प्रति राष्ट्र के पुस्तकालयीय दायित्वों का निर्वाह करने का माध्यम होना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय को इस अर्थ में राष्ट्रीय होना है कि इसे राष्ट्र के अंतिम पुस्तक बैंक के रूप में इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे देश के किसी भी नागरिक के उपयोग के लिए इसके दरवाजे खुले हों। देश के प्रत्येक भाग में, पुस्तकालयीय संसाधनों को संपूरित करने में भी इसे सक्षम होना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालयों को इस अर्थ में भी राष्ट्रीय होना चाहिए कि उसके संग्रह में देश में प्रकाशित, देश के ऊपर प्रकाशित, देश के नागकिरों द्वारा लिखित और देश के ऊपर लिखित प्रत्येक पठन-सामग्री का प्रतिनिधि संकलन हो। इसे, विश्व में कहीं से भी प्रकाशित ऐसी पठन-सामग्री को भी प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए देशवासियों में उचित माँग होने की संभावना हो।''

सन् 1964 में मनीला में आयोजित रिजनल सेमीनार ऑन दि डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरिज इन एशिया एण्ड पैसिफिक एरिया (Regional Seminar on the Development of National Libraries in Asia and Pacific Area) के अंतिम प्रतिवेदन में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं :

(i) राष्ट्र के पुस्तकालयों को नेतृत्व प्रदान करना;

(ii) देश में जारी किए गए समस्त प्रकाशनों के स्थायी निक्षेप को सुनिश्चित करना;

(iii) अन्य प्रकार की सामग्री का भी अधिग्रहण करना;

(iv) ग्रन्थात्मक सेवाएँ प्रदान करना;

(v) सहकारी गतिविधियों के लिए कार्य करना;

(vi) सरकार को सेवा प्रदान करना।

पिछले अनुच्छेद में दी गई दोनों परिभाषाओं और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुस्तकालयों में प्रचलित गतिविधियों और कार्यकलापों के आधार पर हम राष्ट्रीय पुस्तकालयों के उद्देश्यों और कार्यों का निम्नलिखित विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

(अ) प्रलेख-संग्रह निर्माण और संरक्षण संबंधी कार्य

राष्ट्रीय पुस्तकालयों के दो ऐसे प्रमुख एवं अनन्य गुण हैं जो इन्हें अन्य प्रकार के पुस्तकालयों से भिन्न करते हैं। ये दो गुण हैं : (i) देश में प्रकाशित प्रलेखों तथा देश के ऊपर विदेश में प्रकाशित प्रलेखों का विस्तृत संग्रह; तथा (ii) भावी पीढ़ियों के लिए इन प्रलेखों का परिरक्षण। ये दोनों कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालयों के अनन्य कार्य हैं, अर्थात् इन कार्यों को केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा ही पूरा किया जाता है, किसी अन्य प्रकार के पुस्तकालय द्वारा नहीं।

इन दोनों कार्यों को पूरा करने का अर्थ है :

(i) कानूनी निक्षेपण, उपहार तथा विनिमय द्वारा देश में प्रकाशित साहित्य के एक केन्द्रीय और विस्तृत संग्रह का निर्माण करना;

(ii) अपने देश के ऊपर किसी भी भाषा या रूप में विदेशों में प्रकाशित साहित्य का अधिग्रहण करना;

(iii) चयनित हस्त-लिखित ग्रंथों तथा राष्ट्रीय प्रासंगिकता और महत्व के पुरालेखित अभिलेखों का संग्रह तथा परिरक्षण करना;

(iv) विदेश में प्रकाशित ऐसे प्रलेखों का संग्रह करना जिनकी अपनी देश में मांग हो सकती है;

(v) यदि कोई अन्य संस्था इस कार्य में संलग्न नहीं हो तो, विशेष कोटि की सामग्री का संग्रह करना, जैसे- दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकें, नाटक-साहित्य, नक्काशी, पदक, संगीत-संयोजन, चल-चित्रक फिल्में, छाया-चित्र, ध्वनि-रिकार्ड, इत्यादि;

(vi) संक्षेप में, भविष्य में उपयोग के लिए राष्ट्र की बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना।

(ब) प्रसार कार्य

पुस्तकों, पत्रिकाओं और अंन्य संगृहीत सामग्री का निम्नलिखित रूप से प्रसार कना :

(i) मुद्रित, माइक्रोफार्म तथा कम्प्यूटर पठनीय रूप में पुस्तकालय प्रसूचियाँ जारी करना;

(ii) अनुरोध होने पर या पूर्वानुमान के आधार पर, पूर्व-प्रभावी या कालातीत और सांप्रतिक या सामयिक ग्रंथसूचियाँ तैयार करना।

पूर्व-प्रभावी या कालातीत ग्रंथसूची का अर्थ है, किसी काल-विशेष में पूर्व-प्रकाशित प्रकाशनों की सूची; जबकि सांप्रतिक या सामयिक ग्रंथसूची का अर्थ है, नवीन प्रकाशनों की सूची। उदाहरणस्वरूप, भारतीय विद्या के ऊपर ग्रंथसूची (Bibliography on Indology) का संकलन और प्रकाशन भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की एक अनवरत परियोजना है, जिसके चार खंडों का प्रकाशन हो चुका है। ये चार खंड हैं : इंडियन एंथ्रोपोलॉजी (Indian Anthropology); इंडियन बोटॅनी (Indian Botany) (2 खंड में); तथा बंगाली लैंग्वेज एण्ड लिटरेचर (Bangali Language and Literature)। विद्वानों या संस्थानों के अनुरोध पर सामयिक विषयों पर सामयिक ग्रंथसूचियाँ भी बनाई जाती हैं जो सामान्यतया संक्षिप्त और चयनित होती हैं।

(iii) शोध एवं/अथवा विद्वत्-पत्रिकाओं में सद्यः-प्रकाशित साहित्य की अनुक्रमणी तैयार करना। यदि कोई संस्था या एजेंसी यह कार्य नहीं कर रही हो तो राष्ट्रीय पुस्तकालय इस कार्य को कर सकता है।

NOTES

(iv) राष्ट्रीय अभिरुचि के विषयों से संबंधित सामयिक साहित्य के सार तैयार करना एवं जारी करना।

भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में सद्यः-प्रकाशित साहित्य का सार इंडियन साइंस ऐब्स्ट्रैक्ट्स (Indian Science Abstracts) के नाम से भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक-प्रलेखन केन्द्र (INSDOC) द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है। यह सार राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय में अधिगृहीत पत्रिकाओं और अन्य प्रलेखों के आधार पर तैयार किया जाता है।

(स) राष्ट्रीय ग्रंथसूचियाँ

पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा अन्य अन-मुद्रित सामग्रियों की ग्रंथसूची को, मुद्रित, माइक्रो-रूप या कम्प्यूटर-पठनीय रूप में तैयार करना भी राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य है। ऐसी ग्रंथसूची में सम्मिलित सूचनाओं के आधार पर प्रकाशकों और लब्ध-प्रतिष्ठित लेखकों की निर्देशिकाएँ तथा पुस्तक उत्पादन संबंधी एवं प्रलेखों से संबंधित अन्य प्रकार की सांख्यिकी भी तैयार की जा सकती है। इन्हें राष्ट्रीय ग्रंथसूची का उपोत्पाद या उप-प्रकाश माना जा सकता है।

राष्ट्रीय पुस्तकालयों द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय ग्रंथसूचियों के उदाहरण हैं :

केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय (राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थित) द्वारा प्रकाशित इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी (Indian National Bibliography) तथा दि ब्रिटिश लाइब्रेरी (The British Library) द्वारा प्रकाशित ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी (British National Bibliography)।

(द) पाठकीय सेवाएँ

राष्ट्रीय पुस्तकालयों द्वारा चलाई जाने वाली पाठकीय सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाओं/गतिविधियों की चर्चा की जा सकती है :

(i) पुस्तकालय परिसर में पठन की सुविधा तथा गंभीर पाठकों, जैसे- शोधकर्ताओं, विद्वानों तथा लेखकों के लिए शोध-कोष्ठ/शोध-कक्ष की सुविधा उपलब्ध कराना;

(ii) संदर्भ, ग्रंथात्मक एवं सूचना सेवाएँ प्रदान करना;

(iii) अंतर-पुस्तकालय-ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतर-पुस्तकाय-ऋण- केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(iv) विद्वानों, शोधकर्ताओं तथा अन्य पाठकों के लिए प्रलेख प्रतिलिपिकरण सेवा चलाना तथा उन्हें स्लाइड बनाने और ओवर हेड ट्रेंसपैरेंसी (Overhead Transparency) की सुविधा प्रदान करना;

(v) सरकारी, व्यावसायिक और औद्योगिक संगठनों को विशेषज्ञ-सेवा प्रदान करना-जैसे, व्यवसाय और उद्योग से संबंधित तकनीकी परिपृच्छाओं के उत्तर देना; सरकारी विभागों के अनुरोध पर विशिष्ट विषयों पर विशेष-ग्रंथसूचियाँ तैयार करना;

(vi) एक रेफरल केन्द्र (Referral Centre) के रूप में कार्य करना; अर्थात् विशेष निर्देशिकाओं तथा संदर्शिकाओं में से सूचना के स्रोतों की प्राप्ति में पाठकों की सहायता करना।

4. राष्ट्रीय पुस्तकालयों के प्रकार

हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि हाल के कुछ दशकों में राष्ट्रीय पुस्तकालयों की गतिविधियों में यथेष्ट विस्तार हुआ है। इसके फलस्वरूप, अनेक नव-विकसित राष्ट्रीय पुस्तकालयों में पूर्वचर्चित गतिविधियों में से अनेक गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। फिर भी, सारे देशों में ये प्रवृत्तियाँ समरूप नहीं हैं; क्योंकि संबंधित देश की ऐतिहासिक परंपराओं तथा सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी

संबंधी विकास द्वारा ही उसके राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रकृति निर्धारित होती है। विभिन्न देशों में स्थापित राष्ट्रीय पुस्तकालयों का वर्गीकरण निम्नलिखित तत्वों के आधार पर किया जा सकता है : (क) कार्य (ख) विषय (ग) सेवित विशेष-वर्ग (घ) संगृहीत सामग्री का प्रकार (च) क्षेत्रीय प्रकृति, अर्थात् किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक वर्ग को सेवा प्रदान करना, (छ) कार्यों में साझेदारी। सारणी 1 में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के विभिन्न प्रकारों तथा उनके कार्यों को सोदाहरण दर्शाया गया है।

सारणी-1 : राष्ट्रीय पुस्तकालयों के प्रकार

प्रकार	कार्य	उदाहरण
व्यापक	समस्त कार्य	नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा
कार्य-आधारित	देय-आदेय कार्य	ब्रिटिश लाइब्रेरी लेंडिंग डिवीजन (पूर्व नाम: नेशनल लेंडिंग लाइब्रेरी फॉर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी)
विषय-आधारित	कृषि आयुर्विज्ञान विज्ञान वैज्ञानिक और तकनीकी	नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, यू एस ए नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, भारत नेशनल सांइस लाइब्रेरी, भारत नेशनल साइंटिफिक एण्ड टेक्नीकल लाइब्रेरी, यू एस एस आर
सेविय विशेष-वर्ग	दृष्टिहीन विधायक	नेशनल लाइब्रेरी फॉर दि ब्लाइंड, यू के नेशनल डाइट लाइब्रेरी, जापान
उप-राष्ट्रीय आधारित (किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक वर्ग की सेवा में संलग्न)	क्षेत्र/राज्य/सांस्कृतिक वर्ग	नेशनल लाइब्रेरी ऑफ वेल्स नेशनल लाइब्रेरी ऑफ साइबेरिया, यू एस एस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्काटलैंड
साझेदारी आधारित	कार्यों की साझेदारी	स्टेट एण्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्हस, डेनमार्क

5. कुछ राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विवरणात्मक अध्ययन

इस अध्याय के पिछले अनुच्छेदों में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्यों और गतिविधियों की चर्चा की गई है। इन कार्यों और गतिविधियों को चलाने वाले पुस्तकालय अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय ग्रंथात्मक गतिविधियों के केन्द्र होते हैं। इस पृष्ठभूमि में, भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA : United States of America) तथा यूनाइटेड किंगडम (UK : United Kingdom) के राष्ट्रीय पुस्तकालयों की रूपरेखा नीचे प्रस्तुत की गई है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा लिखिए।

....

....

....

....

NOTES

5.1 भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

भारतीय संविधान में संघ सूची (Union List) की सातवीं अनुसूची (7th Schedule) के अनुच्छेद 62 (Article 62) के अंतर्गत देश के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : विकास का प्रथम चरण (1835-1903) : कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय (The National Library of India) की कहानी तीन स्पष्ट चरणों या कालावधियों में पूरी होती है। इस कहानी की शुरुआत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी (Calcutta Public Library) से होती है जिसकी स्थापना कलकत्ता की जनता तथा विद्वत्जनों के द्वारा सन् 1835 में की गई। इसे मार्च सन् 1836 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। सन् 1944 में इस पुस्तकालय को, तत्कालीन गवर्नर जनरल (Governor General) लार्ड मेटकॉफ (Lord Metcalf) के सम्मान में बनाये गए एक बड़े भवन में स्थानांतरित किया गया। सन् 1857 में भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के भड़कने के बाद कलकत्ता के यूरोपीय समुदाय ने इस पुस्तकालय को समर्थन देना बंद कर दिया। सन् 1859 में कलकत्ता नगरपालिका ने इस पुस्तकालय का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया।

इन घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि जिस उत्साह के साथ इस पुस्तकालय की स्थापना की गई थी वह धीरे-धीरे मंद पड़ता गया और उन्नीसवीं सदी का अवसान होते-होते इस पुस्तकालय की समस्त गतिविधियाँ ठप्प हो गईं।

विकास का द्वितीय चरण : (1903-1947) : दि इंपीरियल लाइब्रेरी

सन् 1899 में भारत के तत्कालीन वायसराय (Viceroy) और गवर्नर जनरल (Governor General) लार्ड कर्जन (Lord Curzon) इस पुस्तकालय में आये। वे कला और ज्ञान के अनन्य प्रेमी थे। इस पुस्तकालय की दयनीय अवस्था देख कर उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ और उन्होंने इस पुस्तकालय को सुचारु रूप से विकसित करने का मन बना लिया। सबसे पहले, उन्होंने इस पुस्तकालय का स्वामित्व-अधिकार खरीदा और तत्पश्चात् इसे सरकार द्वारा संपोषित इंपीरियल लाइब्रेरी (Imperial Library) के अंतर्गत मिला दिया। इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतर्गत उस समय विभिन्न सरकारी विभागों के पुस्तकालय तथा ईस्ट इंडिया कम्पनी लाइब्रेरी (East India Company Library) के अवशेष कार्यरत थे। इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (Imperial Library of India) को 30 जनवरी 1903 के दिन मेटकॉफ हाल (Metcalf Hall) में जनता के उपयोगार्थ खोल दिया गया। ब्रिटिश म्युजियम (British Museum) के जॉन मैकफर्लेन (John Macfarlane) को इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

सन् 1928 में भारत सरकार ने इस पुस्तकालय के प्रशासनिक पुनर्गठन के ऊपर राय देने के लिए श्री ज़े. ए. रिचे (J. A. Richey) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने, अन्य बातों के अतिरिक्त, इस पुस्तकालय को प्रतिलिप्यधिकार निक्षेपण पुस्तकालय (Copyright Deposite Library) का दर्जा देने की सिफारिश की। श्री चैपमैन (Mr. Chapman) तथा खान बहादुर के.एम असादुल्लाह (Khan Bahadur K.M. Asadullah)- जो बाद में इस पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किए गए- ने इस पुस्तकालय को प्रतिलिप्यधिकार निक्षेपण पुस्तकालय का दर्जा दिलाने संबंधी सिफारिश को लागू कराने के लिए अथक प्रयास किए। यद्यपि उनके प्रयासों का उस समय कोई तात्कालिक लाभ नहीं हुआ, परंतु सन् 1954 के पुस्तक प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम (Delivery of Books (Public Libraries) Act 1954) के लागू होने से यह कार्य भी संपन्न हो गया।

कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के दो गणमान्य पुस्तकालयाध्यक्षों के नामों का स्मरण करना यहाँ प्रासंगिक होगा: श्री पियरी चंद्र मित्र तथा श्री विपिन चंद्र पाल। इसी प्रकार, इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालयाध्यक्ष पद को कुछ लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सुशोभित किया जिनके नाम हैं : भाषा विज्ञान के विद्वान श्री हरीनाथ डे, प्रसिद्ध कवि जान अलेक्जेंडर चैपमैन (John Alexander Chapman) तथा के एम असादुल्लाह-जो एक कुशल प्रशासक और सुयोग्य प्रबंधक थे। श्री असादुल्लाह को इंपीरियल लाइब्रेरी में सन् 1935 में पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का श्रेय भी प्राप्त है।

विकास का तृतीय चरण : 1948 : भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय

सन् 1948 में, स्वतंत्रता-प्राप्ति के तुरंत बाद, नवगठित भारत राष्ट्र के निर्माताओं ने पूर्ववर्ती इंपीरियल लाइब्रेरी को देश के नये राष्ट्रीय पुस्तकालय में रूपांतरित किया। उस समय, इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी आवश्यकता अतिरिक्त स्थान की थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री सी. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपना वरद्-हस्त बढ़ाया और कलकत्ता स्थिति बेलवेडर पैलसे (Belvedere Palace) नामक वायसराय-प्रसाद को उसके लंबे-चौड़े, हरे-भरे दूर्वा-क्षेत्र सहित राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए मुहैय्या कराया। इस नवीन राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर श्री बी. एस. केशवन की नियुक्ति की गई। इनमें प्रशासनिक कुशलता, भविष्य दृष्टि और अदम्य उत्साह जैसे गुण कूट-कूट कर भरे थे। इस प्रकार, एक पूर्ववर्ती शाही-संस्थान को स्वतंत्र भारत के ज्ञान-मन्दिर के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। भारत संघ के तत्कालीन मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 1 फरवरी 1953 के दिन इस नवीन राष्ट्रीय पुस्तकालय को सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया गया। इस कार्य के लिए 1 फरवरी 1953 का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन इस पुस्तकालय का स्वर्ण जयन्ती दिवस था (नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी को जन-उपयोग के लिए 30 जनवरी 1903 को खोला गया था।)

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन् 1969 में गठित रिव्यू कमिटी (Review Committee) की अनुशंसाओं के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(i) व्यवस्था एवं प्रबंध

राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक विभाग है। इस संस्था का निदेशक इसका संस्था-प्रधान होता है जिसकी सहायता के लिए दो व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। पुस्तकालय के तकनीकी तथा व्यावसायिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई उप-पुस्तकालयाध्यक्षों तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के पद भी हैं। प्रशासनिक कार्यों में निदेशक की सहायता करने के लिए दो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है।

पुस्तकालय की व्यवस्था कार्य-आधारित है। इस पुस्तकालय के दो मुख्य विभाग माने जा सकते हैं: व्यावसायिक विभाग तथा संरक्षण विभाग, जिनके द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक कार्यों का संचालन किया जाता है। अधिग्रहण, प्रक्रियाकरण, पठन सामग्री और पाठकीय सेवाओं जैसे कार्यों को संपन्न करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय में 42 व्यावसायिक विभाग हैं। संरक्षण विभाग के अंतर्गत प्रतिलिपिकरण, परिरक्षण तथा लेबोरेटरी से संबंधित मामले आते हैं। प्रशासनिक विभाग का संबंध कार्मिकों, भवन और बाग-बगीचों की देखभाल तथा सुरक्षा संबंधी मामलों से है। लेबोरेटरी विभाग का प्रधान एक रसायन विज्ञानी होता है तथा प्रतिलिपिकरण विभाग एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और एक माइक्रोफोटोग्राफर की संयुक्त देख-रेख में कार्य करता है। इनके अतिरिक्त अन्य सारे तकनीकी विभागों के प्रधान, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष होते हैं। इस अनुच्छेद के अंत में दिए गए संगठन चार्ट (आकृति 1) के द्वारा भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का संगठनात्मक ढाँचा स्पष्ट किया गया है।

भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय चार भवनों में स्थित है जिनमें से तीन बेलवेडर परिसर में स्थित हैं तथा एक एस्प्लेनेड (Esplande) में। पुस्तकालय का आंतरिक क्षेत्र (Carpet Area) लगभग 3,45,696 वर्गफीट में फैला है।

(ii) प्रलेख-संग्रह

पुस्तकालय के प्रलेख-संग्रह में लगभग 22 लाख पुस्तकें एवं अन्य सामग्रियाँ हैं (1996)। इसके प्रलेख-संग्रह का निर्माण निम्नलिखित स्रोतों से होता है :

- पुस्तक-प्रदाय अधिनियम द्वारा प्राप्त पुस्तकें;
- क्रय;

- उपहार;
- विनिमय; तथा
- निक्षेपण विशेषाधिकार।

NOTES

इसमें संग्रहीत बहुसंख्यक पुस्तकें अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में हैं तथा बाकी पुस्तकें कुछ विदेशी भाषाओं में हैं।

निम्नलिखित कोटि की पुस्तकों का अधिग्रहण/क्रय द्वारा किया जाता है :

- दुनिया के किसी भाग में भारत के ऊपर प्रकाशित पुस्तकें और पत्रिकाएँ;
- सन् 1954 से पहले के प्रकाशन, जिनकी कोई प्रति पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है;
- विदेशों से प्रकाशित भारतीय लेखकों की पुस्तकें;
- स्तरीय संदर्भ पुस्तकें;
- पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना विज्ञान से संबंधित पुस्तकें; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (सामान्य इतिहास, संदर्भ ग्रंथ) से संबंधित पुस्तकें; शिक्षा, कृषि, नियोजन एवं विकास, इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र इत्यादि विषयों के ऊपर स्तरीय पुस्तकें; विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी; दुर्लभ एवं प्रकाशनातीत पुस्तकें, माइक्रोरूप में उपलब्ध पुस्तकें; तथा यदि बजट अनुमति दे तो, विदेशी भाषाओं के प्रकाशन।

हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय में कुछ विशिष्ट, उपहार-आधारित संग्रह भी हैं जिन्होंने पुस्तकालय के संग्रह को समृद्धि बनाया है। इनमें से कुछ उत्कृष्ट उपहार-संग्रहों के नाम हैं : सर आशुतोष मुखर्जी संग्रह (76,000 पुस्तकें), रामदास सेन संग्रह, बरिद वरण संग्रह, जदुनाथ सरकार संग्रह, डॉ. एस. एन. सेन संग्रह, वैयापुरी पिल्लै संग्रह तथा सर तेज बहादुर सप्रू के दस्तावेज। इन समस्त उपहार-संग्रहों में सर आशुतोष संग्रह सर्वोत्कृष्ट है जिसमें मानविकी और विज्ञान से संबंधित सारे विषयों की पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों तक मानव जाति द्वारा अर्जित ज्ञान की जीवंत प्रतिमाएँ हैं।

हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय का विनिमय संबंध विश्व के 56 देशों की 170 संस्थाओं तथा अपने देश की अनेकानेक संस्थाओं के साथ है। विनिमय द्वारा प्राप्त अनेक प्रलेख पुस्तक-विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो सकते। साथ ही, विनिमय के अंतर्गत ऐसे भारतीय प्रकाशन भी उपलब्ध हो जाते हैं जो पुस्तक-प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम 1954 के माध्यम से प्राप्त नहीं हो पाते। प्रलेख-संग्रह की इस रीति से राष्ट्रीय पुस्तकालय का संग्रह अत्यधिक समृद्ध हुआ है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी एजेंसियों के प्रकाशनों का संग्रहण-पुस्तकालय है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशनों का एक समृद्ध संग्रह है। भारत सरकार के साथ हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशनों के अतिरिक्त, निम्नलिखित एजेंसियों और सरकारों के प्रकाशित दस्तावेजों को भी राष्ट्रीय पुस्तकालय में जमा किया जाता है :

- अमेरिकी सरकार के प्रकाशित दस्तावेज;
- ब्रिटिश सरकार के प्रकाशित दस्तावेज (क्रय द्वारा);
- कनाडा सरकार के प्रकाशित दस्तावेज;
- यूरोपीयन इकोनॉमिक कम्युनिटी (European Economic Community) तथा अन्य उपनिवेशी सरकारों के प्रकाशन।

(iii) प्रक्रियाकरण

भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में एंग्लो-अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स (AACR-2 : Anglo-American Cataloguing Rules), तथा रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग ऑफ दि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस (Rules

for Descriptive Cataloguing of the Library of Congress), के आधार पर किया जाता है। विषय शीर्षकों में एकरूपता बनाये रखने के लिए सब्जेक्ट हेडिंग्स यूज्ड इन दि डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस (Subject Headings used in the Dictionary Catalogue of Library of Congress) के 8वें संस्करण का उपयोग किया जाता है।

प्रलेखों के वर्गीकरण के लिए "डेवी डेसिमल क्लॉसिफिकेशन (DDC : Dewey Decimal Classification) का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए डी डी सी के चार संस्करणों (16वें से 19वें संस्करण) का प्रयोग समय-समय पर होता रहा है। पुस्तक-संख्याओं का निर्माण कटर द्वारा निर्मित त्रि-अंक लेखक सारणी (Three Figure Author Tables), जिसे कटर्स टेबुल (Cutters Tables) भी कहते हैं, के आधार पर किया जाता है।

पुस्तकालय प्रसूची, मुद्रित तथा पत्रक-दोनों रूपों में उपलब्ध है। अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों की पत्रक-प्रसूची कोश प्रसूची के रूप में उपलब्ध है जिसे लेखक तथा विषय-इन दो क्रमों में व्यवस्थित किया गया है।

पुस्तकालय की मुद्रित प्रसूची 10 खण्डों में उपलब्ध है। यह लेखक प्रसूची है तथा इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के ए (A) से लेकर एस (S) तक के अक्षर से प्रारंभ होने वाले नाम ही सम्मिलित किये गये हैं।

(iv) पाठकीय सेवाएँ

राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी सेवाएँ अनेक माध्यमों के द्वारा प्रदान करता है, जैसे- पठन कक्षों, देय-आदेय अनुभाग, ग्रंथसूची और संदर्भ विभाग इत्यादि। वर्तमान में चलाई जाने वाली पाठकीय सेवाएँ निम्नलिखित हैं:

- देय-आदेय तथा अंतर-पुस्तकालय ऋण;
- पठन-कक्ष;
- ग्रंथसूची एवं संदर्भ सेवाएँ; तथा
- प्रलेख पुनरुत्पादन या रिप्रोग्राफी (Reprography) सेवा।

(अ) देय-आदेय सेवा तथा अंतर-पुस्तकालय ऋण

भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की एक अपूर्व विशेषता यह है कि इसमें दुर्लभ पुस्तकों, उपहार-संग्रह की पुस्तकों, प्रकाशनातीत पुस्तकों, सरकारी तथा संयुक्त राष्ट्र इत्यादि के दस्तावेज़-प्रकाशनों तथा क्रमिक प्रकाशनों के अतिरिक्त अन्य सारे प्रकाशन गृह-पठन के लिए ऋण पर जारी करना एक विचित्र बात लगती है, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय का कर्तव्य राष्ट्र की बौद्धिक धरोहर का संरक्षण एवं परिरक्षण है। उसमें रखी पुस्तकों को हद्-से-हद संदर्भ-मात्र के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, पर यहाँ सामान्यतया गृह-पठन के लिए उन्हें ऋण पर भी जारी किया जाता है। ऐसा करना राष्ट्रीय पुस्तकालयों की मान्य विचारधारा के विपरीत है। फिर भी, ऐतिहासिक कारणों से, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा गृह-पठन के लिए पुस्तकें ऋण पर दी जाती हैं। औसतन, प्रतिदिन यहाँ लगभग 250 पुस्तकें ऋण पर जारी की जाती हैं।

पुस्तकालय के सदस्यों और अन्य संस्थाओं को अंतर-पुस्तकालय ऋण की सेवा दी जाती है। यह सेवा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चलाई जाती है। इस सेवा के अंतर्गत रूसी स्टेट लाइब्रेरी, मास्को (Russian State Library, Moscow); दि ब्रिटिश लाइब्रेरी (The British Library); यू के (UK); तथा अनेक अन्य देशों, जैसे- आस्ट्रेलिया, हंगरी, डेनमार्क, स्वीडेन इत्यादि के पुस्तकालयों से अंतर-पुस्तकालय ऋण पर पुस्तकें मंगायी जाती हैं।

(ब) पठन-कक्ष

राष्ट्रीय पुस्तकालय में एक पठन-कक्ष है जिसमें एक साथ 320 पाठक बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष सामग्रियों के उपयोग के लिए 10 अन्य पठन-कक्ष भी हैं। मुख्य पठन-कक्ष में सामान्य संदर्भ की

NOTES

पुस्तकें, विभिन्न विषयों की बुनियादी पुस्तकें तथा ज्ञान के विविध विषय-क्षेत्रों की संदर्भ पुस्तकें रखी गई हैं। इस कक्ष के पुस्तक-भंडार में लगभग 10 हजार पुस्तकें हैं।

(स) ग्रंथसूची एवं संदर्भ सेवा

राष्ट्रीय पुस्तकालय में, ज्ञान एवं-सूचना के सुसंबद्ध एवं प्रभावी प्रसार के लिए सन् 1951 में, ग्रंथसूची विभाग की स्थापना की गई। इस सेवा के अंतर्गत विद्वानों, शोधकर्ताओं और लेखकों के अनुरोध पर किसी दिए गए विषय के ऊपर ग्रंथसूचियाँ तैयार कर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। सामान्यतया ये ग्रंथसूचियाँ संक्षिप्त एवं चयनित होती हैं। समय-समय, पर अन्य संस्थाओं के सहयोग से सुविस्तृत और व्यापक ग्रंथसूचियाँ भी बनाई जाती हैं। भारत में प्रकाशित अनुवादों की सूची तथा ग्रंथसूचियों की सूची बनाकर इन्हें इंडेक्स ट्रांसलेशन (Index Translatinum) में शामिल करने के लिए यूनेस्को भेजा जाता है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय देश में विद्वतापूर्ण गतिविधियों को सुचारु रूप में चलाने के लिए राष्ट्रीय रुचि से संबंधित विषयों के ऊपर ग्रंथसूचियों का निर्माण करता है। भारतीय संस्कृति के ऊपर एक व्यापक ग्रंथसूची की वृहत् प्रकाशन योजना के रूप में परिकल्पित भारतीय विद्या के ऊपर ग्रंथात्मक परियोजना (Bibliographical Project on Indology) इस दिशा में एक स्तुत्य प्रयास है। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक भारतीय नृविज्ञान (Anthropology) के ऊपर चार खंड, भारतीय वनस्पति शास्त्र के ऊपर दो खंड तथा बंगला भाषा और साहित्य के ऊपर एक खंड प्रकाशित हो चुके हैं।

इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी (Indian National Bibliography), जो भारतीय पुस्तकों का मासिक अभिलेख है, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय (राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थित) द्वारा संकलित एवं प्रकाशित किया जाता है। यह एक मासिक प्रकाशन है तथा इसमें वे पुस्तकें सम्मिलित की जाती हैं जो पुस्तक-प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम (Delivery of Books (Public Libraries) Act) के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय में जमा की जाती हैं।

पुस्तकालय में आने वाले व्यक्तियों को संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है जो अपनी परिपृच्छा टेलीफोन या डाक से भेजते हैं। संदर्भ सेवा के अंतर्गत तत्काल संदर्भ सेवा (Ready Reference Service) से लेकर दीर्घ संदर्भ सेवा (Long Reference Service) तक के कार्य किये जाते हैं, जैसे : सामान्य तथ्य की जानकारी देने वाले किसी विशेष प्रकाशन की खोज करने से लेकर तकनीकी विषयों के ऊपर जटिल प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकाशनों की सुदीर्घ तलाश करना, और कभी-कभी विशेषज्ञों से परामर्श करना।

(द) प्रलेख पुनरुत्पादन सेवा

विद्वानों और शोधकर्ताओं को पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं, लघु तकनीकी प्रतिवेदनों इत्यादि की प्रतियाँ नाम-मात्र शुल्क पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इस कार्य के लिए मुख्य एवं अन्य पठन कक्षों में फोटोकॉपियर की व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय में एक आंतरिक मुद्रण एक (Printing Unit) भी कार्यरत है जिसके द्वारा सीमित वितरण के लिए लघु-प्रलेख मुद्रित किए जाते हैं।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य तथा कार्य बताइए।

....

....

....

....

आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण

भारतीय भाषाओं में स्वचालित ग्रन्थात्मक सेवाओं के लिए विशेषज्ञों की सहायता से पुस्तकालय ने डायक्रिटिक्स (Diacritics) की एक मानक तालिका बनाई है। आधुनिकीकरण तथा पुस्तकालय की गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए दिसम्बर 1987 में एक कम्प्यूटर केन्द्र गठित किया गया। इस केन्द्र के लिए एच. पी. 3000/37 ए एक्स (HP 3000/37 AX), जो एक मिनी कम्प्यूटर (Mini Computer) है- उपलब्ध कराया गया। सन् 1991 में इस केन्द्र को पी सी ए टी/286 माइक्रो कम्प्यूटर (PCAT/286 Micro Computer) भी दिया गया। इसके साथ 24 पिन एल एण्ड टी प्रिंटर (Pin L & T Printer) भी संलग्न है। पुस्तकालय की गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए दो सॉफ्टवेयर लिए गए हैं : (i) कनाडा से प्राप्त मिनाइसिस (MINISIS : Mini Computer Integrated Set of Information Systems) जिसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर (IDRC : International Development Research Centre) से, तथा (ii) सी डी एस/आई एस आई एस (CDS/ISIS) – जिसे नेशनल इंफार्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एण्ड टेक्नालॉजी (NISSAT : National Information System for Science and Technology) से प्राप्त किया गया है। मिनाइसिस का उपयोग पुस्तकालय-कार्यों के ग्रंथात्मक नियंत्रण के लिए तथा सी डी एस/आई एस आई एक का उपयोग विशेष क्षेत्रों या विषयों के लघु डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है।

उज्जवल भविष्य

राष्ट्रीय पुस्तकालय ने कम्प्यूटरीकरण की एक विस्तृत योजना बनाई है जिसके अंतर्गत धीरे-धीरे पुस्तकालय की समस्त गतिविधियों और सेवाओं में नई जान आएगी। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव हैं :

(1) एक मेनफ्रेम कम्प्यूटर (Mainframe Computer) लगाना जिसके साथ अनेक टर्मिनल (Terminals) संलग्न होंगे। इनकी सहायता से पुस्तकालय की समस्त गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण करना;

(2) पुस्तकालय में आने वाली भारतीय भाषाओं तथा रोमन-इतर लिपियों में प्रकाशित पुस्तकों के प्रक्रियाकरण के लिए जिस्ट टेक्नोलॉजी (Gist Technology) को लागू करना;

(3) भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची (Indian National Bibliography) का नियमित तथा समय से प्रकाशन सुनिश्चित करना;

(4) कम्पैक्ट डिस्क टेक्नोलॉजी (Compact Disk Technology) का उपयोग प्रारम्भ करना;

(5) ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी (Optical Disk Technology) का उपयोग प्रारंभ करना;

(6) निकनेट (NICNET), सरनेट (SIRNET), आइ-नेट (I-NET), इंडोनेट (INDONET), कैलिबनेट (CALIBNET) इत्यादि नेटवर्कों में भाग लेकर संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देना;

(7) पूर्ण-पाठ डेटाबेसों (Full-Text Databases) को चलाना और विकसित करना तथा मुख्य-शब्दों के द्वारा इनका अभिगम करना;

(8) प्रकाशन कार्यक्रम चलाने के लिए डेस्क टॉप पब्लिशिंग (Desk Top Publishing) का विकास करना।

NOTES

(v) बजट

राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारत सरकार द्वारा संचालित है। इसके बजट में कर्मचारियों का वेतन तथा सेवाओं और पुस्तकों इत्यादि की खरीद पर होने वाला व्यय सम्मिलित है।

(vi) कर्मचारी

राष्ट्रीय पुस्तकालय में 800 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक तिहाई पुस्तकालय व्यवसायी हैं।

(vii) सामान्य टिप्पणी

विश्व के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय पुस्तकालयों की तुलना में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अभी विकास के शैशव-काल में है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों की समीक्षा कर इसके सुनियोजित विकास के ऊपर अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार ने सन् 1968 में प्रसिद्ध शिक्षाविदों की एक समिति गठित की। इस समीक्षा समिति की सिफारिशों पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की गतिविधियों का आधुनिकीकरण कर इसे विश्व के अन्य सुस्थापित राष्ट्रीय पुस्तकालयों के स्तर पर लाने के लिए समय-समय पर अनेक विशेषज्ञ भी अपने मूल्यवान सुझाव देते रहे हैं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विभिन्न देशों में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के विभिन्न प्रकारों की स्थापना की प्रवृत्ति का असर भारत में भी देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप, इंस्डॉक : भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र (INSDOC : Indian National Scientific Documentation Centre) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय (National Medical Library) तथा स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय (National Medical Library) कार्य कर रहे हैं। देहरादून में दृष्टिहीनों तथा विकलांगों का राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Library for the Blind and Physically Handicapped) भी स्थापित किया गया है।

इन विकासों के परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय से यह अपेक्षित है कि यह इन विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के बीच प्रेरणास्रोत एवं समन्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करे, तथा देश में ग्रंथात्मक गतिविधियों को नेतृत्व प्रदान करे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस तथा दि ब्रिटिश लाइब्रेरी की भाँति भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए भी एक कार्यकारिणी समिति या परिषद् का गठन अनिवार्य है जिससे कि इसकी गतिविधियों में समुचित प्रगति हो सके।

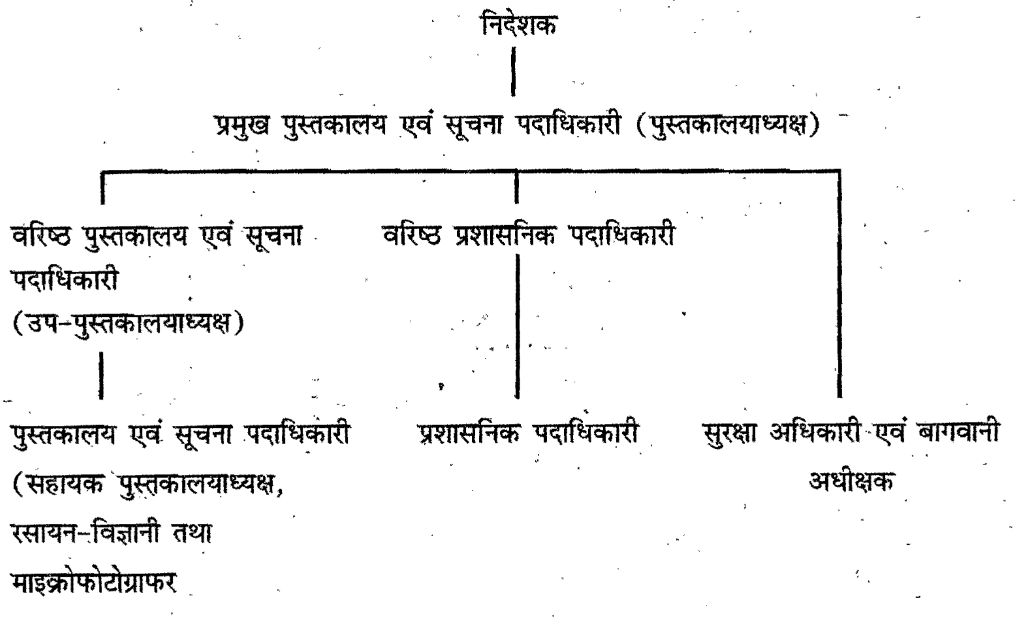

तालिका 1 : राष्ट्रीय पुस्तकालय के संगठनात्मक ढाँचे का प्रदर्शन करने वाली तालिका

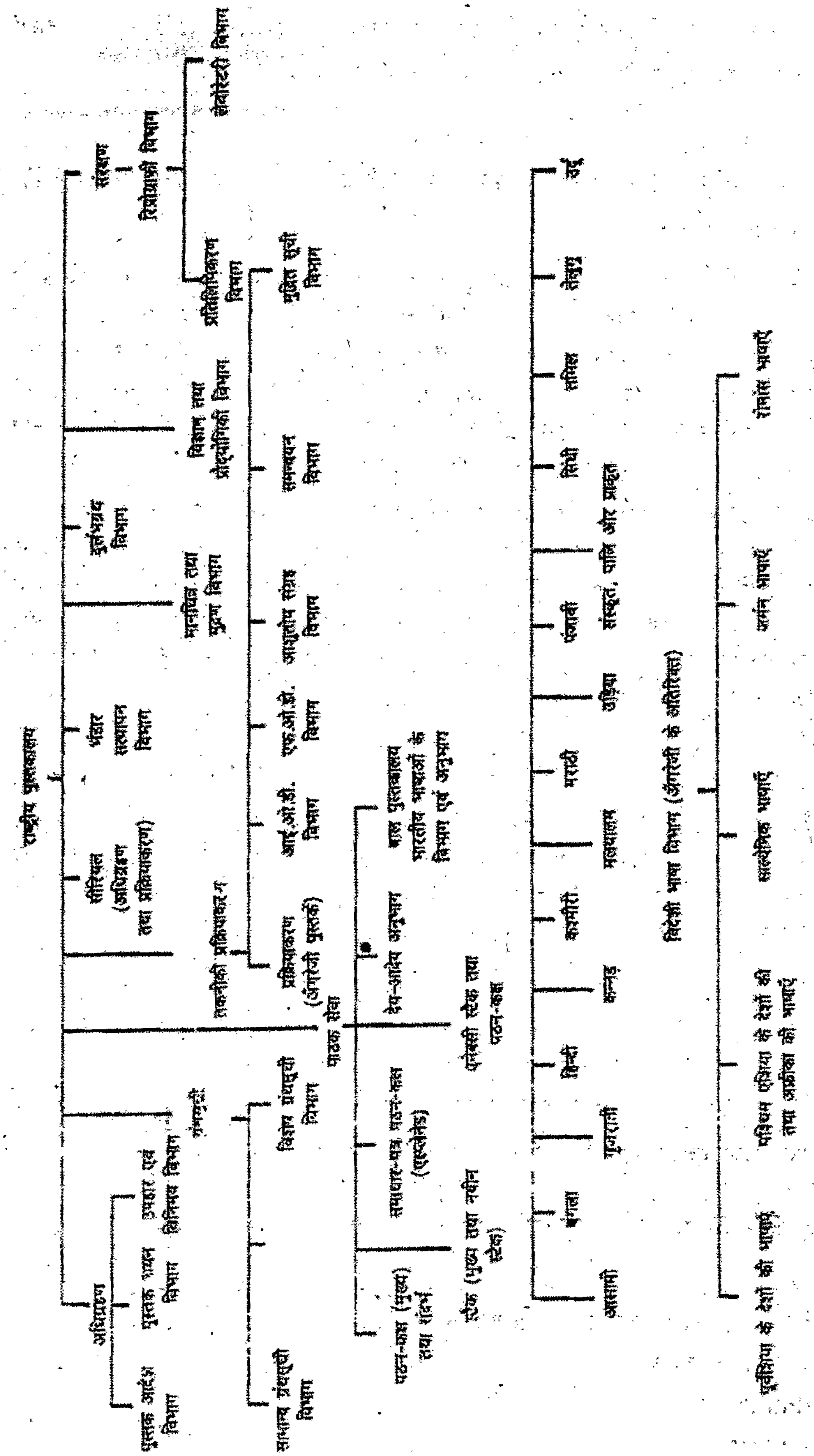

तालिका 2 : राष्ट्रीय पुस्तकालय (भारत कलकत्ता) के तकनीकी विभाग

NOTES

5.2 दि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस

दि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस (LC : Library of Congress), संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। यह वाशिंगटन डी सी नामक शहर में स्थित है। मूल रूप से इसकी स्थापना सन् 1800 में संयुक्त राज्य कांग्रेस के पुस्तकालय के रूप में यू एस कांग्रेस की सेवा के लिए की गई थी। उस समय इसके पुस्तक-भंडार में बहुत कम प्रलेख थे, परन्तु धीरे-धीरे यह प्रलेख-भण्डार बढ़ता गया। सन् 1870 में अमेरिकी सरकार ने प्रतिलिप्यधिकार कानून (Copyright Law) पारित कर इस पुस्तकालय को संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रित पुस्तकों, चार्टों (Charts), नाटकात्मक तथा संगीतात्मक रचनाओं, नक्काशियों, प्रिंटस (Prints) एवं छायाचित्रों इत्यादि की दो-दो प्रतियाँ प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। आज यह पुस्तकालय अपने प्रकार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय है तथा विद्वत्ता और पाण्डित्य की दुनिया में अपना अप्रतिम स्थान बना चुका है। इस महान् राष्ट्रीय पुस्तकालय की एक झलक नीचे प्रस्तुत है। इन तथ्यों के द्वारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के प्रलेख-संग्रह तथा सेवाओं के आकार, महत्व और विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है।

- अपने विशाल प्रलेख-भंडार के बल पर यह पुस्तकालय स्वयं को विश्व के सबसे बड़े सूचना-भंडारण केन्द्र के रूप में स्थापित कर चुका है। इसके प्रलेख-संग्रह में लगभग 2 करोड़ पारंपरिक प्रलेख हैं, जिनमें पुस्तकें लगभग एक-चौथाई हैं, तथा लगभग 5 करोड़ 90 लाख गैर-पारंपरिक प्रलेख हैं: जैसे- ध्वनि रिकार्ड, चलचित्रों की रीलें, कम्प्यूटर टेप, हस्तलिखित ग्रंथ, मानचित्र, मुद्रित सामग्री तथा छाया चित्र, इत्यादि। इसके प्रलेख संग्रह का एक चौथाई भाग अंग्रेजी भाषा में है;
- इसमें व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्षों तथा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिक-जैसे- संगीतज्ञ, विधिवेत्ता, रसायन शास्त्री, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, ब्रेली (Braille) विशेषज्ञ इत्यादि नियुक्त किए गए हैं। इसके कर्मचारियों की कुल संख्या 4,800 है;
- यह पुस्तकालय विभिन्न वास्तुशास्त्रीय शैलियों में निर्मित तीन विशाल भवनों में स्थित है। इसका आंतरिक क्षेत्र लगभग 71 सैकड़ों में फैला है तथा इसके विभिन्न पठन कक्षों में 3 हजार पाठक एक साथ बैठ सकते हैं;
- इसकी सेवाएँ विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लिए उलपब्ध हैं, जैसे- कांग्रेसजन, विधि ज्ञ-समुदाय, विद्वान एवं शिक्षाविद् दृष्टिहीन तथा विकलांग, पुस्तकालय एवं सूचना वैज्ञानिक, इत्यादि;
- इसमें प्रतिदिन 27,000 तथा प्रतिवर्ष एक करोड़ प्रलेखीय सामग्रियों का संचालन और उपयोग किया जाता है।

(क) व्यवस्थापन, प्रबंध, गतिविधियाँ एवं सेवाएँ

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का पुस्तकालयाध्यक्ष इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह (पुस्तकालयाध्यक्ष) अतुल अधिकारों का स्वामी तथा विपुल दायित्वों का निर्वाहक होता है। इसके पुस्तकालयाध्यक्ष पद को अनेक विख्यात ज्ञानवान और विद्वान व्यक्ति सुशोभित कर चुके हैं जिन्होंने इसकी वृद्धि और विकास की बेल को अपनी अटूट लगन से सींचा है और देश के नागरिकों को बौद्धिक एवं ज्ञानात्मक सेवा प्रदान कर इस पुस्तकालय की ख्याति बढ़ाई है। पुस्तकालयाध्यक्ष की सहायता के लिए उच्चाधिकारियों, पुस्तकालय विशेषज्ञों, विद्वानों तथा विषय-विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है।

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कार्यों को आठ प्रमुख प्रखंडों या विभागों में व्यवस्थित किया गया है। ये हैं:

- पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्यालय

- प्रबंधकीय सेवाएँ
- कांग्रेस विषयक शोध सेवा
- प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय
- विधि पुस्तकालय
- प्रक्रियाकरण सेवाएँ
- शोध सेवाएँ
- राष्ट्रीय कार्यक्रम

सेवित-पाठक वर्ग, कार्यों, अधिगृहीत सामग्री, प्रक्रियाकृत सामग्री, सेवाओं तथा कार्यक्रमों के रूपायन और क्रियान्वयन के आधार पर इनमें से प्रत्येक विभाग को पुन: विभिन्न मंडलों और अनुभागों में व्यवस्थित किया गया है। इन मंडलों या अनुभागों तथा विभागों द्वारा संचलित गतिविधियों और कार्यों को संगठनात्मक चार्ट (आकृति 3) में दर्शाया गया है।

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संचालित कुछ गतिविधियों और कार्यों की संक्षिप्त चर्चा अगले पृष्ठ पर दी गई है जिससे इसके कार्य-विस्तार का पता चलता है।

प्रलेख-संग्रह विकास, व्यापक उपयोग के लिए प्रलेखों का प्रक्रियाकरण, पुस्तकालय प्रसूची सेवा, इत्यादि प्रक्रियाकरण सेवा विभाग के कार्य हैं। इस मुख्य विभाग के अंतर्गत 16 प्रमंडल या अनुभाग कार्य करते हैं।

प्रलेख-संग्रह विकास

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में प्रलेख-संग्रह विकास के प्रमुख स्रोत हैं : (अ) प्रतिलिप्यधिकार निक्षेपागार होने का विशेषाधिकार, (ब) विनिमय, (स) उपहार, तथा (द) क्रय। देश के वाणिज्यिक एवं अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियाँ प्रतिलिप्यधिकार विशेषाधिकार के अंतर्गत प्राप्त होती हैं तथा संघ, राज्य तथा विदेश की सरकारों के दस्तावेज विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होते हैं।

प्रलेख-संग्रह विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत उपहार में प्राप्त पुस्तकें हैं। व्यक्ति विशेष द्वारा दान में दिए गए प्रलेखों के अतिरिक्त अनेक संस्थाओं द्वारा भी उपहारस्वरूप दुर्लभ, अनुपम तथा महत्वपूर्ण सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसी संस्थाओं में प्रमुख हैं : वैज्ञानिक संस्थाएँ, मजदूर संघ, चर्च, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा उपयोगिता-कंपनियाँ (Utility Companies)। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख प्रलेख उपहार द्वारा प्राप्त होते हैं जिनमें से अनेक अलभ्य तथा दुर्लभ होते हैं।

पुस्तकालय में प्रतिवर्ष लगभग चार करोड़ डालर के मूल्य की विदेशी पुस्तकें खरीदी जाती हैं। इस क्रय में पुस्तकों तथा मोनोग्राफों के अतिरिक्त पत्रिकाएँ, समाचार-पत्र तथा अन्य विशेष सामग्रियाँ भी सम्मिलित हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की अधिग्रहण गतिविधि की व्यापकता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सरकार ने अपने पब्लिक लॉ 480 (PL 480) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, इत्यादि देशों में, इन देशों से पुस्तकों के अधिग्रहण के लिए प्रापण कार्यालय (Book Procurement Office) स्थापित किए हैं।

पुस्तकालय के दुर्लभ पुस्तक विभाग (Rare Book Division) में ही लगभग 60 लाख पुस्तकें हैं। इनमें से कुछ अमूल्य पुस्तकें हैं।

(ख) प्रलेखों का प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन

अपने विशाल प्रलेख-संग्रह के प्रक्रियाकरण के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने अपनी अलग तकनीकें ईजाद की हैं। इनमें से अनेक तकनीकों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक एवं आदर्श तकनीकों के रूप में स्वीकारा जा चुका है। प्रलेखों के वर्गीकरण, सूचीकरण तथा व्यवस्थापन के लिए इस विभाग

NOTES

में लगभग 1500 कर्मचारी हैं। इसकी पुस्तकालय प्रसूची-मंजूषा के 25,548 खानों में रखी गई लगभग 2 करोड़ प्रविष्टियों को सन् 1981 में कम्प्यूटर आधारित पुस्तक प्रसूची में परिवर्तित कर दिया गया। पुस्तकालय में, पाठकों के उपयोगार्थ, लगभग 2,000 कम्प्यूटर टर्मिनल जगह-जगह पर रखे गये हैं जिनसे कोई भी पाठक कम्प्यूटर आधारित पुस्तकालय प्रसूची का उपयोग कर सकता है।

(ग) सेवाएँ

चूँकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना मूलरूप से कांग्रेस के सदस्यों की सेवा के लिए की गई थी, इस पुस्तकालय द्वारा कांग्रेस के सदस्यों को व्यक्तिगत सेवा प्रदान की जाती है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का विधि पुस्तकालय विधिज्ञ समुदाय को सेवा देता है। इसी प्रकार, शोध सेवा क्लस्टर (Research Service Cluster)- जिसके अंतर्गत अभिनयात्मक कलाएँ, क्षेत्र अध्ययन, सामान्य संदर्भ, विशेष प्रलेख संग्रह तथा परिरक्षण संबंधी विभाग हैं- विद्वत् तथा शैक्षिक समुदाय को सेवा प्रदान करता है। लेखक, रचनाकार, संगीतकार, कलाकार, इत्यादि-प्रतिलिप्यधिकार विभाग द्वारा सेवित हैं। अपनी बौद्धिक कृतियों के प्रतिलिप्यिधिकार की सुरक्षा के लिए वे इसी विभाग पर निर्भर होते हैं। राष्ट्रीय प्रगति क्लस्टर (National Progress Cluster) राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे अनेक कार्यक्रमों को चलाने में सहायक है, जैसे : अमेरिकी लोक जीवन केन्द्र, दृष्टिहीनों तथा विकलांगों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय सेवा, शैक्षिक संपर्क कार्यालय, प्रकाशन कार्यालय, इत्यादि।

(घ) राष्ट्रीय-पुस्तकालयोन्मुखी गतिविधियाँ

राष्ट्रीय-पुस्तकालयोन्मुखी गतिविधियों से तात्पर्य है, वे गतिविधियाँ जिन्हें किसी राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा चलाया जाना चाहिए। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऐसी अनेक गतिविधियाँ चलाता है। इनमें से प्रमुख हैं : राष्ट्रीय संघ प्रसूची (National Union Catalogue), प्रकाशनांतर्गत प्रसूचीकरण परियोजना (Cataloging-in-Publication Project), तथा पुस्तकालय स्वचालन कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विशेष रूप से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की पुस्तकालय-प्रसूची के कम्प्यूटरीकरण का कार्य हुआ है। इस कम्प्यूटरीकृत प्रसूची को मार्क परियोजना (MARC : Machine Readable Cataloguing Project) कहा जाता है। इस परियोजना के द्वारा न केवल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के विशाल प्रलेख-संग्रह के कम्प्यूटरीकरण का सराहनीय कार्य किया गया, बल्कि इसके फलस्वरूप पुस्तकालय प्रसूची के कम्प्यूटरीकरण के ऊपर अंतरराष्ट्रीय सोच का जन्म हुआ। साथ ही, विभिन्न कोटि के प्रलेखों के प्रसूचीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक रीतियाँ (International Standard Formats) तय करने में भी इससे मदद मिली।

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक राष्ट्रीय संघ प्रसूची (NUC : National Union Catalogue) का संकलन और प्रकाशन भी करता है। यह संघ सूची पूरे विश्व में प्रकाशित लगभग प्रत्येक पुस्तक की लेखक अनुक्रमणी है। यह लगभग 2500 पुस्तकालयों में संग्रहीत 1 करोड़ 80 लाख पुस्तकों की सूची है।

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा परिचालित सहकारी प्रसूचीकरण परियोजनाओं का एक लम्बा इतिहास है। ये परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं :

- नेशनल यूनियन कैटलॉग (NUC : National Union Catalogue) :
- प्रिंटेड कैटलॉग कार्ड डिस्ट्रीब्युशन सर्विस (Printed Catalogue Card Distribution Service) :
- कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन (CIP : Cataloguing-in-Publication)

(इस परियोजना के अंतर्गत मशीन पठनीय प्रसूची (MARC) के टेपों का वितरण का कार्य किया जाता है।)

इन परियोजनाओं के प्रारंभ होने से पहले अलग-अलग पुस्तकालयों में एक ही प्रलेख का अलग-अलग प्रसूचीकरण किया जाता था। इससे समय, श्रम तथा धन की पुनरावृत्ति होती थी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत पुस्तकों के प्रसूचीकरण का कार्य लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में केन्द्रीय रूप से होने लगा। अर्थात्

पुस्तकों का प्रसूचीकरण करने के बाद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस उनकी प्रविष्टियों को पत्रक प्रसूची अथवा पुस्तक प्रसूची के रूप में मुद्रित कर या प्रविष्टियों को मशीन पठनीय रूप से तैयार कर सभी पुस्तकालयों को भेजने लगा। इस प्रकार अलग-अलग पुस्तकालयों में एक ही पुस्तक के अलग-अलग प्रसूचीकरण का कार्य बंद हो गया जिससे यथेष्ट समय, अनर्थक श्रम और अकूत धन की बचत हुई। साथ ही, पुस्तकों को उनकी पुस्तकालय में प्राप्ति के तुरंत बाद उपयोग के लिए शीघ्र जारी करना भी संभव हो गया क्योंकि पुस्तकों की खरीद के पहले या तुरंत बाद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से मुद्रित रूप में या टेप रूप में उस पुस्तक की प्रविष्टियाँ संबंधित पुस्तकालयों को उपलब्ध हो जाती थीं। प्रकाशनांतर्गत प्रसूचीकरण परियोजना ने इस कार्य को और भी सरल तथा मितव्ययी बना दिया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इस परियोजना के अंतर्गत, अजिल्दबद्ध पुस्तकों को छोड़कर, संयुक्त राज्य से प्रकाशित लगभग 80 प्रतिशत पुस्तकों के प्रकाशनांतर्गत प्रसूचीकरण का अपूर्व कार्य कर दिखाया। संयुक्त राज्य के अधिकांश प्रकाशकों का सहयोग भी इस परियोजना को मिला।

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने पुस्तकालय कार्यों एवं सेवाओं के लिए कम्प्यूटर संबंधित कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ चलाकर तथा मशीन पठनीय ग्रंथात्मक अभिलेख तैयार कर एक पुरोगामी कार्य किया और दुनिया के पुस्तकालयों को एक नई दिशा दी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अनेक प्रकार की कम्प्यूटर-आधारित सेवाएँ चलाता है। कांग्रेस के सदस्यों को अनेक डेटाबेसों तथा पुस्तकालय के मशीन पठनीय प्रसूची के आधार उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ इनमें प्रमुख हैं। इस पुस्तकालय में पाश्चात्य भाषाओं की पुस्तकों और प्रलेखों का डेटाबेस सन् 1968 से ही लगातार काम कर रहा है। पुस्तकालय में विभिन्न स्थानों पर रखने के बाद अनेक टर्मिनल्स के द्वारा ये सारी सूचनाएँ अभिगमित की जा सकती हैं।

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वस्तुतः एक अति-संश्लिष्ट संस्था होने के साथ ही एक गत्यात्मक एवं सक्रिय केन्द्र भी है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अकूत धन तथा अतुलनीय सुविधाओं से संपन्न इस पुस्तकालय को पूरी दुनिया के विद्वान अपनी शैक्षिक गतिविधियों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्वर्ग-तुल्य स्थान मानते हैं।

5.3 दि ब्रिटिश लाइब्रेरी

यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दि ब्रिटिश लाइब्रेरी (The British Library) है। यह एक साधारण पुस्तकालय नहीं है। अपने अप्रतिम संग्रह और कुशल कर्मचारियों के कारण, विद्वानों, शोधकर्त्ताओं तथा नवीन खोज में संलग्न लोगों के लिए पूरी दुनिया के सूचना-स्रोत यहाँ उपलब्ध हैं। यू के के पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क में इसका प्रमुख स्थान है। यह पुस्तकालय अपने देश के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक-आर्थिक जीवन का प्रतिबिंब है। विद्वत्ता, शोध एवं विकास, उद्योग, व्यवसाय तथा सूचना के समस्त प्रमुख उपयोक्ताओं के लिए पुस्तकालय सेवा उपलब्ध करना इसका लक्ष्य है। इसकी सेवाएँ ब्रिटिश लाइब्रेरी सिस्टम (British Library System) द्वारा संगृहीत बहुमूल्य पठन सामग्री पर आधारित है।

उद्देश्य

दि ब्रिटिश लाइब्रेरी का गठन देश के लिए यथा संभव सर्वोत्तम केन्द्रीय पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया गया। सरकारी श्वेतपत्र (White Paper) में इस पुस्तकालय के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं :

(अ) देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक तथा पत्रिका की कम-से-कम एक प्रति, और जहाँ तक संभव हो, विदेशों में प्रकाशित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की प्रतियाँ प्राप्त कर उनका परिरक्षण करना और संदर्भ के लिए उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य है। इस कार्य का उद्देश्य है, यथासंभव, वृहत् पैमाने पर संदर्भ सेवा प्रदान करना। इस प्रकार, यदि किसी पाठक को अपने नजदीक के पुस्तकालय में कोई प्रलेख नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो वह उसे दि ब्रिटिश लाइब्रेरी में पा सकता है;

NOTES

(ब) देश के अन्य पुस्तकालयों एवं सूचना प्रणालियों को समर्थन देने के लिए सफल देय-आदेय तथा फोटो-प्रतिलिपिकरण सेवा चलाना; तथा

(स) न केवल केन्द्रीय पुस्तकालयों को बल्कि पूरे देश के पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों को, दूसरे देशों के केन्द्रीय पुस्तकालयों के घनिष्ठ सहयोग से केन्द्रीय सूचीकरण तथा अन्य ग्रंथात्मक सेवाएँ प्रदान करना।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, दि ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट (The British Library Act) में ब्रिटिश लाइब्रेरी के कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यों की संक्षिप्त चर्चा नीचे की गई है :

(1) मुद्रित अथवा अन-मुद्रित पुस्तकों, पांडुलिपियों, पत्रिकाओं, चलचित्रों तथा अन्य अभिलेखित सामग्री के व्यापक संग्रह का निर्माण करना;

(2) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानविकी से संबंधित विषयों एवं कार्यों के लिए संदर्भ, अध्ययन तथा ग्रंथात्मक एवं अन्य सूचना सेवाओं के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करना; तथा

(3) पुस्तकालय की सेवाओं को विशेष रूप से शैक्षिक एवं विद्वत् संस्थानों, अन्य पुस्तकालयों तथा उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना।

दि ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट में ब्रिटिश लाइब्रेरी का यह कार्य भी बताया गया है कि यह पुस्तकालय शोधपरक गतिविधियाँ चलाएगा तथा उनका संपोषण करेगा और इस प्रकार पुस्तकालय एवं सूचना की सुविधाएँ उपलब्ध कराने वाले संस्थानों, चाहे वे सार्वजनिक हों या सरकारी हों या गैर-सरकारी हों, को लाभ पहुँचाएगा।

(i) पृष्ठभूमि

सन् 1972 में ब्रिटेन की संसद में पारित एक अधिनियम (Act of Parliament-1972) के द्वारा दि ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना सन् 1973 में की गई। इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व, यू के (UK) में दो समितियाँ गठित की गईं जिन्होंने देश में कार्यरत विश्वविद्यालय पुस्तकालयों एवं राष्ट्रीय पुस्तकालयों के संगठनात्मक ढाँचे का अध्ययन करने के बाद देश में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली विकसित करने की सिफारिश की। ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना इन्हीं समितियों की सिफारिश का प्रतिफल है। इस सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट में एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया और उपर्युक्त अधिनियम को पारित कर दि ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इस अधिनियम के पारित होने के बाद ब्रिटिश म्युजियम (British Museum), नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी (National Central Library), नेशनल लाइब्रेरी फॉर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (National Library for Science and Technology) तथा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी लिमिटेड (British National Bibliography Limited) को एक साथ मिला दिया गया। सन् 1974 में ऑफिस फॉर साइंटिफिक एण्ड टेक्नीकल इंफार्मेशन (DSTI : Office Library for Scientific and Technical Information) को भी इस संरचना में शामिल कर लिया गया। कालांतर में इस समेकित-पुस्तकालय के ढाँचे में अन्य संस्थाओं की पुस्तकालय संबंधी गतिविधियों को भी शामिल कर लिया गया। जैसे-इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी एण्ड रिकार्ड्स (India Office Library and Records) (सन् 1982 में), हर मेजस्टिज स्टेशनरी ऑफिस (HMSO : Her Majesty's Stationary Office) बाइंडरिज (Binderies) (1982 में), तथा नेशनल साउण्ड आर्काइव्स (National Sound Archives) (1983 में)।

(ii) संगठन, प्रबंधन तथा सेवाएँ

दि ब्रिटिश लाइब्रेरी का संचालन एवं निदेशन एक प्रबंध-परिषद् करती है। इस प्रबंध परिषद् में एक अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, तीन कार्य-विभागों (मानविकी और समाजिक विभाग; विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उद्योग विभाग; तथा ग्रंथात्मक सेवा विभाग) के निदेशकों के अतिरिक्त पुस्तकालय एवं

विश्वविद्यालय-कार्य, वित्त, उद्योग अथवा प्रशासन के ज्ञान एवं अनुभव से परिपूर्ण नौ अन्य सदस्य हैं। अध्यक्ष तथा नौ विशेषज्ञ सदस्य इस परिषद् में अंश-कालिक कार्य करते हैं।

इस अनुभाग के अंत में एक संगठनात्मक तालिका (आकृति-4) दी गई है जिसके आधार पर दि ब्रिटिश लाइब्रेरी के संगठनात्मक ढाँचे की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(क) मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग

दि ब्रिटिश लाइब्रेरी के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग (जिसका पूर्व-नाम संदर्भ विभाग था) के अंतर्गत ब्रिटिश म्युजियम के पुस्तकालय विभाग के साथ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी एण्ड रिकार्ड्स (India Office Library and Records), नेशनल साउण्ड आर्काइव्स (National Sound Archives), तथा दि लाइब्रेरी एसोसिएशन लाइब्रेरी (The Library Association Library) कार्य करते हैं। यहाँ लगभग एक करोड़ दस लाख पठन-सामग्री संग्रहीत है जिसमें से कुछ सामग्री ऋण पर भी उपलब्ध है।

विशेषज्ञ-पठन-कक्ष में प्रवेश के लिए सामान्यतया पाठक-पास (Readers pass) की आवश्यकता होती है। शैक्षिक समुदाय, स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी, पुस्तकालयाध्यक्ष सूचना-वैज्ञानिक, पत्रकार तथा अन्य अन्वेषणात्मक व्यवसायों से संबंधित व्यक्ति ही पाठक-पास प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।

इस विभाग का गठन पाँच एककों में किया गया है : (अ) संग्रह-विकास, (ब) सार्वजनिक सेवाएँ, (स) विशिष्ट संग्रह, (द) नेशनल साउण्ड आर्काइव्स तथा (ह) परिरक्षण सेवा। संग्रह-विकास एकक का कार्य अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य एवं पौर्वात्य संग्रह की मुद्रित सामग्री, ओरियेण्टल (Oriental) पाण्डुलिपियों तथा मुद्रित सामग्री तथा दक्षिण एशिया के इतिहास और संस्कृति से संबंधित सामग्री के अधिग्रहण तथा रिकार्ड-निर्माण के बीच तालमेल बनाए रखना है।

पुस्तकालय में आने वाले तथा साथ ही दूर-स्थित पाठकों के लिए भी बड़े पैमाने पर संदर्भ एवं सूचना सेवा उपलब्ध कराना सार्वजनिक सेवा विभाग का कार्य है। इस एकक का संबंध सामान्य पठन-कक्ष, दुर्लभ ग्रंथों, सरकारी प्रकाशनों, सामाजिक विज्ञान, दि लाइब्रेरी एसोसिएशन लाइब्रेरी तथा समाचार-पत्र पुस्तकालय तथा उनकी देख-रेख से है।

पुस्तकालय में संगृहीत ग्रंथेतर सामगी, जिनके अंतर्गत पाश्चात्य पाण्डुलिपियाँ भी हैं, की देख-रेख का कार्य विशिष्ट संग्रह एकक (Special Collection Unit) करता है।

नेशनल साउण्ड आर्काइव्स (National Sound Archives) का कार्य समस्त प्रकार के ध्वनि-जन्य अभिलेखों का परिरक्षण है।

परिरक्षण सेवा एकक (Preservation Service Unit) का कार्य है, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान से संबंधित संग्रह के संरक्षण तथा परिरक्षण को निर्देशित तथा नियंत्रित करना। इसके अतिरिक्त, यह एकक परिरक्षण प्रक्रिया तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में शोध तथा विकास की गतिविधियों के ऊपर भी कार्य करता है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य तथा कार्य बताइए।

....

....

....

....

NOTES

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उद्योग विभाग

इस विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले एकक हैं : प्रलेख आपूर्ति केन्द्र तथा विज्ञान संदर्भ एवं सूचना सेवा। यह विभाग केवल विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उद्योग से संबंधित पाठकों को ही सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि सामाजिक विज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों को भी प्रलेख-आपूर्ति करता है।

केवल प्रलेख-आपूर्ति के कार्य में संलग्न यह विभाग विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रलेख-आपूर्ति केन्द्र है जो प्रलेखों की आपूर्ति ऋण पर, फोटोप्रतियों द्वारा तथा माइक्रो फिल्म रूप में कराता है। यह एक उच्चस्तरीय सेवा है और इससे अपूर्व सफलता मिली है।

विज्ञान संदर्भ एवं सूचना सेवा एकक (Science Reference and Information Service Unit) का कार्य, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यवसाय तथा व्यापार, पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के ऊपर संदर्भ सूचना सेवाएँ प्रदान करता है। इस एकक की कम्प्यूटर आधारित खोज-सेवा के अंतर्गत सौ से अधिक डेटाबेसों से ऑनलाइन खोज की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) ग्रंथात्मक सेवा विभाग

यू के से प्रकाशित समस्त साहित्य का डेटाबेस बनाकर उनका अभिलेख तैयार करना इस विभाग का प्रमुख कार्य है। यह यू के के ग्रंथात्मक अभिलेखों एवं सेवाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्रोत है जिससे समस्त पुस्तकालय-समुदाय और सम्पूर्ण ब्रिटिश लाइब्रेरी लाभान्वित होते हैं। यह ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी (British National Bibliography) तथा अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों की मुद्रित तथा माइक्रो फार्म-रूप ग्रंथसूचियों का प्रकाशन करने के अतिरिक्त ब्लेज (BLAISE : British Library Automated Information Service) नामक ऑनलाइन सेवा का भी संचालन करता है। ब्लेज के माध्यम से ब्रिटिश लाइब्रेरी तथा अन्य सम-सामयिक डेटाबेसों में प्राप्त सूचना के अभिगम और पुनर्प्राप्ति तथा मशीन पठनीय रूप में चुंबकीय टेपों के रूप में ग्रंथात्मक अभिलेखों की आपूर्ति को सुलभ बनाया गया है।

(घ) ब्रिटिश लाइब्रेरी शोध एवं विकास विभाग

प्रत्येक क्षेत्र में पुस्तकालय, प्रलेखन एवं सूचना से संबंधित गतिविधियों को यह विभाग बढ़ावा देता है तथा इन गतिविधियों के लिए अनुदान भी प्रदान करता है। इन गतिवधियों के ऊपर प्रतिवेदनों का प्रकाशन कर तथा इन पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का आयोजन कर यह विभाग अनेक माध्यमों से शोध-परिणामों का संप्रेषण एवं प्रसार करता है।

ब्रिटिश लाइब्रेरी का केन्द्रीय प्रशासन कार्मिक, प्रशिक्षण, प्रशासनिक, आवास-व्यवस्था तथा कानूनी सेवा से संबंधित मामलों सहित ब्रिटिश लाइब्रेरी के सभी विभागों की गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है।

प्रलेख-संग्रह

दि ब्रिटिश लाइब्रेरी के शेल्विंग क्षेत्र का आकार 104 मील (167 कि.मी.) का है। इसकी कुल संग्रह-संख्या 32.21 लाख है जिसमें पुस्तकें, क्रमिक प्रकाशन, प्रतिवेदन, शोध-प्रबंध, सम्मेलनों की कार्यवाही, म्युजिक स्कोर इत्यादि सम्मिलित हैं। इसके संग्रह में प्रत्येक वर्ष 2 लाख अभिलेख जोड़े जाते हैं। इसके संग्रह में संगृहीत माइक्रो फिल्म की पट्टियों (रोल) की लंबाई लगभग 2000 मील (3226 कि. मी.) है तथा इसके संग्रह में 42 लाख से अधिक माइक्रोफिश हैं। इनके अतिरिक्त, जेनेट (JANET) के माध्यम से बैच इंफॉर्मेशन एण्ड डेटा सर्विसेज (Batch Information and Data Services) के द्वारा इसके पास 35.66 लाख प्रलेख ऑनलाइन रूप में उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन अभिगमन

दि ब्रिटिश लाइब्रेरी के कम्प्यूटर कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक डेटाबेसों का ऑनलाइन अभिगमन किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन अभिगमन के लिए निरंतर रूप से डेटाबेस जोड़े जा रहे हैं। यू के की विभिन्न अंतर-क्षेत्रीय पुस्तकालय प्रणालियों से ब्रिटिश लाइब्रेरी की कम्प्यूटर फाइलों का ऑनलाइन अभिगमन किया जा सकता है। क्रमिक प्रकाशनों, सम्मेलनों तथा मोनोग्राफों की फाइलें यूनिटी (UNITY) नामक सिस्टम पर तथा साहित्य की फाइलें ब्लेज (BLAISE) पर ऑनलाइन अभिगमन के लिए उपलब्ध हैं।

इन डेटाबेसों का विस्तृत विवरण दि ब्रिटिश लाइब्रेरी नेशनल बिब्लिओग्राफिक सर्विसेज, बोस्टन स्पा नामक स्थान पर उपलब्ध है।

जर्नल कॉटेंट्स पेज (JOURNAL CONTENTS PAGE) सेवा एक सशुल्क सेवा है जिसे निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। इस सेवा को पाठकों की साहित्य संबंधी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अनुकूल बनाया गया है। न्यू टाइटिल एलर्ट (New TITLE ALERT) एक साप्ताहिक सेवा है जिसमें नवीन पत्रिकाओं की सूची दी जाती है। स्टॉक एलर्ट सर्विस (Stock Alert Service) द्वारा ब्लेज (BLAISE) में संकलित पठन सामग्री के विषय परक खोज को सुलभ बनाया गया है।

एक छत के नीचे अनेक भवन

यद्यपि दि बिटिश लाइब्रेरी की प्रबंध व्यवस्था ब्रिटिश लाइब्रेरी परिषद् (British Library Board) द्वारा की जाती है, इसके अनेक विभाग हैं जो लंदन के विभिन्न भवनों में स्थित हैं। ये विभिन्न विभाग निम्नलिखित हैं :

(1) पाठक नामांकन कार्यालय

(2) मुख्य पठन-कक्ष, उत्तरी पुस्तकालय

(3) सरकारी-प्रकाशन पुस्तकालय

(4) संगीत पठन-क्षेत्र

(5) मानचित्र-पुस्तकालय

(6) छात्रों के लिए पांडुलिपि कक्ष

टिप्पणी : उपरिलखित विभाग लंदन के रसल स्ट्रीट (Russel Street) में स्थित हैं।

(7) समाचार-पत्र पुस्तकालय, कोलिंडाटा एवेन्यू, लंदन

(8) प्राच्य-विद्या पठन-कक्ष, स्टोर स्ट्रीट, लंदन

(9) विज्ञान संदर्भ पुस्तकालय, चांसरी लेन, लंदन

(10) विज्ञान संदर्भ पुस्तकालय, केम स्ट्रीट, लंदन

(11) इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी एण्ड रिकार्ड्स (Indian Office Libray and Records), ब्लैकफ्रियर्स रोड, लंदन

(12) IOLR समाचार-पत्र पठन-कक्ष, एडविच, लंदन

(13) लाइब्रेरी एसोसिएशन लाइब्रेरी, रिजमाउण्ट स्ट्रीट, लंदन

इन सारे विभागों को एक भवन में एक छत के नीचे स्थानांतरित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

NOTES

दि ब्रिटिश लाइब्रेरी बोर्ड

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी — सामूहिक सेवाएँ (कार्पोरेट सर्विसेज)

- मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का कार्यालय
- सामूहिक वित्त–व्यवस्था
- सामूहिक–विपणन
- प्रेस तथा जनसंपर्क

मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग

केन्द्रीय प्रशासन

विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उद्योग विज्ञान

- प्रलेख आपूर्ति केन्द्र
- विज्ञान संदर्भ एवं सूचना सेवा, हॉलबोर्न, एल्डविच

शोध एवं विकास विभाग

ग्रंथात्मक सेवा विभाग

- रिकार्ड निर्माण
- स्वचालित सेवाएँ

योजना एवं प्रशासन

विपणन एवं प्रकाशन

- परिरक्षण सेवा
  राष्ट्रीय परिरक्षण कार्यालय,
  बाइंड्री तथा कार्यशालाएँ
- प्रलेख–संग्रह विकास
  अंग्रेजी भाषा
  पश्चिमी यूरोपीय
  पूर्वी यूरोपीय
  इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी
  एण्ड रिकार्ड्स
  पौर्वात्य (ओरिएंटल)
  पांडुलिपियाँ तथा
  मुद्रित पुस्तकें
- विशिष्ट संग्रह
  मानचित्र
  पाश्चात्य पांडुलिपियाँ
  संगीत
  टिकट–संग्रहण
  राष्ट्रीय ध्वनिलेखी अभिलेखागार

- सार्वजनिक सेवाएँ

  सामान्य पठन-कक्ष

  उत्तरी पुस्तकालय

  सरकारी प्रकाशन तथा

  सामाजिक विज्ञान सेवा

  लाइब्रेरी एसोसिएशन

  लाइब्रेरी

  समाचार-पत्र पुस्तकालय

  प्रदर्शनी तथा शिक्षा

  पाठक नामांकन

आकृति 4 : ब्रिटिश लाइब्रेरी परिषद्

6. सार-संक्षेप

राष्ट्रीय पुस्तकालयों का उद्भव और विकास पिछली दो या तीन शताब्दियों में हुआ। आज विश्व के लगभग प्रत्येक देश में उसका राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित हो चुका है। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने-अपने देश की सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय परंपरा तथा प्रगति को प्रतिबिंबित करते हैं तथा इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अध्याय में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के उद्भव और विकास का संक्षिप्त खाका प्रस्तुत किया गया है और विशेष रूप से, राष्ट्रीय पुस्तकालय की विचारधारा के क्रम-विकास पर समालोचनात्मक प्रकाश डाला गया है।

विगत दो या तीन शताब्दियों में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्यों तथा गतिविधियों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। साथ ही, अपने-अपने देशों में राष्ट्रीय पुस्तकालय को विकसित करने के क्रम में देशों ने अमूल्य अनुभवों के भण्डार संचित किये हैं। गतिविधियों के इस विस्तार तथा अनुभवों के इस भण्डार के आलोक में, इस अध्याय में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के उद्देश्यों, कार्यों तथा गतिविधियों का भी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इस संदर्भ में, अनेक राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्रीय पुस्तकालयों के जिन उद्देश्यों के बारे में आम-सहमति बनी है, उन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया है:

(i) अपने देश से प्रकाशित, मुद्रित तथा अन-मुद्रित सामग्री का व्यापक संग्रह करना तथा इसके अतिरिक्त अपने देश/राष्ट्र से संबंधित किसी भी अन्य देश में प्रकाशित प्रलेखों का भी अधिग्रहण करना;

(ii) मांग होने पर अन्य देशों के प्रकाशित प्रलेखों का अधिग्रहण करना;

(iii) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने प्रलेख-संग्रह का प्रक्रियाकरण और व्यवस्थापन करना तथा उपयोग के लिए उसे सुलभ बनाना;

(iv) प्रसूचियों, ग्रंथसूचियों, सार, इत्यादि के द्वारा सूचना का प्रसार एवं संप्रेषण करना;

(v) सभी कोटि के उपयोक्ताओं को पुस्तकालय, प्रलेखन एवं सूचना सेवा प्रदान करना; तथा

(vi) पुस्तकालय/सूचना कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा पुस्तकालय एवं सूचना के क्षेत्रों में शोधकार्य सहित अन्य पुस्तकालय एवं सूचना संबंधी गतिविधियों के विकास का उत्तरदायित्व संभालना।

NOTES

हाल के दशकों में, विषयों, उपयोक्ता-वर्गों, राज्यों/क्षेत्रों अथवा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के आधार पर विविध प्रकार के राष्ट्रीय पुस्तकालयों की स्थापना हुई है। विभिन्न देशों के विभिन्न देशों के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के उदाहरण इस अध्याय में दिए गए हैं।

तीन देशों : भारत, यू एस ए तथा यू के के राष्ट्रीय पुस्तकालयों का संक्षिप्त विवरण भी इस अध्याय में उपस्थित किया गया है तथा उनकी वृद्धि और विकास की चर्चा की गई है। इन पुस्तकालयों से संबंधित मुख्य पहलू हैं : (अ) संगह, संग्रह का वैविध्य तथा संग्रह का आकार; (ब) उपयोग के लिए प्रलेखों का प्रक्रियाकरण तथा व्यवस्थापन; (स) विभिन्न ग्रंथात्मक उत्पादों के माध्यम से संग्रह में उपलब्ध सूचना का प्रसार तथा संप्रेषण; और (द) कम्प्यूटर तथा आधुनिक संचार तकनीकों के उपयोग द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ।

7. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. औद्योगिक रूप से सुविकसित कुछ पाश्चात्य देशों में पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तकालय की विचारधारा और इसके वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ। इन पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास के ऊपर संबंधित देशों के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास की स्पष्ट छाप नजर आती है। पिछली अर्द्धशती में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के न केवल आकार और संख्या में ही वृद्धि हुई है, बल्कि इनका बहुआयात्मक विस्तार भी हुआ है। राष्ट्रीय पुस्तकालयों के बीच नेटवर्क के विकास की प्रवृत्ति इसका एक उदाहरण है। आज, कुछ देशों में विविध विषयों, जैसे-आयुर्विज्ञान, कृषि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी; और कुछ व्यावसायिक सेवाओं, जैसे-प्रलेख आपूर्ति और राष्ट्रीय ग्रंथसूचियों के संकलन एवं प्रकाशन से संबंधित राष्ट्रीय-विषय-पुस्तकालयों की स्थापना हो चुकी है।

2. हैरोड्स लाइब्रेरियंस ग्लोसरी एण्ड रेफरेंस बुक (Harrod's Librarians' Glossary at Reference Book) के छठवें संस्करण (1987) में राष्ट्रीय पुस्तकालय की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :

   (i) सरकारी कोष से संपोषित एक पुस्तकालय;

   (ii) जो सम्पूर्ण राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो;

   (iii) जिसमें रखी हुई पुस्तकें सामान्यतया केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध हों;

   (iv) जो सामान्यतया एक प्रतिलिप्यधिकार-संपन्न पुस्तकालय हो;

   (v) अपने देश में प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रलेखों का सुदीर्घ काल तक परिरक्षण करना जिसका कार्य हो;

   इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता होती है, जिसके प्रावधानों के अनुसार देश के सारे प्रकाशक इस पुस्तकालय में अपनी पुस्तकों को जमा कराने के लिए बाध्य हों, तथा

   (vi) जो अन्य देशों में प्रकाशित प्रतिनिधि साहित्य का भी क्रय करता हो।

3. "राष्ट्र के पुस्तकालयीय-व्यक्तित्व का प्रतीकात्मक-प्रतिनिधित्व करने के बजाय, राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होना चाहिए। इसे, विश्व के प्रति राष्ट्र के पुस्तकालयीय दायित्वों का निर्वाह करने का माध्यम होना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय को इस अर्थ में राष्ट्रीय होना है कि इसे राष्ट्र के अंतिम पुस्तक बैंक के रूप में इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे देश के किसी भी नागरिक के उपयोग के लिए इसके दरवाजे खुले हों। देश के प्रत्येक भाग में, पुस्तकालयीय संसाधनों को संपूरित करने में भी इसे सक्षम होना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालयों को इस अर्थ में भी राष्ट्रीय होना चाहिए कि उसके संग्रह में देश में प्रकाशित, देश के ऊपर प्रकाशित, देश के नागरिकों द्वारा लिखित और देश के ऊपर लिखित प्रत्येक पठन-सामग्री का प्रतिनिधि संकलन हो। इसे, विश्व में कहीं से भी प्रकाशित ऐसी पठन-सामग्री को भी प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए देशवासियों में उचित मांग होने की संभावना हो।"

सन् 1964 में मनीला में आयोजित रिजनल सेमीनार ऑन दि डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरिज इन एशिया एण्ड पैसिफिक एरिया (Regional Seminar on the Development of National Libraries in Asia and Pacific Area) के अंतिम प्रतिवेदन में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं :

(i) राष्ट्र के पुस्तकालयों को नेतृत्व प्रदान करना;

(ii) देश में जारी किए गए समस्त प्रकाशनों के स्थायी निक्षेप को सुनिश्चित करना;

(iii) अन्य प्रकार की सामग्री का भी अधिग्रहण करना;

(iv) ग्रन्थात्मक सेवाएँ प्रदान करना;

(v) सहकारी गतिविधियों के लिए कार्य करना;

(vi) सरकार को सेवा प्रदान करना।

4. **भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय** सन् 1948 में, स्वतंत्रता-प्राप्ति के तुरंत बाद, नवगठित भारत राष्ट्र के निर्माताओं ने पूर्ववर्ती इंपीरियल लाइब्रेरी को देश के नये राष्ट्रीय पुस्तकालय में रूपांतरित किया। उस समय, इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी आवश्यकता अतिरिक्त स्थान की थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री सी. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपना वरद्-हस्त बढ़ाया और कलकत्ता स्थिति बेलवेडर पैलसे (Belvedere Palace) नामक वायसराय-प्रसाद को उसके लंबे-चौड़े, हरे-भरे दूर्वा-क्षेत्र सहित राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए मुहैय्या कराया। इस नवीन राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर श्री बी. एस. केशवन की नियुक्ति की गई। इनमें प्रशासनिक कुशलता, भविष्य दृष्टि और अदम्य उत्साह जैसे गुण कूट-कूट कर भरे थे। इस प्रकार, एक पूर्ववर्ती शाही-संस्थान को स्वतंत्र भारत के ज्ञान-मन्दिर के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। भारत संघ के तत्कालीन मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा 1 फरवरी 1953 के दिन इस नवीन राष्ट्रीय पुस्तकालय को सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया गया। इस कार्य के लिए 1 फरवरी 1953 का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन इस पुस्तकालय का स्वर्ण जयन्ती दिवस था (नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी को जन-उपयोग के लिए 30 जनवरी 1903 को खोला गया था।)

8. मुख्य शब्द

उप-राष्ट्रीय (Sub-national)	:	किसी राष्ट्र के अंतर्गत कोई संगठन।
चर्मपत्र (Parchment)	:	विशेष प्रक्रिया द्वारा लेखन-योग्य माध्यम के रूप में तैयार किया गया भेड़ या बकरे का चमड़ा।
निक्षेपागार (Depository)	:	ऐसा स्थान जहाँ किसी वस्तु को सुरक्षित रूप में भण्डारित किया जाता है।
पपीरस (Papyrus)	:	नदी के किनारे उगने वाले एक ऊँचे वृक्ष के लंबे तने से तैयार की गई कागज जैसा सामग्री।
भूर्ज-छाल (Birch Barks)	:	एक वृक्ष (भूर्ज) की निश्चित आकार में काटी गई छाल, जिसे पानी में भिगोने तथा धूम में सुखाने के बाद लेखन-योग्य माध्यम का रूप दिया जाता है।
वेलम (Vellum)	:	विशेष प्रक्रिया द्वारा लेखन-योग्य माध्यम के रूप में तैयार किया गया गर्भस्थ/मृतजात (स्टिल-बोर्न) मेमने या बछड़े का चमड़ा।

NOTES

9. अभ्यास-प्रश्न

1. राष्ट्रीय पुस्तकालयों के प्रादुर्भाव पर एक लघु निबन्ध लिखिए।
2. राष्ट्रीय पुस्तकालयों के उद्देश्य तथा कार्यों का विवेचन कीजिए।
3. राष्ट्रीय पुस्तकालयों के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
4. भारत की कलकत्ता लाइब्रेरी तथा इम्पीरियल लाइब्रेरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
5. संयुक्त राज्य अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के प्रलेख संग्रह विकास की प्रक्रिया की समीक्षा कीजिए।

10. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

Banerjee, D. N. (994). India's National Library. Herald of Libary Science. 33. pp.3-4.

Day, Alan (1994). The New British Library. London : Library Association Publishing. XII, 265p.

Goodrum, Charles A. (1980). Treasures of the Library of Congress. New York : Harry Nabrams, Inc. 318p.

Krishan Kumar (1987). Library Organisation. New Delhi : Vikas. Chapter 9.

Majumdar, Uma (1987). India's National Library : Systematisation and Modernisation. National Library. Calcutta. Xii. 244p.

अध्याय-6

शैक्षिक पुस्तकालय : विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. विद्यालय पुस्तकालय
   - 3.1 प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय
   - 3.2 माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय
   - 3.3 भारतीय परिदृश्य
4. महाविद्यालय पुस्तकालय
   - 4.1 महाविद्यालय के उद्देश्य तथा कार्य
   - 4.2 आदर्श महाविद्यालय रूपी अँगूठी में जड़ा नगीना
   - 4.3 आदर्श महाविद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख घटक
   - 4.4 वर्तमान परिदृश्य
5. विश्वविद्यालय पुस्तकालय
   - 5.1 विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं कार्य
   - 5.2 विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य एवं कार्य
   - 5.3 उपयोक्ता समुदाय (पाठक)
   - 5.4 अभिशासन तथा प्रबंधन
   - 5.5 संगठनात्मक ढाँचा
   - 5.6 प्रलेख-संग्रह विकास
   - 5.7 तकनीकी प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन
   - 5.8 सेवाएँ
   - 5.9 भौतिक सुविधाएँ
   - 5.10 व्यावसायिक कर्मचारी
   - 5.11 वित्त-व्यवस्था एवं बजट
6. सामान्य टिप्पणी
7. सार-संक्षेप
8. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
9. अभ्यास-प्रश्न
10. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

पठन तथा संदर्भ के लिए पुस्तकों का उपयोग करना पढ़ाई, शिक्षा और शोध का अभिन्न अंग है। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पुस्तकालय, छात्रों तथा शिक्षकों को पठन तथा संदर्भ के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं तथा इस प्रकार पठन एवं शिक्षण की प्रक्रिया, जो सामान्यतया कक्षाओं में चलती है, को विस्तृत बनाते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में, उपरिलिखित कार्यों एवं सुविधाओं के अलावा उच्च शिक्षा, शोध तथा ज्ञान के संप्रेषण के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस अध्याय में आपका परिचय समस्त शैक्षिक संस्थाओं, जैसे प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, के पुस्तकालयों की भूमिका, उद्देश्य तथा कार्यों से कराया जाएगा।

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित बातों से सुपरिचित होंगे :

- विभिन्न स्तरों पर औपचारिक शिक्षा चलाने में पुस्तकालयों की भूमिका की व्याख्या करना;
- विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के कार्यों का वर्णन करना; तथा
- इन पुस्तकालयों में संगृहीत प्रलेखों की प्रकृति तथा कोटियों से भिज्ञ होना तथा इस बात की जानकारी प्राप्त करना कि उपयोग के लिए उपलब्ध कराने तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएँ चलाने के लिए इन प्रलेखों का प्रक्रियाकरण तथा व्यवस्थापन कैसे किया जाता है।

2. परिचय

शिक्षा सीखने की एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है, प्रत्येक स्तर के लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करना। इस प्रक्रिया में विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वद्यिालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार की शिक्षाएँ आती हैं जिनके अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की उपाधियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। शिक्षा की इस प्रणाली का विकास पिछले 150 वर्षों में हुआ। इस शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ हमारे देश के ब्रितानी शासकों द्वारा किया गया; तथा सन् 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में उपयुक्त परिवर्तनों एवं संशाधनों के साथ इसका विकास किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सार्थक उपाय अपनाने तथा इसे देश की आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक उच्च अधिकार-युक्त आयोगों का गठन कर शिक्षा प्रणाली की समीक्षा की गई। शिक्षा सुधारों-विशेषकर विद्यालय स्तर की शिक्षा-के संबंध में हाल के वर्षों में सरकार ने अपनी गहन रूचि दिखाई है। देश के नौनिहालों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्र ने सन् 1986 में एक नवीन शिक्षा नीति अपनाई। इस नीति के मूल में, अपनी राष्ट्रीय धरोहर को संचित करने के भाव के साथ-साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में शिक्षा प्रदान करने का भाव भी सन्निहित है।

शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में पुस्तकालयों तथा स्व-शिक्षण को भी सम्पूर्ण शिक्षण-प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक तथा अनिवार्य हिस्सा माना गया है। इस मान्यता को ठोस रूप देने के लिए प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक पुस्तकालयों की ओर तथा स्व-शिक्षण के नियोजन तथा विकास की ओर प्रचुर ध्यान दिया गया है। फिर भी पुस्तकालयों तथा स्व-शिक्षण-जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख हथियार हैं-को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बहुत कुछ और भी किया जा सकता है।

इस अध्याय में हम प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का अध्ययन करेंगे। ये पुस्तकालय अपने-अपने पैत्रिक संगठनों के समस्त शैक्षिक और शोधपरक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। इस अध्याय में हम, विभिन्न स्तरों पर चलाई जाने वाली शिक्षा (विद्यालय, महाविद्यालय आदि स्तरों पर) की प्रक्रिया में पुस्तकालयों की भूमिका की भी व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ, हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इन पुस्तकालयों में किस प्रकार के प्रलेखों का संग्रह किया जाता है; उनका प्रक्रियाकरण, व्यवस्थापन एवं देखरेख कैसे किया जाता है; और पाठक उनसे कैसे लाभान्वित होते हैं। इन बातों की चर्चा एक आदर्श पुस्तकालय को ध्यान में रखकर

की गई है, यद्यपि अनेक पुस्तकालय आदर्श मानकों को पूरा नहीं करते। हम इन बातों के ऊपर भारतीय संदर्भ में ही विचार करेंगे।

भारत में स्थापित विभिन्न प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं से संबद्ध पुस्तकालयों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करने के लिए निम्नांकित तालिका दी गई है :

शैक्षिक पुस्तकालय

विद्यालय	**महाविद्यालय**	**विश्वविद्यालय**
प्राथमिक	जूनियर	पारंपरिक विश्वविद्यालय
मिड्ल	स्नातक	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
माध्यमिक	स्नातकोत्तर	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
उच्चतर माध्यमिक	व्यावसायिक	कृषि विश्वविद्यालय
पॉलिटेकनिक		आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
		भारतीय प्रबंध संस्थान
		दूर-शिक्षा विश्वविद्यालय तथा अन्य

टिप्पणी : शैक्षिक पुस्तकालयों के अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। यह तालिका उदाहरणस्वरूप दी गई है।

3. विद्यालय पुस्तकालय

छात्रों द्वारा पुस्तकालयों का उपयोग प्राथमिक विद्यालयों से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। प्राथमिक, मिड्ल (Middle) तथा माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों द्वारा निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए:

(i) शिक्षकों और छात्रों की आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुरूप पुस्तकों तथा अन्य प्रलेखों का अधिग्रहण करना, उनको ऋण पर उपलब्ध कराना तथा ऐसी पुस्तकों की तलाश में रहना जो शिक्षकों एवं छात्रों की आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों को संतुष्ट कर सकें;

(ii) शिक्षकों और छात्रों में पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री के प्रति उत्सुकता तथा अभिरुचि जगाना तथा अपनी रुचि की पुस्तकों की प्राप्ति में उनकी सहायता करना;

(iii) छात्रों को पुस्तकों तथा ज्ञान-प्राप्ति के अन्य स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग में सक्षम बनाने के लिए उनके मस्तिष्क में पुस्तकों के प्रति गौरव-भाव उत्पन्न करना तथा उनके लिए पठन-पाठन की रुचि जागृत करना;

(iv) आजीवन शिक्षा के लिए पाठकों में स्व-शिक्षण की प्रभावशाली योग्यता एवं निपुणता उत्पन्न करना;

(v) विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए तथा स्वयं के शैक्षणिक विकास के लिए, शिक्षकों को ज्ञान-प्राप्ति के स्रोतों का उपयोग करने के लिए सुयोग्य बनाना;

(vi) सूचना की प्राप्ति के लिए पाठकों में पुस्तकालयों के प्रति निष्ठा भाव एवं अभिरुचि उत्पन्न करना।

इन प्रमुख आदर्शों की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में विभिन्न स्तर के कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। श्रव्य-दृश्य सामग्री की सहायता से शिक्षण तथा अनुदेश की विविध पद्धतियाँ भी विकसित की जाती हैं। विभिन्न आयु-वर्ग के छात्रों के लिए अनेक पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों की योजना बनाकर उन्हें उनमें भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वह सामूहिक गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें। ऐसी सामूहिक गतिविधियाँ हैं- विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों तथा सामाजिक-कार्य से संबंधित गतिविधियों में भाग लेना। इससे छात्रों में नेतृत्व के गुण तथा संगठनात्मक कौशल को विकसित करने के अवसर मिलते हैं। किसी विशेष क्षेत्र, जैसे- खेल-कूद, पेंटिंग (Painting), संगीत, नाटक इत्यादि-में प्रतिभावान छात्रों को उपयुक्त अवसर पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इन प्रयासों को सार्थक बनाने में पुस्तकालय एक स्रोत-केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

अपने कार्यों तथा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय अनेक प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। विद्यालय में एक आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना कर उसके अन्तर्गत पुस्तकालय संबंधी सेवाएँ चलाना एक महत्वपूर्ण सुविधा है। हाल के दशकों में पुस्तकालयों को मात्र एक सुविधा के रूप में ही नहीं बल्कि ज्ञान के विभिन्न आयामों की प्राप्ति के एक प्रमुख साधन के रूप में भी स्वीकार किया गया है। पुस्तकालय, शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक दोनों प्रकार की गतिविधियों में छात्रों के लिए सहायक हैं। इस अनुभाग में हम प्राथमिक विद्यालय-पुस्तकालयों (Primary School Libraries) तथा माध्यमिक विद्यालय-पुस्तकालयों (Secondary School Libraries) का अध्ययन करेंगे।

3.1 प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय

इन पुस्तकालयों के पाठक हैं पाँच से दस या ग्याहर वर्ष की आयु के बालक-बालिकाएँ और इन्हें पढ़ाने एवं इनके भविष्य का निर्माण करने वाले अध्यापक-अध्यापिकाएं। यह आयु बालक-बालिकाओं की प्रवृत्तियों और रुचियों के निर्माण की आयु होती है। अतः प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालयों को निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करेन का प्रयास करने चाहिए :

- पुस्तक-रुचि विकसित करना;
- ज्ञान-प्राप्ति के विभिन्न उपकरणों, जो बहुसंख्यक मात्रा में उपलब्ध हैं, के उपयोग को बढ़ावा देना;
- पुस्तकें तथा ज्ञान-प्राप्ति के अन्य स्रोतों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना; तथा
- एक धीमी परन्तु संकल्पित प्रक्रिया के अंतर्गत पठन रुचि को विकसित करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है :

- छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पुस्तकों तथा ज्ञान-प्राप्ति एवं शिक्षण हेतु आवश्यक अन्य सामग्री के उत्तम संग्रह का निर्माण करना;
- छात्रों के ध्यान एवं उत्सुकता को आकर्षित करने के लिए इस संग्रह का समुचित व्यवस्थापन एवं प्रदर्शन करना तथा उसकी सुविधाजनक उपलब्धि को सुनिश्चित करना;
- छात्रों में पढ़ने, ज्ञान प्राप्त करने तथा पुस्तकों का उपयोग करने की रुचि को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं सेवाएँ चलाना;
- पुस्तकालय के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएँ- जैसे- भवन, फर्नीचर तथा उपकरण जुटाना;
- पुस्तकालय के लिए प्रचुर वित्तीय साधन प्राप्त करना तथा सुनियोजित बजट बनाकर उसका उपयोग करना;
- पुस्तकालय प्रणाली की रूपरेखा बनाने, उसका प्रबंध करने तथा उसका संचालन करने के लिए उपयुक्त व्यावसायिक कर्मियों की नियुक्ति करना; तथा
- पुस्तकों तथा ज्ञान-प्राप्ति एवं शिक्षण की अन्य सामग्री के संग्रह का निर्माण करना।

बालक-बालिकाओं में पठन-रुचि की नींव डालने के लिए उन्हें ऐसी पुस्तकें तथा पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जो उनकी पठन-रुचि और उत्सुकता को कायम रख सकें। बालकों की अभिरुचि की पठन सामग्री से तात्पर्य है, ऐसी सामग्री जिससे उन्हें अंतरिक्ष तथा ब्रह्माण्ड, समुद्र-तल, वन्य-जीवन तथा मरुभूमि, नगर तथा ग्राम, वनस्पति तथा प्राणि-जगत् विभिन्न देशों के निवासियों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सामान्य सिद्धान्तों की जानकारी मिल सके। सौभाग्यवश, इन सारे तथा अन्य विषय क्षेत्रों के ऊपर प्रचुर साहित्य उपलब्ध है।

विद्यालय पुस्तकालयों को अपने पुस्तक-संग्रह में निम्नलिखित विषयों के ऊपर पुस्तकें रखनी चाहिए तथा उनके व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए :

(i) शौर्य-गाथा एवं साहसिक कार्य, देशभक्ति, मानव-सेवा तथा अन्य इसी प्रकार की विषय-वस्तु को चित्रित करने वाली सचित्र पुस्तकें;

(ii) महान् महिलाओं और पुरुषों की जीवनी;

(iii) यात्रा एवं हास्य-रस की पुस्तकें;

(iv) लोकगाथाएँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, अरेबियन नाइट्स (Arabian Nights), एसोप (Aesop's) की नीति-कथाएँ, रोबिन-हुड (Robinhood) की कहानियाँ;

(v) पशु-पक्षियों की कहानियाँ;

(vi) लोकप्रिय खेल-कूद;

(vii) सांस्कृतिक धरोहर;

(viii) संदर्भ पुस्तकें, जैसे- बाल-विश्वकोश तथा सचित्र कोश;

(ix) बाल-पत्रिकाएँ, जैसे- चिल्ड्रेंस वर्ल्ड (Children's World), चंदामामा, टिंकल (Tinkel) इत्यादि;

(x) दृश्य-श्रव्य सामग्री, जैसे- चल-चित्रक फिल्म, सजीवात्मक फिल्म, टेप-स्लाइड, वीडियो कैसेट;

(xi) मॉडेल (Models), चार्ट (Charts), मानचित्र, ग्लोब (Globes), पिक्चर (Pictures),)फोटोग्राफ (Photographs), खिलौने इत्यादि;

(xii) ज्ञान-प्राप्ति के अन्य उपकरण; तथा

(xiii) कम्प्यूटर, जिनमें खेल से संबंधित सॉफ्टवेयर (Software) हों।

बाल पुस्तकों तथा सामग्री के अतिरिक्त विद्यालय पुस्तकालय में शिक्षकों के लिए भी विभिन्न प्रकार की सामग्री और संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए, जैसे- शिक्षण-सामग्री, बाल-मनोविज्ञान की पुस्तकें तथा इस प्रकार की अन्य पुस्तकें। यदि पुस्तकालय के पास ऐसी सामग्री के अधिग्रहण के लिए यथेष्ट धन नहीं हो तो इन्हें आस-पास के पुस्तकालयों से अंतरपुस्तकालय ऋण पर मंगाया जा सकता है।

पुस्तक चयन एवं अधिग्रहण

ज्ञान-प्राप्ति तथा शिक्षण के लिए उपयुक्त एवं उपयोगी प्रलेख-संग्रह का निर्माण करना उच्च-स्तरीय व्यावसायिक कार्य तथा उत्तरदायित्व है। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शिक्षकों के परामर्श से विद्यालय के प्रबंधकों द्वारा निर्धारित पुस्तक चयन नीति के आधार पर पुस्तकालयों को अपने प्रलेख-संग्रह का निर्माण करना चाहिए। पुस्तकों के उत्तम संग्रह का निर्माण करने के लिए जिन बातों की जानकारी आवश्यक है वे हैं- पुस्तक चयन प्रक्रिया में व्यावसायिक दक्षता एवं इस प्रक्रिया का समुचित ज्ञान, पुस्तक प्रकाशन एवं विक्रय प्रणाली का विस्तृत ज्ञान, शैक्षिक उपकरणों एवं श्रव्य-दृश्य उपकरणों के उत्पादकों की जानकारी और सबसे अधिक, छात्रों एवं शिक्षकों की शिक्षापरक आवश्यकताओं के आकलन की अंतर्दृष्टि। विद्यालय पुस्तकालयों को अपने सीमित वित्तीय साधनों का संतुलित एवं श्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए।

पुस्तक अधिग्रहण नीति के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की पुस्तकों एवं पुस्तकेतर सामग्री को क्रय, उपहार तथा विनिमय के द्वारा प्राप्त करने पर यथेष्ट ध्यान देना चाहिए। बजट बनाते समय इस मानदण्ड को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि धन की व्यवस्था छात्रों तथा शिक्षकों की संख्या के संतुलित अनुपात में की गई है। साथ ही, पुस्तकों के चयन तथा समक्ष अधिकारी द्वारा उनके अनुमोदन की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया भी निर्धारित की जानी चाहिए। इस कार्य में प्रबंधकों तथा शिक्षकों का सहयोग आवश्यक है। पुस्तक-संग्रह का निर्माण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य है। पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ इसी पर आधारित होती हैं।

तकनीकी प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन

पुस्तकालय में पठन तथा अन्य सामग्री (पुस्तकें इत्यादि) अपने विषय तथा वर्ग इत्यादि के आधार पर अलग-अलग रखी जाती हैं। बड़े पुस्तकालयों का पुस्तक-संग्रह एक से अधिक कक्षों में रखा जाता है। अतः यह आवश्यक है कि पुस्तकालय के सम्पूर्ण संग्रह का अभिलेख एक स्थान पर रखा जाय। इस कार्य को पुस्तकालय की प्रसूची पूरा करती है। इसके अंतर्गत पुस्तकालय में संगृहीत प्रत्येक प्रलेख के ग्रंथात्मक

NOTES

विवरण की प्रवृष्टियाँ बनाकर उन्हें सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित कर पाठकों के उपयोग के लिए एक स्थान पर रखा जाता है। प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय की प्रसूची को सरल नियमों के आधार पर बनाना चाहिए, जिससे कि छात्र-वृंद आवश्यकता होने पर, प्रसूची का आसानी से उपयोग कर सकें। इसी प्रकार, प्रलेखों के वर्गीकरण के लिए भी वर्गीकरण की एक सरल प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। पुस्तकालय में संगृहीत प्रलेखों को किस स्थान पर रखना है, इसका निर्णय उनके उपयोग के आधार पर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ, मान्य प्रचलन के अनुसार, अन्य अभिलेखों-जैसे अधिग्रहण पंजी (Accession Register) तथा शेल्फ पंजी (Shelf Register)– को भी तैयार किया जाना चाहिए।

सेवाएँ

प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय की सेवाएँ विद्यालय की अध्ययन एवं शिक्षण प्रक्रिया का अविभाज्य अंग होती हैं। विद्यालय में पुस्तकालय के अतिरिक्त ऐसे विशेष कक्षों की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पुस्तकों के साथ-साथ अन्य सामग्री, जैसे- खिलौने, चित्र, फोटोग्राफ इत्यादि संगृहीत तथा प्रदर्शित किए जा सकें। थोड़े समय के लिए ही, पर प्रत्येक दिन इन कक्षों में भी कक्षाएँ लगानी चाहिए जिससे कि छात्र इसके वातावरण से प्रेरित हो सकें। इस दिशा में ऐसे शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो पुस्तकों तथा अन्य प्रकार की ज्ञान मूलक सामग्री के बीच छात्रों का शिक्षण करते हैं। ऐसी आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराकर तथा उनका सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन कर पुस्तकालय के व्यावसायिक कर्मचारी भी इस कार्य में अपना महती योगदान कर सकते हैं।

प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएँ हैं :

- अनुरोध होने पर या पूर्वानुमान के आधार पर पाठकों को संदर्भ सेवा प्रदान करना;
- 'कथा-समय' का प्रावधान करना। इसके अंतर्गत पुस्तकालय-कर्मी द्वारा बच्चों को कहानी की पुस्तकों में से पढ़कर या स्मृति के आधार पर कहानियाँ सुनाई जाती हैं, अथवा स्तरीय कहानियाँ पढ़कर सुनाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है;
- समाचार पत्रों या अन्य प्रकाशित सामग्री की कतरनों का प्रदर्शन करना;
- फिल्म शो (Film Show) आयोजित करना;
- शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए विभिन्न विषयों के ऊपर वीडियो शो (Video Shows) का आयोजन करना; तथा
- महत्वपूर्ण अवसरों पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन करना तथा इस प्रकार की अन्य गतिविधि याँ चलाना।

जैसा पहले ही बताया जा चुका है, इन पुस्तकालय सेवाओं को चलाने का प्रमुख उद्देश्य है : बच्चों में पुस्तकों में संचित ज्ञान के प्रति प्रेम तथा रुचि जगाना तथा पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। आज के युग में यह तैयारी आवश्यक है क्योंकि आज का बच्चा कल का नागरिक है।

भौतिक सुविधाएँ

पुस्तकालय के लिए भौतिक सुविधाएँ, जैसे-भवन, आवश्यक फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था करने में धन तो खर्च होता है परन्तु इसके अनेक लाभ हैं। पुस्तकालय को विद्यालय के केन्द्र में स्थित होना चाहिए, अर्थात् इसकी अवस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सुविधापूर्वक सारे पाठक यहाँ आ सकें। इसकी साज-सज्जा आकर्षक होनी चाहिए। इसका फर्नीचर क्रियात्मक होने के साथ ही सुरुचिपूर्ण भी होना चाहिए जिससे छात्र पुस्तकालय की ओर आकर्षित हो सकें।

अर्थव्यवस्था तथा बजट

प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालयों का बजट बनाने के लिए कोई मानदण्ड उपलब्ध नहीं है। विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुपात में ही बजट बनाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक छात्र के ऊपर एक निश्चित अनुपात में (पुस्तकालय के लिए) धन खर्च किया जा सके। इस संबंध में एक सामान्य मानदण्ड यह

है कि विद्यालय के बजट का पाँच प्रतिशत धन पुस्तकालय के लिए आवंटित किया जाय। पुस्तकालय के लिए आवंटित धन को पुस्तकालय में पुस्तकों, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि के लिए पुनः आवंटित करने के मानदण्ड भी निर्धारित किये जा सकते हैं।

कई विद्यालय, पुस्तक-दान के लिए अभिभावकों से अनुरोध करते हैं। इसके द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय में बाल-साहित्य का उपयोगी संग्रह बनाया जा सकता है। धीरे-धीरे यह संग्रह बढ़ता जाता है तथा छात्र इससे लाभान्वित होते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष इस गतिविधि के लिए विद्यालय प्रबंधकों को सुझाव दे सकते हैं।

व्यावसायिक कर्मचारी

विद्यालय का प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रशिक्षित एक व्यावसायिक कर्मचारी होना चाहिए और उसका पद विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों के समकक्ष होना चाहिए। विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष में निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिए : बालकों के बीच रहने के लिए कल्पनाशीलता का होना; शिक्षकों के साथ सहयोग करना तथा उच्च स्तरीय पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान कर विद्यालय-प्रबंधकों का समर्थन प्राप्त करना। विद्यालय के पुस्तकालय में कितने कर्मचारी हों, यह अनेक बातों पर निर्भर है, जैसे- विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या तथा पुस्तकालय की आवश्यकता।

प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व केवल पुस्तकालय की व्यवस्था संभालना ही नहीं है। कक्षा की पढ़ाई की अनुपूरक तथा संपूरक गतिविधियों को चलाने में भी उसे योगदान देना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष में पढ़ाने का कौशल अनिवार्यतः होना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष को समय-समय पर कथा-वाचन, पुस्तक-चर्चा या दृश्य-श्रव्य उपकरणों के माध्यम से पशु-पक्षियों के जीवन वृत्तांत के प्रदर्शन के कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए। इन गतिविधियों की योजना बनाने तथा उनके प्रस्तुतीकरण के लिए कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष को विद्यालय के शिक्षकों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए।

3.2 माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय

पिछले अनुभाग में इस बात की चर्चा की गई है कि प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय अपने विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं। जहाँ तक माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालयों का संबंध है, ये छात्रों की शिक्षा प्राप्त करने तथा शिक्षकों द्वारा प्रभावी शिक्षा प्रदान करने से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी एक स्वतंत्र पहचान रखते हैं। माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाने में तीन स्तरों पर सहायक होते हैं : छठवीं से आठवीं कक्षा (मिड्ल कक्षाएँ), नवीं से दसवीं कक्षा (माध्यमिक कक्षाएँ) तथा ग्यारहवीं से बारहवीं (उच्चतर माध्यमिक कक्षाएँ)। इस प्रकार ये पुस्तकालय लगातार सात वर्षों तक (कक्षा छठवीं से बारहवीं तक) विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह समय या ये वर्ष बालक-बालिकाओं के लिए निर्माण के निर्णायक वर्ष हैं। इस अवस्था में निर्मित अच्छी आदतें चिरस्थायी होती हैं।

माध्यमिक विद्यालय (Secondary School) के पुस्तकालयों को निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक शैक्षिक भूमिका निभानी चाहिए।

- पाठकों में विद्यालय पुस्तकालय का उपयोग करने की रुचि जगाने का प्रयास इस प्रकार करना चाहिए कि वे पुस्तकालय का उपयोग केवल अपने पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि आनंद प्राप्ति, सामान्य ज्ञान तथा मनोरंजन के लिए भी करें ;
- पाठकों (छात्रों तथा शिक्षकों) में ज्ञान एवं सूचना की प्राप्ति के कौशल का विकास करना जिससे वे संदर्भ पुस्तकों तथा अन्य सामग्री में से किसी भी विषय पर सूचना स्वयं ढूँढ़ सकें; तथा
- छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, विशिष्ट एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में जाने के अवसर प्रदान करना जिससे वे देश की पुस्तकालय प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। जीवन में आगे आने वाले समय में, ज्ञान-प्राप्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में उन्हें इन्हीं पुस्तकालयों का उपयोग करना होता है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. विद्यालयी पुस्तकालयों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

....

....

....

....

NOTES

(अ) प्रलेख-संग्रह निर्माण

छात्रों एवं शिक्षकों की शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुस्तकों तथा अन्य प्रलेखों के एक उत्तम संग्रह का निर्माण करना माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालयों का एक प्रमुख दायित्व है। इस संग्रह में निम्नलिखित बातों से संबंधित प्रतिनिधि साहित्य होना चाहिए :

(i) प्रत्येक विषय की पाठ्य-पुस्तकों (पाठ्यक्रम में प्रस्तावित एवं अन्य) का उत्तम संग्रह (यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की अनेक प्रतियाँ खरीदना);

(ii) होनहार छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रत्येक विषय पर अपेक्षाकृत उच्चस्तरीय पुस्तकें;

(iii) लोकप्रिय विज्ञान, महान् व्यक्तियों की जीवनी, यात्रा-वृत्तांत, भौगोलिक-खोज यात्रा, खेलकूद तथा इसी प्रकार के अन्य विषयों, जिनसे पठन-पाठन में अभिरुचि बढ़ती है, से संबंधित साहित्य;

(iv) स्तरीय बाल-साहित्य, गल्प-साहित्य, लघु-कथा संग्रह तथा अन्य हल्की-फुल्की पठन सामग्री;

(v) निम्नलिखित कोटि की, सावधानीपूर्वक चयनित, संदर्भ पुस्तकें:
   - विश्वकोश (छात्रों के स्तर के);
   - सचित्र कोश, सामान्य तथा तकनीकी दोनों;
   - विभिन्न विषयों की वार्षिकी;
   - साहित्य संदर्शिकाएँ, विभिन्न विषयों की संदर्भ पुस्तकें;
   - दृश्य-श्रव्य सामग्री;
   - कम्प्यूटर-आधारित अध्ययन-सामग्री;
   - इस प्रकार की अन्य सामग्री।

विद्यालय के प्रबंधकों, शिक्षकों तथा पुस्तकालय के कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से एक सुस्पष्ट अधिग्रहण नीति तैयार की जानी चाहिए तथा पुस्तकों का चयन एवं क्रय इसी के आधार पर करना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष तथा पुस्तकालय के अन्य कर्मचारियों को इस नीति को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए तथा यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इस संबंध में किसी का कोई दबाव या दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। संग्रह विकास से सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष में निम्नलिखित व्यावसायिक कुशलता होनी चाहिए :

- विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के ऊपर बुनियादी एवं उत्तम जानकारी;
- पुस्तक चयन के स्रोतों का पूर्ण ज्ञान;
- पुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक सामग्री तथा उपकरणों के प्रकाशकों, निर्माताओं तथा विक्रेताओं और उनके व्यापार का पर्याप्त ज्ञान;
- क्रय, उपहार एवं विनिमय द्वारा प्राप्य पुस्तकों की अधिग्रहण प्रक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान;
- विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों तथा प्रबंधकों की पुस्तक संबंधी एवं सूचनापरक आवश्यकताओं के बारे में गहन अंतर्दृष्टि (यह कुशलता अत्यधिक महत्वपूर्ण है)।

अधिग्रहण कार्यक्रम को एक सुस्पष्ट दिनचर्या (Routine) के अंतर्गत चलाना चाहिए तथा संबंधित सारे अभिलेखों को ठीक से बनाकर अद्यतन रखना चाहिए। आजकल, संसाधनों तथा सेवाओं की सहभागिता के लिए एक क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय अपने लिए नेटवर्क (Network) का विकास भी कर रहे हैं।

पाठकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित उत्तम प्रलेख-संग्रह पुस्तकालय की समस्त गतिविधियों तथा सेवाओं को चलाए जाने का आधार होता है। यदि अधिग्रहण दोषपूर्ण है तो दूसरी गतिविधियाँ दोषपूर्ण हो जाएँगी। सबके लाभ तथा उपयोग के लिए छात्रों एवं अभिभावकों को पुस्तक-दान के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

(ब) तकनीकी प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन

सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिगृहीत सामग्री का वर्गीकरण तथा प्रसूचीकरण दो ऐसे कार्य हैं, जिनमें अत्यधिक सावधानी बरतने तथा जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पुस्तकों का वर्गीकरण करने के लिए चुनी गई वर्गीकरण पद्धति तथा उनके प्रसूचीकरण के लिए चुनी गई प्रसूचीकरण संहिता पाठकों की आवश्यकता को संतुष्ट करने में सक्षम होनी चाहिए।

पुस्तक-संग्रह को खुले-शेल्फों (Shelves) में रखना चाहिए जिससे कि पाठक मनचाही पुस्तकों का उपयोग बिना किसी रुकावट के और सुविधापूर्वक कर सकें। पुस्तकालय के अंदर पर्याप्त पठन-कक्षों या पठन-क्षेत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय में एक देय-आदेय पटल (Lending Counter) होना चाहिए तथा साथ ही पाठकों की सहायता के लिए केन्द्रीय स्थान पर एक संदर्भ-डेस्क (Reference Desk) भी होना चाहिए।

पुस्तक संग्रह को ऐसे स्टैक-रूम (Stack Room) में रखना चाहिए जहाँ प्राकृतिक प्रकाश आता हो। स्टैकों में रखी हुई पुस्तकों के बारे में जानकारी देने के लिए गाइड कार्ड (Guide Cards) लगाए जाने चाहिए। संदर्भ सामग्री तथा सार्वजनिक प्रसूची को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ वे दूर से नजर आएँ तथा जहाँ उनका उपयोग आसानी से किया जा सके।

(स) सेवाएँ

एक माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय से निम्नलिखित सेवाएँ अपेक्षित हैं :

(i) देय-आदेय;

(ii) सूचना, पठन, तथा संदर्भ सेवा;

(iii) निर्देश तथा सलाह-सेवा;

(iv) पठन-सूची तैयार करना;

(v) सामयिक घटनाओं, गतिविधियों, व्यक्तियों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, तथा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर जागरूकता सेवा चलाना;

(vi) ज्ञान एवं सूचना के प्रचार-प्रसार एवं संप्रेषण के लिए अन्य विभिन्न गतिविधियाँ चलाना, जैसे :
- उपयुक्त अवसरों पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन;
- पुस्तक-चर्चाओं का आयोजन; तथा
- समसामयिक मुद्दों पर भाषण प्रतियोगिता तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना इत्यादि।

(vii) अन्य रूटीन सेवाएँ चलाना, जैसे-नव्य-अधिगृहीत पुस्तकों के जैकेट (Jackets) का प्रदर्शन, छात्रों की रुचि से संबंधित समाचार-कतरने (Newspaper Clippings), समसामयिक घटनाओं, गतिवधियों तथा सुर्खियों में आए व्यक्तियों के चित्र तथा फोटोग्राफ।

देय-आदेय सेवा के अंतर्गत छात्रों और शिक्षकों को पूर्वनिर्धारित नियमों के अधीन गृह-पठन या इच्छित समय तथा स्थान पर पठन के लिए पुस्तकें ऋण पर जारी की जाती हैं। इस सुविधा का भरूपर उपयोग

NOTES

करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही, निम्नलखित कार्यों से संबंधित सांख्यिकीय अभिलेख भी रखे जाने चाहिए :

(1) देय-आदेय (ऋण) सुविधा का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या;

(2) कितनी पुस्तकें ऋण पर जारी की जाती हैं तथा इनकी आवृत्ति क्या है;

(3) किस प्रकार की पुस्तकें ऋण पर ली जाती हैं; तथा

(4) पाठकों का नाम, उनकी कक्षा तथा, यदि नवीं से बारहवीं कक्षा के छात्र हों तो, उनकी विषय-विशेषज्ञता।

ये आंकड़े मूल्यवान होते हैं क्यों इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उनका विश्लेषण करने पर यह आसानी से पता चलता है कि पुस्तकालय में संगृहीत किन पुस्तकों का अधिक उपयोग हो रहा है। साथ ही, इससे पाठकों की पठन-रुचि का चित्र भी उभर कर सामने आता है।

कतिपय सरल कार्यों में पाठकों को सहायता प्रदान करने के लिए संदर्भ तथा सूचना सेवा चलाई जाती है। ये कार्य हैं : शेल्फों पर इच्छित पुस्तक को ढूँढना, सार्वजनिक प्रसूची का उपयोग करना, संदर्भ ग्रंथों में अपने प्रश्नों के उत्तर ढूँढना, तथा पुस्तकालय में प्रयुक्त वर्गीकरण प्रणाली को समझना। संदर्भ डेस्क का कार्य देखने वाले व्यक्ति के गुण हैं : पुस्तकालय संग्रह का जानकार होना, विभिन्न स्वभाव तथा व्यवहार वाले छात्रों तथा शिक्षकों से निपटने की योग्यता, तथा इन सबसे अधिक सेवा की भावना।

विद्यालय-पत्रिका या अन्य प्रसार माध्यमों के लिए निबंध या रचनाएँ लिखने के लिए गम्भीर छात्रों को निर्देश तथा सलाह सेवा दी जाती है। छात्र को जिस विषय के ऊपर लिखना है उससे संबंधित सामग्री की पहचान का कार्य पुस्तकालय कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए और रचना या प्रतिवेदन का प्रारूप (Draft) बनाने में उस छात्र की सहायता करनी चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारी द्वारा शिक्षकों को सामयिक सूचना देनी चाहिए तथा उनके उपयोग के लिए ग्रंथसूचियाँ तैयार करनी चाहिए।

मांग होने पर या पूर्वानुमान के आधार पर पठन सूचियाँ तैयार करना एक ऐसी गतिविधि है जो शिक्षकों की न केवल अध्यापन कार्य में सहायता करती है, बल्कि इन सूचियों की सहायता से शिक्षक, छात्रों को उनके कार्य से संबंधित साहित्य की प्राप्ति के लिए निर्देश दे सकते हैं तथा छात्रों में साहित्य की स्वयं-प्राप्ति की योगयता विकसित कर सकते हैं। पठनसूचियाँ बनाने का कार्य बहुत समय लेता है। अत: इसे चयनात्मक आधार बनाना चाहिए।

महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर सामयिक जागरूकता सेवा के अंतर्गत समाचार-कतरनों तथा चित्रों इत्यादि को सावधिक अंतराल से सूचना पट् (Notice Board) पर प्रदर्शित किया जाता है। इन कतरनों को विषय-शीर्षक के अंतर्गत आख्या (title) के आधार पर अक्षर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन सेवाओं को तभी चलाना चाहिए जब इनकी प्रचुर मांग हो।

(द) भौतिक सुविधाएँ

भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है पुस्तकालय के लिए पर्याप्त स्थान। पुस्तकालय के लिए एक पृथक् भवन का होना एक आदर्श स्थिति है। पुस्तकालयों में निम्नलिखित के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

- लगभग 25,000 प्रलेखों को रखने के लिए स्थान;
- पत्रिकाओं के नवीन अंकों तथा पुस्तकों के प्रदर्शन के लिए स्थान;
- पठन कक्ष;
- पुस्तकों को सरसरी निगाह से देखने के लिए (for Consultancy) संदर्भ-डेस्क; तथा
- देय-आदेय पटल।

किसी भी पुस्तकालय में पुस्तकें रखने के लिए स्टैक, तथा पुस्तकेतर-सामग्री को रखने के लिए उपयुक्त फर्नीचर का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही, पुस्तकालय कर्मचारियों को भी अपना कार्य करने के लिए यथेष्ट स्थान तथा उपयुक्त फर्नीचर की आवश्यकता होती है। यदि संभव हो तो पुस्तकालय में फोटो-स्टेट मशीन, फिल्म तथा स्लाइड प्रोजेक्टर तथा अन्य आवश्यक नवीन उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए।

(य) वित्त-व्यवस्था एवं बजट

विद्यालय की वित्त-व्यवस्था के लिए विद्यालय के प्रबंधक आवश्यक वित्त का आवंटन करते हैं। पुस्तकालय के भवन, उपस्कर, फर्नीचर पर तथा कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त, विद्यालय को अपने कुल बजट का पाँच प्रतिशत धन पुस्तकालय के लिए निर्धारित या आवंटित करना चाहिए। पुस्तकालय के लिए निर्धारित बजट के अन्तर्गत पुस्तकों, पुस्तकेतर सामग्री तथा पुस्तकालय के रख-रखाव के लिए पुन: उपयुक्त बजट बनाया जाना चाहिए।

(र) व्यावसायिक कर्मचारी

पुस्तकालय की सफलता पूर्णरूप से इसके व्यावसायिक कर्मचारियों की गुणवत्ता पर निर्भर है। प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष के पास अन्य शिक्षकों के समान शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या, प्रलेखों की संख्या, प्रलेखों की वार्षिक अधिग्रहण-संख्या, तथा दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर पुस्तकालय में अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त करना चाहिए। विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष का पद तथा वेतन विद्यालय के शिक्षकों के बराबर होना चाहिए। पुस्तकालय व्यवसाय के आचार-व्यवहार का पालन करते हुए पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारियों को अत्यंत निपुणता से उच्च-स्तरीय सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारियों को छात्रों, शिक्षकों तथा विद्यालय-प्रबंधकों से सदा संपर्क बनाए रखना चाहिए। उन्हें कल्पनाशक्ति-संपन्न और सेवा-भावी भी होना चाहिए।

3.3 भारतीय परिदृश्य

पिछले दो अनुभागों में हमने विद्यालय पुस्तकालयों के नियोजन, प्रबंधन, तथा संचालन से संबंधित प्रमुख बातों का वर्णन किया है तथा इस बात की चर्चा की है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में ये पुस्तकालय छात्रों और शिक्षकों के लिए किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। परन्तु, भारत में विद्यालय पुस्तकालयों की अत्यंत निराशाजनक छवि उभर कर समाने आती है। इसका कारण यह है कि इन पुस्तकालयों के पास बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।

राष्ट्रीय शैक्षिक शोध तथा प्रशिक्षण परिषद् (NCERT : National Council of Educational Research and Training) द्वारा किए गए तथा इसी के द्वारा प्रकाशित (1981) थर्ड ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे ऑन लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एण्ड साइंस इक्वीपमेंट्स फैसिलिटिज इन स्कूल्स (Third All India Educational Survey on Library, Laboratory and Science Equipments Facilities in Schools) के अनुसार उस समय भारत में 5,89,031 विद्यालय थे। इन विद्यालयों का अभिशासन तथा प्रबंध विभिन्न स्थानों पर विभिन्न निकायों द्वारा किया जाता है : (i) राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग द्वारा, (ii) भारत सरकार के शिक्षा बोर्ड (ऐसे कई बोर्ड हैं) द्वारा (iii) स्थानीय निकायों (पंचायतों, नगरपालिकाओं, निगमों इत्यादि) द्वारा (iv) निजी निकायों तथा व्यक्तियों द्वारा, (v) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रष्ठिानों एवं इस प्रकार के अन्य निकायों द्वारा। इसलिए, पुस्तकालय सुविधा के बारे में इन सबकी अभिकल्पना, पुस्तकालयों की वित्त-व्यवस्था से संबंधित इनकी प्राथमिकता, उपयुक्त कोटि के व्यावसायिक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पुस्तकालयों से संबंधित अन्य मामलों में इन विभिन्न निकायों में अनेक विभिन्नताएँ मिलती हैं।

इनमें से केवल 41.80 प्रतिशत विद्यालयों में ही पुस्तकालय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसे नीचे दर्शाया गया है :

NOTES

विद्यालय-प्रकार	पुस्तकालय सुविधा (प्रतिशत में)
प्राथमिक	31.41
मिड्ल (Middle)	59.61
माध्यमिक	94.05
उच्चतर माध्यमिक	95.75

इन विद्यालयों के पुस्तकालयों के पुस्तक-भंडार की स्थिति (पुस्तकों की गुणवत्ता तथा उपयुक्तता पर यहाँ विचार नहीं किया गया है) निम्नलिखित है :

पुस्तकों की संख्या	पुस्तकालय का पुस्तक-भंडार (प्रतिशत में)
100	17.8
100–249	9.6
250–499	5.3
500–999	3.64
1000–1999	2.52
2000–3999	9.4
4000–4999	1.63

केवल 41 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय के प्रभारी के रूप में व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।

स्थिति को सुधारने के लिए किए गए सकारात्मक प्रयास

सन् 1952-53 में भारत सरकार द्वारा (दिवंगत) डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियार (Dr. Lakshmanswamy Mudaliar) की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग (Secondary Education Commission) ने विद्यालयों में उत्तम पुस्तकालयों की आवश्यकता पर गंभीर रूप से विचार किया तथा विद्यालय पुस्तकालयों से संबंधित अनेक अनुशंसाएँ दीं। इन अनुशंसाओं में से अनेक इस अध्याय के अनुभाग 6. 2.1 तथा 6.2.2 में दिए गए विवरण से मिलती हैं। आयोग ने विद्यालयों में कक्षा पुस्तकालयों, विषय पुस्तकालयों, अवकाश के दिनों में पुस्तकालय सेवा के प्रावधान इत्यादि से संबंधित अनेक अनुशंसाएँ दीं तथा इस बात की भी सिफारिश की कि इन पुस्तकालयों को पुस्तकालय-कार्य में प्रशिक्षित शिक्षकों की देख-रेख में चलाया जाना चाहिए। आयोग ने पुस्तकालयों के लिए पर्याप्त वित्त-व्यवस्था पर भी बल दिया। विद्यालय पुस्तकालयों को सशक्त बनाने के लिए अगला सकारात्मक प्रयास राष्ट्रीय शैक्षिक शोध तथा प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) के माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय (Directorate of Extension Programme for Secondary Education) ने सन् 1962 में बंगलोर में विद्यालय पुस्तकालयों पर अखिल भारतीय सेमिनार (All India Seminar on School Libraries) का आयोजन कर किया। इस सेमिनार के संचालक (दिवंगत) डॉ. एस. आर. रंगनाथन थे। विद्यालय पुस्तकालयों की अवस्था में सुधार लाने के लिए इस सेमिनार में अनेक सकारात्मक अनुशंसाएँ की गईं। इसके बाद भी सन् 1965 में एन सी ई आर टी ने प्रत्येक विद्यालय में एक पूर्ण-विकसित पुस्तकालय की आवश्यकता की और संबंधित लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक अन्य सकारात्मक प्रयास किया। इस प्रयास के प्रतिफल के रूप में एन सी ई आर टी ने विद्यालय पुस्तकालयों की व्यवस्था से संबंधित एक पुस्तिका जारी की। इसके बाद, कुछ पब्लिक स्कूलों, केन्द्रीय विद्यालयों तथा कुछ निजी-स्वामित्व वाले विद्यालयों को छोड़कर, विद्यालय पुस्तकालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई अन्य गम्भीर प्रयास नहीं हुआ। देश

के विकास और उन्नति के उद्देश्य से एक सबल जन-शक्ति विकसित करने के लिए शिक्षा के ऊपर किया जाने वाला व्यय एक प्रकार से लागत-व्यय है। इस जन-शक्ति को विकसित करने में पुस्तकालयों की अहम भूमिका है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. विद्यालयी पुस्तकालयों में किस प्रकार की पुस्तकें रखी जानी चाहिए ?

....

....

....

....

4. महाविद्यालय पुस्तकालय

शिक्षा प्रक्रिया में महाविद्यालयों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बालक-बालिकाओं को महाविद्यालय की शिक्षा में एक पूर्णतः भिन्न वातावरण मिलता है। विद्यालयों की तुलना में महाविद्यालयों की कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक होती है तथा शिक्षकों को प्रत्येक छात्र के ऊपर व्यक्तिगत ध्यान देने का समय कम मिल पाता है। इन कारणों से छात्रों को स्व-शिक्षण पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कक्षा की पढ़ाई के अतिरिक्त, छात्रों को महाविद्यालय पुस्तकालय का भी स्वाभाविक रूप से उपयोग करना पड़ता है। इन अनुभागों में हम महाविद्यालय पुस्तकालयों के उद्देश्य तथा कार्यों, प्रलेख-संग्रह, पाठकों की विभिन्न कोटियों, तथा सेवाओं की चर्चा करेंगे।

4.1 महाविद्यालय के उद्देश्य तथा कार्य

महाविद्यालय के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य और कार्य गिनाए जा सकते हैं :

(i) छात्र-छात्राओं में विभिन्न विषयों की गहन-समझ विकसित करना;

(ii) बुद्धिमान छात्रों को विभिन्न विषयों में उच्चतर अध्ययन के लिए तत्पर करना;

(iii) विद्यालय, सरकारी विभागों, नागरिक संस्थाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायों तथा उद्योगों का कार्यभार संभालने के लिए युवक-युवतियों की जन-शक्ति तैयार करना;

(iv) अध्याय के लिए प्रचुर तथा सुखद भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना;

(v) शोध-छात्रों और प्राध्यापकों के लिए ग्रंथात्मक सूचनाएँ तथा विशिष्ट सामग्री उपलब्ध कराना;

(vi) युवक-युवतियों को विभिन्न व्यवसायों, जैसे-विधि आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करना;

(vii) अधिक प्रबुद्ध, अधिक ज्ञानवान तथा अधिक उत्तरदायी नागरिकों का समूह तैयार करना।

इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने में महाविद्यालय पुस्तकालयों को केन्द्रीय भूमिका निभानी है।

महाविद्यालय-शिक्षा के दिनों में छात्रों को ऐसी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के अनेकानेक अवसर मिलते हैं जिनसे उनमें संगठनात्मक कौशल एवं नेतृत्व-गुण विकसित होते हैं। महाविद्यालय-शिक्षा के दौरान छात्रों को ललित कलाओं, संगीत, खेल-कूद तथा अन्य पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों में अपनी व्यक्तिगत मेधा के प्रदर्शन तथा विकास के प्रचुर अवसर मिलते हैं। इस प्रकार, महाविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को ऐसे नागरिकों के रूप में विकसित करना है जो बुद्धिमान हों और साथ ही अन्य ऐसे गुणों से संपन्न हों जो देश-की प्रगति एवं उन्नति के लिए वांछनीय तथा उपयोगी होते हैं।

युवक एवं युवतियों के लिए महाविद्यालय में प्रवेश उनके जवीन के एक नवीन और रोमांचकारी अध्याय की शुरुआत है। महाविद्यालय-शिक्षा में विस्तृत पाठ्यक्रम, व्याख्यानों के आलावा ज्ञान-प्राप्ति की नई

NOTES

विधियाँ, तथा महाविद्यालय में मिलने वाला खाली समय तथा स्वतंत्रता इत्यादि ऐसे तत्व हैं जो छात्रों को अध्ययन के लिए आत्मनिर्भर बनाते हैं तथा उनमें जीवन से जूझने का जीवट कूट-कूट कर भरते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद छात्रों को यह पता चलता है कि विद्यालय की शिक्षा अध्यापक-केन्द्रित थी, जबकि महाविद्यालय की शिक्षा छात्र-केन्द्रित तथा पुस्तकालय-केन्द्रित है।

4.2 पुस्तकालय-महाविद्यालय रूपी अँगूठी में जड़ा नगीना

महाविद्यालय में प्रवेश के बाद जिन चुनौतियों से छात्रों का सामना होता है उनके समाधान में महाविद्यालय पुस्तकालय छात्रों के लिए निश्चित रूप से सहायक होता है। वे पुस्तकालय में अपने खाली समय का सफल सार्थक उपयोग कर सकते हैं, अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को उजागर कर सकते हैं, अपने अंदर छिपी शिक्षाप्रद अभिरुचियों का विकास कर सकते हैं, और भविष्य के लिए उत्तम तथा अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन की नींव डाल सकते हैं। अतः पुस्तकालयों को शिक्षा-कक्षाओं से अधिक नहीं, तो कम-से-कम बराबरी का महत्व अवश्य मिलना चाहिए। पुस्तकालय छात्रों की वास्तविक कार्यशाला है। इस संदर्भ में, युवा छात्र-छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में पुस्तकालयों को एक महत्वपूर्ण भूमिता निभानी है।

4.3 आदर्श महाविद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख घटक

अब हम एक प्रभावकारी विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख घटकों से सुपरिचित होना चाहेंगे। ये घटक हैं :

- पुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक तथा तकनीकी सामग्री का संग्रह;
- पाठक समुदाय : जैसे- छात्र, अध्यापक, महाविद्यालय के व्यवस्थापक, तथा पुस्तकालय द्वारा सेवित अन्य व्यक्ति;
- भौतिक सुविधाएँ : जैसे-भवन, फर्नीचर, उपस्कर;
- पुस्तकालय के व्यावसायिक कर्मचारी;
- महाविद्यालय के प्रबंधक; तथा
- वित्त-व्यवस्था एवं बजट।

पुस्तक-संग्रह

छात्रों तथा अध्यापकों, दोनों की विविध शैक्षिक तथा पाठ्यक्रमेतर (पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाविद्यालय पुस्तकालय को विभिन्न प्रकार की शैक्षिक तथा तकनीकी सामग्री का अधिग्रहण करना चाहिए। ऐसी सामग्री को मोटे तौर पर हम निम्नलिखित वर्गों में रख सकते हैं :

- प्रत्येक दस पाठकों के लिए एक पुस्तक के औसत पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य प्रस्तावित पुस्तकों का एक उत्तम संग्रह;
- अध्यापकों के लाभार्थ तथा अधिक बुद्धिमान छात्रों के उपयोग के लिए कुछ उच्च-स्तरीय पुस्तकें;
- विविध कोटि के संदर्भ ग्रंथ, जैसे-सामान्य एवं विषय-विश्वकोश, भाषा एवं विषय-कोश, हैंडबुक, मैनुअल, जीवनीपरक तथा भौगोलिक साहित्य, रोजगार हैंडबुक, प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए प्रलेख, सामान्य ज्ञान से संबंधित साहित्य, गजेटियर (Gazetteer), एटलस (Atlas);
- हल्की-फुल्की पठन-सामग्री का संग्रह, जैसे-यात्रा-वृत्तांत, हास्य-प्रधान पुस्तकें, कला-पुस्तकें, जीवनियाँ, गल्प साहित्य (उपन्यास, कहानी) इत्यादि;

- चयनित विद्वत्-पत्रिकाएँ एंव लोकप्रिय पत्रिकाएँ तथा इनके पुराने अंक;
- फिल्में, फिल्म पट्टियाँ (film strips), चित्र, श्रव्य कैसेट तथा डिस्क, वीडियो कैसेट इत्यादि श्रव्य-दृश्य शिक्षण सामग्री; तथा
- कम्प्यूटर आधारित शिक्षण सामग्री।

शिक्षाविदों का यह मानना है कि एक आदर्श महाविद्यालय पुस्तकालय के संग्रह में प्रत्येक छात्र के लिए कम-से-कम 50 पुस्तकों के औसत से पुस्तकें होनी चाहिए। इस प्रकार जिस महाविद्यालय में एक हजार छात्र हों उसके पुस्तकालय में कम-से-कम 50,000 पुस्तकें होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसके पुस्तक-संग्रह में अध्यापकों, व्यवस्थापकों, तथा अन्य व्यक्तियों के लिए उच्चस्तरीय पुस्तकें भी होनी चाहिए।

प्रलेख-संग्रह नीति

पुस्तकालय के संग्रह की गुणवत्ता को एक सोची-समझी या सुविचारित अधिग्रहण नीति के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। यह नीति सामान्यतया पुस्तकालय-सलाहकार समिति द्वारा बनाई जाती है। पुस्तक-चयन का कार्य विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अपने विषय के साहित्य से सुपरिचित होते हैं तथा नवीन प्रकाशनों की जानकारी रखते हैं। पुस्तकालयाध्यक्षों से भी यह आशा की जाती है कि वे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक-चयन स्रोतों का उपयोग कर इन विशेषज्ञों को उपयोगी नवीन प्रकाशनों के बारे में जानकारी दें जिससे कि छात्रों तथा शिक्षकों की पठन-पाठन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक सार्थक संग्रह का निर्माण किया जा सके। जैसा कि पिछले अनुभागों में बताया जा चुका है, पुस्तकालय के व्यावसायिक कर्मचारियों को विभिन्न विषयों की शाखाओं-प्रशाखाओं की सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें पुस्तकालय प्रकाशन तथा पुस्तक-विक्रय-व्यवसाय से भी पूर्णतया भिज्ञ होना चाहिए। अधिग्रहण की गतिविधि स्वीकृत मानकों तथा प्रक्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा करने से अधिग्रहण कार्य सुविधापूर्वक और तेजी से पूरा किया जा सकता है।

पुस्तकालय के प्रलेख संग्रह को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकालय में एक प्रलेख-संग्रह छटनी नीति (Weeding out Policy) बनाई जाए। इस नीति के अंतर्गत कुछ पुस्तकों की पुस्तकालय के संग्रह से छटनी की जाती है, जैसे-पूर्व पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्य पुस्तकें, अधिक उपयोग होने या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो गई पुस्तकें, या ऐसी पुस्तकें जिनका उपयोग नहीं हो रहा हो। छटनी का यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार की पुस्तकें एक ओर तो पुस्तकालय का बहुमूल्य स्थान घेरती हैं तथा दूसरी ओर बहुत पुरानी हो गई पुस्तकों अथवा कीड़ों या नमी की वजह से क्षतिग्रस्त पुस्तकों द्वारा अन्य पुस्तकों के क्षतिग्रस्त होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसी से संबंधित एक समस्या गुम हो गई पुस्तकों की समस्या भी है। एक सक्रिय पुस्तकालय में कुछ पुस्तकों का गुम होना या खो जाना बड़ी बात नहीं है। अत: एक संतुलित अनुपात में गुम हो गई पुस्तकों को प्रतिहारित करना या बट्टे खाते में डाल देना भी अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त, स्रोत की साझेदारी तथा अनेक पुस्तकालयों के बीच नेटवर्क स्थापित करना भी आधुनिक युग की मांग है। आज कोई भी पुस्तकालय अपने पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारी पुस्तकों का अधिग्रहण नहीं कर सकता। अत: यह आवश्यक है कि विभिन्न पुस्तकालय अपने आर्थिक स्रोतों को एकीकृत कर साझेदारी के नियमों का पालन करते हुए एक-दूसरे के प्रलेख-संग्रह को अपने-अपने पाठकों को उपलब्ध कराएँ।

प्रक्रियाकरण तथा व्यवस्थापन

अपने पुस्तक-संग्रह को समुचित रीति से शेल्फ पर व्यवस्थित करने तथा प्रदर्शित करने के कार्य पर महाविद्यालय पुस्तकालयों को पूरा ध्यान देना चाहिए। इस कार्य के लिए यह आवश्यक है कि शेल्फ पर पुस्तकों के व्यवस्थापन के लिए ऐसी वर्गीकरण प्रणाली का चुनाव किया जाय जिसमें निम्नलिखित गुण हों :

- वह वर्गीकरण प्रणाली पुस्तकालय के पाठकों को स्वीकार्य हो;
- उस प्रणाली के पीछे एक संगठन कार्य कर रहा हो, जो उस वर्गीकरण प्रणाली की तालिकाओं को अद्यतन बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभा रहा हो, तथा

NOTES

- उस वर्गीकरण प्रणाली की संरचना ऐसी हो कि प्रणाली में सम्मिलित किए गए विद्यमान विषयों की व्यवस्था को छेड़े बिना नवागत विषयों को स्वयमेव समायोजित कर लेने का गुण हो। भारतीय पुस्तकालयों में तीन वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रचलित हैं : डेवी डेसिमल क्लैसिफिकेशन, कोलन क्लैसिफिकेशन, तथा यूनिवर्सल डेसिमल क्लैसिफिकेशन (Dewey Decimal Classification, Colon Classification, Universal Decimal Classification)।

पुस्तकालय की प्रसूची अंतरराष्ट्रीय मानक सूचीकरण नियमों पर आधारित होनी चाहिए। भारत के महाविद्यालय पुस्तकालयों में इस कार्य के लिए मुख्यतया एंग्लो-अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स-2 (AACR-2 : Anglo-American Cataloging Rules-2) तथा डॉ; रंगनाथन के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड (Classificed Catalogue Code) का उपयोग किया जाता है। प्रसूची में सूचना के विषय-अभिगम के लिए विषय-शीर्षकों का उपयोग किया जाता है। विषय-शीर्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत और प्रचलित मानकों के आधार पर बनाना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों तथा महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में अपने रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए तथा पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रणालियाँ भी अपनाई जा रही हैं।

पाठक समुदाय तथा पुस्तकालय सेवाएँ

पुस्तकालय के दूसरे घटक हैं, पाठक या उपयोक्ता। महाविद्यालय पुस्तकालयों के पाठक समुदाय में केवल अध्यापक, छात्र तथा कर्मचारी ही नहीं आते। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के उपयोक्ता या पाठक भी हैं, जैसे-लेखक, उच्च विद्यालयों के अध्यापक, वकील, चिकित्सक इत्यादि। पुस्तकालय को इन उपयोक्ताओं को भी सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए तथा इन्हें सम्मानित अतिथि मानना चाहिए। पुस्तकालय के नियम सभी प्रकार के पाठकों या उपयोक्ताओं पर समान रूप से लागू होते हैं। महाविद्यालय पुस्तकालयों द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाएँ निम्नलिखित हैं :

(i) पाठ्य-पुस्तक सेवा;

(ii) देय-आदेय तथा अंतरपुस्तकालय ऋण सेवा;

(iii) पठन-कक्ष सेवा;

(iv) सूचना तथा संदर्भ;

(v) नव-अधिगृहीत प्रलेखों को प्रदर्शित करना तथा इनकी सूची बनाना;

(vi) विशेष मांग या अनुरोध पर निम्नलिखित प्रलेखन-सेवाएँ चलाना : प्रकाशित साहित्य तथा विशिष्ट पत्रिकाओं की सामयिक जागरूकता सेवा जारी करना, संदर्भ की सामयिक सूचियाँ बनाना, किसी परियोजना के ऊपर अनुक्रमणीकरण/सारकरण सेवा देना इत्यादि;

(vii) रिप्रोग्राफी (Reprography) सेवा;

(viii) दृश्य-श्रव्य सामग्री से संबंधित सेवा : जैसे-फिल्मों (Films) तथा टेप-स्लाइडों (Tape Slides) इत्यादि का प्रदर्शन;

(ix) विशेष अवसरों पर पुस्तक प्रदर्शनी तथा पुस्तकों का विशेष प्रदर्शन; तथा

(x) पुस्तकालय के सार्थक उपयोग में पाठकों की सहायता।

महाविद्यालय पुस्तकालयों में देय-आदेय कार्य को इस प्रकार चलाना चाहिए जिससे पुस्तक-संग्रह के सक्रिय उपयोग को बढ़ावा मिले। देय-आदेय कार्य में उदारवादी नीति अपनानी चाहिए तथा इसकी प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। महाविद्यालय पुस्तकालय में कोई पुस्तक या अन्य प्रलेख उपलब्ध नहीं हो, और किसी पाठक द्वारा उसकी मांग की गई हो, तो ऐसे प्रलेख को अंतर-पुस्तकालय ऋण पर किसी अन्य पुस्तकालय

से प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रलेखों की फोटोप्रतियों (Photo copies) की आपूर्ति का भी पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। इस सुविधा को उपलब्ध कराने से पुस्तकालयों का दुरुपयोग कम किया जा सकता है तथा पुस्तकों की चोरी या उन्हें जानबूझकर उनके स्थान से हटाकर गलत स्थान पर रखने जैसी असामाजिक प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण किया जा सकता है।

पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री को प्राप्त करने में तथा प्रसूची में से किसी विशेष सूचना को ढूँढ़ने में छात्रों को सत्वर सहायता देनी चाहिए। अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण सेवाओं का उपयोग करने की पद्धति तथा संदर्भ-स्रोतों में से सूचना प्राप्त करने की रीति के बारे में छात्रों को बताना चाहिए। जब भी आवश्यक हो, संदर्भ-विभाग के कर्मचारियों को इस संबंध में पाठकों का मार्गदर्शन करना चाहिए। साथ ही साथ, पुस्तकालय तथा सूचना स्रोतों का सार्थक उपयोग करने के लिए समय-समय पर छात्रों के लिए नियमित एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिए।

पुस्तकालय में अधिगृहीत नवीन प्रलेखों की सूची का प्रकाशन कर उन्हें छात्रों तथा अध्यापकों के ध्यान में लाना चाहिए। विशेष अनुरोध पर या अनुमान के आधार पर पाठकों के कुछ विशिष्ट वर्गों को सामयिक साहित्य के ऊपर प्रलेखन सेवाएँ तथा अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए।

पाठ्य-पुस्तक सेवा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। पाठ्य-पुस्तक सेवा, परीक्षा की तैयारी में छात्रों की सकारात्मक सहायता करती है। परन्तु, पाठ्य-पुस्तकों को ऋण जारी करने का कार्य एक सुनिश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाना चाहिए। पुस्तकों के आरक्षण-कार्य में नियमों का पूरी तरह तथा निष्पक्षता से पालन करना चाहिए।

भौतिक सुविधाएँ

पाठकों को उपरिलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकालय का एक अपना स्वतंत्र, कार्यात्मक तथा आकर्षक भवन हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC : University Grants Commission) भी महाविद्यालयों के लिए स्वतंत्र पुस्तकालय भवन की अनुशंसा करता है। पुस्तकालय को महाविद्यालय परिसर के केन्द्र में स्थित होना चाहिए जहाँ उपयोक्ताओं को पुस्तकालय दूर से ही नजर आ जाए। पुस्तकालय के चारों ओर प्रचुर मात्रा में रिक्त स्थान होना चाहिए ताकि भविष्य में पुस्तकालय भवन का विस्तार किया जा सके। सामान्य तथा नित्यप्रति किए जाने वाले कार्यों एवं सुविधाओं, जैसे- पठन-कक्ष, स्टेक-क्षेत्र, तथा कर्मचारी-कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त, प्रलेखों को सरसरी निगाह से देखने, और प्रदर्शनियों, सेमिनार तथा फिल्म-शो इत्यादि के आयोजन के लिए भी स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यापकों तथा शोधार्थियों के लिए अलग से विशेष स्थान या क्षेत्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

पुस्तकालय भवन का आंतरिक भाग सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। इसकी दीवारों का रंग सौम्य होना चाहिए, चुने हुए स्थानों पर पेंटिंग तथा फूल सजाए जाने चाहिए, तथा फर्नीचर आकर्षक होने चाहिए। ग्रंथेतर सामग्री, फोटो-कॉपियर (Photo Copier), माइक्रो-फिल्म रीडर-प्रिंटर (Microfilm Reader Printer), श्रव्य-दृश्य सामग्री इत्यादि को रखने के लिए विशेष स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। चूँकि भविष्य के पुस्तकालयों को कम्प्यूटर-आधारित सूचना-सेवा प्रदान करनी है, अतः कम्प्यूटर कक्ष की व्यवस्था भी आवश्यक है।

व्यावसायिक कर्मचारी

महाविद्यालय पुस्तकालय का प्रभारी अनिवार्यतः एक उच्च शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता से संपन्न अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष को अध्यापकों के समकक्ष वेतन देने के अतिरिक्त शैक्षिक दर्जा भी देना आवश्यक है। पुस्तकालय के आकार, वर्तमान अधिग्रहण कार्यक्रम, तथा चलाई जाने वाली विभिन्न सेवाओं के आधार पर कर्मचारियों की भी नियुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड उपलब्ध हैं। पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा चलाई जाने वाली व्यावसायिक सेवाओं के ऊपर ही पुस्तकालय की सफलता निर्भर है।

NOTES

महाविद्यालय के प्रबंधक

प्रबुद्ध प्रबंधकरण महाविद्यालय के पुस्तकालय को सूचना का प्रकाश-गृह एवं ऊर्जा-केन्द्र तथा ज्ञान का वास्तविक मंदिर मानते हैं। प्रबंधकों की ऐसी समिति द्वारा पुस्तकालय को सदा ही प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय समर्थन और पर्याप्त धन का आश्वासन मिलेगा। प्रबंध समिति द्वारा एक पुस्तकालय सलाहकार समिति का भी गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य तथा सदस्य सचिव के रूप में महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष कार्य करते हैं। इस समिति में महाविद्यालय के कुछ वरिष्ठ प्राध्यापकों तथा महाविद्यालय के बाहर के एक पुस्तकालय-विज्ञान विशेषज्ञ को भी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

वित्त-व्यवस्था तथा बजट

राधाकृष्णन कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट में से छः प्रतिशत की धनराशि पुस्तकालय के विकास के लिए खर्च करने की सिफारिश की है। कोठारी कमीशन ने इसके लिए दस प्रतिशत (महाविद्यालय के कुल बजट का दस प्रतिशत) की धनराशि की अनुशंसा की है। इससे एक कदम और आगे जाकर कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी रिव्यू कमिटी' (जिसे राज कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रोफेसर के. एन. राज इस कमीशन के अध्यक्ष थे) ने महाविद्यालय के कुल बजट की 20 प्रतिशत की राशि को महाविद्यालय पुस्तकालय के रख-रखाव तथा विकास पर खर्च करने की सिफारिश की है। महाविद्यालय के कुल बजट के एक निश्चित प्रतिशत को इसके पुस्तकालय के लिए निर्धारित करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। पुस्तकालय को शोध तथा शिक्षण में सहायता के लिए सक्षम बनाने तथा पुस्तकालय की सेवाओं को अनुक्रियाशील बनाने के लिए राज कमीशन द्वारा अनुशंसित पर्याप्त धन राशि को महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए आवंटित करना आवश्यक है।

साधारणतया, आज, पुस्तकालय के बजट में हर वर्ष 3 से 5 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी की जाती है परन्तु पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, जिल्दसाजी, फर्नीचर इत्यादि की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए पुस्तकालय के बजट में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को स्वीकृति देनी चाहिए। यदि पुस्तकालय द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं तो छात्रों से वार्षिक पुस्तकालय विकास शुल्क भी लिया जा सकता है। दुनिया के किसी देश में उच्च शिक्षा के लिए 100 अर्थ-सहाय नहीं मिलता। उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए आवश्यक सारी अध्ययन सामग्री छात्रों को उपलब्ध कराने में कोई भी महाविद्यालय सक्षम नहीं हो सकता।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. एक माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालय से कौन- कौन सी सेवाएँ अक्षित हैं?

....

....

....

....

4.4 वर्तमान परिदृश्य

एक उत्तम, स्वस्थ तथा कार्यकुशल महाविद्यालय कैसा होना चाहिए, इसका विवरण पिछले अनुच्छेदों में दिया गया है। परन्तु भारत में महाविद्यालय पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति स्तरीय नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली भरपूर सहायता के बावजूद अनेक महाविद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छात्रों से यथेष्ट मात्रा में पुस्तकालय शुल्क लेकर महाविद्यालयों को अपने पुस्तकालय के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंध करना चाहिए जिससे छात्रों को समुचित शैक्षिक-पोषण मिल सके।

जिन महाविद्यालयों में इन बातों की अनदेखी की जाती है। उनके पुस्तकालय के पास सीमित पठन-सामग्री, विस्तरणशीलता-हीन भवन तथा पुस्तकालय-कार्य में अनुभवहीन अव्यवसायी कर्मचारी होते हैं। यदि महाविद्यालय-शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करना है तो इस स्थिति में सुधार लाना आवश्यक है।

5. विश्वविद्यालय पुस्तकालय

विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वविद्यालय-विहीन पुस्तकालय का अस्तित्व हो सकता है, परन्तु पुस्तकालय-विहीन विश्वविद्यालय के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में सन् 1947 में बीस विश्वविद्यालय थे जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर दो सौ से अधिक हो चुकी है। इस संख्या में पारम्परिक विश्वविद्यालय, व्यवसायिक विश्वविद्यालय तथा डीम्ड विश्वविद्यालय (Deemed University) शामिल हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि से अनेक सामाजिक तथा बौद्धिक आयाम जुड़े हैं, जैसे-छात्रों की संख्या में वृद्धि, अनेक सामाजिक तथा बौद्धिक आयाम जुड़े हैं, जैसे-छात्रों की संख्या में वृद्धि, अनेक नये विभागों का गठन, लक्ष्योन्मुख शोध परियोजनाएँ इत्यादि। हमारे देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT : Indian Institute of Technology) भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM : Indian Institute of Management) तथा कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई जिनके द्वारा नवीन शैक्षिक विचारधारा का प्रसार हुआ। विश्वविद्यालयों स्तर पर एक अन्य नवीन प्रयोग के रूप में दूर-शिक्षा (Distance Education) के लिए मुक्त विश्वविद्यालय (Open Universities) की विचारधारा भी काफी लोकप्रिय हुई है। इन सारे तत्वों ने विश्वविद्यालय पुस्तकालयों पर गहरा प्रभाव डाला है। आज विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को बड़ी चुनौतियों से जूझने की कठिन भूमिका निभानी है, क्योंकि नाम-मात्र के अनुदान से इन्हें अधिकाधिक विषयों से संबंधित ज्ञान तथा सूचना को अत्यधिक कीमतों पर अधिगृहीत कर अधिसंख्यक पाठकों को उपलब्ध कराना है। उच्च-शिक्षा के लिए उत्सुक छात्र-छात्रओं द्वारा भी ज्ञान तथा सूचना से संबंधित सामग्री के अधिग्रहण में पुस्तकालय को आर्थिक योगदान देना चाहिए क्योंकि राज्य (कोई भी राज्य) पुस्तकालय के लिए आवश्यक वित्त की सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकता।

5.1 विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं कार्य

पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य तथा कार्य हैं :

- सरकार, उद्योग, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, विधि, रक्षा, शिक्षा, कृषि इत्यादि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक तथा प्रबंधकीय नेतृत्व प्रदान करने में छात्रों को सक्षम बनाना तथा उनमें सामाजिक सोद्देश्यता का भाव भरना;
- उपरिलिखित विविध क्षेत्रों में शोधार्थियों के समूह को प्रशिक्षित करना ताकि शोध की उपलब्धियों का उपयोग जन-जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जा सके;
- भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान तथा विचारों का संरक्षण करना;
- सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता तथा वैविध्यपूर्ण व्यक्तियों के बीच राष्ट्रीय एकता के आदर्शों के विकास को प्रोत्साहित करना।

उपरिलिखित विवरण से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख संबंध मानव-मस्तिष्क से संबंधित मामलों से है। इसलिए विश्वविद्यालय परिसर में विचारों का किण्वन, उत्कर्षता की अनवरत खोज, ज्ञान की प्राप्ति एवं परीक्षण, तथा गहन-विद्वता के लिए समादर हेतु पर्याप्त अवसर होने चाहिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रलेख-संग्रह को ज्ञान एवं शिक्षा तथा शोध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने, नये विचारों को पनपने देने, तथा नवीन ज्ञान एवं प्रकाशनों की उपलब्धि को सुलभ बनाने में सक्षम होना चाहिए।

NOTES

विश्वविद्यालय पुस्तकालय में संगृहीत सामग्री का शेल्फ पर स्थान निर्धारित करने के लिए तथा पुस्तकालय की प्रसूची तथा अनुक्रमणिकाओं में उनका यथास्थान प्रतिनिधित्व करने के लिए सामग्री का व्यवस्थापन भी आवश्यक है।

पुस्तकालय की प्रलेख एवं सूचना सेवाओं को पर्याप्त व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा विषयों के ज्ञान के आधार पर उचित रूप में व्यवस्थित करना भी आवश्यक है।

अगले अनुच्छेदों में इन बातों पर अधिक विस्तार से विचार किया गया है।

विश्वविद्यालय के पाँच प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

- ज्ञान-प्राप्ति तथा शिक्षण;
- शोध कार्य तथा नवीन ज्ञान का सृजन;
- शोध-परिणामों का प्रकाशन तथा प्रसार;
- ज्ञान तथा विचारों का संरक्षण; तथा
- विस्तार-कार्य एवं सेवाएँ।

5.2 विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य एवं कार्य

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति में विश्वविद्यालय पुस्तकालय सहायक होते हैं।

विश्वविद्यालय के विभिन्न उद्देश्यों के आलोक में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं:

- ज्ञान-प्राप्ति, शिक्षण, शोध तथा प्रकाशन इत्यादि के लिए विविध विषयों से संबंधित व्यापक प्रलेख-संग्रह का निर्माण करना;
- पुस्तकालय में संगृहीत सामग्री को उपयोग के लिए व्यवस्थित करना और उनका रख-रखाव करना; तथा
- विभिन्न प्रकार की मांग-आधारित तथा पूर्वानुमानित पुस्तकालय, प्रलेखन, तथा सूचना सेवाएँ चलाना।

5.3 उपयोक्ता समुदाय (पाठक)

विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उपयोक्ताओं में निम्नलिखित कोटि के पाठक आते हैं :

- विभिन्न विषयों में विभिन्न अध्ययन-स्तर के छात्र;
- विभिन्न विषयों में तथा विभिन्न स्तर पर छात्रों का शिक्षण एवं पथ-प्रदर्शन करने वाले अध्यापक;
- एम फिल (M Phil) तथा पीएच डी (Ph D) उपाधि के लिए कार्य कर रहे शोध छात्र;
- विशिष्ट परियोजनाओं में संलग्न शोधोत्तर (Post-Doctoral) शोध छात्र;
- शोध-निदेशक तथा विश्वविद्यालय की शोधपरक गतिविधियों के संचालन से संबद्ध प्रोफेसर तथा विशेषज्ञ गुण;
- विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशासनिक विभागों के सदस्य;
- विश्वविद्यालय के प्रबंधकगण, जो विश्वविद्यालय रूपी उच्च्व शिक्षा तथा शोध के वृहद्स्तरीय संस्थान का प्रबंध कार्य संभालते हैं;

- विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उपयोग के विशेष सुविधा प्राप्त बाहरी विद्वान, तथा।
- अन्य।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न केवल उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए छात्रों के भविष्य-निर्माण में बल्कि उन्हें अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में समर्थ बनाने में भी विश्वविद्यालय पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण भूमिका एवं उत्तरदायित्व निभाता है।

5.4 अभिशासन तथा प्रबंधन

विश्वविद्यालय पुस्तकालय का अभिशासन विश्वविद्यालय के सांविधिक नियमों के द्वारा होता है। पुस्तकालय की संवीक्षा तथा मूल्यांकन विश्वविद्यालय की शैक्षिक तथा कार्यकारी परिषद् के अधीन है। पुस्तकालय एक पुस्तकालयाध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। पुस्तकालयाध्यक्ष अपने विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी होता है तथा कुलपतिके अधीन कार्य करता है। विश्वविद्यालय की पुस्तकालय-प्रणाली से संबंधित गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए पुस्तकालय सलाहकार समिति या एक शासी निकाय द्वारा नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। पुस्तकालय सलाहकार समिति का अध्यक्ष सामान्यतया विश्वविद्यालय का कुलपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति होता है। पुस्तकालयाध्यक्ष इस समिति का सदस्य-सचिव तथा संयोजक होता है। इस समति में सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक, पुस्तकालय के व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के कुछ विशेषज्ञ, तथा कुछ विद्वान होते हैं। पुस्तकालय के लिए बजट बनाने, पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के मूल्यांकन, सेवाओं एवं कार्यक्रमों के सावधिक मूल्यांकन, तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के सामान्य कल्याण सहित पुस्तकालय प्रणाली से संबंधित शैक्षिक तथा प्रशासनिक मामलों के लिए निदेशक सिद्धान्त तथा नीतियाँ बनाना इस समिति का दायित्व है।

पुस्तकालय सलाहकार समिति या शासी निकाय द्वारा निर्धारित निदेशक-सिद्धान्तों तथा नीतियों के अंतर्गत पुस्तकालय के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को चलाना पुस्तकालयाध्यक्ष का दायित्व है। शैक्षिक परिषद् (Academic Council) के सदस्य के रूप में मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष छात्रों, अध्यापकों, शोधार्थियों तथा शैक्षिक परिषद् के अन्य सदस्यों से विचार-विमर्श कर पुस्तकालय के कुशल प्रबंधन के लिए उनकी राय जानने का प्रयत्न करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यकारी परिषद् (Executive Council) की बैठकों में विशेष-आमंत्रित व्यक्ति के रूप में भाग लेता है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU : Indira Gandhi National Open University) में पुस्तकालयाध्यक्ष परिषद् का सदस्य होता है।

5.5 संगठनात्मक ढाँचा

विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली एक उच्च स्तरीय वृहद् निकाय है। अपने उत्तरदायित्वों का सम्यक् रूप से पालन करने के लिए इसे अपने कर्मचारियों के बीच कार्यों का विवेकपूर्ण वितरण करना चाहिए। अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के संगठनात्मक ढाँचे का एक सामान्य मॉडल (General Model) प्रस्तुत किया गया है।

5.6 प्रलेख-संग्रह विकास

छात्रों, अध्यापकों, शोधार्थियों तथा शिक्षा संबंधी कार्यों में संलग्न अन्य व्यक्तियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक चयनित, मुद्रित तथा अन-मुद्रित प्रलेखों के एक सशक्त संग्रह का निर्माण करना विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक प्रमुख दायित्व है। प्रलेख-संग्रह की उत्तमता की कोई स्पष्ट कसौटी निर्धारित करना या इसकी गुणवत्ता को मापने का कोई स्पष्ट मानदण्ड स्थापित करना एक कठिन कार्य है, फिर भी पाठकों की वास्तविक तथा संभावित आवश्यकताओं का समय-समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इस कार्य के लिए पिछले दो या तीन दशकों में उपयोक्ता-अध्ययन (User Studies) की तकनीकें विकसित हुई हैं। इस प्रकार की कुछ तकनीकें या

NOTES

विधियाँ हैं–नवीन पत्र-पत्रिकाओं के चयन तथा अधिग्रहण के लिए उद्धरण-विश्लेषण करना, पुस्तकालय का उपयोग जानने के लिए पुस्तकालय-अभिलेखों का विश्लेषण करना, पाठकों की सूचना-एकत्रण-प्रवृत्ति जानने के लिए उनसे प्रत्यक्ष संपर्क करना, तथा इस प्रकार की अन्य गतिविधियों का अध्ययन करना। इन कार्यों से अधिग्रहण के लिए समुचित अंतदृष्टि प्राप्त होती है।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय का संगठनात्मक ढाँचा

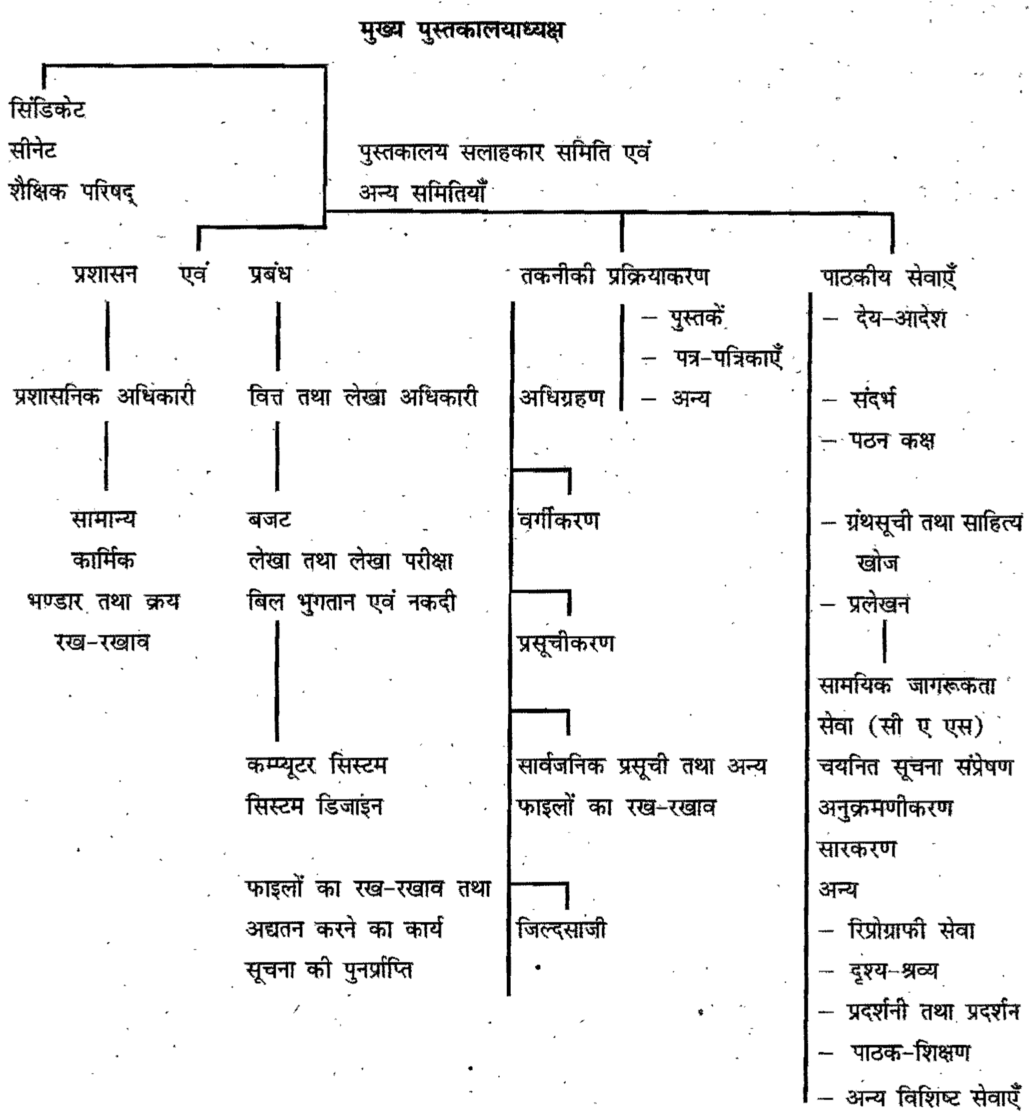

प्रलेख-संग्रह का निर्माण विशेषज्ञों की सलाह से करना चाहिए। इस कार्य के लिए सामान्यतया एक पुस्तक चयन समिति गठित की जाती है जिसमें विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व होता है। अपने-अपने विषय के साहित्य को ये निकट से जानते हैं। पुस्तक-चयन समिति की बैठक आवश्यकता अनुसार समय-समय पर होती रहनी चाहिए ताकि पुस्तकालय के प्रलेख-संग्रह में उत्तम पठन-सामग्री संकलित होती रहे। पुस्तक-चयन स्रोतों का अवलोकन कर पाठकों की रुचि के उत्तम प्रलेखों की पहचान करना तथा उनके अधिग्रहण के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना जैसे रूटीन कार्यों को भी पूरे शैक्षिक वर्ष के दौरान ज़ारी रखना चाहिए।

विश्वविद्यालय में चलाई जा रही विभिन्न विशिष्ट शोध परियोजनाओं के लिए भी प्रलेखों का अधिग्रहण करना विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक कार्य है। इसलिए अन्य उपयुक्त प्रलेखों, जैसे-सरकारी प्रकाशनों, विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों, सम्मेलनों की कार्यवाहियों, शोध प्रबंध तथा लघु-शोध प्रबंध,

पेटेंट, मानक इत्यादि का अधिग्रहण करना भी आवश्यक है। मुद्रित सामग्री के अतिरिकत अन-मुद्रित सामग्री, जैसे-श्रव्य-दृश्य शिक्षा उपकरण, कम्प्यूटर आधारित अनुदेशात्मक सामग्री, वीडियो कैसेट इत्यादि का भी अधिग्रहण करना चाहिए। संक्षेप में, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए उपयोगी प्रलेख-संग्रह का निर्माण एक सूझ-बूझ तथा विद्वत्तापूर्वक किया जाने वाला व्यावसायिक कार्य है। सत्य तो यह है कि अपने प्रलेख-संग्रह की गुणवत्ता के आधार पर ही विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उच्च या निम्न स्तर का पता चलता है।

5.7 तकनीकी प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन

विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विशाल प्रलेख-संग्रह का समुचित रूप में तकनीकी प्रक्रियाकरण तथा व्यवस्थापन किया जाना चाहिए। चूँकि प्रलेखों का संग्रह विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के पठन-पाठन के लिए किया जाता है, उनका वर्गीकरण पाठकों द्वारा मान्य वर्गीकरण प्रणाली के द्वारा कर उन्हें उनके सही स्थान पर रखना चाहिए। उन्हें उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध कराना भी पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

मुद्रित तथा अन-मुद्रित, सारे प्रकार के प्रलेखों को शेल्फों पर इस भाँति रखना चाहिए जिससे उनका उपयोग बढ़ सके। आधुनिक पुस्तकालयों में प्रचलित निर्बाध, प्रवेश प्रणाली (Open Access Sytem) के कारण प्रलेखों का समुचित प्रदर्शन तथा व्यवस्थापन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।

पुस्तकालय के उपयोक्ता पुस्तकालय प्रसूची का निरंतर उपयोग करते हैं। अतः प्रसूचीकरण की मानक-प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए पाठकों के विभिन्न उपागमों को संतुष्ट करने के लिए विविध प्रकार की विषय-प्रविष्टियाँ भी बनानी चाहिए। आधुनिक पुस्तकालयों में विविध प्रकार के गृह-कार्यों के लिए कम्प्यूटर का उपयोग एक सामान्य बात है। यदि आवश्यक सुविधाएँ और अवसर उपलब्ध हों तो कम्प्यूटर-आधारित सेवा प्रदान करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. महाविद्यालयी शिक्षा की महत्ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

....

....

....

....

5.8 सेवाएँ

विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अनेकों प्रकार की पुस्तकालय, प्रलेखन, तथा सूचना संबंधी सेवाएँ चलानी चाहिए। इनमें से कुछ सेवाओं के नाम नीचे दिए गए हैं :

(अ) पुस्तकालय सेवाएँ

(i) देय-आदेय;

(ii) सूचना एवं संदर्भ;

(iii) पठन-कक्ष;

NOTES

(iv) पुस्तकालय के उपयोग में सहायता; तथा

(v) नव-अधिगृहीत प्रलेखों का प्रदर्शन करना तथा इनकी सूची बनाना।

(ब) सामयिक जागरूकता सेवाएँ

(i) पत्रिकाओं के करेंट कन्टेंट्स (Current Contents)

(ii) चुने हुए विषयों के महत्वपूर्ण साहित्य के लिए अलर्ट (Alert) सेवा;

(iii) सूचना का चयनित प्रसार (SDI); तथा

(iv) समाचार पत्र-कतरन सेवा।

(स) ग्रंथात्मक सेवाएँ

(i) साहित्य खोज;

(ii) विशिष्ट विषयों पर ग्रंथसूचियाँ बनाना; तथा

(iii) सामयिक साहित्य की अनुक्रमणी।

(द) संक्षेपण सेवाएँ

(i) विशिष्ट विषयों पर सार बनाना;

(ii) डाइजेस्ट (Digest) सेवा;

(iii) विशिष्ट विषय क्षेत्रों के ऊपर प्रकाशित समीक्षा/प्रगति की जानकारी देना; तथा

(iv) यथा-वस्तु-स्थिति प्रतिवेदन।

(य) अन्य सेवाएँ

(i) प्रलेख आपूर्ति सेवा;

(ii) रिप्रोग्राफी (Reprography) सेवा;

(iii) अनुवाद सेवा; तथा

(iv) कम्प्यूटर-आधारित सूचना की पुनर्प्राप्ति।

(र) विशेषीकृत सेवाएँ

(i) पाठक शिक्षण;

(ii) प्रदर्शनियाँ तथा विशेष प्रदर्शन;

(iii) विशेष व्याख्यान एवं प्रदर्शन; तथा

(iv) पाठकोन्मुख संगोष्ठियाँ (Seminars) और कार्यशालाएँ (Workshop) इत्यादि।

माँग होने तथा पुस्तकालय के कर्मचारियों में इन सेवाओं को प्रदान करने की योग्यता होने पर इन सेवाओं की योजना बनानी चाहिए। इन सेवाओं को प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य पाठकों की रुचियों और आवश्यकताओं को तुष्ट करना है।

5.9 भौतिक सुविधाएँ

भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय स्वतंत्र भवन में स्थित हैं। इनमें से अनेक भवन क्रियात्मक हैं, वास्तुशिल्पीय सौंदर्य से पूर्ण हैं, सुरुचि संपन्न हैं, तथा आकर्षक हैं। इन पुस्तकालयों की योजना मुख्यत: मुद्रित सामग्री को रखने तथा उन पर आधारित सेवाएँ प्रदान करने के लिए बनाई गई है क्योंकि इन भवनों की योजना बनाने के समय पुस्तकालयों में मुद्रित सामग्री का ही अधिग्रहण किया जाता था। अनेक पुराने विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के भवन अब इसके प्रलेख-संग्रह को रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इनका विस्तार करने की आवश्यकता है। भविष्य के पुस्तकालयों की योजना बनाते समय कम्प्यूटर तथा संचार तकनीकों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। अध्ययन तथा शिक्षण की प्रक्रिया में इन तकनीकों के कारण आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। आज मुद्रित समाग्री भी माइक्रो (Micro) या मशीन पठनीय (Machine Readable) रूप में बाजार में उपलब्ध है। इनके कारण प्रलेखों के भण्डारण तथा स्थान की कमी की समस्या बहुत कम हो गई है। पुस्तकालयों को इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए भवन तथा स्थान संबंधी आवश्यकता को बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।

5.10 व्यावसायिक कर्मचारी

शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, तथा कार्यकुशलता में पुस्तकालय के व्यावसायिक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों तथा शोधकर्ताओं के समकक्ष होना चाहिए। पुस्तकालय प्रणाली द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं, अर्थात् पुस्तकालय; सूचना, एवं प्रलेखन संबंधी सेवाओं में पुस्तकालय कर्मचारियों की सुयोग्यता की स्पष्ट छाप झलकनी चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न स्तर के छात्रों, प्राध्यापकों, शोधार्थियों, कम्प्यूटर और संचार विशेषज्ञों, तथा व्यवस्थापकों से निरंतर विचार-विमर्श करते रहना चाहिए। इससे उपयोक्ता समुदाय या पाठकों की प्रशंसा प्राप्त होती है तथा बीच पुस्तकालय की साख बढ़ती है। अभिनव उपायों को अपनाकर ही पाठकों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित किया जा सकता है और पुस्तकालय का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। इस विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुस्तकालय कर्मचारियों को विभिन्न विषयों का विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वे विज्ञान-पुस्तकालयाध्यक्ष या प्राच्यविद्या-पुस्तकालयाध्यक्ष इत्यादि के रूप में विशिष्ट पुस्तकालयों में कार्य भार संभाल सकें। पाठकों के विभिन्न वर्गों से संवाद बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकालय कर्मचारी तकनीकी तथा विद्वतापूर्ण लेखन की सुयोग्यता, वार्तालाप में पटुता, तथा जन-संपर्क में कुशलता जैसे गुणों से संपन्न हों। इन योग्यताओं, कार्यों तथा सेवाओं के कारण पुस्तकालय के व्यावसायिक कर्मचारियों का वेतन तथा पद शैक्षिक-समुदाय के समकक्ष होना चाहिए।

5.11 वित्त-व्यवस्था एवं बजट

विश्वविद्यालय पुस्तकालय की वित्त-व्यवस्था सामान्य रूप से विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित धन पर आधारित है। यह आवंटन विभिन्न शिक्षा आयोगों, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है, की सिफारिशों पर आधारित होता है। राज समिति के अनुसार विश्वविद्यालय के कुल बजट का 20% धन पुस्तकालय के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। परन्तु, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में बताया जा चुका है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के ऊपर होने वाले खर्च को शैक्षिक तथा शिक्षा-प्रौद्योगिकी के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूरी स्थिति की समीक्षा कर विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का एक नेटवर्क, इंफ्लिबनेट (INFLIBNET) स्थापित किया गया है। इस संबंध में यह टिप्पणी की जाती है कि एक उल्टे पिरामिड की भाँति एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापपित करने के पहले स्थानीय तथा क्षेत्रीय नेटवर्कों की स्थापना पर अधिक बल देना अधिक उपयुक्त होता। दुनिया के अन्य देशों में स्थानीय तथा क्षेत्रीय नेटवर्कों की स्थापना पहले हुई और राष्ट्रीय नेटवर्क बाद में स्थापित हुआ।

NOTES

इंफ्लिबनेट या इस जैसा कोई भी नेटवर्क इच्छित सफलता नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि किसी उल्टे पिरामिड का खड़ा रहना कठिन है।

6. सामान्य टिप्पणी

शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने तथा उसकी सार्थकता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले सौ वर्षों में अनेक शिक्षा आयोग गठित किये। शिक्षा प्रणाली की समीक्षा कर इन आयोगों ने अनेक बहुमूल्य सिफारिशें दी। इन आयोगों में से कुछ प्रमुख आयोग हैं : उच्च शिक्षा के ऊपर राधाकृष्णन कमीशन (1948), माध्यमिक शिक्षा के ऊपर मुदालियार कमीशन (1952-53), शिक्षा के ऊपर कोठारी कमीशन (1964) तथा प्रोफेसर के.एन. राज की अध्यक्षता में गठित कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटिज रिव्यू कमिटी (Karnataka State Universities Review Committee) (1979)। इन सारे आयोगों ने शैक्षिक पुस्तकालयों की ओर प्रचुर ध्यान दिया तथा इनकी वित्त व्यवस्था, सेवाओं तथा इनके व्यावसायिक कर्मचारियों से संबंधित सार्थक सिफारिशें दी हैं।

भारत में शैक्षिक पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना एक युगांतकारी घटना है। इसकी स्थापना के बाद विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को पुस्तकों, भवन, तथा अन्य सुविधाओं के लिए यथेष्ट धन मिला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सन् 1959 में डॉ. रंगनाथन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों के ऊपर एक समिति गठित की। इस समिति के प्रतिवेदन का प्रकाशन यूनिवर्सिटी एण्ड कॉलेज लाइब्रेरिज (University and College Libraries) की आख्या के अंतर्गत किया गया। इस प्रतिवेदन ने भारत में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन् 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंफ्लिबनेट प्रोग्राम (INFLIBNET Programme) को विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शोध -संस्थानों के नेटवर्क के रूप में अभिकल्पित एवं विकसित किया।

इंफ्लिबनेट एक सहकारी नेटवर्क है। विश्वविद्यालयों तथा अन्य शोध एवं विकास संस्थानों के पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों में उपलब्ध स्रोतों के एकत्रण तथा साझेदारी के द्वारा इन स्रोतों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना इंफ्लिबनेट का कार्य है। पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए यह एक प्रमुख कार्यक्रम है। शैक्षिक पुस्तकालयों, विशेषतः महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, को अपनी गतिविधियाँ चलाने के लिए जो सहायता मिल रही है, उससे उन्हें औद्योगिक रूप से विकसित देशों के पुस्तकालयों के स्तर की सेवाएँ दे पाना कठिन होगा।

जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है, हमें यह विदित है कि मुख्यतया कम्प्यूटर तथा संचार-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई भारी प्रगति के प्रभावस्वरूप पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में भी आंदोलनकारी परिवर्तन हो रहे हैं। औद्योगिक रूप से विकसित देशों में इस कारण शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। अतः विश्वविद्यालय शिक्षा को अपना स्वरूप तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। भारत में भविष्य के शैक्षिक पुस्तकालयों को इस परिवर्तन को ध्यान में रखना होगा। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि यद्यपि शिक्षा की प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है, परन्तु शिक्षा का उद्देश्य-अर्थात् देश के गतिशील विकास और उन्नति के लिए उच्च कोटि की, गुणवत्ता सम्पन्न जनशक्ति विकसित करना-कभी नहीं बदलता।

7. सार-संक्षेप

इस अध्याय में हमने

(i) भारतीय शिक्षा प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन किया है, शिक्षा की प्रक्रिया में शैक्षिक पुस्तकालयों की भूमिका की व्याख्या की है, तथा शैक्षिक पुस्तकालयों के प्रकारों तथा उनके कार्यों का उल्लेख किया है;

(ii) विद्यालय पुस्तकालयों की चर्चा की है, उनकी भूमिका की व्याख्या की है तथा प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालयों के प्रलेख-संग्रह तथा उनकी सेवाओं का वर्णन किया है। हमने विद्यालय शिक्षा की प्रक्रिया में माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों की समर्थनकारी भूमिका के बारे में भी बताया है तथा इस बात की भी चर्चा की है कि उनका प्रलेख-संग्रह किस प्रकार का होना चाहिए तथा उन्हें कौन-सी पुस्तकालय-सेवाएँ चलानी चाहिए;

(iii) महाविद्यालय पुस्तकालयों के उद्देश्यों और कार्यों, आदर्श महाविद्यालय पुस्तकालयों के घटकों, उनके द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं तथा महाविद्यालय पुस्तकालय की वित्तीय आवश्यकता की व्याख्या की है;

(iv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्यों और कार्यों की व्याख्या की है, इनके अभिशासन, प्रबंधन, प्रलेख-संग्रह विकास, उपयोक्ता समुदाय, सेवाओं, वित्त व्यवस्था तथा बजट का विस्तृत विवरण दिया है;

(v) प्रत्येक अनुभाग के अंत में, भारत में पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति की चर्चा की है;

(vi) शैक्षिक पुस्तकालयों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने की चेष्टाओं की भी संक्षिप्त चर्चा की है; तथा

(vii) अंत में, हमने विश्व में शिक्षा की प्रवृत्ति की भी चर्चा की है, जो आज एक अभूतपूर्वक परिवर्तन की स्थिति में है। भविष्य के शैक्षिक पुस्तकालयों की योजना बनाते समय कम्प्यूटर तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति को ध्यान में रखना होगा।

8. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. छात्रों द्वारा पुस्तकालयों का उपयोग प्राथमिक विद्यालयों से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। प्राथमिक, मिड्ल (Middle) तथा माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों द्वारा निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए :

   (i) शिक्षकों और छात्रों की आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुरूप पुस्तकों तथा अन्य प्रलेखों का अधिग्रहण करना, उनको ऋण पर उपलब्ध कराना तथा ऐसी पुस्तकों की तलाश में रहना जो शिक्षकों एवं छात्रों की आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों को संतुष्ट कर सकें;

   (ii) शिक्षकों और छात्रों में पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री के प्रति उत्सुकता तथा अभिरुचि जगाना तथा अपनी रुचि की पुस्तकों की प्राप्ति में उनकी सहायता करना;

   (iii) छात्रों को पुस्तकों तथा ज्ञान-प्राप्ति के अन्य स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग में सक्षम बनाने के लिए उनके मस्तिष्क में पुस्तकों के प्रति गौरव-भाव उत्पन्न करना तथा उनके लिए पठन-पाठन की रुचि जागृत करना;

   (iv) आजीवन शिक्षा के लिए पाठकों में स्व-शिक्षण की प्रभावशाली योग्यता एवं निपुणता उत्पन्न करना;

   (v) विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए तथा स्वयं के शैक्षणिक विकास के लिए, शिक्षकों को ज्ञान-प्राप्ति के स्रोतों का उपयोग करने के लिए सुयोग्य बनाना;

   (vi) सूचना की प्राप्ति के लिए पाठकों में पुस्तकालयों के प्रति निष्ठा-भाव एवं अभिरुचि उत्पन्न करना।

NOTES

2. विद्यालय पुस्तकालयों को अपने पुस्तक-संग्रह में निम्नलिखित विषयों के ऊपर पुस्तकें रखनी चाहिए तथा उनके व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए :

   (i) शौर्य-गाथा एवं साहसिक कार्य, देशभक्ति, मानव-सेवा तथा अन्य इसी प्रकार की विषय-वस्तु को चित्रित करने वाली सचित्र पुस्तकें;

   (ii) महान् महिलाओं और पुरुषों की जीवनी;

   (iii) यात्रा एवं हास्य-रस की पुस्तकें;

   (iv) लोकगाथाएँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, अरेबियन नाइट्स (Arabian Nights), एसोप (Aesop's) की नीति-कथाएँ, रोबिन-हुड (Robinhood) की कहानियाँ;

   (v) पशु-पक्षियों की कहानियाँ;

   (vi) लोकप्रिय खेल-कूद;

   (vii) सांस्कृतिक धरोहर;

   (viii) संदर्भ पुस्तकें, जैसे- बाल-विश्वकोश तथा सचित्र कोश;

   (ix) बाल-पत्रिकाएँ, जैसे- चिल्ड्रेंस वर्ल्ड (Children's World), चंदामामा, टिंकल (Tinkel) इत्यादि;

   (x) दृश्य-श्रव्य सामग्री, जैसे- चल-चित्रक फिल्म, सजीवात्मक फिल्म, टेप-स्लाइड, वीडियो कैसेट;

   (xi) मॉडेल (Models), चार्ट (Charts), मानचित्र, ग्लोब (Globes), पिक्चर (Pictures), फोटोग्राफ (Photographs), खिलौने इत्यादि;

   (xii) ज्ञान-प्राप्ति के अन्य उपकरण; तथा

   (xiii) कम्प्यूटर, जिनमें खेल से संबंधित सॉफ्टवेयर (Software) हों।

3. एक माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय से निम्नलिखित सेवाएँ अपेक्षित हैं :

   (i) देय-आदेय;

   (ii) सूचना, पठन, तथा संदर्भ सेवा;

   (iii) निर्देश तथा सलाह-सेवा;

   (iv) पठन-सूची तैयार करना;

   (v) सामयिक घटनाओं, गतिविधियों, व्यक्तियों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, तथा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर जागरूकता सेवा चलाना;

   (vi) ज्ञान एवं सूचना के प्रचार-प्रसार एवं संप्रेषण के लिए अन्य विभिन्न गतिविधियाँ चलाना, जैसे :

      - उपयुक्त अवसरों पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन;
      - पुस्तक-चर्चाओं का आयोजन; तथा

- समसामयिक मुद्दों पर भाषण प्रतियोगिता तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना इत्यादि।

4. महाविद्यालय-शिक्षा के दिनों में छात्रों को ऐसी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के अनेकानेक अवसर मिलते हैं जिनसे उनमें संगठनात्मक कौशल एवं नेतृत्व-गुण विकसित होते हैं। महाविद्यालय-शिक्षा के दौरान छात्रों को ललित कलाओं, संगीत, खेल-कूद तथा अन्य पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों में अपनी व्यक्तिगत मेधा के प्रदर्शन तथा विकास के प्रचुर अवसर मिलते हैं। इस प्रकार महाविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को ऐसे नागरिकों के रूप में विकसित करना है जो बुद्धिमान हों और साथ ही अन्य ऐसे गुणों से संपन्न हों जो देश की प्रगति एवं उन्नति के लिए वांछनीय तथा उपयोगी होते हैं।

युवक एवं युवतियों के लिए महाविद्यालय में प्रवेश उनके जवीन के एक नवीन और रोमांचकारी अध्याय की शुरुआत है। महाविद्यालय-शिक्षा में विस्तृत पाठ्यक्रम, व्याख्यानों के अलावा ज्ञान-प्राप्ति की नई विधियाँ, तथा महाविद्यालय में मिलने वाला खाली समय तथा स्वतंत्रता इत्यादि ऐसे तत्व हैं जो छात्रों को अध्ययन के लिए आत्मनिर्भर बनाते हैं तथा उनमें जीवन से जूझने का जीवट कूट-कूट कर भरते हैं। महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद छात्रों को यह पता चलता है कि विद्यालय की शिक्षा अध्यापक-केन्द्रित थी, जबकि महाविद्यालय की शिक्षा छात्र-केन्द्रित तथा पुस्तकालय-केन्द्रित है।

9. मुख्य शब्द

अकाल प्रौढ़ता (Precocious)	:	आयु से अधिक मानसिक विकास।
अग्राह्यता (Inhospitable)	:	नयी वस्तुओं या विचारों को ग्रहण नहीं करना।
टेप-स्लाइड किट (Tape-Slide Kit)	:	किसी गतिविधि या घटना का चल-विवरण के साथ स्लाइड प्रदर्शन।
पुस्तकालय नेटवर्क (Library Networks)	:	कम्प्यूटर तथा संचार माध्यमों के द्वारा विभिन्न पुस्तकालयों के संसाधनों तथा सेवाओं का परस्पर संयोजन।
पुस्तकावलोकन/अवलोकन (Browsing Books)	:	प्रलेखों का सरसरी निगाह से अवलोकन।
प्रलेखन (Documentation)	:	प्रलेखों का संकलन, अभिलेखन, परिरक्षण तथा इनका द्रुत-उपयोग।
विषय का बहुशाखन (Ramification of a Subject)	:	विषय का संरचनात्मक विभाजन।
शैक्षिक पुस्कालय (Academic Libraries)	:	शैक्षिक संस्थान से संबद्ध पुस्तकालय।

10. अभ्यास-प्रश्न

1. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
2. महाविद्यालयों के पुस्तकालय के प्रमुख घटकों तथा कार्यों का विवरण दीजिए।
3. विश्व विद्यालयी पुस्तकालय की प्रमुख विशेषताओं तथा गतिविधियों की विवेचना कीजिए।

4. विश्वविद्यालयी पुस्तकालय के अभिशासन एवं प्रबन्धन का परिचय दीजिए।
5. शैक्षिक पुस्तकालयों के विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।

NOTES

11. संदर्भ ग्रन्थ सूची

Deshpande, K. S. (1985). University Library System in India. New Delhi : Sterling.

India. Education Commission (1964-66) (Chairman. D S Kathari) Educational Planning and the National Policy (1971) New Delhi : NCERT.

Krishan Kumar (1987). Library Organisation. New Delhi : Vikash. Chapters 3, 4, 5.

Ranganathan. S. R. (1973). New Educational School Library. New Delhi : Vikas Publications.

Role and Functions of a School Library (1989). New Delhi : National Book Trust India (folder).

Trehan. G.L. Malhan. L. V. (1980). School Library Management. New Delhi : Sterling.

Yelfand, M. A. (1974). Universtiy Libraries in Developing Countries. Delhi University of Delhi.

अध्याय-7

सार्वजनिक पुस्तकालय : भूमिका तथा कार्य

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के कारक-तत्व
   3.1 ज्ञान की ललक
   3.2 साक्षरता
   3.3 सार्व-जन शिक्षा
   3.4 प्रबुद्ध नेतृत्व तथा लोकोपकार
   3.5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति
   3.6 अवकाश के समय का सार्थक उपयोग
4. सार्वजनिक पुस्तकालय का अर्थ एवं प्रमुख लक्ष्य
   4.1 यूनेस्को द्वारा दी गई परिभाषा
   4.2 सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख लक्ष्य
5. सार्वजनिक पुस्तकालय के आधारभूत तत्व
6. सार्वजनक पुस्तकालय के अभिलक्षण
7. सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य
   7.1 सूचना केन्द्र
   7.2 स्व-शिक्षण केन्द्र
   7.3 सांस्कृतिक केन्द्र
   7.4 स्थानीय सांस्कृतिक-सामग्री केन्द्र
   7.5 प्रजातांत्रिक भावना का विकास
   7.6 निष्पक्ष सेवा एजेंसी
8. सार-संक्षेप
9. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
10. अभ्यास-प्रश्न
11. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्याय में सार्वजनिक पुस्तकालयों की विचारधारा, उनका उद्भव तथा विकास, और उनके कार्य तथा सेवाओं से आपका परिचय कराया जा रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है जो विभिन्न प्रकार के जन-समुदाय के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विषयों से संबंधित सूचना सेवा उपलब्ध कराती है।

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे :

- सार्वजनिक पुस्तकालयों का उद्गम और विकास;
- सार्वजनिक पुस्तकालयों के अर्थ की व्याख्या; तथा
- सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यों का सामान्य विवरण, तथा विशेष रूप से आधुनिक भारतीय समाज के संदर्भ में उनके कार्यों का विवरण।

2. विषय-प्रवेश

एक सामान्य नागरिक के रूप में आपको किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में जाने तथा उसका उपयोग करने का अवसर मिला होगा। आप किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के सदस्य भी होंगे। समाज द्वारा स्थापित तथा विकसित अनेक प्रकार के पुस्तकालयों में सार्वजनिक पुस्तकालय अपने विशिष्ट कार्यों के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तकालय हैं। समाज के कल्याण में ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय का क्या अर्थ है, या हम इससे क्या समझते हैं? अपने देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में आप इसके बारे में क्या जानते हैं? इसका विकास कैसे हुआ? सार्वजनिक पुस्तकालयों की यूनेस्को द्वारा परिकल्पित विचारधारा क्या है? इस अध्याय में सार्वजनिक पुस्तकालयों के इन पहलुओं की व्याख्या की गई है। यहाँ हम आपका परिचय पुस्तकालय के कार्यों से कराएँगे तथा समसामयिक भारतीय समाज के विशिष्ट अभिलक्षणों के बारे में भी बताएँगे जिससे आप वर्तमान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका तथा कार्यों की अभिकल्पना कर सकेंगे।

3. सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के कारक-तत्व

पुस्तकालय जैसी संस्था विकसित करने में कई दशक नहीं बल्कि कई सदियों का समय लगता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के कारण-तत्वों के बारे में जानना हमारे लिए उपयोगी होगा। इन कारकों में प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं :

- ज्ञान की ललक;
- साक्षरता;
- सार्व जन-शिक्षा;
- प्रबुद्ध नेतृत्व तथा लोकोपकार;
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति; तथा
- अवकाश के समय का सार्थक उपयोग।

3.1 ज्ञान की ललक

ज्ञान की ललक का क्या अर्थ है ज्ञान-प्राप्ति की प्रबल आंतरिक इच्छा। इस ललक के परिणामस्वरूप मनुष्य किसी भी संभव स्रोत या माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। मानव जाति में यह ललक कैसे

पैदा हुई ?

सामाजिक-इतिहासज्ञ हमें यह बताती हैं कि ज्ञान की ललक मनुष्य के मानस में छिपे निम्नलिखित प्रच्छन्न भावों का प्रकटीकरण है :

(i) अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता, जैसे-सोच, तथा अभिव्यक्ति और संप्रेषण के अधिकार की सुरक्षा,

(ii) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने परिवेश पर नियंत्रण पाना;

(iii) जीवन के प्रतिस्पर्धायुक्त सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों में सफलता प्राप्त करना; तथा

(iv) सांस्कृतिक उन्नयन।

इन तत्वों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप मानव, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से ज्ञान-प्राप्त करने, उसे आत्मसात करने तथा अपनी बुद्धि एवं विवेक से उसका प्रयोग करने के लिए सदियों से प्रयत्नशील है।

3.2 सारक्षता

पुस्तकों इत्यादि स्रोतों में उपलब्ध ज्ञान को अपने लिए उपयोगी बनाने के लिए मनुष्य को पठन, लेखन तथा गणित में निपुणता प्राप्त करनी पड़ी। समाज को साक्षर बनाने में विद्यालयों ने सीमित भूमिका निभाई है, तथापि साक्षरता फैलाने में सार्वजनिक पुस्तकालयों का अपना महत्व है। भारत सरकार की सहायता से देश के 300 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया है तथा आशा की जाती है कि निकट भविष्य में हमारा देश संपूर्ण साक्षरता को प्राप्त कर लेगा।

3.3 सार्व-जन शिक्षा

ज्ञान के उपलब्ध भण्डार का पूरा लाभ उठाने के लिए ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का व्यक्तिगत उपयोग ही काफी नहीं है। जनसमूह की प्रगति सामूहिक प्रयत्नों पर निर्भर है। इसलिए शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य किया गया जिससे कि प्रत्येक नागरिक अपनी सहायता कर अंततोगत्वा राष्ट्र के समग्र विकास में अपना योगदान दे सके। इस प्रकार की जन-शिक्षा अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए और इसे सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा ही संभव बनाया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय कदम-कदम पर और आजीवन स्व-शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराते हैं।

3.4 प्रबुद्ध नेतृत्व और लोकोपकार

पाश्चात्य देशों में विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों, जैसे-प्रमुख उद्योगपति, विधायक, शिक्षाविद्, राजनीतिक नेता इत्यादि ने जन-सामान्य के लिए पुस्तकालयों की स्थापना तथा विकास के लिए धन, भवन तथा पुस्तकें इत्यादि उपलब्ध कराने में पहल की। शिक्षा तथा ज्ञान का सदुपयोग कर इन व्यक्तियों ने समाज में स्थान बनाया था और वे चाहते थे जिन लोगों के पास आजीवन स्व-शिक्षण का कोई साधन नहीं है, वे सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा इसे प्राप्त कर सकें। विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध नेताओं या अग्रणी व्यक्तियों की लोकोपकार (Philanthropy) की इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप पाश्चात्य देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों का तेज गति से विकास हुआ।

3.5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति

स्याही, कागज तथा मुद्रण कला के आविष्कार के पहले व्यक्तियों या समूहों के बीच सूचना का संप्रेषण अत्यंत मंद गति से होता था। इन सामग्रियों के चीन में आविष्कार, अरब में सुधार तथा यूरोप में परिष्कार के बाद कम लागत में अधिक पुस्तकें मुद्रित होने लगीं। पुस्तकें आकर्षक होने के साथ-साथ अधिक समय तक परिरक्षणीय भी होती गईं। इन कारणों से पुस्तकालयों में अधिक संख्या में पुस्तकें खरीदी या अन्य प्रकार से प्राप्त की जाने लगीं। संचार-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ ही साथ दृश्य-श्रव्य

NOTES

सामग्री, जैसे-रिकार्ड, चार्ट, चित्र, फिल्म इत्यादि को भी पुस्तकालयों में रखा जाने लगा। दृश्य-श्रव्य सामग्री का आविर्भाव स्व-शिक्षा के लिए एक वरदान के रूप में हुआ तथा इन सामग्रियों ने साक्षरों, असाक्षरों तथा नव-साक्षरों-सबकी ज्ञान-पिपासा बुझाई।

फिल्म, रेडियो तथा टेलीविजन, जैसे- जन-संचार माध्यमों तथा टेप, कैसेट, और डिस्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) संचार माध्यमों के बीसवीं शताब्दी में उपयोग के कारण-भौगोलिक, राजनीतिक तथा मानव-निर्मित अन्य बाधाओं को लांघ कर-सूचना को जन-सामान्य तक तेज गति से प्रसारित करने का कार्य संभव हुआ।

आज सार्वजनिक पुस्तकालय इन समस्त संचार माध्यमों का उपयोग कर सूचना के निर्बाध, गतिशील तथा सुविधाजनक प्राप्ति को सुनिश्चित कर रहे हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में इन संचार माध्यमों का अत्यधिक योगदान रहा है। सेटलाइट (Satellite) आधारित संचार-माध्यम ने जन-जन के दरवाजे तक सूचना पहुँचाने के कार्य को भी संभव कर दिखाया है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के कारक तत्वों का उल्लेख कीजिए।

....

....

....

....

3.6 अवकाश के समय का सार्थक उपयोग

हाथ से किए जाने वाले रूटीन (Routine) कार्यों के लिए मशीन के उपयोग के कारण कम समय में उत्तम कोटि की अधिक परिष्कृत वस्तुओं के उत्पादन तथा विक्रय के द्वारा मनुष्य ने और अधिक संपत्ति अर्जित की। धीरे-धीरे मनुष्य ने अपनी अतिरिक्त संपत्ति तथा खाली (अवकाश) समय का उपयोग अधिक सूचना तथा शिक्षा प्राप्त करने में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया। ऐसे व्यक्तियों को अवकाश के समय के सार्थक उपयोग के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में एक नया मंच मिला।

इस प्रकार दुनिया के सभ्य-समाज में अनेक कारक-त्तवों ने, अलग-अलग और सामूहिक रूप में, आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में भूमिका निभाई है। अब हम 'सार्वजनिक पुस्तकालय' पद के अर्थ पर विचार करेंगे।

4. सार्वजनिक पुस्तकालय का अर्थ एवं प्रमुख लक्ष्य

विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञों ने सार्वजनिक पुस्तकालय की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। जिन लोगों ने सार्वजनिक पुस्तकालय के शिक्षाप्रदायक पक्ष को अधिक महत्व दिया उन्होंने इसे 'लोक-विश्वविद्यालय' कहा; जिन लोगों ने इसके मनोरंजनप्रदायक पक्ष को अधिक महत्व दिया उन्होंने इसे जनसाधारण का 'सांस्कृतिक-केन्द्र' माना। कुछ अन्य व्यक्तियों के अनुसार यह, जीवन के विविध पहलुओं के ऊपर प्रमाणिक सूचना की प्राप्ति का केन्द्र है।

4.1 यूनेस्को द्वारा दी गई परिभाषा

सार्वजनिक पुस्तकालय की एक सर्व-स्वीकृती यूनेस्को (UNESCO) ने दी है। इस परिभाषा-जो 1949 में बनाई गई तथा 1972 और पुन: 1994 में संशाधित की गई-को यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो

(UNESCO Public Library Manifesto) में दिया गया है। इन मैनिफेस्टो के अनुसार सार्वजनिक सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा निम्नलिखित है :

- लोक-पुस्तकालय ज्ञान-जगत् का स्थानीय प्रवेश द्वार है और व्यक्तियों तथा समुदायों को आजीवन ज्ञान प्राप्त करने, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने, और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराता है;
- शिक्षा, संस्कृति एवं सूचना के लिए प्रेरणा-स्रोत है और नर-नारियों के मानस में शांति एवं आध्यात्मिक कल्याण की भावना का विकास करता है;
- यह सूचना का स्थानीय केन्द्र है जो लोगों को प्रत्येक प्रकार का ज्ञान तथा सूचना बिना रोक-टोक के त्तकाल उपलब्ध कराता है;
- जाति, आयु, लिंग, संबंध, राष्ट्रीयता, भाषा या सामाजिक स्तर के भेद-भाव के बिना जो सबके लिए समान रूप से अभिगम्य है;
- जिसके प्रलेख-संग्रह में समाज की सामयिक प्रवृत्तियों तथा इसके विकास से संबंधित सामग्री के साथ मानव-जाति के प्रयत्नों, उद्यमों, और कल्पनाशक्ति का स्मरण दिलाने वाली सामग्री को भी संकलित किया गया है।

यूनेस्को द्वारा दी गई उपरिलिखित परिभाषा में सार्वजनिक पुस्तकालयों के समस्त आयामों को सम्मिलित किया गया है। अत: सार्वजनिक पुस्तकालय की यह एक सर्वांगपूर्ण तथा सुविस्तृत परिभाषा है।

4.2 सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख लक्ष्य

अपने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में यूनेस्को ने पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख लक्ष्यों की चर्चा की है। इन प्रमुख लक्ष्यों का संबंध सूचना, साक्षरता, शिक्षा तथा संस्कृति से है जो सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के आधार-स्तंभ हैं। ये प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- बाल्यावस्था से ही बालक-बालिकाओं में पठन-क्षमता तथा पठन-रुचि का निर्माण एवं विकास करना;
- व्यक्तिगत तथा स्वयं-संचालित शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा को भी समर्थन देना;
- वैयक्तिक सर्जनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध करना;
- बाल तथा युवा-वर्ग में कल्पनाशक्ति तथा सर्जनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना;
- सांस्कृतिक परंपराओं, कला-प्रेम, वैज्ञानिक उपलब्धियों, तथा नव-परिवर्तन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना;
- समस्त निष्पादन कलाओं की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना;
- अंतर-सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहन देना तथा सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करना;
- मौखिक परंपरा को समर्थन देना;
- नागरिकों को सभी प्रकार की सामुदायिक सूचनाएँ उपलब्ध कराना;
- स्थानीय उद्यम-संस्थाओं, संघों, तथा हित-वर्गों को पर्याप्त सूचना-सेवा उपलब्ध कराना;
- सूचना तथा कम्प्यूटर (Computer) का स्वयं उपयोग करने में लोगों को सक्षम बनाना;

- सभी आयु-वर्गों के व्यक्तियों के लिए साक्षरता से संबंधित गतिविधियों एवं योजनाओं में भाग लेना, तथा यदि आवश्यक हो तो ऐसी गतिविधियाँ स्वयं चलाना।

इन प्रमुख लक्ष्यों के कारण सार्वजनिक पुस्तकालय अपने देश में सूचना-संपन्न नागरिकों का विकास करेंगे जो अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों को उपयोग कर पाएँगे तथा आज के बदलते हुए समाज में प्रत्युत्तरात्मक भूमिका का निर्वाह कर पाएँगे।

5. सार्वजनिक पुस्तकालय के आधारभूत त्तव

इस परिभाषा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कुछ ऐसे त्तवों की चर्चा की गई है जो अन्य पुस्तकालयों से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित हैं। इन्हें हम सार्वजनिक पुस्तकालयों के मौलिक या आधारभूत त्तव मान सकते हैं। आएँ; इन आधारभूत त्तवों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें।

(i) एक निःशुल्क पुस्तकालय

अपनी किसी सेवा, जैसे: पुस्तकालय परिसर में किसी पुस्तक का अवलोकन करने, गृह-पठन के लिए पुस्तकों को ऋण पर लेने, संदर्भ सेवा या फिल्म-प्रदर्शन अथवा किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मनोरंजन की सुविधा इत्यादि-के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अपने पाठकों से कोई शुल्क नहीं लेता। अपने इलाके के नागरिकों को ये सारी सेवाएँ और सुविधाएँ सार्वजनिक पुस्तकालय निःशुल्क देता है। इस प्रकार, सार्वजनिक पुस्तकालय नागरिकों को पुस्तकों तथा सूचना की निःशुल्क प्राप्ति का अधिकार प्रदान करता है।

फिर भी, यदि किसी पाठक को, उसके विशेष अनुरोध पर, कोई विशेष सामग्री या सेवा दी जाती है तो उसके लिए नाममात्र या नामिक-शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, यदि आपके अपने उपयोग के लिए पुस्तकालय कोई ग्रंथसूची तैयार करता है अथवा किसी रचना की प्रति स्थायी उपयोग के लिए आपको उपलब्ध कराता है तो ऐसी सेवाओं के लिए आप से नामिक-शुल्क लिया जा सकता है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख लक्ष्यों का परिचय दीजिए।

   ....

   ....

   ....

   ....

(ii) सार्वजनिक-कोप से संपोषित पुस्तकालय

प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में (निःशुल्क पुस्तकालय होने के कारण) एक सार्वजनिक पुस्तकालय अपनी गतिविधियों और कार्यकलापों को कैसे जारी रख सकता है ? अपने निर्वाह रख-रखाव तथा विकास के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों की वित्त-व्यवस्था प्रधानरूप से सार्वजनिक-कोष पर निर्भर होती है। अर्थात् अपने देश, प्रदेश या स्थानीय निकायों के कानून के अंतर्गत सरकार इस कार्य के लिए अप्रत्यक्ष कर लगाती है, जिसे पुस्तकालय अधिकर (Library Cess) कहा जाता है। यह अधिकर (Cess) सामान्य नागरिकों की संपत्ति या भूमि, अथवा व्यवसाय या आजीविका के साधन से प्राप्त आय अथवा उनके वाहनों पर अधिभार के रूप में लगाया जाता है। उदाहरणस्वरूप, आंध्रप्रदेश में राज्य की सरकार गृह-कर या संपत्ति-कर के ऊपर 8 पैसे प्रति रुपया की दर से पुस्तकालय अधिकर वसूल करती है। जब कोई व्यक्ति,

जो किसी संपत्ति का स्वामी है, संपत्ति-कर जमा करता है तो उसके साथ ही पुस्तकालय अधिकर की निर्धारित राशि भी सरकारी कोष में जमा करता है। इस प्रकार, सम्पत्ति-धारक व्यक्ति, चाहे वह साक्षर हो या असाक्षर अपने अंशदान की राशि पुस्तकालय कोष में अप्रत्यक्ष रूप में देता है तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों की वित्त-व्यवस्था में सहयोग करता है। पुस्तकालय अधिकर की राशि यद्यपि कुछ व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त होती है। परन्तु सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलता है।

चूँकि पुस्तकालय अधिकर द्वारा उगाही गई राशि सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, रख-रखाव तथा विकास के लिए पर्याप्त नहीं होती, अत: पुस्तकालय कोष में कही-कहीं सरकार द्वारा कुछ राशि अंशदान के रूप में दी जाती है। उदाहरणस्वरूप, कर्नाटक राज्य में राज्य सरकार द्वारा संबंधित जनपद (जिला) के भू-राजत्व का 3% धन पुस्तकालय कोष में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य संगठन (राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय) या केन्द्रीय सरकार के द्वारा भी पुस्तकालय कोष में यथाशक्ति अंशदान दिया जा सकता है। अत: यद्यपि सार्वजनिक पुस्तकालयों की अर्थव्यवस्था मुख्यतया सार्वजनिक कोष पर आधारित है, तथापि पुस्तकालय कोष में कुछ धन केन्द्र सरकार को कुछ संगठनों तथा कुछ लोकोपकारक व्यक्तियों (philanthropic individuals) से भी प्राप्त होता है।

(iii) एक सहायक शिक्षा-संस्थान

शताब्दियों से सभ्य-समाज में औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले अनेक संस्थानों-जैसे- विद्यालयों, महाविद्यालयों, और विश्वविद्यालयों का निर्माण और विकास किया जाता रहा है। औपचारिक शिक्षा की इन संस्थाओं से संबद्ध पुस्तकालय पठन-पाठन में छात्रों और अध्यापकों की प्रत्यक्ष सहायता करते हैं। परन्तु शहरों, नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई छात्रों की विपुल तथा प्रतिवर्ष बढ़ती हुई संख्या की सारी शैक्षिक आवश्यकताओं को शैक्षिक पुस्तकालय अकेले पूरा नहीं कर सकते। अत: विभिन्न स्थानों में स्थित सार्वजनिक पुस्तकालय अपने क्षेत्र में रहने वाले छात्रों तथा शिक्षकों को शिक्षा-संबंधी सामग्री उपलब्ध कराकर, औपचारिक शिक्षा को सफलतापूर्वक तथा आसानी से पूरा करने में उनकी सहायता करते हैं। इस अर्थ में एक सार्वजनिक पुस्तकालय वस्तुत: एक सहायक शिक्षा-संस्थान (Auxiliary Educational Institution) के रूप में कार्य कर प्रत्येक व्यक्ति की, उसकी आवश्यकतानुसार सहायता करता है। सार्वजनिक पुस्तकालय की विचारधारा का यह पहलू संबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा शैक्षिक पुस्तकालयों के बीच सहयोग पर बल देता है।

(iv) अधिदेश-प्राप्त संस्थान

सार्वजनिक पुस्तकालय सार्वजनिक कोष से संचालित किया जाने वाला एक नि:शुल्क पुस्तकालय है जो बिना किसी भेद-भाव के सारे नागरिकों के लिए समान रूप से अभिगम्य है। अत: यह आवश्यक है कि ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना देश की लोकसभा या संबंधित राज्य की विधान सभा द्वारा विधि-सम्मत रीति से की जाए। एक प्रजातांत्रिक कल्याण-राष्ट्र (Welfare Nation) के प्रत्येक भू-भाग में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, रख-रखाव तथा विकास को कानूनी रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ताकि सूचना, शिक्षा तथा संस्कृति के निर्बाध अभिगम से नागरिक लाभान्वित हो सकें। अत: समस्त सभ्य राष्ट्रों में, कानून के प्रावधानों के अंतर्गत, पुस्तकालय अधिनियम लागू कर सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में अब तक दस राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया जा चुका है। इन राज्यों के नाम हैं : तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, केरल, हरियाणा, मिजोरम तथा गोवा। पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित अध्याय में आपको इस विषय में और अधिक जानकारी दी जाएगी।

NOTES

6. सार्वजनिक पुस्तकालय के अभिलक्षण

अभी तक आपको सार्वजनिक पुस्तकालय के विकासकारक तत्वों, यूनेस्को मैनिफेस्टो के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय का अर्थ, तथा इसके सामान्य कार्यों से परिचित कराया गया है। यहाँ आप यह जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि वर्तमान भारतीय समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका तथा कार्य क्या होने चाहिए। इसके लिए हमें समसामयिक भारतीय समाज के कुछ विशिष्ट अभिलक्षणों के आलोक में सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यों की पुनर्व्याख्या करनी होगी।

समसामयिक भारतीय समाज के विशिष्ट अभिलक्षण

दीर्घकालीन परंपराओं वाले किसी बहुभाषिक तथा संस्कृति-बहुल समाज के अभिलक्षणों की चर्चा करना एक जटिल कार्य है। फिर भी, समसामयिक भारतीय समाज के कुछ ऐसे विशिष्ट अभिलक्षणों-जो सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका को प्रभावित कर सकते हैं- को प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ किया है। ये अभिलक्षण निम्नलिखित हैं :

- सामाजिक-आर्थिक अभिलक्षण:
- राजनीतिक-ऐतिहासिक अभिलक्षण;
- शैक्षिक अभिलक्षण; तथा
- सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अभिलक्षण।

(i) सामाजिक-आर्थिक अभिलक्षण

सन् 1991 में की गई जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 74.30 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों-जैसे-छोटे शहरों, गाँवों तथा कस्बों-में निवास करता है। यह आबादी बिखरी हुई है तथा कृषि-प्रधान है। इस आबादी की प्रति-व्यक्ति आय अत्यंत कम है तथा इसके 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहकर जीवन-यापन कर रहे हैं। इन लोगों के बीच आर्थिक विषमता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। औद्योगिक विकास के साथ ग्रामीण धीरे-धीरे नजदीकी शहरी-केन्द्रों की तरफ भाग रही है।

एकल-भाषिक या द्विभाषिक राज्यों में भी विभिन्न भाषा-भाषी वर्ग निवास करते हैं। इन भाषा-आधारित राज्यों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग, राज्य की भाषा से अलग, अन्य भाषाओं में अपने विचारों का संप्रेषण करता है। इस प्रकार, विभिन्न धर्मों और जातियों-जिनके रीति-रिवाज, तौर-तरीके, पहनावे, पारिवारिक कानून इत्यादि अलग-अलग हैं- के आधार पर भी आबादी में विभिन्नता नजर आती है। अतः समाज के विभिन्न तबकों में विश्वासों तथा व्यवहारों की विभिन्नता भी विद्यमान है।

(ii) राजनीतिक-ऐतिहासिक अभिलक्षण

भारत का संविधान भारत में एक प्रजातांत्रिक समाज की कल्पना करता है, पर हमारी परंपराएँ प्रजातांत्रिक नहीं रही हैं। विगत कई शताब्दियों से हम पर राजकुमारों, राजाओं तथा महाराजाओं ने निरंकुश शासन किया है। आर्य, सीमिरिक, रोमन तथा द्रविड़ प्रजातियों के मिश्रित प्रभाव से युक्त महान् सभ्यताएँ तथा संस्कृतियाँ हमें धरोहर के रूप में मिली हैं। राजनीतिक रूप से हम विभिन्न विचारधारों वाले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अभिशासित हैं।

(iii) शैक्षिक अभिलक्षण

साक्षरता की दृष्टि से देश की आबादी का 60% भाग असाक्षर है। हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले समस्त बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। पर यह लक्ष्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या भी बहुत

है। यद्यपि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की प्रगति के आँकड़े बढ़ रहे हैं, परन्तु देश के सुनियोजित विकास से इसका तारतम्य नहीं बैठता। शिक्षितों तथा अशिक्षितों के बीच भीषण विषमताएँ साफ नजर आती हैं। अनेक व्यक्तियों में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों में, जीवन को प्रभावित करने वाली अनेक बातों-जैसे- स्वास्थ्य, साफ-सफाई तथा पोषक आहार से संबंधित बातों-से संबंधित वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों के प्रति जागरूकता का अभाव है। इस प्रकार, सामान्यतया वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी द्वारा लाये गये नव-परिवर्तनों की प्रयुक्ति समाज में बहुत कम है।

(iv) सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अभिलक्षण

सामान्यतया, जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पारंपरिक एवं भाग्यवादी है। स्वयं-सहायता तथा स्वतंत्र-चिंतन की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों में है। लोग आशा तथा आत्मविश्वास से अधिक भय और संशय से परिचालित होते हैं। किसी नवीन वस्तु या विचार का प्रयोग और परीक्षण करने से लोग डरते हैं। ध र्म और भाषा के प्रति अनावश्यक लगाव के चलते राष्ट्रीय एकता और प्रगतिशील मानसिकता के विकास में अवरोध आया है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायक शिक्षा- संस्थान क्यों कहा जाता है?

....

....

....

....

7. सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य

पिछले अनुच्छेद में हमने भारतीय समाज के कुछ अभिलक्षणों की जानकारी प्राप्त की है। अब हम, समाज के निष्क्रिय लोगों को राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सार्थक एवं फलोत्पादक भूमिका निभाने वाले नागरिकों के रूप में परिवर्तित करने में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका की चर्चा करेंगे।

जैसा कि यूनेस्को मैनिफेस्टो में बताया गया है, सार्वजनिक पुस्तकालयों से आशा की जाती है कि वे सूचना, शिक्षा तथा संस्कृति जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

7.1 सूचना केन्द्र

हमारे देश में अति-विशाल मानव-संसाधन हैं जिसे उपयोगी तथा फलोत्पादक बनाने की आवश्यकता है। सूचना के अभाव तथा लोगों के बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह के अभाव के कारण इस दिशा में उठाए गए कदम प्रभावकारी नहीं हो पाते। अतः विभिन्न व्यक्तियों तथा विविध समूहों के लिए उपयोगी सूचना उनकी भाषा में उनके दरवाजे तक उपलब्ध कराने की नीति अपनाने की आवश्यकता है। इस नीति से तीन तात्कालिक अपेक्षाएँ हैं: (अ) सघन आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों को सूचना केन्द्र के रूप में स्थापित करना, (ब) इन सूचना केन्द्रों में मुख्यतया कृषि प्रधान सूचना रखना; तथा (स) चूँकि इन क्षेत्रों की अधिकतर आबादी असाक्षर होती है, अतः सूचना केन्द्र में अन-मुद्रित सामग्री, जैसे मौखिक (Oral) तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री एव जनसंचार माध्यमों (Mass Media) द्वारा संचारित सूचना पर अधिक बल देना।

(क) ग्राम्य-समाज

गरीबी की विभीषिका को दूर भगाने के लिए पुस्तकालयों द्वारा लोगों को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करानी चाहिए जिसका उपयोग रोजगार पाने, हुनर बढ़ाने तथा स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए

NOTES

किया जा सके। उदाहरणस्वरूप, सरकार की उन नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण जनता को जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए जिनके अंतर्गत उन्हें कृषि कार्य के लिए उचित कीमत पर उत्तम बीज, तथा कृषि उपकरणों की खरीद के लिए जमीन की सिंचाई के लिए तथा अन्य ऐसे कार्यों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। इन जानकारियों से अनभिज्ञ किसानों का बिचौलियों द्वारा शोषण होता है। इसी प्रकार, कृषि-उद्योग से संबंधित सरकारी नीतियों को गाँवों तथा कस्बों में लोकप्रिय बनाने के प्रयास होने चाहिए। इससे कृषि-उद्योगों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा होती है। इससे, आने वाले समय में, ग्रामीण आबादी की शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

(ख) विकासात्मक गतिविधियाँ

नहरों, बाँधों और सड़कों के निर्माण, कूप-उत्खनन, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए गृह-निर्माण, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना इत्यादि विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित सूचना के प्रचार-प्रसार से ग्रामीण आबादी की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

समाज में व्याप्त अस्वस्थ तथा असामाजिक परम्पराओं और कुरीतियों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार कर इन कार्यकलापों के ऊपर खुली बहस की शुरुआत की जा सकती है तथा इन मुद्दों का डटकर मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार किया जा सकता है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं: बाल-विवाह, सती प्रथा, दहेज जनित मृत्यु, शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग (Ragging), नारी का अपमानजनक चित्रण, जन-कर्यालयों में भ्रष्टाचार, मद्यपान तथा जुआ। इन मुद्दों पर लोगों की सोच को जगाने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को इन विषयों के ऊपर सूचना के निष्पक्ष स्रोत निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएँ। सार्वजनिक पुस्तकालय इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एजेंसी है।

(ग) विज्ञान को लोकप्रिय बनाना

लोगों द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना का उपयोग करने के लिए समुचित वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से ऐसी सूचना को बोधगम्य बनाकर व्यापक रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता है। इन विषयों के ऊपर व्याख्यानों, प्रदर्शनों तथा वैज्ञानिक प्रदर्शनियाँ आयोजित कर यह कार्य किया जा सकता है। खाद के उपयोग पर कृषि-वैज्ञानिकों द्वारा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर ग्राम-निवासियों की सहायता की जा सकती है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के माध्यम से स्वास्थ्य, साफ-सफाई, बालकों की देख-रेख, बाल-रोग इत्यादि के ऊपर सूचना देकर तथा प्रदर्शनों का आयोजन कर समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुँचाया जा सकता है।

(घ) भाषिक-वर्ग

हमारे देश में विविध भाषा-भाषी लोग रहते हैं। इसलिए पुस्तकालयों को छोटी-बड़ी क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए न कि उन भाषाओं में जिन्हें ग्रामीण लोग नहीं जानते। पुस्तकालयाध्यक्षों को सुनियोजित रीति से ग्रंथसूचियाँ बनाकर तथा विभिन्न भाषाओं के साहित्य में विभिन्न विषयों के ऊपर प्रकाशित सूचना को लेखकों तथा साहित्य-प्रणयन से संबंधित अन्य व्यक्तियों तथा प्रसारित करना चाहिए। इस प्रकार के प्रकाशनों को दृश्य-श्रव्य रूप में तैयार करने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए।

(च) धार्मिक-वर्ग

विभिन्न धर्मों के उद्देश्यों, विश्वासों तथा रीति-रिवाजों का परिचय देने वाला साहित्य भी लोगों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए ताकि जन-सामान्य के मन में मानवीय मूल्यों के प्रति आदर-भाव तथा एकता की भावना उत्पन्न हो सके।

जब भी अवसर मिले, पुस्तकालयों को लोगों में प्रजातांत्रिक परंपराओं तथा मूल्यों के लिए आदर-भाव जगाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकारों और उत्तरदायित्वों की जानकारी

अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसी प्रकार, मतदान (vote) के लाभ तथा महत्व और इसके दुरुपयोग से जुड़ी बातों की ओर भी जन-सामान्य का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

(छ) विधिक-वर्ग

परिवार, सम्पत्ति अपराध इत्यादि से संबंधित कानूनी जानकारी का भी व्यापक प्रसार करना चाहिए। परिवार में तथा विभिन्न समुदायों के बीच अनावश्यक संघर्ष तथा अनबन से उत्पन्न दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए लोगों में दीवानी तथा अपराध-कानूनी के अंतर्गत निर्धारित अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता पैदा करना भी आवश्यक है। संघीय संरचना वाली सरकार में बहु-दलीय प्रणाली के खतरों की जानकारी भी नागरिकों को होनी चाहिए।

7.2 स्व-शिक्षण केन्द्र

एक स्व-शिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करना सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक प्रमुख कार्य है। विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएँ किसी व्यक्ति को किसी अवधि-विशेष के अंदर किसी विषय-विशेष में अत्यंत औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराती हैं। परन्तु किसी व्यक्ति की रुचि किसी विषय-विशेष तक ही सीमित नहीं होती। उसकी रुचि अनेक विषयों और विविध क्षेत्रों में होती है जिनके ऊपर वह लंबे समय तक ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह ज्ञान की प्राप्ति परिस्थितियों के अनुकूल और अनौपचारिक रूप से करना चाहता है। सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसा संस्थान है जो व्यक्ति की रूचि के अनुसार उसे आजीवन स्व-शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है। इस प्रकार की स्व-शिक्षा व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाती है तथा उसके दैनिक दुःख-दर्द का शमन करती है।

मान लें कि एक मिस्त्री को शौकिया फोटोग्राफर बनने की हार्दिक इच्छा है। ऐसे व्यक्ति, अर्थात् जो फोटोग्राफी को शौक के रूप में अपनाना चाहता है, की सहायता करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा उसे सामान्य एवं सरल भाषा में कैमरा (Camera) की कार्यप्रणाली तथा उपयोग से संबंधित सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। जब वह व्यक्ति फोटोग्राफी की आधारभूत बातों को पूरी तरह समझ जाता है तो पुस्तकालय द्वारा उसे इस विषय पर अतिरिक्त सूचना भी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उस व्यक्ति में फोटोग्राफी की रुचि कायम रह सके। इस प्रकार, अवकाश के समय का सदुपयोग कर किसी कला को अपने ढंग से सीखने की उस व्यक्ति की इच्छा में पुस्तकालय उस व्यक्ति की सहायता कर सकता है। ऐसे प्रयासों से जीवन के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण को समृद्ध बनाया जा सकता है। इन कार्यों में व्यतीत किये गये समय, श्रम तथा धन से केवल संबंधित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसका आस-पड़ोस भी लाभान्वित होता है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. सार्वजनिक पुस्तकालय स्व-शिक्षण केन्द्र के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं ?

....

....

....

....

7.3 सांस्कृतिक केन्द्र

सार्वजनिक पुस्तकालय स्व-शिक्षण तथा सूचना केन्द्र तो है ही, उसे स्थानीय तथा क्षेत्रीय संस्कृति के संवर्धक केन्द्र के रूप में भी कार्य करना चाहिए। यूनेस्को मैनिफेस्टो की यह घोषणा है कि, विश्रांति एवं

NOTES

आनंद के लिए पुस्तकों की व्यवस्था कर मानव की अंतरात्मा में स्फूर्ति भरना सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

'पुस्तक' शब्द का यहाँ व्यापकतम अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत मानव-जाति द्वारा अभिलेखित समस्त सामग्रियों को सम्मिलित किया गया है। मानव-जति की उपलब्धियाँ अनेक रूपों में जैसे- गद्य, पद्य, नाटक, संगीत, चित्रकला, नृत्यकला, मूर्तिकला-तथा अनेक माध्यमों पर अंकित की गई हैं। इन अभिलेखित सामग्रियों को एक स्थान पर संकलित कर उपयोग के लिए उपलब्ध कराने से लोगों को मानसिक तुष्टि मिलती है। चूँकि स्थानीय नागरिकों की सूचनापरक व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना सार्वजनिक पुस्तकालयों का कार्य है, इसलिए उसके पुस्तक-संग्रह में स्थानीय तथा क्षेत्रीय संस्कृति से संबंधित सामग्री प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय सार्वजनिक कोष से संपोषित, स्थानीय आबादी को निष्पक्ष सेवा प्रदान करने वाला एक अनिवार्यतः निःशुल्क पुस्तकालय है जो एक सहायक-शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रजातांत्रिक संस्थान है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सूचना, शिक्षा तथा सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध कराता है।

7.4 स्थानीय सांस्कृतिक-सामग्री केन्द्र

अपने क्षेत्र में उपलब्ध सांस्कृतिक सामग्रियों का पता लगाकर उनका संकलन करना भी आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय का एक कार्य है। ऐसी सामग्रियाँ हैं: कला या मूर्तिकला की कृतियाँ, चित्र साहित्यिक लेखन प्राचीन या पूर्वकालिक संगीत उपकरण इत्यादि। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र के निवासियों को उनकी संस्कृति से जोड़ने वाली समस्त सामग्रियों का पता लगाना भी सार्वजनिक पुस्तकालय का एक कार्य है। यू के तथा यू एस ए जैसे देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों में स्थानीय इतिहास संग्रह (Local History Collections) नामक एक अलग विभाग होता है। ऐसी सांस्कृतिक सामग्रियों को देखकर नवजवानों का मन गर्व से भर उठता है। उनमें से कुछ तो ऐसी सारंस्कृतिक सामग्रियों के विकास के लिए अपना योगदान करने को भी तत्पर हो जाते हैं। भारत में भी, लगभग प्रत्येक शहर या गाँव में ऐसी सांस्कृतिक सामग्रियाँ मौजूद हैं परन्तु ये यत्र-तत्र बिखरी हुई हैं और इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। ऐसी सामग्रियों की ओर नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि उन्हें अपनी स्थानीय संस्कृति के ऊपर गर्व हो सके तथा उसके प्रति लगाव पैदा हो सके।

7.5 प्रजातांत्रिक भावना का विकास

विभिन्न प्रकरणों तथा मुद्दों के ऊपर सभी पक्षों के विचार उपलब्ध कराकर सार्वजनिक पुस्तकालय लोगों में असंपृकत तथा निष्पक्ष धारण उत्पन्न करने के लिए समुचित वातावरण तैयार करता है। संक्षेप में, एक निष्पक्ष सूचना एजेंसी के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय लोगों की चिंतन प्रक्रिया को उद्वेलित करता है। इसके द्वारा अज्ञान तथा वैमनस्य का शमन होता है तथा आपसी समझ, प्रेम तथा ज्ञान का विकास होता है।

जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में बताया गया है, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित कर सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के विभिन्न समुदायों को एक मंच पर लाता है तथा उनके बीच मैत्री-भाव एवं पारस्परिक सौहार्द्र तथा विभिन्न भाषाओं, धर्मों तथा रीति-रिवाजों के लिए आदर-भाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार, साम्प्रदायिक जीवन-शैली एक प्रजातांत्रिक-परिवेश में परिवर्तित होती है। इस अर्थ में सार्वजनिक पुस्तकालय एक प्रजातांत्रिक संस्था के रूप में अपने अस्तिव की सार्थकता सिद्ध करता है।

7.6 निष्पक्ष सेवा एजेंसी

सार्वजनिक पुस्तकालय का तीसरा प्रमुख अभिलक्षण यह है कि इसके संसाधन (जैसे- पुस्तकें तथा अन-मुद्रित सामग्री) जाति, संप्रदाय या लिंग भेद के बिना सभी के समान उपयोग के लिए उपलब्ध होते

हैं। इस अर्थ में, आयु, सामाजिक स्तर, आय, भाषा, धर्म, लिंग साक्षरता तथा संस्कृति के भेदभाव के बिना सार्वजनिक पुस्तकालय के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से खुले हैं तथा सभी लोग पुस्तकालय के संसाधनों का समान रूप से पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार, सार्वजनिक पुस्तकालय मानव-जाति द्वारा स्थापित समस्त प्रजातांत्रिक संस्थाओं में सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक संस्था है।

8. सारांश

इस अध्याय में आपका परिचय सार्वजनिक पुस्तकालयों के उद्गम और विकास तथा इसके विकास के तत्वों से कराया गया है। (यूनेस्को द्वारा दी गई सार्वजनिक पुस्तकालयों की परिभाषा के मुख्य तत्व हैं : ये निःशुल्क पुस्तकालय हैं, इनका संपोषण सार्वजनिक कोष से होता है, ये सहायक-शैक्षिक-संस्थान के रूप में कार्य करते हैं, इनकी स्थापना देश या राज्य के कानून के अंतर्गत होनी चाहिए, इन्हें सूचना के केन्द्र के रूप में कार्य करना चाहिए। संस्कृति का केन्द्र होना चाहिए तथा निष्पक्ष सेवा एजेंसी की भूमिका निभानी चाहिए)। यहाँ हमने सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यों की सामान्य परन्तु विस्तृत चर्चा की है तथा भारतीय समाज के विशिष्ट अभिलक्षणों के आलोक में इन कार्यों का वर्णन भी किया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यों की व्याख्या इसके तीन प्रमुख कार्य क्षेत्रों- सूचना, शिक्षा तथा संस्कृति-के अंतर्गत की गई है। फिर भी, समाज के विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण भारत में विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं के रूप तथा इनके द्वारा अपनाये जाने वाले सूचना संचार के माध्यम भिन्न हो सकते हैं। सूचना-सम्पन्न, कुशल तथा समाज के विकास में योगदान देने वाले नागरिकों के निर्माण में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ये अपने दायित्वों को प्रजातांत्रिक रीति से निभा रहे हैं।

9. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. **सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के कारक-तत्व** पुस्तकालय जैसी संस्था विकसित करने में कई दशक नहीं बल्कि कई सदियों का समय लगता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के कारण-तत्वों के बारे में जानना हमारे लिए उपयोगी होगा। इन कारकों में प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं :

   - ज्ञान की ललक;
   - साक्षरता;
   - सार्वजन-शिक्षा;
   - प्रबुद्ध नेतृत्व तथा लोकोपकार;
   - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति; तथा
   - अवकाश के समय का सार्थक उपयोग।

2. सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख लक्ष्य अपने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में यूनेस्को ने पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख लक्ष्यों की चर्चा की है। इन प्रमुख लक्ष्यों का संबंध सूचना, साक्षरता, शिक्षा तथा संस्कृति से है जो सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के आधार-स्तंभ हैं। ये प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

   - बाल्यावस्था से ही बालक-बालिकाओं में पठन-क्षमता तथा पठन-रुचि का निर्माण एवं विकास करना;
   - व्यक्तिगत तथा स्वयं-संचालित शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा को भी समर्थन देना;

NOTES

- वैयक्तिक सर्जनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध करना;
- बाल तथा युवा-वर्ग में कल्पनाशक्ति तथा सर्जनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना;
- सांस्कृतिक परंपराओं, कला-प्रेम, वैज्ञानिक उपलब्धियों, तथा नव-परिवर्तन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना;
- समस्त निष्पादन कलाओं की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना;
- अंतर-सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहन देना तथा सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करना;
- मौखिक परंपरा को समर्थन देना;
- नागरिकों को सभी प्रकार की सामुदायिक सूचनाएँ उपलब्ध कराना;
- स्थानीय उद्यम-संस्थाओं, संघों, तथा हित-वर्गों को पर्याप्त सूचना-सेवा उपलब्ध कराना;
- सूचना तथा कम्प्यूटर (Computer) का स्वयं उपयोग करने में लोगों को सक्षम बनाना;
- सभी आयु-वर्गों के व्यक्तियों के लिए साक्षरता से संबंधित गतिविधियों एवं योजनाओं में भाग लेना, तथा यदि आवश्यक हो तो ऐसी गतिविधियाँ स्वयं चलाना।

3. शताब्दियों से सभ्य-समाज में औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले अनेक संस्थानों-जैसे-विद्यालयों, महाविद्यालयों, और विश्वविद्यालयों का निर्माण और विकास किया जाता रहा है। औपचारिक शिक्षा की इन संस्थाओं से संबद्ध पुस्तकालय पठन-पाठन में छात्रों और अध्यापकों की प्रत्यक्ष सहायता करते हैं। परन्तु शहरों, नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई छात्रों की विपुल तथा प्रतिवर्ष बढ़ती हुई संख्या की सारी शैक्षिक आवश्यकताओं को शैक्षिक पुस्तकालय अकेले पूरा नहीं कर सकते। अत: विभिन्न स्थानों में स्थित सार्वजनिक पुस्तकालय अपने क्षेत्र में रहने वाले छात्रों तथा शिक्षकों को शिक्षा-संबंधी सामग्री उपलब्ध कराकर, औपचारिक शिक्षा को सफलतापूर्वक तथा आसानी से पूरा करने में उनकी सहायता करते हैं। इस अर्थ में एक सार्वजनिक पुस्तकालय वस्तुत: एक सहायक शिक्षा-संस्थान (Auxiliary Educational Institution) के रूप में कार्य कर प्रत्येक व्यक्ति की, उसकी आवश्यकतानुसार सहायता करता है। सार्वजनिक पुस्तकालय की विचारधारा का यह पहलू संबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा शैक्षिक पुस्तकालयों के बीच सहयोग पर बल देता है।

4. एक स्व-शिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करना सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक प्रमुख कार्य है। विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएँ किसी व्यक्ति को किसी अवधि-विशेष के अंदर किसी विषय-विशेष में अत्यंत औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराती हैं। परन्तु किसी व्यक्ति की रुचि किसी विषय-विशेष तक ही सीमित नहीं होती। उसकी रुचि अनेक विषयों और विविध क्षेत्रों में होती है जिनके ऊपर वह लंबे समय तक ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह ज्ञान की प्राप्ति परिस्थितियों के अनुकूल और अनौपचारिक रूप से करना चाहता है। सार्वजनिक पुस्तकालय एक ऐसा संस्थान है जो व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसे आजीवन स्व-शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है। इस प्रकार की स्व-शिक्षा व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाती है तथा उसके दैनिक दु:ख-दर्द का शमन करती है।

मान लें कि एक मिस्त्री को शौकिया फोटोग्राफर बनने की हार्दिक इच्छा है। ऐसे व्यक्ति, अर्थात् जो फ़ोटोग्राफी को शौक के रूप में अपनाना चाहता है, की सहायता करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा उसे सामान्य एवं सरल भाषा में कैमरा (Camera) की कार्यप्रणाली तथा उपयोग से संबंधित सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। जब वह व्यक्ति फोटोग्राफी की आधारभूत बातों को पूरी तरह समझ जाता है तो पुस्तकालय द्वारा उसे इस विषय पर अतिरिक्त सूचना भी उपलब्ध

करानी चाहिए ताकि उस व्यक्ति में फोटोग्राफी की रुचि कायम रह सके। इस प्रकार, अवकाश के समय का सदुपयोग कर किसी कला को अपने ढंग से सीखने की उस व्यक्ति की इच्छा में पुस्तकालय उस व्यक्ति की सहायता कर सकता है। ऐसे प्रयासों से जीवन के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण को समृद्ध बनाया जा सकता है। इन कार्यों में व्यतीत किये गये समय, श्रम तथा धन से केवल संबंधित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसका आस-पड़ोस भी लाभान्वित होता है।

10. मुख्य शब्द

जनसंचार-माध्यम (Mass Media)	:	विशाल जनसमूह तक सूचना संचारित करने का साधन, जैसे फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इत्यादि।
नव-प्रवर्तन (Innovative)	:	नई चाह या परिवर्तन लाना।
भाग्यवाद (Fatalism)	:	यह विश्वास या अंधविश्वास कि प्रत्येक घटना पूर्वनिर्धारित होती है तथा किसी भी घटना को घटित होने से टाला नहीं जा सकता।
मन में बैठाना या भरना (Inculcate)	:	किसी भाव या विचार को मन और मस्तिष्क में भरना।
श्रव्य-दृश्य (Audio-Visual)	:	जिस सामग्री को सुना और देखा जा सके।
सहायक (Auxiliary)	:	सहायक, अनुपूरक।
सांस्कृतिक सामग्री (Cultural Material)	:	गद्य, पद्य, नाटक, गल्प (उपन्यास, कहानी) के रूप में उपलब्ध साहित्यिक कृतियाँ; अथवा ललित कलाएँ, जैसे- संगीत, नृत्य, चित्रकला, पेंटिंग, मूर्तिकला इत्यादि की कृतियाँ; अथवा दर्शन, धर्म, इतिहास इत्यादि से संबंधित साहित्य।
सिमिटिक (Semitic)	:	यहूदियों, अरबों, असीरियाई जातियों की प्रजातियाँ।

11. अभ्यास-प्रश्न

1. सार्वजनिक पुस्तकालयों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके लक्ष्यों का वर्णन कीजिए।
2. सार्वजनिक पुस्तकालयों के आधारभूत तत्वों की विवेचना कीजिए।
3. सार्वजनिक पुस्तकालयों के अभिलक्षणों की समीक्षा कीजिए।
4. सूचना, स्व-शिक्षण तथा सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालयों की उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए।
5. 'सार्वजनिक पुस्तकालय एक निष्पक्ष सेवा एजेन्सी है।' इस कथन के संदर्भ में सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्यों की समीक्षा कीजिए।

12. संदर्भ ग्रन्थ सूची

Gerard,D.(ed.) (1978). Libraries in Society: A Reader London: Bingley Khanna.
J.K. (1987). Library and Society. Kurukshetra : Research Publications.

NOTES

Mahapatra, P.K. Thomas, U.K. (ed) (1996). Public Libraries in Developing Countries-Status Trends. New Delhi : Vikas Publishing House.

Raman Nair, R. (1993). Public Library Development. New Delhi : ESS Publications.

Sahai, Shrinath, (1973), Library and the Community. New Delhi. To-day and Tomorrows Printers and Publishers.

Verma, L.N. And Agarwal, U.K. (ed) (1994). Public Library Services in India. Udaipur: Himanshu Publications.

UNESCO (1994). Public Library Manifesto. Unesco : Paris.

White, Carl, M. (1964) Bases of Modern Librarianship : A Smdy of Library Theory and Practice in British, Denmark, The Federal Republic of Germany and the United States. London : Pergamon Press.

अध्याय-8

विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. विशिष्ट पुस्तकालय : परिभाषा, अर्थ एवं उद्देश्य
4. संक्षिप्त ऐतिहासिक विहंगावलोकन
5. विशिष्ट पुस्तकालय के कार्य
6. विशिष्ट पुस्तकालय के अभिलक्षण
   6.1 प्रलेख-संग्रह विकास
   6.2 प्रक्रियाकरण तथा व्यवस्थापन
   6.3 सेवाएँ
7. सूचना केन्द्रों का उद्‌भव एवं विकास
   7.1 विशिष्ट पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों के अभिलक्षण
   7.2 सूचना केन्द्रों के प्रकार
8. भारतीय परिदृश्य
9. सार-संक्षेप
10. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
11. अभ्यास-प्रश्न
12. संदर्भ-ग्रन्थ सूची

1. अध्ययन के उद्देश्य

शोध एवं विकास कार्य, व्यवसाय, उद्योग और सरकारी एवं इस प्रकार के अन्य संगठनों की विविध गतिविधियों से संबंधित सूचनापरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना स्वाभाविक रूप से हुई। अपनी प्रकृति, विषय-क्षेत्र, प्रलेख-संग्रह तथा सेवाओं की विशिष्टता के कारण ये पुस्तकालय सार्वजनिक तथा शैक्षिक पुस्तकालयों से भिन्न होते हैं। इस अध्याय में आपका परिचय विशिष्ट पुस्तकालयों के उद्भव और विकास से कराया गया है तथा अन्य कोटि के पुस्तकालयों से इनका अंतर स्पष्ट किया गया है।

इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप :

- विभिन्न प्रकार के संगठनों से संबद्ध विशिष्ट पुस्तकालयों के स्वरूप से परिचित होंगे तथा इनका वर्णन कर पाएँगे; तथा
- सूचना केन्द्रों के उद्भव और विकास की व्याख्या कर पाएँगे तथा इनके विशिष्ट कार्यों और सेवाओं के आधार पर इनके विशिष्ट अभिलक्षणों को पहचान पाएँगे।

2. परिचय

पिछले अध्यायों में आप विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों, जैसे- राष्ट्रीय, शैक्षिक, तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा उनके अर्थ, उद्देश्य, कार्यों, तथा सेवाओं से परिचित हो चुके हैं। इस अध्याय में आप विशिष्ट पुस्तकालयों की प्रकृति, विषय-क्षेत्र, कार्यों तथा सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

विशिष्ट पुस्तकालय बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ही अस्तिव में आ गये थे, परंतु सूचना केन्द्रों का प्रादुर्भाव बीसवीं सदी के पाँचवे दशक में हुआ। आज के सूचना केन्द्र एक प्रमुख वर्ग के रूप में विकसित हो चुके हैं। विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों के कार्यात्मक अभिलक्षणों के बीच लक्ष्मण रेखा खींचना संभव नहीं क्योंकि दोनों के कार्य परस्पर-व्यापी हैं। परन्तु दोनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अत्यधिक विभिन्नता भी है। इस अध्याय में हम इन दोनों प्रमुख सूचना-संस्थाओं, अर्थात् विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों के कार्यों, उत्पादों और सेवाओं का अध्ययन करेंगे।

3. विशिष्ट पुस्तकालय : परिभाषा, अर्थ एवं उद्देश्य

यद्यपि विशिष्ट पुस्तकालय की विचारधारा अपेक्षाकृत एक नयी विचारधारा है, फिर भी अनेक विशषज्ञों ने इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया है। एम.एल.एम. हैरोड (M.L.M. Harrod) ने अपनी पुस्तक लाइब्ररियंस ग्लोसरी ऑफ टर्म्स (Librarian's Glossary of Terms) में इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है : "विशिष्ट पुस्तकालय विद्वत् संगठनों, शोध-संस्थानों, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, तथा सरकारी विभागों, और यहाँ तक कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा किसी सीमित क्षेत्र में प्रणीत पुस्तकों तथा अन्य मुद्रित, चित्रात्मक, तथा अभिलेखित सामग्रियों का संग्रह-स्थल है। कोई सार्वजनिक पुस्तकालय भी किसी विशेष व्यवसाय-वर्ग के लोगों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी पुस्तकालय या विशिष्ट विषय-पुस्तकालय के रूप में अपनी विशिष्ट शाखा चला सकता है। उदाहरणस्वरूप, संगीत से संबंधित सूचना के लिए कोई सार्वजनिक पुस्तकालय एक विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में संगीत पुस्तकालय (शाखा) खोल सकता है।" ब्रॉडफिल्ड (Broadfield) ने विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा इस प्रकार दी है : "विशिष्ट पुस्तकालय न तो शैक्षिक पुस्तकालय है, न वाणिज्यिक पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है और न ही सार्वजनिक पुस्तकालय है। किसी विशेष पाठक-वर्ग को किसी सीमित विषय-क्षेत्र के ऊपर विस्तृत सूचना प्रदान करना इसका उद्देश्य है।" प्रख्यात पुस्तकालय-विज्ञानी डी. जे. फॉस्केट (D.J.Foskctt) ने विशिष्ट पुस्तकालय की निम्नलिखित परिभाषा दी है : "पुस्तकालयेतर अस्तिव वाला एक ऐसा पुस्तकालय जिसकी स्थापना व्यक्तिगत उपयोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि ऐसे

पाठक-वर्ग के लिए की गई हो जिनकी कम-से-कम कुछ गतिविधियाँ समान लक्ष्यों और उद्देश्यों द्वारा संचालित होती हों। अतः शैक्षिक पुस्तकालयों को विशिष्ट पुस्तकालय नहीं माना जा सकता क्योंकि इनके पाठक पुस्तकालय का उपयोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए करते हैं तथा किसी भी अर्थ में उनकी गतिविधियाँ समान उद्देश्य तथा लक्ष्यों द्वारा संचालित नहीं होती।" फॉस्केट के अनुसार "विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा सेवित वर्ग (पाठक वर्ग) हैं: प्रतिष्ठान, शोध संगठन, कोई संस्थान तथा इस प्रकार के अन्य संगठन। विशिष्ट पुस्तकालय ऐसी संस्थाओं से संबद्ध होते हैं जिनकी एक सुस्पष्ट सामूहिक नीति हो और जिनके सदस्यों ने उस संस्था की सदस्यता द्वारा या उसके अंतर्गत पद-भार ग्रहण कर संस्था की सामूहिक नीतियों को स्वीकार किया हो और इस प्रकार संस्था के समान-हितों में अपनी आस्था प्रकट की हो।" विख्यात पुस्तकालय-वैज्ञानिक डॉ. एस. आर. रंगनाथन (Dr.S.R. Ranganathan) विशिष्ट पुस्तकालयों को 'विशेषज्ञों का पुस्तकालय' मानते हैं, जिनका कार्य किसी विशेष विषय-क्षेत्र, जैसे-वैज्ञानिक, तकनीकी इत्यादि क्षेत्र के ऊपर विस्तृत उपलब्ध कराना है।

अन्य प्रकार के पुस्तकालय विविध उद्देश्यों-जैसे शैक्षिक, शोधपरक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए सूचना उपलब्ध कराना-के लिए कार्य करते हैं; जबकि किसी विशिष्ट पुस्तकालय का प्रमुख और संभवतः एकमात्र उद्देश्य है, 'संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए अपने पैत्रिक संगठन को सूचना उपलब्ध कराना'। विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना विविध प्रकार के संगठनों में की जाती है तथा इनमें से अधिकतर संगठन किसी वृहत्तर संगठन की इकाई होते हैं। इन पुस्तकालयों का उद्देश्य शैक्षिक तथा पारंपरिक पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करना नहीं होता, बल्कि ये ऐसी सूचना सेवाएँ चलाते हैं जो इनके पैत्रिक संगठनों की सूचनापरक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना सरकारी विभागों, अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, निदेशालयों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, विद्वत् संस्थानों, व्यावसायिक संघों, व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित संघों, अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सेवा से संबंधित संस्थाओं, राष्ट्रीय कला दीर्घा इत्यादि में की जाती है। पाठकों के किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष विषय के ऊपर कार्य करने वाले विशेषज्ञों, या विशेष प्रकार के प्रलेखों के संग्रह के लिए भी विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना की जाती है। इस इकाई में चर्चित बातों को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है :

प्रभेदक पक्ष	विशिष्ट पुस्तकालय
विशिष्ट पाठक वर्ग	चिकित्सकों, उद्यमियों, उद्योगपतियों इत्यादि के लिए पुस्तकालय
गतिविधियाँ	पोषक-आहार (राष्ट्रीय पोषण-आहार संस्थान हैदराबाद का पुस्तकालय)
विषय-समूह में विशेषज्ञता	आहार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (राष्ट्रीय आहार एवं प्रौद्योगिकीय शोध संस्थान, मैसूर, का पुस्तकालय)
प्रलेख-विशेष	फिल्म लाइब्रेरी (Film Library), वीडियो कैसेट लाइब्रेरी (Video Cassette Library) पांडुलिपि पुस्तकालय

उपरिलिखित प्रभेदक अभिलक्ष विभिन्न प्रकार के विशिष्ट पुस्तकालयों की पहचान कराते हैं, यद्यपि इनके कार्य परस्पर-व्यापी होते हैं।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. विशिष्ट पुस्तकालय को परिभाषित कीजिए।

....

....

....

....

NOTES

4. संक्षिप्त ऐतिहासिक विहंगावलोकन

बीसवीं सदी के पहले दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में विशिष्ट पुस्तकालय अस्तित्व में आये। वास्तव में, ये एक सर्वथा नवीन प्रकार के पुस्तकालय थे और अपने कार्यों, उद्देश्यों तथा प्रलेख-सामग्री के संकलन तथा व्यवस्थापन की नवीन रीतियों के कारण ये पुस्तकालय अन्य प्रकार के पुस्तकालयों से बिल्कुल भिन्न थे। व्यवसायों और उद्योगों के तीव्र विकास के कारण बीसवीं सदी के अगले दशकों में विभिन्न प्रकार के संगठनों की संख्या, आकार तथा जटिलता में वृद्धि हुई। सरकार की विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत संख्या में सरकारी संगठनों की स्थापना की गई। इन सारे संगठनों में पुस्तकालयों का प्रावधान रखा गया, जिसके कारण विशिष्ट पुस्तकालयों की संख्या बढ़ी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते हुए शोध के कारण प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। अनुसंधान तथा विकास को जिसे पहले व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा था, संस्थागत रूप मिला। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप विशिष्ट पुस्तकालयों के प्रलेख-संग्रह तथा सेवाओं में वृद्धि हुई।

यूरोप तथा अनेक विकासशील देशों में विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालय आंदोलन की तर्ज पर हुआ। इन देशों में औद्योगीकरण तथा शोध कार्य में प्रगति के साथ-साथ शोध संगठनों एवं अन्य एजेंसियों में विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना की गति भी तेज होती गई। भारत में भी विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास पाश्चात्य देशों के प्रतिमान पर आधारित है।

5. विशिष्ट पुस्तकालय के कार्य

विशिष्ट पुस्तकालय ज्ञान के उत्पादन, भण्डारण तथा उपयोग के ऊर्जा-केन्द्र हैं। ये निम्नलिखित कार्यों को पूरा करते हैं :

- अपने पैत्रिक-संस्थान की निरंतर विकासशील आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूचना तथा आंकड़ों का संग्रह, रख-रखाव, भण्डारण तथा पुनर्प्राप्ति करना;
- सूचना तथा आंकड़ों का विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन करना;
- समालोचनात्मक समीक्षाएँ, मोनोग्राफ (Monographs) प्रतिवेदन और/अथवा संकलन उपलब्ध कराना;
- समालोचनात्मक सूचनाओं का संग्रह तैयार करना;
- यथा-वस्तु स्थिति प्रतिवेदन (State of-the-Art-Reports) उपलब्ध कराना;
- किसी सूचना से संबंधित पूछताछ के उत्तर उपलब्ध कराना;
- रि-प्रिंट, ग्रन्थसूचियाँ तथा संदर्भ उपलब्ध कराना;
- साहित्य-खोज तथा अनुवाद सेवाएँ चलाना;
- सार, अनुक्रमणिका तथा निष्कर्षिका (Extracts) उपलब्ध कराना;
- अधिगृहीत पुस्तकों की सूची, बुलेटिन (Bulletins), न्यूज-लेटर (Newsletters), सारांश, हैण्डबुक (Handbooks), या मैनुअल (Manuals) तैयार करना; तथा
- नवीन सूचना तथा सूचना के चयनित प्रसारण द्वारा अनुसंधान-कार्य को उत्प्रेरित करना।
- इन कार्यों के अतिरिक्त, विशिष्ट पुस्तकालय कुछ और कार्यों को भी पूरा करता है, जैसे :
- सिंपल आर्डर रिकार्ड (Simple Order Record) स्थापित करना;

- पुस्तकालय में किस विषय का संग्रह दुर्बल है, यह जानने के लिए पुस्तकालय के प्रलेख-संग्रह की समीक्षा करना; तथा
- कार्य-पिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक परिवीक्षण (Monitoring) प्रणाली विकसित करना।

6. विशिष्ट पुस्तकालय के अभिलक्षण

विशिष्ट पुस्तकालयों की समस्त गतिविधियों के मूल में दो प्रमुख सूचना सेवाएँ हैं जिन्हें वे उपलब्ध कराते हैं। वास्तव में, जैसा पहले ही कहा जा चुका है, विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना इन्हीं दो सेवाओं के लिए की जाती है। पहली सेवा मांग आधारित या प्रत्युत्तरात्मक सूचना सेवा है, जिसके अंतर्गत संदर्भों तथा साहित्य की खोज कर पाठक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी सेवा अनुमान-आधारित या अनुमानित सूचना सेवा है, जिसके अंतर्गत पाठकों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उन्हें सामयिक सूचना की अद्यतन जानकारी देने के लिए अनुक्रमणिका तथा सार सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। पुस्तकालय द्वारा जाने वाली सेवाओं के प्रकार और विस्तार के आधार पर ही पुस्तकालय के प्रलेख-संग्रह विकास, प्रलेखों के प्रक्रियाकरण तथा व्यवस्थापन तथा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या इत्यादि का निर्धारण किया जाता है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. विशिष्ट पुस्तकालयों के विकास का इतिहास संक्षेप में लिखिए।

....

....

....

....

6.1 प्रलेख-संग्रह विकास

अपनी सूचना सेवाएँ सुचारु रूप से चलाने के लिए विशिष्ट पुस्तकालयों में क्रियात्मक प्रलेख-संग्रह रखा जाता है। इस संग्रह में नवीन सूचना पर बल दिया जाता है और साथ ही अतीतात्मक सूचना भी रखी जाती है। प्रलेखों का चयन पैत्रिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर आधारित होता है। पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, तकनीकी तथा शोध संबंधी प्रतिवेदनों जैसे- पारंपरिक प्रलेखों के अतिरिक्त इसके संग्रह में पेटेंट (Patent) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित अभिलेखों, व्यापार से संबंधित सूचनाओं, तथा समाचार-कतरनों जैसी महत्वपूर्ण सामग्री भी रखी जाती है। विशिष्ट पुस्तकालयों के प्रलेख-संग्रह का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि यह स्थिर नहीं रहता बल्कि गत्यात्मक होता है तथा पैत्रिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाले नये कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ परिवर्तित होता रहता है। पैत्रिक संगठन में आये प्रत्येक बदलाव या परिवर्तन से उसका पुस्तकालय भी प्रभावित होता है और अपने प्रलेख-संग्रह और सेवाओं में भी तद्नुरूप बदलाव लाता है। इसलिए, पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने पैत्रिक संगठन के काम-योग्य संभावित नये क्षेत्रों और संगठन की बदलती हुई अभिरुचियों के प्रति निरंतर चौकस रहना चाहिए, ताकि पुस्तकालय का प्रलेख-संग्रह एवं सेवाएँ संगठन की सूचना संबंधी परिवर्तित मांग को संतुष्ट कर सकें। सामान्यतया, कोई विशिष्ट पुस्तकालय अपने प्रलेख-संग्रह के लिए तीन प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त करता है : (i) प्रकाशित सूचना (ii) संगठन के अंदर प्रणीत सूचना, तथा (iii) बाह्य-स्रोतों से उपलब्ध सूचना।

NOTES

प्रकाशित सूचना के अंतर्गत पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि में प्रकाशित सूचना आती है। अधिकतर विशिष्ट पुस्तकालयों में पत्र-पत्रिकाओं द्वारा अद्यतन सूचना प्राप्त होती है। इसलिए विशिष्ट पुस्तकालयों का पत्रिक-संग्रह अन्य प्रलेखों से अधिक मूल्यवान होता है तथा पुस्तकालय बजट का बहुत बड़ा अंश पत्रिकाओं की खरीद में खर्च किया जाता है। विशेष-अध्ययन से संबंधित प्रतिवेदन भी प्रकाशित सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। समाचार-पत्र करतन, पैंफ्लेट (Pamphlets) सांख्यिकीय आर्थिक विवरण, सरकारी प्रलेख, विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से संकलित सूचनाओं को अन्य-स्रोतों से प्राप्त प्रकाशित सूचना माना जा सकता है।

सूचना का दूसरा प्रमुख प्रकार या संघटक है पैत्रिक संगठन के अंदर प्रणीत सूचनाएँ जैसे- शोध-प्रतिवेदन, तकनीकी ज्ञापिकाएँ, लेबोरेटरी नोटबुक (Laboratory Notebooks), वर्किंग पेपर (Working Papers), पत्राचार संगठन का आधिकारिक मुखपत्र, न्यूजलेटर, विक्रय-साहित्य तथा कंपनी (Company) एवं प्रतिस्पर्धा-विज्ञापन।

विशिष्ट पुस्तकालय के प्रलेख-संग्रह का तीसरा संघटक या प्रकार है, बाह्य स्रोतों (पैत्रिक संगठन के बाहर उपलब्ध स्रोतों) से प्राप्त सूचना का उपयोग। विशिष्ट पुस्तकालयों को अनेक गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनाओं के लिए प्रायः बाह्य स्रोतों पर रहना पड़ता है। वस्तुतः विशिष्ट पुस्तकालयों को अन्तर-पुस्तकालय ऋण के माध्यम से बहुधा सार्वजनिक, शैक्षिक तथा शोध-पुस्तकालयों का भी उपयोग करना पड़ता है।

6.2 प्रक्रियाकरण तथा व्यवस्थापन

अपने प्रलेख-संग्रह के व्यवस्थापन के लिए विशिष्ट पुस्तकालय विविध विधियां अपनाते हैं। प्रलेखों को कैसे रखा जाय, इसका निर्माण उनके उपयोग के आधार पर किया जाता है। प्रसूचियों, अनुक्रमणिकाओं तथा सारों के उपयोग की सुविधा, पैत्रिक संगठन की गतिविधियों की विस्तार-सीमा एवं विस्तार-क्षेत्र के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। यथासंभव, सरल वर्गीकरण पद्धति, प्रसूचीकरण संहिता, तथा अनुक्रमणीकरण प्रणाली को चुना जाता है, परन्तु इसका ध्यान अवश्य रखा जाता है कि वे पुस्तकालय की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करें।

6.3 सेवाएँ

(अ) संदर्भ सेवाएँ

विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा दी जाने वाली संदर्भ एवं शोध सेवाओं के अंतर्गत सरल सन्दर्भ प्रश्नों का उत्तर देने से लेकर तथा साहित्य-खोज से संबंधित जटिल सेवाएँ तक रखी जा सकती हैं। साहित्य खोज सेवा में पाठकों की सामान्य सहायता की जाती है, परंतु मांगी गई सूचना का पता लगाने तथा उसे पाठक तक पहुँचाने में बहुधा सूचना-विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाती है। वस्तुतः, यह विशेषज्ञता विशिष्ट पुस्तकालय के कर्मचारियों में ही विकसित की जाती है ताकि वे सूचना-संचालन से संबंधित जटिल तथा दुरूह समस्याओं को सुलझा सकें। कुछ विशिष्ट पुस्तकालय अनुवाद सेवा स्वयं ही देते हैं या किसी बाह्य एजेंसी के माध्यम से अनुवाद सेवा उपलब्ध कराते हैं। पुस्तकालय की गतिविधियों और सेवाओं से पर्याप्त लाभ पाने के लिए पुस्तकालय कर्मचारियों तथा पाठकों के बीच निकट एवं कार्यात्मक संबंध का होना आवश्यक है।

(अ) सामयिक जागरूकता तथा परिसंचार सेवा

अपने पाठकों को नवीन तथा सामयिक घटनाओं की जानकारी देने के लिए विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा अनेक प्रकार की सेवाएँ चलाई जाती हैं। पत्रिकाओं के नये अंकों का परिसंचार (Routing) करना विशिष्ट

पुस्तकालयों की एक सामान्य सेवा है। पुस्तकालय अपने पाठकों का सावधिक सर्वेक्षण कर यह जानने का प्रयत्न करता है कि पाठक कौन-सी पत्रिकाएँ नियमित रूप में पढ़ना चाहते हैं। पुस्तकालय में पत्रिका के नवीन अंक की प्राप्ति के तुरंत बाद उसे संबंधित पाठकों के बीच संचारित किया जाता है। सामयिक अधिग्रहण बुलेटिन, पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका, तथा टाइटल एलर्ट (Title Alerts) इत्यादि जैसी सामयिक जागरूकता सेवाएँ विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा चलाई जाती हैं।

(स) अनुमानित सेवा

उपरिलिखत सेवाओं के अतिरिक्त विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा कुछ अनुमानित सेवाएँ (या अनुमान-आधारित सेवाएँ) भी चलाई जाती हैं, जैसे- व्याख्यात्मक सूचियाँ, सार, बुलेटिन, समाचार सारांश, डाइजेस्ट (Digests) इत्यादि तैयार करना। कुछ दशकों से विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा कम्प्यूटर आधारित सूचना के चयनित प्रसार (SDI) की सेवा भी पाठकों को उपलब्ध कराई जा रही है। भारत में भी यह (SDI) सेवा लगभग समस्त विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा चलाई जा रही है, परंतु सारे पुस्तकालयों द्वारा यह सेवा कम्प्यूटर के द्वारा दी जाती हो, यह आवश्यक नहीं।

(द) सूचना की पुनर्प्राप्ति सेवा

विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए सारकरण, अनुक्रमणिका, तथा डाइजेस्ट सेवाओं का अत्यधिक महत्व है। पैत्रिक संगठन की परियोजनाओं, उत्पादों, तथा प्रक्रिया-विकास इत्यादि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा इन परियोजनाओं इत्यादि से संबंधित अनुक्रमणियाँ या सार इत्यादि बनाए जाते हैं। इस कार्य को करने के लिए विशिष्ट पुस्तकालयों में विशेष परियोजनाएँ चलाई जाती हैं तथा सार एवं अनुक्रमणियों की फाइलें (Files) आरंभ से रखी जाती हैं।

(प) बुलेटिन का प्रकाशन

अधिग्रहण सूची या बुलेटिन का प्रकाशन कर पुस्तकालय में प्राप्त नये प्रलेखों की सूचना पाठकों को दी जाती है। कभी-कभी इस सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के अंतर्गत व्याख्यात्मक टिप्पणी (Annotation) भी दी जाती है। कुछ विषय-क्षेत्रों में यह सेवा वाणिज्यिक रूप में (Commercially) भी उपलब्ध है।

(फ) कार्मिक एवं कर्मचारी

सामान्यतया, विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए बहुत बड़े कर्मचारी-समूह की आवश्यकता नहीं होती। बहुत समय से यह बात बहस का मुद्दा बनी हुई है कि विशिष्ट पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष मुख्य रूप से एक विषय-विशेषज्ञ होना चाहिए, या पुस्तकालय व्यवसायी होना चाहिए, या उसमें ये दोनों योग्यताएँ होनी चाहिए। परंतु यह विवाद धीरे-धीरे सीमित होता जा रहा है क्योंकि अब विभिन्न विषयों में विशेष योग्यता वाले व्यक्ति पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं तथा इस व्यवसाय को अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का यह नया वर्ग विशिष्ट पुस्तकालयों की गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने में सक्षम है।

7. सूचना केन्द्रों का उद्भव एवं विकास

इस अध्याय में हमने इस बात की चर्चा की है कि व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शोध संगठनों तथा सरकारी विभागों के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को समर्थन देने के लिए बीसवीं शातब्दी के आरंभ में विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास हुआ और धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इन गतिविधियों का तीव्र विस्तार हुआ। लक्ष्य-आधारित राष्ट्रीय शोध-परियोजनाओं तथा सामयिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के कारण विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थिति और मजबूत हुई। इन गतिविधियों के फलस्वरूप, सूचना सेवाओं के आयोजन के लिए विशिष्ट सूचना केन्द्र उभर कर सामने आए। एक बहुआयामी केन्द्र के रूप में स्थापित ये केन्द्र किसी संगठन या पैत्रिक संगठन से अनिवार्यतः संबद्ध नहीं थे। विशिष्ट पुस्तकालयों से ये इस अर्थ में भिन्न

थे कि, विशिष्ट पुस्तकालयों की सेवाएँ अपने पैत्रिक संगठन के सदस्यों को ही उपलब्ध थीं, परंतु सूचना केन्द्रों की सेवाएँ उन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध थीं जो संबंधित विषय के ऊपर शोध कार्य करते थे। इस तरह एक नये प्रकार के सूचना केन्द्रों का विकास आरंभ हुआ। आज, विभिन्न विषयों से संबंधित क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के सूचना केन्द्र स्थापित हो चुके हैं और कार्यरत हैं।

NOTES

बीसवीं सदी के पाँचवें और छठवें दशकों में ये प्रवृत्तियाँ सबसे पहले मुख्यतया औद्योगिक रूप से विकसित पाश्चात्य देशों में देखने में आई। इसका प्रभाव विकासशील देशों पर भी पड़ा और वहाँ भी विशिष्ट सूचना केन्द्रों का विकास हुआ। उदाहरणस्वरूप, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों में शोध कार्य कर रहे लोगों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सन् 1952 में भारत में एक राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र (इंस्डॉक) की स्थापना की गई। इसके एक-दो दशकों के अंदर ही हमारे देश में अनेक विशिष्टिकृत सूचना केन्द्रों की स्थापना हो गई क्योंकि यह महसूस किया गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सारे क्षेत्रों के लिए केवल एक सूचना केन्द्र पर्याप्त नहीं है।

सूचना केन्द्र की परिभाषा

हैरोड्स लाइब्रेरियंस ग्लोसरी में (Harrod's Librarians' Glossary) सूचना केन्द्र की परिभाषा देते हुए लिखा गया है : "सामान्यत: एक ऐसा कार्यालय, केन्द्र या किसी ग्रंथात्मक केन्द्र, शोध ब्यूरो (Bureau) या प्रलेखन केन्द्र का अनुभाग, जो अपनी पैत्रिक संस्था से संबंधित विषय के ऊपर पुस्तकें या सूचनाएँ उपलब्ध कराता है। सूचना का चयनित प्रसार इत्यादि सेवाओं को दृढ़-संकल्प के साथ चलाना ऐसे केन्द्र के कार्य हैं।"

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. विशिष्ट पुस्तकालयों के अभिलक्षण बताइए।

....

....

....

....

7.1 विशिष्ट पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों के अभिलक्षण

सूचना केन्द्रों या सूचना ब्यूरो और अनेक विशिष्ट पुस्तकालयों के बीच का अंतर इनके द्वारा परिचालित सेवाओं के स्तर का अंतर है। इन दो प्रकार की सूचना संस्थाओं द्वारा तीन कार्यकारी स्तर की सूचना सेवाएं चलाई जाती हैं। इन तीनों स्तरों की सूचना सेवाएं हैं : न्यूनतम स्तर की सेवाएँ, मध्यम स्तर की सेवाएँ हैं तथा उच्चतर स्तर की सेवाएं। न्यूनतम स्तर की सेवाओं के अन्तर्गत आने वाली सेवाएं हैं : अपने पाठकों को पुस्तकालय द्वारा अधिगृहीत सूचना एवं सामग्री की जानकारी देना, उनके संदर्भ प्रश्नों के उत्तर देना, शोध से संबंधित सूचना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक पाठकों को उपयुक्त सूचना स्रोतों को देखने के लिए परामर्श देना, तथा उनके विषय की नवीनतम गतिविधियों की जानकारी देने के लिए संबंधित पत्रिकाओं के नवीन अंकों को पाठकों के बीच संचारित करते रहना। मध्यम स्तर की सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सूचना सेवाएँ हैं : संबंधित विशेष विषयों के लिए पाठकों को साहित्य खोज जैसी जटिल सेवा की सुविधा उपलब्ध कराना, अतीतात्मक एवं पूर्व-व्यापी ग्रंथसूचियाँ बनाना, पाठकों की मांग का अनुमान लगाकर उपयुक्त शोध सामग्री का चयन कर पाठकों को उसकी जानकारी देना, विशिष्ट विषयों, नये उत्पादों तथा प्रक्रियाओं के ऊपर सामयिक जागरूकता बुलेटिन (Current Awareness Bulletin) प्रकाशित करना तथा व्यक्तिगत और समूह प्रोफाइल (Individual and Group Profile)

आधारित सूचना के ऊपर चयनित प्रसार सेवा देना। विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा उच्चतर स्तर की चलाई जाने वाली सेवाओं का संबंध समेकित तथा पुनर्सवेष्टन (Repackaging) सेवाओं से है। इनके अंतर्गत आने वाली सेवाएँ हैं : सूचना का विश्लेषण, संश्लेषण, तथा मूल्यांकन तथा इस सूचना का पाठकों के वांछित स्वरूप में प्रस्तुतीकरण। इस सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अलोचनात्मक ग्रंथसूची, समालोचनात्मक एवं विस्तृत यथा-वस्तु-स्थिति प्रतिवेदन अथवा किसी विशेष उपयोक्ता समुदाय के उपयोग के लिए तैयार किया गया प्रतिवेदन बनाना आवश्यक है। वस्तुतः, इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के सूचना केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता उभर कर आई। ये विभिन्न प्रकार के सूचना केन्द्र हैं; डेटा केन्द्र, सूचना विश्लेषण केन्द्र, तथा सूचना प्रसारण केन्द्र। उच्च-स्तरीय सूचना केन्द्र हैं। डेटा केन्द्र, सूचना विश्लेषण केन्द्र, तथा सूचना प्रसारण केन्द्र। उच्च-स्तरीय सूचना केन्द्रों में विषय-विशेषज्ञता तथा सूचना-संचार में सक्षम कर्मचारियों की आवश्यकता अनिवार्य होती है। विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ कर्मचारियों की संख्या तथा प्रलेख सामग्री के व्यवस्थापन पर निर्भर करती हैं। इन दो प्रकार के सूचना संस्थानों, अर्थात् विशिष्ट पुस्तकालयों, तथा सूचना केन्द्रों के बीच सामान्य अंतर यह है कि विशिष्ट पुस्तकालय अपनी सेवाएँ अपने पैत्रिक संगठन के कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है, जबकि सूचना केन्द्र अपनी सेवाएँ उन सारे लोगों को उपलब्ध कराता है जो एक ही विशिष्ट विषय के ऊपर कार्य कर रहे हों-चाहे वे किसी भी संस्थरान से संबंधित हों।

7.2 सूचना केन्द्रों के प्रकार

सूचना केन्द्रों की चर्चा निम्नलिखित तीन प्रमुख वर्गों के अंतर्गत की जा सकती है :

- डेटा केन्द्र (Data Centres)
- सूचना विश्लेषण केन्द्र (Information Analysis Centres)
- सूचना प्रसार केन्द्र (Information Dissemination Centres)

(i) डेटा केन्द्र

डेटा का अर्थ है परिमाणित सूचना या संख्या रूप में प्रस्तुत सूचना। वैज्ञानिक प्रयोग के समय लेबोरेटरी में तथ्यों का अवलोकन कर, या सामाजिक विज्ञान से संबंधित अध्ययन में सर्वेक्षण के द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त की जाती है। ऐसी सूचना संख्यात्मक अथवा असंख्यात्मक भी हो सकती है तथा इच्छुक व्यक्तियों के उपयोग के लिए सारणी या सारांश-विवरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

डेटा के प्रकारों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :

आंकड़ों का प्रकार	उदाहरण
वैज्ञानिक	पदार्थों के तापीय गुण
अभियांत्रिकी	विभिन्न पण्य-पदार्थों के लिए विनिर्देशन।
टेक्नो-एकोनॉमिक (Techno-economic)	किसी क्षेत्र में उपलब्ध कच्चा माल या किसी इलाके में किसी वस्तु की खपत के आँकड़े।
व्यवसाय	उत्पादन, विक्रय लाभ, हानि इत्यादि।
औद्योगिक	उद्योग के प्रकार, उत्पादन-क्षमता, लाइसेंसिंग क्षमता इत्यादि।
जनशक्ति	दक्ष व्यक्ति, रोजगार-शक्यता इत्यादि।
सामाजिक जनसांख्यिकी	किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोग।

NOTES

डेटा केन्द्र एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध परिमाणात्मक, संख्यात्मक, या तथ्यात्मक आंकड़ों से होता है। इस केन्द्र के कार्य हैं : आंकड़ों का संग्रह, भण्डारण, व्यवस्थापन, विश्लेषण तथा संप्रेषण (प्रसार) करना और मांगे जाने पर या मांगे जाने की संभावना होने पर उन आंकड़ों से संबंधित विभिन्न सेवाएँ चलाना। इसके द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं का दायरा अत्यंत विस्तृत होता है। जैसे : किसी प्रश्न या परिपृच्छा के उत्तर में संबंधित डेटा उपलब्ध कराना इसका एक सीधा-सरल कार्य है। पर यह जटिल एवं समयलेवा सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है, जैसे : किसी विषय के ऊपर आंकड़ों का समालोचनात्मक संकलन कर, उनका सह-संबंध निर्धारित कर, उनका सारणीबद्ध या ग्राफीय (Graphic) प्रस्तुतीकरण। डेटा केन्द्रों द्वारा विभिन्न विषयों के ऊपर अनुक्रमणिकाएँ तथा सार बनाकर उन्हें मुद्रित रूप या मशीन पठनीय रूप (Machine Readable Form) में उपलब्ध कराया जाता है। स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक डेटा केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ii) सूचना विश्लेषण केन्द्र

सूचना विश्लेषण केन्द्रों द्वारा पाठकों को प्रामाणिक सूचना समय पर उलब्ध कराई जाती है। इस सेवा में पाठकों को प्रलेख नहीं दिए जाते, बल्कि प्रलेख में निहित सूचना पाठक को उसके वांछित स्वरूप में उपलब्ध कराई जाती है। पाठकों के उपयोग की सूचना को विभिन्न स्रोतों से ढूँढकर निकालना तथा उन्हें वह सूचना इस रूप में देना कि वे अपने कार्य के लिए उस सूचना का प्रत्यक्ष उपयोग कर सकें, वास्तव में एक श्रेष्ठ पाठकोन्मुखी सेवा है।

सूचना विश्लेषण केन्द्र औपचारिक रूप से सुगठित एक संगठन-एकक है जिसकी स्थापना किसी स्पष्ट-परिभाषित विशेषज्ञत-क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं के अधिग्रहण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, मूल्यांकन, विश्लेषण, तथा संश्लेषण के लिए की जाती है। विशेषज्ञों के किसी वर्ग के लिए प्रामाणिक सूचना का समय पर संकलन, पुनर्संवेष्टन, व्यवस्थापन, और प्रस्तुतीकरण इस केन्द्र का प्रधान उद्देश्य है। सूचना विश्लेषण केन्द्रों के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं, जो उन्हें अन्य सूचना केन्द्रों से पृथक् करते हैं :

- इन केन्द्रों की मुख्य गतिविधियाँ हैं : सूचना का विश्लेषण, व्याख्या, संश्लेषण, मूल्यांकन, तथा पुनर्संवष्टन। इन गतिविधियों का उद्देश्य है : किसी विषय-विशेष की सूचना या संख्यात्मक आंकड़ों का पाठकों द्वारा परिपाचन सरल बनाना:
- सूचना का विश्लेषण, मूल्यांकन, तथा संश्लेषण करने के लिए सूचना विश्लेषण केन्द्र विषय-विशेषज्ञों का उपयोग करता है;
- सूचना विश्लेषण केन्द्र नवीन तथा मूल्यांकित सूचना को समालोचनात्मक सेवाओं के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे यथा-वस्तु-स्थित मोनोग्राफ अथवा आंकड़ों का संकलन तथा पाठकों की परिपृच्छाओं के उत्तर में प्रचुर मात्रा में मूल्यांकित सूचना उपलब्ध कराता है;
- सूचना विश्लेषण केन्द्र सूचना प्राप्ति में केवल अपने संगठन में कार्यरत विशेषज्ञों की ही नहीं, बल्कि उपयोक्ताओं या पाठकों के किसी भी समुदाय की सहायता करता है।

(iii) सूचना प्रसार केन्द्र

पिछले तीन दशकों में एक अन्य प्रकार के सूचना केन्द्रों का विकास हुआ। इन केन्द्रों का प्रमुख कार्य अपने सदस्यों के बीच विषयोन्मुख सूचना का प्रसार है। ये केन्द्र, कम्प्यूटर डेटाबेसों में वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ ढूँढकर अपने पाठकों को सामयिक जागरूकता सेवा, सूचना का चयनित प्रसारण सेवा तथा कालातीत साहित्य-खोज सेवा उपलब्ध कराते हैं। ऐसे केन्द्र या तो डेटाबेस बनाने वाले किसी संस्था या संगठन की एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं या डेटाबेस के उत्पादकों या विक्रेताओं से संपर्क रखने वाले स्वतंत्र संगठन होते हैं। सूचना प्रसार केन्द्र इस अर्थ में अन्य सूचना केन्द्रों से भिन्न होते हैं।

कि इनकी सूचना सेवा केवल किसी विशेष संस्था से संबंधित विशेषज्ञ–पाठक वर्ग के लिए ही नहीं होती। कम्प्यूटर डेटाबेस से ढूँढकर ये अपनी सेवाएँ किसी भी विशेषज्ञ को उपलब्ध कराते हैं। इन संस्थाओं को सूचना माध्यम (Intermediaries) एजेंसी या सूचना सलाहकार एजेंसी भी कहते हैं। इन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप सूचना उद्योग (Information Industry) विकसित हो रहा है और ऐसे केन्द्र अनेक देशों में कार्य कर रहे हैं तथा प्रलेख–आपूर्ति जैसी सरल सेवाओं से लेकर सूचना विश्लेषण और समेकन जैसी जटिल सेवाएँ भी देते हैं। ये केन्द्र अपनी सेवाओं के लिए एक निर्धारित राशि लेते हैं।

इन केन्द्रों की गतिविधियों का समन्वयन करने, शोध को बढ़ावा देने, तथा मानकों की सिफारिश करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई संघों की स्थापना हो चुकी है, जैसे :

(1) दि एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक इंफार्मेशन डिसेमिनेशन सेंटर्स (ASIDIC: The Association of Scientific Information Dissemination Centres) यह संघ 1968 में कोलंबस, आहायो, यू.एस.ए (Columbus, Ohio, USA) में आरंभ हुआ। यह संयुक्त राज्य, कनाड़ा तथा देशों के सूचना केन्द्रों का संघ है।

(2) यूरोप में इसी प्रकार का एक संघ है यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक इंफार्मेशन डिसेमिनेशन सेंटर्स (EUSIDIC: European Association of Scientific Information Dissemination Centres)। इसकी स्थापना सन् 1970 में हुई थी।

(3) अमेरिका में बीसवीं सदी के सातवें दशक में इंफार्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (Information Industry Association) बनाया गया। इसके सदस्य भी विभिन्न प्रकार की सूचना सेवाएँ चलाते हैं।

सूचना प्रसार केन्द्रों, जिनमें से अधिकांश वाणिज्यिक संगठन हैं, ने सूचना सेवा के क्षेत्र को एक व्यापारिक दिशा दी है। इस प्रकार, सूचना विपणन (Information Marketing) में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है और सूचना उत्पादों और सेवाओं के विशेष परिप्रेक्ष्य में लोगों का ध्यान सूचना के अर्थशास्त्र की ओर आकर्षित हुआ है।

भारत में धीरे-धीरे सूचना-माध्यम उभर रहे हैं और युवा उद्यमियों को सूचना उद्योग के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. सूचना केन्द्रों के उद्भव एवं विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

....

....

....

....

8. भारतीय परिदृश्य

विगत पचास वर्षों में भारत में विशिष्ट पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों का गतिशील विकास हुआ है। अध्याय के इस अनुभाग में हम इस क्षेत्र में हुए आधुनिक विकास की प्रवृत्तियों की एक झलक प्रस्तुत करेंगे। यहाँ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अन्य अध्यायों में भी इस विषय पर चर्चा की गई है। अत: यहाँ दिए गए विवरण को अन्य अध्यायों में इस विषय पर उपलब्ध विवरण के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए।

NOTES

औद्योगिक रूप से विकसित पाश्चात्य देशों में उभरी प्रवृत्तियों ने भारत में भी विशिष्ट पुस्तकालयों तथा प्रलेखन एवं सूचना केन्द्रों की अभिकल्पना एवं विकास को प्रभावित किया। सरकारी नीतियों के सकारात्मक समर्थन से भारत में यद्यपि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान कार्य पिछले पचास वर्षों से सशक्त रूप में चलाए जा रहे हैं, परन्तु विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास बीसवीं सदी के आरंभ में, उस समय स्थापित वैज्ञानिक शोध संस्थानों एवं संगठनों के साथ-साथ ही होना प्रारंभ हो गया। इनमें से प्रमुख हैं : कुछ शोध-संगठन, जैसे: जीओलॉजिकल सर्वे (Geologiocal Survey), बोटानिकल सर्वे (Botanical Survey), जूलॉजिकल सर्वे (Zoological Survey), कुछ शैक्षिक तथा व्यावसायिक संस्थान, जैसे : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (Indian Institute of Science) तथा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट (Indian Agricultural Research Institute) सरकार द्वारा गठित कुछ परिषदें, जैसे : इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (Indian Council of Agricultural Research), तथा इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research) इत्यादि। परन्तु सन् 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (Council of Scientific and Industrial Research) जैसे शोध-संस्थानों की स्थापना के बाद अनुसंधान और शोध को सरकारी धनकोष से चलाई जाने वाली सांस्थानिक गतिविधि के रूप में मान्यता मिली।

बीसवीं सदी के पाँचवें और छठवें दशक में यूनेस्को द्वारा अनेक विकासशील देशों में राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्रों की स्थापना के लिए तकनीकी तथा आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सन् 1952 में यूनेस्को की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र (INSDOC : Indian National Scientific Documentation Centre) को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR : Council of Scientific and Industrial Research) के एक अंग के रूप से स्थापित किया गया।

इसके अगले दशक में विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट संस्थाओं तथा प्रलेखन केन्द्रों की स्थापना हुई। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं : आणविक ऊर्जा, रक्षा, कृषि औषधिशास्त्र, सामाजिक विज्ञान इत्यादि। बीसवीं सदी के सातवें दशक में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (NISSAT : National Information System for Science and Technology) की स्थापना के साथ चर्म, भेषज एवं औषधि-विज्ञान, मशीन टूल (Machine Tool), तथा आहार के ऊपर इनसे संबंधित विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर के आंचलिक केन्द्रों की स्थापना की गई। वस्त्र, रसायन विज्ञान, रासायनिक प्रौद्योगिकी इत्यादि के ऊपर इनसे संबंधित विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर के आंचलिक केन्द्रों की स्थापना की गई। वस्त्र, रसायन विज्ञान, रासायनिक प्रौद्योगिकी इत्यादि के ऊपर विशेषीकृत पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएँ प्रदान करने के लिए बारह राष्ट्रीय स्तर के आंचलिक सूचना केन्द्र निसात द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त, क्रिस्टल-विज्ञान (Crystallography) के ऊपर एक डेटा केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

बीसवीं सदी के नवें दशक में शोध एवं विकास के लिए गठित विभिन्न सरकारी विभागों के अधीन पर्यावरण, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत, सागर-विज्ञान, अंतरिक्ष, जीव-प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रोनिकी (Electronics) से संबंधित राष्ट्रीय सूचना प्रणालियाँ विकसित की जा चुकी हैं। इनके अतिरिक्त हेवी इलेट्रिकल्स (Heavy Electricals), इस्पात, भेषज, एवं औषधि-विज्ञान, उर्वरक इत्यादि से संबंधित लोक-प्रतिष्ठानों (Public Undertaking) के द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों में सूचना केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

इन सारे विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों द्वारा इस अध्याय में वर्णित अधिकतर सूचना सेवाएँ चलाई जा रही हैं। इनमें से अनेक संस्थाओं में कम्प्यूटर एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सूचना सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सूचना प्रणालियों और सेवाओं के संघटन के लिए असीम अवसर उपलब्ध कराये जाने के कारण आज का समय भारत के लिए निर्णायक समय

है। इन कारणों से देश में सूचना सेवाओं के लिए एक अधिक विवेकपूर्ण सांस्थानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है।

9. सार-संक्षेप

इस अध्याय में हमने :

(i) विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों के उद्भव, वृद्धि और विकास का वर्णन किया है।

(ii) विशिष्ट पुस्तकालयों के कार्यों की व्याख्या की है। ये पुस्तकालय अनिवार्य रूप से किसी संगठन, जैसे- व्यवसाय एवं उद्योग, अनुसंधान एवं विकास अथवा सरकार के विभागों से संबद्ध होते हैं।

(iii) इन पुस्तकालयों के प्रलेख-संग्रह, प्रलेखों के प्रक्रियाकरण और व्यवस्थापन तथा मांग-आधारित एवं अनुमान-आधारित (अनुमानित) विभिन्न सेवाओं के बारे में बताया है।

(iv) सूचना केन्द्रों के विकास तथा उनके उन विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन किया है जो उन्हें विशिष्ट पुस्तकालयों से पृथक् करते हैं।

(v) सूचना केन्द्रों के तीन प्रमुख प्रकारों की चर्चा करते हुए उनके विशिष्ट कार्यों और सेवाओं का वर्णन किया है। इनके तीन प्रमुख प्रकार हैं : (क) डेटा केन्द्र, (ख) सूचना विश्लेषण केन्द्र, तथा (ग) सूचना प्रसार केन्द्र।

(vi) वर्तमान भारतीय विशिष्ट पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों की झलक प्रस्तुत की है।

(vii) विशिष्ट पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों के संचालन का चित्रात्मक सारांश प्रस्तुत किया है।

10. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. यद्यपि विशिष्ट पुस्तकालय की विचारधारा अपेक्षाकृत एक नयी विचारधारा है, फिर भी अनेक विशषज्ञों ने इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया है। एम.एल.एम. हैरोड (M.L.M. Harrod) ने अपनी पुस्तक लाइब्रेरियंस ग्लोसरी ऑफ टर्म्स (Librarian's Glossary of Terms) में इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है : "विशिष्ट पुस्तकालय विद्वत् संगठनों, शोध-संस्थानों, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, तथा सरकारी विभागों, और यहाँ तक कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा किसी सीमित क्षेत्र में प्रणीत पुस्तकों तथा अन्य मुद्रित, चित्रात्मक, तथा अभिलेखित सामग्रियों का संग्रह-स्थल है। कोई सार्वजनिक पुस्तकालय भी किसी विशेष व्यवसाय-वर्ग के लोगों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी पुस्तकालय या विशिष्ट विषय-पुस्तकालय के रूप में अपनी विशिष्ट शाखा चला सकता है। उदाहरणस्वरूप, संगीत से संबंधित सूचना के लिए कोई सार्वजनिक पुस्तकालय एक विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में संगीत पुस्तकालय (शाखा) खोल सकता है।" ब्रॉडफिल्ड (Broadfield) ने विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा इस प्रकार दी है : "विशिष्ट पुस्तकालय न तो शैक्षिक पुस्तकालय है, न वाणिज्यिक पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है और न ही सार्वजनिक पुस्तकालय है। किसी विशेष पाठक-वर्ग को किसी सीमित विषय-क्षेत्र के ऊपर विस्तृत सूचना प्रदान करना इसका उद्देश्य है।" प्रख्यात पुस्तकालय-विज्ञानी डी.ज़े. फॉस्केट (D.J.Foskctt) ने विशिष्ट पुस्तकालय की निम्नलिखित परिभाषा दी है : "पुस्तकालयेतर अस्तित्व वाला एक ऐसा पुस्तकालय जिसकी स्थापना व्यक्तिगत उपयोक्ताओं के लिए नहीं बल्कि ऐसे पाठक-वर्ग के लिए की गई हो जिनकी कम-से-कम कुछ गतिविधियाँ समान लक्ष्यों और उद्देश्यों द्वारा संचालित होती हों। अत: शैक्षिक पुस्तकालयों को विशिष्ट पुस्तकालय नहीं माना जा सकता क्योंकि इनके पाठक पुस्तकालय का उपयोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए करते हैं तथा किसी भी अर्थ में उनकी गतिविधियाँ समान उद्देश्य तथा लक्ष्यों द्वारा संचालित नहीं होती।" फॉस्केट के अनुसार "विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा सेवित वर्ग (पाठक वर्ग) हैं: प्रतिष्ठान, शोध संगठन, कोई संस्थान तथा इस प्रकार के अन्य

NOTES

संगठन। विशिष्ट पुस्तकालय ऐसी संस्थाओं से संबद्ध होते हैं जिनकी एक सुस्पष्ट सामूहिक नीति हो और जिनके सदस्यों ने उस संस्था की सदस्यता द्वारा या उसके अंतर्गत पद-भार ग्रहण कर संस्था की सामूहिक नीतियों को स्वीकार किया हो और इस प्रकार संस्था के समान-हितों में अपनी आस्था प्रकट की हो।'' विख्यात पुस्तकालय-वैज्ञानिक डॉ. एस. आर. रंगनाथन (Dr.S.R. Ranganathan) विशिष्ट पुस्तकालयों को 'विशेषज्ञों का पुस्तकालय' मानते हैं, जिनका कार्य किसी विशेष विषय-क्षेत्र, जैसे- वैज्ञानिक, तकनीकी इत्यादि क्षेत्र के ऊपर विस्तृत उपलब्ध कराना है।

2. बीसवीं सदी के पहले दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में विशिष्ट पुस्तकालय अस्तित्व में आये। वास्तव में, ये एक सर्वथा नवीन प्रकार के पुस्तकालय थे और अपने कार्यों, उद्देश्यों तथा प्रलेख-सामग्री के संकलन तथा व्यवस्थापन की नवीन रीतियों के कारण ये पुस्तकालय अन्य प्रकार के पुस्तकालयों से बिल्कुल भिन्न थे। व्यवसायों और उद्योगों के तीव्र विकास के कारण बीसवीं सदी के अगले दशकों में विभिन्न प्रकार के संगठनों की संख्या, आकार तथा जटिलता में वृद्धि हुई। सरकार की विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत संख्या में सरकारी संगठनों की स्थापना की गई। इन सारे संगठनों में पुस्तकालयों का प्रावधान रखा गया, जिसके कारण विशिष्ट पुस्तकालयों की संख्या बढ़ी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते हुए शोध के कारण प्रथम तथा द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। अनुसंधान तथा विकास को जिसे पहले व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा था, संस्थागत रूप मिला। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप विशिष्ट पुस्तकालयों के प्रलेख-संग्रह तथा सेवाओं में वृद्धि हुई।

यूरोप तथा अनेक विकासशील देशों में विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालय आंदोलन की तर्ज पर हुआ। इन देशों में औद्योगीकरण तथा शोध कार्य में प्रगति के साथ-साथ शोध संगठनों एवं अन्य एजेंसियों में विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना की गति भी तेज होती गई। भारत में भी विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास पाश्चात्य देशों के प्रतिमान पर आधारित है।

3. विशिष्ट पुस्तकालयों की समस्त गतिविधियों के मूल में दो प्रमुख सूचना सेवाएँ हैं जिन्हें वे उपलब्ध कराते हैं। वास्तव में, जैसा पहले ही कहा जा चुका है, विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना इन्हीं दो सेवाओं के लिए की जाती है। पहली सेवा मांग आधारित या प्रत्युत्तरात्मक सूचना सेवा है, जिसके अंतर्गत संदर्भों तथा साहित्य की खोज कर पाठक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी सेवा अनुमान-आधारित या अनुमानित सूचना सेवा है, जिसके अंतर्गत पाठकों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उन्हें सामयिक सूचना की अद्यतन जानकारी देने के लिए अनुक्रमणिका तथा सार सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। पुस्तकालय द्वारा जाने वाली सेवाओं के प्रकार और विस्तार के आधार पर ही पुस्तकालय के प्रलेख-संग्रह विकास, प्रलेखों के प्रक्रियाकरण तथा व्यवस्थापन तथा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या इत्यादि का निर्धारण किया जाता है।

4. इस अध्याय में हमने इस बात की चर्चा की है कि व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शोध संगठनों तथा सरकारी विभागों के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को समर्थन देने के लिए बीसवीं शातब्दी के आरंभ में विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास हुआ और धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इन गतिविधियों का तीव्र विस्तार हुआ। लक्ष्य-आधारित राष्ट्रीय शोध -परियोजनाओं तथा सामयिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के कारण विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थिति और मजबूत हुई। इन गतिविधियों के फलस्वरूप, सूचना सेवाओं के आयोजन के लिए विशिष्ट सूचना केन्द्र उभर कर सामने आए। एक बहुआयामी केन्द्र के रूप में स्थापित ये केन्द्र किसी संगठन या पैत्रिक संगठन से अनिवार्यतः संबद्ध नहीं थे। विशिष्ट पुस्तकालयों से ये इस अर्थ में भिन्न थे कि, विशिष्ट पुस्तकालयों की सेवाएँ अपने पैत्रिक संगठन के सदस्यों को ही उपलब्ध थीं, परंतु सूचना केन्द्रों की सेवाएँ उन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध थीं जो संबंधित विषय के ऊपर शोध कार्य करते थे। इस तरह एक नये प्रकार के सूचना केन्द्रों का

विकास आरंभ हुआ। आज, विभिन्न विषयों से संबंधित क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के सूचना केन्द्र स्थापित हो चुके हैं और कार्यरत हैं।

11. मुख्य शब्द

उत्पाद (Product) : परिष्कृत उत्पाद के रूप में उपलब्ध कराये जाने वाले सार, डाइजेस्ट, अनुक्रमणिकाएँ इत्यादि।

गृह-पत्रिका (House Organ) : किसी संगठन द्वारा अपनी सामयिक गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रकाशित बुलेटिन या न्यूजलेटर।

डाइजेस्ट (Digest) : किसी एक विषय अथवा प्रकरण या उससे सबंधित विविध प्रकरणों के ऊपर सूचनाओं का सारांश प्रस्तुत करने वाला प्रकाशन।

तकनीकी प्रतिवेदन (Technical Report) : वैज्ञानिक खोज, अथवा तकनीकी विकास, जाँच या मूल्यांकन के परिणाम से संबंधित प्रतिवेदन।

पेटेंट (Patent) : एक तकनीकी प्रतिवेदन, जिसमें किसी आविष्कार का विवरण दिया गया हो तथा उस आविष्कार के ऊपर उसके आविष्कारक का स्वामित्व-अधिकार सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

पुनर्सवेष्ठन (Repackaging) : पाठकों के किसी विशेष वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन।

प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन (Processing and Organisation) : किसी पुस्तकालय में प्रलेखों का प्रसूचीकरण और वर्गीकरण तथा पाठकों के उपयोग के लिए उनका समुचित रीति से प्रदर्शन। सामाजिक उपयोग के लिए पुस्तकालय प्रसूची बनाना तथा .... के अन्य कार्य भी प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन के अंतर्गत आते हैं।

यथा-वस्तु-स्थिति प्रतिवेदन (State-of-the-art Report) : एक विशेष अवधि के साहित्य को समेकित कर किसी विशेष विषय-क्षेत्र या समस्या के विकास पर तैयार किया गय प्रतिवेदन।

समाचार कतरन (News Clipping) : समाचार पत्रों में प्रकाशित नवीन घटनाओं और कार्यकलापों की फाइल, जिसे सूचना की पुनर्प्राप्ति के लिए उपयुक्त रीति से संभालकर रखा गया हो।

समेकन (Consolidation) : कोई स्वतंत्र प्रलेख, पत्रिका लेख, तकनीकी एवं शोध प्रतिवेदन या किसी सम्मेलन के लिए लिखी गई रचना इत्यादि, जिसमें किसी विषय या प्रकरण का विवरणात्मक अथवा आलोचनात्मक, परन्तु व्यापक विवरण प्रस्तुत किया गया हो।

सेवाएँ (Services) : साहित्य-खोज, किसी विषय के ऊपर नवीन सूचना या पठन-सामग्री की आपूति, पत्रिका में प्रकाशित लेखों की प्रति की आपूर्ति, अनुवाद इत्यादि।

NOTES

12. अभ्यास-प्रश्न

1. विशिष्ट पुस्तकालय का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों का विवेचना कीजिए।
2. विशिष्ट पुस्तकालयों के क्रिया-कलापों का वर्णन कीजिए।
3. विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों द्वारा परिचालित सेवाओं का मूल्यांकन कीजिए।
4. सूचना प्रसार केन्द्रों की विविध सेवाओं की विवेचना कीजिए।
5. भारत में विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के विकास पर एक लघु निबन्ध लिखिए।

13. संदर्भ ग्रन्थ सूची

Ahrenfield, J.L (et al). (1981). Special Libraries : A Guide for Management. New York : Special Library Association.

Gates. J.K (1968). Introduction to Librarianship. New York : Mc-Graw-Hill.

Harvey, Joan M. (1976). Specialist Information Centres. London : Clive Bingley.

Kent, Allen (et al). (1980). Encyclopedia of Library and Information Science New York : Marcel Dekkar. Vol 28. pp. 386-97

Silve, Manil (1970). Special Libraries. London : Andre Deutsch (Grfton Basic Texts)

Strauss L.J. (et al). (1964). Scientific and Technical Libraries : Their Organisation and Administration. New York : Inter Science Publication.

Weisman, Herman M. (1972). Infomation Systems, Services and Centres. New York : Becker and Hayes.

अध्याय-9

पुस्तकालय अधिनियम तथा आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के लिए राज्य-नीति
4. पुस्तकालय अधिनियम : उद्देश्य तथा आवश्यकता
5. पुस्तकालय अधिनियम के घटक
6. मॉडल एक्ट/बिल
   - 6.1 मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट
   - 6.2 डॉ. रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट
   - 6.3 शिक्षा मंत्रालय का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज बिल
   - 6.4 योजना आयोग का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज बिल
   - 6.5 मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एण्ड इंफार्मेशन सर्विसेज एक्ट
7. सार-संक्षेप
8. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
9. अभ्यास-प्रश्न
10. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्याय में हम पुस्तकालय तथा सूचना सेवा के लिए राज्य-नीति पर विचार करेंगे। किसी भी देश के सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क के अभिकल्प तथा विकास के लिए राज्य-नीति का होना अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय में हम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं की भी चर्चा करेंगे जिनके आधार पर राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का नेटवर्क स्थापित करने की रूपरेखा बनाई जा सकती है।

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :

- राज्य पुस्तकालय नीति में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान कर पाएँगे;
- पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता की व्याख्या कर पाएँगे;
- किसी आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (Model Public Library Act) के आवश्यक घटकों को सुनिश्चित कर पाएँगे; तथा
- भारत में विभिन्न राज्यों में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों की विशेषताओं का उल्लेख और वर्णन कर पाएँगे।

2. परिचय

हम इस बात की चर्चा पहले ही हर चुके हैं कि अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करने, अपनी आजीविका या व्यवसाय को समुन्नत बनाने या अन्य उद्देश्यों के लिए अपने ज्ञान का संवर्धन करने के हेतु प्रलेखों का उपयोग करने में पाठकों की सहायता करना सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। इसी क्रम में इस अध्याय में हम एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना सेवा अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे तथा सार्वजनिक पुस्तकालय सूचना तथा सेवा के संबंध में इसकी उपयोगिता पर विचार करेंगे।

विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोकर विविध केन्द्रीय-स्थलों का नेटकर्क स्थापित करना सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की अभिकल्पना और विकास का एक प्रभावी साधन है। इस प्रकार के नेटवर्क की संरचना पदानुक्रमिक श्रेणियों के रूप में होती है। इस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के श्रेणीबद्ध पदानुक्रम, राजस्व तथा राज्य के लिए प्रशासनिक इकाईयों को प्रतिबिंबित करते हैं। इस पदानुक्रम को अरीय या त्रिज्यक रीति में व्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय अपने त्रिज्या का अरीय केन्द्र होता है, जिसके इर्द-गिर्द कुछ प्रमडल पुस्तकालय होते हैं; प्रत्येक प्रमण्डल पुस्तकालय अपने त्रिज्या का अरीय केन्द्र होता है जिसके ईर्द-गिर्द जनपद (जिला) पुस्तकालय होते हैं ; प्रत्येक जिला पुस्तकालय अपने त्रिज्य का अरीय केन्द्र होता है जिसके इर्द-गिर्द कुछ ताल्लुक/प्रखण्ड पुस्तकालय होते हैं तथा इसी प्रकार प्रत्येक ताल्लुक/प्रखण्ड पुस्तकालय कुछ ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए केन्द्र-स्थल के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार, पुस्तकालय-नेटवर्क की प्रभावी व्यवस्था के लिए विविध प्रशासनिक संरचनाओं के विन्यास-विश्लेषण तथा अनुरूपण की आवश्यकता होती है।

इस अध्याय में हम इस प्रकार के पुस्तकालय नेटवर्क बनाने के प्रभावी तरीके का अध्ययन करेंगे। संभवतः पुस्तकालय अधिनियम ही एक प्रजातांत्रिक एवं उदारवादी समाज में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने का सर्वोत्तम और विश्वसनीय तरीका है। इस अध्याय में हम एक आदर्श (Model) सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक बनाने की रीतियों की चर्चा करेंगे, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (Act) से हमारी अपेक्षाएँ क्या हैं यह जानेंगे और नागरिकों को प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालयों को सक्षम बनाने में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों की भूमिका पर विचार करेंगे।

3. पुस्तकालय तथा सूचना सेवा के लिए राज्य-नीति

भारत के संविधान के अनुसार, पुस्तकालय सेवा का विषय राज्य सूची (State List) का भाग है जबकि शिक्षा का विषय संगामी सूची (Concurrent List) का भाग है। इसलिए अपने-अपने प्रदेशों/राज्यों या क्षेत्र में पुस्तकालय अधिनियम पारित करना संबंधित राज्य सरकार तथा केन्द्र-शासित क्षेत्र का दायित्व है। किसी भी अधिनियम को लागू करने से पहले संबंधित राज्य को सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए नीति बनानी चाहिए और इसको वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, अर्थात् राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाकर उसे कार्यान्वित करना चाहिए। विकसित देशों में यही प्रक्रिया अपनाई गई है। यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 (सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित घोषणापत्र) में इस बात पर बल दिया गया है कि "स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उद्देश्यों, प्राथमिकताओं, तथा सेवाओं के लिए एक स्पष्ट नीति का प्रतिपादन अत्यंत आवश्यक है।"

पुस्तकालय तथा सूचना सेवा की राज्य-नीति में निम्नलिखित क्षेत्रों (बातों) को सम्मिलित किया जाना चाहिए :

(1) एक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा समाज के सभी सदस्यों को बिना किसी भेद-भाव के निःशुल्क सेवा प्रदान करनी चाहिए।

(2) सार्वजनिक पुस्तकालय समाज की निम्नलिखित प्राथमिकताओं के क्रम से सेवा करेगा: असाक्षर, नव-साक्षर तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग ले रहे व्यक्ति; स्व-रोजगार योजनाओं में रुचि रखने वाले व्यक्ति; अर्ध-कुशल व्यक्ति; बालक तथा तरुण; अनियमित पाठक, गृहिणी, तथा उच्च शिक्षा एवं शोध इत्यादि।

(3) सूचना की निर्बाध उपलब्धि के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय को सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना चाहिए। उसे सभी नागरिकों को सभी प्रकार की सूचना प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध करानी चाहिए; स्थानीय उद्यमों, संघों तथा स्थानीय अभिरुचि समूहों से संबंधित सूचना उपलब्ध करानी चाहिए; स्थानीय इतिहास तथा सामुदायिक सूचना सेवा का विकास करना चाहिए; राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए; तथा अपनी सेवा में सटीकता एवं कार्यक्षमता सुनिश्चित करने तथा सेवा में गति लाने के लिए कम्प्यूटर कौशल का उपयोग करना चाहिए।

(4) विकासशील समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों को सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना चाहिए; विभिन्न रूपों में उपलब्ध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का अभिगम सुनिश्चित करना चाहिए; अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए; और सांस्कृतिक विविधता एवं मौखिक-परंपरा को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(5) भारत जैसे संघीय देश में राज्यों में द्वि-स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की आवश्यकता है। एक, जो राज्य स्तर पर शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करे; और दूसरी, जो जिला स्तर पर कार्य करे और आवश्यक अवसंरचना के द्वारा अपनी गतिविधियों का ग्रामीण स्तर पर विस्तार करे।

(6) इस बात की अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य में स्थापित सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक व्यापक पुस्तक चयन नीति बनायेगी। सार्वजनिक पुस्तकालयों को मल्टीमीडिया (Multimedia) सहित सभी प्रकार के प्रलेखों का अधिग्रहण करना चाहिए।

(7) समुचित एवं पर्याप्त मानव-संसाधन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को राज्य पुस्तकालय तथा सूचना सेवा संवर्ग तथा अधीनस्थ सेवा-एकक का गठन करना चाहिए। उक्त सेवाओं के भर्ती-नियम तथा सेवाशर्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार होने चाहिए।

(8) पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा, राज्य सरकार शिक्षा-अधिकर इत्यादि की तर्ज पर पुस्तकालय अधिकर लगाए। स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अधिकर किसी भी वस्तु या सामग्री, जैसे-गृहकर, संपत्ति कर, वाहन कर इत्यादि के ऊपर अधिभार के रूप लगाया जा सकता है।

NOTES

(9) सरकार द्वारा स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक संस्थानों, महिला मण्डलों, इत्यादि द्वारा संचालित पुस्तकालयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के प्रारूप में सम्मिलित की जाने वाली उपरिलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य तथा संघ-शासित प्रदेश में एक व्यापक पुस्तकालय अधिनियम लागू करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. भारत में पुस्तकालयों का विकास आधुनिक पद्धति के अनुरूप क्यों नहीं हो सका है?

....

....

....

....

4. पुस्तकालय अधिनियम : उद्देश्य तथा आवश्यकता

सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थानीय सूचना केन्द्र के रूप में ज्ञान के स्रोत जन-जन को उपलब्ध कराने का कार्य करना चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय को नव-शिक्षितों, अर्ध-शिक्षितों, तथा पुस्तकालय का उपयोग नहीं करने वालों को भी अपना पाठक बनाना चाहिए तथा ज्ञान एवं सूचना उपलब्ध करा कर नागरिकों की सेवा करनी चाहिए।

पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि किसी समाज तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समृद्धि तथा विकास मौलिक मानवीय मूल्य हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों के उपयोग द्वारा सूचना-संपन्न नागरिक इन मूल्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हैं। संपूर्ण विश्व की यह मान्यता है कि अपने क्षेत्र में शिक्षा तथा निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करना राष्ट्रीय, राज्य, तथा स्थानीय सरकारों का दायित्व है। सार्वजनिक पुस्तकालय वस्तुतः लोक-विश्वविद्यालय भी होते हैं।

हमारे देश में अधिसंख्यक सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना हुई है। इनमें से अनेक पुस्तकालय स्थानीय निकायों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा कुछ अन्य पुस्तकालय सशुल्क पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन निम्नलिखित कारणों से इन पुस्तकालयों का विकास आधुनिक पद्धति के अनुरूप नहीं हो पाया है :

(1) इनमें से अधिकांश पुस्तकालय स्वैच्छिक प्रयासों से प्रारंभ किए गए थे और लोगों की सूचना आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनके वित्तीय साधन अत्यल्प थे ;

(2) शुल्क द्वारा प्राप्त धनराशि या नागरिकों द्वारा प्राप्त दान-राशि इतनी कम होती थी कि उससे समुचित सेवा प्रदान करना संभव नहीं था ;

(3) इन पुस्तकालयों का अभिशासन तथा प्रबंधन तदर्थ या मनमाने ढंग से होता था, इनकी न कोई सुसंबद्ध संरचना थी न ही इनके पास आधारभूत संसाधन थे ;

(4) इनके द्वारा बहुत सीमित सेवाएँ चलाई जाती थीं, और वे भी केवल सदस्यों को ही प्रदान की जाती थीं ;

(5) वे अस्थायित्व एवं अस्थिरता के वातावरण में कार्य रहे थे और उनके विकास की कोई उम्मीद नहीं थी; तथा

(6) वे अपने संस्थापकों के प्रारंभिक उत्साह के कायम रहने तक ही कार्यशील रहे और उसके बाद धीरे-धीरे लुप्त हो गये।

आधुनिक समय में सार्वजनिक पुस्तकालयों को अपनी सेवाएँ निर्धारित मानकों के अंतर्गत प्रदान करनी चाहिए और इन सेवाओं के मूल में समाज का विकास तथा पुनर्निर्माण होना चाहिए। मात्र व्यक्तिगत वदान्यता से यह संभव नहीं है। पुस्तकालय सेवा के लिए अपेक्षित आय-स्रोत की निरंतरता बनाये रखने के लिए पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय नेतृत्व, लोक नेता तथा विद्वान यह मानते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना तथा विकास के लिए सार्वजनिक कानून बनाना एकमात्र उपाय है। एडवर्ड एडवर्डस् (Edward Edwards), डॉ. एस. आर. रंगनाथन, तथा अन्य दूरदृष्टा और अग्रणी व्यक्तियों ने अपने-अपने देश में पुस्तकालय अधिनियम के लिए अथक परिश्रम किये। सन् 1994 में यूनेस्को द्वारा जारी किए गए (संशोधित) पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि "सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना तथा विकास स्थानीय तथा राष्ट्रीय प्राधिकरणों का दायित्व है। ये पुस्तकालय विशेष अधिनियमों द्वारा समर्थित और तथा स्थानीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित होने चाहिए।" अतः सार्वजनिक पुस्तकालयों का भरण-पोषण कुशलतापूर्वक एवं स्थायी रूप में करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनकी स्पंदनशील एवं एकीकृत सेवाओं में एकरूपता बनी रहे। केवल प्रशासनिक आदेश जारी कर किसी प्रणाली, चाहे वह जितनी भी उत्तम क्यों न हो, को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता और न ही प्रशासनिक आदेश से पुस्तकालय कार्य एवं सेवा के लिए आर्थिक-स्रोत विकसित किए जा सकते हैं। पुस्तकालयों की बढ़ती हुई आवश्यकता तथा प्रलेखों की कीमतों में वृद्धि के कारण पुस्तकालयों की वित्त-व्यवस्था का कार्य और भी दुरूह हो गया है। अतः पुस्तकालय सेवाओं, जिनकी कोटियाँ और मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, के लिए समुचित धनराशि की व्यवस्था पुस्तकालय अधिनियम तथा पुस्तकालय अधिकार (cess) द्वारा ही संभव है।

पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता के कारणों को संक्षिप्त रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है :

(1) इसके आधार पर कार्यकारी अधिकार से संपन्न एक समुचित प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षक निकाय का गठन किया जाएगा;

(2) इसके आधार पर राज्य एवं जिला स्तर पर और दूर-दराज के गाँवों तक सभी नागरिकों द्वारा निःशुल्क उपयोग के लिए एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय प्रणाली का गठन किया जाएगा;

(3) इसके आधार पर पुस्तकालयों को एक स्थायी तथा सुदृढ़ वित्तीय-स्रोत उपलब्ध होगा;

(4) इसके अंतर्गत मानकों पर आधारित पुस्तकालय सेवाएँ चलाई जाएँगी; तथा

(5) यह उद्देश्य पूर्ति के साथ उत्तरदायित्व का निर्वाह भी करेगा।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जनसमूह की ज्ञानार्जन संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की निर्णायक भूमिका होती है।

केवल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा ही सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है, उसे कायम रखा तथा विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार, सारे नागरिकों को आधुनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने वाली, सुदृढ़ आर्थिक स्रोत पर आधारित, तथा समुचित रीति से अभिशासित एवं प्रबंधित पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना केवल पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से ही की जा सकती है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता के क्या कारण हैं ?

....

....

....

....

NOTES

5. पुस्तकालय अधिनियम के घटक

भारतीय परिस्थितियों में संचालित सार्वजनिक पुस्तकालय के निम्नलिखित घटक होने चाहिए:

(1) अधिनियमों के आमुख या प्रस्तावना (PREAMBLE) में पुस्तकालय अधिनियम का सुनिश्चित प्रतिपादन होना चाहिए, अतः इसे सुव्यक्त और सुस्पष्ट होना चाहिए।

(2) **राज्य स्तरीय प्राधिकरण :** अधिनियम में राज्य स्तर पर, राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के रूप में एक परिषद् (Board) के गठन का प्रावधान होना चाहिए।

पुस्तकालय के प्रभारी मंत्री को राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए तथा राज्य में अधिनियम कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। राज्य में गठित विभिन्न स्तरों के पुस्तकालय प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी पुस्तकालय सेवा चला रहे हैं तथा ये प्राधिकरण अपने निर्धारित कार्यों को पूरा कर रहे हैं-इसका पर्यवेक्षण करना तथा इन सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कदम उठाना भी राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य है। राज्य के सभी नागरिकों को व्यापक एवं सक्षम पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करना, उसके लिए आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराना तथा उसका प्रशासन करना भी राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य हैं।

(3) **राज्य का मुख्य कार्यकारी :** इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी होगा जो सूचना विज्ञान क्षेत्र का व्यावसायिक व्यक्ति होगा। राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के निर्देशन में निदेशक राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करेगा।

(4) **पुस्तकालयों का नेटवर्क :** अधिनियम में पुस्तकालयों की स्थापना तथा कार्यात्मकता के लिए संरचना का प्रावधान होना चाहिए जिसमें कस्बों तथा गांवों से लेकर शहरों, जनपदों और राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तक के विभिन्न स्तर के पुस्तकालय एक-दूसरे से जुड़े हों।

(5) **वित्तीय प्रावधान :** अधिनियम में पुस्तकालयों के समुचित विकास के लिए नियमित वित्तीय-स्रोतों का उल्लेख होना चाहिए और समस्त संभावित स्रोतों में पुस्तकालय अधिकर एकत्र करने का प्रावधान होना चाहिए। भारत में पुस्तकालय अधिनियम के प्रवर्तक डॉ. एस.आर. रंगनाथन ने मॉडल ऐक्ट में पुस्तकालय अधिकर की हिमायत की है। अपने जीवन में बनाए गए सभी अधिनियमों के प्रारूपों में उन्होंने पुस्तकालय अधिकर का प्रावधान सम्मिलित किया था। श्री.के.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक पुस्तकालयों की सलाहकार समिति ने इस विषय का परीक्षण कर यह अभिमत दिया कि पुस्तकालय अधिकर के विरोध में दृढ़ धारणा होते हुए भी समिति इस निर्णय पर पहुँची है कि केवल पुस्तकालय अधिकर के द्वारा ही पुस्तकालयों को स्थायी वित्तीय आधार उपलब्ध कराया जा सकता है। हमें इस सत्य को मान्यता देनी ही होगी कि किसी अभिकरण या सत्ता के सुनियोजित और सुसंबद्ध विकास के लिए सुदृढ़ एवं नियमित वित्तीय स्रोतों का होना

आवश्यक है। अतः पुस्तकालयों के सुनियोजित एवं सुसंबद्ध विकास के लिए पुस्तकालय अधि कर लगाना अत्यंत आवश्यक है।

(6) **कर्मचारी :** अधिनियम में राज्य पुस्तकालय सेवा के एक संवर्ग की स्थापना का प्रावधान होना चाहिए। इस सेवा के सारे सदस्यों को राजकीय कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, तथा उनकी नियुक्ति के नियमों तथा सेवा-शर्तों को भारत के संविधान की धारा 309 के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

(7) **जवाबदेही :** सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के कार्यकलापों तथा आय-व्यय का सरकारी ऑडिट के नियमानुसार निरीक्षण तथा पर्यवेषण किया जाएगा।

(8) **पुस्तक पंजीकरण :** राज्य में प्रकाशित पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए विधि-सम्मत निक्षेपण नियम का प्रावधान होना चाहिए।

(9) **नियम:** सारे संबंधित कार्यालयों, कर्मचारियों और अनुभागों के प्रशासन, नियंत्रण तथा कार्यात्मकता के लिए राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा नियम बनाए जाने चाहिए।

इस प्रकार, यदि आप मॉडल पुस्तकालय ऐक्ट का निरीक्षण करें तो आप देखेंगे कि यह व्यापक कार्य कलाप सम्मिलित किए हुए हैं। अगर विश्लेषण करें तो आप पाएँगे कि 'मॉडल पुस्तकालय ऐक्ट' पर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्रों का प्रचुर प्रभाव है। ये सूत्र हैं :

- पुस्तकें उपयोग के लिए हैं (Books are for use)
- प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक (Every Book his/her Reader)
- प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक (Every reader his/her book)
- पाठक का समय बचाएँ (Save the time of the Reader)
- पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक-तंत्र है (Library is a Growing Organism)

ये सूत्र पुस्तकालय के व्यावसायिक क्रियाकलापों का सारगर्भित विवरण मात्र ही नहीं प्रस्तुत करते बल्कि पुस्तकालयों के समुचित प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश भी देते हैं।

6. मॉडल ऐक्ट/बिल

पिछले सत्तर वर्षों में भारत में समय-समय पर पाँच पब्लिक लाइब्रेरिज ऐक्ट के प्रारूप बनाए गए हैं :

क्र.सं.	ऐक्ट का शीर्ष	लेखक	वर्ष
(1)	मॉडल यूनियन लाइब्रेरी ऐक्ट (Model Union Library Bill) (स्टेट लेवल)	डॉ.एस.आर.रंगनाथन	1951
(2)	मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट (MODEL LIBRARY ACT)	डॉ. एस.आर. रंनाथान (1972 तक अनेक बार संशोधित)	1930-1972
(3)	मॉडल लाइब्रेरिज बिल (Model Public Libraries Bill)	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	1963
(4)	मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज बिल (Model Public Libraries Bill)	योजना आयोग, भारत सरकार	1963

NOTES

(5)	मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एण्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऐक्ट (Model Public Library and Information Services Act)	डॉ. वी. वेंकटपैया (भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा प्रायोजित)	1989 (1995 में संशोधित

'मॉडल ऐक्ट' (Model Act) तथा 'मॉडल बिल' (Model Bill) पद इस अध्याय में एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। मॉडल बिल/ऐक्ट के ऊपर कुछ और जानकारी नीचे दी गई है।

6.1 मॉडल यूनियन लाइब्रेरी ऐक्ट

नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की संभावना पर विचार करने के लिए सन् 1948 में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की। डॉ. रंगनाथन ने इस समिति के सदस्य के रूप में दि लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान-थर्टी इयर प्रोग्राम फॉर इण्डिया, विद ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल्स फॉर यूनियन एण्ड कॉस्टीट्युएंट स्टेट्स (The Library Development PlanThirty Year Programme for India-with Draft Library Bills for Union And Constituent States) का प्रारूप तैयार किया। 'यूनियन लाइब्रेरी बिल' (Union Library Bill) इसी प्रलेख में दिया गया है।

मॉडल यूनियन लाइब्रेरिज ऐक्ट की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन;

(2) राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालयों की प्रणाली, अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार पुस्तकालय की स्थापना;

(3) इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों, के ऊपर राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति की स्थापना;

(4) 'राष्ट्रीय पुस्तकालय कोष' का गठन;

(5) पुस्तक तथा समाचार पत्र प्रदाय अधिनियम (1954) में संशोधन।

परंतु, राष्ट्रीय सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय खोलने तथा संघीय पुस्तकालय अधिनियम (Union Library Act) पारित करने में रुचि नहीं दिखाई। संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान में संशोधन किए बिना एक संघीय पुस्तकालय विधेयक पारित करना संभव नहीं है क्योंकि संविधान में पुस्तकालय तथा शिक्षा विषय प्रारंभ में राज्य सूची में सम्मिलित किये गये थे। संविधान के बयालीसवें संशोधन के द्वारा 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से निकाल दिया गया और संगामी सूची (concurrent list) में सम्मिलित किया गया, परन्तु पुस्तकालय का विषय राज्य में ही रहा। अगर संघीय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय अधिनियम लाना चाहती है तो संविधान में संशोधन कर पुस्तकालय विषय को राज्य सूची से हटाकर संगामी सूची में लाना होगा। तब तक पुस्तकालयों के लिए एक संघीय अधिनियम लागू करने के ऊपर विचार करना संभव नहीं है।

6.2 डॉ. रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट

डॉ. रंगनाथन ने सन् 1930 में आल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेन्स (All Asia Educational Conference), बनारस में, 'मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट' (Model Library Act) के ऊपर एक लेख प्रस्तुत किया और बाद में उन्होंने इसे 'मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज ऐक्ट' (Model Public Libraries Act) के रूप में संशोधित किया। इस मॉडल ऐक्ट को पश्चिम बंगाल मे सन् 1931 में तथा मद्रास मे सन् 1933 में लागू करने के प्रयास किये गये। परन्तु इसमें कुछ ऐसे अनविार्य प्रावधान थे जिनके कारण इसे अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया जा सका। इस मॉडल ऐक्ट की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) आदर्श पुस्तकालय अधिनियम द्वारा शहरों, गांवों और अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी।

(2) राज्य का शिक्षा मंत्री, राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण (State Library Authority) के रूप में कार्य करेगा। राज्य में पर्याप्त पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व होगा।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण को परामर्श देने के लिए राज्य पुस्तकालय समिति का गठन किया जाएगा।

(4) प्रत्येक शहर और प्रत्येक जिले के लिए एक-एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण (LLA: Local Library Authority) का गठन।

(5) राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण और सरकार, तथा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण समय-समय पर निश्चित किए गए दर से पुस्तकालय अधिकर का निर्धारण एवं उसकी वसूली करेंगे।

6.3 शिक्षा मंत्रालय का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज बिल

पुस्तकालय सलाहकार समिति (1958) की संतुति के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डॉ. एम.डी. सेन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने सन् 1963 में एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज बिल (Model Public Libraries Bill) बनाया। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :

(1) पुस्तकालयों के विकास से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में एक राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण (State Library Authority) का गठन।

(2) पुस्तकालय प्रणाली के निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए राज्य पुस्तकालय निदेशालय का गठन।

(3) प्रत्येक जिले में जिला पुस्तकालय समिति का गठन।

(4) पुस्तकालय कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा।

(5) गृह कर तथा संपत्ति कर पर 6 पैसा प्रति रुपये की दर से पुस्तकालय अधिकर की वसूली।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. मॉडल यूनियन लाइब्रेरीज एक्ट की मुख्य विशेषताएँ बताइए।

....

....

....

....

6.4 योजना आयोग का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज बिल

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार के योजना आयोग ने पुस्तकालय विकास पर सलाह देने के लिए पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह (Working Group) का गठन किया। इस कार्यकारी समूह ने चौथी योजना काल में एक पुस्तकालय विकास योजना लागू करने की सिफारिश की और इसे लागू करने के लिए 30 करोड़ नब्बे लाख रुपयों की संतुति की। इस योजना अवधि में नए पुस्तकालयों की स्थापना, तथा विद्यमान पुस्तकालयों के रख-रखाव तथा विकास के ऊपर इस धन को खर्च करने का विचार था।

NOTES

कार्यकारी समूह ने अपना प्रतिवेदन सन् 1965 में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के साथ एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज बिल (Model Public Libraries Bill) संलग्न किया गया था जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

(1) प्रत्येक राज्य में पर्याप्त तथा एकीकृत सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की स्थापना, रख-रखाव और विकास।

(2) सेवा के मानक निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन।

(3) पुस्तकालय सेवाओं के उन्नयन तथा विकास के ऊपर सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन।

(4) राज्य में पुस्तकालय प्रणाली के नियंत्रण, निर्देशन, तथा पर्यवेक्षण के लिए राज्य पुस्तकालय निदेशालय का गठन।

(5) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, राज्य क्षेत्रीय पुस्तकालय (मात्र द्विभाषा-भाषी राज्यों में), और जिला पुस्तकालय प्रणाली को समाहित करने वाली सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना।

(6) इस प्रणाली में कार्यरत सभी कर्मचारियों को राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा।

(7) इस 'मॉडल बिल' में पुस्तकालय अधिकर का प्रावधान नहीं है परंतु राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का पोषण राज्य सरकार का दायित्व माना गया है।

6.5 मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन सर्विसेज ऐक्ट

सन् 1989 में भारतीय पुस्तकालय संघ (Indian Library Association) के अनुरोध पर डॉ. वेंकटापैया ने आधुनिक विकास तथा अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रारूप तैयार किया। नई दिल्ली में हुए पुस्तकालय अधिनियम के ऊपर राष्ट्रीय संगोष्ठी (National Seminar on Library Legislation) में इस आदर्श अधिनियम पर विचार-विमर्श किया गया।

देश में हुए नवीन विकासों-जैसे नवीन पंचायत एवं नगरपालिका अधिनियम, सन् 1992 में भारतीय संविधान में किये गए संशोधन, सन् 1994 में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनीफेस्टो के संशोधित संस्करण का प्रकाशन, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सभी स्तरों पर सूचना की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डॉ. वेंक्टापैय्या द्वारा तैयार किए गए पहले वाले मॉडल ऐक्ट (Model Act) को आदर्श पुस्तकालय एवं सूचना सेवा अधिनियम (Model Library and Information Sevices Act) के रूप में संशोधित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) राज्य-नीति पर आधारित राज्य पुस्तकालय तथा सूचना सेवा।

(2) शीर्ष स्तर पर पुस्तकालय मंत्री की अध्यक्षता में नीति निर्धारण तथा कार्यकारी निकाय के रूप में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन।

(3) प्रशासन को सुचारु बनाने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना।

(4) जिला स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए नगर तथा जिला पुस्तकालय प्राधिकरणों का गठन।

(5) राज्य स्तर से गाँव स्तर तक सार्वजनिक पुस्तकालय तथा सूचना सेवा के नेटवर्क की स्थापना।

(6) राज्य पुस्तकालय एवं सूचना सेवा का गठन।

(7) गृहकर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर, व्यवसाय कर वाहन कर इत्यादि के ऊपर पुस्तकालय अधिकर की वसूली।

(8) शिक्षा, पुस्तक प्रकाशन, समन्वयन इत्यादि के लिए राज्य स्तर पर परिषदों (Boards) का गठन।

(9) सार्वजनिक व्यय तथा सेवाओं का दायित्व-निर्धारण।

आदर्श अधिनियमों का प्रभाव

सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक को पश्चिम बंगाल तथा मद्रास में लागू करने के प्रयास किए गए थे। परंतु वित्त से संबंधित कुछ अनिवार्य प्रावधानों के कारण अधिनियम पारित नहीं हो सके। स्वतंत्रता के बाद मद्रास (1948), हैदराबाद (1955), आन्ध्र प्रदेश (1960), कर्नाटक (1963) महाराष्ट्र, (1965), पश्चिम बंगाल (1979), मणिपुर (1988), केरल (1989), हरियाणा (1989), मिजोरम (1993), तथा गोवा (1994), में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए। डॉ. एस.आर. रंगनाथन के मॉडल ऐक्ट से इन अधिनियमों में कुछ हद तक संरचनात्मक साम्यता है। भारत के इन राज्यों में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों पर शिक्षा-मंत्रालय तथा योजना आयोग के मॉडल बिलों का प्रभाव लक्षित नहीं होता है। भारतीय पुस्तकालय संघ ने मॉडल ऐक्ट सभी राज्यों में भेजा था।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. डॉ. रंगनाथन के मॉडल लाइब्रेरी एक्ट की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

....

....

....

....

7. सारांश

हमने इस अध्याय में आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा की है :

(1) सार्वजनिक पुस्तकालय तथा सूचना सेवा के लिए राज्य-नीति की आवश्यकता;

(2) सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना के लिए पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता;

(3) सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क निर्माण की विभिन्न पद्धतियाँ;

(4) निरन्तर तथा सुचारु सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की स्थापना की विधियाँ;

(5) आदर्श सार्वजनिक अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ।

(6) आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की मुख्य संरचना तथा सूचना से संबंधित अन्य प्रमुख तत्व जिनका इस प्रकार के अधिनियम में प्रावधान होना चाहिए तथा

(7) आदर्श अधिनियमों/विधेयकों का तुलनात्मक अध्ययन।

NOTES

8. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. हमारे देश में अधिसंख्यक सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना हुई है। इनमें से अनेक पुस्तकालय स्थानीय निकायों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा कुछ अन्य पुस्तकालय सशुल्क पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन निम्नलिखित कारणों से इन पुस्तकालयों का विकास आधुनिक पद्धति के अनुरूप नहीं हो पाया है :

   (1) इनमें से अधिकांश पुस्तकालय स्वैच्छिक प्रयासों से प्रारंभ किए गए थे और लोगों की सूचना आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनके वित्तीय साधन अत्यल्प थे ;

   (2) शुल्क द्वारा प्राप्त धनराशि या नागरिकों द्वारा प्राप्त दान-राशि इतनी कम होती थी कि उससे समुचित सेवा प्रदान करना संभव नहीं था ;

   (3) इन पुस्तकालयों का अभिशासन तथा प्रबंधन तदर्थ या मनमाने ढंग से होता था, इनकी न कोई सुसंबद्ध संरचना थी न ही इनके पास आधारभूत संसाधन थे ;

   (4) इनके द्वारा बहुत सीमित सेवाएँ चलाई जाती थीं, और वे भी केवल सदस्यों को ही प्रदान की जाती थीं ;

   (5) वे अस्थायित्व एवं अस्थिरता के वातावरण में कार्य रहे थे और उनके विकास की कोई उम्मीद नहीं थी; तथा

   (6) वे अपने संस्थापकों के प्रारंभिक उत्साह के कायम रहने तक ही कार्यशील रहे और उसके बाद धीरे-धीरे लुप्त हो गये।

2. पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता के कारणों को संक्षिप्त रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है:

   (1) इसके आधार पर कार्यकारी अधिकार से संपन्न एक समुचित प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षक निकाय का गठन किया जाएगा;

   (2) इसके आधार पर राज्य एवं जिला स्तर पर और दूर-दराज के गाँवों तक सभी नागरिकों द्वारा निःशुल्क उपयोग के लिए एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय प्रणाली का गठन किया जाएगा;

   (3) इसके आधार पर पुस्तकालयों को एक स्थायी तथा सुदृढ़ वित्तीय-स्रोत उपलब्ध होगा;

   (4) इसके अंतर्गत मानकों पर आधारित पुस्तकालय सेवाएँ चलाई जाएँगी; तथा

   (5) यह उद्देश्य पूर्ति के साथ उत्तरदायित्व का निर्वाह भी करेगा।

3. मॉडल यूनियन लाइब्रेरिज ऐक्ट की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

   (1) राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन;

   (2) राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालयों की प्रणाली, अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार पुस्तकालय की स्थापना;

   (3) इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों, के ऊपर राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति की स्थापना;

   (4) 'राष्ट्रीय पुस्तकालय कोष' का गठन;

   (5) पुस्तक तथा समाचार पत्र प्रदाय अधिनियम (1954) में संशोधन।

4. डॉ. रंगनाथन ने सन् 1930 में आल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेन्स (All Asia Educational Conference), बनारस में, 'मॉडल लाइब्रेरी ऐक्ट' (Model Library Act) के ऊपर एक लेख प्रस्तुत किया और बाद में उन्होंने इसे 'मॉडल पब्लिक लाइब्रेरिज ऐक्ट' (Model Public Libraries Act) के रूप में संशोधित किया। इस मॉडल ऐक्ट को पश्चिम बंगाल मे सन् 1931 में तथा मद्रास मे सन् 1933 में लागू करने के प्रयास किये गये। परन्तु इसमें कुछ ऐसे अनिवार्य प्रावधान थे जिनके कारण इसे अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया जा सका। इस मॉडल ऐक्ट की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) आदर्श पुस्तकालय अधिनियम द्वारा शहरों, गांवों और अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी।

(2) राज्य का शिक्षा मंत्री, राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण (State Library Authority) के रूप में कार्य करेगा। राज्य में पर्याप्त पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व होगा।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण को परामर्श देने के लिए राज्य पुस्तकालय समिति का गठन किया जाएगा।

(4) प्रत्येक शहर और प्रत्येक जिले के लिए एक-एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण (LLA: Local Library Authority) का गठन।

(5) राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण और सरकार, तथा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण समय-समय पर निश्चित किए गए दर से पुस्तकालय अधिकर का निर्धारण एवं उसकी वसूली करेंगे।

9. मुख्य शब्द

त्रिज्यक (Radial)	:	केन्द्र से बाहर की ओर जाना अथवा वृत्त से अंदर की ओर अर्धव्यास के साथ आना।
नेटवर्क (Network)	:	परस्पर-संबंधित तथा परस्पर-जुड़ी हुई कड़ियों की ऐसी शृंखला जो एक पूर्ण-सत्ता का निर्माण करे।
नोड (Nodes)	:	संघटक अवयवों का केन्द्र या केन्द्रीय अंग।
पदानुक्रमिक नि:श्रेणी (Hierarchical Tiers)	:	संगठनात्मक संरचना की ऐसी प्रणाली जिसे एक के ऊपर दूसरा के सिद्धांत के आधार पर गठित किया गया हो।
प्राधिकरण (Authority)	:	कार्यकारी अधिकारों से युक्त एक वैधानक निकाय।
मॉडल ऐक्ट/बिल (Model Act/Bill)	:	विधेयक बनाने या उसे विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया एक मार्गदर्शक प्रलेख।

10. अभ्यास-प्रश्न

1. पुस्तकालयों एवं सूचना-सेवाओं के लिए राज्य की नीति की समीक्षा कीजिए।
2. पुस्तकालय अधिनियम के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
3. पुस्तकालय अधिनियम के विविध घटकों का वर्णन कीजिए।
4. शिक्षा मंत्रालय के मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल की समीक्षा कीजिए।
5. योजना आयोग के मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल की विवेचना कीजिए।

NOTES

11. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

Ekbote, Gopal Rao (1987). Public Libraries System. Hyderabad : Ekbote Brothers.

Mittal R.L. (1971). Public Library Low : An International Survey. New Delhi : Metropolitan Publishing Co.

Ranganathan, S.R. (1953). Library Legislation. Hand Book to Madras Library Act. Madras : Madras Library Association.

Ranganathan, S.R. and Neelameghan A. (eds). (1972). Public Library System: India, Srilanka, UK, USA, Comparative Library Legislation. Bangalore : Sarada Ranganathan Endowment for Library Science.

Rath .P.K (1996). Public Library Finance. New Delhi : Pratibha Prakashan. Venkatappaiah, Velaga (1990). Indian Library Legislation. New Delhi : Daya Publishing House, 2 Vols.

Venatappaiah, Velaga (1994). Model Library Legislation. New Delhi : Concept Publishing Co.

Venkatappaiah, Velaga (1995). Model State Library Policy and Legislation (For the States and Union Territories). Delhi : Indian Library Assocation

शर्मा, पाण्डेय एस.के (1998)। पुस्तकालय और समाज। दिल्ली : ग्रन्थ अकादमी।

अध्याय-10

भारतीय राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम और उनकी प्रमुख विशेषताएँ

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. विभिन्न राज्यों के अधिनियमों का अध्ययन
   3.1 मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948
   3.2 आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960
   3.3 कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1965
   3.4 महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1967
   3.5 पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979
   3.6 मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1988
   3.7 केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989
   3.8 हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989
   3.9 मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993
   3.10 गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1994
4. अधिनियमों का तुलनात्मक अध्ययन
   4.1 पुस्तकालयों तक सार्वजनिक पहुँच
   4.2 वित्तीय प्रावधान
   4.3 मानव संसाधन
   4.4 अभिशासन
5. सामान्य टिप्पणी
6. सार-संक्षेप
7. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
8. अभ्यास-प्रश्न
9. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

अध्याय 9 में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम के विविध आयामों और इसकी प्रमुख विशेषताओं से आपका परिचय कराया गया है। इस अध्याय में हम भारत के दस राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों से आपका परिचय करा रहे हैं। भारत के इन दस राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम का पारण हो चुका है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मिजोरम, तथा गोवा।

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :

- सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के प्रबंधन, अभिशासन, संरचना, वित्त व्यवस्था तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्याख्या कर सकेंगे ;
- पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार की पुस्तकालय सेवाएँ चला सकेंगे ;
- विभिन्न अधिनियमों के उपरिलिखित पाँच पक्षों के वैविध्य को पहचान सकेंगे; तथा
- दस राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों की मुख्य विशेषताओं की चर्चा तथा वर्णन कर सकेंगे।

2. परिचय

अध्याय 9 में, हमने पुस्तकालय अधिनियम के कुछ मुख्य पहलुओं की चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान हमने आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों की प्रमुख विशेषताओं पर भी विस्तृत चर्चा की है। इस अध्याय में भारत के दस राज्यों: तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मिजोरम, तथा गोवा में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे।

इस अध्याय में इन अधिनियमों में सम्मिलित किये गये सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के मुख्य प्रावधानों, जैसे ज्ञानार्जन की सामग्री का निर्बाध अभिगम, संस्थागत संरचना की स्थापना, नीति निर्धारण, निर्णय लेने, वित्त व्यवस्था, नियुक्ति तथा प्रतिपुष्टि (Feedback) के लिए परामर्श देने के लिए सलाहकार परिषद् के गठन इत्यादि की चर्चा की गई है। इन राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों के संदर्भ में इन सभी पहलुओं की व्याख्या की गई है।

इसके अध्याय में उपरिलिखित ऊपर दिये गये प्रकरणों के संदर्भ में इन दस अधिनियमों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इन प्रावधानों का उनके संचालन, उनकी सबलता, तथा दुर्बलता के संदर्भ में भी अध्ययन किया गया है। यद्यपि दस राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम का पारण हो चुका है, उनमें से केवल पाँच राज्यों में ही इन्हें क्रियान्वित और वास्तविक अर्थ में लागू किया जा सका है। इसलिए कुछ क्षेत्रों में यह अध्ययन उन पाँच राज्यों के कार्य-आकलन पर आधारित है।

3. अधिनियमों का अध्ययन

भारत के दस राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। इनकी काल क्रमानुसार सारणी निम्नलिखित है :

(1) तमिलनाडु

(पहले इसका नाम था : मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (Madras Public Libraries Act, 1948)

(2) आन्ध्र प्रदेश

(हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1955 (Hyderabad Public Libraries Act, 1955। राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसका विलय आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960 में हो गया)

(3) कर्नाटक

(कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1965)

(4) महाराष्ट्र

(कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमं सन् 1945 में बना था। राज्यों के पुनर्गठन के बाद कोल्हापुर राज्य का महाराष्ट्र राज्य में विलय हो गया। महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, को 1967 में लागू किया गया।)

(5) पश्चिम बंगाल

(पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979)

(6) मणिपुर

(मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1988)

(7) केरल

(केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989)

(8) हरियाणा

(हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989)

(9) मिजोरम

(मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993)

(10) गोवा

(गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1994)

इन अधिनियमों में दिए गए, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के मुख्य प्रावधानों की चर्चा यहाँ की गई है। जैसा पहले कहा गया है, पुस्तकालय अधिनियम में निम्नलिखित पाँच बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए :

(क) सभी वर्ग के लोगों को सूचना उपलब्ध कराना, अर्थात् पुस्तकालयों तक सार्वजनिक पहुँच;

(ख) प्रलेख उपलब्ध कराने, उनकी देख-रेख तथा संरक्षण के लिए संस्थागत नेटवर्क की स्थापना, अर्थात् आवश्यक अवसंरचना का विकास;

(ग) नीति निर्धारण, निर्णय लेने तथा सेवाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में दिशा-निर्देश देने के लिए समितियों का गठन, अर्थात् एक समुचित अभिशासन प्रणाली की स्थापना;

(घ) वित्तीय प्रावधान तथा खर्च करने की विधि ;

(ङ.) विभिन्न सार्वजनिक पुस्तकालयों की गतिविधियों के प्रतिवेदन की प्रणाली की व्यवस्था।

अगले अनुच्छेदों में हम इन दसों अधिनियमों में इन पाँचों प्रमुख विशेषताओं की विस्तृत चर्चा करेंगे तथा इन अधिनियमों में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के प्रावधानों का वर्णन करेंगे।

NOTES

3.1 मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948

मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम स्वतंत्र भारत में अपने तरह का पहला अधिनियम है। इस अधिनियम ने पूर्ववर्ती मद्रास राज्य (नवंबर 1956 से पहले) तथा तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का आधार उपलब्ध कराया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :

(1) यह अधिनियम राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करने की सुविधा प्रदान करता है।

(2) पुस्तकालय से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए एक राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान।

(3) सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान (इसके लिए 1972 से अलग विभाग बना दिया गया)।

(4) मद्रास शहर के प्रत्येक जिले के लिए एक-एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन। जिला पुस्तकालय अधिकारी, स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का पदेन सचिव होता है।

(5) प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण सम्पत्ति कर तथा गृहकर पर पाँच पैसे प्रति रुपया की दर से पुस्तकालय अधिकर वसूल करेगा। सिवाय मद्रास के, प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण को उसके द्वारा वसूले गए पुस्तकालय अधिकर के बराबर की राशि राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी।

(6) कोन्नेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय (Connemara Public Library), मद्रास को तमिलनाडु के राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया।

(7) इस बात की घोषणा कि पुस्तकालय सरकारी सहायता के पात्र हैं।

(8) इस अधिनियम में प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ऐक्ट (Press and Registration of Books Act), 1867 के अनुच्छेद 9 तथा सेंट्रल ऐक्ट (Central Act), XXV, 1867 को संशोधित कर यह प्रावधान किया गया कि प्रदेश स्थित प्रत्येक मुद्रक अपनी प्रत्येक पुस्तक की पाँच प्रतियाँ राजय सरकार को देगा जिनमें से चार प्रतियाँ राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय मद्रास में जमा की जाएँगी।

3.2 आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960

सन् 1956 में जब संयुक्त मद्रास राज्य के आन्ध्र के क्षेत्र, तथा हैदराबाद राज्य के तेलगाना क्षेत्र को मिलाकर आन्ध्र प्रदेश बना। उस समय आन्ध्र क्षेत्र में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू था। अत: ऐसी स्थिति में जब एक ही राज्य में दो अधिनियम लागू हों तो प्रशासनिक समस्याओं का होना स्वाभाविक था। इस समस्या के समाधान के लिए दोनों अधिनियमों को मिलाकर, सुधार कर तथा अद्यतन कर सन् 1960 में आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बना। इसमें 1964, 1969,1987 तथा 1989 में संशोधन हुए। इन व्यापक संशोधनों के फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश 'ग्रंथालय परिषद' का गठन हुआ जो एक प्रकार से राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का शीर्ष निकाय है। यह अधिनियम मद्रास अधिनियम का उन्नत रूप है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :

(1) वैधानिक अधिकारों और कार्यों से युक्त पुस्तकालयों के शीर्ष निकाय के रूप में आंध्र प्रदेश पुस्तकालय परिषद् का गठन। इसका गठन मनोनीत सदस्यों द्वारा, सरकार द्वारा किया जाता है।

(2) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना।

(3) सरकार द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्य नामित कर प्रत्येक नगर तथा जिले के लिए 'ग्रंन्थालय संस्था' का गठन।

(4) शहर/जिला केन्द्रीय पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष, 'नगर/जिला ग्रंथालय संस्था' के पदेन सचिव का कार्य करेंगे।

(5) गृहकर तथा संपत्ति कर पर आठ पैसे प्रति रुपया तक की दर से स्थानीय निकायों द्वारा पुस्तकालय अधिकर इकट्ठा करने का प्रावधान।

(6) सरकार द्वारा शहर/जिला पुस्तकालय संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के संस्थापनात्मक-व्यय का भुगतान।

(7) सरकार तथा नगर/जिला पुस्तकालय संस्थाओं द्वारा निजी पुस्तकालयों को अनुदान।

यह अधिनियम पूर्व 'मद्रास एक्ट' तथा हैदराबाद ऐक्ट' की तुलना में अधिक कारगर है।

3.3 कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1965

कर्नाटक अधिनियम एक उत्तम अधिनियम है। इस अधिनियम ने कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का नेटवर्क स्थापित करने का द्वार खोला है। इसमें मुम्बई-कर्नाटक क्षेत्र, प्राचीन मैसूर क्षेत्र, हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र, मद्रास-कर्नाटक क्षेत्र तथा कुर्ग-क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

(1) एक कार्पोरेट निकाय के रूप में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रावधान। इसके सदस्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं।

(2) सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए स्वतंत्र विभाग बनाने का प्रावधान, जिसका प्रधान एक पुस्तकालय व्यवसायी होगा।

(3) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के शीर्ष पुस्तकालय के रूप में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान।

(4) नगरों तथा जिलों के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों का गठन।

(5) शाखा तथा ग्रामीण पुस्तकालय सेवा के लिए सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान।

(6) केन्द्रीय तकनीकी प्रक्रियाकरण का प्रावधान।

(7) केन्द्रीयकृत इकाइयों का प्रावधान, जैसे :

  (क) राज्य का कापीराइट-संग्रह

  (ख) दृष्टिहीनों के लिए राजकीय पुस्तकालय

  (ग) राज्य ग्रंथात्मक ब्यूरो इत्यादि।

(8) राज्य के राजस्व के किसी भी मद के ऊपर लगाए गए कर के ऊपर अधिभार के रूप में पुस्तकालय अधिकर लगाने का प्रावधान। जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा वार्षिक अनुदान मिलता है। (जमीन लगान का 3 प्रतिशत)

(9) राज्य पुस्तकालय सेवा प्रारंभ कर पुस्तकालय कर्मचारियों को अन्य राजकीय कर्मचारियों के समरूप सुविधाएँ तथा लाभ दिलाना।

NOTES

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. आन्ध्र प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960 का परिचय दीजिए।

....

....

....

....

3.4 महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1967

महाराष्ट्र राज्य का निर्माण पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तथा राजसी राज्यों, जैसे कोल्हापुर को मिलाकर सन् 1960 में हुआ। यद्यपि, वहाँ पुस्तकालय अधिनियम बनाने के प्रयास 1940 से ही हो रहे थे, परन्तु इस दिशा में सफलता महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाने के बाद सन् 1967 में ही मिल सकी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखत हैं :

(1) सरकार द्वारा राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन। शिक्षा मंत्री परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा। अधिनियम को लागू करने से सम्बन्धित सभी विषयों में राज्य सरकार को यह परिषद् सलाह देगी।

(2) एक पृथक् पुस्तकालय विभाग का गठन तथा इसके निदेशक के रूप में किसी पुस्तकालय व्यवसायी की नियुक्ति।

(3) एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा प्रत्येक प्रमण्डल के लिए एक–एक प्रमण्डल पुस्तकालय की स्थापना।

(4) प्रत्येक जिले के लिए जिला पुस्तकालय समिति का गठन। जिला परिषद् की शिक्षा समिति का अध्यक्ष जिला पुस्तकालय समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। वृहत्तर मुम्बई के लिए महानगर पालिका की शिक्षा समिति का अध्यक्ष पुस्तकालय समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(5) महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय सेवा की स्थापना तथा इस सेवा के सभी सदस्यों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा।

(6) इस अधिनियम में पुस्तकालय अधिकर लगाने का प्रावधान नहीं है, परंतु यह प्रावधान है कि राज्य सरकार पुस्तकालयों के लिए प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय कोष में कम से कम 25 लाख रुपये का अनुदान देगी। सरकार पुस्तकालय कोष के लिए विशेष आर्थिक अनुदान भी दे सकती है।

(7) स्वायत्तशसी संस्थानों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान।

3.5 पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979

एक दशक से अधिक के अन्तराल (महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सन् 1967 में पारित हुआ था) के बाद सन् 1979 में पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बना। यह मद्रास अधिनियम की लगभग प्रतिकृति है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पुस्तकालय अधिकर लगाने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार पुस्तकालयों का रख रखाव सरकारी कोष से करती है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए राज्य के पुस्तकालयों के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन।

(2) राज्य पुस्तकालय परिषद् में पुस्तकालय कर्मचारियों का परिषद् के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व।

(3) सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित विषयों के निदेशन तथा प्रशासन के लिए पुस्तकालय विभाग का गठन।

(4) प्रत्येक जिला के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन।

(5) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के लिए कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान।

(6) सरकार को प्रत्येक जिला में पुस्तकालय अधिकारी तथा जिला पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार। स्थानीय प्राधिकरण से परामर्श कर राज्य सरकार संबंधित जिला (जनपद) में कार्यरत पुस्तकालयों को जिला पुस्तकालयाध्यक्ष के अधीन सौंप सकती है। जिला पुस्तकालयाध्यक्ष स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण के अंतर्गत पुस्तकालय कार्यों का प्रबन्धन करेगा।

(7) पुस्तकालय अधिकर लगाने का प्रावधान नहीं है। स्थानीय पुस्तकालयों का वित्तीय प्रबन्धन स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। पुस्तकालयों के लिए निम्नलिखित वित्तीय-स्रोतों का उल्लेख किया गया है :

(क) अंशदान, उपहार, तथा संस्थागत आय;

(ख) पुस्तकालयों के सामान्य रख-रखाव के लिए अथवा किसी उद्देश्य विशेष के लिए सरकारी अनुदान; और

(ग) अधिनियम अथवा नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा एकत्रित धन।

अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि पुस्तकालयों को राज्य सरकार द्वारा वार्षिक अनुदान के रूप में धन उपलब्ध कराया जाएगा।

3.6 मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1988

मणिपुर अपेक्षाकृत एक लघु राज्य है और भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। यहाँ पुस्तकालय अधिनियम सन् 1988 में पारित हुआ। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) इस अधिनियम से संबंधित सभी विषयों तथा अधिनियम में समय-समय पर निर्धारित किए गए/किए जाने वाले अधिकारों और दायित्वों के ऊपर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य पुस्तकालय समिति का गठन।

(2) सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग के गठन का प्रावधान।

(3) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के लिए कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान।

(4) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था तथा प्रशासन के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में कार्पोरेट (corporate) निकाय के रूप में जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन।

(5) मुख्य रूप से राज्य सरकार के अंशदान से निर्मित 'पुस्तकालय कोष' का गठन।

(6) पुस्तकालय अधिकर नहीं।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1967 की विशेषताएँ बताइए।

....

....

....

....

NOTES

3.7 केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989

केरल अधिनियम दूसरे अन्य अधिनियमों से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन अपने विकेन्द्रीकृत तथा प्रजातांत्रिक स्वरूप के कारण यह अनूठा है। इस अधिनियम की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) केरल राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की व्यवस्था तथा प्रशासन के लिए निम्नलिखित तीन-स्तरीय प्रशासनिक प्रणाली का प्रावधान :

(क) केरल राज्य पुस्तकालय परिषद् (Kerala State Library Council)

(ख) जिला पुस्तकालय परिषद् (District Library Council)

(ग) ताल्लुक पुस्तकालय परिषद् (Taluk Library Union)

(2) राज्य पुस्तकालय परिषद्, जिला-पुस्तकालय परिषदों, तथा ताल्लुक पुस्तकालय संघों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सचिवों, तथा संयुक्त सचिवों का चुनाव होगा और वे अपने क्षेत्र में पुस्तकालयों के प्रशासन और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से जुड़े सभी मामलों में राज्य पुस्तकालय परिषद् राज्य सरकार को परामर्श देगी तथा प्राधिकरण का कार्य भी करेगी।

(4) जिला पुस्तकालय परिषदों तथा ताल्लुक पुस्तकालय परिषदों के कार्यों का समन्वयन राज्य पुस्तकालय परिषद् करेगी तथा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का नियंत्रण करेगी।

(5) त्रिवेन्द्रम पब्लिक लाइब्रेरी (Trivandrum Public Library) को राज्य के राज्य पुस्तकालय का दर्जा।

(6) जिला पुस्तकालय परिषदें अपने-अपने जिलों में पुस्तकालय सेवाओं की देख-रेख, समन्वयन तथा नियन्त्रण करेंगी।

(7) प्रत्येक ताल्लुक में पुस्तकालय सेवा की देख-रेख, समन्वयन तथा नियन्त्रण के अधिकार से युक्त ताल्लुक पुस्तकालय संघ का गठन किया जाएगा। संबद्ध पुस्तकालयों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों तथा प्रशासन में सलाह एवं निर्देश देना भी ताल्लुक पुस्तकालय संघों का कार्य है।

(8) केरल पुस्तकालय संघ का, इसके कर्मचारियों, संपत्ति तथा देनदारी के सहित, राज्य पुस्तकालय परिषद् में विलय।

(9) पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा कॉर्पोरेशनों (corporations) को अपने-अपने अधिक्षेत्रों में भवन कर या संपत्ति कर के ऊपर पुस्तकालय अधिकर लगाने का प्रावधान।

(10) राज्य पुस्तकालय परिषद् द्वारा राज्य पुस्तकालय कोष के नाम से एक कोष स्थापित किया जाएगा। राज्य के राज्य पुस्तकालय परिषद्, जिला पुस्तकालय परिषदों तथा ताल्लुक पुस्तकालय संघों के समस्त व्यय इसी कोष से खर्च किये जाएँगे। राज्य में एकत्रित किया गया पुस्तकालय अधि कर तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार इत्यादि से प्राप्त अनुदान को राज्य पुस्तकालय कोष के खाते में जमा किया जाएगा।

(11) सभी समितियों में सदस्य के रूप में कम से कम एक महिला तथा एक-एक व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से लिए जाएँगे।

यह अधिनियम अधिक कारगर प्रतीत होता है। परन्तु यह कुछ अज्ञात कारणों से अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पाया है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. मणिपुर के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1988 की मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या हैं?

....

....

....

....

3.8 हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989

पंजाब राज्य से कुछ भू-भाग को निकालकर 1966 में हरियाणा राज्य बनाया गया। हरियाणा के अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

(1) राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास से संबंधित सभी विषयों में सरकार को सलाह देने के लिए राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन।

(2) राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य पुस्तकालय निदेशालय का गठन।

(3) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना।

(4) प्रत्येक जिले के लिए जिला पुस्तकालय समिति का गठन।

(5) संबंधित जिला पुस्तकालय समिति द्वारा निर्मित नियमों में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के लिए नगर एवं शहर पुस्तकालय समितियों, और एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए शहर पुस्तकालय समितियों के गठन का प्रावधान।

(6) संबंधित जिला पुस्तकालय समिति द्वारा प्रखण्ड पुस्तकालय समिति तथा पंचायत पुस्तकालय समिति का गठन।

(7) पुस्तकालय सेवा के विकास, सुधार, तथा रख-रखाव के लिए राज्य पुस्तकालय कोष, जिला पुस्तकालय कोष, नगर पुस्तकालय कोष, शहर पुस्तकालय कोष, तथा प्रखण्ड एवं ग्रामीण पुस्तकालय कोष का निर्माण।

(8) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से सम्पत्ति कर तथा गृह कर पर अधिभार के रूप में पुस्तकालय अधिकर की वसूली।

(9) राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा राज्य पुस्तकालय संघों तथा सहकारी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान।

यह अधिनियम व्यापक शहरी तथा ग्रामीण पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने के साथ पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना के उद्देश्य से बनाया गया था। परंतु किन्हीं कारणों से यह अधिनियम अभी तक वास्तविक रूप में लागू नहीं हो पाया है।

3.9 मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993

सन् 1987 में मिजोरम पूर्ण राज्य बना। यहाँ पाँच वर्ष के अन्दर ही पुस्तकालय अधिनियम पारित कर दिया गया। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) राज्य में पुस्तकालयों के विकास तथा उन्नयन के लिए तथा पुस्तकालय सम्बन्धी सभी विषयों में सरकार को सलाह देने के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन।

NOTES

(2) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के नियंत्रण तथा देख-रेख के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग का गठन।

(3) राज्य पुस्तकालय, जिला पुस्तकालयों, अनुमंडलों (Sub-division) पुस्तकालयों, ग्राम पुस्तकालयों इत्यादि की स्थापना।

(4) गैर-सरकारी पुस्तकालयों के लिए अनुदान सहायता का प्रावधान।

(5) पुस्तकालय अधिकर नहीं। सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना तथा रख-रखाव का पूरा खर्च राज्य कोष से होगा।

3.10 गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1994

गोवा दसवाँ राज्य है जहाँ पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन। राज्य का पुस्तकालय प्रभारी मन्त्री इसका अध्यक्ष होगा। यह प्राधिकरण इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों में सरकार को सलाह देगा।

(2) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के नियंत्रण तथा निदेशन के लिए राज्य पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना।

(3) राज्य पुस्तकालय, जिला पुस्तकालयों, ताल्लुक तथा ग्राम पुस्तकालयों की व्यवस्था।

(4) सभी पुस्तकालय कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की दर्जा।

(5) गैर-सरकारी पुस्तकालयों के लिए अनुदान सहायता।

(6) राज्य पुस्तकालय संघों को मान्यता प्रदान करना।

(7) पुस्तकालय अधिकर नहीं। विभाग के रख-रखाव का व्यय राज्य के समेकित कोष से प्राप्त होगा।

4. अधिनियमों का तुलनात्मक अध्ययन

अब तक आपको दस राज्यों में पारित पुस्तकालय अधिनियमों की मुख्य विशेषताएँ बताई गई हैं। इनमें बहुत-सी समानताएँ तथा असमानताएँ हैं। हम इन अधिनियमों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस उद्देश्य के लिए हमें निश्चित मानदण्ड लेना है। आपको स्मरण होगा कि इन इकाइयों के प्रारंभ में ही हमने राज्य पुस्तकालय अधिनियमों के लिए पाँच मानदण्ड निश्चित किए थे। ये पाँच मानदण्ड हैं :

- पुस्तकालयों तक सार्वजनिक पहुँच;
- आवश्यक अवसंरचना का विकास;
- अभिशासन प्रणाली की स्थापना;
- वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रावधान; तथा
- स्व-प्रतिवेदन तथा नियंत्रण का आयोजन।

अब हम उपरिलिखित पाँच मानकों के आधार पर इन दस राज्यों में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।

4.1 पुस्तकालयों तक सार्वजनिक पहुँच

84.63 (1991) करोड़ जनसंख्या के साथ भारत वर्ष कॉमनवेल्थ (Commonwealth) देशों में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसकी 74.30 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 25.70 प्रतिशत आबादी शहरी

क्षेत्रों में निवास करती है। इसमें 26 राज्य तथा 6 केन्द्र शासित क्षेत्र हैं। इन सभी में कुल मिलाकर 494 जिले हैं और लगभग 1650 भाषाएँ बोली जाती हैं। सभी 15 मुख्य भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 पुस्तकों, मोनोग्राफों (Monographs) तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। इनमें से आधे प्रकाशन गल्प साहित्य के अंतर्गत रखे जा सकते हैं तथा अन्य आधे साधारणतः मानविकी के विषयों और प्रौद्योगिकी से संबंधित (जिनके ऊपर अत्यंत कम साहित्य प्रकाशित होता है) होते हैं। भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अंग्रेजी में प्रकाशित साहित्य बड़ी संख्या में (100,000 से भी अधिक शीर्षक) मँगाता है। इनमें से अधिकांश की खपत शैक्षणिक संस्थानों में है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी इनमें से बहुसंख्या साहित्य अधिगृहीत होता है।

सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली

रंगनाथन के अनुसार इससे हमारा अभिप्राय एकीकृत राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क प्रणाली की स्थापना से है, जो शिक्षित अथवा अशिक्षित नागरिकों को निःशुल्क पुस्तक सेवा प्रदान करती है। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के द्वारा निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक है :

(1) बिना किसी भेद-भाव के पुस्तकालयों के उपयोग की सुविधा।

(2) शहरों से लेकर गांवों तक के पाठकों के लिए सामान्य-पूल (Common pool) के द्वारा पठन सामग्री की उपलब्धि।

(3) अपनी आवश्यकता की सूचना तक पाठकों की पहुँच।

(4) साहित्यिक धरोहर, कला एवं विज्ञान के क्षेत्रों की उपलब्धियों तथा नव प्रवर्तन से लोगों को लाभान्वित करने के लिए निःशुल्क सुविधाएँ।

(5) व्यक्तिगत विकास की सुविधा।

(6) पुस्तकालय के उपयोक्ताओं के लिए उपलब्ध सेवाओं का सामयिक मूल्यांकन तथा सेवा की प्रतिपुष्टि और प्रशासन पर उनका प्रभाव।

(7) समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय आय तथा व्यय की नियंत्रित व्यवस्था।

अब हम इन बिन्दुओं के आधार पर विभिन्न राज्यों में लागू किए गए पुस्तकालय अधिनियम का परीक्षण करेंगे।

(i) तमिलनाडु

मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948 अंतर्गत सरकार ने लगभग 4500 सार्वजनिक पुस्तकालयों, 20 जिला पुस्तकालयों, 7 चल पुस्तकालयों, 1538 शाखा पुस्तकालयों, तथा 2500 ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की है। इनके माध्यम से लोगों को 24 लाख प्रलेखों का अभिगम सुनिश्चित होता है। राज्य में लगभग 2 करोड़ पंजीकृत पाठक हैं तथा 5 करोड़ पाठक पुस्तकालयों में आते हैं। इनमें से परामर्श किए गए प्रलेख 2 करोड़ तथा ऋण पर लिए गए प्रलेख 3 करोड़ हैं। ऋण पर जारी किए गए प्रलेखों का औसत एक प्रलेख प्रति साक्षर व्यक्ति का है।

(ii) आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश में लगभग कुल 4000 सार्वजनिक पुस्तकालय केन्द्र (nodes) हैं जिनमें एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, 6 क्षेत्रीय पुस्तकालय, 1426 शाखा पुस्तकालय, 344 ग्रामीण पुस्तकालय तथा जिला ग्रंथालय

संस्था के 3 चल पुस्तकालय और 2400 सहायता प्राप्त पुस्तकालय हैं। इनके माध्यम से लोगों को प्रलेखों तक अभिगम सुनिश्चित होता है। राज्य में लगभग 2 लाख पंजीकृत पाठक हैं तथा लगभग 2 करोड़ पाठक प्रतिवर्ष पुस्तकालयों में आते हैं। ऋण पर जारी किये गये प्रलेखों का औसत 1.5 प्रतिसाक्षर व्यक्ति है।

NOTES

(iii) कर्नाटक

कर्नाटक राज्य में एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, 20 जिला केन्द्रीय पुस्तकालय (20 में से 10 जिला केन्द्रीय पुस्तकालयों में पुस्तकालय हैं शेष 10 में कार्यालय मात्र हैं), 15 नगर केन्द्रीय पुस्तकालय, 392 शाखा पुस्तकालय, 1151 मंडल पुस्तकालय, तथा 11 चल पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकालयों के 6.54 लाख पंजीकृत पाठक हैं। इनमें कुल 37 लाख पुस्तकें हैं। लगभग 8 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष पुस्तकालयों में आते हैं।

(iv) महाराष्ट्र

महाराष्ट्र भारत का पाँचवा राज्य है जहाँ पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ। यहाँ लगभग 5900 सार्वजनिक पुस्तकालय केंद्र हैं। इनमें एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, 5 प्रमण्डल पुस्तकालय, 8 जिला पुस्तकालय, 31 जिला सार्वजनिक पुस्तकालय, 259 ताल्लुक पुस्तकालय तथा 5589 दूसरे प्रकार के पुस्तकालय हैं। ये लगभग 50 लाख पुस्तकों तक पहुँच उपलब्ध कराते हैं। पंजीकृत पाठकों की संख्या लगभग 60 हजार से अधिक तथा परामर्श करने वाले पाठक लगभग 60 लाख प्रतिवर्ष हैं।

(v) पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में लगभग 3500 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। इनमें एक राज्य पुस्तकालय, 21 जिला पुस्तकालय, 234 शहर पुस्तकालय, 2300 सरकारी प्रयोजित पुस्तकालय तथा 200 दूसरे प्रकार के पुस्तकालय सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी में जिला पुस्तकालय तथा दुर्गापुर में नगर केन्द्रीय पुस्तकालय है।

(vi) मणिपुर

मणिपुर राज्य का राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय इम्फाल में स्थित है। इसके अतिरिक्त पाँच जिला पुस्तकालय और लगभग 100 सार्वजनिक पुस्तकालय कार्यरत हैं जिनका प्रबंधन स्वैच्छिक एवं स्वयंसेवी संस्थाएँ करती है।

(vii) केरल

केरल राज्य में पुस्तकालय सेवा सर्व-सुलभ है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत इस राज्य ने शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। केरल राज्य बनाने के बाद पहले के त्रिवेन्द्रम सार्वजनिक पुस्तकालय का स्तर सुधार कर इसे राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। इस राज्य में जिला, ताल्लुक, तथा ग्राम-स्तर पर लगभग 3030 पुस्तकालय स्थापित किये जा चुके हैं जिनकी सेवाएँ सर्वसामान्य के लिए सुलभ हैं।

(viii) हरियाणा

सन् 1967 में अम्बाला स्थित जिला पुस्तकालय का स्तर बढ़ा कर उसे हरियाणा के राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। 12 जिला पुस्तकालयों की राज्य में स्थापना हुई है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका क्षेत्रों में 11 पुस्तकालय तथा अनुमण्डलों में 11 पुस्तकालय सर्वसामान्य के लिए स्थापित किये गए हैं।

(ix) मिज़ोरम

राज्य की स्थापना के बाद राज्य पुस्तकालय की स्थापना ऐजवाल (Aizwal) में हुई तथा दो अन्य जिला पुस्तकालयों की स्थापना की गई।

अनुमण्डल पुस्तकालय भी खोले गए हैं। राज्य की पुस्तकालय नियोजन समिति (State Library Planning Committee) द्वारा लगभग 80 ग्रामीण पुस्तकालयों को भी मान्यता दी गई है।

(x) गोवा

गोवा एक छोटा राज्य है। पुर्तगाली शासन के प्रभाव के समय बहुत पहले से ही यहाँ एक केन्द्रीय पुस्तकालय है। पाँच ताल्लुक पुस्तकालय तथा 56 ग्रामीण पुस्तकालय भी कार्य कर रहे हैं।

इस प्रकार हम पाते हैं कि इनमें से प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों को एक संरचना प्राप्त हुई हैं तथा उन तक सर्वसामान्य के लिए सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित की गई है।

4.2 वित्तीय प्रावधान

बढ़ते उपयोग तथा पाठकों की संख्या में वृद्धि से पुस्तकालयों में वृद्धि होती है। परंतु उनके समुचित विकास के लिए उन्हें उचित वित्त उपलब्ध होना चाहिए। आइये, हम इन पुस्तकालय अधिनियमों के वित्तीय प्रावधानों का अवलोकन करें।

(i) तमिलनाडु

तमिलनाडु में तीन प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय (The State Central Library), कोन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी (Connemara Public Library), कौरमणि निलयन लाइब्रेरी (Kaurmani Nilayan Library) तथा शासकीय प्राच्यविद्या पाण्डुलिपि पुस्तकालय (Government Oriental Manuscripts Library) का पोषण सरकारी कोष (Government Fund) से होता है। अधिनियम के अंतर्गत स्थापित जिला केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा शाखा पुस्तकालयों का पोषण पुस्तकालय कोष (Library Fund) से होता है (अर्थात् पुस्तकालय अधिकर के रूप में प्राप्त की गई धनराशि के बराबर सरकार की अंशदान राशि द्वारा निर्मित कोष)। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे पुस्तकालयों जैसे, तंजवुर स्थित सरस्वती महल लाइब्रेरी (Thanjavur Saraswati Mahal Library) को भी सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान प्राप्त होता है।

(ii) आन्ध्र प्रदेश

सरकारी पुस्तकालयों का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जिला ग्रंथालय समस्याओं (Zilla Granthalaya Samsthas) का प्रतिष्ठानात्मक खर्च भी सरकार वहन करती है। दूसरी अन्य वस्तुओं जैसे- पुस्तकों, पत्रिकाओं, भवनों इत्यादि पर होने वाला व्यय जिला पुस्तकालय समस्याओं के पुस्तकालय कोष से प्राप्त होता है। इन सम्स्थाओं द्वारा गैर-सरकारी पुस्तकालयों को आर्थिक अनुदान दिया जाता है।

(iii) कर्नाटक

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय की वित्त-व्यवस्था पूर्ण रूप से राज्य सरकार के धन से की जाती है। जिला तथा शहर स्तर के पुस्तकालय तथा शाखा पुस्तकालयों की वित्त-व्यवस्था पुस्तकालय कोष से की जाती है। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पत्ति कर, वाहन कर, मनोरंजन कर के ऊपर अधिभार के रूप में पुस्तकालय अधिकर लगाया जाता है। स्थानीय निकाय जैसे- नगरपालिकाओं, महानगरपालिकाओं, जिला परिषदों, तथा ग्राम पंचयातों के द्वारा पुस्तकालय अधिकर

NOTES

इकट्ठा किया जाता है। सभी स्तर के सार्वजनिक पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(iv) महाराष्ट्र

महाराष्ट्र अधिनियम में पुस्तकालय अधिकर लगाने का प्रावधान नहीं है। परन्तु, पुस्तकालयों के विकास के लिए राज्य सरकार को कम से कम 25 लाख रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराना होता है। इसमें प्रशासनिक तथा व्यवस्था संबंधी खर्च सम्मिलित नहीं है। पाँच प्रमण्डल पुस्तकालयों तथा विदर्भ क्षेत्र के पुस्तकालयों की संपूर्ण वित्त-व्यवस्था महाराष्ट्र द्वारा की जाती है।

(v) पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में भी पुस्तकालय अधिकर लगाने का प्रावधान नहीं है। पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित या प्रारंभ किए गए पुस्तकालयों की वित्त-व्यवस्था राज्य के समेकित कोष से होगी। सरकारी अनुदान, अंशदान, धर्मदा आय इत्यादि द्वारा प्राप्त धनराशि से प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण एक पुस्तकालय-कोष का गठन करेगा। कुछ गैर-सरकारी पुस्तकालयों को रख-रखाव के लिए सरकार से सहायतार्थ-अनुदान दिया जाएगा।

(vi) मणिपुर

मणिपुर के पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय अधिकर का प्रावधान नहीं है। इसलिए पुस्तकालयों के विकास के लिए राज्य सरकार राज्य कोष से संपूर्ण खर्च वहन करेगी। सहायतार्थ अनुदान द्वारा गैर-सरकारी पुस्तकालयों की भी सहायता की जाती है।

(vii) केरल

केरल अधिनियम में पुस्तकालय अधिकर का प्रावधान है। चूँकि अधिनियम का वास्तविक कार्यान्वयन नहीं हुआ है, राज्य सरकार राज्य कोष से अनुदान द्वारा पुस्तकालय सेवा चलाई जा रही है।

(viii) हरियाण,

(ix) मिजोरम तथा

(x) गोवा

केरल के समान ही हरियाणा, मिजोरम, तथा गोवा की स्थिति है। इन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। परन्तु अधिनियम के प्रावधानों को अभी लागू नहीं किया जा सका है।

मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तथा हरियाणा के अधिनियमों में पुस्तकालय अधिकर का प्रावधान है। पुस्तकालय अधिकर के प्रावधान के पीछे दो प्रमुख प्रभावी कारण हैं : पुस्तकालयों के विकास में अपना योगदान देने तथा पुस्तकालय सेवाओं और सुविधाओं से लाभान्वित होने का नागरिकों का प्रजातांत्रिक अधिकार। सरकार को पुस्तकालयों की स्थापना तथा रख-रखाव पर गंभीरता से विचार करना होगा। पुस्तकालय अधिकर की विचारधारा में इसे अति आवश्यक माना गया है। फिर भी पुस्तकालय अधिकर का असमान वितरण स्वयं में एक समस्या है क्योंकि शहरों तथा जिलों में संपत्ति की कीमत अलग स्थान पर अलग होती है।

सभी राज्यों में राज्य सरकार स्थानीय निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों के पुस्तकालयों की सहायता अनुदान के द्वारा कर रही है। परंतु यह कार्य अत्यंत लघु स्तर पर हो रहा है।

4.3 मानव संसाधन

भिन्न-भिन्न राज्यों में पुस्तकालय कर्मचारियों की व्यवस्था भिन्न प्रकार से की जाती है।

(i) तमिलनाडु

राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का निदेशन, पर्यवेक्षण तथा संचालन करता है। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय (Connemara Public Library) के प्रबन्ध के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष है। जिला केन्द्रीय पुस्तकालयों का प्रबंध पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक प्रमाण एवं प्राप्त प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा किया जाता है। शाखा पुस्तकालयों की व्यवस्था के लिए साधारणतया पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वितरण केन्द्रों का प्रबंध साधारणतया मासिक पारिश्रमिक पर आंशिक समय के लिए रखे गये स्थानीय माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक द्वारा देखा जाता है। प्रत्येक जिला केन्द्रीय पुस्तकालय का, सार्वजनिक पुस्तकालय परिषद् द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा प्रत्येक शाखा पुस्तकालय का, जिला पुस्तकालय अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(ii) आन्ध्र प्रदेश

सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक राज्य में पुस्तकालय प्रणाली के लिए नियन्त्रण अधिकारी है। शहर/जिला केन्द्रीय पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष शहर/जिला पुस्तकालय समिति का पदेन सचिव होता है। व्यावसायिक पुस्तकालय कर्मचारियों की संख्या लगभग 250 है, तथा अर्ध-व्यावसायिक कर्मचारी 1000 से अधिक हैं।

(iii) कर्नाटक

राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का पर्यवेक्षण तथा निदेशन करता है। राज्य, जिला, शहर, तथा शाखा पुस्तकालयों का प्रबन्धन व्यावसायिक कर्मचारी करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों में कर्मचारियों की संख्या 500 के आसपास है। इनमें से व्यावसायिक कर्मचारियों की संख्या 150 के आसपास है। ये व्यावसायिक कर्मचारी पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक और बहुत तो स्नातकोत्तर (MLISc) शिक्षा प्राप्त हैं। 300 अव्यावसायिक तथा लगभग 150 अकुशल कर्मचारी हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों के सभी तकनीकी कर्मचारी कर्नाटक पुस्तकालय सेवा संवर्ग के अंतर्गत आते हैं।

(iv) महाराष्ट्र

महाराष्ट्र अधिनियम में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा विभाग के अध्यक्ष के रूप में पुस्तकालय निदेशक के पद का प्रावधान है। वह राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के नियोजन, रख-रखाव, तथा व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी है। निदेशक की सहायता के लिए प्रत्येक प्रमण्डल (पाँच) में एक सहायक निदेशक की नियुक्ति की जाती है। जिला तथा शहरी स्तर के पुस्तकालयों का रख-रखाव व्यावसायिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

(v) पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल अधिनियम में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के मुख्य कार्यकारी के रूप में पुस्तकालय निदेशक के पद का सृजन किया गया है। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता मेट्रोपोलिटन (Metropolitan) पुस्तकालय, जिला पुस्तकालयों तथा नगर पुस्तकालयों का प्रबन्धन पुस्तकालय व्यवसायियों द्वारा किया जाता है।

NOTES

(vi) मणिपुर

मणिपुर के पुस्तकालय अधिनियम में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में पुस्तकालय में अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। अभी तक पुस्तकालय से संबंधित मामलों को केन्द्रीय पुस्तकालय, इम्फाल का मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष देख रहा है। राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों में काम करने वाले व्यावसायिक कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक नहीं है।

(vii) केरल

केरल के पुस्तकालय अधिनियम में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक के पद का प्रावधान है। अभी तक इस अधिनियम को लागू नहीं किया जा सका है। इसके लागू होने के बाद ही हम कर्मचारियों की स्थिति जान सकेंगे।

(viii) हरियाणा

चूँकि हरियाणा पुस्तकालय अधिनियम पूर्णतया लागू नहीं हो पाया है, अतः सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंध कर्मचारी अभी भी उच्च शिक्षा निदेशक, हरियाणा के नियन्त्रण में कार्य करते हैं। राज्य तथा जिला पुस्तकालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी सरकारी माने जाते हैं।

(ix) मिजोरम

राज्य में पुस्तकालय सेवा मिजोरम सरकार के शिक्षा विभाग के उपनिदेशक के नियंत्रण में है। राज्य पुस्तकालय, जिला पुस्तकालयों तथा अनुमण्डल पुस्तकालयों, जिनकी संख्या 20 से अधिक नहीं है, का प्रबंधन व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा किया जाता है।

(x) गोवा

गोवा सरकार, पणजी का केन्द्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय कर्मचारियों का नियन्त्रण अधिकारी है। गोवा के राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, बिब्लियोथेका नेशनल डे-नोवा गोवा' (Bibliotheca National De Nova Goa) तथा इसके पाँच ताल्लुक पुस्तकालयों में लगभग 25 व्यावसायिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। अधिकांशतः सरकारी ग्रामीण पुस्तकालयों के प्रभारी के रूप में अध्यापक-पुस्तकालयाध्यक्ष कार्य कर रहे हैं।

यह ध्यातव्य है कि कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में कर्मचारी-संरचना तथा पुस्तकालयाध्यक्षों का संवर्ग सुव्यवस्थित है। अन्य राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयाध्यक्षों का स्तर तथा वेतन उनकी सेवाओं तथा दायित्वों के अनुरूप नहीं हैं।

4.4 अभिशासन

(i) तमिलनाडु

तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत मद्रास शहर तथा 23 राजस्व-अधिकार से संपन्न जिले हैं। प्रत्येक राजस्व-जिले के लिए एक-एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन किया गया है। सन् 1972 से सार्वजनिक पुस्तकालयों के विभाग को पूर्ण विभाग का दर्जा दिया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के कार्य की देख-रेख, संचालन तथा नियन्त्रण का उत्तरदायित्व सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक पर है। सन् 1977 तक जिला अधिकारी स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के पदेन सचिव का कार्य करते थे। सुब्बारयन समिति (Subbarayan Committee) की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण में नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी-अपने-अपने जिला मुख्यालय में जिला केन्द्रीय पुस्तकालय, प्रत्येक शहर में शाखा-पुस्तकालय तथा कुछ छोटे गाँव तथा कस्बों में चल पुस्तकालय की व्यवस्था कर नागरिकों को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा उपलब्ध करा रहे हैं।

(ii) आन्ध्र प्रदेश

राज्य में पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था तथा विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सन् 1989 में अधिनियम को संशोधित कर शीर्ष निकाय के रूप में आन्ध्र प्रदेश ग्रंथालय परिषद् (Andhra Pradesh Granthalaya Parishad) का गठन किया।

परिषद् मुख्य नीति निर्धारक निकाय है तथा सरकार के निर्देशानुसार अधिकारों का प्रयोग तथा कार्य संचालन करती है। पुस्तकालय प्रणाली के प्रशासन के उद्देश्य से राज्य को 23 राजस्व जिलों में विभक्त किया है जिनमें हैदराबाद नगर भी सम्मिलित है। प्रत्येक जिले के लिए एक-एक जिला ग्रन्थालय सम्स्था (Granthalaya Samstha) है तथा हैदराबाद नगर के लिए एक नगर ग्रन्थालय सम्स्था है।

राज्य के पुस्तकालय पिरामिडीय (Pyramidal) प्रणाली में व्यवस्थित हैं, जिसमें राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय शीर्ष पर है, ग्रामीण पुस्तकालय अन्त में तथा शाखा पुस्तकालय, जिला केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय बीच में हैं।

(iii) कर्नाटक

यह राज्य 20 राजस्व जिलों में बँटा है। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (1965) के प्रावधानों के अनुसार 1 नवम्बर 1966 से सार्वजनिक पुस्तकालयों के एक अलग विभाग ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया जो राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना तथा रख-रखाव, ग्रामीण तथा शहरी पुस्तकालयों की स्थापना तथा रख-रखाव, और ग्रामीण तथा शहरी पुस्तकालय सेवा के व्यापक प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इस अधिनियम में शाखा पुस्तकालय तथा पुस्तक वितरण केन्द्रों सहित निम्नलिखित पुस्तकालयों की स्थापना का प्रावधान है :

(क) बैंगलोर में एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय जो कि पूरे राज्य के लिए पुस्तक-आगार (reservoir of books) के रूप में कार्य करेगा।

(ख) राज्य के 15 प्रमुख नगरों में प्रत्येक के लिए एक नगर केन्द्रीय पुस्तकालय।

(ग) राज्य के 20 राजस्व जिलों में प्रत्येक के लिए एक जिला केन्द्रीय पुस्तकालय।

राज्य में 3 पुस्तकालय प्राधिकरण स्थापित किये जा चुके हैं। राज्य में कर्नाटक राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण पुस्तकालय विकास के सभी विषयों में सरकार को सलाह देता है तथा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के लिए प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य करता है। प्रमुख नगरों तथा राजस्व जिलों के स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण अपने-अपने अधिक्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालयों की देख-रेख करते हैं।

राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन में प्रजातांत्रिक पद्धति, तथा तकनीकी विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व का प्रचुर ध्यान रखा गया है।

(iv) महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में पुस्तकालय से सम्बन्धित सभी विषयों में सरकार को सलाह देने के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन किया गया है। राज्य का शिक्षा मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष तथा पुस्तकालयों का निदेशक पदेन सदस्य सचिव होता है तथा इसके 28 सदस्य हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय के सभी विषयों पर सलाह देने के लिए जिला पुस्तकालय समितियों का गठन किया गया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की योजना, प्रबन्धन, प्रशासन, विकास तथा रख-रखाव तथा राज्य की पुस्तक प्रणाली की देख-रेख का कार्य सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय का निदेशन करता है। इस राज्य में 35 राजस्व जिले हैं।

NOTES

(v) पश्चिम बंगाल

राज्य में 17 राजस्व जिले हैं। पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सन् 1979 में पारित हुआ था। इस अधिनियम में राज्य पुस्तकालय परिषद् तथा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान है। राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के शीर्ष में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय सहित कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन पुस्तकालय (Calcutta Metropolitan Library), जिला पुस्तकालय, शहर–पुस्तकालय तथा ग्रामीण पुस्तकालय हैं। ये सारे पुस्तकालय एक पिरामिडीय संरचना का निर्माण करते हैं।

(vi) मणिपुर

मणिपुर में 8 राजस्व जिले हैं। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रबन्धन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है और जिला पुस्तकालय जिला शिक्षा अधिकारियों की देख–रेख में कार्य करते हैं।

(vii) केरल

इस राज्य में 14 जिले हैं। केवल त्रिवेन्द्रम पब्लिक लाइब्रेरी (Trivandrum Public Library) राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप में प्रशासित है। नगरपालिका पुस्तकालयों तथा पंचायत पुस्तकालयों का प्रशासन संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है।

(viii) हरियाण

हरियाणा राज्य का गठन सन् 1966 में 12 राजस्व जिलों के साथ हुआ था। हरियाणा में सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रशासन अभी भी उच्च शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में है।

(ix) मिजोरम

मिजोरम एक छोटा राज्य है जिसमें 3 राजस्व जिले हैं। मिजोरम में सार्वजनिक पुस्तकालय नियन्त्रण का अधिकार शिक्षा उप निदेशक को दिया गया है।

(x) गोवा

गोवा सबसे छोटा राज्य है। इसमें दो राजस्व जिले हैं। गोवा में सार्वजनिक पुस्तकालय गोवा के केन्द्रीय पुस्तकालय के अंतर्गत कार्य करते हैं।

उपरिलिखित सभी राज्यों के पुस्तकालय अधिनियमों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की एक सुसंबद्ध संरचना नजर आती है। लेकिन आन्ध्र प्रदेश अधिनियम के प्रावधानों में अभिशासन की एक व्यापक संरचना है।

5. सामान्य टिप्पणी

यद्यपि भारत के 10 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है, परन्तु केवल पाँच राज्यों में ही अधिनियमों के अधिकतर प्रावधान लागू हो पाए हैं। ये राज्य हैं : तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल इन अधिनियमों पर सामान्य टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं :

(1) आवश्यक आधारभूत प्रशासनिक संरचना के साथ राज्य से जिला स्तर तक पुस्तकालय प्रणाली का गठन।

(2) पुस्तकालयों का पिरामिडीय ढाँचा, अर्थात् पुस्तकालय प्रणाली के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार राज्य, क्षेत्रीय, जिला, अनुमण्डल, ताल्लुक, प्रखण्ड, तथा ग्राम्य पुस्तकालयों की स्थापना।

(3) पुस्तकालय अधिकर तथा/अथवा सरकारी अनुदान के द्वारा आय के चिरस्थायी स्रोत का वैधानिक प्रावधान।

(4) आवश्यक सेवाएँ, जैसे- समाचार पत्र तथा पत्रिकाएँ, आदान-प्रदान सेवा तथा संदर्भ सेवा की व्यवस्था। तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य के प्रत्येक भाग में गाँवों में चल-पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था की गई है।

(5) उम्र, लिंग, धर्म, भाषा तथा सामाजिक स्तर के भेदभाव के बिना सभी स्तरों पर सभी नागरिकों को नि: शुल्क पुस्तकालय सेवा का प्रावधान। मणिपुर, केरल, हरियाणा, मिजोरम तथा गोवा राज्यों में प्रशासनिक कारणों से अभी पुस्तकालय अधिनियम पूर्णतया लागू नहीं हो पाया है। फिर भी; इन राज्यों में उपलब्ध साधनों के अंतर्गत कुछ सेवाएँ चलाई जा रही हैं।

6. सार-संक्षेप

इस अध्याय में, हमने भारत के दस राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, केरल, हरियाणा, मिजोरम, तथा गोवा) जिनमें पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है, के सार्वजनिक पुस्तकालयों के निम्नलिखित पक्षों का परीक्षण किया है :

(i) प्रलेखों तक नि:शुल्क पहुँच, संस्थागत ढाँचा, अभिशासन तथा प्रबन्धन, भौतिक सुविधाओं की आधारभूत संरचना, वित्त, पुस्तकालय सेवा, प्रतिवेदन, मूल्यांकन तथा प्रतिपुष्टि।

(ii) सार्वजनिक पुस्तकालयों की गतिविधियाँ तथा उनकी विशेषताएँ।

(iii) अधिनियमों के प्रावधान तथा इन प्रावधानों की तुलना के लिये मानदण्ड।

(iv) अधिनियमों के सबल और दुर्बल पक्ष।

7. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960

   सन् 1956 में जब संयुक्त मद्रास राज्य के आन्ध्र के क्षेत्र, तथा हैदराबाद राज्य के तेंलगाना क्षेत्र को मिलाकर आन्ध्र प्रदेश बना। उस समय आन्ध्र क्षेत्र में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू था। अत: ऐसी स्थिति में जब एक ही राज्य में दो अधिनियम लागू हों तो प्रशासनिक समस्याओं का होना स्वाभाविक था। इस समस्या के समाधान के लिए दोनों अधिनियमों को मिलाकर, सुधार कर तथा अद्यतन कर सन् 1960 में आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बना। इसमें 1964, 1969,1987 तथा 1989 में संशोधन हुए। इन व्यापक संशोधनों के फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश 'ग्रंथालय परिषद' का गठन हुआ जो एक प्रकार से राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का शीर्ष निकाय है। यह अधि नियम मद्रास अधिनियम का उन्नत रूप है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ नीचे दी गई हैं :

   (1) वैधानिक अधिकारों और कार्यों से युक्त पुस्तकालयों के शीर्ष निकाय के रूप में आंध्र प्रदेश पुस्तकालय परिषद् का गठन। इसका गठन मनोनीत सदस्यों द्वारा, सरकार द्वारा किया जाता है।

   (2) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय की स्थापना।

   (3) सरकार द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्य नामित कर प्रत्येक नगर तथा जिले के लिए 'ग्रन्थालय संस्था' का गठन।

   (4) शहर/जिला केन्द्रीय पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष, 'नगर/जिला ग्रंथालय संस्था' के पदेन सचिव का कार्य करेंगे।

NOTES

(5) गृहकर तथा संपत्ति कर पर आठ पैसे प्रति रुपया तक की दर से स्थानीय निकायों द्वारा पुस्तकालय अधिकर इकट्ठा करने का प्रावधान।

(6) सरकार द्वारा शहर/जिला पुस्तकालय संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के संस्थापनात्मक-व्यय का भुगतान।

(7) सरकार तथा नगर/जिला पुस्तकालय संस्थाओं द्वारा निजी पुस्तकालयों को अनुदान।

यह अधिनियम पूर्व 'मद्रास एक्ट' तथा हैदराबाद ऐक्ट' की तुलना में अधिक कारगर है।

2. महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1967

महाराष्ट्र राज्य का निर्माण पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तथा राजसी राज्यों, जैसे कोल्हापुर को मिलाकर सन् 1960 में हुआ। यद्यपि, वहाँ पुस्तकालय अधिनियम बनाने के प्रयास 1940 से ही हो रहे थे, परन्तु इस दिशा में सफलता महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाने के बाद सन् 1967 में ही मिल सकी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखत हैं :

(1) सरकार द्वारा राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन। शिक्षा मंत्री परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा। अधिनियम को लागू करने से सम्बन्धित सभी विषयों में राज्य सरकार को यह परिषद् सलाह देगी।

(2) एक पृथक् पुस्तकालय विभाग का गठन तथा इसके निदेशक के रूप में किसी पुस्तकालय व्यवसायी की नियुक्ति।

(3) एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा प्रत्येक प्रमण्डल के लिए एक-एक प्रमण्डल पुस्तकालय की स्थापना।

(4) प्रत्येक जिले के लिए जिला पुस्तकालय समिति का गठन। जिला परिषद् की शिक्षा समिति का अध्यक्ष जिला पुस्तकालय समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। वृहत्तर मुम्बई के लिए महानगर पालिका की शिक्षा समिति का अध्यक्ष पुस्तकालय समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(5) महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय सेवा की स्थापना तथा इस सेवा के सभी सदस्यों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. मिजोरम के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993 की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए ।

....

....

....

....

3. मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1988

मणिपुर अपेक्षाकृत एक लघु राज्य है और भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। यहाँ पुस्तकालय अधिनियम सन् 1988 में पारित हुआ। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) इस अधिनियम से संबंधित सभी विषयों तथा अधिनियम में समय-समय पर निर्धारित किए गए/किए जाने वाले अधिकारों और दायित्वों के ऊपर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य पुस्तकालय समिति का गठन।

(2) सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग के गठन का प्रावधान।

(3) जिला पुस्तकालय प्राधिकरण के लिए कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान।

(4) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था तथा प्रशासन के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में कार्पोरेट (corporate) निकाय के रूप में जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन।

(5) मुख्य रूप से राज्य सरकार के अंशदान से निर्मित 'पुस्तकालय कोष' का गठन।

(6) पुस्तकालय अधिकर नहीं।

4. मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993

सन् 1987 में मिजोरम पूर्ण राज्य बना। यहाँ पाँच वर्ष के अन्दर ही पुस्तकालय अधिनियम पारित कर दिया गया। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) राज्य में पुस्तकालयों के विकास तथा उन्नयन के लिए तथा पुस्तकालय सम्बन्धी सभी विषयों में सरकार को सलाह देने के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन।

(2) राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के नियंत्रण तथा देख-रेख के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग का गठन।

(3) राज्य पुस्तकालय, जिला पुस्तकालयों, अनुमंडलों (Sub-division) पुस्तकालयों, ग्राम पुस्तकालयों इत्यादि की स्थापना।

(4) गैर-सरकारी पुस्तकालयों के लिए अनुदान सहायता का प्रावधान।

(5) पुस्तकालय अधिकर नहीं। सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना तथा रख-रखाव का पूरा खर्च राज्य कोष से होगा।

8. मुख्य शब्द

अधिकर (Cess) : कुछ वैधानिक करों पर अधिभार लगाकर एकत्रिक की गई-धन-राशि।

अभिशासन (Governance) : शासन या प्रबंधन की एक पद्धति या प्रणाली।

आधारभूत संरचना (Infrastructure) : आधारभूत एवं अंतर्निहित ढाँचा।

9. अभ्यास-प्रश्न

1. कर्नाटक के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1965 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979 का परिचय दीजिए।
3. केरल के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989 का विवेचन कीजिए।
4. हरियाणा के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1989 का वर्णन कीजिए।
5. पुस्तकालयों तक सार्वजनिक पहुँच के सन्दर्भ में विभिन्न अधिनियमों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।

10. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

Ekbote Gopal Rao (1987). Public Libraries System. Hyderabad : Ekbote Brothers.

NOTES

Mittal , R.L. (1971). Public Libraries Law : An International Survey. New Delhi : Metropolitan Publishing Co.

Ranganathan, S.R. (1953). Library Legislation : Hand-book to Madras Library Act. Madras : Madras Library Association.

Ranganathan, S.R. and Neelameghan A. (1972). (eds). Public Library System: India, Srilanla, UK, USA Comparative Library Legislation, Bangalore : Sarada Ranganathan Endowment for Library Science.

Rath, Pravakar (1996). Public Library Finance. New Delhi : Pratibha Prakashan.

Venkatappaiah, Velaga (1990) .Indian Library Legislation. New Delhi : Daya Publishing House. 2 Vol.

Venkatappaiah, Velaga (1994). Model Library Legislation. New Delhi : Concept Publishing Co.

Venkatappaiah, Velaga (1995). Model State Library Policy and Legislation (For the States and Union Territories). Delhi : Indian Library Association.

शर्मा, पाण्डेय एस. के (1988)। पुस्तकालय और समाज। नई दिल्ली : ग्रंथ अकादमी।

अध्याय-11

उपयोक्ता अध्ययन

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. उपयोक्ता तथा उपयोक्ता अध्ययन
   3.1 उपयोक्ताओं के अभिलक्षण
   3.2 उपयोक्ता अध्ययन
   3.3 उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता
   3.4 उपयोक्ता अध्ययन का नियोजन
   3.5 उपयोक्ता अध्ययन के लिए विधियाँ
4. उपयोक्ता अध्ययन : सीमाएँ तथा आलोचनाएँ
5. केस अध्ययन
   5.1 भारत में किए गए प्रयास
6. सार-संक्षेप
7. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
8. अभ्यास-प्रश्न
9. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्याय का अध्ययन कर लेने के बाद आप :

- किसी पुस्तकालय अथवा सूचना प्रणाली अथवा सेवा के उपयोक्ता की विचारधारा की व्याख्या कर सकेंगे;
- विभिन्न उपयोक्ताओं के अभिलक्षणों का वर्णन और उन्हें विशिष्ट वर्गों में वर्गीकृत कर सकेंगे;
- उपयोक्ता के सुविचारित एवं निरंतर अध्ययन तथा उपयोक्ता के साथ संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता को समझ सकेंगे;
- सूचना प्रणालियों, इनके उत्पादों और इनकी सेवाओं में उपयोक्ता अध्ययनों की उपयोगिता तथा महत्व समझ सकेंगे;
- उपयोक्ता अध्ययन के नियोजन के लिए आवश्यक चरणों की व्याख्या कर सकेंगे;
- उपयोक्ता अध्ययनों के लिए उपयुक्त विधियों को सुनिश्चित कर उन्हें अपना पाएँगे; और
- उपयोक्ताओं के सामान्य परिवर्तों और अभिलक्षणों को परिगणित कर पाएँगे तथा विषय के अध्ययन में उनका उपयोग कर पाएँगे।

2. परिचय

पुस्तकालयों और सूचना प्रणालियों की अभिकल्पना और रचना अपने उपयोक्ताओं की सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के प्राथमिक उद्देश्य से की जाती है। सूचना प्रणालियों और सेवाओं को पहले उपयोक्ता समादेश' (users warrant) की अपेक्षा 'साहित्य समादेश' (literary warrant) के आधार पर विकसित किया जाता है।

वास्तव में, प्रत्येक तथा समस्त सूचना-परक क्रियाकलाप पाठकों की आवश्यकता द्वारा ही निर्देशित होते हैं। सूचना उपयोक्ता के बारे में पी. एम. लिगेट (P. M. Leggate) का कथन है कि "पुनर्प्राप्ति-प्रणालियों, और कम्प्यूटर प्रणालियों से विपरीत उपयोक्ता एक मनुष्य है और इसलिए उसको वर्गीकृत करना कठिन है। दुर्भाग्यवश, उपयोक्ता के संबंध में कोई कुछ भी कह सकता है और वह कुछ उपयोक्ताओं के लिए सत्य भी प्रतीत होगा। इस संबंध में कोई भी सामान्य कथन या सामान्यीकरण कम से कम कुछ उपयोक्ताओं के लिए सही होगा"। निश्चित उपयोक्ता समूहों की पहचान करने के साथ अनेक जटिल, खर्चीली और अपेक्षापूर्ण प्रक्रियाएँ जुड़ी हुई हैं। तथापि, मूल प्रश्न और समस्याएँ ये नहीं हैं कि ये प्रक्रियाएँ कितनी प्रभावी अथवा फलोत्पादक हैं, बल्कि ये हैं कि :

(1) किसी समस्या को पहचानने, उसके स्पष्टीकरण अथवा हल करने में किसी सूचना उपयोक्ता की कोई सूचना प्रणाली या किसी पुस्तकालय के सूचना एकक क्या मदद कर सकते हैं ?

(2) इस प्रकार की प्रणाली अथवा एकक, इस संभाव्यता को कहाँ तक उभार सकते हैं कि उपयोक्ता न्यूनतम प्रयास करके ही सुसंगत और उपयोगी सूचना प्राप्त कर सकें।

ऊपर दिए गए प्रश्न ही उस आधार का निर्माण करते हैं जिस पर सूचना प्रणालियों अथवा सूचना एककों, जिनमें पुस्तकालय भी शामिल हैं, का निर्माण अथवा विकास किया जा सकता है। इन प्रश्नों से उद्देश्यों, उत्पादों और सेवाओं पर विचार करने और साथ ही ऐसे उत्पादों अथवा सेवाओं की सफलताओं अथवा सफलताओं का मूल्यांकन करने के लिए व्यावहारिक संक्रियात्मक ढाँचा उपलब्ध होता है।

यदि यह बात स्वीकार कर ली जाए तो यह बात स्वयं ही उभर कर आएगी कि किसी भी सूचना प्रणाली, सेवा या उत्पाद की रूपरेखा का अभिकल्प तैयार करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होगी, अपने

उपयोक्ताओं का अध्ययन करना। उपयोक्ताओं का अध्ययन न केवल सूचना प्रणाली की योजना बनाने या सूचना सेवा अथवा उत्पाद को शुरू करने से पहले किया जाना चाहिए बल्कि इसे प्रणाली या सेवा के जीवन चक्र के दौरान भी निरंतर करते रहना चाहिए। इस बात पर बल दिया जा सकता है कि उपयोक्ता अध्ययन से ऐसी प्रणाली के अपेक्षाकृत लंबे जीवनचक्र की संभाव्यता बढ़ जाती है जबकि सुविचारित अध्ययन के अभाव में यह अत्यंत तेजी से घट जाती है।

उपयोक्ता अध्ययन का संचालन एक कठिन कार्य है क्योंकि इससे संबंधित सिद्धान्त, प्रतिमान तथा विधियाँ पूर्णतः विकसित और परिष्कृत नहीं हो पाई हैं। तथापि, उपयोक्ता अध्ययनों पर आधारित उत्पादों तथा सेवाओं की अभिकल्पना एवं रचना बेहतर ढंग से की जा सकती है, वनस्पित उन उत्पादों और सेवाओं के जिनकी अभिकल्पना एवं रचना अंतः प्रज्ञा, पूर्व-प्रमाण अथवा किसी समिति के पर्यालोचन पर आधारित है।

यहाँ यह बल देकर कहा जा सकता है कि उपयोक्ता अध्ययन का बुनियादी उद्छेश्य सूचनाएँ एकत्रित करना है जो उन विशिष्ट सूचना उत्पादों अथवा सेवाओं की संकल्पना करने, उन्हें चलाने तथा उनका मूल्यांकन करने में उपयोगी हों जिन्हें विशिष्ट उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारम्भ किया जाता है। यहाँ इस बात को और भी बल देकर कहा जा सकता है कि सूचना संबंधी क्रियाकलापों की सभी अवस्थाओं-जैसे संकल्पना से लेकर मूल्यांकन तक तथा विपणन से लेकर प्रबंधन तक-में उपयोक्ता अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए केंद्रीय प्रश्न यह उठता है कि सूचना के उपयोक्ताओं अथवा उपयोगों के बारे में कौन-सी या कैसी उपयोगी सूचना एकत्रित की जानी चाहिए ? दूसरे शब्दों में, उपयोक्ता और उपयोग से संबंधित किन परिवर्तों या प्राचलों को एकत्रित करना चाहिए ? अध्ययन के लिए ऐसे परिवर्तों का विकल्प व्यापक होता है। उद्देश्य के आधार प्रत्येक उपयोक्ता अध्ययन के लिए उनके उपयोग के आधार पर, कुछ निश्चित परिवर्तों को सीमित संख्या में ही चुनना चाहिए। उपयोक्ता अध्ययन में जिन सामान्य परिवर्तों की जाँच करना संभव है उनमें से कुछ ये हैं :

(i) सूचना के उपयोक्ताओं से संबंधित वे कारक अथवा परिवर्तन जो संबंधित समस्या के बारे में उनके प्रत्यक्षण (प्रत्यक्ष ज्ञान) को प्रभावित करते हैं;

(ii) उनके द्वारा सूचना के उपयोग के लिए अपनाए जाने वाले तरीके तथा उनकी सूचना उपयोग की क्षमता;

(iii) सूचना हस्तांतरण की विभिन्न अवस्थाएँ जिनका संबंध किसी विशेष विचार या नवप्रवर्तन के बारे में उपयोक्ता के ज्ञान से है;

(iv) वातावरण जनित एवं सामाजिक अभिलक्षण; तथा

(v) संप्रेषण संबंधी अभिलक्षण, इत्यादि।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (LIS) से संबंधित साहित्य में उपयोक्ता अध्ययन पद की व्याख्या भिन्न-भिन्न रूपों में की गई है। अगले अनुच्छेदों में इन भिन्न व्याख्याओं और अन्य संबंधित पहलुओं की विवचेना की गई है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को इन विषयों पर पर्याप्त सूचना प्रदान करना है ताकि वे अपने व्यावसायिक कार्य में उपयोकता अध्ययन की योजना बना सकें और उसका संचालन कर सकें।

3. उपयोक्ता तथा उपयोक्ता अध्ययन

जैसा कि इससे पूर्व बताया जा चुका है, उपयोक्ता सभी स्तरों पर समस्त सूचनाओं का केन्द्र बिन्दु होता है। उपयोक्ता एक व्यापक संकल्पना है जिसमें सूचना के उत्पादक और उपयोक्ता दोनों ही सम्मिलित हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के साहित्य में 'उपयोक्ता' पद के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया

NOTES

है। ये न्यूनाधिक पर्यायवाची जैसे हैं। उदाहरण के लिए, उपयोक्ता की संकल्पना को संबोधित करने के लिए संरक्षक (Patron), मुवक्किल (Client), सदस्य (Member), ग्राहक (customer), इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्हिटेकर (Whitekar) द्वारा दी गई उपयोक्ता (User) की परिभाषा में कहा गया है कि उपयोक्ता वह व्यक्ति है जो पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त एक अथवा अनेक सेवाओं का उपयोग करता है। दूसरी ओर गिनचैट (Guinchat) की राय है कि उपयोक्ता को दो मानदण्डों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, यथा (i) उद्देश्यपरक मानदण्ड के आधार पर, जैसे- सामाजिक/व्यावसायिक श्रेणी, विशेषज्ञता का क्षेत्र, उन क्रियाकलापों का स्वरूप जिनके लिए सूचना प्राप्त की जा रही है, सूचना प्रणाली के उपयोग का कारण; और (ii) सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक मानदण्ड के आधार पर, जैसे सामान्य रूप से सूचना के प्रति उपयोक्ता का दृष्टिकोण, उसकी सूचना संबंधी आस्था, तथा विशेष रूप से सूचना प्रणाली अथवा सूचना एकक से उसका संबंध। गिनचैट ने उपयोक्ताओं को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया है : (i) वे उपयोक्ता जो सक्रिय जीवन में अभी संलग्न नहीं हुए हैं, जैसे छात्र; (ii) वे उपयोक्ता जो किसी आजीविका में संलग्न हैं और जिनकी सूचना संबंधी आवश्यकताएँ उनके काम या नौकरी से संबंधित हैं; ये अपने मुख्य क्रियाकलापों (प्रबंध, अनुसंधान, विकास, उत्पादन, सेवाएँ इत्यादि) के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं जैसे (क) क्रियाकलाप की शाखा और/अथवा विशेषज्ञता का क्षेत्र (सिविल सेवा/Civil Service) कृषि, उद्योग, इत्यादि); और (ख) शिक्षा तथा उत्तरदायित्व का स्तर (व्यावसायिक कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी); और (iii) सामान्य नागरिक, जिन्हें सामान्य सूचना की आवश्यकता होती है।

प्रोफेसर जे.डी. बर्नाल (Professor J.D. Bernal) ने वैज्ञानिक तकनीकी सूचनाओं के उपयोक्ताओं को, उनके लिए आवश्यक विविध प्रकार की सूचना सेवाओं के आधार पर वर्गीकृत किया है। इस वर्गीकरण का एक मुख्य पहलू है, अभियन्ताओं, वास्तुकारों, चिकित्सकों तथा कृषकों को प्रौद्योगिकीविदों के वर्ग में रखना। साथ ही, प्रबंधकों (व्यापारिक एवं औद्योगिक दोनों) को सूचना उपयोक्ताओं के विशिष्ट वर्ग के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

उपयोक्ताओं को वर्गीकृत करने की एक और विधि सूचना के प्रति उनके उपागम पर आधारित है। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) **संभावित उपयोक्ता**–वह व्यक्ति जिसको ऐसी सूचना की आवश्यकता है जो विशिष्ट सेवाओं द्वारा प्रदान की जा सकती है;

(ii) **अपेक्षित या प्रत्याशित उपयोक्ता**–वह व्यक्ति जिसकी इच्छा खास सूचना सेवाओं के उपयोग में होती है;

(iii) **वास्तविक उपयोक्ता**–वह व्यक्ति जिसने सूचना सेवा का वास्तव में उपयोग किया है चाहे उस सेवा से लाभान्वित हुआ हो या नहीं, और

(iv) **लाभान्वित उपयोक्ता**–वह व्यक्ति जो सूचना सेवाओं से परिमेय (मापने योग्य) लाभ उठाता है।

यहाँ यह ध्यातव्य है कि डॉ. एस. आर. रंगनाथन (Dr. S. R. Ranganathan) ने सूचना सेवाओं के प्रकारों का प्रतिपादन किया है तथा उन सेवाओं के आधार पर उपयोक्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है : नवागंतुक, सामान्य पूछताछ करने वाला, विशेष पूछताछ करने वाला, और सामान्य पाठक।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एक विवेकी प्रणाली अभिकल्पक इस बात को समझता है कि सूचनाओं के उपयोक्ता को प्रणाली में सक्रिय रूप में भाग लेने वाला होना चाहिए और प्रणाली की अभिकल्पना भी उसकी आवश्यकताओं से निर्देशित होनी चाहिए। इसलिए, सूचना सेवा को उसके उपयोक्ता की जरूरतों का अनुमान लगा लेना चाहिए तथा वह उसके अनुकूल होनी चाहिए। विशेष स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि उपयोक्ता को किसी खास प्रणाली अथवा सेवा से होने वाले विविध लाभों की पूरी

जानकारी न हो। ऐसी स्थितियों में प्रणाली अभिकल्पक को संबंधित पहलुओं के बारे में उसका मार्गदर्शन कर उसे उसकी आवश्यकतानुसार सेवा उपलब्ध करानी चाहिए।

सामान्यतः वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना प्रणाली के उपयोक्ताओं को उनके क्रियाकलाप की किस्म के आधार पर तीन महत्वपूर्ण वर्गों में रखा जा सकता है। ये हैं :

(क) अनुसंधानकर्ता,

(ख) प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय और/अथवा संक्रियात्मक क्रियाकलापों में संलग्न व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ, और

(ग) प्रबंधक, नियोजन, तथा अन्य निर्णय लेने वाले व्यक्ति जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर विकासीय क्रियाकलापों के समन्वयन में संलग्न हैं।

उपर्युक्त तीन वर्गों को बहुत ही मोटे तौर पर परिभाषित किया गया है और ये वर्ग सर्वसमावेशी नहीं हैं।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. उपयोक्ता अध्ययन में किन-किन सामान्य परिवर्तों की जाँच सम्भव है?

....

....

....

....

3.1 उपयोक्ताओं के अभिलक्षण

चूंकि किसी भी उपयोक्ता अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ऐसी सूचना को एकत्रित करना होता है जो विशिष्ट उपयोक्ताओं के लिए विशिष्ट सूचना उत्पादों अथवा सेवाओं को अभिकल्पित करने, उपलब्ध करने और उनके मूल्यांकन में उपयोगी हों, अतः उपयोक्ताओं के अभिलक्षणों को पूरी तरह समझना आवश्यक हो जाता है। उपयोक्ताओं के अभिलक्षणों का अध्ययन निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत किया जा सकता है : (i) व्यक्तिगत अभिलक्षण, (ii) सूचना विसरण की अवस्थाएँ, (iii) परिवेश संबंधी अथवा सामाजिक अभिलक्षण, और (iv) संप्रेषण संबंधी अभिलक्षण।

व्यक्तिगत अभिलक्षण

उपयोक्ताओं के व्यक्तिगत अभिलक्षण का संबंध सूचना के उपयोक्ताओं में सन्निहित ऐसे तत्वों से है जो निम्नलिखित तथ्यों को प्रभावित करते हैं : (क) समस्या के बारे में उनका प्रत्यक्षण, संबंधित समस्या की उनकी परिभाषा, तथा अपेक्षित सूचना का उनके द्वारा वितरण, तथा (ख) उनके द्वारा सूचना के उपयोग का विशेष तरीका तथा किसी विशेष प्रकार की सूचना के उपयोग की उनकी क्षमता।

सूचना विसरण की अवस्थाएँ

इस पहलू का संबंध इस बात से है कि उपयोक्ताओं को किसी विशिष्ट विचार अथवा नवप्रवर्तन के बारे में कितनी जानकारी है। विभिन्न अवस्थाओं में सूचना की आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं, अतः सूचना उत्पादों और सेवाओं को प्रत्येक अवस्था की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त बनाना होता है। यह तभी संभव हो सकता है जब उपयोक्ता की क्षमताओं का स्पष्ट प्रत्यक्षण कर लिया जाए।

NOTES

परिवेश संबंधी अथवा सामाजिक अभिलक्षण

परिवेश संबंधी या सामाजिक अभिलक्षणों के अंतर्गत सामाजिक प्रणाली के उन कारकों (जैसे- मानदण्ड, स्थिति, संदर्भ वर्ग, इत्यादि) को रखा जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवहार और संप्रेषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इन कारकों के बारे में जानकारी होने से प्रणाली के अभिकल्पक को उपयोक्ता की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित रूप में स्पष्ट करने में सहायता मिलती है।

संप्रेषण संबंधी अभिलक्षण

सूचना के उपयोग तथा विसरण या प्रसार से संबंधित तत्वों से संप्रेषण संबंधी अभिलक्षणों की रचना होती है। इनमें से कुछ हैं : सूचना-स्रोत, सूचना-संरचनाएँ, संप्रेषण चैनल (channels) और सूचना प्रणालियाँ।

इन पहलुओं को अन्य अभिलक्षणों से सहसंबंधित करने की आवश्यकता है। समुचित और सुनियोजित उपयोक्ता अध्ययन का लक्ष्य है, उपयोक्ताओं से संबंधित सभी संगत आँकड़ों को इकट्ठा करना, ताकि एक फलोत्पादक सूचना प्रणाली का निर्माण किया जा सके। ऐसे आँकड़े उपयोक्ताओं और सूचना प्रणाली के अभिकल्पों के बीच निकट संबंध स्थापित करने में सहयोग देते हैं।

3.2 उपयोक्ता अध्ययन

अगले अनुच्छेदों में उपयोक्ता की विचारधारा और उपयोक्ताओं से संबंधित अभिलक्षणों का वर्णन और विवेचन किया गया है। इस अनुभाग में हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि उपयोक्ता अध्ययन में क्या-क्या शामिल है, और इसका विकास किस प्रकार हुआ। उपयोक्ताओं के परम महत्व को समझने के बाद हम उपयोक्ता अध्ययनों की आवश्यकता को समझ पाएँगे।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के साहित्य में इसके संबंध में सबसे पहला संदर्भ हमें 1930 के दशक के परवर्ती भाग में एल. आर, विल्सन (L. R. wilson) द्वारा किए गए उपयोक्ता अध्ययन का मिलता है, यद्यपि यह अमेरिका में पुस्तकालयों के विवरण और स्थिति की खोज करने का प्रयास था। इसका लक्ष्य पुस्तकालय के उपयोग अथवा उपयोक्ताओं से संबंधित सूचनाओं का एकत्रण नहीं था।

उपयोक्ताओं और उनकी सूचना संबंधी आवश्यकताओं की संकल्पना के बारे में रॉयल सोसायटी (Royal Society) के लंदन में हुए प्रथम सम्मेलन में कुछ विचार व्यक्त किए गए थे। सन् 1958 में वाशिंगटन में वैज्ञानिक सूचना पर प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में प्रो. जे. डी. बर्नाल के शोधलेख द ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन: ए यूज़र्स एनालिसिस (The Transmission of Scientific Information : A Users' Analysis) की ओर लोगों का ध्यान अत्यधिक आकृष्ट हुआ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक साहित्य के उपयोग पर एक प्रारंभिक अध्ययन नेशनल साइंस फांउडेशन (National Science Foundation) की ओर से 1956 में आर. आर. शॉ (R. R. Shaw) द्वारा किया गया था। शॉ के इस अध्ययन को उपयोक्ता अध्ययनों की दिशा में किए गए पथप्रदर्शक प्रयासों में से एक माना जाता है। तभी से इस विषय पर अनेक विस्तृत अध्ययन किए जाने लगे। उदाहरण के लिए, डेविस और बेल (Davis and Bail) ने बहुत पहले, अर्थात् सन् 1964 में ऐसे 438 अध्ययनों की एक ग्रंथसूची संकलित की थी। इस बात के लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं कि 1977 तक उपयोक्ता अध्ययनों के विषय पर 1000 से भी अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन किए जा चुके थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और वैज्ञानिक सूचना के उपयोग को दिए जाने वाले महत्व ने उपयोक्ता अध्ययनों के ऐसे प्रयासों को प्रचुर मात्रा में बढ़ाया है।

शेफ़िल्ड विश्वविद्यालय (Sheffield Universtiy) में ब्रिटिश लाइब्रेरी (British Library) द्वारा सन् 1975 में उपयोक्ता अध्ययनों पर अनुसंधान केन्द्र (CRUS : Centre for Research on User Studies) की स्थापना उपयोक्ता अध्ययनों के इतिहास में महत्व की घटना है। इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्रीय केन्द्र का सृजन करना था जो उपयोक्ता अध्ययनों के लिए अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य कर सके। हमें आशा करनी चाहिए कि उपयोक्ता अध्ययनों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधानों को भविष्य में इस केन्द्र से प्रोत्साहन प्राप्त होगा और उपयोक्ता अध्ययनों के सिद्धान्त का विकास होगा। उपयोक्ता अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए एक केन्द्र की स्थापना से उपयोक्ता अध्ययन विषय का महत्व प्रकट होता है।

3.3 उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता

सूचना की आवश्यकता संबंधी सर्वेक्षणों या उपयोक्ता अध्ययनों ने आवश्यक सूचना सेवाओं की किस्म और विद्यमान सेवाओं की किस्म के बीच के अंतराल को पाटने में सशक्त भूमिका निभाई है। सूचना प्रणाली कैसी भी हो, उसके लिए उपयोक्ता की आवश्यकताओं का निर्धारण निश्चय ही जरूरी होता है। तथापि इस विचार के संबंध में कुछ शंकाएँ उठती रही हैं कि क्या उपयोक्ता अध्ययनों अथवा सर्वेक्षणों के जरिए वास्तव में सूचना आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है कि सूचना आवश्यकताओं का निर्धारण सार्वजनिक राय जानने के लिए जाने वाले मतदान जैसे सर्वेक्षणों से नहीं हो सकता। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना सेवा एक प्रकार की व्यावसायिक सेवा (जैसे चिकित्सा) है और यह उपभोक्ता सेवा (जैसे- नाश्ता पैक करना) से भिन्न है। इसलिए सूचना सेवा के उपयोक्ता सूचना प्रणाली की अभिकल्पना में सही दिशा-निर्देश नहीं प्रदान कर सकते। इस विचारधारा ने ऐसे सर्वेक्षणों के संचालन के लिए तकनीकों अथवा विधियों के विकास पर जोर दिया है। इस स्थिति ने उपयोक्ता अध्ययनों के संचालन के लिए विश्वसनीय विधियों के विकास के प्रयासों को गति दी है और प्रभावी तथा फलोत्पादक सूचना प्रणालियों, सेवाओं, और उत्पादों की अभिकल्पना और संचालन के लिए उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. समस्त सूचनापरक क्रिया- कलाप पाठकों की आवश्यकतानुसार ही क्यों निर्देशित होने चाहिए ?

....

....

....

....

3.4 उपयोक्ता अध्ययन का नियोजन

उपयोक्ता अध्ययन के नियोजन अथवा इसकी योजना बनाने का कार्य प्रारंभ से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में पहले से ही प्रत्येक चरण की विस्तृत योजना का खाका तैयार करना आवश्यक होता है। कार्य की विभिन्न अवस्थाओं को भी अध्ययन के सामान्य उद्देश्य के साथ इंगित कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ये विभिन्न अवस्थाएँ हैं : उद्देश्य की, तथा कुछ प्रश्नों तथा उनके समाधान के लिए उपयुक्त साधनों की पहचान करना; उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तकनीक का वरण; प्रेक्ष्य उपयोक्ता (या जिस उपयोक्ता समुदाय का अध्ययन किया जाना है) के नमूने का चयन; विभिन्न स्रोतों एवं व्यक्तियों से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने की योजना; तकनीकों को पहले से जाँच लेना; आँकड़ों का विश्लेषण; और अंतिम प्रतिवेदन तैयार करना। कार्य की प्रत्येक अवस्था में कुछ निर्णय लेने होते हैं।

NOTES

योजना से संबंधित विभिन्न चरण

उपयोक्ता अध्ययन के संचालन की प्रत्येक योजना के कम से कम निम्नलिखित चरण होने चाहिए :

(i) पिछले अध्ययनों और साहित्य का सामान्य सर्वेक्षण करना और उपयोक्ता अध्ययनों के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना;

(ii) अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना;

(iii) उन परिवर्तों का निर्धारण करना जिनका अध्ययन करना है और उस विशिष्ट प्रतिमान का निर्धारण करना जिसका अनुसरण करना है;

(iv) नमूने की समष्टि का चयन जिसका अध्ययन करना है;

(v) प्रेक्षण के लिए आँकड़ों को इकट्ठा करने की विधि निर्धारित करना;

(vi) आँकडों अथवा प्रेक्षणों के विश्लेषण की विधि निर्धारित करना; तथा

(vii) आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण के तरीकों का निर्धारण, और परिणामों अथवा निष्कर्षों का उपयोग, जिसमें इन परिणामों का प्रसारण भी शामिल है।

प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्यों को योजनाबद्ध करते हुए हमें स्पष्ट शब्दों में यह बता देना चाहिए कि इस अध्ययन से यथार्थतः क्या ज्ञात हो सकेगा। आगे की सभी अवस्थाएँ इस निर्णय पर निर्भर करेंगी। इस संदर्भ में यह बताया जा सकता है कि सामान्यतः जिन्हें हम सूचना के उपयोग अथवा उसकी आवश्यकता संबंधी अध्ययन कहते हैं उनमें अनेक भिन्न चीजों का संयोजन होता है। ऐसे अध्ययनों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

उपयोक्ता अध्ययनों की विभिन्न श्रेणियाँ

(i) वैसे अध्ययन जिनका संचालन उपयोक्ताओं के समुदाय और संचार प्रणाली के साथ उनकी अंतरक्रिया के समग्र ढाँचे को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उन्हें संचार व्यवहार अध्ययन कहा जाता है।

(ii) दूसरी श्रेणी में उन अध्ययनों को रखा जाता है जो किसी संचार माध्यम का उपयोग ज्ञात करने के लिए संचालित किए जाते हैं- जैसे- प्राथमिक पत्रिकाएँ, द्वितीयक पत्रिकाएँ इत्यादि-इन्हें उपयोक्ता अध्ययन कहा जाता है।

(iii) तीसरी श्रेणी में वे अध्ययन आते हैं जिनका संचालन समग्र रूप में विज्ञान-संचार प्रणाली में सूचना के प्रवाह के ढाँचे को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये सूचना के प्रवाह में किए गए अध्ययन कहलाते हैं।

(iv) चौथी श्रेणी में वे अध्ययन/सर्वेक्षण शामिल किए जाते हैं जिनका संचालन पुस्तकालय अथवा सूचना केन्द्र के सीमित संदर्भ में, मुख्यतः प्रणाली अथवा सेवाओं को सुधारने के अंतिम उद्देश्य के साथ किसी एजेन्सी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और सुविधाओं के उपयोग का विस्तार ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

यहाँ यह बता देना चाहिए कि किसी भी खास अध्ययन/सर्वेक्षण के भिन्न-भिन्न पहलू हो सकते हैं जिनके कारण उपरिलिखित श्रेणियाँ एक -सरे को अतिव्याप्त करती हैं। इसलिए उद्देश्यों को तय करते समय यह निश्चित करना पड़ता है कि ऊपर बताई गई चार श्रेणियों के अनुसार अध्ययन/सर्वेक्षण का स्वरूप यथार्थवत् क्या होगा।

3.5 उपयोक्ता अध्ययन के लिए विधियाँ

उपयोक्ता अध्ययनों के संचालन की आवश्यकता को निर्धारित करने और अध्ययनों के संगत पहलुओं (परिवर्तों) का निश्चय करने के बाद अगला तर्कसंगत कदम उपयोक्ता अध्ययन के संचालन के लिए उपयुक्त विधियों का चयन होगा।

इस विषय पर उपलब्ध प्रचुर साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि अधिकांश सामान्य सर्वेक्षणों जैसे-साक्षात्कार, प्रश्नावली, दैनिकी इत्यादि-का सूचना उपयोग के अध्ययन के क्षेत्र में शोध कार्य करने वालों द्वारा व्यापक रूप में प्रयोग किया गया है। इस कार्य में अभी तक जिन विधियों का प्रयोग किया गया है उन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(क) सामान्य अथवा परम्परागत विधियाँ

- (i) प्रश्नावली
- (ii) साक्षात्कार
- (iii) दैनिकी
- (iv) स्वयं द्वारा किया गया प्रेक्षण
- (v) ऑपरेशन्स रिसर्च अध्ययन (Operations Research Studies)

(ख) सूचना उपयोग के संदर्भ में परोक्ष विधियाँ :

- (vi) पुस्तकालय के अभिलेखों का विश्लेषण
- (vii) उद्धरण विश्लेषण

(ग) विशिष्ट तथा गैर-परम्परागत विधियाँ :

- (viii) कम्प्यूटर प्रतिपुष्टि
- (ix) गैर-परम्परागत विधियाँ

ऊपर बताई गई सभी विधियों का वर्णन उपलब्ध साहित्य में देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ इनकी विस्तार से विवेचना करने का प्रयास नहीं किया गया है। तथापि, उपयोक्ता अध्ययन के लिए विधियों का चयन पिछले निर्णयों, अध्ययन के उद्देश्यों, और अध्ययन किए जाने वाले परिवर्तों के आधार पर किया जाता है। विधियों के चयन में तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए :

(i) उपयोक्ता समुदाय के नमूने का चयन;

(ii) नमूनों अथवा उनके बारे में आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रविधियों का निर्धारण; तथा

(iii) निष्कर्ष पाने या निकालने के लिए संकलित आँकड़ों के विश्लेषण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण।

उपयोक्ता अध्ययन से संबंधित कार्य को वास्तव में शुरू करने से पहले इनमें से प्रत्येक के ऊपर विस्तार से विचार करना चाहिए। उपयोक्ता अध्ययन में सर्व-सामान्य गलती यह होती है कि आँकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा इस पर कोई विचार किए बिना ही आँकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है।

किसी सांख्यिकीविद् से सलाह लेना और उपयोक्ता अध्ययन के लिए प्रयुक्त विधियों के वरण में उसकी मदद लेना सदा उपयोगी होता है। इससे उपयोक्ता अध्ययन से व्युत्पन्न परिणामों की उपयोगिता काफी बढ़ जाएगी। उपयोक्ता अध्ययन में अर्थहीन आँकड़ों को शामिल नहीं करना चाहिए।

NOTES

जहाँ तक उपयोक्ता समुदाय के नमूने के प्रतिचयन का प्रश्न है, इस कार्य के लिए अनेक विधियाँ उपलब्ध हैं। इस संबंध में सर्वाधिक सामान्य विधियाँ निम्नलिखित हैं :

(i) **सुविधात्मक प्रतिचयन :** अर्थात् पहले 25–30 ऐसे उपयोक्ताओं को लेना जो अध्ययन के विषय से संबंधित दिखाई दें।

(ii) **यादृच्छिक प्रतिचयन :** इसमें समष्टि या उपयोक्ता समुदाय में से अध्ययन के लिए कुछ उपयोक्ताओं को यादृच्छिक रूप में चुन लिया जाता है।

(iii) **स्तरित प्रतिचयन :** इसमें समष्टि को उपविभाजित कर उपवर्गों में बाँटना और फिर यादृच्छिक रूप में अध्ययन के लिए उपयोक्ताओं को चुन लेना शामिल है।

(iv) **प्रातिनिधिक प्रतिचयन :** इसमें अध्ययन विषय के रूप में कुछ समान विशेषताओं वाले व्यक्तियों, व्यक्ति युग्मों अथवा छोटे वर्गों को अध्ययन प्रारम्भ करने के पहले ही तय कर लेना शामिल है।

इसी प्रकार, आँकड़ों को एकत्रित करने की अनेक विधियाँ उपलब्ध हैं। सामान्यतः प्रयुक्त कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं :

(i) **सर्वेक्षण :** इसमें उपयोक्ता से प्रश्न करना और सीधे ही उपयोक्ताओं से उनके व्यवहार, लक्षणों, मूल्यों, परिस्थितियों और/अथवा वरीयताओं के बारे में उत्तर प्राप्त करना शामिल है। उपयोक्ता अध्ययनों की यह सबसे अधिक प्रयुक्त विधि है। इससे कुछ-कुछ अभिनत अथवा पूर्वाग्रह ग्रसित परिणाम निकलते हैं।

(ii) **प्रेक्षण :** इसमें दी हुई परिस्थितियों, पद्धतियों और कालविधियों, इत्यादि में उपयोक्ताओं के संप्रेषण व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रेक्षण किया जाता है।

(iii) **अभिलेखों का विश्लेषण :** इस विधि में पिछले संचारों (जैसे- लिखित संचार, पत्र-व्यवहार, सांख्यिकी) के अभिलेखों का विश्लेषण करना और इन अभिलेखों से उपयोक्ताओं के बारे में निष्कर्ष निकालना शामिल है।

(iv) **प्रयोग या परीक्षण :** इस विधि में एक तयशुदा वर्ग को एक विशेष वातावरण प्रदान कर उसके ऊपर उस वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और साथ ही अन्य वर्गों जो उस वातावरण से प्रभावित नहीं हैं – और प्रभावित वर्ग का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

अगला कदम आँकड़ों के विश्लेषण की कुछ विधियों की पहचान करना है। प्रत्येक विश्लेषण अनौपचारिक होता है क्योंकि इसके द्वारा इस बात का आभास मिलता है कि आंकड़े क्या संकेत देते हैं या किस दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। औपचारिक विश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधियाँ निम्नलिखित हैं :

(i) **सांख्यिकीय विश्लेषण :** इसमें, आंकिक (अंकों के) रूप में अभिव्यक्त महत्वपूर्ण आंकड़ों को जाँचने, तुलना करने, तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए मानक सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

(ii) **अर्थविषयक विश्लेषण :** इसमें शाब्दिक (शब्दों के) रूप में अभिव्यक्त आंकड़ों को जाँचने, तुलना करने, तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए अर्थविषयक तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

(iii) **मनःसामाजिक विश्लेषण :** इसमें वैचारिक, तार्किक, अथवा प्रतिनिधिक रूप में अभिव्यक्त आँकड़ों को वर्गीकृत तथा वर्णित करने के लिए मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, तथा नृविज्ञानीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

(iv) **आर्थिक विश्लेषण :** इसमें उपर्युक्त सभी रूपों में अभिव्यक्ति आँकड़ों से अर्थशास्त्रीय निष्कर्ष निकालने के लिए मैक्रो (Macro) अर्थशास्त्रीय तथा माइक्रो (Micro) अर्थशास्त्रीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

विश्लेषण की इनमें से प्रत्येक तकनीक के लिए उसके विषय-क्षेत्र की जानकारी जरूरी होती है। स्तरीय या मानक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर पैकेज आजकल व्यापक रूप में उपलब्ध हैं जिनके उपयोग द्वारा सूचना का कम्प्यूटर आधारित विश्लेषण, प्रस्तुतीकरण, इत्यादि किया जा सकता है। तथापि, ऐसे पैकेजों के प्रयोग के लिए कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पूर्व में किए गए अध्ययनों में अपनाई गई तकनीकों का भी सरलता पूर्वक उपयोग किया जा सकता है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता क्यों होती है?

....

....

....

....

4. उपयोक्ता अध्ययन : सीमाएँ तथा आलोचनाएँ

यद्यपि वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं और प्रौद्योगिकीविदों की सूचना संबंधी जरूरतों को निर्धारित करने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं, फिर भी सूचना संबंधी आवश्यकताएँ अत्यंत जटिल और वैविध्यपूर्ण सिद्ध हुई हैं। परिणामस्वरूप इनमें से अधिकांश अध्ययन सूचना प्रयोक्ताओं के यथार्थ स्वरूप और आवश्यकताओं को पूरी तरह प्रकट करने में अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। इन अध्ययनों से इस समस्या का केवल प्राथमिक उपागम ही भली-भाँति उपलब्ध होता है और इस दिशा में अभी भी काफी कुछ करने की आवश्यकता है।

उपयोक्ता अध्ययनों/सर्वेक्षणों में प्रयुक्त विधियों और तकनीकों की थोड़ी आलोचनाएँ होती रही हैं। उदाहरण के लिए, यह कहा गया है कि उपयोक्ता अध्ययन में प्रतिचयन के ऊपर काफी काम करना बाकी है। दूसरे शब्दों में, नमूने के चयन में यादृच्छिक प्रतिचयन की सुपरिष्कृत तकनीकों को प्रयोग में नहीं लिया गया है। बहुत सारे शोधकर्ता-जो रुचि से या विधिपूर्वक सर्वेक्षण कार्य करते हैं और प्रश्नावलियों और दैनिकी को लौटाने में सहयोगी रुख अपनाते हैं- भी नमूने लेने में सदा ही सामान्य त्रुटि कर जाते हैं। इस त्रुटि से बचना चाहिए। यही नहीं, मात्र नमूने का आकार महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि उस नमूने का संघटन भी महत्वपूर्ण होता है जिसमें भाग लेने वालों के परिवेश पर भी विचार किया गया है। आलोचकों में से एक ने लगभग सात विभिन्न परिवेशों का सुझाव दिया है जो इस प्रकार है: (i) शिक्षा संस्थाएँ, (ii) अनुसंधान संगठन, (iii) उद्योग, (iv) सरकार, (v) व्यावसायिक संगठन, (vi) श्रमिक संघ, और राजनीतिक दल, तथा (vii) प्रेस (Press) और प्रसारण। इसी प्रकार, उपयोक्ताओं को भी कार्यों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बाँटा जा सकता है जैसे: (i) अनुसंधान, (ii) अध्यापन और प्रशिक्षण, (iii) प्रबंधन, (iv) सामाजिक कार्य तथा प्रशासन, (v) सूचना तथा प्रसारण, (vi) राजनीति, तथा (vii) अध्ययन एवं ज्ञान-प्राप्ति। व्यक्ति की सूचना संबंधी आवश्यकताओं और व्यवहार को ये सभी प्रभावित कर सकते हैं।

साथ ही अनेक परिवर्ती और भी हैं। ये जनसांख्यिकीय (जैसे- आयु, शिक्षा, अनुसंधान के अनुभव की अवधि) और मनोवैज्ञानिक (जैसे- अभिप्रेरण, बुद्धि) परिवर्ती होते हैं जिनका संबंध सूचना संबंधी अपेक्षाओं, आवश्यकताओं और उपयोक्ताओं से हो सकता है। अत: यह माना जाता है कि उपयोक्ता के मनोविज्ञान को भी ध्यान में रखना चाहिए। उपयोक्ता मनोविज्ञान के जिन पहलुओं पर विचार करना चाहिए उनमें ये शामिल हैं : खोज की सहनीय या संतोषजनक अवधि, असंगत सामग्री की सहनीय या संतोषजनक मात्रा, पूर्वव्यायी

खोज के लिए उपलब्ध समय, खोज के उत्पाद का वांछनीय स्वरूप, उपयोक्ता की निवेश करने की क्षमता, कार्य करने की आदतें, शब्दावली की सनकें, संदर्भ उपकरणों और सूचना प्रणाली की पूर्व जानकारी, और सूचना प्रणाली के भौतिक पहलुओं की सुविधापूर्णता के बारे में उपयोक्ता का निर्णय।

NOTES

सूचना इकट्ठा करने और सूचना का पता लगाने से संबंधित व्यवहारों के अध्ययन में व्यक्तिगत परिवर्तों को शामिल करने के महत्व पर भी कुछ विशेषज्ञों ने जोर दिया है। समय-समय पर उद्धृत किए जाने वाले कुछ व्यक्तिगत परिवर्ती निम्नलिखित हैं : (i) आयु, (ii) कार्य विशेष में अनुसंधान का अनुभव, (iii) पृष्ठभूमि योग्यताएँ, (iv) एकल कार्यकर्ता अथवा समूह में काम करने वाला व्यक्ति, (v) सत्तता और पूर्णता, तथा (vi) अभिप्रेरणा इत्यादि।

कुछ आलोचकों का यह मानना है कि उपयोक्ता अध्ययनों में उपर्युक्त पहलुओं में से कुछ को उचित रूप में शामिल करने पर उनमें त्रुटियों को कम किया जा सकता है और परिणामों को विधिमान्य और व्यापक रूप में प्रयोज्य बनाया जा सकता है।

5. केस अध्ययन

सन् 1948 में, जब प्रोफेसर जे. डी. बर्नाल ने अपने प्रारंभिक अध्ययन को रॉयल सोसायटी (Royal Society) के वैज्ञानिक सूचना सम्मेलन (Scientific Information Conference) में रखा तब से उन विधियों की खोज करने के अनेक प्रयास किए गए हैं जिन विधियों से वैज्ञानिक तथा अभियन्ता वस्तुस्थिति अध्ययन के अपने विषय/केस से संबंधित आवश्यक सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रयोग में ले सकते हैं। इन प्रयासों के पीछे मूल धारणा यह रही है कि वर्तमान में प्रचलित परम्परागत सूचना उपकरणों और प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है, और कल के उन्नत उपकरण और सेवाएँ उन्हीं उपकरणों और प्रणालियों से निकलेंगी जिनका आज हम उपयोग कर रहे हैं।

उपयोग संबंधी अध्ययनों और सर्वेक्षणों का विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न देशों में संचालन समष्टि या समुदाय के भिन्न नमूने के साथ किया गया है। ऐसे अध्ययनों के परिणामों की विवेचना करना अथवा उन्हें प्रस्तुत करना इस अध्याय में संभव नहीं है। तथापि कुछ अध्ययनों के महत्वपूर्ण परिणामों के प्रतिवेदनों का प्रकाशन हो चुका है जिनका इस अध्याय में, संकेत एवं संदर्भ-स्वरूप उल्लेख किया गया है।

इन गवेषणात्मक अध्ययनों में एक को 1995 में प्रकाशित किया गया था जिसमें लगभग 796 उपयोक्ता अध्ययनों का विश्लेषण लिसा (LISA : Library and Information Science Abstracts) द्वारा 1969 से 1989 की अवधि के लिए सूचित किया गया है। इस गवेषणा से पता चलता है कि उपयोक्ता अध्ययनों के समकालीन अनुसंधानों में ऐसे क्षेत्र शामिल थे, जैसे- उपयोक्ताओं की प्रत्यक्ष जाँच, उपयोक्ताओं की अभिवृत्तियों का निर्धारण, प्रायोगिक (Pilot) सूचना सेवाओं और उनका मूल्यांकन तथा उपयोक्ताओं का प्रत्यक्ष प्रेक्षण। उपयोक्ता अध्ययनों में अनुसंधान के दुर्बल क्षेत्रों में शामिल हैं, सूचना का उपयोग, अप्रलेखीय संप्रेषणीयता, बिना दस्तावेजों के संचार, सार्थकता और परिष्करण इत्यादि।

5.1 भारत में किए गए प्रयास

विज्ञान में संचार की समस्याओं और उपयोक्ता अंतरापृष्ठ की ओर पिछले तीन दशकों से हमारे देश में थोड़ा ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए, इन्सडॉक (INSDOC) द्वारा बहुत पहले, 1964 में, अपनी सामयिक जागरुकता सेवा, जिसका शीर्षक इन्सडॉक लिस्ट ऑफ करेंट साइंटिफिक लिटरेचर (INSDOC List of Current Scientific Literature) था, से संबंधित उपयोग सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के फलस्वरूप इन्सडॉक को इस सामयिक जागरुकता सेवा को बंद करना पड़ा और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स (Indian Science Abstracts) का संकलन शुरू करना पड़ा। इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उपयोग के संबंध में 1965 में कार्ल

एम. व्हाइट (Carl M. White) द्वारा किया गया अध्ययन है। इसी वर्ष (अर्थात् 1965 में) इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरिज एण्ड इन्फॉर्मेशन सेन्टर्स (IASLIC : Indian Association of Special Libraries and Information Centres) ने 'उपयोक्ताओं और पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं' (Users and Library and Information Services) पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। यद्यपि, इस संगोष्ठी में किसी उल्लेखनीय अध्ययन/सर्वेक्षण की चर्चा नहीं की गई फिर भी इसने विशिष्ट पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों के अधिकारियों का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकृष्ट करने में सहायता की।

सन् 1967 में इन्सडॉक ने इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) के क्षेत्र में कार्यरत शोधकर्ताओं की सूचना शक्यता और सूचना संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए एक आरंभिक सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन ग्रिड (Electronics Information Grid) के निर्माण के संबंध में किया गया था। इस अध्ययन में साक्षात्कार तकनीक और प्रश्नावली विधि का इस्तेमाल किया गया था। इसके निष्कर्षों को, यद्यपि ये अनिवार्यत: आनुभाविक किस्म के थे, एक प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस दिशा में एक अन्य लाभप्रद प्रयास दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रो. कृष्ण कुमार द्वारा किया गया सर्वेक्षण था जो विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यापकों और अनुसंधान-छात्रों की सूचना-संबंधी आवश्यकताओं और सूचना इकट्ठा करने की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए किया गया था। यह सर्वेक्षण एक प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से संचालित किया गया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष अन्य देशों में किए गए इसी प्रकार के अध्ययनों के निष्कर्षों से मिलते-जुलते हैं। इस अध्ययन में प्रयुक्त प्रश्नावली की एक प्रति (इसका हिन्दी रूपान्तर) परिशिष्ट में दी गई है।

यद्यपि पुस्तकालय, उपयोक्ताओं के लिए ही होते हैं परन्तु भारतीय पुस्तकालय व्यवसाय में होने वाले अनुसंधानों में इस प्रणाली के 'उपयोक्ता' घटक को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। हाल के कुछ वर्षों में ही उपयोक्ता संबंधी विस्तृत तथा गहन अध्ययनों के विवरण देखने को मिले हैं।

इस दिशा में एस.एस. श्रीधर (M. S. Sridhar) द्वारा किए गए एक प्रयास का उल्लेख होना चाहिए। पीएच.डी. (Ph.D) की उपाधि के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए शोधकार्य का विषय था : इन्फॉर्मेशन सीकींग बिहेवियर ऑफ दी इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट्स ऑफ इसरो सैटेलाइट सेन्टर, बैंगलोर (Information Seeking Behaviour (ISB) of the Indian Space Technologists (IST) of ISRO Satellite Centre (ISAC), Banglore)। इस अध्ययन के परिणामों को इन्फार्मेशन बिहेवियर ऑफ साइंटिस्ट्स एण्ड इंजीनियर्स (Information Behaviour of Scientists and Engineers) आख्या के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन का उपयोक्ता अध्ययनों में महत्वपूर्ण योगदान है तथा इसे एक केस अध्ययन के रूप माना जाना चाहिए। जिन केस अध्ययनों का संदर्भ ऊपर दिया गया है, वे उदाहरणस्वरूप हैं न कि सर्वसमावेशी।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. उपयोक्ता अध्ययन की विधियाँ बताइए।

....

....

....

....

6. सार-संक्षेप

उपयोक्ता अध्ययन से संबंधित इस अध्याय में पुस्तकालय अथवा सूचना प्रणाली के 'उपयोक्ता' की विचारधारा की व्याख्या की गई है। 'उपयोक्ता' शब्द के विभिन्न लक्ष्यार्थों की चर्चा भी यहाँ की गई है।

NOTES

इस अध्याय में इस बात पर बल दिया गया है कि पुस्तकालय अथवा सूचना प्रणालियों की अभिकल्पना और निर्माण का प्रमुख उद्देश्य सुनिश्चित वर्ग के लोगों (जिन्हें 'उपयोक्ता' कहते हैं) की सूचना संबंधी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। इसलिए उपयोक्ता ही सभी स्तरों पर समस्त सूचना संबंधी क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु होता है। ऐसी परिस्थिति में उपयोक्ता के संबंध में सूचना प्रणाली की निकट से जानकारी प्राप्त कराने की आवश्यकता महसूस होती है। उपयोक्ता का अध्ययन केवल किसी सूचना प्रणाली को अभिकल्पित करने से पहले अथवा सूचना सेवा अथवा उत्पादक को शुरू करने से पहले ही नहीं, बल्कि प्रणाली अथवा सेवा के जीवनचक्र के दौरान भी क्रिया जाना चाहिए।

यहाँ यह बता देना उचित होगा कि उपयोक्ताओं का अध्ययन करते रहने से सूचना प्रणाली की उपयोगिता दीर्घ समय तक बनी रहती है और इसके न किए जाने से सूचना प्रणाली की उपयोगिता घटती जाती है।

उपयोक्ता अध्ययन करते रहने से उपयोक्ताओं की गहन जानकारी प्राप्त करने के प्रयासों में सफलता मिलती है। उपयोक्ता अध्ययनों की जरूरत, उपयोक्ता अध्ययन के लिए आवश्यक आयोजन, उपयोक्ता अध्ययनों के संचालन के लिए उपलब्ध विधियों/अथवा तकनीकों, और उपयोक्ता अध्ययनों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का इस अध्याय में वर्णन किया गया है। विकसित देशों और साथ ही भारत में भी उपयोक्ता अध्ययनों के विकास की दिशा में किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों से संबंधित विस्तृत सूचनाएँ इस अध्याय में दी गई हैं। इनसे तथा स्व-जाँच अभ्यासों और उनके उत्तरों से आशा की जाती है कि इनसे छात्रों को उपयोक्ता अध्ययनों से संबंधित मूल संकल्पनाओं को समझने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। यह अध्याय समग्र रूप में छात्रों को अपने व्यावसायिक कार्य के दौरान, यदि आवश्यक हो तो, उपयोक्ता अध्ययन की योजना बनाने और उसके संचालन के लिए पर्याप्त अंतर्दृष्टि और कौशल प्राप्त करने योग्य बनाएगी।

7. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. वास्तव में, प्रत्येक तथा समस्त सूचना-परक क्रियाकलाप पाठकों की आवश्यकता द्वारा ही निर्देशित होते हैं। सूचना उपयोक्ता के बारे में पी. एम. लिगेट (P. M. Leggate) का कथन है कि "पुनर्प्राप्ति-प्रणालियों, और कम्प्यूटर प्रणालियों से विपरीत उपयोक्ता एक मनुष्य है और इसलिए उसको वर्गीकृत करना कठिन है। दुर्भाग्यवश, उपयोक्ता के संबंध में कोई कुछ भी कह सकता है और वह कुछ उपयोक्ताओं के लिए सत्य भी प्रतीत होगा। इस संबंध में कोई भी सामान्य कथन या सामान्यीकरण कम से कम कुछ उपयोक्ताओं के लिए सही होगा"। निश्चित उपयोक्ता समूहों की पहचान करने के साथ अनेक जटिल, खर्चीली और अपेक्षापूर्ण प्रक्रियाएँ जुड़ी हुई हैं। तथापि, मूल प्रश्न और समस्याएँ ये नहीं हैं कि ये प्रक्रियाएँ कितनी प्रभावी अथवा फलोत्पादक हैं, बल्कि ये हैं कि :

   (1) किसी समस्या को पहचानने, उसके स्पष्टीकरण अथवा हल करने में किसी सूचना उपयोक्ता की कोई सूचना प्रणाली या किसी पुस्तकालय के सूचना एकक क्या मदद कर सकते हैं ?

   (2) इस प्रकार की प्रणाली अथवा एकक, इस संभाव्यता को कहाँ तक उभार सकते हैं कि उपयोक्ता न्यूनतम प्रयास करके ही सुसंगत और उपयोगी सूचना प्राप्त कर सकें।

2. उपयोक्ता अध्ययन में जिन सामान्य परिवर्तों की जाँच करना संभव है उनमें से कुछ ये हैं :

   (i) सूचना के उपयोक्ताओं से संबंधित वे कारक अथवा परिवर्तन जो संबंधित समस्या के बारे में उनके प्रत्यक्षण (प्रत्यक्ष ज्ञान) को प्रभावित करते हैं;

   (ii) उनके द्वारा सूचना के उपयोग के लिए अपनाए जाने वाले तरीके तथा उनकी सूचना उपयोग की क्षमता;

(iii) सूचना हस्तांतरण की विभिन्न अवस्थाएँ जिनका संबंध किसी विशेष विचार या नवप्रवर्तन के बारे में उपयोक्ता के ज्ञान से है;

(iv) वातावरण जनित एवं सामाजिक अभिलक्षण; तथा

(v) संप्रेषण संबंधी अभिलक्षण, इत्यादि।

3. **उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता–** सूचना की आवश्यकता संबंधी सर्वेक्षणों या उपयोक्ता अध्ययनों ने आवश्यक सूचना सेवाओं की किस्म और विद्यमान सेवाओं की किस्म के बीच के अंतराल को पाटने में सशक्त भूमिका निभाई है। सूचना प्रणाली कैसी भी हो, उसके लिए उपयोक्ता की आवश्यकताओं का निर्धारण निश्चय ही जरूरी होता है। तथापि इस विचार के संबंध में कुछ शंकाएँ उठती रही हैं कि क्या उपयोक्ता अध्ययनों अथवा सर्वेक्षणों के जरिए वास्तव में सूचना आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है कि सूचना आवश्यकताओं का निर्धारण सार्वजनिक राय जानने के लिए जाने वाले मतदान जैसे सर्वेक्षणों से नहीं हो सकता। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना सेवा एक प्रकार की व्यावसायिक सेवा (जैसे चिकित्सा) है और यह उपभोक्ता सेवा (जैसे- नाश्ता पैक करना) से भिन्न है। इसलिए सूचना सेवा के उपयोक्ता सूचना प्रणाली की अभिकल्पना में सही दिशा-निर्देश नहीं प्रदान कर सकते। इस विचारधारा ने ऐसे सर्वेक्षणों के संचालन के लिए तकनीकों अथवा विधियों के विकास पर जोर दिया है। इस स्थिति ने उपयोक्ता अध्ययनों के संचालन के लिए विश्वसनीय विधियों के विकास के प्रयासों को गति दी है और प्रभावी तथा फलोत्पादक सूचना प्रणालियों, सेवाओं, और उत्पादों की अभिकल्पना और संचालन के लिए उपयोक्ता अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया है।

4. **उपयोक्ता अध्ययन के लिए विधियाँ–** उपयोक्ता अध्ययनों के संचालन की आवश्यकता को निर्धारित करने और अध्ययनों के संगत पहलुओं (परिवर्तों) का निश्चय करने के बाद अगला तर्कसंगत कदम उपयोक्ता अध्ययन के संचालन के लिए उपयुक्त विधियों का चयन होगा।

 इस विषय पर उपलब्ध प्रचुर साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि अधिकांश सामान्य सर्वेक्षणों जैसे-साक्षात्कार, प्रश्नावली, दैनिकी इत्यादि-का सूचना उपयोग के अध्ययन के क्षेत्र में शोध कार्य करने वालों द्वारा व्यापक रूप में प्रयोग किया गया है। इस कार्य में अभी तक जिन विधियों का प्रयोग किया गया है उन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है :

 (क) सामान्य अथवा परम्परागत विधियाँ

 (i) प्रश्नावली

 (ii) साक्षात्कार

 (iii) दैनिकी

 (iv) स्वयं द्वारा किया गया प्रेक्षण

 (v) ऑपरेशन्स रिसर्च अध्ययन (Operations Research Studies)

 (ख) सूचना उपयोग के संदर्भ में परोक्ष विधियाँ :

 (vi) पुस्तकालय के अभिलेखों का विश्लेषण

 (vii) उद्धरण विश्लेषण

 (ग) विशिष्ट तथा गैर-परम्परागत विधियाँ :

 (viii) कम्प्यूटर प्रतिपुष्टि

 (ix) गैर-परम्परागत विधियाँ

NOTES

ऊपर बताई गई सभी विधियों का वर्णन उपलब्ध साहित्य में देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ इनकी विस्तार से विवेचना करने का प्रयास नहीं किया गया है। तथापि, उपयोक्ता अध्ययन के लिए विधियों का चयन पिछले निर्णयों, अध्ययन के उद्देश्यों, और अध्ययन किए जाने वाले परिवर्तों के आधार पर किया जाता है। विधियों के चयन में तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए :

(i) उपयोक्ता समुदाय के नमूने का चयन;

(ii) नमूनों अथवा उनके बारे में आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रविधियों का निर्धारण; तथा

(iii) निष्कर्ष पाने या निकालने के लिए संकलित आँकड़ों के विश्लेषण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण।

उपयोक्ता अध्ययन से संबंधित कार्य को वास्तव में शुरू करने से पहले इनमें से प्रत्येक के ऊपर विस्तार से विचार करना चाहिए। उपयोक्ता अध्ययन में सर्व-सामान्य गलती यह होती है कि आँकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा इस पर कोई विचार किए बिना ही आँकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है।

8. मुख्य शब्द

उपयोक्ता (User)	:	वह व्यक्ति जो पुस्तकालय के सूचना संसाधनों, सूचना प्रणाली की सेवाओं और उत्पादों का उपयोग करता है और उनसे लाभ प्राप्त करता है। उपयोक्ताओं को संरक्षक (Patron) अथवा मुवक्किल (Client) या पाठक भी कहते हैं।
उपयोक्ता अध्ययन (User Studies)	:	सूचना प्राप्त करने और उपयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा सूचना उपयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए सुसंबद्ध प्रयासों को उपयोक्ता अध्ययन कहा जाता है। वांछित सूचना की आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु एक प्रभावी सूचना प्रणाली, सूचना उत्पादों और सूचना सेवाओं को अभिकल्पित और विकसित करने के लिए उपयोक्तओं की सूचना आवश्यकता तथा व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना तथा इस कार्य के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।
उपयोक्ता श्रेणियाँ (User Categories)	:	उपयोक्ताओं के प्रकार। शैक्षिक पृष्ठभूमि, बौद्धिक स्तर और सूचना की आवश्यकता के अनुसार उपयोक्ताओं को सुनिश्चित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक, अभियन्ता, चिकित्सक, प्रौद्योगिकीविद्, व्यवसाय प्रबंधक, प्रशासक, संकाय सदस्य और छात्र, इत्यादि। इस प्रकार के वर्गीकरण को उपयोक्ता समुदाय का श्रेणीकरण कहते हैं।
उपयोक्ता समादेश (User Warrant)	:	उपयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा अपनी सूचनापरक आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए की गई मांग को उपयोक्ता समादेश कहा जाता है।
उपयोक्ताओं के अभिलक्षण (User Characteristics)	:	सूचना के उपयोक्ताओं में विद्यमान कारक, जो निम्नलिखित को प्रभावित करते हैं : (i) प्रस्तुत समस्या के बारे में उनका प्रत्यक्षण और अपेक्षित सूचना की उनकी परिभाषा, और

(ii) उनके द्वारा सूचना के उपयोग का विशेष तरीका तथा किसी विशेष प्रकार की सूचना के उपयोग की उनकी क्षमता। उपयोक्ताओं के अभिलक्षण को मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है :

क) व्यक्तिगत अभिलक्षण,

ख) परिवेश संबंधी अथवा सामाजिक अभिलक्षण, तथा

ग) संप्रेषण संबंधी अभिलक्षण

9. अभ्यास-प्रश्न

1. उपयोक्ता अध्ययन की संकल्पना का विवेचन कीजिए।
2. उपयोक्ताओं के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए।
3. उपयोक्ता अध्ययन की विभिन्न विधियों का विवेचन कीजिए।
4. उपयोक्ता अध्ययन की सीमाओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
5. उपयोक्ता अध्ययन के सर्वेक्षणों से सम्बन्धित भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों का वर्णन कीजिए।

10. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

Bernal, J. D. (1948). Report on Royal Society's Scientific Conference. London : Royal Society.

Bernal, J. D. (1959). The Transmission of Scientific Information : A User's Analysis - In : International Conference on Scientific Information. Washington : NRC. Vol. 1, pp. 77-95.

Busha, Charles H. and Harter, Stephen, P. (1980). Research Methods in Librarianship : Teachniques and Interpretations. New York : Academic press.

Devarajan. G. (1995). Library Information User and Use Studies. New Delhi : Beacon Books.

Guha, B. (1976). Techniques of User Studies. Paper 11.3 in DST Course Material.New Delhi : INSDOC.

Kawatra, P.S. (1992). Library User Studies : A Manual for Librarians and Information Scientists. Bombay : Jaico Publishing House.

Krishan Kumar (1968). User Survey Concerning Teachers and Research Scholars in the Department of Chemistry, University of Delhi. Ann Lib Sci Doc. 15(4).

Raizada, A.S. (1967). Electronic Information Potential in India. New Delhi : INSDOC.

Saracevic, T. and Wood, J. B. (1981). Consolidation of Information: Handbook an Evaluation, Restructuring and Repackaging of Scientific and Technical Information. paris : UNESCO. Chapter 11.4, pp. 36-44.

Satyanarayana, R. (1976). Categories of Users, their Information Requirements and Information Gathering Habits. Paper 11.2 in DST Course Material. New Delhi : INSDOC.

NOTES

Satyanarayana, R. (1976), Some Important User Studies and their Findings. Paper 11.2 in UST Course Material. New Delhi : INSDOC.

Shaw, R. R. (1956). Pilot Study on the Use of Scientific Literature by Scientists. Washington: NSF.

Sridhar, M.S. (1995). Information Behaviour of Scientists and Engineers : A Case Study of Indian Space Technologists. New Delhi : Concept Publishing.

White, Carl M. (1965). A Survey of the University of Delhi Library. Delhi : Universtiy of Delhi.

Wilson, T.D. (1981). On User Studies and Information Needs. J. Doc.37, 3-15.

अध्याय-12

उपयोक्ता शिक्षा

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. उपयोक्ता शिक्षा
   3.1 परिभाषा
   3.2 संघटक
4. उपयोक्ता शिक्षा का विकास
   4.1 पथ-प्रदर्शक प्रयास
   4.2 उपयोक्ता शिक्षा का संस्थायन
   4.3 यूनिसिस्ट कार्यक्रम (UNISIST Programme): उपयोक्ता शिक्षा
5. उपयोक्ता शिक्षा: लक्ष्य तथा उद्देश्य
   5.1 लक्ष्य तथा उद्देश्य
   5.2 पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य
6. अध्यापन विधियाँ तथा संचार-माध्यम
7. सूचना प्रौद्योगिकी और उपयोक्ता शिक्षा
   7.1 ऑनलाइन शिक्षा में संलग्न समूह
   7.2 मुख्य लक्ष्य
   7.3 विधियाँ
8. उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन
   8.1 मूल्यांकन का विस्तार-क्षेत्र
   8.2 मूल्यांकन की विधियाँ
   8.3 पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के मूल्यांकन की आवश्यकता
9. सार-संक्षेप
10. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
11. अभ्यास-प्रश्न
12. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ लेने के बाद आप :

- उपयोक्ता शिक्षा की संकल्पना और अर्थ को समझ सकेंगे;
- इसके उद्देश्य की परिभाषा दे सकेंगे और इसके विकास को बता सकेंगे;
- शिक्षा प्रक्रियाओं के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उपयोक्ता शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे;
- उपयोक्ता शिक्षा के विभिन्न घटकों की पहचान कर सकेंगे;
- विभिन्न स्तरों के लक्षित उपयोक्ताओं के लिए उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन, अभिकल्प और संचालन कर सकेंगे;
- उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए उपयुक्त अध्यापन विधियों और उपयुक्त संचार-माध्यमों की पहचान कर सकेंगे;
- उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावित का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे; और
- उपयोक्ता शिक्षा और पुस्तकालय को समेकित करने के तरीकों और उपायों को ग्रहण कर सकेंगे।

2. परिचय

शिक्षा एक जीवन पर्यन्त प्रक्रिया है। तथापि औपचारिक शिक्षा प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर शुरू होती है और विश्वविद्यालय स्तर पर किसी विषय में उच्चतम उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद पूरी होती है। पहले यह विश्वास किया जाता था कि पुस्तकालय के उपयोग के संबंध में जानकारी 'जीवन भर के लिए शिक्षा' का अनिवार्य भाग होती है और इससे छात्रों को स्व-शिक्षा की सत् प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है।

सन् 1926 में, कुमिंग (Cuming) ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के संगठन की विवेचना करते हुए लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकार्ड (Library Association Record) नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध लेख में यह मत व्यक्त किया था कि शिक्षा के दो महत्वपूर्ण त्तव हैं : पुस्तकालय का उपयोग करना सीखना तथा गठन के लिए निस्वार्थ प्रेम जागृत होना।

'जीवन के लिए शिक्षा' अर्थात् जीवन-पर्यन्त शिक्षा संबंधी पहलू आज अधिक महत्वपूर्ण है जब सूचना में तेजी से वृद्धि, जीवन भर सीखना जारी रखने की योग्यता पर अधिक जोर देती है। छात्रों को विभिन्न विषयों के प्रति तार्किक, सृजनात्मक और आलोचनात्मक पद्धतियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करने के लिए उन्हें स्वावलंबी होना सिखाया जाना चाहिए। स्वावलंबी होने के लिए छात्रों को ज्ञान और कौशल की जरूरत होती है, जिससे कि वे अपनी राह स्वयं बना सकें। स्वशिक्षा पर जोर दिए जाने के कारण अध्ययन विधियों के रूप में संगोष्ठियों (Seminars), शिक्षकीय कक्षाओं (Tutorials), परियोजनाओं (Projects), इत्यादि का प्रयोग बढ़ा है और औपचारिक कक्षाओं तथा व्याख्यानों पर निर्भरता घटी है। इस शैक्षिक परिवर्तन में निहित धारणा यह है कि सीखने वाला अपनी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री को ढूढ़ने में स्वयं समर्थ है। परन्तु ऐसी धारणा व्यवहार में लक्षित नहीं होती। दूसरे शब्दों में, सीखने वाले को ऐसी क्षमता के बारे में पढ़ाया जाना आवश्यक है। केवल तभी छात्र सीखने के नए तरीकों में पूरी तरह से और सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए तैयार हो सकेंगे। छात्रों को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर एक अन्य त्तव भी बल देता है। वह है, विशेषकर उच्च-शिक्षा की संस्थाओं में अंतर-विषयी पाठ्यक्रमों की वृद्धि। अंतर-विषयी विषय, विषयों की पारम्परिक सीमाओं को तोड़ कर एक-दूसरे की सीमाओं में प्रवेश करते हैं। ऐसे विषयों वाले पाठ्यक्रमों के लिए सूचना सामग्री का पता लगाने, उनका चयन करने, तथा उन्हें व्यवस्थित करने में छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूँकि ऐसे पाठ्यक्रमों या विषयों का संबंध

अनेक विषयों से होता है, इनसे संबंधित सूचना की मात्रा भी अधिक होती है। अतः इनसे संबंधित सूचना की प्राप्ति में छात्रों को सहायता मिलनी ही चाहिए। न केवल सूचना की मात्रा बल्कि उन स्रोतों और स्वरूपों, जिनमें सूचना उपलब्ध है, की वैविध्यता भी इस प्रकार की सहायता को आवश्यक बनाती है। अतः किसी प्रशिक्षण या अनुशिक्षण के अभाव में छात्रगण उपलब्ध और उपयोगी सूचनाओं का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाएँगे।

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में सेवा-पुस्तकालय को वास्तविक उपयोक्ताओं के अपेक्षाकृत छोटे वर्ग के लिए उत्तम सेवा उपलब्ध कराने वाला एक प्रतिक्रियाशील पुस्तकालय (reactive library) माना जाता था। पुस्तकालयों को साज समान से सम्पन्न करने और चलाने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। इन खर्चीली संस्थाओं का उपयोग संभावित एवं सशक्त उपयोक्ताओं का एक छोटा वर्ग ही करता है। यह तथ्य पैरी समिति (Parry Committee) जैसी समितियों ने अपने प्रतिवेदन में व्यक्त किया है। पैरी समिति के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि यू के (UK) में बहुत से छात्र अपने शैक्षिक पुस्तकालयों का सक्रिय रूप में उपयोग नहीं करते थे।

दूसरी ओर पूर्वक्रियाशील पुस्तकालय (proactive library) की संकल्पना इस बात का समर्थन करती है कि सभी संभावित एवं सशक्त उपयोक्ताओं को पुस्तकालय में आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के पुस्तकालयों में जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक उपयोक्ताओं को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। साहित्य को खरीदने, उसका ध्यानपूर्वक प्रक्रियाकरण करने और भंडारित करने का कोई लाभ नहीं है यदि उसका उपयोग कोई नहीं करता है। इसलिए यह कहा गया है कि उपयोक्ताओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करने पर लगाया गया धन एक उत्तम निवेश होता है यदि यह प्रयास पुस्तकालय के उपयोग और उसकी सराहना को बढ़ाता हो। पुस्तकालय का उपयोग करने की भावना जगाना उपयोक्ता शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं था क्योंकि सूचना को अनेक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है जिनमें पुस्तकालय एक है। उपयोक्ता शिक्षा क संबंध सम्पूर्ण सूचना और संचार प्रक्रिया से होता है और इसके एक भाग का संबंध उपयोक्ता की पुस्तकालय के साथ अन्तरक्रिया से होता है। उपयोक्ता शिक्षा पुस्तकालय के सम्पूर्ण उद्देश्य और सूचना संसाधनों के प्रभावी उपयोग का केन्द्र है। इस अध्याय में हमारा उद्देश्य निम्नलिखित बातों और इनसे संबंधित अन्य पहलुओं की चर्चा करना है: उपयोक्ता शिक्षा की संकल्पना, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता, उपयोक्ता शिक्षा के संघटक, उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, उपयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को शिक्षित करने की विधियाँ तथा उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन संबंधी तकनीकें।

इस विषय के अन्य विभिन्न पहलुओं पर इस अध्याय में दिया गया विस्तृत वर्णन, स्व-जाँच अभ्यास और उनके उत्तर आपको उपयोक्ता शिक्षा की संकल्पना और उसके अभिप्रेत उद्देश्य को आसानी से समझाने में सहायक होंगे। कुल मिलाकर इस अध्याय में प्रस्तुत की गई सामग्री आपको उपयोक्ता शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौशल प्राप्त करने योग्य और आपको एक बेहतर 'सूचना व्यवसायी' बनाने में सहायक होगी।

3. उपयोक्ता शिक्षा

विभिन्न देशों में संचालित अनेक उपयोक्ता अध्ययनों ने यह तथ्य स्थापित कर दिया है कि केवल कुछ वैज्ञानिक ही पुस्तकालयों का इष्टतम उपयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के ग्रन्थसूचीपरक उपकरणों से भिज्ञ हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि कुछ शिक्षाविदों की राय के विपरीत वैज्ञानिक साहित्य की संरचना और उपयोग की जानकारी अंतः प्रज्ञा द्वारा ही प्राप्त नहीं होती बल्कि सिखानी पड़ती है। वैज्ञानिक सूचना के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण की सिफारिश रॉयल सोसायटी साइंटिफिक कॉन्फ्रेन्स (Royal Society Scientific Conference) द्वारा औपचारिक रूप में की गई है। पैरी समिति के प्रतिवेदन में

NOTES

स्नातक-पूर्व स्तर के छात्रों द्वारा यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के उपयोग का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। इस सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक छात्र शैक्षिक पुस्तकालयों का सक्रिय उपयोक्ता नहीं होता। ये सभी त्तव पुस्तकालयों और सूचना संसाधनों के उपयोग में उपयोक्ताओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक स्थापित करते हैं। संसार भर में पुस्तकालयों और सूचना संसाधनों के उपयोग में उपयोक्ताओं को प्रशिक्षण देने और शिक्षा देने के लिए कार्यक्रमों को अभिकल्पित और विकसित करने के अनेक प्रत्यन किए गए हैं। उपयोक्ताओं को ऐसी शिक्षा या जानकारी देने को सामान्यत: 'उपयोक्ता शिक्षा' कहते हैं।

3.1 परिभाषा

उपयोक्ता शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया अथवा कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे सूचना के सशक्त एवं सम्भावित उपयोक्ताओं (चाहे वे वैज्ञानिक, अभियन्ता, प्रौद्योगिकीविद्, शिक्षाविद् अथवा छात्र हों) को सूचना के मूल्य के बारे में भिज्ञ किया जाता है और सूचना संसाधनों के उपयोग के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। 'पाठक अनुदेश' पर अपनी पुस्तक में म्यूज (Mews) ने इसे ऐसे अनुदेश के रूप में परिभाषित किया है जो पाठकों को दिए जाते हैं जिससे वे पुस्तकालय का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग कर सकें। गोर्डन राइट (Garden Wright) ने यह राय दी है कि छात्र को पुस्तकालय का उपयोग करने के बारे में बहुत अलग रखकर नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि उसे शिक्षा की सत्त् प्रक्रिया के रूप में मानना होगा जिसमें संचार के विभिन्न फलक इतने घुले-मिले होते हैं कि अलग नहीं किए जा सकते। जैक्वेस टोकाट्लियन (Jacques Tocatlian) (यूनेस्को) ने 'उपयोक्ता शिक्षा' की परिभाषा में ऐसे हर प्रयास अथवा कार्यक्रम को शामिल किया है जो मौजूदा और संभावित उपयोक्ताओं के मार्गदर्शन और अनुदेशन के लिए, व्यक्तिगत रूप में अथवा समष्टिगत रूप में निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित कर सकें :

(क) अपनी स्वयं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना;

(ख) इन आवश्यकताओं का निरूपण करना;

(ग) सूचना सेवाओं का प्रभावी और दक्षता के साथ उपयोग करना; और

(घ) इन सेवाओं का निर्धारण करना।

हम कह सकते हैं कि 'उपयोक्ता शिक्षा' का संबंध सूचना और संसार की सम्पूर्ण प्रक्रिया से होता है और इसके एक भाग में उपयोक्ता की पुस्तकालय के साथ पूर्ण अंतरक्रिया शामिल होती है। उपयोक्ता शिक्षा, एक अनवरत प्रक्रिया है जो विद्यालय और सार्वजनिक पुस्तकालयों से प्रारंभ होती है और ऐसी संभावना रहनी चाहिए कि इसे शैक्षिक और विशिष्ट पुस्तकालयों तक विस्तारित किया जा सके। उपयोक्ता शिक्षा, पुस्तकालय का केन्द्र होती है। अनेक उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों की रूपरेखा सन् 1948 में रॉयल सोसायटी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कॉन्फरेन्स (Royal Society Scientific Information Conference) में प्रस्तावित रूपरेखा के समान होती है। पाठ्यक्रमों में से नये छात्रों के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसके द्वारा उन्हें पुस्तकालय उपयोग के बारे में बताया जाए और तदुपरान्त उच्च कक्षाओं के उपयोक्ताओं के लिए भी उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें दिए हुए विषय-क्षेत्र के साहित्य की संरचना के बारे में बताया जाना चाहिए।

3.2 संघटक

आदर्श रूप में 'उपयोक्ता शिक्षा' एक सत्त या अनवरत प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके दो संघटक हैं : सुपरिचितकरण और अनुदेशन (orientation and instruction)। उपयोक्ता की आवश्यकता के अनुसार इन दोनों घटकों की मिली-जुली शिक्षा दी जा सकती है।

सुपरिचितकरण का मूलत: संबंध पुस्तकालय उपयोग और उपलब्ध सेवाओं की सामान्य विधियों, और साथ ही पुस्तकालय के संगठन, विन्यास और सुविधाओं से उपयोक्ता को भिज्ञ कराने के तरीकों से होता है। इसका संबंध दो प्रकार के उद्देश्यों से है : संज्ञानात्मक (अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति या समझना) तथा प्रभावी (अर्थात् अनुभूति तथा मनोवृत्ति)। सुपरिचितकरण की क्रिया में उपयोक्ता और पुस्तकालय कर्मचारियों के बीच प्रभावी संप्रेषण के लिए सही वातावरण तैयार करने और पुस्तकालय की छवि को एक सुखद, मित्रतापूर्ण और सहायता करने वाली संस्था के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए। सुपरिचितकरण के परिणामस्वरूप उपयोक्ता को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि पुस्तकालय के कर्मचारी समर्थ हैं और सदा मदद करने के लिए इच्छुक रहते हैं।

उपयोक्ता शिक्षा के दूसरे घटक, अर्थात् अनुदेशन का संबंध पुस्तकालय विशेष में उपलब्ध सूचना संसाधनों के उपयोग के बारे में सिखाने से है। इसे 'ग्रन्थात्मक अनुदेश' भी कहते हैं। इसका संबंध सूचना की पुनर्प्राप्ति से संबंधित समस्याओं और सूचना स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित करने से है। ग्रन्थात्मक अनुदेश दो चरणों में दिया जा सकता है : आरंभिक पाठ्यक्रम के रूप में, और उपयोक्ताओं के स्तर पर आधारित उन्नत पाठ्यक्रम के रूप में।

व्यावहारिक स्तर पर 'उपयोक्ता शिक्षा' का संबंध पाठ्यक्रम के समय की व्यवस्था करने, समयसारणी बनाने, समूह के आकार को निश्चित करने, पाठ्यक्रम की इष्टतम अवधि तय करने, इत्यादि और साथ ही पाठ्यक्रम के संदर्भ से है। साथ ही, व्यावहारिक कठिनाई के रूप में शब्दजाल के प्रचलन के अतिरिक्त 'पुस्तकालयों में मार्गदर्शन के अभाव' का उल्लेख किया जाता है जो न केवल पुस्तकालय विज्ञान की गूढ़ता को बनाए रखते हैं, बल्कि पुस्तकालयाध्यक्ष की अच्छी छवि के सृजन में बाधक होते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए छात्रों को अभिप्रेरित करना ही पर्याप्त नहीं होता। अध्यापकों द्वारा भी छात्रों को पुस्तकालय के बारे में अपने अनुभव बताने चाहिए जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि पुस्तकालय का उपयोग करना शिक्षा का अनिवार्य तथा लाभप्रद हिस्सा होता है। दूसरें शब्दों में, इस समस्या का प्रभावी रूप में निराकरण करने के लिए उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षिक अध्ययन कार्यक्रम के साथ समेकित कर देना चाहिए जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष और अध्यापकों के बीच निकट का सहयोग स्थापित हो सके। ऐसे सहयोग के परिणामस्वरूप उपयुक्त प्रायोगिक कार्य को उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है।

'पाठ्यक्रम समाकलित' उपयोक्ता शिक्षा की संकल्पना में पुस्तकालय और शैक्षिक कार्यक्रमों के बीच निकट संबंध निहित है। उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों के भिन्न-भिन्न रूपों का सुझाव दिया गया है और इनमें पुस्तकालयाध्यक्ष तथा प्राध्यापकों के बीच आदर्श सहयोग-संबंध को आवश्यक माना जाता है। इस संदर्भ में पुस्तकालय महाविद्यालय (Library College) की संकल्पना का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें छात्रों द्वारा निम्नलिखित विधियों से ज्ञान-प्राप्ति पर बल दिया जाता है : पुस्तकालय में स्वतंत्र रूप में अध्ययन, ग्रन्थसूची द्वारा मार्गदर्शन, बौद्धिक रूप से जाग्रत होना और अध्यापकों द्वारा आत्मिक विलोड़न।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. उपयोक्ता शिक्षा को परिभाषित कीजिए ।

....

....

....

....

NOTES

4. उपयोक्ता शिक्षा का विकास

उपयोक्ता शिक्षा के विकास का इतिहास अच्छी तरह लिखित रूप में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, बौन (Bonn) की पुस्तक ट्रेनिंग लेमेन इन द यूज़ ऑफ द लाइब्रेरी (Training Laymen in the Use of the Library) में 1958 तक की अवधि के दौरान उपयोक्ता शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। इसे मिर्विस (Mirwis) के प्रयासों द्वारा अद्यतन बना दिया गया जिसमें 1960 से 1970 की अवधि के लिए अमेरिका में शैक्षिक अनुदेश की ग्रन्थसूची को भी शामिल कर लिया गया था। लॉकवुड (Lockwood) (1979) द्वारा प्रकाशित पुस्तकालय अनुदेश की ग्रन्थसूची में 934 मदों को तीन खंडों में व्यवस्थित किया गया है : (i) सामान्य, (ii) पुस्तकालयों की किस्में, (iii) अध्यापन विधियाँ और आरूप। इन प्रयासों के अलावा टिन्डमार्श (Tindmarsh) ने यूनाइटेड किंगडम के शैक्षिक पुस्तकालयों में उपयोक्ता शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में विकास का वर्णन किया है।

इन सुलेखित अभिलेखों के अतिरिक्त उपयोक्ता शिक्षा की संकल्पना स्वयंमेव विकसित हुई है और कुछ महान् व्यक्तियों द्वारा प्रारम्भ किए गए और व्यवस्थित कार्य के कारण इसे व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है। विकास के इस ढाँचे की अगले अनुच्छेदों में संक्षिप्त चर्चा की गई है।

4.1 पथ-प्रदर्शक प्रयास

उपयोक्ता शिक्षा की संकल्पना के उपयोग को सुव्यवस्थित रूप में शुरू करने का श्रेय पैट्रीशिया बी. नैप (Patricia B. Knapp) और उसके 1964 के प्रतिवेदन को जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य "पुस्तकालय और महाविद्यालय अध्यापन के बीच अधिक सजीव संबंध विकसित करने की विधि" की खोज करना था। इस परियोजना का प्रयोजन वेन स्टेट यूनिवर्सिटी के मोनटीथ कॉलेज (Wayne State Universtiy Monteith College) ने किया था। अर्लहैम कॉलेज (Earlham College) ने भी न्यूनाधिक इन्हीं पद्धतियों पर उपयोक्ता शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया था। इसी अवधि के दौरान उपयोक्ता शिक्षा को ग्रन्थसूची संबंधी अनुदेश और/अथवा पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकालय अनुदेश के साथ उसकी स्वयं की प्रणाली के साथ जोड़ा गया। ग्रन्थसूची संबंधी अनुदेश के दो घटक हैं, एक का संबंध ज्ञान प्रदान करने के स्रोतों से है, और दूसरे का संबंध ग्रंथसूची संबंधी अनुदेश को ग्रहण करने के लिए आवश्यक कौशल के विकास से है जिसके निम्नलिखित पहलू हैं : (क) सामान्य कोटि के संदर्भ ग्रन्थ, (ख) पत्रिकाओं की अनुक्रमणी बनाना और सार निकालना, (ग) पुस्तकालय की प्रसूची, (घ) ज्ञान को व्यवस्थित करने के सिद्धांत, (ङ) खोज की पद्धति, और (च) विषय-विश्लेषण।

उच्च शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका लंबे अरसे से वाद-विवाद का विषय रही है। सन् 1934 में लुइस शोर्स (Louis Shores) ने 'लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज' (Libary Arts College) की संकल्पना या विचारधारा का प्रतिपादन किया था। यह संकल्पना धीरे-धीरे 'लाइब्रेरी कॉलेज' (Library College) में बदल गई। 'लाइब्रेरी कॉलेज' का उद्देश्य छात्र के सीखने की प्रभाविता को विशेष रूप में ग्रन्थात्मक विशेषज्ञ की सहायता से, पुस्तकालय केन्द्रित स्वतंत्र अध्ययन के प्रयोग के द्वारा बढ़ाना है। 'लाइब्रेरी कॉलेज' का संबंध अनुदेशन की बदलती हुई रीति से है जिसमें सहायक एजेन्सी के रूप में पुस्तकालय के साथ कक्षा में व्याख्यान की व्यवस्था से लेकर पुस्तकालय में, अनुसंधान कक्ष में, अथवा कमरे में अध्ययन/सीखने की प्रक्रिया की व्यवस्था करना शामिल है जो प्रक्रिया व्यक्ति पर और छात्र के स्व-प्रयास पर निर्भर करती है। इस दिशा में पथ-प्रदर्शक कार्य करने वाले अर्थात् लुई शोर्स, पैट्रीशिया बी. नैप और थॉमस जी. किर्क (Louis Shores, Patricia B. Knapp, Thomas G. Kirk) अनिवार्यतः एकाकी कार्य कर रहे थे, परन्तु उन्हें इस दिशा में अपने प्रयोग के लिए कुछ सांस्थानिक सहायता मिली थी।

4.2 उपयोक्ता शिक्षा का संस्थायन

उपयोक्ता शिक्षा के संस्थायन (Institutionalisation of User Education) की दिशा में अमरीका की काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज (Council of Library Resources) तथा ऐसोसिएशन ऑफ कॉलेज एण्ड रिसर्च लाइब्रेरिज (Association of College and Research Libraries) ने पहल की। वास्तव में, ब्रिटिश लाइब्रेरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (British Library Research and Development Department) और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन यूजर स्टडीज (CRUS : Centre for Research on User Studies) ने यू के में उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों के विकास की प्रेरणा दी। इन कार्यक्रमों को सांस्थानिक संरक्षण मिलने के बाद उपयोक्ता अध्ययन की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएँ चलाई गईं।

4.3 यूनिसिस्ट कार्यक्रम (UNISIST Programme) : उपयोक्ता शिक्षा

उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों का मूल केन्द्र बिंदु शैक्षिक संस्थाओं का निर्देशन रहा है, जिनमें अमेरिकी क्रियाकलाप स्नातकपूर्वक छात्रों के प्रति संकेन्द्रित और ब्रिटिश कार्यक्रम स्नातकोत्तर तथा शोधछात्रों पर केन्द्रित रहे हैं। कम विकसित देशों में उपयोक्ता कार्यक्रमों को विकासगत प्रक्रियाओं के प्रति मोड़ना होगा। यूनेस्को ने यूनिसिस्ट (UNISIST) कार्यक्रमों के अंतर्गत कम विकसित देशों में उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रयत्न किया। यूनिसिस्ट ने यूनेस्को जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम (PGI : UNESCO General Programme) को सन् 1975 में प्रवर्तित किया था। इससे संबंधित यूनिसिस्ट के दस्तावेज में कहा गया है कि "मौजूदा सूचना स्रोतों के उपयोग में प्रशिक्षण, सूचना संबंधी आवश्यकताओं या अध्ययनों के परिणामों पर उपयोक्ताओं से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, और किसी नई प्रायोगिक सेवा में जहाँ तक संभव हो व्यापक रूप में उपयोक्ता को शामिल करना आवश्यक है।" बैंकॉक और रोम में 1976 में यूनिसिस्ट द्वारा आयोजित संगोष्ठियों में उपयोक्ता शिक्षा को किसी भी देश की राष्ट्रीय सूचना नीति के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना गया है। रोम में आयोजित संगोष्ठी में यह सिफारिश की गई थी कि उपयोक्ता शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का निरूपण राष्ट्रीय नीति के अभिन्न अंग के रूप में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ सहसंबंध रखते हुए करना चाहिए।

उपयोक्ता शिक्षा के विषय पर अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनेक सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस विषय पर सबसे पहले के सम्मेलनों में से एक सन् 1970 में यू के में लोगबरो (Loughborough) इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरिज (IATUL : International Association of Technological University Libraries) की चतुर्थ त्रिवर्षीय बैठक के रूप में आयोजित किया गया था। इस बैठक का विषय था, पुस्तकालय उपयोक्ता को शिक्षित करना (Educating the Library User)। पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सन् 1979 में केम्ब्रिज में हुआ था जिसका विषय था पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा : क्या नई पद्धतियों की आवश्यकता है? (Library User Education : Are New Approaches Needed ?)। इसके बाद दूसरा सम्मेलन सन् 1981 में ऑक्सफोर्ड में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोक्ता शिक्षा की चर्चा की गई। उपयोक्ता शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों के अन्य उदाहरण हैं : गोथेनबर्ग, स्वीडेन में सन् 1976 में आयोजित पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा पर ऐंग्लो-स्कॉन्डिनेवियन संगोष्ठी (Anglo-Scandinavian Seminar on Library User Education); सन् 1981 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के एसेन (Essen) में हुई कार्यशाला, आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में सन् 1981 में क्रेनफील्ड इन्सीटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Cranefield Institute of Technology) में हुई कार्यशाला, तथा सन् 1982 में गोथेनबर्ग में आयोजित यूज़र एजुकेशन इन ऑनलाइन एज (User Education in Online Age) पर संगोष्ठी।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना समीचीन होगा कि उपयोक्ता शिक्षा का प्रारंभिक विकास अधिकतर अंग्रेजी भाषा-भाषायी देशों-मुख्यतया ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हुआ। तथापि पिछले

NOTES

कुछ दशकों में स्कान्डिनेविया में उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों में तेजी से वृद्धि हुई। लगभग पिछले दो दशकों में यूरोपीय देशों में भी उपयोक्ता शिक्षा के विकास के प्रति रुझान हुआ है और वे इस दिशा में उत्तरोत्तर ध्यान दे रहे हैं। उपयोक्ता शिक्षा आंदोलन में जापान सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और चीन में उपयोक्ता प्रशिक्षण का कार्य गतिशील रूप में सफल रहा है।

भारतीय परिदृश्य : जहाँ तक उपयोक्ता शिक्षा का प्रश्न है, भारत में भी उपयोक्ता शिक्षा के विकास के लिए कुछ गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए इन्सडॉक, नई दिल्ली और डी आर टी सी (DRTC), बैंगलोर ने उपयोक्ता शिक्षा को बढ़ाने के लिए संगोष्ठियाँ और कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। आइएसलिक (IASLIC), कलकत्ता ने 1981 में उपयोक्ता शिक्षा पर वाल्टेयर (आंध्रप्रदेश) में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था और इस विषय पर लेखों की एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। आई ए आर आई (IARI) नई दिल्ली ने लाइब्रेरी यूज रेफरेंस कंपाइलेशन, साईंटिफिक पेपर राइटिंग एंड प्रूफ करेक्शन (Library use, reference compilation, scientific paper writing and proof correction) विषय पर एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें पुस्तकालय उपयोग, संदर्भ संकलन, वैज्ञानिक शोधलेखों के लेखन, और प्रूफ संशोधन पर चर्चा की गई थी। यह पाठ्यक्रम यूनिसिस्ट निर्देशों (UNISIST Guidelines) जैसे किसी मानक निर्देश पर आधारित नहीं है। छुटपुट आधार पर कुछ स्वैच्छिक प्रयत्नों के अलावा भारत में उपयोक्ता शिक्षा के संस्थायन के लिए सुसम्बद्ध प्रयास नहीं किए गए हैं।

यह उल्लेखनीय है कि उपयोक्ता शिक्षा की संकल्पना ने विश्व भर में पुस्तकालयाध्यक्षों और सूचना व्यवसायियों का ध्यान आकर्षित किया है। जहाँ तक उपयोक्ता शिक्षा का संबंध है, अनुभव की तीन धाराएँ रही हैं। ऐतिहासिक रूप में कहें तो अमेरिकी अनुभव प्रवर्तक रहा है क्योंकि इसने औरों के लिए आधार का शिलान्यास किया है। लुई शोर्स, पैट्रीशिया बी. नैप और थॉमस किर्क को इस कार्य में अग्रणी के रूप में याद किया जाएगा। उनकी पहल और नेतृत्व के जरिए उपयोक्ता शिक्षा को अमेरिका में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। इसके विकास का अगला कदम ईस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय (Eastern Michigan University) के विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए प्रवर्तित सांस्थानिक ढाँचा था। इस दिशा में एक और बड़ा कदम था ऐसोसिएशन ऑफ कॉलेज एण्ड रिसर्च लाइब्रेरिज (Association of College and Research Libraries) द्वारा उद्देश्यों का उल्लेख, जिसमें उपयोक्ता शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दिया गया था। उपयोक्ता शिक्षा के संस्थायन की इस प्रक्रिया में निजी प्रतिष्ठानों द्वारा धन आवंटन से बढ़ोतरी हुई।

उपयोक्ता अध्ययन के संबंध में यू के का अनुभव कुछ भिन्न रहा। यहाँ उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम लाइब्रेरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (Library Research and Development Department) जैसी केन्द्रीय संस्था द्वारा शुरू किए गए।

संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोक्ता शिक्षा का कार्य अधिकतर विकेन्द्रीकृत था तथा यू के में उपयोक्ता शिक्षा का केन्द्रीकृत स्वरूप है। केन्द्रीकरण का लाभ यह है कि इससे समन्वय हो पाता है और योजनाबद्ध विकास में योग मिलता है। यहाँ इस बात पर बल दिया जा सकता है जहाँ वैचारिक या संकल्पनात्मक स्तर पर उपयोक्ता शिक्षा के लिए विश्व भर में समुदाय उपलब्ध है वहीं विभिन्न देशों में, उनकी विशेष जरूरतों और अनन्य अनुभवों के अनुरूप यह भिन्न स्वरूप धारण कर सकती है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. व्यावहारिक स्तर पर 'उपयोक्ता शिक्षा' का सम्बन्ध किन-किन बातों से है ?

....

....

....

....

5. उपयोक्ता शिक्षा : लक्ष्य तथा उद्देश्य

पुस्तकालय के उपयोक्ताओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के हेतु यह जरूरी होता है कि आयोजित किए जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए मुख्य लक्ष्यों तथा विशिष्ट उद्देश्यों को परिभाषित कर लिया जाए। दूसरे शब्दों में, पाठ्यक्रम में शामिल विषयों और विभिन्न अवस्थाओं की अवधि, अध्ययन की विधियों और प्रयोग में लिए जाने वाले माध्यमों को पहले से निश्चित कर लेना चाहिए। इस आयोजन के परिणाम एक व्यवहारिक स्थिति में जाँच लिए जाते हैं ताकि कार्यक्रम के प्रभाव का निर्धारण किया जा सके।

शिक्षा प्रक्रिया के परिणामों के आधार पर अपेक्षित परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित या इंगित कर लेने और आवश्यक हो तो उनके आधार पर उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पुनर्परिभाषित करने से पाठ्यक्रम में शामिल विषयों, माध्यमों और इस सामग्री को प्रस्तुत करने की विधियों तथा साथ ही विभिन्न भागों के समय के चयन का कार्य सुगम हो जाता है।

5.1 लक्ष्य तथा उद्देश्य

सुगमता की दृष्टि से लक्ष्यों और उद्देश्यों को तीन मुख्य वर्गों में रखा जा सकता है : संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मन: चालित। पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के उद्देश्यों को, खास तौर से संज्ञानात्मक और भावात्मक क्षेत्रों में ढूंढना चाहिए।

संज्ञानात्मक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का संबंध विभिन्न अवधारणाओं को समझने से होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्यों और उद्देश्यों को जटिलता की अवस्था के अनुसार, यथा जटिल से सरल, और अमूर्त से मूर्त कोटियों के अंतर्गत व्यवस्थित किया जा सकता है।

भावात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों का संबंध भावनाओं तथा अनुभूतियों से होता है, जैसे छात्र शैक्षिक रूप से वांछनीय व्यवहार करना चाहता है और करता है या नहीं, तथा सूचना प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग करने में आनंद की अनुभूति करता है या नहीं।

मन:चालित लक्ष्यों और उद्देश्यों का सबंध समन्वित भौतिक क्रियाकलाप से होता है, जैसे- कम्प्यूटर टर्मिनल (Computer Terminal) का उपयोग करना। सामान्यतया, संज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों में निकट संबंध होता है। अत: उपयोक्ता अनुदेश के संज्ञानात्मक क्षेत्र में पुस्तकालय उपयोक्ता को पुस्तकालय के विशिष्ट उपकरणों, जैसे प्रसूची और सार का उपयोग करना आना चाहिए। भावात्मक क्षेत्र में छात्र सूचना संबंधी अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग करने में आश्वस्त महसूस करेगा। शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना श्रेयस्कर होता है।

5.2 पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य

उपयोक्ता शिक्षा के महत्वपूर्ण विकासों में से एक इस बात की अनुभूति है कि पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा का आयोजन करते समय इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को तय करना महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय कौशलों में शिक्षा देने के लिए कोई निर्देश न होने के बारे में लूबान्स और स्टीवेन्सन्स (Lubans and Stevensons) जैसे कुछ लेखकों ने चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राज्य में ए सी आर एल टास्क फोर्स ऑन बिब्लियोग्राफिक इन्स्ट्रक्शन और (ACRL Task Force on Bibliographic Instruction) ने शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों के महत्व के ऊपर वर्धमान जागरूकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और एसीआरएल बिब्लियोग्राफिक इन्स्ट्रक्शन हैंडबुक, 1979 (ACRL Bibliographic Instruction Handbook, 1979) में आदर्श उद्देश्यों के एक समूह को शामिल किया।

NOTES

उल्लेखनीय है कि पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के कार्यक्रम के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को विश्वविद्यालय पुस्तकालय के सामान्य लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए, और इन्हें उच्च शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों से भी संबंधित होने चाहिए। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के 'सामान्य लक्ष्यों' को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है :

(1) वर्तमान तथा भावी सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक मुद्रित और अन-मुद्रित सामग्री को प्राप्त करके, अध्यापन, अधिगम और अनुसंधान के संबंध में विश्विद्यालय के लक्ष्यों को हासिल करने में योग देना;

(2) प्राप्त की गई सामग्री को पंजी में इस प्रकार लिखना और संग्रह करना जिससे न केवल इस सामग्री का उपयोग हो सके बल्कि सक्रिय रूप से उसका उपयोग करने की भावना उद्दीप्त हो सके;

(3) इन सूचना संसाधनों को विश्वविद्यालय तथा समाज की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार अपनाना; तथा

(4) विश्वविद्यालय के भीतर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के सूचना संसाधनों को समेकित करने में योग देना।

यह ध्यान रहे कि पुस्तकालय में संग्रह की गई सूचना के सक्रिय रूप से उपयोग को उद्दीप्त करने का एक तरीका पुस्तकालय उपयोक्ता को यह सिखाना है कि उपलब्ध सामग्री में से सूचना कैसे प्राप्त की जाए। अतः किसी भी प्रकार के पुस्तकालय के लिए उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम का सामान्य लक्ष्य उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्रदान करना है। विशिष्ट पुस्तकालयों में विज्ञान, चिकित्सा अथवा प्रौद्योगिकी जैसे विषयों के लिए, जिनमें साहित्य की वृद्धि बहुत तीव्र है, उपयोक्ता शिक्षा की जरूरत खासतौर से नाजुक स्थिति में है।

पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा एक पृथक् शैक्षिक विषय नहीं है। इसमें ऐसे कौशलों की श्रेणी शामिल है जो विभिन्न शैक्षिक अध्ययनों के संबंध में प्रयोग में लिए जा सकते हैं। अतः पुस्तकालय उपयोग से संबंधित शिक्षा को विभिन्न शैक्षिक विषयों के अध्यापन कार्यक्रमों के साथ निकट रूप में समेकित कर देना चाहिए। इसलिए इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में पुस्तकालय के कर्मचारियों, शैक्षिक कर्मचारियों और छात्र-समुदाय के सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है।

पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करने के संबंध में लंबी बहसें होती रही हैं। अमेरिका (USA) में ए सी आर एल (ACRL) और यूनाइटेड किंगडम (UK) में एसलिब (ASLIB) जैसी संस्थाओं ने इस दिशा में अपने प्रस्तावों और निर्देशों को स्वयं विकसित करने का प्रयास किया है। सूचना व्यवसायियों, जैसे- हट्टन, स्क्रिवेनर और हर्ट्ज, (Hutton, Scrivener and Hartz)) ने भी इस विषय पर अपने विचार दिए हैं। स्क्रिवेनर ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों में लिए सामान्य लक्ष्यों की विवेचना करते हुए निम्नलिखित तथ्यों को सारांश के रूप में बताया है जो हर कार्यक्रम का लक्ष्य होना चाहिए : यद्यपि विभिन्न स्थितियों में तफसीलों में अनिवार्यतः भिन्नता होगी परंतु अध्यापन द्वारा निम्नलिखित परम्परागत कौशलों की स्थापना तथा उन्नयन करना चाहिए जिनके बिना कोई भी छात्र किसी पुस्तकालय का पर्याप्त उपयोग नहीं कर सकता है : (i) पुस्तकालय की भौतिक, ग्रन्थात्मक और वैचारिक व्यवस्थाओं की जानकारी, (ii) प्रत्येक स्थिति के लिये उपयुक्त साधनों/स्रोतों की जानकारी, (iii) स्वयं अपनी जरूरतों को समझने की योग्यता जिससे कि उपयुक्त प्रश्नों की अभिकल्पना हो सके, और (iv) खोज करने की तकनीकों की जानकारी जिनमें सेवा के योग्य कार्यों की योजना बनाने की योग्यता और अंततः छात्र को अपने स्रोतों का मूल्यांकन करने और अपनी सामग्री को प्रस्तुत करने की कला में निपुणता की जरूरत होती है। स्वीडन की चामर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी (Chalmers University of Technology Library) में उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए मुख्य लक्ष्यों को निम्नलिखित रूप में सूत्रबद्ध किया गया है :

- सूचना पुनर्प्राप्ति की समस्याओं के निराकरण के लिए वैज्ञानिक संचार के सिद्धांतों को प्रयोग में लेने की योग्यता; और
- पुस्तकालय में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों को उपयोग में लेने की योग्यता जिससे कि, जब भी आवश्यकता हो, अध्ययन और बाद में किए जाने वाले शोधकार्य के संबंध में उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके।

एक बार जब कार्यक्रम के व्यापक लक्ष्यों की स्थापना कर ली जाती है तो इस व्यापक ढाँचे के दायरे में कई विशिष्ट उद्देश्यों के तय किया जा सकता है। पुस्तकालय सुपरिचितकरण तथा पुस्तकालय अनुदेशन के बीच का अन्तर समझ लेना सदा ही अत्यंत उपयोगी होता है। यहाँ इस बात का बल दिया जा सकता है कि पुस्तकालय सुपरिचितकरण का संबंध छात्र की पुस्तकालय सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी से होता है जिससे पुस्तकालय के सामान्य उपयोग के बारे में सीखने में छात्र को सहायता मिलती है, जबकि पुस्तकालय अनुदेशन का संबंध, छात्र को पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों और सामग्री का पूरी तरह से उपयोग कर विशिष्ट उद्देश्य के लिए जरूरी सूचना प्राप्त करने योगय बनाने से है और यह सूचना पुनर्प्राप्ति की समस्याओं से भी संबंधित है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. उच्च शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

6. अध्यापन विधियाँ तथा संचार-माध्यम

शिक्षा की परिभाषा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में दी गई है जो सीखने वालों को बदलती है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के कारकों द्वारा प्रभावित होती है। चार ऐसी बुनियादी कारक हैं जो व्यावहारिक स्थितियों में सीखने को प्रभावित करते हैं। ये हैं : अभिप्रेरणा, क्रियाकलाप, समझ और प्रतिपुष्टि। इन कारकों पर पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में विचार किया जा सकता है। किन अध्यापन विधियों और माध्यमों का वरण किया जाए, यह सीखने/अध्यापन संबंधी स्थितियों पर, विषय से संबंधित सामग्री, पर, तथा छात्रों और अध्यापकों पर निर्भर करता है। सारी स्थितियों के लिए कोई एक विधि उपयुक्त नहीं होती। तथापि अध्यापन विधियों को मोटे तौर पर उन वर्गों में बाँटा जा सकता है जो समूह में शिक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं, जो व्यक्तिगत रूप में सिखाने के लिए उपयुक्त होते हैं, और जो इन दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। इन विधियों को आगे दिए गए चित्र में प्रस्तुत किया गया है।

अध्यापन विधियों में दृश्य या श्रव्य या दोनों के संगम का प्रयोग किया जा सकता है। यह कहा जाता कि जो विधियाँ संवेदी निवेशों के संयोजन का प्रयोग करती हैं वे उन विधियों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी होती हैं जो केवल एक संचार-माध्यम पर विश्वास करती हैं। वास्तव में सीखने/अध्यापन की क्रिया में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अन्योन्य क्रिया को अध्यापक-छात्र अन्योन्य क्रिया और छात्र-अध्यापक अन्योन्य क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। रेविल (Revill) की राय है कि कार्यक्रम आधारित अनुदेशन में छात्र एक पृथक् सत्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए इसमें अन्य छात्रों के साथ अथवा अध्यापक के साथ कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती। ऐसी स्थिति अंतर्मुखी छात्रों के लिए लाभप्रद हो सकती है। परन्तु बर्हिमुखी छात्र, जो कक्षा में सहयोगी और प्रतियोगी

NOTES

रूप में काम करना पसंद करते हैं, इसे पसंद नहीं करेंगे। पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा की विभिन्न अध्यापन विधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और उपयोग में लिए गए संवेदी निवेशों तथा छात्र-अध्यापक और अध्यापक-छात्र अन्योन्य क्रिया का स्वरूप क्या होता है। इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सीखने/अध्यापन संबंधी सभी स्थितियों अथवा सभी व्यक्तियों के लिए केवल एक ही विधि उपयुक्त नहीं होती। वस्तुतः विभिन्न विधियों और माध्यमों को शिक्षा संबंधी किसी भी कार्यक्रम में एक-दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग में लेना चाहिए। फिर भी, परम्परागत पुस्तकालय अनुदेश में बड़े समूहों के लिए व्याख्यान की विधि, छोटे समूहों के लिए निर्देशित पुस्तकालय-दर्शन विधि, और उनके लिए व्यक्तिगत सहायता, जो इसे सूचना डेस्क (Desk) पर मांगते हैं, को काफी प्रयोग में लिया जाता है।

आगे के अनुभागों में पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों और संचार-माध्यमों के उपयोग के बारे में संक्षिप्त चर्चा की गई है।

व्याख्यान

व्याख्यान (Lecture) अनुदेशन की सबसे सामान्य विधि है। इनका प्रयोग छात्रों के बड़े समूहों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। अध्यापन की व्याख्यान विधि में श्रव्य और साथ ही दृश्य संवेदी निवेशों, श्याम पट्ट (Blackboard) तथा ओवरहेड प्रोजेक्टर (Overhead Projector)) दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा में संप्रेक्षण की एक किस्म के रूप में व्याख्यान की बहुत अधिक आलोचना की गई है। इस विधि में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि सूचना देने की गति को प्राप्तकर्ता द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और मुद्रित रूप में उपलब्ध व्याख्यानों के बिना व्याख्यान में निहित सूचना एवं ज्ञान को पुनः या एक से अधिक बार सुना या समझा नहीं जा सकता। फिर भी, व्याख्यान में व्यक्तिगत अंतरक्रिया के अवसर मिलते हैं तथा छात्रों से प्रतिपुष्टि भी प्राप्त होती है। ग्रन्थात्मक आंकड़ों के बारे में सूचना देने में व्याख्यान एक अनुपयुक्त विधि है। यह केवल संबंधित पाठ्यक्रम में सामान्य विषय-प्रवेश के लिए ही उपयुक्त है। व्याख्यान आरंभिक छात्रों की अपेक्षा अपने विषय के परिपक्व-समूह के श्रोताओं के लिए अधिक लाभप्रद हो सकता है।

संगोष्ठियाँ, शिक्षकीय कक्षाएँ तथा प्रदर्शन

संगोष्ठियों, शिक्षकीय कक्षाओं तथा प्रदर्शन (Seminars, Tutorials and Demonstrations) का आयोजन छात्रों/उपयोक्ताओं के छोटे समूहों के लिए किया जाता है। व्याख्यान विधि की तुलना में संगोष्ठियाँ, शिक्षकीय कक्षाएँ और प्रदर्शन ऐसी विधियाँ हैं जो अध्यापकों और छात्रों के बीच अपेक्षाकृत अधिक अन्योन्य क्रिया को सुनिश्चित करती हैं और सीखने की प्रक्रिया में उपयोक्ताओं को सक्रिय रूप में भाग लेने का अवसर प्रदान करती हैं। अध्यापक और अध्येता के बीच एकीकरण के लिए संगोष्ठियों में वातावरण अपेक्षाकृत कम औपचारिक और अधिक अनुकूल होता है। इनके द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना और यह देखना संभव है कि छात्र प्रायोगिक अभ्यासों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं या नहीं। प्रायोगिक सत्रों में छात्रों से उनकी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, इनके आधार पर मौजूदा जानकारी में नई सूचनाएँ जोड़ने का प्रयत्न किया जा सकता है। स्रोत सामग्री की अनुपस्थिति में सूचना की पुनर्प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के विशिष्ट उपकरणों की उपयोगिता को समझना कठिन हो जाता है। आदर्श स्थिति तब होती है जब पुस्तकालयों में ही पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा से संबंधित संगोष्ठियाँ आयोजित की जाएँ। इससे सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए विशिष्ट उपकरणों का प्रदर्शन सरल हो जाता है। छात्रों/उपयोक्ताओं के एक छोटे समूह को सूचना पुनर्प्राप्ति के उपकरणों का उपयोग सिखाने के लिए प्रदर्शन एक अच्छा तरीका सिद्ध हो सकता है। इससे उन्हें कुछ विषयों के बारे में सूचना की सक्रिय रूप से खोज करने का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है।

निर्देशित पुस्तकालय-दर्शन

निर्देशित पुस्तकालय-दर्शन (Guided Tour) एक परम्परागत पद्धति है जिसे सामान्यतः नए छात्रों को पुस्तकालय के उपयोग के बारे में सुपरिचित करने के लिए अपनाया जाता है। सुपरिचितकरण का कार्य बहुधा उन छात्रों के लिए किया जाता है जो पुस्तकालय उपयोग करने के लिए पूरी तरह अभिप्रेरित नहीं हुए हों। पुस्तकालय प्रशासन की दृष्टि से पुस्तकालय के निर्देशित दर्शन द्वारा सुपरिचितकरण कार्य पुस्तकालय कर्मचारियों का काफी समय लेता है।

"पुस्तकालय सुपरिचितकरण का लघु कार्यक्रम तब और भी बेहतर होता है जब वह मुद्रित या श्रव्य रूप में हो और उसके बाद उसमें उपयुक्त अभ्यास कराया जाए। इस विधि के अन्तर्गत पुस्तकालय उपयोक्ताओं को वास्तव में पुस्तकालय भवन में ले जाया जाता है, जहाँ वे सामग्री के स्थान पता लगाने, प्रलेखों की प्रतिलिपि तैयार करने, प्रसूची का उपयोग करने तथा अन्य सामान्य कार्यों से संबंधित व्यावहारिक कार्य करते हैं। स्व-निर्देशित पुस्तकालय-दर्शन का अनेक पुस्तकालयों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।"

दृश्य-श्रव्य विधियाँ

हाल के वर्षों में अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में दृश्य-श्रव्य विधियों (Audio Visual Methods) को प्रयोग में लेने में सामान्य रूप में और पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा में विशेष रूप में रूचि बढ़ी है। दृश्य-श्रव्य (A/V) माध्यमों की एक प्रसूची और सी ए आई सॉफ्टवेयर (CAI Software) सन् 1982 में उपयोक्ता शिक्षा तथा पुस्तकालय व्यवसाय के लिए बनाए गए थे। इसमें इस विषय-क्षेत्र के बारे में उपयोगी सूचनाएँ दी गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय शिक्षा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें चलचित्रों का उपयोग करना आवश्यक होता है। इनके द्वारा सूचना को इकाइयों की एक शृंखला में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे स्लाइडों (Slides), पारदर्शी-चित्रों अथवा मुद्रित चित्रों द्वारा। टेप/स्लाइड (Tape/Slide) माध्यम अथवा मुद्रित सामग्री के साथ-साथ श्रव्य टेपों का प्रयोग पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। टेप/स्लाइड उत्पादों के लाभ हैं : सुनम्यता, स्थायी उपलब्धता, प्रदर्शित करने की गति, और सुस्पष्टता।

विडियो टेप

फिल्मों की तरह विडियो टेप (Video Tapes) भी गति और कुछ मामलों में रंग, दोनों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लिए जा सकते हैं। टेप को बार-बार प्रयोग में लिया जा सकता है तथा इन्हें तैयार करना और अद्यतन करना, कम खर्चीला है। तथापि विडियो टेपों को अद्यतन बनाना समयसाध्य कार्य है। दृश्य अभिलेखन (Video Recording) द्वारा अभिलेखित सामग्री के भण्डारण के लिए टेपों, फिल्मों या डिस्कों का उपयोग किया जाता है। दृश्य सामग्री के उपयोग में पुस्तकालयों के सामने आने वाली समस्याओं में से एक है, विभिन्न प्रणालियों के बीच मानकीकरण का अभाव। ऐसा प्रतीत होता है कि पुस्तकालय अनुदेशन के संदर्भ में कैसेट (Casettes) अधिक उपयुक्त होते हैं। इस समय दो प्रकार की टीवी (TV) कैसेट प्रणालियाँ या रीतियाँ उपलब्ध हैं : एक में केवल प्लेबैक (Playback) हो सकता है और दूसरी में रिकार्डिंग तथा प्लेबैक (Recording and Playback) दोनों कार्य किए जा सकते हैं। परन्तु मुख्य समस्या विभिन्न पद्धतियों के बीच संगत्ता का अभाव है। इन पद्धतियों के लाभ ये हैं कि इनकी सहायता से सामग्री को ध्यानपूर्वक तैयार किया जा सकता है और चूँकि रिकार्ड की गई सामग्री का कई बार प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए अच्छे अध्यापकों का उपयोग बार-बार करना संभव है। आंतरिक टेलीविजन प्रणालियाँ ऐसे प्रदर्शनों का उपयोग कर सकती हैं जो विभिन्न प्रकार के श्रोताओं के लिए उपयुक्त हैं। परन्तु अध्यापक अथवा संगोष्ठी विधि में उपलब्ध व्यक्तिगत संपर्क इस विधि में संभव नहीं है। पुनः कार्यक्रम के मध्य में रुक कर छात्र प्रश्न पूछने और परिचर्चा करने जैसे कार्य नहीं कर सकते।

NOTES

दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के अनुदेश कार्यक्रमों में छात्रों की भूमिका मात्र मूक श्रोता या दर्शक की होती है।

योजनाबद्ध अनुदेशन

योजनाबद्ध अनुदेश (Programmed Instruction) का कार्य विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है, जैसे- मुद्रित पुस्तकों, स्लाइडों के स्वचालित रूप में प्रदर्शित करने अथवा कम्प्यूटर की सहायता से अनुदेशन (CAI : Computer-Aided Instruction) के जैसे विभिन्न माध्यमों के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। योजनाबद्ध अनुदेशन का संबंध पुस्तकालय अनुदेशन के अनेक लाभों से युक्त है। उदाहरण के लिए, छात्र/उपयोक्ता अपने कार्य-स्थल पर कार्य कर सकते हैं। वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और अपनी प्रगति के संबंध में ही प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अध्यापकों के लिए भी छात्रों की प्रगति का अभिलेख प्राप्त करना संभव है। हाँ, इसमें कमी यह है कि छात्र अकेलापन महसूस करता है। बहिर्मुखी छात्र, जो साथी चाहते हैं और कक्षा में प्रतिस्पर्द्धा या प्रतियोगिता पसंद करते हैं शिक्षा की इस विधि को पसंद नहीं करेंगे। कम्प्यूटर की सहायता से अनुदेशन अमेरिका के कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकसित किए गए हैं।

संकेत तथा सूचनात्मक लेखाचित्र कला

संकेत तथा सूचनात्मक लेखाचित्र कला (Signs and Informational Graphics), पुस्तकालय सुपरिचितकरण के लिए उपलब्ध सर्वाधिक बुनियादी विधियों में से एक हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट (Royal College of Art) की ग्राफिक इन्फॉर्मेशन रिसर्च यूनिट (Graphic Information Research Unit) द्वारा आयोजित ब्रिटिश पुस्तकालयों के एक अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि लेखाचित्र कला का सामान्य स्तर कमजोर था, तथा खासतौर से संकेत, अभिकल्प और रचना में भिन्न थे। तथापि, अमरीका में इधर कुछ वर्षों में उपयोक्ता शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पहलू की दिशा में स्पष्ट प्रगति हुई है और इस क्षेत्र में अनेक पुस्तिकाएँ और संदर्शिकाएँ तैयार की गई हैं।

"पुस्तकालयों में सिस्टम्स एप्रोच (Systems Approach) का उपयोग प्रारंभ किया गया जिसमें विभिन्न कार्यों को बताने के लिए विभिन्न किस्म के संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे- सुपरिचितकरण, दिशा-निर्देशन पहचान, अनुदेशन, निषेध अथवा नियमन अथवा सामयिक जागरुकता। इन कार्यों को दो मुख्य प्रकारों के अंतर्गत रखा जा सकता है: दिशा पता लगाने से संबंधित संकेत, और पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग से संबंधित संकेत। यदि संकेतों को उपयोक्ता सुपरिचितकरण के लिए प्रभावी होना है तो उन्हें स्थिति, विषयवस्तु और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से ध्यानपूर्वक आयोजित किया जाना चाहिए।" अच्छी तरह अभिकल्पित संकेत खर्चीले होते हैं परन्तु यह खर्च एक प्रकार से एक अच्छा निवेश हो जाता है क्योंकि ऐसे संकेत लम्बे समय तक काम में लाए जा सकेंगे और पुस्तकालय के भौतिक अवरोधकों से छुटकारा पाने में सहायक होंगे।

संदर्भ डेस्क पर व्यष्टि या व्यक्तिगत अनुदेशन

ऐसा माना जाता है कि संदर्भ डेस्क पर व्यक्तिगत रूप में प्रदान की गई सेवा पुस्तकालय अनुदेश का सर्वोत्तम प्रकार है। कारण यह है कि कोई उपयोक्ता पुस्तकालय के किसी भाग के उपयोग के बारे में प्रश्न तभी करता है जब उसे उस पहलू के संबंध में सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तब छात्र/उपयोक्ता सीखने की प्रक्रिया से सक्रिय रूप में जुड़ जाता है और उसे एक विशेषज्ञ से शिक्षा मिल जाती है। इस प्रकार की व्यक्तिगत सहायता से संबंधित कठिनाई यह है कि इससे छत्र/उपयोक्ता को तात्कालिक सहायता तो मिल जाती है, परन्तु अनिवार्यत: उतनी समझ और बुनियादी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती जिससे छात्र/उपयोक्ता के सामने भविष्य में यदि इसी प्रकार की स्थिति पुन: आए तो वह उसका समाधान कर सके।

निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि अध्यापन की विधियों, माध्यम, सीखने और अध्यापन की स्थिति, तथा विषय संबंधी सामग्री को उन लोगों के अनुसार चुनना चाहिए जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है। इनका चयन इस पर भी निर्भर करता है कि उस प्रशिक्षण प्रक्रिया में कौन से अध्यापक भाग ले रहे हैं। पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा की विधियों और माध्यमों में छात्र/उपयोक्ता को सक्रिय रूप में तब लगाया जाना चाहिए जब वह अभिप्रेरित महसूस करे। अध्यापन विधियों और माध्यमों को मिलाकर संयुक्त रूप में व्यवहार करने से पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों के लिए आदर्श आधार मिल सकेगा।

7. सूचना प्रौद्योगिकी और उपयोक्ता शिक्षा

पिछले दो दशकों में सूचना कार्यों के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप कम्प्यूटर आधारित सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणालियों में वृद्धि हुई है। अनेक संगठनों ने अनेक डेटाबेस (database) और कम्प्यूटर भंडारित सूचना फाइलों (Computer Stored Information Files), का निर्माण किया है, जैसे- अमेरिकन केमिकल सोसायटी (American Chemical Society), द्वारा केमिकल एब्सट्रैक्ट्स (American Chemical Society) और यू एस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (US National Library of Medicine) द्वारा इन्डेक्स मेडिकल (Index Medicus), इत्यादि। ये डेटाबेस अब ऐसे स्थानीय टर्मिनलों (Terminals) से सूचना ढूँढने के लिए व्यापक रूप में उपलब्ध हैं जो दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से केन्द्रीय कम्प्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे प्रयासों के कारण अनेक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणालियों को विकसित कर लिया गया है। इन प्रणालियों का उपयोग उपयोक्ता की शिक्षा और सूचना-पुनर्प्राप्ति की ऑनलाइन विधि की उपलब्धता और कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस अनुभाग का लक्ष्य ऑनलाइन उपयोक्ता शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों की जाँच करना और विभिन्न विधियों, माध्यमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुझाना है जो इन लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त हैं।

7.1 ऑनलाइन शिक्षा में संलग्न समूह

ऑनलाइन (Online) पुस्तकालय सुपरिचितकरण, प्रशिक्षण तथा शिक्षा में अनेक समूह संलग्न हैं। ये हैं :

(1) डेटाबेस उत्पादक

(2) प्रणाली के चालक

(3) टर्मिनल क्रियाएँ संपादित करने वाली संस्थाएँ जैसे पुस्तकालय अथवा सूचना केन्द्र

(4) पुस्तकालय विज्ञान विद्यापीठ

(5) मध्यम

(6) अंत्य उपयोक्ता

इन समूहों में से प्रत्येक के लिए भिन्न-भिन्न अभिप्रेरक होते हैं। सामान्यत: ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अभिप्रेरक तत्व वित्तीय होता है, जैसे विशष्ट उत्पाद (जैसे, डेटाबेस), अथवा सूचना प्रणाली की बिक्री। सुगमता की दृष्टि से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के दो घटक माने जाते हैं : सुपरिचितकरण और अनुदेशन। सुपरिचितकरण का संबंध उपयोक्ता को कम्प्यूटर आधारित सूचना पुनर्प्राप्ति तथा इससे संबंधित सेवाओं के अस्तिव के बारे में सीखने का अवसर देने से होता है। दूसरी ओर अनुदेशन का संबंध उपयोक्ता को विस्तार से यह सिखाने का अवसर देने से है कि सूचना की कम्प्यूटर आधारित पुनर्प्राप्ति कैसे की जाए। ऑनलाइन उपयोक्ता शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को उपरिलिखित में से दो प्रमुख समूहों अंत्य उपयोक्ता तथा माध्यमों के आधार पर दो मुख्य समूहों में वर्णित किया जा सकता है।

7.2 मुख्य लक्ष्य

(i) अंत्य उपयोक्ता को स्वंय अथवा किसी मध्यम की मदद से उसके अपने विषय-क्षेत्र के ऊपर, जब भी आवश्यकता पड़े, ऑनलाइन सूचना खोज करने के अवसर देना।

(ii) मध्यगों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के ऊपर विभिन्न सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणालियों द्वारा उपलब्ध डेटाबेसों से अंत्य उपयोक्ताओं द्वारा चाही गई सूचना को ढूँढने के अवसर देना।

7.3 विधियाँ

पिछले अनुभाग में पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के लिए उपयुक्त अध्यापन विधियों और माध्यमों के बारे में विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। जिन विधियों की चर्चा पहले की जा चुकी हैं उनके अतिरिक्त यह खासतौर से जान लेना चाहिए कि सूचना की ऑनलाइन पुनर्प्राप्ति के कार्य का आयोजन एक अंत:क्रियात्मक प्रक्रिया है। इसलिए उन विधियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए (अर्थात् इन्हें अपनाना चाहिए) जो इस अंत:क्रिया को प्रदर्शित और अनुभव करा सकें।

ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति कार्य को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि कम्प्यूटर खोज के दौरान प्राप्त चलित-बिम्बों को प्रदर्शित किया जाए जिससे कि वास्तविकता महसूस की जा सके। ऑनलाइन अनुदेशन का अंतिम लक्ष्य, अंत्य उपयोक्ताओं और मध्यगों दोनों को ऑनलाइन सूचना खोज के कार्य में समर्थ बनाना है। इसलिए वास्तविक प्रणाली पर व्यावहारिक कार्य करना अनिवार्य होता है। यह 'करके सीखो' विचारधारा है जो पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा की अन्य किस्मों के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रणाली चालकों ने ऑनलाइन अनुदेशन की जरूरत को स्वीकार किया है और अध्यापन के विभिन्न कम्प्यूटर आधारित सहायक उपकरणों की व्यवस्था की है। उदाहरण के लिए, मेडलाइन (MEDLINE) प्रणाली में उपयोक्ता खोज के आरंभ में ही अनुदेशों के लिए और खोज के दौरान सहायता के लिए अंत:क्रियात्मक रूप में पूछताछ कर सकता है। प्रणाली द्वारा प्रत्येक पूछताछ का उत्तर अनुदेशों के एक अंश के अनुसार दिया जाता है। सिस्टम डेवलपमेंट कार्पोरेशन (SDC : System Development Corporation) ने अनेक डेटाबेसों पर ऑनलाइन डेटाबेस डी बी आई:डेटाबेस इन्डेक्स (DBI : Database Index) के नाम से तैयार किया है जहाँ उपयोक्ता अपनी रुचि के विषय-क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना प्रश्न टंकित (Type) करता है और शेष कार्य अर्थात् विभिन्न डेटाबेसों से सूचना ढूँढने का कार्य कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा किया जाता है।

मध्यगों के लिए प्रशिक्षण देने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक यह है कि उन्हें एक प्रशिक्षित खोजकर्ता का प्रेक्षण करने और उसके साथ काम करने का अवसर दिया जाए। इसे मध्यगों के प्रशिक्षण का अनिवार्य भाग माना जाता है।

ऑनलाइन खोज करने में वास्तव में कार्य करते हुए प्रशिक्षण देना, कम्प्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति में अंत्य उपयोक्ता की शिक्षा का महत्वपूर्ण त्तव है। इससे छात्रों/उपयोक्ताओं को अभिप्रेरित किया जा सकेगा और वे सीखने की प्रक्रिया में स्वयं को सक्रिय रूप से लगा सकेंगे।

प्रध्यापन विधि का वरण अक्सर न केवल सीखने के प्रभावों पर बल्कि उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग की कीमत पर निर्भर होता है।

8. उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन

शैक्षिक शोधकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन की व्याख्यां भिन्न तरीकों से की गई है। मूल्यांकन का संबंध शैक्षिक पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के प्रभावों के बारे में सूचना इकट्ठा करने से होता है। इसमें प्रत्याशाओं और आशयों के साथ प्रेक्षित प्रभावों की तुलना करना शामिल है। मूल्यांकन क्या है, यह समझने के लिए इस बात पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है।

"मूल्यांकन से तात्पर्य है, शैक्षिक विभव, शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले परिवर्तों और अंत्य उत्पाद अथवा परिणाम के लिए किए जाने वाले निवेश के बारे में सूचना एकत्रित और विश्लेषित करना। मूल्यांकन को शैक्षिक पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की ओर निर्देशित किया जा सकता है।" मूल्यांकन का अधारभूत उद्देश्य ऐसी सूचना का संग्रह और विश्लेषण है जिसका, निर्णय लेने में, तार्किक उपयोग किया जा सके। पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन का संबंध विशिष्ट पुस्तकालयों और सूचना प्रणालियों के सामान्य रूप में आर्थिक उपयोग से भी है। पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के सफल कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को छात्रों, अध्यापकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की जरूरतों के संश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ मूल्यांकन को बहुआयामी भी होना चाहिए और पुस्तकालय उपयोग तथा सूचना कौशलों, पुस्तकालयोन्मुख मनोवृत्ति की अभिवृत्तियाँ, विभिन्न अनुदेशपरक कार्यक्रमों के प्रभावों और उपलब्ध पुस्तकालयों अथवा सूचना संसाधनों के उपयोग से भी संबंधित होना चाहिए।

8.1 मूल्यांकन का विस्तार-क्षेत्र

''मूल्यांकन का विस्तार-क्षेत्र अध्ययन की तफसीलों, जैसे- उपलब्ध विधियों अथवा माध्यमों के उपयोग का विवरण देने से लेकर विशिष्ट पाठ्यक्रमों के प्रभावों, सम्पूर्ण पुस्तकालय अनुदेशन कार्यक्रमों तथा सामान्य शैक्षिक प्रणालियों तक हो सकता है।''

8.2 मूल्यांकन की विधियाँ

मूल्यांकन के लिए सामान्यतः तीन विधियों का उपयोग किया जाता है। ये हैं : (i) मनोमितीय, (ii) समाजशास्त्रीय अथवा प्रबंधन, और (iii) प्रबोधक अथवा अनुक्रियाशील।

मनोमितीय मूल्यांकन (Psychometric evaluation) इसे धारणा पर आधारित होता है कि जब अन्य सभी परिवर्त नियंत्रित हों तो प्रायोगिक तथा नियंत्रण समूहों को भिन्न-भिन्न रूप में उपचारित करना संभव है और मनोमितीय परीक्षणों को जरिए परिवर्तनों को मापने के लिए उपलब्ध परीक्षणों अथवा मनोवृत्तियों का प्रयोग करना संभव है। अतः प्रायोगिक समूह को नए किस्म के पाठ्यक्रम से गुजारा जा सकता है जबकि नियंत्रण समूह परम्परागत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है और अन्य सभी दृष्टियों से ये दोनों समूह यथार्थतः तुलनीय हैं। दोनों समूहों को पहले दिए जाने वाले परीक्षणों और बाद में दिए जाने वाले परीक्षणों से गुजारा जाता है और उनके विश्लेषण का संबंध इन दोनों समूहों के निष्पादन में सार्थक भिन्नताएँ स्थापित करने से होता है। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों के परिणामों को मापने से संबंधित होती है और अप्रत्याशित प्रभावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

समाजशास्त्रीय मूल्यांकन (Sociological evaluation) विधि का प्रयोग संगठन की संरचना में परिवर्तनों का अध्ययन करने में किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में साक्षात्कारों और प्रश्नावलियों का उपयोग किया जाता है तथा किसी अन्य नियंत्रक समूह की तुलना में परिवर्तनशील संगठन पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

तीसरे किस्म के मूल्यांकन को पार्लेट और हैमिल्टन (Parlett and Hamilton) ने प्रबोधक मूल्यांकन कहा है। यह लक्ष्यों के प्रारंभिक निरूपण द्वारा सीमित नहीं होता बल्कि अप्रत्याशित परिणामों को व्यक्त करने की अनुमति देता है। किसी नवीन प्रक्रिया या नव-प्रवर्तन का वास्तविक कार्यान्वयन, अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन शैक्षिक कार्यक्रम के परीक्षण से इतना संबंधित नहीं होता बल्कि उन दशाओं का वर्णन करने और समझने से संबंधित होता है जिसमें कार्यक्रम चल रहा है और इससे भी कि इसमें भाग लेने वालों पर इसका क्या प्रभाव होता है। सूचना प्राप्ति के लिए प्रेक्षणमूलक अध्ययन और गवेषणात्मक साक्षात्कार प्रयोग में लिए जाते हैं।

NOTES

8.3 पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा के मूल्यांकन की आवश्यकता

हाल में पुस्तकालय व्यवसायी, पुस्तकालय अनुदेशन के मूल्यांकन कार्यक्रमों के संबंध में अधिक सावधानी बरत रहे हैं। सन् 1976 में ब्रिउवर और हिल्स (Brewer and Hills) ने कहा था कि "पुस्तकालयाध्यक्षों को मूल्यांकन का कार्य अधिक गंभीरता से करना चाहिए और अपनी शैक्षिक वचनबद्धता के बारे में अधिक व्यावसायिक दृष्टि से सोचना चाहिए।" उपयोक्ता शिक्षा पर उपलब्ध ग्रन्थसूचियों और पुस्तिकाओं के परीक्षण से यह पता चलता है कि अन्य पहलुओं की तुलना में मूल्यांकन के ऊपर अच्छा साहित्य उपलब्ध नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों में मूल्यांकन के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ रही है, फिर भी पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों के व्यवस्थित मूल्यांकन के बहुत थोड़े से उदाहरण उपलब्ध हैं।

इस संबंध में उद्धृत किए जाने वाले उदाहरणों में से एक चामर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी (Chalmers University of Technology) के पुस्तकालय के लिए किया गया मूल्यांकन अध्ययन हैं। पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम पर की गई कार्य समीक्षा पर विचार करने से पता चलता है कि ऐसे कार्यक्रमों के मूल्य का अध्ययन और ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वालों पर इनके प्रभावों को मापने के प्रयत्न कई भिन्न तरीकों से किए गए हैं। यह जोर देकर कहा जा सकता है कि मूल्यांकन और इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सुझावों से ऐसे कार्यक्रमों में सुधार होगा।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. उपयोक्ता शिक्षा के विषय पर हुए सम्मेलनों का परिचय दीजिए ।

....

....

....

....

9. सार-संक्षेप

इस अध्याय में आपको उपयोक्ता शिक्षा की विचारधारा, इसके उद्देश्य और पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा में उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए उपयुक्त विभिन्न विधियों और माध्यमों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। चर्चा के दौरान उपयोक्ता शिक्षा पर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के प्रभावों की जाँच की गई है। ऑनलाइन खोज और कम्प्यूटर आधारित सूचना की पुनर्प्राप्ति कार्य से संबंधित उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए जरूरी विशिष्ट आवश्यकताओं का भी वर्णन किया गया है। इस अध्याय में निष्कर्ष रूप में पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। आशा की जाती है कि इस अध्याय में दी गई सूचनाओं और स्व-जाँच अभ्यासों और उनके उत्तरों से आपको पुस्तकालयों में उपयोक्ता शिक्षा के ऊपर पर्याप्त जानकारी प्राप्त होगी।

10. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. उपयोक्ता शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया अथवा कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे सूचना के सशक्त एवं सम्भावित उपयोक्ताओं (चाहे वे वैज्ञानिक, अभियन्ता, प्रौद्योगिकीविद्, शिक्षाविद् अथवा छात्र हों) को सूचना के मूल्य के बारे में भिज्ञ किया जाता है और सूचना संसाधनों के उपयोग के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। 'पाठक अनुदेश' पर अपनी पुस्तक में म्यूज (Mews) ने इसे ऐसे अनुदेश के रूप में परिभाषित किया है जो पाठकों को दिए जाते हैं जिससे

वे पुस्तकालय का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग कर सकें। गोर्डन राइट (Garden Wright) ने यह राय दी है कि छात्र को पुस्तकालय का उपयोग करने के बारे में बहुत अलग रखकर नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि उसे शिक्षा की सत्त् प्रक्रिया के रूप में मानना होगा जिसमें संचार के विभिन्न फलक इतने घुले-मिले होते हैं कि अलग नहीं किए जा सकते। जैक्वेस टोकाट्लियन (Jacques Tocatlian) (यूनेस्को) ने 'उपयोक्ता शिक्षा' की परिभाषा में ऐसे हर प्रयास अथवा कार्यक्रम को शामिल किया है जो मौजूदा और संभावित उपयोक्ताओं के मार्गदर्शन और अनुदेशन के लिए, व्यक्तिगत रूप में अथवा समष्टिगत रूप में निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित कर सकें :

(क) अपनी स्वयं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना;

(ख) इन आवश्यकताओं का निरूपण करना;

(ग) सूचना सेवाओं का प्रभावी और दक्षता के साथ उपयोग करना; और

(घ) इन सेवाओं का निर्धारण करना।

2. व्यावहारिक स्तर पर 'उपयोक्ता शिक्षा' का संबंध पाठ्यक्रम के समय की व्यवस्था करने, समयसारणी बनाने, समूह के आकार को निश्चित करने, पाठ्यक्रम की इष्टतम अवधि तय करने, इत्यादि और साथ ही पाठ्यक्रम के संदर्भ से है। साथ ही, व्यावहारिक कठिनाई के रूप में शब्दजाल के प्रचलन के अतिरिक्त 'पुस्तकालयों में मार्गदर्शन के अभाव' का उल्लेख किया जाता है जो न केवल पुस्तकालय विज्ञान की गूढ़ता को बनाए रखते हैं, बल्कि पुस्तकालयाध्यक्ष की अच्छी छवि के सृजन में बाधक होते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए छात्रों को अभिप्रेरित करना ही पर्याप्त नहीं होता। अध्यापकों द्वारा भी छात्रों को पुस्तकालय के बारे में अपने अनुभव बताने चाहिए जिससे उन्हें विश्वास हो जाए कि पुस्तकालय का उपयोग करना शिक्षा का अनिवार्य तथा लाभप्रद हिस्सा होता है। दूसरें शब्दों में, इस समस्या का प्रभावी रूप में निराकरण करने के लिए उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षिक अध्ययन कार्यक्रम के साथ समेकित कर देना चाहिए जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष और अध्यापकों के बीच निकट का सहयोग स्थापित हो सके। ऐसे सहयोग के परिणामस्वरूप उपयुक्त प्रायोगिक कार्य को उपयोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है।

3. उच्च शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका लंबे अरसे से वाद्-विवाद का विषय रही है। सन् 1934 में लुइस शोर्स (Louis Shores) ने 'लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज' (Libary Arts College) की संकल्पना या विचारधारा का प्रतिपादन किया था। यह संकल्पना धीरे-धीरे 'लाइब्रेरी कॉलेज' (Library College) में बदल गई। 'लाइब्रेरी कॉलेज' का उद्देश्य छात्र के सीखने की प्रभाविता को विशेष रूप में ग्रन्थात्मक विशेषज्ञ की सहायता से, पुस्तकालय केन्द्रित स्वतंत्र अध्ययन के प्रयोग के द्वारा बढ़ाना है। 'लाइब्रेरी कॉलेज' का संबंध अनुदेशन की बदलती हुई रीति से है जिसमें सहायक एजेन्सी के रूप में पुस्तकालय के साथ कक्षा में व्याख्यान की व्यवस्था से लेकर पुस्तकालय में, अनुसंधान कक्ष में, अथवा कमरे में अध्ययन/सीखने की प्रक्रिया की व्यवस्था करना शामिल है जो प्रक्रिया व्यक्ति पर और छात्र के स्व-प्रयास पर निर्भर करती है। इस दिशा में पथ-प्रदर्शक कार्य करने वाले अर्थात् लुई शोर्स, पैट्रीशिया बी. नैप और थॉमस जी. किर्क (Louis Shores, Patricia B. Knapp, Thomas G. Kirk) अनिवार्यत: एकाकी कार्य कर रहे थे, परन्तु उन्हें इस दिशा में अपने प्रयोग के लिए कुछ सांस्थानिक सहायता मिली थी।

4. उपयोक्ता शिक्षा के विषय पर अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनेक सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस विषय पर सबसे पहले के सम्मेलनों में से एक सन् 1970 में यू के में लोगबरो (Loughborough) इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरिज

NOTES

(IATUL : International Association of Technological University Libraries) की चतुर्थ त्रिवर्षीय बैठक के रूप में आयोजित किया गया था। इस बैठक का विषय था, पुस्तकालय उपयोक्ता को शिक्षित करना (Educating the Library User)। पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सन् 1979 में केम्ब्रिज में हुआ था जिसका विषय था पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा : क्या नई पद्धतियों की आवश्यकता है? (Library User Education : Are New Approaches Needed ?)। इसके बाद दूसरा सम्मेलन सन् 1981 में ऑक्सफोर्ड में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोक्ता शिक्षा की चर्चा की गई। उपयोक्ता शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों के अन्य उदाहरण हैं : गोथेनबर्ग, स्वीडेन में सन् 1976 में आयोजित पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा पर ऐंग्लो-स्कॉन्डिनेवियन संगोष्ठी (Anglo-Scandinavian Seminar on Library User Education); सन् 1981 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के एसेन (Essen) में हुई कार्यशाला, आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में सन् 1981 में क्रेनफील्ड इन्सीटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Cranefield Institute of Technology) में हुई कार्यशाला, तथा सन् 1982 में गोथेनबर्ग में आयोजित यूज़र एजुकेशन इन ऑनलाइन एज (User Education in Online Age) पर संगोष्ठी।

11. मुख्य शब्द

उद्देश्य (Goal) : इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट अल्पकालिक लक्ष्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिनकी मुख्य लक्ष्यों के साथ सहमति होती है।

प्रबोधक अथवा अनुक्रियात्मक मूल्यांकन (Illuminative or Responsive Evaluation) : इस प्रकार के मूल्यांकन में शिक्षा कार्यक्रम के समग्र दृश्य को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों के प्रेक्षण और साक्षात्कार पर बल दिया जाता है।

प्रभावी लक्ष्य तथा उद्देश्य (Affective Goals and Objectives) : इनका संबंध ऐसी अनुभूतियों से है, जैसे : छात्र क्या विभिन्न शैक्षिक दृष्टि से वांछित तरीकों के अनुरूप व्यवहार करना चाहता है और करता है या नहीं। छात्र के व्यवहार के लिए इनका दीर्घावधिक महत्त्व है।

मन:चालित लक्ष्य तथा उद्देश्य (Psychomotor Goals and Objectives) : इनका संबंध समन्वित भौतिक क्रियाकलापों से होता है जैसे कम्प्यूटर टर्मिनल का उपयोग।

मनोमितीय मूल्यांकन (Psychometric Evaluation) : यह मनोविज्ञान विषय से व्युत्पन्न है और इस धारणा पर आधारित है कि प्रायोगिक तथा नियंत्रण समूहों को उस स्थिति में विभिन्न उपचारों से गुजारा जा सकता है जब अन्य सभी परिवर्त नियंत्रित होते हैं। इस विधि में परिवर्तनों को मापने के लिए मनोमितीय परीक्षणों, उपलब्धि परीक्षणों अथवा अभिवृति पैमानों का उपयोग किया जाता है।

लक्ष्य (Objective)	:	इस शब्द का प्रयोग उद्देश्य के व्यापक और सामान्य कथनों के लिए किया जाता है।
संज्ञानात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य (Conitive Goals and Objectives)	:	इनका संबंध विभिन्न संकल्पनाओं को समझने से है। प्रभावक्षेत्र के भीतर इन्हें जटिलता की मात्रा के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है।
समाजशास्त्रीय मूल्यांकन	:	शैक्षिक मूल्यांकन के प्रति प्रबंधन अथवा समाजविज्ञान-सम्मत उपागम। वास्तव में यह औद्योगिक समाजशास्त्र विषय से विकसित हुआ है। इस विधि का उपयोग संगठन की संरचना में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।

12. अभ्यास-प्रश्न

1. उपयोक्ता शिक्षा के विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिए।
2. उपयोक्ता शिक्षा के विकास पर एक लघु निबन्ध लिखिए।
3. उपयोक्ता शिक्षा के विकास के लिए भारत में हुए प्रयासों का वर्णन कीजिए।
4. उपयोक्ता शिक्षा के उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए।
5. पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा की अध्यापन विधियों का विवेचन कीजिए।

13. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

Fjallbrant, Nancy and Malley, Ian (1984). Users Education in Libraries. 2nd ed. London : Clive Bingley.

Fjallbrant, Nancy (1996). Educate : A Networked User Education Project in Europe. IFLA Journal. zz (I).

Girja Kumar and Krishan Kumar (1983). Philosophy of User Education. New Delhi : Vikas Publishing House.

Kirkendall, C.A. (1980). Library Use Education : Current practices and Trends. Library Trends. 29(I).

Knapp, P.B. (1964). The Monteith College Experiements. New York : Scarecrow Press.
Lubans, J. (ed.) (1974). Educating the Library Use. London : Bowker.

Moghdam, D. (1974). User Training for Online Information Retrieval Systems. JASIS. 26.

Rajagopalan, T. S. (1978). Education and Training of Information Users. Library Science. 15.

Revill, H.H. (1970). Teaching Method in the Library : A Survey from the Education Point of Veiw. Library World. 71.

Satyanarayana, N. R. (ed.) (1988). User Education in Academic Libraries. New Delhi : ESS ESS Publications.

Satyanarayana, R. (1976). Training Courses for Users of Scientific Information. Paper 1.4a DST Course Material. New Delhi : INSDOC.

NOTES

Stevensons, M.B. (1977). User Education Programme : A Study of their Development, Oganisation, Methods and Assessment. Wetherby : British Library.

Tadesse, Taye and Neelameghan, A. (1995). User Sensitisation and Orientation : A Case Study in Postgraduates in the Medical Science. Journal of Inf. Sc. 21 (I).

Taylor, P. J. (1978). User Education and the Role of Evaluation. Unesco Bulletin for Libraries. 3291.

Tocatlian, Jacques (1978). Training Information Users. Unesco Bulletin for Libraries. 32.

अध्याय-13

संसाधन सहभागिता-अवधारणा, आवश्यकता, स्वरूप और कुछ चुने हुए केस-अध्ययन

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. संसाधन सहभागिता की अवधारणा
   3.1 परिभाषा
   3.2 संसाधन सहभागिता के उद्देश्य
4. संसाधन सहभागिता के व्यवस्थापन के लिए अपेक्षाएँ
   4.1 सहमति के लिए अनुबंध
   4.2 बुनियादी अभिलेख
   4.3 प्रौद्योगिकी
5. संसाधन सहभागिता के लक्ष्यों की प्राप्ति
6. भारत में किए गए विकास कार्य (कुछ केस-अध्ययन)
   6.1 कैल्बिनेट
   6.2 डेलनेट
   6.3 इंफ्लिबनेट
7. सार-संक्षेप
8. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
9. अभ्यास-प्रश्न
10. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्याय का अध्ययन कर लेने के बाद आप :

- संसाधन सहभागिता की अवधारणा को समझ सकेंगे ;
- इसके प्रयोजन और उद्देश्य का वर्णन कर सकेंगे;
- संसाधन सहभागिता के विभिन्न पहलुओं का निर्धारण कर सकेंगे;
- आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण होने वाले विकासों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे; तथा
- कुछ चुने हुए केस अध्ययन की जानकारी प्राप्त करेंगे।

2. परिचय

वर्तमान संदर्भ में कोई भी पुस्तकालय केवल अपने संग्रह के आधार पर समस्त पुस्तकालय सेवाओं का आयोजन नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए उसे बाहर के संसाधनों पर निर्भर होना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण हैं : पत्रिकाओं की बढ़ती हुई कीमत, पुस्तकालय में उपलब्ध स्थान पर बढ़ता हुआ दबाव, और विशाल प्रलेख-संग्रह के प्रक्रियाकरण और रख-रखाव पर होने वाला खर्च। संक्षेप में ये सार त्तव विभिन्न पुस्तकालयों के बीच प्रभावी सहयोग की मांग करते हैं।

यहाँ यह भी उल्लेख है कि संसाधन सहभागिता में विभिन्न पुस्तकालयों के बीच सहयोग इसलिए अनिवार्य हो गया है कि पुस्तकालयों में स्थायी स्वामित्व के बदले अस्थायी स्वामित्व की ओर रुझान बढ़ा है। यह कहा जा सकता है कि 'स्वामित्व प्रतिमान' के पक्षधर, साम्रगी के अधिग्रहण पर यह मान कर बल देते हैं कि ऐसा करने से शैक्षिक पुस्तकालय विद्वानों और छात्रों की प्रत्याशित सूचनापरक आवश्यकताओं के आयोजन और व्यवस्थापन में अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा सकेंगे। 'अस्थायी स्वामित्व' प्रतिमान की इसलिए आलोचना की जाती है कि यह अल्पावधिक अनुप्रयोग है क्योंकि इसका उद्देश्य मात्र अल्पकालिक सूचनापरक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

सूचना संसाधनों के 'अभिगम' की अवधारणा का संबंध पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता के दर्शन से है। यह उल्लेखनीय है सहकारी संग्रह के विकास और अंतर-पुस्तकालय देय-आदेय कार्य क द्वारा सूचना संसाधनों के अभिगम को सुलभ किया जा सकता है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू पर यहाँ बल दिया जा सकता है कि संसाधन सहभागिता क्रियाकलाप समतुल्यता की अवधारणा पर आधारित होता है : अर्थात् पुस्तकालयों को न केवल दूसरे के संसाधनों को प्राप्त करने बल्कि अपने संसाधनों में से कुछ देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए चाहे संसाधन अल्प ही क्यों न हो। ऐसी व्यवस्था का सुगम बनाने के लिए सभी साझेदारों को यह जानकारी होनी चाहिए कि सदस्य पुस्तकालयों में से प्रत्येक के पास क्या है और किन संसाधनों का वे भविष्य अधिग्रहण करेंगे।

इस अध्याय संसाधन सहभागिता से संबंधित सूचनाएँ, इसके उद्देश्यों, इसके व्यवस्थापन और विकार के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। नेटवर्किंग (Networking) की अवधारणा से सूचन संसाधनों में सहभागिता काफी बढ़ गई है। पुस्तकालय कई दशकों से नेटवर्किंग की अवधारणा से परिचित हो चुके हैं। अपनी कुछ सेवाओं को नेटवर्किंग-अर्थात् दूसरे पुस्तकालयों से अपने काम की सूचना प्राप्त करने की योग्यता-के आधार पर वे चला रहे हैं। 1980 और 1990 के दशकों में दूरसंचार नेटवर्कों के प्रयोग के साथ ऐसी संसाधन सहभागिता को और अधिक दक्षता के साथ चलाने की क्षमता का विकास हुआ है। इस अध्याय में पुस्तकालय संसाधन सहभागिता सेवा में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव की भी चर्चा की गई है और संसाधन सहभागिता के कार्य में हुई प्रगति का विवरण देने के लिए कुछ चुने हुए केस अध्ययनों का (Case Studies) वर्णन किया गया है।

आशा है कि इस अध्याय में प्रस्तुत सामग्री पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक कार्यक्रम के छात्रों के लिए पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता की अवधारणा को समझने में सहायक होगी।

3. संसाधन सहभागिता की अवधारणा

पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय सहयोग से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। पुस्तकालय सहयोग का मूल उद्देश्य विभिन्न पुस्तकालयों के सामूहिक संसाधनों को मिलाकर, सभी भागीदर (सदस्य) संस्थाओं के परस्पर हित के लिए उनका इष्टतम स्तर तक उपयोग करना है। वास्तव में पुस्तकालय सहयोग को भिन्न-भिन्न रूपों में अपनाया जा सकता है, जैसे- सहकारी-अधिग्रहण, केंद्रीकृत प्रसूचीकरण और अंतर-पुस्तकालय ऋण। इन सभी का लक्ष्य पुस्तकालयों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में अनचाही पुनरावृत्ति को न होने देना और उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना है। खासतौर से अंतर-पुस्तकालय ऋण या देय-आदेय कार्य से अन्य पुस्तकालयों से वांछित सामग्री प्राप्त करने की क्षमता बढ़ी है। अतः पुस्तकालय सहयोग ने पुस्तकालयों के बीच ज्ञान के अभिगम को सुगम बना दिया है।

संसाधन सहभागिता के कारण पुस्तकालय सहयोग के क्षेत्र का वास्तव में विस्तार हुआ है और इसमें एक प्रकार की परस्परता और भागीदारी शामिल कर ली गई है जिसमें प्रत्येक भागीदार को कुछ उपयोगी योगदान करना होता है और अन्यों से योग लेना होता है। इस कार्य में सहयोग करने की इच्छा और साथ ही जब भी आवश्यक हो, अपने संसाधनों को दूसरों को उपलब्ध कराने की क्षमता की जरूरत होती है। 1950 और 1960 के दशकों में पुस्तकालय बजट की अपर्याप्ता और पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की कीमतों में एकदम आई तेजी के कारण संसाधन सहभागिता की अवधारणा को औपचारिक रूप देने के प्रयास किए गए थे।

3.1 परिभाषा

एलेन केन्ट (Allen Kent) ने संसाधन सहभागिता से संबंधित अवधारणाओं में से कुछ का वर्णन इन शब्दों में किया :

पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता, कार्य करने का ऐसा तरीका है जिससे अनेक पुस्तकालय समान कार्यों में, अधिकतम सकारात्मक रूप में सहभागिता कर सकें। संसाधन सहभागिता में पारस्परिकता की आवश्यकता होती है और ऐसी भागीदारी को प्रयोग में लिया जाता है जिसमें प्रत्येक सदस्य अन्यों को कुछ न कुछ उपयोगी सहयोग दे सके और जिसमें हर सदस्य सहयोग देने का इच्छुक हो और जब भी आवश्यकता हो सहयोग उपलब्ध करा सके। 'संसाधन' शब्द का प्रयोग सभी सामग्रियों, कार्यों, सेवाओं तथा व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक कर्मचारियों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। संसाधन में वह हर वस्तु, व्यक्ति अथवा कार्य शामिल होता है जो आवश्यकता के समय सहायता के निमित्त किसी के द्वारा माँगा जाए।

'सहभागिता' शब्द में बाँटना आवंटित करना अथवा अपने संसाधनों को दूसरों के लाभार्थ उपलब्ध कराना शामिल है। इसका निहितार्थ है, 'परस्पर लाभ के लिए भागीदारी'।

पुस्तकालय संसाधन के दायरे में मुद्रित तथा अन-मुद्रित सामग्रियाँ और साथ ही मानव संसाधनों को शामिल किया जाता है जिनका ऐसे तरीकों से साझा किया जा सकता है जो सेवा की गुणवत्ता को बढ़ा सकें।

एलेन केन्ट द्वारा दी गई विस्तृत व्याख्या के आधार पर हर व्यक्ति के लिए 'संसाधन सहभागिता' की संकल्पना उसका अर्थ और उसकी महत्ता के बारे में जानना आसान होगा। प्रकटतः इसका अर्थ यह नहीं है कि भागीदार पुस्तकालयों के व्यक्तिगत अस्तित्व पर किसी प्रकार का असर होगा। वास्तव में संसाधन सहभागिता के लाभों को भागीदार पुस्तकालयों के उद्देश्यों अथवा रुचियों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किए बगैर प्राप्त करना चाहिए।

फिर भी, कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें इनके संचालन की विधियों में थोड़ा बहुत समायोजन करना पड़े।

NOTES

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. संसाधन सहभागिता की अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए ।

....

....

....

....

3.2 संसाधन सहभागिता के उद्देश्य

संसाधन सहभागिता के उद्देश्य बहुत ही आदर्शवादी हैं। इसका लक्ष्य पुस्तकालय उपयोक्ताओं को सुविधापूर्वक सूचना का अभिगम प्रदान करना होता है चाहे संसाधन कहीं भी अवस्थित हो। दूसरे शब्दों में, पुस्तकालय अपने ससाधनों से परे भी उपयोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं। यह अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों में सहभागिता करके ही किया जाता है। इस क्रियाकलाप के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

- सकल लागत में कमी लाना;
- सूचना संसाधनों और उनके प्रक्रियाकरण तथा उनके रख-रखाव की लागतों में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचना;
- उपयोक्ताओं के विस्तृत वर्ग के लिए सूचना संसाधनों के अभिगम की व्यवस्था करना; और
- संग्रह के विशेषीकृत क्षेत्रों का विकास करना, जिससे प्रत्येक पुस्तकालय अपने स्वयं से संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सके।

संसाधन सहभागिता के बुनियादी क्रियाकलाप का लक्ष्य है, पुस्तकालय सामग्रियों और सेवाओं पर कम से कम खर्च द्वारा उनकी अधिकतम उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इसमें सूचना स्रोतों के अभिगम पर अधिक बल दिया जाता है न कि ऐसे संसाधनों को रखने और उनके स्वामित्व पर, यद्यपि स्वामित्व को पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है। आधारभूत धारणा यह है कि कोई भी पुस्तकालय संपूर्ण विश्व के साहित्य को अपने संग्रह में नहीं रख सकता इसलिए उसे अपने पाठकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य पुस्तकालयों पर निर्भर रहना ही पड़ता है।

4. संसाधन सहभागिता के व्यवस्थापन के लिए अपेक्षाएँ

एक महत्वपूर्ण पहलू, जिस पर ध्यान देना जरूरी है, यह है कि प्रत्येक भागीदार पुस्तकालय के उन संसाधनों के संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिए जिनकी वह अन्य सदस्य पुस्तकालयों के साथ सहभागिता करने की स्थिति में है। दूसरे शब्दों में, पुस्तकालय में कुछ ऐसी पुस्तकें और पत्रिकाएँ हो सकती हैं जिनका उसके अपने उपयोक्ताओं द्वारा काफी उपयोग किया जाता है और जिन्हें परिसर से बाहर ले जाने के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रलेख संसाधन सहभागिता के दायरे में नहीं आते। इसलिए पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता को प्रभावी बनाने के लिए नीचे बताए गए कुछ मुद्दों पर सहमति होना महत्वपूर्ण है।

4.1 सहमति के लिए अनुबंध

भागीदार पुस्तकालयों के बीच निम्नलिखित मुद्दों पर सहमति के स्वरूप अनुबंध होना चाहिए :

- सहभागिता पर उपलब्ध सामग्री की कोटि;
- अधिग्रहण की नीति, जिसका उद्देश्य है, अपने संग्रह के सत्त विकास को सुनिश्चित करना औ साथ ही ऐसे प्रलेखों के क्रय ही पुनरावृत्ति से बचना जिनका क्रय या अधिग्रहण सदस्य पुस्तकालय द्वारा अनुत्पादक या फलहीन माना जाए;

- देय-आदेय की अवधि, नवीकरण की प्रक्रिया, लेन-देन के दौरान खो गई सामग्री के लिए अदायगी, इत्यादि;
- इस कार्य के लिए विभिन्न उपकरणों को तैयार करना, जैसे संघ प्रसूचियाँ तैयार करना जिनमें ग्रन्थात्मक नियंत्रण के लिए एकरूपता और मानकीकरण हो;
- सहकारी प्रसूचीकरण अथवा साझा प्रसूचीकरण;
- अद्यतन प्रसूचियों इत्यादि का रख-रखाव, इत्यादि।

उपरोक्त पहलुओं के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि:

- सामग्री को देने और उनकी समय पर वापसी के लिए, सकारात्मक प्रक्रियाएँ निर्धारित की जानी चाहिए;
- अपने संग्रह में उपलब्ध सामग्री, या आदेशित, अथवा प्रक्रियाकरण के लिए प्रतीक्षित सामग्री का ग्रन्थात्मक अभिगम सुनिश्चित करना चाहिए; और कम उपयोग में आने वाली या रद्द की गई सामग्री के रख-रखाव, और आवश्यकता पड़ने पर उनके उपयोग के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए।

एक बार जब अपनी रुचि की सामग्री की अन्यत्र अवस्थिति पता लग जाए तो यह निर्धारित करना जरूरी हो जाता है कि वह सामग्री वास्तव में उपलब्ध है या अन्य उपयोक्ताओं द्वारा उपयोग में ली जा रही है। संसाधन सहभागिता के कार्य को समुचित रीति से सम्पन्न करने के लिए ऋण पर जारी की गई सामग्री की जानकारी आवश्यक है जिससे कि निराशा न हो और दूसरे पुस्तकालयों में वांछित सामग्री को ढूँढ़ने की प्रक्रिया तेज की जा सके। इसके बाद अगला कदम उस सामग्री को जरूरत के स्थान पर भौतिक रूप में पहुँचाना है। इसलिए संसाधन सहभागिता में सामग्रियों को आवश्यकता के स्थान पर पहुँचाने तथा उसे समय से वापस लौटाने के लिए सकारात्मक तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। यदि संसाधन सहभागिता को सफल और प्रभावी बनाना है तो सभी प्रक्रियाओं को पर्याप्त तेजी से चलाना पड़ेगा ताकि उपयोक्ता के पास वांछित सामग्री, उसकी जरूरत समाप्त होने से पहले ही पहुँच जाए। इस कार्य के लिए प्रौद्योगिकी उपयोगी हथियार है।

4.2 बुनियादी अभिलेख

संसाधन सहभागिता प्रणालियों में अभिलेखों का निर्माण और रख-रखाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो प्रत्येक पुस्तकालय में किया जाता है। सामग्रियों की सहभागिता में औपचारिक और संगत तरीकों से अभिलेखों की सहभागिता शामिल है जिसके बिना प्रणाली कार्य नहीं कर सकती।

पहली बात अधिग्रहण नीति से संबंधित है। जहाँ तक संभव हो अधिग्रहण नीति को विस्तार से लिख लेना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि प्रणाली के अन्य सदस्य अपने लिए प्रलेखों का अधिग्रहण करते समय यह जान सकेंगे कि अन्य पुस्तकालय अमुक कोटि के प्रलेखों का अधिग्रहण करेंगे या नहीं। अनुमोदन कार्यक्रमों के लिए मानदण्ड तैयार करने के अनुभव इस दिशा में कार्यात्मक प्रतिमान का काम कर सकते हैं।

सहभागिता में भागीदार सदस्य पुस्तकालयों के आदेशित प्रलेखों अथवा प्रक्रियाकरण के लिए प्रतिक्षित प्रलेखों से संबंधित अभिलेखों और उनकी संघ सूची के द्वारा पुस्तकालय विशेष को अपनी प्रलेख चयन की नीति को लागू करने में सहायता मिलती है।

एक बार अधिग्रहण संबंधी सकारात्मक निर्णय किसी पुस्तकालय द्वारा ले लिया जाता है तो उसके द्वारा आदेशित, या प्रक्रियाकरण के लिए प्रतीक्षित प्रलेखों की फाइल (File) उन समस्त सदस्यों को उपलब्ध होनी चाहिए जो उसी प्रकार के प्रलेखों के अधिग्रहण संबंधी निर्णय ले रहे हों। यही बात सारे सदस्य पुस्तकालयों पर लागू होनी चाहिए। सदस्य पुस्तकालयों की संघ प्रसूची बनाकर उसे अद्यतन रखना भी

उपयोगी होता है। संघ प्रसूचियों में प्रलेखों के स्थान (जिन पुस्तकालयों में वे उपलब्ध हैं) को संकेत द्वारा सूचित करना चाहिए और साथ ही उपयोग के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिबंध लगाया गया हो तो उसकी सूचना होनी चाहिए।

NOTES

उपयोक्ता को अपनी रुचि की सामग्री को ढूंढ लेने के बाद यह जानकारी भी होनी चाहिए कि वह सामग्री उपलब्ध है या ऋण पर जारी की गई है। यदि सामग्री (प्रलेख) ऋण पर जारी की गई है तो उसकी उपलब्धता का अनुमानित समय जान लेना चाहिए, जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि उसके मिलने में देर स्वीकार्य है या अन्य पुस्तकालय में उसकी उपलब्धता के प्रयास किए जाएँ। दूसरो शब्दों में, प्रत्येक पुस्तकालय को अन्य पुस्तकालयों के देय-आदेय अभिलेख का अभिगम होना चाहिए।

जैसे ही देय-अदेयी कार्य पूरा हो जाए, फाइलों को तैयार कर लेना और साथ सामग्रियों को वापस मांगने की प्रक्रिया को शुरू कर देना आवश्यक है। यदि देर से वापसी के लिए या न लौटाने के लिए जुर्माने या अन्य दंडात्मक विधियों का विधान हो तो उचित फाइलों को तैयार करना और प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। ऊपर जिन फाइलों और प्रक्रियाओं की चर्चा की गई है वे प्रलेखों के उपयोग के विश्लेषण में और कम उपयोग में आने वाली सामग्रियों की सामान्य भंडारण सुविधा के बारे में निर्णयों के लिए अवसर प्रदान करती हैं। यदि इस प्रकार की सुविधा विकसित हो जाए तो इसके लिए भी उपयुक्त फाइलें और प्रक्रियाएँ बना लेनी चाहिए।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. संसाधन सहभागिता प्रणाली में अभिलेखों का क्या महत्व है?

....

....

....

....

4.3 प्रौद्योगिकी

चूँकि विभिन्न पुस्तकालयों में अधिगृहीत सामग्री, उनके प्रलेख-संग्रह, उनमें प्राप्त अंतर-पुस्तकालय ऋण के अनुरोध, तथा उनके द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों से संबंधित आंकड़ों की सहभागिता आवश्यक है, और साथ ही दूर-स्थित आंकड़ों से संबंधित सूचना की सहभागिता भी आवश्यक है; अतः संसाधन सहभागिता की प्रणालियों की अभिकल्पना तथा संचालन में कम्प्यूटर एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी की अत्यंत सशक्त भूमिका है। इसलिए इन आँकड़ों से संबंधित अभिलेखों या फाइलों को मशीन पठनीय रूप में रखना चाहिए ताकि विभिन्न कार्यों को लागत-प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जा सके, आंकड़ों का त्तकाल विश्लेषण संभव हो सके तथा संगत एवं अद्यतन आंकड़ों द्वारा विभिन्न स्थानों पर लिए जाने वाले निर्णयों में सहायता प्रदान की जा सके।

कम्प्यूटरों की बहुत सारी किस्में है जिनकी सहायता से संसाधन सहभागिता प्रणालियों को चलाया जा सकता है। छोटे और कम कीमत के कम्प्यूटरों, जिन्हें माइक्रोकप्यूटर (Micro Computer) कहा जाता है, से लेकर अधिक कीमत वाले शक्तिशाली कम्प्यूटरों की सुविधाएँ हैं। इस कार्य के लिए उपलब्ध हैं। स्थानीय स्वचालन की आवश्यकता को समर्थन देने के लिए संसाधन सहभागिता प्रणाली में भाग लेने वाले पुस्तकालयों द्वारा इनमें से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना जरूरी होता है कि स्थानीय आवश्यकताओं के लिए और/अथवा पूरी प्रणाली को समर्थन देने के लिए चयनित उपकरण सुसंगत हैं या नहीं।

यदि सदस्य पुस्तकालयों को नेटवर्क तैयार करना हो तो इस प्रक्रिया को दूरसंचार नेटवर्कों द्वारा विस्तृत बनाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में पुस्तकालयों को उन संभावनाओं और समस्याओं दोनों की

पहचान कर लेनी चाहिए जो प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण उत्पन्न होती हैं। सफल सहयोग का निकट संबंध के अनुपालन से होता है। इलेक्ट्रोनी (Electronic) वातावरण में मानकीकरण अनिवार्य होता है।

5. संसाधन सहभागिता के लक्ष्यों की प्राप्ति

आज हर पुस्तकालयाध्यक्ष को यह मालूम है कि किसी भी पुस्तकालय के लिए आत्मनिर्भरता संभव नहीं है और इसलिए आज के परिवेश में यथार्थवादी, व्यवहार्य, और स्वीकार्य लक्ष्यों के विकास की मांग होती है। पुस्तकालय का बजट चाहे कितना भी अधिक क्यों न हो, उसे अपने संसाधनों को तीन क्षेत्रों में बाँटना चाहिए:

(क) सामग्री (प्रलेख) के अधिग्रहण के लिए;

(ख) अपनी सामग्री के अभिगम के लिए आवश्यक ग्रन्थात्मक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए; तथा

(ग) अन्य सदस्य पुस्तकालयों के संग्रह से सूचना के अभिगम के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए।

मूल प्रश्न यह है कि इनमें से प्रत्येक के लिए कितने धन की आवश्यकता है। मुख्य समस्या, जिसकी और ध्यान देना है वह है आवश्यकताओं का पूर्वानुमान या उनके बारे में भविष्यवाणी। यदि कुछ प्रवृतियाँ, स्थायी रूप से देखी जा रहीं हों तो उनकी दिशा का पता लगाया जा सकता है। उपलब्ध साहित्य को देखने पर पता चलता है कि पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई सामग्रियों में से 50 प्रतिशत का उपयोग नहीं होता है। साथ ही अधिगृहीत पुस्तकों में से 10 प्रतिशत ऐसी हैं जो पिछले 7 वर्षों में एक बार भी ऋण पर जारी नहीं की गई हैं जबकि किसी भी संग्रह के एक थोड़े से भाग की बहुत अधिक मांग रहती है और कभी-कभी ये पुस्तकें, जब इनकी आवश्यकता होती है, उपलब्ध ही नहीं होती हैं। इन आंकड़ों की यदि स्थानीय परिवेश में पुष्टि हो जाए तो इनसे पुस्तकें खरीदने और संसाधन सहभागिता संबंधी निर्णयों को लेने में अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है।

दूसरे शब्दों में, संसाधनों की सहभागिता, कार्य को संचालित करने के लिए तरीके को बताती है जिसके द्वारा पुस्तकालयों के सभी या कुछ कार्यों में अनेक पुस्तकालयों के बीच सामान्य रूप से सहभागिता की जाती है। ऐसे प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है : परिग्रहण, प्रक्रियाकरण, भंडारण तथा वितरण सेवा। अभी तक कोई ऐसी प्रणाली स्थापित नहीं हो सकी है जिसमें इन सभी कार्यों की एक साथ सहभागिता की जा सके, यद्यपि कुछ प्रणालियों में "पूर्ण सेवा का रूप ले सकने वाले नेटवर्कों" की योजना बनाई जा रही है। अब तक संसाधन सहभागिता के महत्वपूर्ण पहलू प्रक्रियाकरण और वितरण के क्षेत्रों से ही संबंधित रहे हैं। केंद्रीकृत भंडारण तथा अधिग्रहण के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अनेक वाणिज्यिक संगठनों ने राष्ट्रीय कम्प्यूटर-समय सहभागिता प्रणाली (National Computer-Time Sharing System) के जरिए पत्रिका साहित्य के ग्रन्थात्मक अभिगम का कार्य प्रारंभ किया है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संसाधन सहभागिता जिस सामग्री की उपलब्धता को अधिकतम बढ़ाना चाहती है उसका अभिप्राय है समय का व्यापारीकरण और पुस्तकालय सामग्री के उपयोग के अभ्यस्त तरीके। उदाहरण के लिए, किसी सूचना या प्रलेख को प्राप्त करने में इसलिए विलम्ब होता है कि स्थानीय रूप में वह उपलब्ध नहीं है, परन्तु उस प्रलेख का परिग्रहण न कर बचायी गई राशि एक निवेश का रूप ले सकती है जिससे सामग्री के विशद भंडार के लिए खर्च किया जा सकता है, जो खर्च कोई स्थानीय पुस्तकालय वहन नहीं कर सकता। संसाधन सहभागिता के जरिए उपलब्धता का संबंध पुस्तकालयों का मूल्यांकन करने के नए तरीकों और अभिलेखित ज्ञान के संसाधनों के उपयोग से है। किसी पुस्तकालय की गुणवत्ता को उसके संग्रह के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर जाँचना चाहिए कि किसी नेटवर्क की सदस्यता ग्रहण कर वह पुस्तकालय अभिलेखित ज्ञान की बहुत बड़ी मात्रा को अपने उपयोक्ताओं को उपलब्ध करा रहा है। संसाधन सहभागिता की प्रभाविता उपयुक्त संचार साधनों, प्रौद्योगिकी और वितरण प्रणालियों की उपलब्धता पर निर्भर

करती है। कम्प्यूटर एक बहुत ही प्रभावी साधन है जिसके द्वारा सामग्री प्रक्रियाकरण और ढूँढने का कार्य शीघ्रता से और सुगमता से हो जाता है और इस कार्य के ऊपर दूरी का कोई प्रभाव नहीं होता। वितरण सेवाएँ अभी तक अधिकांशत: डाक सेवा या निजी वितरण प्रणालियों पर ही निर्भर थीं।

यदि संसाधन सहभागिता प्रणालियों को उन प्रणालियों के समानांतर चलाना है जिनका लक्ष्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, तो हो सकता है कि लागत प्रभावित संभव न हो। दूसरी ओर, यदि संसाधन सहभागिता की अधिक समाकलित प्रणालियों को विकसित किया जाए तो ऐसे प्रयासों से अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

6. भारत में किए गए विकास कार्य (कुछ केस अध्ययन)

संसाधन सहभागिता के उद्देश्य से भारत में पुस्तकालयों की नेटवर्किंग की आवश्यकता 1980 के दशक में तब महसूस की गई थी जब इस दिशा में विकसित देशों द्वारा की गई भारी प्रगति देखी गई। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर योजना आयोग के एक 'कार्यदल' जिसके अध्यक्ष डॉ. एन. शेषागिरी (Dr. N. Seshagiri) थे, ने पुस्तकालय सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए और सातवीं योजना काल (1985–90) में पुस्तकालय प्रणालियों को परस्पर जोड़ने की सिफारिश की थी।

सन् 1985 में निसात (NISSAT) ने सी एस आई आर (CSIR) के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक की सिफारिशों में से एक थी कलकत्ते में साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी (Science and Technology Library) की स्थापना करना और इस शहर में पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। निसात ने सी एम सी लिमिटेड (CMC Ltd.) को कलकत्ता पुस्तकालय नेटवर्क (CALIBNET : Calcutta Library Network) पर व्यवहार्यता प्रतिवेदन (Feasibility Report) तैयार करने के लिए नियुक्त किया। यह प्रतिवेदन सन् 1989 में पूरा हुआ और प्रकाशित किया गया। इसी बीच जनवरी 1988 में निस्सात के समर्थन से इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर, (India International Centre) नई दिल्ली ने दिल्ली पुस्तकालय नेटवर्क (डेलनेट) (DELNET : Delhi Library Network) पर, इस केन्द्र की एक परियोजना के रूप में, कार्य करना शुरू कर दिया था। जुलाई 1992 में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (Societies Registration Act) 1860 के अन्तर्गत इसका एक संस्था (Society) के रूप में पंजीकरण हुआ।

पुस्तकालय सेवा और सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण पर डा. शेषागिरी की अध्यक्षता में गठित कार्य दल की सिफारिशों ने सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क (Information and Library Network) अर्थात् इंफ्लिबनेटए (INFLIBNET) के लिए मार्ग प्रशस्त किया। एंफ्लिबनेट के ऊपर सन् 1989 में प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। सन् 1991 में इंफ्लिबनेट ने अहमदाबाद में अपना कार्यालय खोला और जैसे ही आठवीं योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध हुआ, इंफ्लिबनेट ने अपना काम शुरू कर दिया। इसी बीच चेन्नई, पूणे, मुम्बई और बैंगलोर जैसे शहरों में अन्य नेटवर्कों की स्थापना के बारे में प्रस्ताव रखे गये। इसलिए कैलिबनेट, डेलनेट और इंफ्लिबनेट के अलावा पुस्तकालय नेटवर्क किसी न किसी रूप में मुम्बई, बैंगलोर, चेन्नई, पूर्ण और अहमदाबाद में भी शुरू किए गए।

अगले अनुभागों में कैलिबनेट; डेलनेट और इंफ्लिबनेट का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। केस अध्ययनों (Case Studies) के ये कुछ चुने गए उदाहरण हैं।

6.1 कैलिबनेट

कैलिबनेट का प्रायोजन निसात ने किया और सी एम सी को इसके ऊपर एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने को कहा। व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार कैलिबनेट को 40 पुस्तकालयों का नेटवर्क बनाया जाना था और इसे दो अवस्थाओं में विकसित करना था। निसात ने कैलिबनेट के लिए इनग्रेस (INGRESS) 502 पर आधारित सॉफ्टवेयर पैकेज मैत्रेयी (MAITRAYEE) को विकसित करने के लिए धन उपलब्ध कराया। सी एम सी लिमिटेड द्वारा इस पैकेज को विकसित किया गया।

'मैत्रेयी' सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग करने वाले विभिन्न भागीदार पुस्तकालयों द्वारा तैयार किए गए मशीन पठनीय डेटा की कुल मात्रा के बारे में विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि कैलिबनेट इन्टरनेट (Internet) का अभिगम उपलब्ध करा रहा है और सीडी-रोम डेटाबेस (CD-ROM Database) खोज सुविधा प्रदान कर रहा है। कैलिबनेट ने भागीदार पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों के लिए संघ प्रसूची बनाना शुरू कर दिया है या नहीं, इसका पता अभी नहीं लग पाया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कैलिबनेट द्वारा कलकत्ता में पुस्तकालयों के संसाधन सहभागिता नेटवर्क को विकसित नहीं किया जा सका है। कैलिबनेट की पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो गई है तथा कलकत्ता के पुस्तकालयों द्वारा संसाधन सहभागिता क्रियाकलाप में मदद करने के लिए इसके द्वारा विकसित मूल्ययोजित उत्पादों का पूर्ण विवरण अभी सामने आना बाकी है। उसके बाद ही इसकी उपलब्धियों को वास्तव में समालोचनात्मक रूप में मूल्यांकित किया जा सकेगा।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. संसाधन सहभागिता प्रणाली के संचालन में कम्प्यूटर की क्या भूमिका है?

....

....

....

....

6.2 डेलनेट

डेलनेट को मूलतः इन्डिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली की एक परियोजना के रूप में निसात की वित्तीय सहायता से आरंभ किया गया था। यह वित्तीय सहायता 1988 से 1992 तक मिलती रही। मार्च, 1992 में डेलनेट एक पंजीकृत सोसायटी बन गया। इस नेटवक की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) इसमें 67 संस्थागत पुस्तकालय, सदस्य के रूप में (सदस्यता साल दर बढ़ती जा रही है) भाग ले रहे हैं;

(2) सदस्य पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए डेलनेट ने अबतक निम्नलिखित का निर्माण किया है :

(क) सदस्य पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों की कम्प्यूटर पठनीय संघ-प्रसूची (1068 लाख रिकार्ड);

(ख) पत्रिकाओं की संघ-प्रसूची (116 पुस्तकालय);

(i) वैज्ञानिक तथा तकनीकी पत्रिकाओं की संघ-प्रसूची (7811 रिकार्ड);

(ii) समाज विज्ञान की पत्रिकाओं की संघ-प्रसूची (6919 रिकार्ड);

(iii) मानविकी की पत्रिकाओं की संघ-प्रसूची (1178 रिकार्ड)।

(ग) विशेषज्ञों का डेटाबेस (1200 विशेषज्ञ);

(घ) पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों का डेटाबेस (50,000 रिकार्ड);

(ङ) पत्रिकाओं की संघ-प्रसूची (2391 रिकार्ड);

(च) भाषा संबंधी प्रकाशनों का डेटाबेस (नमूने का डेटाबेस)।

(3) बेसिस प्लस (BASIS Plus) पर आधारित नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, डेल्सिस (DELSIS) जो ग्रन्थात्मक और पूर्ण पाठ वाले लाखों रिकार्डों को रख सकता है और उनका उपयोजन कर सकता है, को डेलनेट ने विकसित किया है।

NOTES

(4) इन्टरनेट अभिगम और ई-मेल (e-mail) सुविधाएँ इसके सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं और इन्टरनेट पर अभिगम डेलनेट के मुख्य कार्यालय द्वारा उपलब्ध है। साथ डेलनेट ने पर अपना होम पेज (Home Page) भी बनाया हैं। इसका अभिगम इन्टरनेट पर निम्नलिखित पते पर किया जा सँकता है :

(HYPERLINK http://WWW. nic) अथवा http://WWW. nic.in/delnet

(5) डेलनेट ने दावा किया है कि उसने भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञानों और कृषिविज्ञान के क्षेत्र में विदेशी पत्रिकाओं के अधिग्रहण में यौक्तिकीकरण के जरिए सहभागी पुस्तकालयों का लगभग 1 करोड़ रुपया बचाया है।

(6) सदस्य पुस्तकालयों के कर्मचारियों के लिए डेलनेट द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को समझने की व्यवस्था की जाती है।

यह कहा जा सकता है कि डेलनेट ने कम्प्यूटर आधारित संसाधन सहभागिता क्रियाकलापों में भारत में प्रथम सफलता पाई है और यह भारत का सबसे पहला संक्रियात्मक पुस्तकालय नेटवर्क हो गया है। यह अपने क्रियाकलापों को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा और कुछ ख्याति प्राप्त प्रकाशकों के सहयोग से बुक्स इन प्रिन्ट : न्यू टाइटिल्स (Books in Print : New Titles) का एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने की योजना बना रहा है।

6.3 इंफ्लिबनेट

इंफ्लिबनेट कार्यक्रम की अवधारणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ने की थी। उनका यह मानना था कि इंफ्लिबनेट के आकार का पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क कम्प्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के मौजूद संदर्भ, देश के लिए अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे नेटवर्क विकसित विश्व में पुस्तकालय तथा सूचना सेवाओं की व्यवस्था पर भारी प्रभाव डाल रहे है। इंफ्लिबनेट के लिए बनाए गए संपूर्ण कार्यक्रम का वर्णन और विवेचन डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन एण्ड नेटवर्क रिपोर्ट ऑफ द इन्टर एज़ेन्सी वर्किंग ग्रुप यू जी सी, 1988 (Development of an Information and Network : Report of the Inter Agency Working Group UGC, 1988) नामक प्रलेख में दिया गया है।

उद्देश्य

जिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इंफ्लिबनेट के सृजन की सिफारिश की गई थी वे ये हैं :

- एक ऐसे राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना जो देश के विभिन्न पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों को परस्पर जोड़ सके और सूचना संचालन और सेवा में दक्षता को सुधार सकें ;
- मोनोग्राफों, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और ग्रन्थेतर सामग्रियों की ऑनलाइन संघ-प्रसूची बनाकर विविध स्थानों के पुस्तकालयों के प्रलेख-संग्रह का अभिगम उपलब्ध कराना;
- ग्रन्थात्मक, संख्यात्मक तथा तथ्यात्मक डेटाबेसों के प्रति अधिक से अधिक अभिगम उपलब्ध कराना-खासतौर से उन डेटाबेसों का अभिगम जो निसात के क्षेत्रीय सूचना केंद्रों (Sectoral Information Centre) तथा यूजीसी (UGC) के सूचना केंद्रों द्वारा अपने देश में बनाए गए हैं ;
- सूचना की ऑनलाइन प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए गेटवे (Gateway) स्थापित करना;
- जिन पुस्तकालयों के पास विशेष क्षेत्रों में पुस्तकों के प्रचुर संग्रह है उनके सूचना स्रोतों को समुन्नत करके प्रलेख वितरण सेवा प्रदान करना;

- संसाधन सहभागिता के जरिए सूचना संसाधन के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना;
- एकसमान मानकों का अनुसरण कर पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के कार्यों और सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण;
- इलैक्ट्रॉनिक मेल, बुलेटिन बोर्ड (Bulletin Board) फाइल अंतरण, कम्प्यूटर, आधारित श्रव्य/दृश्य कॉन्फरेसिंग (Conferencing) इत्यादि के जरिए वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, शोधकर्ताओं, समाजशास्त्रियों, शिक्षाविदों, अध्यापकों और छात्रों के बीच वैज्ञानिक संचार को सुगम बनाना;
- पुस्तकों, मोनोग्राफों, पत्र–पत्रिकाओं और ग्रन्थेतर सामग्रियों को, उनके स्रोतों का पता लगाकर जहाँ उपलब्ध हैं, देशभर में फैले हुए उपयोक्ताओं की पहुँच के दायरे में लाना और नई प्रौद्योगिकी तथा प्रलेखों की संघ प्रसूची के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराना;
- देश के पुस्तकालयों, प्रलेखन केंद्रों, और सूचना केन्द्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना जिससे कि सुदृढ़ संसाधन केंद्रों द्वारा कमजोर संसाधन केंद्रों के हित के लिए संसाधनों का एकीकरण किया जा सके;
- इंफ्लिबनेट को सुदृढ़ बनाने के लिए उसका प्रबंध करने के लिए तथा उसे गतिशील रखने के लिए समुचित गुणवत्ता युक्त व्यावसायिक जनशक्ति विकसित करना; तथा
- तकनीकों, विधियों, प्रक्रियाओं, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर और सेवाओं, इत्यादि में मानकों और उकसमान निर्देशों को विकसित करना तथा सभी पुस्तकालयों द्वारा उनको (मानकों, इत्यादि को) वास्तविक व्यवहार में लेना जिससे कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके।

इंफ्लिबनेट सेवाएँ

इंफ्लिबनेट का आयोजन और अभिकल्प बहुल कार्यों/ सेवाओं वाले नेटवर्क के रूप में किया गया है। इससे निम्नलिखित सेवाएँ प्राप्त करने की आशा की जाती है :

- प्रसूची आधारित सेवा
- डेटाबेस सेवाएँ
- प्रलेख आपूर्ति सेवा
- संग्रह विकास (विभिन्न भागीदारों को अधिग्रहण तथा अधिप्राप्ति में मदद देना)
- संचार आधारित सेवाएँ

प्रसूची आधारित सेवाएँ

प्रसूची सेवाओं में पुस्तकों, मोनोग्राफों पत्र–पत्रिकाओं तथा ग्रन्थेतर सामग्रियों का सहभागी प्रसूचीकरण, पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं तथा ग्रन्थेतर सामग्रियों की संघ–प्रसूची का संकलन, सहभागी प्रसूचीकरण करने और प्रलेख के स्थान के निर्धारण के लिए ऑनलाइन अभिगम की व्यवस्था, कार्ड (Card) पुस्तक चुम्बकीय टेप/फ्लॉपी (Floppy) इत्यादि के रूप में प्रसूची तैयार करने में सहायता इत्यादि शामिल है।

डेटाबेस सेवाएँ

इन सेवाओं के अंतर्गत मौजूदा तथा पूर्वव्यापी सेवाओं के डेटाबेसों से सूचना की खोज, कम्प्यूटर आधारित एस डी आई (SDI) सेवा प्रदान करना, गैर–ग्रन्थात्मक डेटाबेसों से ढूँढकर गैर–ग्रन्थात्मक सूचनाएँ उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल हैं।

प्रलेख आपूर्ति सेवाओं में अंतर–पुस्तकालय ऋण सेवा तथा फैक्स (Fax) इत्यादि द्वारा प्रलेख वितरण सेवा शामिल हैं।

प्रलेखन-संग्रह विकास सेवा का संबंध मूलतः सदस्य पुस्तकालयों का चयन, अधिग्रहण तथा अधिप्राप्ति संबंधी कार्यों में सहायता करना है।

संचार आधारित सेवाएँ

NOTES

ये विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे;

- रेफरल (Referral) सेवा;
- इलेक्ट्रॉनिक-मेल (Electronic-mail) सेवा;
- बुलेटिन बोर्ड दृश्य/अद्यतन बुलेटिन बोर्ड;
- इलेक्ट्रॉनिक-मेल, फाइल अंतरण, कम्प्यूटर/श्रव्य/दृश्य कॉन्फ्रेन्सिंग, इत्यादि के जरिए शैक्षिक संचार।

इंफ्लिबनेट की रूपरेखा एक सहकारी प्रयास के रूप में बनाई गई है। अतः इसके संसाधनों की सबलता इसके भागीदार सदस्यों और उनके संसाधनों पर निर्भर होगी। आशा की जाती है कि 200 विश्वविद्यालय पुस्तकालय, अनुसंधान एवं विकास संगठनों के 400 विशिष्ट पुस्तकालय और 500 महाविद्यालय पुस्तकालय इस नेटवर्क की सदस्यता ग्रहण करेंगे।

देश में उपलब्ध अपार सूचना संसाधनों के प्रति अभिगम सुनिश्चित करना इंफ्लिबनेट का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य उन सभी को सूचना के प्रति अभिगम प्रदान करना भी है जिन्हें उसकी आवश्यकता है। यह तभी संभव होगा जब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। अतः कार्यदल के प्रतिवेदन में डेटा प्राप्त करने, डेटा तैयार करने, सूचना के प्राक्रियाकरण और उसके हस्तांतरण एवं वितरण में कम्प्यूटर, संचार प्रौद्योगिकी तथा प्रलेख वितरण प्रौद्योगिकी के उपयोग कर बल दिया गया है।

पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण, इंफ्लिबनेट पूर्णतः क्रियाशील नहीं हो पाया है परंतु इसे आयुका (IUCCA) के अंतर्गत एक परियोजना के रूप में पंजीकृत करा लिया गया है और इसका मुख्य कार्यालय अहमदाबाद में स्थित है। मौजूदा सेवाएँ जनशक्ति को प्रशिक्षित करने; आँकड़ों को प्राप्त करने के निर्देशों को बनाने, पुस्तकालय स्वचलन क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने, उपयुक्त सॉफ्टवेयर (Software) को विकसित करने और उसको कुछ पुस्तकालयों में कार्यान्वित करने तक ही सीमित हैं। यह प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित संगोष्ठियों और सम्मेलनों को आयोजित करने में लगा हुआ है। यहाँ उल्लेख कर देना चाहिए कि इस कार्य की प्रगति धीमी है। यद्यपि स्वचलन प्रक्रिया 54 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को धन उपलब्ध कराकर शुरू की गई थी, परंतु अब तक केवल 17 पुस्तकालय मात्र हार्डवेयर (Hardware) अर्जित कर पाए है। 1991 से लेकर 1996 तक की अवधि में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता की दिशा में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं हो पाई है जबकि कार्यदल के प्रतिवेदन में इसे 1994 तक पूरा करने की बात कही गई थी और अत्य उपयोक्ताओं को देश के 400 केंद्रों से प्रलेख संकलित करके उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया था और उन्हें आधुनिक सेवाएँ दिए जाने की आशा थी। यहाँ तक कि कार्यदल के द्वारा तय किए गए अन्य लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए जा सके। 1996 की इंफ्लिबनेट की समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में निम्नलिखित का इंफ्लिबनेट की उपलब्धियों के रूप में उल्लेख किया गया है :

(अ) यंत्र पठनीय संघ प्रसूची का संकलन (5000 रिकार्डों के साथ)

(ब) शोधप्रबंधों/लघुशोध प्रबंधों के डेटाबेस (65,000 रिकार्ड)

(स) पत्र-पत्रिकाओं का डेटाबेस (लगभग 30,000 रिकार्ड)

ऐसा कहा गया है कि तैयार किए गए डेटाबेस गुणवत्ता की दृष्टि से सामान्य मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं ओर इनमें सुधार की आवश्यकता है। मानक सॉफ्टवेयर को विकसित करने का कार्य अभी चल रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि इंफ्लिबनेट कार्यक्रम के विराट कार्य को कर पाने के लिए मौजूद मानव संसाधन बहुत ही अपर्याप्त हैं। इंफ्लिबनेट समीक्षा समिति ने डॉ. वेंकटेश्वरन (Dr. S. Venkateshwaran) की अध्यक्षता में अपना प्रतिवेदन सितंबर 1996 में प्रस्तुत किया और अन्य बातों के साथ-साथ इसमें इंफ्लिबनेट के लिए उद्देश्यों के एक संशोधित समूह की सिफारिश की थी। इस प्रतिवेदन में इंफ्लिबनेट के प्रबंधन मंडल और परिषद् में पुस्तकालय विशेषज्ञों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया गया है। देखना यह है कि यूजीसी द्वारा कितनी शीघ्रता से इंफ्लिबनेट समीक्षा समिति (INFLIBNET Review Committee) की सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है और इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कैसी अनुवर्ती कार्यवाई की जाती है।

यहाँ यह बता देना चाहिए कि अन्य पुस्तकालय नेटवर्क जैसे मालिबनेट (MALIBNET), बोनेट (BONET) इत्यादि कोई खास प्रगति नहीं कर पाए हैं। इन सभी नेटवर्कों को वास्तव में क्रियाशील तथा सेवाशील होने में लंबा समय लग सकता है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. पुस्तकालय को अपने संसाधन किन क्षेत्रों में बाँटने चाहिए ?

....

....

....

....

7. सार-संक्षेप

इस अध्याय में 'संसाधन सहभागिता' की अवधारणा, इसकी आवश्यकता और इसे किस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए, इन बातों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस बात पर बल दिया गया है कि संसाधन सहभागिता द्वारा बहुसंख्यक विद्वानों/उपयोक्ताओं के लिए व्यापक स्तर पर संसाधनों का उपयोग सुलभ कराया जाता है।

संसाधन सहभागिता को कार्यान्वित करने से पूर्व भागीदार संस्थानों को काफी प्रयास करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, समुचित और कार्यात्मक संसाधन सहभागिता प्रणाली को विकसित करने से पहले अनेक बुनियादी मुद्दों पर सहमति की जरूरत होती है। इनमें से कुछ मुद्दों की चर्चा इस अध्याय की पाठ्य सामग्री में की गई है।

संसाधन सहभागिता के क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक संचलन के लिए बुनियादी अभिलेखों का रख-रखाव जरूरी होता है। इस बात पर बल दिया गया है कि कम्प्यूटर के उपयोग से कार्य में सुविधा होगी। नेटवर्किंग की अवधारणा और संसाधन सहभागिता से जुड़े क्रियाकलापों के लिए दूरसंचार नेटवर्किंग के उपयोग पर भी विचार किया गया है। संसाधन सहभागिता संबंधी क्रियाकलापों में हो रही प्रगति और देश में विभिन्न कम्प्यूटर आधारित संसाधन सहभागिता नेटवर्कों के निर्माण का संक्षेप में वर्णन भी किया गया है। भारत में विकसित संसाधन सहभागिता नेटवर्कों के कुछ उदाहरणों के रूप में कैलिबनेट, डेलनेट और इंफ्लिबनेट की चर्चा की गई है।

आशा की जाती है इस अध्याय में दी गई सूचना से पुस्तकालय एवं सूचना-विज्ञान के स्नातक (BLIS) कार्यक्रम में भाग लेने वालों को संसाधन सहभागिता की अवधारणा और उसकी व्यवस्था को समझने में मदद मिलेगी।

NOTES

8. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. एलेन केन्ट (Allen Kent) ने संसाधन सहभागिता से संबंधित अवधारणाओं में से कुछ का वर्णन इन शब्दों में किया :

   पुस्तकालयों में संसाधन सहभागिता, कार्य करने का ऐसा तरीका है जिससे अनेक पुस्तकालय समान कार्यों में, अधिकतम सकारात्मक रूप में सहभागिता कर सकें। संसाधन सहभागिता में पारस्परिकता की आवश्यकता होती है और ऐसी भागीदारी को प्रयोग में लिया जाता है जिसमें प्रत्येक सदस्य अन्यों को कुछ न कुछ उपयोगी सहयोग दे सके और जिसमें हर सदस्य सहयोग देने का इच्छुक हो और जब भी आवश्यकता हो सहयोग उपलब्ध करा सके। 'संसाधन' शब्द का प्रयोग सभी सामग्रियों, कार्यों, सेवाओं तथा व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक कर्मचारियों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। संसाधन में वह हर वस्तु, व्यक्ति अथवा कार्य शामिल होता है जो आवश्यकता के समय सहायता के निमित्त किसी के द्वारा माँगा जाए।

   'सहभागिता' शब्द में बाँटना आवंटित करना अथवा अपने संसाधनों को दूसरों के लाभार्थ उपलब्ध कराना शामिल है। इसका निहितार्थ है, 'परस्पर लाभ के लिए भागीदारी'।

   पुस्तकालय संसाधन के दायरे में मुद्रित तथा अन-मुद्रित सामग्रियाँ और साथ ही मानव संसाधनों को शामिल किया जाता है जिनका ऐसे तरीकों से साझा किया जा सकता है जो सेवा की गुणवत्ता को बढ़ा सकें।

   एलेन केन्ट द्वारा दी गई विस्तृत व्याख्या के आधार पर हर व्यक्ति के लिए 'संसाधन सहभागिता' की संकल्पना उसका अर्थ और उसकी महत्ता के बारे में जानना आसान होगा। प्रकटत: इसका अर्थ यह नहीं है कि भागीदार पुस्तकालयों के व्यक्तिगत अस्तिव पर किसी प्रकार का असर होगा। वास्तव में संसाधन सहभागिता के लाभों को भागीदार पुस्तकालयों के उद्देश्यों अथवा रुचियों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किए बगैर प्राप्त करना चाहिए।

   फिर भी, कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें इनके संचालन की विधियों में थोड़ा बहुत समायोजन करना पड़े।

2. संसाधन सहभागिता प्रणालियों में अभिलेखों का निर्माण और रख-रखाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो प्रत्येक पुस्तकालय में किया जाता है। सामग्रियों की सहभागिता में औपचारिक और संगत तरीकों से अभिलेखों की सहभागिता शामिल है जिसके बिना प्रणाली कार्य नहीं कर सकती।

3. कम्प्यूटरों की बहुत सारी किस्में है जिनकी सहायता से संसाधन सहभागिता प्रणालियों को चलाया जा सकता है। छोटे और कम कीमत के कम्प्यूटरों, जिन्हें माइक्रोकप्यूटर (Micro Computer) कहा जाता है, से लेकर अधिक कीमत वाले शक्तिशाली कम्प्यूटरों की सुविधाएँ हैं। इस कार्य के लिए उपलब्ध हैं। स्थानीय स्वचालन की आवश्यकता को समर्थन देने के लिए संसाधन सहभागिता प्रणाली में भाग लेने वाले पुस्तकालयों द्वारा इनमें से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना जरूरी होता है कि स्थानीय आवश्यकताओं के लिए और/अथवा पूरी प्रणाली को समर्थन देने के लिए चयनित उपकरण सुसंगत हैं या नहीं।

4. आज हर पुस्तकालयाध्यक्ष को यह मालूम है कि किसी भी पुस्तकालय के लिए आत्मनिर्भरता संभव नहीं है और इसलिए आज के परिवेश में यथार्थवादी, व्यवहार्य, और स्वीकार्य लक्ष्यों के विकास की मांग होती है। पुस्तकालय का बजट चाहे कितना भी अधिक क्यों न हो, उसे अपने संसाधनों को तीन क्षेत्रों में बाँटना चाहिए:

   (क) सामग्री (प्रलेख) के अधिग्रहण के लिए;

(ख) अपनी सामग्री के अभिगम के लिए आवश्यक ग्रन्थात्मक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए; तथा

(ग) अन्य सदस्य पुस्तकालयों के संग्रह से सूचना के अभिगम के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए।

9. मुख्य शब्द

अंतर-पुस्तकालय ऋण (ILL : Inter-Library Loan)	:	पुस्तकालय का एक क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत अन्य पुस्तकालय के उपयोक्ताओं को वांछित प्रलेख अपने संग्रह से ऋण पर उपलब्ध कराया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक मेल (Electronic-Mail)	:	विडियोटेक्स (Videotax), ऑनलाइन, ऑनलाइन नेटवर्कों का प्रयोग कर व्यक्तियों अथवा संगठनों के बीच संवादों, सूचनाओं, ज्ञापनों, पत्रों, प्रतिवेदनों, इत्यादि का हस्तांतरण।
ओपेक (OPAC)	:	ऑनलाइन सार्वजनिक अभिगम प्रसूची (OPAC : Online Public Access Catalogue) यंत्र पठनीय रूप में भंडारित स्वचालित प्रसूची प्रणाली है और पुस्तकालय उपयोक्ता द्वारा, उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण सॉफ्टवेयर से युक्त कम्प्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन प्राप्त की जाती है।
गेटवे (Gateway)	:	ऐसी प्रणाली जो उपयोक्ता को एक कम्प्यूटर प्रणाली से दूसरे कम्प्यूटर का अभिगम सुनिश्चित कराती है।
नेटवर्क (Network)	:	भौतिक दृष्टि से पृथक् परंतु दूरसंचार माध्यम से जुड़े कम्प्यूटरों की प्रणाली जिसमें प्रत्येक भागीदार एक-दूसरे के संसाधनों को अपने कम्प्यूटर पर देख सकता है तथा उनका उपयोग कर सकता है। यदि ऐसे नेटवर्क का प्रयोग पुस्तकालय संसाधनों में सहभागिता के लिए किया जाता है तो उसे पुस्तकालय संसाधन सहभागिता नेटवर्क कहते हैं।
प्रलेख वितरण सेवा (Document Delivery Service)	:	खास विषय पर उपयोक्ता को उपयुक्त प्रलेख उपलब्ध कराने का कार्य।
संसाधन सहभागिता (Resource Sharing)	:	भागीदारी पुस्तकालयों के बीच एक प्रकार की सहमति या अनुबंध जिसमें प्रत्येक भागीदार अपने संसाधनों को अन्य सदस्यों के प्रयोग के लिए देने के लिए रजामंद होता है और बदले में जब भी आवश्यकता हो, अन्य भागीदार सदस्यों के संसाधनों में हिस्सा लेने का इसे विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
स्वचालन (Automation)	:	न्यूनतम मानव हस्तक्षेप द्वारा मशीन-नियंत्रित गतिविधियाँ चलाना।

NOTES

10. अभ्यास-प्रश्न

1. संसाधन सहभागिता के उद्देश्यों का विवेचन कीजिए।
2. संसाधन सहभागिता के व्यवस्थापन की क्या अपेक्षाएँ हैं ? स्पष्ट कीजिए।
3. संसाधन सहभागिता की प्रणालियों के संचालन में दूर संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका की समीक्षा कीजिए।
4. संसाधन सहभागिता के विकास हेतु भारत में क्या प्रयास किए गये हैं ? वर्णन कीजिए।
5. डेलनेट की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए।

11. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

INFLIBNET Review Committee Report. (1996). New Delhi UGC.

Kaul, HK. (1996). DELNET : The First Operational Library Network in India. DESIDOC Bulletin of Information Technology. 16(2), 23-34

Kaul, H.K. (1992). Library Networks: An Indian Experience. New Delhi : Virgo.

Kent, A and Galvin, T. (1977). Library Resource Sharing New York: Marcel Dekker.

Kent, A and Galvin T. (1979) The Structure and Governance of Library Networks. New York : Marcel Dekker.

Kumar, Pramod and Arora, O.P (1996). Information and Library Network (INFLIBNET) Programme. DESIDOC Bulletin of Information Technology 16(2), 11-22

Mitra, A.C. (1996). Calibnet on Stream . DESIDOC bulletin of Information Technology. 16(2), 35-45

Molhott, P. (1989). The Influence of Technology on Library Networking. Special Libraries. 80(8), 82-89

Murthy, S.S (1996.) Library Networks in India: An Overview DESIDOC Bulletin of Information Technology 16(2), 5.

University Grants Commission (1988). Development of an Information and Library Network (INFLIBNET) Report of the Inter-Agency Working Group. New Delhi : UGC.

अध्याय-14

पुस्तकालयाध्यक्षता : एक व्यवसाय के रूप में तथा व्यावसायिक आचार-शास्त्र

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. सामान्य आचार-शास्त्र
4. व्यवसाय, व्यवसायी, व्यावसायिकता
5. व्यावसायिक आचार-शास्त्र
6. एक व्यवसाय के रूप में पुस्तकालयाध्यक्षता
7. पुस्तकालय व्यवसाय में व्यावसायिक आचार-शास्त्र
   7.1 संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुभव
   7.2 यू के के अनुभव
   7.3 भारतीय परिदृश्य
   7.4 मुद्दे और समस्याएँ
8. सार-संक्षेप
9. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
10. अभ्यास-प्रश्न
11. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

व्यावसायिक क्रियाकलापों में अपेक्षित स्तर को निर्धारित करने, लागू करने, तथा बनाए रखने के लिए व्यावसायिक आचार-शास्त्र की महत्ता असंदिग्ध है। इस अध्याय में पुस्तकालयाध्यक्षों एवं सूचना वैज्ञानिकों के लिए व्यावसायिक आचार-शास्त्र के अर्थ तथा उसके अंतर्विषयों की व्याख्या की गई है।

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप को निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी :

- आचार-शास्त्रीय मूल्यों की समझ विकसित करना;
- आचार-शास्त्रीय मूल्यों का समादर करना, जिनके द्वारा व्यावसायिक क्रियाकलापों के निष्पादन की गुणवत्त बढ़ती है, सामाजिक सम्मान मिलता है, और प्रशंसा प्राप्त होती है;
- एक पुस्तकालय/सूचना व्यवसायी होने की जिम्मेदारियों का एहसास होना तथा व्यावसायिक आचार-शास्त्र द्वारा निर्धारित स्तर के अनुरूप अपने कार्यों का निष्पादन करना; तथा व्यावसायिक कार्यों तथा सेवाओं के निष्पादन में आचार-शास्त्रीय मानकों को लागू करने का प्रयास करना।

2. परिचय

इस अध्याय के अन्तर्गत आचार-शास्त्र, व्यवसाय, व्यवसायियों, व्यावसायिकता, अचार-संहिता इत्यादि विचारों की चर्चा की गई है। उपयोक्ताओं की पूर्ण संतुष्टि के लिए पुस्तकालय व्यवसायियों के कार्य निष्पादन तथा उनकी सेवाओं को आचार-शास्त्र की कसौटी पर खरा उतरना होगा। एक व्यवसाय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय एवं सूचना सेवा द्वारा भी निर्धारित अभिलक्षणों को अपनाया जाता है।

आचार-शास्त्र सामान्य अर्थ है : नैतिक सिद्धांतों या सदाचारों का समुच्चय। ये सिद्धांत आचरण से सम्बन्धित नियम होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के क्रियाकलाप, अथवा किसी समूह-विशेष या संस्कृति-विशेष के संदर्भ में अनुपालनीय होते हैं।

अपने व्यवसाय से संबधित व्यवसायियों द्वारा अनुपालनीय आचार-संहिता बनाने तथा नैतिक मूल्यों को विकसित करने में व्यवसायिक संघ रुचि लेते रहे हैं। अपने व्यवसायियों द्वारा कार्यनिष्पादन का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के लिए चिकित्सा, शिक्षा, विधि, धर्म तथा अन्य सुस्थापित व्यवसाय अपने लिए आचार-संहिता की आवश्यकता की निरंतर समीक्षा करते रहे हैं। परंतु यह भी सच है कि व्यावसायिक आचार-व्यवहार में आचार-संहिता को अपनाना व्यवसायी व्यक्ति का अपना स्वयं का निर्णय होता है, क्योंकि किसी व्यवसायी के ऊपर सामान्यतया कोई आचार-संहिता बलात् नहीं लादी जा सकती।

आजकल विभिन्न व्यवसायों को एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। व्यावसायिक तकनीकों तथा उनके व्यवहार के क्षेत्र में हुई प्रगति से उत्पन्न होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के कारण इन नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए उनके ऊपर भारी दबाव है। इस प्रगति तथा परिवर्तन के कारणं, उपयोक्ताओं या व्यवसाय के सदस्यों और व्यवसाय के बीच, पूर्वस्थापित संबंध में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उदाहरणार्थ, यह अस्थिरता चिकित्सकों और रोगियों के बीच के संबंध में तथा स्वयं चिकित्सकों के पारस्परिक संबंध में भी लक्षित होती है। आज पुस्तकालयाध्यक्षता तथा सूचना विज्ञान के व्यवसाय के ऊपर भी यह दबाव दिखाई देता है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव, पाठकों की सूचना आवश्यकता में द्रुत विस्तार, सूचना पैकेजों की संख्या में परिमाणी वृद्धि तथा उनके प्रकारों में विविधता होने, तथा सामाजिक परिवर्तन के कारण वर्तमान समय में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का आयाम भी काफी विस्तृत हो गया है।

इन विकासों के कारण अनेक समस्याओं तथा मुद्दों का उद्भव भी हुआ है जो इस व्यवसाय में लगे व्यवसायिक के अनुपालन हेतु व्यावसायिकता के नैतिक मानकों को निर्धारित करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। यद्यपि अमेरिका तथा इंग्लैंड के पुस्तकालय, तथा सूचना व्यवसायी निकायों द्वारा कुछ मानक आचार-व्यवहार से संबंधित संहिताओं का निर्माण भी किया गया है, लेकिन इन संहिताओं को भी व्यवसायियों द्वारा अपने कार्य में अपनाने की कोई बाध्यता नहीं है।

जहाँ तक भारत में पुस्तकालयाध्यक्षता के लिए व्यावसायिक आचार-शास्त्र का प्रश्न है, यह कार्य अभी भारतीय पुस्तकालय संघ (ILA) तथा भारतीय विशिष्ट पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रों के संघ (IASLIC) के क्रियाकलापों तक ही सीमित है और इसकी जड़ों का अभी मजबूत होना बाकी है। यद्यपि आईसएलिक (IASLIC) द्वारा कोलकाता में आयोजित ग्यारहवीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस विषय को विवेचना के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित परिणाम की स्थिति नहीं बन पायी है। व्यावसायिक आचार-शास्त्र के सभी पक्षों की चर्चा इस अध्याय में की गई है।

3. सामान्य आचार-शास्त्र

वेब्सटर्स इन्टरनेशनल डिक्शनरी (Websters International Dictionary) में आचार-शास्त्र की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :

(1) वह विद्या या शास्त्र जिसका संबंध अच्छे एवं बुरे तथा उचित एवं अनुचित व्यवहार के साथ-साथ नैतिक कर्तव्य एवं दायित्व से है;

(2) नैतिक सिद्धांतों का समूह या नैतिक मूल्यों का समुच्चय, नैतिक मूल्यों का सिद्धांत या प्रणाली, किसी व्यक्ति के व्यवहार या किसी व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत एवं व्यवहार का स्तर:

(3) 'नैतिकता' से तात्पर्य है, व्यवसायिकता-सम्मत सिद्धांत तथा आचार-व्यवहार, अथवा किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अनुपालनीय सिद्धांत एवं व्यवहार।

नैतिकशास्त्र या आचार-शास्त्र का अध्ययन दर्शनशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है जो उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव-जाति का इतिहास है। पश्चिम के नैतिक मूल्यांकन में तीन दार्शनिक स्थितियाँ मानी गयी हैं : अद्वैतवादात्मक, सापेक्षात्मक तथा बहुलवाद। अद्वैतवादात्मक स्थिति उस ज्ञान पर आधारित है जो पृथक् तथा निरपेक्ष नैतिक सिद्धांतों या स्वर्णिम नियमों से संबंधित होता है जो विभिन्न परिस्थितियों में सही आचरण को निर्देशित करते हैं। सापेक्षात्मक स्थिति का संबंध उस ज्ञान से है जिसमें नैतिक सिद्धान्तों में अन्तर होता है, कि कोई भी एक-दूसरे से अच्छा नहीं है। अतएव से सभी केवल व्यक्तिगत सिद्धान्त हैं। सिद्धांत हैं। अतएव ये दोनों स्थितियाँ व्यवहार के लिये तर्कसंगत नहीं होतीं। बहुलवादी (Pluralistic) स्थिति इस तथ्य में विश्वास करती है। कि व्यवहार को निर्देशित करने के लिये अनेक नैतिक सिद्धांत विद्यमान हैं। अत: यह स्थिति दार्शनिक स्थितियों में सबसे अधिक प्रभावी होकर उभर चुकी है। भारतीय दार्शनिक विचारों के अनुसार नैतिक आचरण मूलत: धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं से संबंधित है। इस प्रकार ये सभी विचार, चिन्तन तथा सिद्धांतगत नीतिशास्त्र या आचार-शास्त्र के अध्ययन के विभिन्न पहलुओं को आधुनिक समाज के संदर्भ में बतलाते हैं। इनमें से कुछ अध्ययन व्यक्तिगत, संस्थागत, व्यावसायिक, व्यापारिक नीतिशास्त्र, या आचार-शास्त्र से संबंधित हैं जो यदा-कदा व्यक्ति के वास्तविक जीवन में द्वन्द्व उत्पन्न कर देते हैं।

इस अध्याय में हम केवल व्यावसायिक आचार-शास्त्र की चर्चा करेंगे, यद्यपि नैतिक मूल्यों के अन्य पक्ष भी व्यावसायिक आचार-शास्त्र से असंबंधित नहीं हैं, बल्कि ये परस्पर संबंधित हैं।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. नीति शास्त्र की मान्यताओं का मानव-जीवन में क्या महत्व है?

....

....

....

....

NOTES

4. व्यवसाय, व्यवसायी तथा व्यावसायिकता

व्यवसायिक नीतिशास्त्र/आचार-शास्त्र से संबंधित तकनीकी पदों को विधिवत समझने के लिए हम इस अध्याय में इनके अर्थ तथा विषय-वस्तु का अध्ययन करेंगे।

रैण्डम हाउस डिक्शनरी ऑफ इंगलिश लैंग्वेज (RHD : Random House Dictionary of English Language) के अनुसार व्यवसाय, व्यवसायी एवं व्यावसायिकता को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है :

'व्यवसाय' शब्द का अर्थ है, एक ऐसी आजीविका जिसके लिए विज्ञान अथवा उदारवादी कला की किसी शाखा का गहन अध्ययन आवश्यक हो, अथवा ऐसी किसी आजीविका में संलग्न व्यक्तियों का निकाय। वृत्ति, पेशा, उपजीविका, धंधा, कारोबार, व्यापार इत्यादि शब्दों को व्यवसाय शब्द का समानार्थक माना जाता है। इन सभी शब्दों का तात्पर्य वैसे क्रियाकलाप से है जिनमें एक व्यक्ति नियमित रूप से समर्पित होता है, विशेषकर अपने दैनिक क्रियाकलाप में या अपने जीवनयापन के साधन में। आजीविका एक सामान्य शब्द है जो एक गतिविधि को व्यक्त करता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवनयापन हेतु व्यस्त रहता है, जबकि व्यवसाय शब्द का तात्पर्य ऐसी आजीविका से है जिसके लिए विज्ञान या ज्ञान के किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

आजीविका या किसी लाभ के लिए किसी व्यवसाय से संबंधित गतिविधि में संलग्न व्यक्ति को व्यवसायी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यावसायिक टेनिस खिलाड़ी, एक शोधकर्ता, एक संगीतकार। ये सब अपने व्यवसाय में यथेष्ठ निपुणता रखते हैं।

व्यावसायिकता का अर्थ है : व्यवसायिक चरित्र, भावना, कार्यपद्धति, तथा व्यवसायी व्यक्ति का ऐसा स्तरीय आचार-व्यवहार जो किसी अव्यवसायी या अप्रवीण व्यक्ति के आचार-व्यवहार से भिन्न हो।

प्राचीन काल से ही कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, ललित कला (चित्रकारी, मूर्त्तिकला, संगीत) एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों को एक व्यवसाय के रूप में मान्यता दी गई है तथा उनमें संलग्न व्यवसायियों को समाज द्वारा सम्मान भी मिलता रहा है। विभिन्न व्यवसायों का निर्धारण उनके आर्थिक उपार्जन से नहीं किया जाता था। पिछली दो शताब्दियों में औद्योगीकरण तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कारण अनेक नवीन व्यवसायों का उद्‌भव हुआ। विशेष रूप से 20वीं शताब्दी सैकड़ों व्यवसायों के उद्‌भव की साक्षी है जिनमें से एक पुस्तकालयाध्यक्षता भी है जो 19वीं/20वीं शताब्दी की देन है। ज्ञान एवं सूचना की ज्यामितिक एवं तीव्र वृद्धि के कारण उपयोगी सेवा देने हेतु उन्हें संगठित रखने और उनकी पुनर्प्राप्ति तथा प्रसार के लिए पुस्तकालयाध्यक्षता के व्यवसाय का जन्म हुआ।

5. व्यावसायिक आचार-शास्त्र

व्यावसायिक आचार-शास्त्र को किसी व्यवसाय का लोकाचर या स्वभाव (चरित्र, भावना, संस्कृति व्यवहार) भी माना जाता है। दूसरे शब्दों में, इसे आजीविका से संबंधित समस्त बुनियादी मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए या उन पर आधारित होना चाहिए। इससे यह पता चलना चाहिए कि वह व्यवसाय क्या है, उसके व्यवसायी अपने बारे में क्यां सोचते हैं तथा समाज में इन व्यवसायियों का क्या स्थान है। इससे यह भी पता चलना चाहिए कि उस व्यवसाय के विशेष गुण क्या हैं। ये विशेष गुण व्यवसायियों द्वारा दी जाने वाली सेवा में परिलक्षित होते हैं तथा उस व्यवसाय को अन्य व्यवसायों से भिन्न करते हैं।

उत्तम व्यवसायी प्राय: वैसे व्यक्तियों को माना जाता है जिनके कार्यों में उच्च्च गुणवत्ता होती है, अर्थात् उनके कार्य संपादन में आदर्श की पराकाष्ठा हो, साथ ही व्यवसायी में बौद्धिक एवं तकनीकी निपुणता के साथ ग्राहकों के प्रति बौद्धिक भी कूट-कूट कर भरी हो। अतएव, अपने कार्य में दक्षता ही किसी व्यवसायी को प्रतिष्ठा दिलाती है, यद्यपि यह भी संभव है कि किसी क्षण बहुत ही विशिष्ट एवं पर्याप्त निपुणता का प्रदर्शन नहीं हो सके। इसी कारण समाज में सामाजिक पहचान बनाने के लिए तथा अपने

अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रायः व्यवसायों में अपने व्यवसायियों के लिए एक व्यावसायिक आचार-संहिता (Code) का निर्माण किया जाता है।

सामान्यतः किसी भी व्यवसाय में अपेक्षित आचार-व्यवहार को संहिता के रूप में लिपिबद्ध किया जाता है और इसका एक लंबा इतिहास है। आचार के नियमों का प्रतिपादन विभिन्न शताब्दियों से किया जाता रहा है लेकिन आज के संदर्भ में आधुनिक संहिता के निर्माण का मूल उद्भव उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ माना जा सकता है। उदाहरण के रूप में अमेरिका के अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (AMA : American Medical Association) की आचार-संहिता को लिया जा सकता है, जिसका निर्माण 848 में तब किया गया जब ए एम ए (AMA) की स्थापना हुई थी। सन् 1890 से 1925 के बीच अमेरिका के दो सौ से अधिक व्यावसायिक एवं व्यापारिक समूहों द्वारा आचार-संहिता अपनाई गई। अमेरिका में विधिक (legal) व्यवसायियों द्वारा भी सर्वप्रथम 1908 में आचार-संहिता को अपनाया गया था। इसी प्रकार, शिक्षा व्यवसायियों द्वारा भी कुछ मानक निर्देशों की स्थापना की गयी जिसे प्रथम आचार-संहिता के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार संहिता को "एक सहायक प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि एक नियंत्रक प्रक्रिया के रूप में" बनाया गया ताकि व्यवसाय को अधिक से अधिक सेवा देने के योग्य बनाया जा सके। इसी प्रकार, विभिन्न राष्ट्रों में भरी भिन्न-भिन्न व्यवसायों में निर्देश हेतु समुचित संहिताओं का निर्माण किया गया है।

सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर संगोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन इत्यादि के माध्यम से आचारिक समस्याओं पर अधिक महत्त्व दिया जाता रहा है ताकि ऐसी आवश्यक प्रक्रियाओं में पहल की जाय जो व्यावसायिक क्रियाकलाप के लिए व्यावसायिक आचार-शास्त्र के लिए अधिक से अधिक स्वीकार्य सिद्धांतों को उपलब्ध करा सकें। प्रत्येक व्यवसाय में निरंतर अपने व्यवसाय से संबंधित संहिता के पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण का कार्य व्यवसाय के वर्तमान व्यावसायिक व्यवहार एवं आचरण को ध्यान में रखकर किया जाता रहा है।

काफी पहले से ही चिकित्सा व्यवसाय ऐसे बुनियादी सिद्धांतों तथा मूल्यों पर आधारित है जो चिकित्सक तथा रोगी के बीच के संबंधों को प्रोत्साहित तथा प्रज्ञापित करते हैं। परन्तु चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों एवं प्रौद्योगिकी द्वारा उद्भुत नवीन विकासों तथा सामाजिक अभिवृत्तियों तथा व्यवहार के क्षेत्र में क्रांति आने के कारण चिकित्सा व्यवसाय भी उपयोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आ चुका है। इसके कारण भी चिकित्सकों तथा रोगियों में पहले के सुदृढ़ संबंध में अस्थिरता पैदा हुई है। उदाहरणस्वरूप, हम कुछ आविष्कारों तथा तकनीकी प्रगति की चर्चा कर सकते हैं; जैसे बीसवीं सदी के अंतिम दशक में मानव अंगों के प्रत्यारोपण की सुविधा, कृत्रिम मातृत्व की सुविधा, विभिन्न विधियों के उपयोग द्वारा कृत्रिम रूप से लंबी आयु प्राप्त करने का प्रयास, जेनेटिक इंजीनियरी के क्षेत्र में शोध के फलस्वरूप नाटकीय परिवर्तन, तथा लोगों और उनकी बीमारी के ऊपर आंकड़ों का एकत्रीकरण जिस स्तर पर किया जा रहा है उसका अनियंत्रणीय होना इत्यादि इस अस्थिरता एवं बिखराव को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। अनेक नवीन व्यवसायों के उदय तथा नए व्यावसायिक समूहों के गठन के कारण व्यावसायिक आचार-व्यवहार में रुचि बढ़ती जा रही है। समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण वैधानिक तथा आचार-व्यवहार से संबंधित मुद्दे परिष्कृत हो रहे हैं, जैसे व्यवसायियों की जबावदेही के बारे में नागरिकों की अपेक्षाएँ, जानकारी प्राप्त करने और राय देने का अधिकार उपयोक्ताओं द्वारा संरक्षण की मांग, व्यवसाय की बदलती भूमिका इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में अब परामर्श, सुझाव नीति निर्धारण तथा सरकारी सेवाओं के निष्पादन को सम्मिलित करना अति आवश्यक है। इसके लिए जटिल प्रश्नों के उत्तर हेतु सीमांकित संहिता का होना अनिवार्य है।

अगले अनुच्छेद में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पुस्तकालय एवं सूचना सेवा व्यवसाय द्वारा भी अपने लिए एक पृथक् व्यावसायिक आचार-शास्त्र तथा आचार-संहिता का निर्माण किया गया है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. 'व्यवसाय' तथा 'व्यवसायी' का आशय स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

NOTES

6. एक व्यवसाय के रूप में पुस्तकालयाध्यक्षता

पुस्तकालयाध्यक्षता के लिए व्यावसायिक आचार-संहिता में इन बातों का वर्णन होता है, "पुस्तकालयाध्याक्षता के कार्य का लक्ष्य मानव जाति तथा मानव द्वारा अभिलिखित ज्ञान एवं सूचना के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना; लोगों को सूचना-संपन्न, प्रबुद्ध तथा सशक्त नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना; बौद्धिक स्वतंत्रता तथा सूचना की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना"। पुस्तकालय तथा सूचना व्यवसाय के लिए इस प्रकार के प्रतिमान को स्थापित करने तथा पुस्तकालय सेवा में गुणवत्त लाने के लिए नैतिक आचार-संहिता के पुस्तकालयाध्यक्षों तथा सूचना व्यवसायियों द्वारा व्यवहार में लाने के लिए ऐसी आचार-संहिता का निर्माण आवश्यक है। लेकिन इस संहिता की चर्चा करने के पूर्व इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि पुस्तकालयाध्यक्षता को किस सीमा तक एक व्यवसाय माना जा सकता है।

सामान्य रूप में एक व्यवसाय, जैसे- चिकित्सा, विधि इत्यादि में जो विशेषताएँ तथा अभिलक्षण होते हैं वे निम्नलिखित हैं :

- दीर्घकालीन प्रशिक्षण (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से);
- कार्यों तथा गतिविधियों में बौद्धिक घटक का प्रमुख होना;
- सुविज्ञता तथा विशेषज्ञता;
- सेवा के प्रति उन्मुखता:
- हितवादी प्रेरणा;
- स्व-प्रेरणा;
- स्वायत्त।

किसी आजीविका को एक व्यवसाय का स्वरूप लेने के लिए निम्नलिखित मानदण्डों पर भी खरा उतरना होगा :

(1) वैविध्यपूर्ण, व्यक्तिगत ग्राहक-व्यावसायिक संबंध- सामान्यत: सशुल्क सेवा;

(2) व्यवसायियों की एक हद तक व्यावसायिक स्वतंत्रता (अर्थात् उनके ऊपर कठोर निरीक्षण नहीं होता तथा उनकी जावबदेही उनके ग्राहकों की संतुष्टि में है, किसी अन्य की संतुष्ट में नहीं);

(3) व्यावसायिक तकनीकों का एक सुस्पष्ट निकाय जिसका पालन सभी व्यवसायी करते हों;

(4) समुचित शक्ति अथवा प्रभुत्व से संपन्न एक व्यावसायिक संघ, जो अपने प्रावधानों को लागू करने तथा प्रमाणपत्र देने की शक्ति से युक्त हो।

यदि मानदण्डों के इस पैमाने पर विचार किया जाय, तो पुस्तकालयाध्यक्षता को सम्भवत: चिकित्सा, विधि, लेखा इत्यादि जैसे सुस्थापित व्यवसायों की तरह का व्यवसाय नहीं माना जा सकता है, यद्यपि पुस्तकालयाध्यक्षता में व्यावसायिक तकनीकों की स्थापना के लिए एक नियमित निकाय की उपस्थिति है तथा उसमें विभिन्न मात्रा में कुछ अन्य विशेषताएँ जैसे- बौद्धिक अवयव, विशेषज्ञता, सेवा सुपरिचितीकरण

स्वार्थहीनता, उत्प्रेरणा तथा स्वायत्ता भी मौजूद हैं। इस दिशा में डॉ. रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र भी मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक उपयुक्त समुच्चय हैं जो व्यवसायियों को सेवा के प्रति अभिमुख बनाने हेतु प्रभावित करते हैं तथा उत्प्रेरणा देते हैं, साथ ही उन्हें उपस्करों एवं तकनीकों के विकास में बौद्धिक रूप से संलिप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ये समाज में अपनी पहचान के लिए तथा पुस्तकालयाध्यक्षता को एक व्यवसाय की तरह प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यूके (UK) के पुस्तकालय संघ (The Library Association) द्वारा इन बातों के महत्व को समझ कर एक पुस्तकालय व्यवसायी के कार्यों की विस्तृत परिभाषा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया जिसमें पुस्तकालय कर्मचारियों को व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्ष बनने के लिए विशेष प्रकार की दक्षता पर बल दिया गया ताकि संस्था इन गुणों से संपन्न हो सके और पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं अपने अन्दर की विशिष्ट दक्षता की पहचान कर सकें तथा उसे प्रभावशाली रीति से व्यक्त कर सकें। पहले पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं की, एक व्यवसायी होने की, सम्मानजनक छवि को प्रस्तुत नहीं कर पाता था। निःसंकोच रूप में यह भी सही है कि पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसायियों के बीच भी इस संदर्भ में स्पष्टता की कमी रही है कि वास्तव में वे क्या कर सकते हैं। अतः पुस्तकालय संघ इस संदर्भ में पुस्तकालयाध्यक्षों को अल्पवेतन का भुगतान किया जाता था जिसके कारण भी कोई भी पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं दो अनुच्छेदों में अपना एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जिसमें से एक नियोक्ताओं को लक्षित था और दूसरा व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्षों को लक्षित था। नियोक्ताओं के लिए लक्षित अनुच्छेद में इस बात का संक्षिप्त विवरण था कि पुस्तकालय एवं सूचनाकर्मी किन दक्षताओं से संपन्न हैं तथा उनका अनुप्रयोग वे कैसे करते हैं। इसमें व्यावसायिक योग्यता पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित की गयी थी, व्यावसायिक दक्षता तथा क्रियाकलापों का वर्णन किया गया था तथा निम्नलिखित परिभाषा दी गई थी :

"व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व है : वास्तविक एवं संभावित पाठकों के लिए पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं का निर्धारण कर उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप कार्यों का प्रतिपादन करना, योजना का निर्माण करना, पाठकों के लिए पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों के कम्प्युटरीकृत डेटाबेस (Computerised database) बनाना, ज्ञान तथा विचारों के विभिन्न स्वरूपों को संग्रहित करना तथा इनकी पुनर्प्राप्ति का कार्य करना, तथा उपयोक्ताओं/पाठकों के लिए पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के प्रसार एवं विपणन का कार्य संपन्न करना।"

7. पुस्तकालय व्यवसाय में व्यावसायिक आचार-शास्त्र

व्यावसायिक कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नैतिक मूल्यों का वैचारिक चिंतन-मनन करना एक आसान काम है, परन्तु व्यावसायिक आचार-शास्त्र के लिए एक सार्वभौमिक मानक संहिता का निर्माण करना अत्यन्त कठिन कार्य है। किसी भी आचार-संहिता के मूल में निजी तथा व्यक्तिगत आचार-व्यवहार होते हैं, परंतु संहिता में उन्हें सटीकता से लिपिबद्ध नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि प्रायः यह मान लिया जाता है ये बुनियादी मूल्य हैं और संबंधित स्थितियों में स्वयमेव ही अनुपालित होते हैं। साथ ही साथ, विभिन्न समाजों तथा संस्कृतियों में भी नैतिक मूल्यों को भिन्न-भिन्न रूप में परिकल्पित किया जाता है। अतः इन्हें प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न संस्कृतियों और परिस्थितियों के लिए समुचित स्तर पर इन्हें परिकल्पित किया जाए। ये स्तर प्राथमिक, संस्थागत, व्यावसायिक, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। आचार-शास्त्र का प्राथमिक स्तर मूलभूत निदेशक सिद्धांतों का एक समुच्चय है, जो किसी भी प्रक्रिया व्यावसायिक के संदर्भ में मानव व्यवहार को निर्देशित करते हैं, जैसे ईमानदारी, अच्छा आचरण, सच्चाई के लिए दृढ़ता इत्यादि। फिर भी व्यावसायिक तथा सांस्थानिक स्तरों पर कभी-कभी मतान्तर हो जाता है, विशेषकर जबकि यह निर्धारित करना हो कि एक व्यक्ति को कैसी प्रतिक्रिया करनी है तथा इसके चुनाव के लिए उसे निर्णय लेना हो। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक आचार-शास्त्र का संस्थागत निष्ठा के साथ कई बार मतभेद हो सकता है जिससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार किसी विशिष्ट कार्य निष्पादन में

NOTES

व्यावसायिक आचार का राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय आचार के साथ विरोधाभास भी उत्पन्न हो जाता है। अस्तु इस प्रकार के विरोध की स्थिति किसी भी व्यवसाय के आचार-शास्त्र में उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार, आचार-संहिता एक ओर तो इतनी आदर्शवादी हो जाती है कि यथार्थ से दूर हो जाती है और दूसरी ओर उसे लागू करने का कार्य भी एक कठिन कार्य होता है क्योंकि आचार-संहिता में चूँकि कानूनी प्रावधान नहीं होते, उसे बलात् लागू किया जा सकता।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. किसी आजीविका को व्यवसाय के रूप में मान्यता हेतु किन मान.दण्डों पर कसा जाता है?

....

....

....

....

7.1 संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुभव

उपर्युक्त समस्याओं एवं कठिनाइयों के बावजूद पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय के लिए आचार-संहिता के निर्माण के प्रयास किए गए हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ALA : American Library Association) द्वारा एक लम्बे वाद-विवाद तथा चर्चा-परिचर्चा के उपरान्त सन् 1938 में एक व्यावसायिक आचार-संहिता/नियमावली तैयार की गई।

ए एल ए द्वारा प्रवर्तित आचार-संहिता में निम्नलिखित के साथ पुस्तकालयाध्यक्षों के संबंध को परिभाषित तथा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है :

(क) शासकीय प्राधिकार के साथ;

(ख) उनके कार्य-क्षेत्र के साथ;

(ग) पुस्तकालय के अन्तर्गत सहकर्मियों के साथ;

(घ) उनके व्यवसाय के साथ; तथा

(ङ) समाज के साथ।

उपरिलिखित विषयों के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर विचार तथा वाद-विवाद की प्रक्रिया अगले दशकों में जारी रही। सन् 1975 में ए एल ए द्वारा व्यावसायिक आचार-शास्त्र पर एक नया वक्तव्य तैयार किया गया और इसे सन् 1938 में चली आ रही पहली संहिता के स्थानापन्न के रूप में स्वीकार किया गया। इसी वर्ष ए एल ए परिषद् (ALA Council) द्वारा व्यावसायिक आचार-शास्त्र के इस वक्तव्य को पूर्ण स्वरूप देने के लिए एक स्थायी समिति (Standing Committee) का गठन किया गया। सन् 1981 की ए एल ए की सदस्यता समिति में इस आचार-संहिता को आधिकारिक रूप में अपना लिया गया। लेकिन सन् 1981 में निर्मित इस संहिता की आलोचना होने के कारण और इसके प्रावधानों पर मतांतर उत्पन्न हो जाने के कारण ए एल ए स्थायी समिति द्वारा व्यावसायिक आचार-शास्त्र के संशोधन के लिए पुनः प्रयास किए गए।

सन् 1990 में "अमेरिकन एसोसिएशन फॉर इन्फॉर्मेशन साइंस" (ASIS : American Association for Information Science) द्वारा भी सूचना व्यवसायियों के लिए 'एसिस कोड ऑफ एथिक्स' (ASIS Code of Ethics) का प्रारूप तैयार किया गया जो 'बुलेटिन ऑफ़ द एसिस' (Bulletin of the ASIS) के अगस्त/सितंबर, 1990 के अंक में प्रकाशित हुआ। इस संहिता में एक प्रस्तावना के साथ निम्नलिखित के लिए आचार-व्यवहार से संबंधित उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं :

(क) व्यक्ति के लिए,

(ख) समाज/समुदाय के लिए,

(ग) प्रायोजक के लिए

(घ) पाठक या नियोक्ता के लिए, तथा

(ङ) व्यवसाय के लिए।

अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के निदेशक परिषद् के अनुमोदन के अभाव में एथिक्स फॉर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स (Ethics for Information Professionals) नामक यह प्रलेख एक प्रारूप के रूप में ही लंबित रहा।

7.2 यू के के अनुभव

यूनाइटेड किंग्डम (United Kingdom में सन् 1978 में आचार-संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए लाइब्रेरी एसोसिएशन (LA: Library Association) द्वारा व्यावसायिक आचार-शास्त्र पर एक कार्यकारी दल (Working Party on Professional Ethics) गठित किया गया। सन् 1980 में इस विषय पर विमर्श एवं वाद-विवाद के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया, और कोड ऑफ प्रोफेशनल कन्डक्ट (Code of Professional Conduct) के रूप में सन् 1983 में यू के (UK) के लाइब्रेरी एसोसिएशन की परिषद् द्वारा अपनी 100वीं वार्षिक आम बैठक में इसे अंगीकृत किया गया। इस संहिता में संहिता के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया तथा नियंत्रक कार्रवाई को भी सम्मिलित किया गया। अतः लाइब्रेरी एसोसिएशन की व्यावसायिक आचार-संहिता की यह सबसे प्रमुख विशेषता है कि व्यावसायिक आचार-शास्त्र का सदस्यों द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने पर संघ की अनुशासनिक समिति के माध्यम से उन पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

इस संहिता के प्रमुख गुणों का संबंध निम्नलिखित से है :

(क) पुस्तकालयाध्यक्ष की योग्यता/क्षमता;

(ख) पाठकों के एकान्त का समादर तथा स्वनिर्णय का सम्मान;

(ग) व्यावसायिक स्वतंत्रता एवं बौद्धिक स्वतंत्रता;

(घ) पुस्तकालय व्यवसाय में निष्पक्षता तथा समदर्शिता;

(ङ) आर्थिक मामलों में आचार-व्यवहार; तथा

(च) सदस्यों की सत्यनिष्ठा

7.3 भारतीय परिदृश्य

जहाँ तक भारत में व्यावसायिक आचार-शास्त्र को संहिता का रूप दिए जाने तथा उसके निर्माण का प्रश्न है, इसके संबंध में मात्र इतना कहा जा सकता है कि इसके लिए यहाँ अभी केवल साहित्य-सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। सन् 1984 के आइएसलिक (IASLIC) के सम्मेलन में आयोजित चर्चा-परिचर्चा में इसका प्रसंग उठाया गया था। इस विषय का वर्णन ए. के. मुखर्जी (A.K. Mukherjee) द्वारा लिखित लाइब्रेरियनशिप-इट्स फिलॉसफी एण्ड हिस्ट्री (Librarianship-Its Philosophy and History) (1966) शीर्षक पुस्तक में तथा आर. एल मित्तल (R;L; Mittal) द्वारा लिखित लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन (Library Adminisration) (1964) शीर्षक पुस्तक में मिलता है।

इसी विषय पर मेघानन्द (Meganand) द्वारा एक लेख इण्डियन लाइब्रेरियन (Indian Librarian) पत्रिका के सन् 1962 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 1965 के आइएसलिक बुलेटिन पत्रिका में अमिताभ चटर्जी द्वारा किए गए साहित्य सर्वेक्षण की जानकारी दी गई थी। अतएव ये दो लेख ही अतिरिक्त साहित्य संदर्भ के रूप में उपलब्ध हैं।

NOTES

इस विषय पर व्यावसायिक मंच के माध्यम से सर्वप्रथम सन् 1984 में आयोजित आइएसलिक सम्मेलन में संघ के स्तर पर गंभीर रूप में चर्चा की गई। इस सम्मेलन में इस विषय से संबंधित दस लेख विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए जिनमें से पाँच में व्यावसायिक आचार-शास्त्र का उत्तम परिदृश्य उपस्थित किया गया था। इन लेखों में से चार में विश्वविद्यालयों, विशिष्ट पुस्तकालयों एवं अन्य संगठनों में काम करने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिक आचार-शास्त्र का वर्णन था, तथा शेष लेखों में डॉ. रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र के व्यावसायिक आचार-शास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध का विशिष्ट पुस्तकालय के संदर्भ में उल्लेख किया गया था। इन सभी लेखों में पर्याप्त संख्या में पाठ्य संदर्भों का हवाला भी दिया गया था जिनकी सहायता से इस विषय पर हम और भी अध्ययन कर सकते हैं।

जोहान बेकर (Johan Bekker) जो पुस्तकालयाध्यक्षता के क्षेत्र में आचार-शास्त्र विषय पर एक अधिकारी विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, ने संहिता के निर्माण के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया है :

(1) पुस्तकालयाध्यक्षों को अपने पाठकों के पक्ष में सर्वोत्तम व्यावसायिक निर्णय लेना चाहिए। अतएव उन्हें चाहिए कि उच्च कोटि की सेवा का निष्पादन करें और सुनिश्चित करें कि यह सेवा केवल पाठकों की माँग के अनुरूप ही नहीं बल्कि उनकी आवश्यकता की प्रत्याशा में भी दी जाए; पाठकों की आवश्यकता को अपने कार्य का केन्द्र-बिन्दु समझकर दी जाए; अपने व्यवसाय में अयोग्यता और दुर्व्यवहार को दूर करने में व्यवसायी अपना पूरा सहयोग दें; पाठकों के एकान्त के अधिकार का सम्मान करें, तथा इस संहिता तथा अन्य मानकों का दृढ़तापूर्वक पालन करें।

(2) पुस्तकालयाध्यक्षों को पुस्तकालय तथा पुस्तकालय सेवा को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इसके लिए उन्हें चाहिए कि वे स्थानीय एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक संघों के सक्रिया सदस्य बनें और अपनी दक्षता, ज्ञान तथा योग्यता की उन्नति के लिए निरंतर अध्ययनशील रहें; अपने अनुकरणीय व्यावसायिक आचरण एवं सेवा के द्वारा पुस्तकालय की प्रतिष्ठा को कायम रखें; सेवा क्षेत्र में चलने वाले शोध कार्यों में स्वयं को संलिप्त करें; पुस्तकालय सेवा की उन्नति के लिए अन्य व्यवस्थित प्रयासों को समझने का प्रयत्न करें; उस स्थिति से बचें जिसमें व्यावसायिक न्याय से कोई समझौता करना पड़े; तथा अपने लाभ के लिये पुस्तकालय एवं पाठकों के ऊपर व्यय का भार न डालें।

(3) पुस्तकालयाध्यक्षों को ऐसी परिस्थितियों के निर्माण एवं संरक्षण में सहायक होना चाहिए जिनसे ज्ञान और विद्वता समृद्ध हो, खोज करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले और विचार तथा उसकी अभिव्यक्ति का सम्मान हो। इसके लिए विभिन्न पुस्तकालयों के बीच सूचनाओं का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए; सूचना पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकालय संग्रह तथा सेवाओं तक पहुँचने की छूट होनी चाहिए; सूचना के अधिग्रहण तथा प्रस्तुतीकरण में पूर्वाग्रह को हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए; तथा पुस्तकालय की पाठ्य सामग्री पर नियंत्रण करने वाले या बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए बाधक सिद्ध होने वाले प्रयासों के विरोध में संघर्षशील होना चाहिए।

(4) पुस्तकालयाध्यक्षों को पूरे, वृहत् समाज के प्रति तथा पाठकों के प्रति संवदेनशील होना चाहिए। अतः उन्हें चाहिए कि सूचनाओं को भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित एवं संरक्षित रखें; इस बात को सुनिश्चित करें कि गोपनीय तथा स्वामित्व-युक्त सूचना को सुरक्षित रखा जाए; अन्य व्यवसायियों या सहकर्मियों के कार्य में अतिक्रमण न करें; तथा इस बात का ध्यान रखें कि सूचना की प्राप्ति के अपने अधिकार का पाठक दुरुपयोग न करें क्योंकि इससे अन्य पाठकों के अधिकार को ठेस पहुँचती है।

अतः इस प्रकार की संहिता यह स्पष्ट करने का प्रयास करती है कि जो पुस्तकालय में कार्य करते हैं तथा जो पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, इन दोनों वर्गों को यह मालूम होना चाहिए कि पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्य क्या हैं, तथा जनता की उनसे क्या अपेक्षा है ? ऐसी आचार-संहिताओं की प्रभाविता निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है : पुस्तकालयाध्यक्ष की योग्यता, संहिता के प्रावधानों के पालन में उसकी

उत्सुकता, संहिता के प्रावधानों को नागरिकों द्वारा गंभीरता से लेना तथा सुनिश्चित करना कि संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

7.4 मुद्दे और समस्याएँ

व्यवसायियों के लिए स्वीकार्य एक आचार-संहिता के निर्माण में कठिनाई के अतिरिक्त कई अन्य मुद्दे एवं समस्याएँ हैं जो व्यावसायिक आचार-शास्त्र के साथ ही संबंधित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं :

(1) समाज में पुस्तकालय तथा सूचना व्यवसाय की छवि:

(2) एक से अधिक व्यावसायिक संगठनों/निकायों का होना;

(3) आचार-संहिता में वर्णित आचारिक सिद्धांतों के उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार;

(4) पुस्तकालय व्यवसाय के आयामों में विस्तार;

(5) व्यवसाय का अपरिभाषित स्वरूप;

(6) व्यावसायिक कार्य की गुणवत्ता:

(7) अन्य विषय क्षेत्रों तथा व्यवसायों से विशेषज्ञों का आगमन।

व्यावसायिक छवि: विशेष रूप से भारतवर्ष में पुस्तकालय व्यवसाय की बेहतर छवि नहीं बन पाई है, क्योंकि समाज में पुस्तकालय एवं सूचना कार्यों को शिक्षा, शोध, औद्योगिक, या व्यापारिक विकास इत्यादि में सहायक या पूरक मात्र के रूप में देखा जाता है। परिणामस्वरूप, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा सूचना कर्मियों को केवल उनकी पैत्रिक-संस्था के एक अंग के रूप में परिकल्पित किया जाता है और जनता की नजरों में उनकी कोई स्वतंत्र छवि नहीं बन पाई है। पाठकों के एक बहुत ही छोटे समूह को उच्च स्तरीय पुस्तकालय एवं सूचना सेवा मिलती है और वे ही अपने क्रियाकलाप में पुस्तकालय द्वारा दी गई सहायता की प्रशंसा करते हैं। अतएव इस प्रकार की सीमित प्रशंसा से इस व्यवसाय के स्वरूप और प्रतिमान को बढ़ाने में मदद नहीं मिलती है। जहाँ तक भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रश्न है, इन्हें अब तक कोई ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाई है जिससे राष्ट्र की नजरों में अपनी व्यावसायिक छवि को ऊँचा उठा सकें।

व्यावसायिक निकाय: बहुत से राष्ट्रों में एक से ज्यादा व्यावसायिक निकाय हैं जिनके लक्ष्य तथा उद्देश्य अलग-अलग हैं लेकिन उनमें बीच कोई गंभीर विरोध अथवा प्रतिद्विन्द्व नहीं है। अमेरिका के विशेषज्ञ बेकर के अनुसार आचार-संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने से बचने के लिए कुछ आदर्श स्थितियाँ निम्नलिखित हैं :

राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक व्यावसायिक संघ होना चाहिए;

राष्ट्रीय स्तर पर आचार-शास्त्र की केवल एक मूल संहिता होनी चाहिए;

संघ की सदस्यता के नवीकरण के लिए चंदा लेते समय सदस्यों से संहिता के नियमों का पालन करने का संकल्प हर बार लेना चाहिए;

व्यावसायिक संघों की सदस्यता के लिए यह शर्त रखी जाय कि व्यवसाय में कार्यरत रहने के लिए सदस्यों को संघ से अनुज्ञा (license) लेने की आवश्यकता हो;

व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केवल राष्ट्रीय अनुशासन समिति होनी चाहिए।

यह सत्य है कि व्यावसायिक आचार-संहिता के निर्माण के समय उपरिलिखित बातों की वांछनीयता है, लेकिन किसी एक केन्द्रीय प्राधिकार की मान्यता को अमल में लाना संभव नहीं। फिर भी, यह आवश्यक है कि आचार-संहिता के निर्माण के समय विभिन्न व्यावसायिक निकायों के बीच समन्वयन तालमेल तथा

सहयोग होना चहिए, क्योंकि सभी संबंधित व्यक्ति मूल रूप से पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सूचना विभाग के कर्मचारीगण ही हैं।

NOTES

कार्यान्वयन के लिए प्राधिकार : यदि एक केन्द्रीय व्यावसायिक प्राधिकार के अस्तित्व को कल्पित भी कर लें, तो भी यह हमेशा संभव नहीं कि व्यावसायिक आचार-संहिता को भंग करने वाले किसी व्यक्ति को दण्डित किया जाय, क्योंकि ऐसी आचार-संहिता की कोई न्यायिक मान्यता नहीं होती है। आचारिक संहिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह अनिवार्य रूप ये आवश्यक है कि आचारिक मूल्यों में स्वैच्छिक व्यक्तिगत निष्ठा होनी चाहिए।

आयामों का विस्तार होना: व्यावसायिक क्रियाकलापों के आयामों में भी विगत 20वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पुस्तकालय की पारंपरिक तथा रूढ़िवादी भूमिका में विस्मयकारी परिवर्तन हो चुका है। आज पुस्तकालय एवं सूचना कार्य के लिए नयी दक्षता की आशा की जाने लगी है तथा इस प्रकार की दक्षता वाले व्यक्तियों को इस विषय-क्षेत्र से बाहर से भी लाने की आवश्यकता है। इस परिवर्तित परिवेश में व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की धारा में भी परिवर्तन की आवश्यकता आ पड़ी है। लेकिन इस सिद्धांत से भी कई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। विशेषकर एक नया प्रवेशक अपने व्यावसायिक कार्य तथा क्रियाकलाप को नवीन दृष्टि देता है। यह केवल पुस्तकालय व्यवसाय के लिए ही अनोखा नहीं है, अपितु अन्य व्यवसाय भी इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम चिकित्सा व्यवसाय को भी ले सकते हैं। लेकिन चूँकि चिकित्सा व्यवसायियों की एक सम्मानजनक छवि बन चुकी है, अतएव इसे पुस्तकालय व्यवसाय की तरह समास्याओं से जूझना नहीं पड़ रहा है। अतः, भविष्य में पुस्तकालयाध्यक्षों की स्थिति क्या होगी, इस संक्रमणकाल में इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन इतना तय है कि कल जो था और आज जो है वह निश्चित रूप से भविष्य में बदल जाएगा।

व्यावसायिक गुणवत्ता: आज मानवीय क्रियाकलाप से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में जिस बात पर सबसे अधिक बल दिया जा रहा है, उसमें गुणवत्ता का आश्वासन सबसे प्रमुख है। आज के उपभोक्ता-उन्मुख समाज में गुणवत्ता-पूर्ण सेवा पाना उपभोक्ताओं का कानूनी अधिकार बन गया है और वे जो भी क्रय करते हैं, उसकी गुणवत्ता के लिए उपभोक्ता-न्यायालय में अपने अधिकार की रक्षा के लिए मांग कर सकते हैं। पुस्तकालय तथा सूचना उत्पादों तथा सेवाओं को भी शीघ्र ही इस प्रकार की समस्याओं से जूझना होगा, क्योंकि पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के लिए शुल्क लेने का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

नव-प्रवेशक : पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय अब विभिन्न शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाले तथा योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को आकर्षित कर रहा है। पुस्तकालय एवं सूचना जगत में आज विभिन्न व्यावसायिक उपाधि और अनुभव वाले व्यक्ति आने लगे हैं, जो विविध धारणा, विश्वास, विश्व-विचार तथा राजनीतिक विचार से प्रभावित हैं। इस परिस्थिति में व्यावसायिक आचार तथा व्यवहार भी प्रभावित हो रहे हैं।

इस प्रकार: अन्तिम विश्लेषण में, यह उल्लेखनीय है कि पुस्तकालय एवं सूचना सेवा प्रदान करने में व्यक्तिगत दृढ़ निश्चय, संलग्नता, वचनबद्धता, एवं विश्वास के द्वारा ही पुस्तकालय एवं सूचना सेवा में व्यावसायिक व्यवहार एवं आचार का निर्धारण किया जा सकता है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. लाइब्रेरी एसोसिएशन की व्यावसायिक आचार- संहिता की विशेषताएँ बताइए।

....

....

....

....

8. सार-संक्षेप

सामान्य रूप से, आचार-शास्त्र से तात्पर्य है : किसी मानवीय क्रियाकलाप, किसी विशेष समुदाय या वर्ग अथवा संस्कृति के आचार-विचार के लिए नियमों के रूप में मान्य नैतिक सिद्धांतों का समूह। सेवा तथा उत्पादों में गुणवत्ता लाने तथा अपनी सामाजिक पहचान तथा सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायियों के द्वारा अनुपालनीय आचार-संहिता के निर्माण में व्यावसायिक निकाय रुचि लेते रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, कानून धर्म तथा अन्य पुरातन व्यवसायों में अपने व्यवसायियों के लिए आचार-संहिताएँ बनाई गई हैं तथा इनकी समीक्षा की जाती रही है ताकि व्यवसायियों के कार्य-निष्पादन का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जा सके। पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसायी भी अपने व्यवसाय में कार्य-निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए आचार-संहिता के निर्माण का प्रयास करते रहे हैं।

पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के क्रियाकलाप भी उन मूलभूत अभिलक्षणों से युक्त हैं, जो इसे एक व्यवसाय के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त हैं। अतएव इसके व्यावसायिक आचार-व्यवहार में कुछ नैतिक मूल्यों का पालन होना चाहिए। अमेरिकन तथा ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इस दिशा में अग्रगामी भूमिका निभाई है और अपने यहाँ के व्यवसायियों के लिए आचार-संहिता तैयार की है। इन आचार-संहिताओं का संबंध व्यावसायिक आचार-व्यवहार उपयोक्ताओं के साथ बरताव के मानकों, सामाजिक दायित्व, तथा लोगों की सद्भावना प्राप्त करने से है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसायियों के लिए यहाँ किसी भी प्रकार की आचार-संहिता का निर्माण अब तक नहीं किया जा सका है, यद्यपि इस विषय पर व्यावसायिक मंच पर विचार-विमर्श होता रहा है।

व्यावसायिक आचार-शास्त्र विषय के विशेषज्ञ, बेकर द्वारा कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुझाव दिया गया है जिनके आधार पर व्यावसायिक आचार-शास्त्र की अभिकल्पना की जा सकती है। इनमें से कुछ सिद्धांत हैं : पाठकों को पुस्तकालय के उपयोग के लिए उन्मुख करना, सेवाओं को पाठकोन्मुखी बनाना, उच्च कोटि का कार्य-निष्पादन, नेतृत्व विद्वत्ता तथा सामाजिक स्वीकार्यता एवं पहचान। चूँकि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में सांस्कृतिक विभिन्नता है, अतः आचार-संहिता का निर्माण राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्थिति के अनुरूप ही होना चाहिए।

व्यावसायिक आचार-शास्त्र के कार्यान्वयन में विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयाँ है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं :

(1) पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय के प्रति समाज का दृष्टिकोण;

(2) एक से अधिक व्यावसायिक निकायों का अस्तित्व में होना;

(3) आचार-संहिता द्वारा प्रतिपादित नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्राधिकार;

(4) व्यवसाय के बढ़ते आयाम;

(5) इसके कारण व्यवसाय को सटीक रूप से परिभाषित करने का काम दिन-ब-दिन कठिन से कठिनतर होना;

(6) व्यावसायिक कार्य की गुणवत्त; तथा

(7) अन्य विषयों तथा व्यवसायों के विशेषज्ञों का पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय में आगमन।

इन कठिनाइयों, समस्याओं तथा मुद्दों के बावजूद सेवा में गुणवत्त तथा सामाजिक पहचान के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में व्यावसायिक आचार-शास्त्र का होना अत्यंत आवश्यक है।

9. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

NOTES

1. नैतिकशास्त्र या आचार-शास्त्र का अध्ययन दर्शनशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है जो उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव-जाति का इतिहास है। पश्चिम के नैतिक मूल्यांकन में तीन दार्शनिक स्थितियाँ मानी गयी हैं : अद्वैतवादात्मक, सापेक्षात्मक तथा बहुलवाद। अद्वैतवादात्मक स्थिति उस ज्ञान पर आधारित है जो पृथक् तथा निरपेक्ष नैतिक सिद्धांतों या स्वर्णिम नियमों से संबंधित होता है जो विभिन्न परिस्थितियों में सही आचरण को निर्देशित करते हैं। सापेक्षात्मक स्थिति का संबंध उस ज्ञान से है जिसमें नैतिक सिद्धान्तों में अन्तर होता है, कि कोई भी एक-दूसरे से अच्छा नहीं है। अतएव से सभी केवल व्यक्तिगत सिद्धान्त हैं। सिद्धांत हैं। अतएव ये दोनों स्थितियाँ व्यवहार के लिये तर्कसंगत नहीं होतीं। बहुलवादी (Pluralistic) स्थिति इस तथ्य में विश्वास करती है। कि व्यवहार को निर्देशित करने के लिये अनेक नैतिक सिद्धांत विद्यमान हैं। अत: यह स्थिति दार्शनिक स्थितियों में सबसे अधिक प्रभावी होकर उभर चुकी है। भारतीय दार्शनिक विचारों के अनुसार नैतिक आचरण मूलत: धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं से संबंधित है। इस प्रकार ये सभी विचार, चिन्तन तथा सिद्धांतगत नीतिशास्त्र या आचार-शास्त्र के अध्ययन के विभिन्न पहलुओं को आधुनिक समाज के संदर्भ में बतलाते हैं। इनमें से कुछ अध्ययन व्यक्तिगत, संस्थागत, व्यावसायिक, व्यापारिक नीतिशास्त्र, या आचार-शास्त्र से संबंधित हैं जो यदा-कदा व्यक्ति के वास्तविक जीवन में द्वन्द्व उत्पन्न कर देते हैं।

2. 'व्यवसाय' शब्द का अर्थ है, एक ऐसी आजीविका जिसके लिए विज्ञान अथवा उदारवादी कला की किसी शाखा का गहन अध्ययन आवश्यक हो, अथवा ऐसी किसी आजीविका में संलग्न व्यक्तियों का निकाय। वृत्ति, पेशा, उपजीविका, धंधा, कारोबार, व्यापार इत्यादि शब्दों को व्यवसाय शब्द का समानार्थक माना जाता है। इन सभी शब्दों का तात्पर्य वैसे क्रियाकलाप से है जिनमें एक व्यक्ति नियमित रूप से समर्पित होता है, विशेषकर अपने दैनिक क्रियाकलाप में या अपने जीवनयापन के साधन में। आजीविका एक सामान्य शब्द है जो एक गतिविधि को व्यक्त करता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवनयापन हेतु व्यस्त रहता है, जबकि व्यवसाय शब्द का तात्पर्य ऐसी आजीविका से है जिसके लिए विज्ञान या ज्ञान के किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

   आजीविका या किसी लाभ के लिए किसी व्यवसाय से संबंधित गतिविधि में संलग्न व्यक्ति को व्यवसायी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यावसायिक टेनिस खिलाड़ी, एक शोधकर्ता, एक संगीतकार। ये सब अपने व्यवसाय में यथेष्ठ निपुणता रखते हैं।

3. किसी आजीविका को एक व्यवसाय का स्वरूप लेने के लिए निम्नलिखित मानदण्डों पर भी खरा उतरना होगा :

   (1) वैविध्यपूर्ण, व्यक्तिगत ग्राहक-व्यावसायिक संबंध- सामान्यत: सशुल्क सेवा;

   (2) व्यवसायियों की एक हद तक व्यावसायिक स्वतंत्रता (अर्थात् उनके ऊपर कठोर निरीक्षण नहीं होता तथा उनकी जावबदेही उनके ग्राहकों की संतुष्टि में है, किसी अन्य की संतुष्ट में नहीं);

   (3) व्यावसायिक तकनीकों का एक सुस्पष्ट निकाय जिसका पालन सभी व्यवसायी करते हों;

   (4) समुचित शक्ति अथवा प्रभुत्व से संपन्न एक व्यावसायिक संघ, जो अपने प्रावधानों को लागू करने तथा प्रमाणपत्र देने की शक्ति से युक्त हो।

4. लाइब्रेरी एसोसिएशन की व्यावसायिक आचार-संहिता की यह सबसे प्रमुख विशेषता है कि व्यावसायिक आचार-शास्त्र का सदस्यों द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने पर संघ की अनुशासनिक समिति के माध्यम से उन पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

इस संहिता के प्रमुख गुणों का संबंध निम्नलिखित से है :

(क) पुस्तकालयाध्येक्ष की योग्यता/क्षमता;

(ख) पाठकों के एकान्त का समादर तथा स्वनिर्णय का सम्मान;

(ग) व्यावसायिक स्वतंत्रता एवं बौद्धिक स्वतंत्रता;

(घ) पुस्तकालय व्यवसाय में निष्पक्षता तथा समदर्शिता;

(ड़) आर्थिक मामलों में आचार-व्यवहार; तथा

(च) सदस्यों की सत्यनिष्ठा

10. मुख्य शब्द

आचार-शास्त्र (Ethics)	:	किसी मानवीय क्रियाकलाप या किसी विशेष वर्ग या विशेष समुदाय या विशेष संस्कृति के आचार-व्यवहार के लिए नियमों के रूप में मान्य नैतिक सिद्धांतों का समूह।
व्यवसाय (Profession)	:	एक ऐसी आजीविका जिसके लिए विज्ञान अथवा उदार-कला की किसी शाखा का गहन अध्ययन आवश्यक हो; अथवा ऐसी किसी आजीविका में संलग्न व्यक्तियों का निकाय।
व्यवसायी (Professional)	:	आजीविका या किसी लाभ के लिए किसी व्यवसाय से संबंधित गतिविधि में संलग्न व्यक्ति। उदाहरण के लिए एक व्यावसायिक टेनिस खिलाड़ी, एक शोधकर्ता, एक संगीतकार। ये सब अपने व्यवसाय में सक्षम या इसके विशेषज्ञ होते हैं और इसमें यथेष्ठ निपुणता रखते हैं।
व्यावसायिक आचार-शास्त्र (Professional Etics)	:	इसे एक व्यवसाय के लोकाहार एवं नैतिक मूल्यों-जैसे चरित्र, भावना, संस्कृति, व्यवहार इत्यादि की अभिव्यक्ति के रूप में माना जा सकता है।
व्यावसायिकता (Professionalism)	:	व्यावसायिकता का अर्थ है, व्यावसायिक चरित्र, भावना, कार्यपद्धति, तथा व्यवसायी का आचार-व्यवहार के किसी अव्यवसायी या अप्रवीण व्यक्ति के आचार-व्यवहार से भिन्न है।

11. अभ्यास-प्रश्न

1. व्यवसाय, व्यवसायी तथा व्यावसायिकता अवधारणा की विवेचना कीजिए।
2. व्यावसायिक आचार शास्त्र के सामान्य सिद्धान्तों की समीक्षा कीजिए।
3. एक व्यवसाय के रूप में पुस्तकालयाध्यक्षता का मूल्यांकन कीजिए।
4. पुस्तकालय व्यवसाय में व्यावसायिक आचार शास्त्र के महत्व का वर्णन कीजिए।
5. अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ALA) द्वारा निर्मित आचार संहिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

NOTES

12. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

IASLIC. (1984). Towards a Code of Professional Ethics. Papers presented at the 11 th National Seminar, Osmania University, Hyderabad.

Finks, Lee W. Professional Ethics. In : Encyclopaedia of. Library and Information Science, V.52, Supplement 15, p 301-321

King, S.S Organizational Ethics : In Encyclopaedia of Library and Information Science, V. 56, supplement 19, p 307-318.

अध्याय-15

व्यावसायिक संघों की भूमिका

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. व्यावसायिक संघों की आवश्यकता एवं महत्व
   3.1 पुस्तकालय संघों के लक्ष्य एवं उद्देश्य
   3.2 पुस्तकालय संघों के कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ
4. भारत के पुस्तकालय संघों का सामान्य लेखा-जोखा
   4.1 इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (आइ एल ए)
   4.2 इण्डियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरिज एण्ड इन्फॉर्मेशन सेन्टर्स (आइएसलिक)
5. अन्य देशों में पुस्तकालय संघ
   5.1 अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ए एल ए)
   5.2 लाइब्रेरी एसोसिएशन (ए एल - यू के)
   5.3 एसोसिएशन फॉर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेण्ट (एसलिब)
   5.4 इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एण्ड इन्सटीट्युशन्स (इफ्ला)
   5.5 इन्टरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्फॉर्मेशन एण्ड डॉक्युमेन्टेशन (एफ आई डी)
6. सार-संक्षेप
7. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
8. अभ्यास-प्रश्न
9. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्याय का मूल उद्देश्य आपको भारत, अमेरिका, तथा यू के के पुस्तकालय संघों तथा उनके क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमों के साथ-साथ उनके प्रशासनिक तथा संगठनात्मक स्वरूप से परिचित कराना है। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप :

- पुस्तकालय एवं सूचना के क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक संघों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख कर उनकी व्याख्या करने में सक्षम होंगे;
- अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन संघों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्याख्या कर सकेंगे; तथा
- भारत तथा विदेशों के कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण पुस्तकालय एवं सूचना संघों की गतिविधियों का वर्णन कर सकेंगे।

2. परिचय

पूर्व के अध्यायों में आपने पुस्तकालयों के ऐतिहासिक परिदृश्य, आधुनिक समाज में पुस्तकालयों का विकास, पुस्तकालयों के प्रकार एवं उनके कार्य, उपयोक्ताओं की श्रेणियाँ, तथा उनकी सूचना आवश्यकता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इन सभी में समान उद्देश्यों की ही उपस्थिति है, अर्थात् बेहतर पुस्तकालय एवं सूचना सेवा उपलब्ध कराना। इस मूलभूत सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकालय एवं सूचना/प्रलेखन केन्द्रों में कार्यरत सभी व्यक्ति एकजुट होकर कार्य करते हैं तथा समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने लिए व्यावसायिक संघ का गठन करते हैं।

पुस्तकालयों का संघ एक विद्वत संस्था है। इसका कार्य किसी देश में पुस्तकालय आन्दोलन का विकास करना एवं इसको प्रोत्साहन देना है। ये संघ पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रक्रिया में पुस्तकालयों के संघ अपने व्यवसाय एवं व्यवसायियों की बेहतरी और विकास के लिए प्रयास करते हैं।

व्यावसायिक संघों की स्थापना मूलतः संबंधित क्षेत्र के व्यवसायियों द्वारा तथा व्यवसायियों के लिए की जाती है जैसे कि पुस्तकालयाध्यक्षों, पुस्तकालय के कार्मिकों, पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों, पुस्तकालय उपयोक्ताओं इत्यादि के संघ।

इन सभी क्षेत्रों के व्यक्ति किसी पुस्तकालय के संघ की सदस्यता की पात्रता रखते हैं। सदस्यों द्वारा संघ के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों को जिस सक्रियता तथा सहयोग की भावना से चलाया जाता है, उस संघ का स्वरूप और महत्व भी उसी प्रकार का बनता है। इस व्यवसाय में आप जैसे नवागन्तुक के लिए उचित है कि आप यह जानें कि आप पुस्तकालय संघों की गतिविधियों में किस प्रकार भाग लेंगे तथा उनके उद्देश्यों को कैसे पूरा करेंगे।

पुस्तकालय संघ, प्रणालियाँ तथा कार्यक्रम

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का अर्थ है कि आप पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसायी बनने की कामना रखते हैं और इसके लिए उपयुक्त योग्यता प्राप्त करने के आकांक्षी हैं। अतः आपको यह जानना चाहिए कि आपका इस व्यवसाय के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा तथा किस प्रकार की नैतिक बाध्यता होगी अर्थात् पुस्तकालय एवं सूचना पद्धतियों एवं सेवाओं के उन्नयन तथा पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के विकास के लिए आपको क्या प्रयास करना होगा। किसी व्यवसाय की छवि उसके सदस्यों से ही बनती है। कर्तव्य निर्वाह में गुणात्मक प्रदर्शन तथा आचार-शास्त्र के सिद्धांतों का पालन ही किसी व्यवसाय के

समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। जहाँ तक विश्वसनीयता प्राप्त करने हेतु गुणात्मक प्रदर्शन का प्रश्न है, इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यवसायी अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से निष्पादन करें तथा आचार-शास्त्र के सिद्धांतों का ठीक प्रकार से अनुपालन करें। इसी संदर्भ में आप आगे के अनुच्छेदों में यह अध्ययन करेंगे कि व्यावसायिक संघों द्वारा इन उद्देश्यों और मूल्यों को किस प्रकार प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है।

इस अध्याय में निम्नलिखित बातों का विवरण दिया गया है :

(i) व्यावसायिक संघों की आवश्यकता एवं महत्व;

(ii) पुस्तकालय संघों के उद्देश्य एवं लक्ष्य; तथा

(iii) पुस्तकालय संघों के कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ।

उपर्युक्त बातों का सामान्य विवरण देने के पश्चात् इस अध्याय में पुस्तकालय संघों के उद्देश्य, संगठनात्मक स्वरूप, गतिविधियों, प्रकाशनों इत्यादि की जानकारी, तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ इनके संबंधों तथा भविष्य की योजनाओं के संदर्भ में प्रकाश डाला गया है।

3. व्यावसायिक संघों की आवश्यकता एवं महत्व

एक अकेला व्यावसायिक व्यक्ति, या एकमात्र संस्था व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित दूरगामी मुद्दों के संबंध में अधिक उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते। इस कारण ही समान दिलचस्पी रखने वालों को सामूहिक क्रियाकलापों में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। सामूहिक एवं समन्वित प्रयासों के लिए व्यावसायिक संघों द्वारा एक मंच उपलब्ध कराया जाता है।

पुस्तकालय के विकास के लिए कई आवश्यक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना अनिवार्य है जैसे- व्यावसायिक नियोजन, दूरदर्शिता, सूझ-बूझ तथा निष्ठापूर्वक संलिप्तता। इन विषयों का व्यवस्थापन किसी अकेले संस्थान की तुलना में पुस्तकालय संघों द्वारा अधिक अच्छी तरह सम्पन्न होता है। अतएव सामूहिक उद्देश्य की सफलता तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी व्यवसाय की प्राथमिक आवश्यकता, सदस्यों का एकजुट होना तथा उनमें भाईचारे का होना माना गया है। वास्तव में, किसी भी व्यावसायिक संघ की सबलता तथा प्रभावशीलता के द्वारा सदस्यों के बीच भाईचारे का ही प्रदर्शन होता है। यदि पुस्तकालय संघ सही प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करें तो ये किसी भी राष्ट्र में लोक पुस्तकालय आन्दोलन के प्रसार में मदद पहुँचाने तथा उत्तम पुस्तकालय सेवा को सुनिश्चित करने में उपयुक्त सहायता प्रदान करते हैं। वस्तुत: ये संघ ही पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की अभिधारणा को स्पष्ट करने में सहयोग प्रदान करते हैं तथा उपयुक्त मंच पर उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

3.1 पुस्तकालय संघों के लक्ष्य एवं उद्देश्य

पुस्तकालयों के संघ की स्थापना निम्नलिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है :

- अपने देश में ज्ञान एवं सूचना तथा मानव संसाधान विकास के लिए पुस्तकालय आन्दोलन में अग्रदूत की भूमिका का निर्वाह करना;
- सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को लागू कराने के लिए काम करना, इसके लिए प्रगतिशील तथा स्वस्थ सिद्धांतों पर आधारित एक विधेयक का प्रारूप तैयार करना, जनता में पुस्तकालय चेतना को जगाना, ताकि वे उपयुक्त सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के लिए अधिकारपूर्ण मांग कर सकें; स्वस्थ पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए सामाजिक दबाव को गतिशील करना;

NOTES

- राष्ट्रीय नीति पर आधारित एकीकृत राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के विकास के लिए प्रयास करना, पुस्तकालय के वर्तमान बुनियादी ढाँचे में व्याप्त कमियों की ओर पदाधिकारी वर्ग का ध्यान आकृष्ट करना;
- पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए सूचना, विचारों, अनुभवों, तथा सुविज्ञता के परस्पर विनियम के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करना, पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन, पदमान, सेवा–शर्तों इत्यादि की बेहतरी के लिए कार्य करना;
- पुस्तकालय व्यवसाय के प्रति समाज में उच्च धारणा का निर्माण करना, पुस्तकालयों एवं पुस्तक व्यवसायियों के बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- संसाधनों की साझेदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यों में पुनरावृत्ति को रोकना;
- पुस्तकालय एवं सूचना कार्य के लिए जन–शक्ति विकसित करना जिसके अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, प्रेरणादायक कार्य, पुरस्कार एवं इनाम इत्यादि सम्मिलित है।

3.2 पुस्तकालय संघों के कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ

पुस्तकालय संघ अपने विकास की अवस्था के अनुरूप निम्नलिखित, प्रायः समस्त या कुछ, कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ चलाते हैं। ये संघ समय–समय पर सरकार से वार्तालाप करते रहते हैं ताकि मौका मिलते ही देश में एक स्वस्थ्य पुस्तकालय पद्धति के विकास के लिए मनोनुकूल अवसर का उपयोग किया जा सके। इन कठिन कार्यों का निष्पादन संघ के द्वारा विभिन्न प्रकार से किया जाता है : जैसे– परामर्श, प्रतिनिधित्व एवं सहयोग द्वारा, पुस्तकालय अधिनियम के लिए प्रारूप तैयार कर नीति एवं मार्गदर्शक त्तवों का निर्धारण करना इत्यादि।

सम्मेलन

पुस्तकालय संघों द्वारा पुस्तकालय के व्यवसायियों को एक स्थान पर इकट्ठा करने तथा विचार–विमर्श एवं एक दूसरों के विचारों, सूचनाओं और अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए समय–समय पर सम्मेलनों (Conferences) का आयोजन किया जाता है।

पुस्तकालय प्रचार

समाज के जनसमुदाय के बीच पुस्तकालय के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा पठन एवं अध्ययन रुचि को विकसित करने के लिए भी संघों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे– पुस्तकालय सप्ताह, प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, प्रतियोगिताओं इत्यादि का आयोजन।

सेवा की स्थिति

ये संघ पुस्तकालयों के व्यवस्थापकों से सभी स्तरों पर वार्तालाप कर पुस्तकालय सेवा से जुड़े मुद्दों, जैसे– पुस्तकालय व्यवसायियों के वेतनमान, उनकी सेवा शर्त तथा उनकी मर्यादा को उन्नत बनाने की दिशा में प्रयास करे हैं। पुस्तकालय संघ पुस्तकालय कार्मिकों की नियुक्ति में भी सहायक हो सकते हैं। ये पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए उनके आचरण तथा सेवा में उच्च मूल्य की स्थापना हेतु आचार–संहिता भी बनाते हैं।

शिक्षा

ये संघ शिक्षा के क्षेत्र में वांछित सहयोग हेतु आवश्यक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी करते हैं। संघ द्वारा इन शिविरों के माध्यम से प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा

में पुस्तकालय एक पूरक के रूप में योगदान कर सकें तथा विभिन्न पुस्तकालयों में कार्य कर रहे व्यवसायियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकें।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षण में उपयुक्त मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे संघ मान्यता प्रदायक निकाय के रूप में भी कार्य करते हैं।

किसी भी पुस्तकालय व्यवसायी तथा पुस्तकालय पद्धति द्वारा असाधारण कार्य अथवा योगदान के लिए पारितोषिक एवं पुरस्कार प्रदान करने का कार्य भी संघ के द्वारा किया जाता है।

प्रकाशन

पुस्तकालय संघों द्वारा नियमित रूप से व्यावसायिक साहित्य का प्रकाशन किया जाता है, जैसे- संघ की नियमित पत्रिका तथा न्यूजलेटर का प्रकाशन। इनके अतिरिक्त कुछ तदर्थ प्रकाशन भी जारी किए जाते हैं, जैसे- सम्मेलनों के कार्यवृत्त, निर्देशिकाएँ, प्रसूचियाँ, ग्रन्थसूचियाँ, पाठ्यक्रम-मैनुअल, पाठ्यक्रमों की पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें इत्यादि।

मानक, सेवाएँ, शोध

पुस्तकालयों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय संघों द्वारा पुस्तकालयों की प्रक्रियाओं, तकनीकों, उपकरणों, उपस्करों इत्यादि से संबंधित मानक, दिशा-निर्देश, संहिता तथा मैनुअल तैयार किए जाते हैं।

ये स्वयं या किसी बाह्य एजेंसी से अनुबंध द्वारा ग्रन्थात्मक परियोजनाएँ भी लेते हैं तथा परामर्शदायी सेवाएँ भी चलाते हैं।

पुस्तकालय कार्य एवं सेवाओं की सबलताओं और दुर्बलताओं की पहचान कर उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु ये संघ पुस्तकालयीय सेवाओं, पाठकों की मांग, उनकी अध्ययन एवं पठन-रुचियों, पुस्तक प्रकाशन इत्यादि से संबंधित शोधपरक सर्वेक्षणों का आयोजन करते हैं।

सहयोग

समान उद्देश्य वाले राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संघों के साथ ये सहयोग की स्थापना करने का कार्य भी करते हैं। पुस्तकालय सामग्री के अधिग्रहण से संबंधित पारस्परिक समस्याओं का हल निकालने के लिए ये संघ पुस्तक एवं प्रकाशन व्यवसाय के साथ संपर्क बनाए रखते हैं।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. पुस्तकालय संघ के कार्यों को संक्षेप में समझाइए।

....

....

....

....

4. भारत के पुस्तकालय संघों का सामान्य लेखा-जोखा

भारत में पुस्तकालय संघों की उपस्थिति के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। उदाहरण लिए, बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन (1910), आँध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, (1914), बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन (1927)

तथा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन (1927) का उल्लेख किया जा सकता है। इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना सन् 1933 में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में पुस्तकालयों के संघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

NOTES

वर्तमान समय में हमारे देश में अनेक राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के पुस्तकालय संघ कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे संघ भी हैं जो विशेष श्रेणियों, विषयों तथा अन्य विशिष्ट रुचि क्षेत्र के पुस्तकालयों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया लाइब्रेरिज एसोसिएशन (GILA : Government of India Libraries Association), इण्डियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइंस (IATLIS : Indian Association of Teachers of Library and Information Science), माइक्रोग्राफिक कांग्रेस ऑफ इण्डिया (MIC : Micrographic Congress of India), सोसाइटी फॉर इन्फॉर्मेशन साइंस (SIS : Society of Information Science)) इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है।

फिर भी, व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया में संलग्न संघों की संख्या कम है। ऐसा देखा गया है कि संघों की सदस्यता प्राप्त करने के प्रति, व्यवसायी प्रायः उदासीन होते हैं। अभी भी अनेक राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम को पारित नहीं किया जा सका है। इससे यह स्पष्ट है कि हमारे पुस्तकालयों के संघ अभी तक प्रभावकारी नहीं हो पाये हैं। हमारे पुस्तकालयों संघों को अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार करने की एवं अच्छे कार्य के निष्पादन, एवं उपलब्धियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है।

अगले अनुच्छेदों में भारत के राष्ट्रीय स्तर के दो पुस्तकालय संघों का वर्णन किया गया है। ये हैं : इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ILA : India Library Association), तथा इण्डियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरिज एण्ड इन्फॉर्मेशन सेन्टर्स (IASLIC : Inidan Association of Special Libraries and Information Centres)।

4.1 इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (आई एल ए)

इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ILA : Inidan Library Association) की स्थापना सन् 1933 में कलकत्ता में की गई थी। यह एक पंजीकृत संस्था है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में कार्यरत है। यह संघ एक राष्ट्रीय स्तर का प्रथम राष्ट्रीय संघ है जो पूरे देश के पुस्तकालय व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है।

इस संघ की स्थापना सितम्बर, 1933 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के समय कलकत्ता में हुई। इस सम्मेलन के आयोजन हेतु उस समय के सभी विख्यात पुस्तकालयाध्यक्ष सहायक सिद्ध हुए, तथा इस सम्मेलन के माध्यम से उनका उद्देश्य इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना करना था। सन् 1933 से लेकर 1947 के मध्य देश के विभिन्न भागों में सात अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। अपने आधिकारिक मुख पत्र (Official Organ) के रूप में आई एल ए द्वारा लाइब्रेरी बुलेटिन (Library Bulletin) नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। आइ एल ए द्वारा डायरेक्ट्री ऑफ इण्डियन लाइब्रेरिज (Directory of Indian Libraries) का प्रकाशन भी किया जाता है। आजादी के बाद इस संघ की गतिविधियाँ धूप-छाहीं स्थितियों से गुजरी हैं।

सन् 1983 तक, अर्थात् जब आइ एल ए द्वारा पचपन वर्ष पूरे कर लिए गए थे, तब तक अखिल भारतीय स्तर पर 22 पुस्तकालय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका था। यद्यपि इस अवधि तक यह संघ विकास के चरण में ही रहा लेकिन फिर भी इसका कोई चमत्कारिक योगदान नहीं रहा। फिर भी, आई एल ए द्वारा ऐसे भी कदम उठाये गये जिनसे ऐसा माना जा सकता है कि उनके प्रभाव से ही देश में पुस्तकालयों का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए, 1992 में आई एल ए द्वारा सफलतापूर्वक इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन्स (IFLA) सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। पुस्तकालय व्यवसाय से जितनी अपेक्षा की जाती है उसकी तुलना में जो उपलब्धियाँ अब तक प्राप्त हुई हैं वे लक्ष्य

से काफी दूर मानी जा सकती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय व्यवसायी आई एल ए को मजबूत एवं प्रभावी बनाने के लिए काफी प्रयत्नशील हैं, और इस संघ की प्रगति के संकेत मिल रहे हैं।

(क) उद्देश्य

इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का लक्ष्य है, देश में पुस्तकालय व्यवसाय एवं पुस्तकालय सेवा के स्तर को ऊँचा उठाना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए हैं :

(i) देश में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देना तथा पुस्तकालय अधिनियम को पारित कराना;

(ii) पुस्तकालय सेवा में सुधार लाना;

(iii) पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा तथा प्रशिक्षण में विकास लाना तथा उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाले पुस्तकालय विज्ञान विद्यापीठों को अधिमान्य करना;

(iv) पुस्तकालय कर्मियों के वेतन, उनकी सेवा शर्त, तथा उनके स्तर में सुधार लाना;

(v) विभिन्न पुस्तकालयों एवं उनके कार्मिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना;

(vi) शोध एवं ग्रंथात्मक अध्ययनों को बढ़ावा देना;

(vii) राज्य स्तर के एवं अन्य पुस्तकालय संघों को संबद्धता प्रदान करना;

(viii) समान उद्देश्य रखने वाले अन्तरराष्ट्रीय एवं अन्य राष्ट्रीय संघों के साथ सहयोग करना;

(ix) सूचना के प्रसार के लिए क्रमिक एवं अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करना;

(x) सम्मेलनों, संगोठियों तथा बैठकों का आयोजन कर पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए एक समान मंच प्रदान करना; तथा

(xi) पुस्तकालय एवं सूचना पद्धतियों एवं सेवाओं इत्यादि के प्रबन्धन हेतु विभिन्न मानकों, मानदण्डों, तथा संदर्शिकाओं को तैयार करना तथा उनमें सुधार लाना।

(ख) संगठन

आइ एल ए की सदस्यता की विभिन्न कोटियाँ हैं : संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य, सामान्य सदस्य, संस्था सदस्य, तथा ऐसाशिएट सदस्य।

संघ की आम सभा द्वारा एक अध्यक्ष, छह उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तथा प्रत्येक एक सौ सामान्य सदस्यों पर बीस पार्षद् सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक कार्यों की देखरेख के लिए ग्यारह विभागीय समितियों का गठन किया गया है। इन विभागीय समितियों के अध्यक्ष, राज्य पुस्तकालय संघों का एक प्रतिनिधि, तथा भारतीय पुस्तकालय संघ के सारे पूर्ववर्ती अध्यक्ष भी आइ एल ए परिषद् या काउंसिल के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठन किया जाता है जिसमें संघ के अध्यक्ष, संघ के महासचिव, संघ का एक उपाध्यक्ष, दो सचिव, एक जनसंपर्क अधिकारी (PRO), तथा तीन परिषद् के सदस्य होते हैं। यह समिति दैनिक व्यवस्थापन की देखरेख करती है। आम सभा की बैठक वर्ष में एक बार बुलायी जाती है, जो प्रायः "अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन" के समय ही सम्पन्न होती है। परिषद् की बैठक तीन माह में एक बार तथा कार्यकारी समिति की बैठक आवश्यकता के अनुसार जब चाहे बुलाई जा सकती हैं। संघ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा-जोखा आम सभा की बैठक में प्रस्तुत एवं पारित किए जाते हैं।

NOTES

सदस्यता के रूप में पंजीकरण हेतु लिए सभी कोटियों के लिए अलग-अलग राशि तय की गयी है। साधारण सदस्यता के लिए रु. 100/–, पुस्तकालय संघों की सदस्यता के लिए रु. 750/–, एक संस्था को सदस्य बनाने के लिए रु. 300/–, आजीवन सदस्यता के लिए 750/– तथा संरक्षक के रूप में सदस्यता के लिए रु. 10,000/– का शुल्क निर्धारित है।

इसका डाक पता है : ''इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन'' (आइ एल ए), ए 40-441, फ्लैट संख्या 201, अंसल बिल्डिंग, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-110 009 (Indian Library Association (ILA), A 40-441, Flat No. 201, Ansal Building, Mukherjee Nagar, New Delhi-110 009)।

संघ का एक पूर्णतया अनुमोदित लिखित संविधान है। संघ की कार्य-प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ उप-नियम भी बनाए गए हैं।

(ग) क्रियाकलाप

सम्मेलन तथा पुस्तकालय बैठक

देश के किसी न किस भाग में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। मेजबान संस्था के रूप में किसी विश्वविद्यालय या स्थानीय पुस्तकालय संघ को रखा जाता है। अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के कार्यक्रमों में किसी एक या एकाधिक महत्वपूर्ण विषयों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक हित के विषयों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक हित के किसी विषय पर भी समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है।

तकनीकी विषयों पर चर्चा-परिचर्चा के लिए संघ द्वारा व्याख्यानों, गोलमेज वार्तालाप इत्यादि का आयोजन किया जाता है, जिसे विशेषकर दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह (National Library Week) के दौरान भारतीय पुस्तकालय संघ अन्य संघों, पुस्तकालयों इत्यादि से मिलकर कार्यक्रम आयोजित करता है।

प्रकाशन

संघ द्वारा त्रैमासिक रूप में आइ एल ए बुलेटिन (ILA Bulletin) शीर्षक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। यह इस संघ का आधिकारिक मुखपत्र है, तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान क्षेत्र से संबंधित व्यवसायियों द्वारा लिखित विद्वत् लेखों के प्रकाशन का प्रमुख वाहक है। सर्वोत्कृष्ट लेख के लिए उसके रचयिता को पी. वी. वर्गीज पुरस्कार (P V Verghese Prize) से सम्मानित किया जाता है। संघ द्वारा सदस्यों की अद्यतन रुचि से संबंधित विषयों पर सूचना प्रसारित करने के लिए प्रत्येक माह आइ एल ए न्यूजलेटर (ILA Newsletter) का प्रकाशन भी किया जाता है : सन् 1978 से संघ द्वारा नियिमित रूप से अखिल भारतीय सम्मेलन के कार्यवाही का प्रकाशन भी किया जा रहा है, जिसमें संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए लेखों को भी प्रकाशित किया जाता है।

तदर्थ अथवा छिट-पुट संगोष्ठियों के लिए भी एक पूर्व-अध्ययन गोष्ठी खण्ड का प्रकाशन होता है जिसमें संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए लेखों का प्रकाशन किया जाता है। सन् 1985 में इण्डियन लाइब्रेरी डाइरेक्टरी के चतुर्थ संस्करण का प्रकाशन भी किया गया। इनके अतिरिक्त संघ नियमित रूप से अपना वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा का ब्योरा भी प्रकाशित करता है। वर्तमान समय यह अपने प्रकाशन कार्यक्रम को और भी विस्तृत बनाने में लगा है। सन् 1955 में संघ द्वारा पुस्तकालयों के लिए नालंदा (NALANDA) के नाम से एक डेटा बेस का निर्माण किया गया है। इस डेटाबेस में लगभग 10,000 पुस्तकालयों को सम्मिलित किया गया जिनमें से 5336 शैक्षिक पुस्तकालय, 1470 सार्वजनिक पुस्तकालय तथा 3280 विशिष्ट पुस्तकालय हैं।

सतत् शिक्षा

संघ द्वारा कार्यरत व्यावसायिक कार्मिकों के लाभ हेतु हाल में सतत् शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। पिछले दशक में पुस्तकालय एवं सूचना प्रक्रिया में कम्प्यूटर के अनुप्रयोग के ऊपर विभिन्न शहरों में कार्यशालाओं का आयोजन शृंखलाबद्ध रूप में किया जा चुका है। साथ ही, भविष्य में इस तरह के और भी कार्यक्रमों के लिए योजना बनाई जा रही है।

परामर्शी सेवा

संघ द्वारा पुस्तकालय के विभिन्न तकनीकी एवं अन्य मामलों में परामर्शी सेवा (Consultancy) भी दी जाती है। इसी क्रम में संघ द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSA : Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration), मसूरी के एक विशिष्ट संग्रह के 35,000 खण्डों के तकनीकी प्रक्रियाकरण की परियोजना को पूरा किया गया। इस प्रकार की एक अन्य परियोजना नवम्बर, 1987 में इंदिरा गाँधी नेशनल सेन्टर फॉर द आर्ट्स (IGNCA : Indira Gandhi National Centre for the Arts) में भी चलाई गई।

व्यावसायिक मुद्दे

राज्य सरकारों द्वारा पुस्तकालय अधिनियम को पारित कराने के लिए भी आइ एल ए द्वारा प्रयास किए जाते हैं ताकि स्वस्थ सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति का विकास किया जा सके। यह संघ पुस्तकालय अधि नियम लागू कराने की प्रक्रिया पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को स्मरण दिलाता रहता है। यह राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संबंधित निकायों से पुस्तकालय व्यवसायियों को बेहतर वेतनमान दिलाने और उनकी सेवा-शर्त तथा उनके सेवा-स्तर में सुधार के लिए भी सक्रिय रूप से प्रयास करता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का एक प्रारूप भी तैयार किया गया था तथा इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा इस विषय पर एक समिति का गठन किया गया। इसके अखिल भारतीय सम्मेलनों में व्यावसायिक रुचि एवं संबंधित विषयों पर अनेक प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनके कार्यान्वयन के लिए संघ द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क रखा जाता है।

राजकीय निकायों में प्रतिनिधित्व

पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए सप्तम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गठित कार्यकारी दल (Seventh Plan Working Group on Modernisation of Library and Information Services) में भारतीय पुस्तकालय संघ का भी प्रतिनिधित्व था। इस कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन जुलाई, 1984 में प्रस्तुत किया। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के ऊपर राष्ट्रीय नीति हेतु गठित समिति (Committee on National Policy on Library and Information System) द्वारा एक प्रारूप मई, 1986 में प्रस्तुत किया गया। चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा शासकीय पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए अच्छे वेतनमान देने के संबंध में विचार करने के लिए एक समीक्षा समिति (Review Committee) का गठन किया गया जिसमें भी आइ एल ए का प्रतिनिधित्व था। मेहरोत्रा समिति (Mehrotra Committee), जिसके द्वारा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मियों के वेतनमान पर भी विचार किया गया था, में भी पुस्तकालय कर्मियों का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आइ एल ए को बुलाया गया था। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, गुड ओफिसेज कमिटी, नेशनल ब्युरो ऑफ स्टैण्डर्ड्स, प्रलेखन पर मानक हेतु गठित कार्यकारी समिति-2 (NBS) प्रलेखन के मानकीकरण पर विभागीय समिति, यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग, तथा राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट (NBT) द्वारा गठित विश्व पुस्तक मेला समिति इत्यादि में भी आइ एल ए का प्रतिनिधित्व है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. पुस्तकालय संघों की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है ?

....

....

....

....

NOTES

अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ संबंध

भारत के पुस्तकालय संघों की संयुक्त परिषद् (JOCLAI : Joint Council of Library Associations in India)– जिसका उद्देश्य पुस्तकालय संघों से संबंधित व्यावसायिक मुद्दों के ऊपर एक समन्वित तथा समान प्रक्रिया तथा कार्यनीति अपनाना है– की गतिविधियों में भी आइ एल ए का महत्वपूर्ण योगदान है। आइएसलिक एवं अन्य राज्य पुस्तकालय संघों के साथ भी इसके उत्तम कार्यकारी संबंध हैं।

आइ एल ए की अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियाँ

आइ एल ए द्वारा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रकार की गतिविधियों को चलाने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में यह इफ्ला तथा राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघ (COMLA : Commonwealth Library Association) का एक सदस्य है।

इसके त्तवावधान में सन् 1992 में इफ्ला का एक आम सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस दिशा में इसके महत्वपूर्ण प्रयासों में नवम्बर 1985 में डॉ. रंगनाथन के दर्शन (Ranganathan's Philosophy) पर एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आइ एल ए द्वारा इफ्ला की योजना, यूनिवर्सल एवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन्स (UAP : Universal Availability of Publications) के ऊपर एक संगोष्ठी अक्टूबर 1985 में तथा एफ आइ डी/सी आर (FID/CR) की क्षेत्रीय अध्ययन संगोष्ठी का आयोजन नवम्बर 1985 में नई दिल्ली में किया गया।

भविष्य के लिए परिदृश्य

पुस्तकालय व्यवसाय में जिस प्रकार का आत्मविश्वास पैदा हुआ है उसके कारण भारतीय पुस्तकालय संघ (ILA) अब सबल और सुसंगठित हो चुका है तथा पुस्तकालय व्यवसाय एवं पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देने और अपने व्यवसाय की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने तथा उनमें विस्तार लाने के लिए कटिबद्ध है।

4.2 इण्डियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरिज एण्ड इन्फॉर्मेशन सेन्टर्स (आइएसलिक)

आइएसलिक (IASLIC : Indian Association of Special Libraries and Information Centres) की स्थापना 1955 में हुई तथा यह एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्यरत है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। इसके पत्राचार का पता पी–29/सी आई टी–स्कीम 6 एम. कांकुरगाछी, कोलकाता–700054 (P-29/CIT Scheme, 6M, Kankurgachhi, Kolkatta-700 054) है। इसके संगठन के पीछे ठीक वही उद्देश्य रखा गया जैसा कि यू के के एशोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेन्ट (ASLIB : Associationof Information Management) तथा यू एस ए के स्पेशल लाइब्रेरिज एसोसिएशन (Special Libraries Association) का उद्देश्य रखा गया था।

कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में 25 जून 1955 को पुस्तकालयाध्यक्षों की एक बैठक डॉ. एस एल होरा (Dr. S.L. Hora) की अध्यक्षता में बुलाई गई जिसमें यह विचार प्रकट किया गया कि पूरे भारत के स्तर पर एक ऐसे संघ की स्थापना की जाए जो विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों के विकास के लिए समर्पित हो। इसी उपक्रम में 3 सितम्बर, 1955 को एक अन्य बैठक बुलाई गई जिसमें आइएसलिक को औपचारिक रूप प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद व्यावसायिक पुस्तकालयाध्यक्षों द्वारा पूर्ण उत्साह से इसके विकास के लिए सहज ही सहयोग प्रदान किया गया तथा कुछ समर्पित संस्थापक सदस्यों के प्रयासों द्वारा इस संघ की सुदृढ़ स्थापना की गई। इन पैंतालिस वर्षों से अधिक के अन्तराल में आइएसलिक द्वारा अपने स्वरूप एवं क्रियाकलाप के क्षेत्रों में व्यापक विस्तार कर लिया गया है तथा यह देश में विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के विकास के लिए विभिन्न विधियों से सहयोग दे रहा है।

इस अवधि में अपने कार्यों को नियमित तथा सुसंबद्ध रूप से चलाने के लिए आइएसलिक को प्रचुर सराहना मिली है।

(क) उद्देश्य

आइएसलिक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) ज्ञान के विधिवत् अधिग्रहण, व्यवस्थापन, तथा प्रसार को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने का कार्य करना;

(ii) पुस्तकालय एवं सूचना सेवा तथा सूचना प्रसार के स्तर में सुधार करना;

(iii) विभिन्न विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों की गतिविधियों में समन्वय लाने तथा उनके बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए कार्य करना;

(iv) पुस्तकालयों, सूचना निदेशालयों, प्रलेखन केन्द्रों इत्यादि के साथ सक्रिय संपर्क रखने के लिए कार्य करना;

(v) विशिष्ट पुस्तकालयों, सूचना केन्द्रों इत्यादि में कार्यरत कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में सुधार लाना तथा उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा करना;

(vi) विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए प्रलेखन तकनीक के केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(vii) वैज्ञानिक, तकनीकी, तथा अन्य क्षेत्रों में सूचना के केन्द्र के रूप में कार्य करना; तथा

(viii) आवश्यकता पड़ने पर उन अन्य कार्यों को सम्पन्न करना जो संघ के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों।

(ख) संगठन

आइएसलिक की सदस्यता विविध प्रकार की है, जैसे– मानद, दाता, आजीवन, तथा सामान्य सदस्य। साथ ही, संस्थाओं को भी सदस्यता प्रदान की जाती है। संघ की आम सभा के द्वारा दो वर्षों के लिए एक अध्यक्ष, छः उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, दो संयुक्त सचिव, दो सहायक सचिव, एक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा पच्चीस सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ये आइएसलिक की परिषद् (Council) का गठन करते हैं। परिषद् द्वारा, अपने सदस्यों में से, कार्यकारी तथा वित्त-समिति का गठन किया जाता है। संघ के कार्यों को छः विभागों में विभाजित किया गया है और इन विभागों के अलग-अलग दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

NOTES

(ग) गतिविधियाँ

(i) बैठकें

आइएसलिक द्वारा द्विवार्षिक रूप में एक संगोष्ठी तथा प्रत्येक दूसरे वर्ष के अन्तराल पर एक सम्मेलन का आयोजन देश के विभिन्न भागों में किया जाता है। मेजबान संस्था द्वारा नियत किये गये मिलन स्थल पर इनका आयोजन किया जाता है। इसके लिए प्राय: विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विभागों, संस्थाओं, संघों इत्यादि का चुनाव किया जाता है। अभी हाल में आइएसलिक द्वारा विशिष्ट अभिरुचि वर्गों (Special Interest Groups) का गठन किया गया हैं ये औद्योगिक सूचना, समाज विज्ञान सूचना, कम्प्यूटर के अनुप्रयोग एवं मानविकी से संबंधित हैं।

संघ के सदस्यगण वार्षिक सम्मेलन में समान रुचि से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करते हैं। आइएसलिक समय-समय पर तदर्थ संगोष्ठी, व्याख्यान, प्रदर्शनी इत्यादि का भी आयोजन करता है। विभिन्न शहरों में अध्ययन समूह (Study Circle) का गठन भी किया गया है। इन अध्ययन समूहों की बैठकें प्रत्येक माह में आयोजित की जाती हैं तथा इनमें तकनीकी मामलों पर विचार विमर्श किया जाता है।

(ii) प्रकाशन

आइएसलिक के क्रमिक प्रकाशन के रूप में आइएसलिक बुलेटिन (IASLIC Bulletin) त्रैमासिक (Quarterly) का प्रकाशन सन् 1956 में प्रारंभ किया गया। इसका वार्षिक ग्राहकत्व शुल्क 300 रुपये है। यह इसका आधिकारिक मुख-पत्र है और इसमें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित विद्वत लेखों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आइएसलिक न्यूजलेटर (IASLIC Newsletter) का भी मासिक रूप में प्रकाशन किया जाता है तथा इण्डियन लाइब्रेरी साइंस ऐब्सट्रैक्ट्स (Indian Library Science Abstracts) का भी प्रकाशन वार्षिक रूप में किया जाता है। सन् 1985 में डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एण्ड रिसर्च लाइब्रेरिज इन इण्डिया (Directory of Special and Research Libraries in India) के दूसरे संस्करण का प्रकाशन भी इसके द्वारा किया है। इन प्रकाशनों के अतिरिक्त कुछ मोनोग्राफ (Monograph), एक मैनुअल, एक संहिता (Code) तथा एक पारिभाषिक शब्दावली (Glossary) का प्रकाशन भी किया गया है। संघ द्वारा नियमित रूप से वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-विवरण तथा सदस्यों की सूची का प्रकाशन भी किया जाता है। आइएसलिक द्वारा वर्ष के सबसे अच्छे पुस्तकालयाध्यक्ष तथा आइएसलिक बुलेटिन में लिखे गए उत्तम लेखों के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है।

(iii) शिक्षा तथा प्रशिक्षण

पूर्व में आइएसलिक द्वारा नियमित रूप से विदेशी भाषाओं एवं पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक स्तर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता था। वर्तमान समय में यह कम्प्यूटर के अनुप्रयोग, अनुक्रमणीकरण, सी डी एस / आइ एस आइ एस (CDS/ISIS) इत्यादि विषयों पर शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इनके अतिरिक्त यह कोलकाता तथा अन्य स्थानों में कार्यरत पुस्तकालय व्यवसायियों के लाभ के लिए अल्पकालीन के प्रशिक्षण कार्यशालाओं (short term training workshops) का आयोजन करता है। इस प्रकार की तीन से चार कार्यशालाओं का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।

(iv) ग्रंथसूची एवं अनुवाद सेवा

व्यक्तियों और संस्थाओं के लाभार्थ आइएसलिक द्वारा अनुवाद तथा ग्रन्थसूची संकलन सेवा लाभ-निरपेक्ष रूप से चलाई जाती है। आइएसलिक का अपना एक पुस्तकालय भी है जिसमें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित सामग्री रखी जाती है।

(v) व्यावसायिक मुद्दे

संघ द्वारा विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों द्वारा संचालित सेवाओं के मानकों में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। इसी संदर्भ में संघ द्वारा पुस्तकालयाध्यक्षता के लिए आचार-शास्त्र से संबंधित एक संहिता को विकसित करने का प्रयास भी किया गया। यह संहिता प्राधिकारियों का ध्यान उन बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करती है जो विकास तथा सुधारात्मक स्थिति के लिए कदम उठाने में सहायक हैं। यह संघ पुस्तकालय एवं सूचना प्राणी के विकास में रुचि रखता है तथा इस दिशा में प्रभावकारी योजनाएँ बनाकर उपयुक्त कदम उठाने का प्रयास करता रहता है। इसके द्वारा पुस्तकालय सहयोग के लिए अन्तर पुस्तकालय आदान-प्रदान हेतु एक संहिता (Inter Library Loan Code) का एक प्रारूप बनने का भी प्रयास किया जा चुका है। पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए अच्छे वेतनमान तथा उनके सेवा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आइएसलिक प्रयास करता रहा है। यह विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसासियों को एक साथ लाने का प्रयास करता है और जहाँ भी आवश्यक हो, उनके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करता है।

(vi) अन्य निकायों के साथ संबंध

भारतीय पुस्तकालय संघ तथा अन्य पुस्तकालय संघों के साथ आइएसलिक के अत्यंत मधुर एवं स्वस्थ संबंध हैं। पुस्तकालय संघों के बीच पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए इसने जो कलाई (JOCLAI : Joint Council for Library Association in India) का गठन किया है। भारत में जोकलाई की स्थापना के लिए आइएसलिक ने सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया है। भारत में स्थापित पुस्तकालय संघों की इस संयुक्त समिति के माध्यम से समान कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने का काम किया जाता है। नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (NISSAT : National Information System for Science and Technology) से विभिन्न परियोजनाएँ लेकर यह निस्सात के साथ सहयोग करता है। इण्डियन स्टैण्ड्डर्स इन्सटीट्युशन (ISI : Indian Standards Institution) की डॉक्यूमेन्टेशन एण्ड इन्फॉर्मेशन कमिटी (Documentation and Information Committee) / (ISI/ EC2) में भी इसका प्रतिनिधित्व है। आइ एस आइ को अब ब्यूरो ऑफ इणडियन स्टैण्ड्र्डस (BIS : Bureau of Indian Standards) कहा जाता है।

(vii) भविष्य के लिए परिदृश्य

आइएसलिक ने देश के विशेष पुस्तकालयों तथा सूचना के क्षेत्र में एक नायक तथा समन्वयक की भूमिका निभाई है। भारत में विशिष्ट पुस्तकालयों के विकास और उन्नयन के लिए कार्य कर इस दिशा में आइएसलिक अपनी संतुलित भूमिका के लिए समर्पित है।

5. अन्य देशों में पुस्तकालय संघ

इस अनुभाग में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के एक तथा यू के (UK) के दो पुस्तकालय संघों का वर्णन किया गया है। इन संघों की कीर्तिमानों से भरी गतिविधियों तथा सेवओं का एक लम्बा इतिहास है तथा इन्हें विभिन्न देशों में पुस्तकालय संघों की स्थापना के लिए प्रतिमान-निर्धारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस अनुभाग में जिन तीन पुस्तकालय संघों का वर्णन किया जा रहा है वे हैं यू एस ए का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ALA : American Library Association), और यू के के लाइब्रेरी एसोसिएशन (The Library Association), तथा एसोसिएशन फॉर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेन्ट जिसे पहले एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरिज एण्ड इन्फॉर्मेशन ब्यूरेक्स (ASLIB : Association for Special Libraries and Information Bureaux) कहा जाता था।

NOTES

5.1 अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ए एल ए)

अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ALA: American Library Association) सबसे प्राचीन तथा बृहत् होने के कारण अनुपम संस्था के रूप में जाना जाता है। इसका गठन सन् 1876 में किया गया और इसका मुख्यालय शिकागो में रखा गया। इसका पता है : अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, 50 इस्ट ह्यूरोन स्ट्रीट, शिकागो, इलिन्वाय, यू एस ए (American Library Association, 50 East Huron Street, Chicago, Illinois, USA)।

जब अमेरिका राष्ट्र का शत्वर्षीय समारोह 1876 की समाप्ति के समय मनाया जा रहा था, तब फिलाडेल्फिया (Philadelphia) में 103 पुस्तकालय सक्रियवादियों के समूह की एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान के जनक मेल्विल ड्यूई (Melvil Dewey) द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित कर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की नींव डाली गई। सन् 1876 में स्थापित ए एल ए की प्रशंसनीय सफलता के पीछे प्रतिष्ठित पुस्तकालयाध्यक्षों के समर्पित प्रयास हैं। इन प्रयासों से यह संघ निर्माण काल में ही सबल हो गया और धीरे-धीरे ए एल ए एक शक्ति-केन्द्र के रूप में उभरा और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही पुस्तकालय अभिरुचि का राष्ट्रीय स्वर बन गया। आज भी यह अपनी सुदृढ़ नींव तथा विशाल आधार के कारण विस्तारित कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के द्वारा समाज की सेवा कर रहा है। अमेरिका में पुस्तकालय अभिरुचि को प्रोत्साहित करने में ए एल ए सफलतापूर्वक ओजस्वी भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

(क) उद्देश्य

ए एल ए पुस्तकालयाध्यक्षों एवं पुस्तकालयों का एक संगठन है। पुस्तकालय व्यवसाय तथा पुस्तकालय सेवा में सुधार लाना तथा सभी के लिए जीवनपर्यन्त पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना इसका व्यापक उद्देश्य है। यह पाठकोन्मुख पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की धारणा को स्वीकार करता है। देश में पुस्तकालय चेतना उत्पन्न करना तथा पुस्तकालय के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहन देना इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। इसी कारण यह बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए कार्य करता है तथा पठन सामग्री के निर्बाध अभिगम का हिमायती है। इसका संबंध पुस्तकालय व्यवसाय तथा पुस्तकालय व्यवसायियों से जुड़े विषयों से है।

(ख) संगठन

विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति या संस्थान, जो पुस्तकालय सेवा तथा पुस्तकालयों में रुचि रखता हो, इस संघ का सदस्य बन सकता है। ए एल ए के संगठनात्मक ढाँचे में एक अध्यक्ष, एक सचिव, तथा अन्य पदाधिकारियों (Office bearers) का चुनाव किया जाता है। इस संगठन का अभिशासन एक परिषद् द्वारा किया जाता है। इसकी कार्यकारी समिति इसके प्रबंधन का कार्य करती है। वर्तमान समय में इसमें 11 विभाग हैं जिनका संबंध वयस्क सेवा, विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्षों, बाल एवं वयस्क पुस्तकालयों, पुस्तकालय शिक्षण, संदर्भ एवं वयस्क सेवाओं तथा संसाधनों एवं तकनीकी सेवाओं जैसे विशिष्ट विषयों से है। अन्य विषय-क्षेत्रों के लिए सुगठित इकाइयाँ भी हैं जो ए एल ए की छत्रछाया में पृथक् इकाइयों के रूप में काम करती हैं, जैसे- अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरिज (American Association of School Libraries), कॉलेज एण्ड रिसर्च लाइब्रेरिज (College and Research Libraries), अमेरिकन लाइब्रेरी ट्रस्टी एसोसिएशन (American Library Trustee Association), एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विसेज टु चिल्ड्रेन (Association for Library Services to Children), एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एण्ड कोआपोरेटिव लाइब्रेरी एजेन्सीज (Association for Specialised and Cooperative Library Agencies), लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट एसोसिएशन (Library Administration and Management Association), लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन (Library and Infor-

mation Technology Association) तथा पब्लिक लाइब्रेरिज एसोसिएशन (Public Libraries Association)। ए एल ए के संगठनात्मक ढाँचे में अन्य पंक्ति के रूप में इसकी गोल मेज बैठकें (Round Tables) हैं। ये उन बातों से संबंधित हैं जो अन्य विभागों के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं।

(ग) गतिविधियाँ

(i) ए एल ए का कार्य इसके विभागों, समितियों, तथा गोल मेजों की गतिविधियों पर मुख्य रूप से केन्द्रित होता है। ए एल ए के वार्षिक सम्मेलन प्रतिवर्ष जून माह में संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं। इसी समय विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन भी सम्मेलन के पूर्व एवं बाद भी किया जाता है।

(ii) प्रारंभ से ही ए एल ए ने अपना ध्यान पुस्तकालय प्रक्रियाओं, तकनीकों, तथा स्वरूपों इत्यादि के मानकीकरण के प्रति केन्द्रित किया है। जहाँ तक पुस्तकालय व्यवसाय के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रश्न है, इसकी भूमिका इन पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन (accreditation) से तथा इसके लिए उपयुक्त मानकों को सुनिश्चित करने से है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्रों में शोध, नवप्रवर्तन, आविष्कार इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए ए एल ए विख्यात है। पुस्तकालय प्रौद्योकी से संबंधित इसके कार्यक्रमों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(iii) पुस्तकालय सेवा से संबंधित मामलों पर संघीय अधिनियम को पारित कराने के लिए भी ए एल ए पूर्ण रूप से सक्रिय रहा है। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स (Library Bill of Rights), लाइब्रेरी सर्विसेज ऐक्ट 1956, संशोधित 1964 (Library Services Act, 1956, revised in 1964), डाक दर के लिए अधिनियम, प्रकाशनाधिकार, तथा पुस्तकालय सेवा के लिए कोष इत्यादि को ए एल ए के प्रमुख उपक्रमों का परिणाम माना जा सकता है। आवश्यकता उपस्थित होने पर परिस्थिति के अनुसार वैधानिक समस्याओं के स्पष्टीकरण में भी यह दिलचस्पी लेता है।

(iv) **प्रकाशन :** इसका प्रकाशन कार्यक्रम भी व्यापक एवं प्रभावशाली है। यह निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए सीधे उत्तरदायी है : ए एल ए हैण्डबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन्स एण्ड मेम्बरशिप डाइरेक्टरी, वार्षिक (ALA Handbook of Organisations and Membership Directory, Annual), ए एल ए इयर बुक (ALA Yearbook), अमेरिकन लाइब्रेरिज, 11 अंक, (1907) (Amercian Libraries, 11 issues (1907), पहले ए एल ए बुलेटिन बुकलिस्ट (ALA Bulletin Booklist), 22 अंक, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, 6 अंक (LTP : Library Technology Project Reports), च्वायस, 11 अंक, (Choice, 11 issues)।

ए एल ए की अन्य इकाइयाँ भी अन्य शीर्षकों से पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रही हैं। इसके द्वारा तदर्थ रूप में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में मोनोग्राफ (monographs), मैनुअल (manuals), संदर्शिकाएँ (guides), संहिता (code), हैण्डबुक (handbook), वार्षिक सम्मेलनों के कार्य-विवरण (proceedings of annual conference) इत्यादि का प्रकाशन किया जाता है। ए एल ए द्वारा अब तक लगभग 2000 महत्वपूर्ण प्रकाशन जारी किए जा चुके हैं।

(v) **पुरस्कार :** कार्यरत व्यवसायियों द्वारा श्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को प्रोत्साहित करने तथा मान्यता प्रदान करने के लिए ए एल ए ने अनेक पुरस्कार स्थापित किए हैं। उदाहरण के रूप में:

जॉन काटॅन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन्स अवार्ड (John Cotton Dana Library Public Relations Award);

पुस्तकों एवं पठन अभिरुचि के प्रोत्साहन हेतु क्लियरेन्स डे अवार्ड (Clearance Day Award);

NOTES

रचनात्मक व्यावसायिक उपलब्धि के लिए मेल्विल ड्यूई अवार्ड (Melvil Dewey Award);

सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों के संबंध में उच्च अध्ययन हेतु ई पी डटन-जान मेक्रे अवार्ड (E.P. Dutton-John McRae Award);

वर्गीकरण एवं सूचीकरण के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए मार्गरेट मान अवार्ड (Margaret Mann Award);

रॉल्फ आर शॉ अवार्ड (Ralph R. Shaw Award) इत्यादि।

(घ) ए एल ए की अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियाँ

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एवं संबंधों के लिए ए एल ए सदा से सक्रिय रहा है। यह यूनेस्को, इफ्ला, तथा एफ आई डी के कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है। इसने परामर्शी सेवा, तकनीकी सहयोग, यात्रा अनुदान, पाठ्य सामग्रियों की पूर्ति करने जैसे कार्यक्रमों में विभिन्न राष्ट्रों को भी अपना गहन सहयोग दिया है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. भारत में पुस्तकालय संघों की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

....

....

....

....

5.2 लाइब्रेरी एसोसिएशन (एल ए - यू के)

यू के का दि लाइब्रेरी एसोसिएशन (LA : The Library Association) भी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की तरह ही पुराना तथा वृहत् पुस्तकालय संघ है। इसे एल ए-यू के (LA—UK) भी कहते हैं। इसकी स्थापना सन् 1877 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका पत्राचार का पता है : लाइब्रेरी एसोसिएशन, 7-रिजमाउंट स्ट्रीड, लंदन, डब्लु सी आई ई, 7 ए ई (Library Association, 7-Ridgemount Street, London, WCIE, 7AE)। अक्टूबर, 1877 में ब्रुसेल्स (Brussels) में हुए पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रथम अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन इसकी स्थापना यू के के पुस्तकालय संघ के रूप में की गई। 15 जनवरी, 1880 से संघ ने मंथली नोट्स (Monthly Notes) के नाम से एक प्रकाशन प्रारंभ किया। 10 दिसम्बर, 1880 को संघ ने अपने आधिकारिक मुखपत्र के रूप में दि लाइब्रेरी (The Library) पत्रिका को अंगीकार किया। जनवरी 1896 में संघ का नाम बदलकर लाइब्रेरी एसोसिएशन (Library Association) कर दिया गया और 17 फरवरी, 1898 को इसे राजकीय प्राधिकार मिला। जनवरी, 1898 से लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकार्ड (Library Association Record), इसके आधिकारिक मुखपत्र के रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह संघ अन्तोगत्वा पूर्ण व्यावसायिक संघ के रूप में 1962 में प्रतिष्ठित हुआ जब इसके नये उपनियमों (bye=Jaws) को कार्य में लाया जाने लगा।

अनेक पुस्तकालय संघों के अस्तित्व में आने जाने के बाद भी उन्नसवीं शताब्दी में स्थापित यह संघ इक्कीसवीं शताब्दी में अपेन सशक्त कदम रख चुका है। इसका विकास एक समान रूप से इन दोनों शताब्दियों में चलता रहा तथा यह ग्रेट ब्रिटेन में पुस्तकालय अभिरुचि को बढ़ाने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

(क) उद्देश्य

दि लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्राथमिक उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों को एक साथ संगठित कर देना है जो पुस्तकालय के कार्य में व्यस्त हैं या पुस्तकालय में अभिरुचि रखते हैं, पुस्तकालय अधिनियम को उपयुक्त प्रोत्साहन देते हैं, शोध को प्रोत्साहन देते हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए उच्च योग्यता चाहते हैं तथा व्यावसायिक मानकों तथा व्यवसाय को समुन्नत करने के इच्छुक होते हैं।

(ख) संगठन

दि लाइब्रेरी एसोसिएशन के वर्तमान सदस्यों की संख्या 24,000 से भी ज्यादा है। इसकी सदस्यता उन सभी व्यक्तियों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप अभिरुचि रखते हैं। परन्तु प्राधिकृत पुस्तकालयाध्यक्ष (Charterd Librarians) की पदवी तथा एसोसिएट ऑफ दि लाइब्रेरी एसोसिएशन (ALA : Associate of the Library Associations) की उपाधि उन्हें दी जाती है जिनके द्वारा संघ द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षणों को पूरा कर लिया गया हो। फेलोशिप ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन (FLA : Fellowship of the Library Association) उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पुस्तकालय कार्य तथा विशिष्ट सेवा के संबंध में उल्लेखनीय कार्य पर शोध प्रबंध जमा किये हों। दि लाइब्रेरी एसोसिएशन की बारह क्षेत्रीय शाखाएँ हैं, जिनमें स्काटिश एवं वेल्श पुस्तकालय संघ (Scottish and Welsh Library Association) सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त इसके तेइस विशिष्ट अभिरुचि वर्ग (Special Interest Group) भी हैं। इस एसोसिएशन का अभिशासन एक परिषद् के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है जिसमें 60 सदस्य होते हैं। परिषद् का चुनाव सदस्यगण करते हैं तथा परिषद् को सलाह देने के लिए निम्नलिखित कार्यों के लिए चार समितियाँ हैं : कार्यकारी समन्वयन, सामान्य कार्य, पुस्तकालय सेवा, तथा व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण (Executive Coordinating, General Purpose, Library Services, and Professional Development and Education)।

(ग) गतिविधियाँ

दि लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई प्रकार की गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(i) सम्मेलन

दि लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन द्वारा गठित शाखाएँ एवं समूह भी अपने सम्मेलनों, बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। सामान्यतया इन सम्मेलनों इत्यादि की कार्यवाहियों को मुद्रित रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।

(ii) शिक्षा

अपने आरंभिक काल से ही लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा भावी पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन तथा पाठ्यक्रमों के निर्माण का कार्य किया जाता है, परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, तथा पुस्तकालय व्यवसायियों की एक पंजी बनाकर रखी जाती है। यह देश में पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशालाओं को प्रारम्भ करने के लिए भी प्रोत्साहन देता है। देश में पुस्तकालय अध्ययनशालाओं का पूर्णरूपेण विकास होने के बाद लाइब्रेरी एसोसिएशन की परीक्षाएँ आयोजित करने संबंधी भूमिका समाप्त हो गई। लेकिन इसके बाद भी यह व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता रहा है। इसके द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों पर अनेक लघु पाठ्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। यह पुस्तकालय विज्ञान विद्यापीठों से निरंतर संपर्क बनाए रखता है, ताकि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षण में उच्च मानकों का प्रतिपालन बनाये रखा जा सके।

NOTES

इनसे संबंधित प्रलेख बुक प्वाइंट लि. 39 मिल्टन पार्क, अबिंगडॉन, ऑक्सान–ओ एक्स 14 4 टी डी (यू के) (Book Point Ltd., 39 Milton Park, Abingdon, Oxon-OX 14 4 TD (UK) से हासिल किए जा सकते हैं।

(iii) पुस्तकालय अधिनियम

पुस्तकालय अधिनियम के प्रोत्साहन में दि लाइब्रेरी एसोसिएशन की भूमिका की सभी लोग सराहना करते हैं। इस दिशा में इसका प्रयास प्रशंसनीय रहा है और सफल भी हुआ है। इसके अतिरिक्त, दि लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रयास से ही पबिल्क लाइब्रेरिज ऐक्ट, 1892 (Public Libraries Act of 1892) तथा पब्लिक लाइब्रेरिज ऐक्ट 1919 (Public Libraries Act of 1919) पारित हुए तथा पब्लिक लाइब्रेरिज एण्ड म्यूजियम ऐक्ट, 1964 (Public Libraries and Museum Act, 1964) के उपनियमों में आवश्यक संशोधन का कार्य किया गया। इसके द्वारा, आवश्यकता उपस्थित होने पर, अधिनियम से उत्पन्न समस्याओं के स्पष्टीकरण का कार्य भी किया जाता है। दि लाइब्रेरी एसोसिएशन ने देश में सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित अनेक सर्वेक्षण भी किए हैं।

(iv) पुस्तकालय शोध

शोध कार्य एवं विकास को लाइब्रेरी एसोसिएशन ने प्रमुखता दी है। यह अपने उपक्रम तथा अपने संसाधनों द्वारा भी विभिन्न परियोजनाओं को सार्थक बनाता है। यदि दि बिटिश लाइब्रेरी (British Library) तथा एसलिब (ASLIB) के साथ शोध के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है।

(v) अन्य संस्थाओं के साथ संबंध

दि लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कई राजकीय निकायों तथा समितियों में है तथा पुस्तकालय विकास के अनेक कार्यक्रमों में यह व्यावसायिक सहयोग भी प्रदान करता है। सन् 1973 में दि ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना में इसकी प्रमुख भूमिका है। यह क्षेत्रीय पुस्तकालय सेवा तथा अन्तर पुस्तकालय सहयोग की दिशा में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।

(vi) पुस्तकालयों से संबंधित मानक

लाइब्रेरी एसोसिएशन उच्च–स्तरीय पुस्तकालय सेवा का हिमायती है। इसके द्वारा पुस्तकालय व्यवसाय के लिए आचार-शास्त्र से संबंधित संहिता का निर्माण भी किया गया है। इसके अतिरिक्त यह पुस्तकालय तकनीकों, क्रियाविधियों तथा उपस्करों इत्यादि के लिए उपुयक्त मानक एवं मार्गदर्शन में भी विशेष रुचि लेता है। यद्यपि इस संघ ने कभी भी श्रमिक संघ की भाँति अपनी भूमिकाओं का निर्वाह नहीं किया, लेकिन यह पुस्तकालय व्यवसायियों के वेतनमान, सेवाशर्तों तथा स्तर में उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा है।

(घ) प्रकाशन

लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन का अपना प्रभावी कार्यक्रम है। प्रकाशन का कार्य लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लि. (Library Association Publishing Ltd.) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह अनेक प्रकाशन निकालता है, जैसे :

लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकार्ड, मासिक (Library Association Record, Monthly); जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, त्रैमासिक (Journal of Librarianship, Quarterly); अप्लाइड सोशल साइंस इन्डेक्स एण्ड ऐब्सट्रैक्ट्स, पाक्षिक (Applied Social Science Index and Abstracts, Bi-weekly); लाइब्रेरी एण्ड इंफॉर्मेशन साइंस ऐब्सट्रैक्ट्स, द्विमासिक (LISA : Library and Information Science Abstracts,

bi-monthly); करेन्ट रिसर्च इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइंस, तीन अंक (Current research in Library and Information Science, Three issues); करेन्ट टेक्नोलॉजी इन्डेक्स, मासिक (Current Technology Index, Monthly)। इनके अतिरिक्त मोनोग्राफों, निर्देशिकाओं तथा सामयिक प्रकाशनों का प्रकाशन भी समय-समय पर किया जाता है। तीन खंडों में प्रकाशित किया गया वालफोर्ड्स गाईड टू रेफरेंस मैटिरियल (Walford's Guide to Reference Materials) का छठा संस्करण (1995) इसका सबसे अधिक बिकने वाला प्रकाशन है। सन् 1977 में अपने शताब्दी वर्ष में इसने कई शताब्दी-प्रकाशनों का प्रकाशन किया जिनमें डबलु ए ममफोर्ड (W.A. Mumford) द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ दि एसोसिएशन (History of the Association) एक प्रमुख प्रकाशन है। इसके द्वारा वार्षिक प्रकाशन के रूप में लाइब्रेरी एसोसिएशन इयर बुक (Library Association Yearbook) तथा सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित विषयों पर आयोजित सम्मेलनों के कार्य-विवरणों का उल्लेख किया जा सकता है।

(ङ) पुरस्कार एवं पारितोषिक

दि लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय के क्षेत्र में श्रेष्ठता को मान्यता प्रदान करने तथा उत्कृष्ट योगदान हेतु कई पुरस्कार/पारितोषिक (Awards and Rewards) स्थापित किए गए हैं। इनमें कुछ हैं :

कार्नेगी मेडल फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस बुक (Carnegie Medal for Best Children's Book), कॉटे ग्रीनवे मेडल फॉर बेस्ट इलेस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस बुक (Kate Greenaway Medal for Best Illustrated Children's Book), व्हीटले मेडल फॉर आउटस्टैण्डिंग इण्डेक्स (Wheatley Medal for Outstanding Index), बेस्टरमैन मेडल फॉर आउटस्टैण्डिंग बिब्लियोग्रॉफी (Besterman Medal for Outstanding Bibliography), मैकाल्विन मेडल फॉर बेस्ट रेफरेन्स वर्क (MC-Colvin Medal for Best Reference Work)।

(च) दि लाइब्रेरी एसोसिएशन की अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियाँ

दि लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा अन्तरराष्ट्रीय सहयोग, अनुभवों तथा विशेषज्ञता के आदान-प्रदान हेतु यूनेस्को, इफ्ला तथा एफ आई डी के साथ सहयोग किया जाता है तथा यह इनके कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेता है। विकासशील राष्ट्रों में अपनी सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन में यह ब्रिटिश कार्उसिल (British Council) की सहायता करता है। अपने सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों के अन्तर्गत यह भ्रमण, अध्ययन, यात्रा, शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों इत्यादि की व्यवस्था करता है। यह राष्ट्रमंडल के राष्ट्रों से संबंध बनाने के लिए विशेष रूप से सक्रिय रहता है। इसने राष्ट्रमंडलीय पुस्तकालय संघ (COMLA : Commonwealth Library Association) की स्थापना में भी सहयोग दिया है।

(छ) भविष्य के लिए परिदृश्य

सन् 1986 से संघ द्वारा भविष्य के विकास पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया गया है और इसी क्रम में दो प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया गया है जिन्हें 'फ्यूचर्स 1' (Futures-1) तथा 'फ्यूचर्स 2' (Futures-2) की आख्या से प्रकाशित किया गया है। दि लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पूर्व में किये गये कार्य के प्रशंसनीय कीर्तिमान तथा इसके सुसंगठित स्वरूप के आधार पर यह आशा की जाती है कि भविष्य में यह आशा के अनुकूल अपनी वचनबद्धता को पूर्ण रूप से निभाता रहेगा।

5.3 एसोसिएशन फॉर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेन्ट (एसलिब)

आप निश्चित रूप से यह जानने के इच्छुक होंगे कि इस संघ को एसोसिएशन फॉर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेन्ट (Association for Information Management) कहा जाता है तो इसके नाम के परिवर्णी पद के रूप

NOTES

में एसलिब (ASLIB) शब्द का क्यों प्रयोग किया जा रहा है, जबकि यह पद इसके नाम से मेल नहीं खाता। इसके लिए हमें इसके गठन के इतिहास पर दृष्टिपात करना होगा। इस संघ की स्थापना सन् 1926 में एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरिज एण्ड एन्फॉर्मेशन ब्यूरो (ASLIB : Association for Special Libraries and Information Bureau) नामकरण के साथ की गई। इस संघ की व्यावसायिक सेवाओं के लम्बे इतिहास में इस परिवर्णी पद के नाम से यह बहुत अधिक ख्याति प्राप्त कर चुका है। बाद में, सूचना के विस्तृत आयाम को देखते हुए संघ द्वारा सन् 1983 में अपने क्रियाकलापों में भी व्यापक विस्तार किया गया और इसका नाम बदलकर एसोसिएशन फॉर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेन्ट कर दिया गया। लेकिन संघ की लोकप्रियता एसलिब (ASLIB) के नाम से हो चुकी थी, अतएव नाम में परिवर्तन के बाद भी इसके परिवर्णी पद के लिए एसलिब (ASLIB) नाम ही प्रयोग किया जा रहा है। इसका पता है : एसलिब, इन्फॉर्मेशन हाउस, 20-24 ओल्ड स्ट्रीट, लंदन ई. सी. 1 वी 9 ए पी, यू के (ASLIB ; Information House, 20-24, Old Street, London, EC 1V9 AP, UK)।

सन् 1949 में इस संघ में ब्रिटिश सोसाइटी फॉर इन्टरनेशनल बिब्लियोग्राफी (British Society for International Bibliography) का भी विलय हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त यह विभिन्न क्षेत्रों में सूचना के महत्व को केन्द्रित करने में सहायक सिद्ध हुआ। एसलिब द्वारा अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के पश्चात् सम्भावना यह भी है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा इसे शोध संघ के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाय। ब्रिटिश लाइब्रेरी के अग्रदूत के रूप में ऑफिस ऑफ साइन्टिफिक एण्ड टेकनिकल इन्फॉर्मेशन (Office of Scientific and Technical Information) की स्थापना एसलिब के प्रयासों का ही परिणाम है।

(क) उद्देश्य

एसलिब का लक्ष्य है, व्यवसाय, उद्योग, कला और विज्ञान और जीवन के हर क्षेत्र में सूचना तथा ज्ञान के स्रोतों के समन्वित एवं सुसंबद्ध उपयोग को बढ़ाना। सूचना के प्रभावकारी प्रबंधन द्वारा यह समुदाय के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में सूचना की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाने में संलग्न है।

(ख) संगठन

एसलिब के सदस्य विशेष रूप से समष्टि निकाय हैं, जैसे- औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठन; व्यावसायिक एवं विद्वत् संस्थाएँ; सार्वजनिक, शैक्षणिक एवं राष्ट्रीय पुस्तकालय; प्रकाशक, तथा डेटाबेस प्रदायक। इसके सदस्यों की संख्या लगभग 2000 है, जिनमें से एक-चौथाई से अधिक सदस्य यू के के बाहर के देशों से हैं। इसके व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या समष्टि-निकाय सदस्यों की तुलना में एक-चौथाई मात्र है। स्काटलैण्ड, नार्थ ऑफ इंगलैण्ड तथा मिडलैण्ड्स (Scotland, the North of England and Midlands) में इसकी शाखाएँ हैं। जीव एवं कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, आर्थिक तथा व्यापारिक सूचना, इलेक्ट्रोनिकी, अभियांत्रिकी, निजी व्यू डेटा (Electronics, Engineering, private view-data), यातायात तथा योजना से संबंधित विषय-दल भी इसने गठित किए हैं। अनुवाद, सूचना विज्ञान तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग जैसे विषयों के लिए इसने तकनीकी दल गठित किए हैं।

(ग) गतिविधियाँ

(i) एसलिब स्वयं को प्रबंधन के एक संस्थान के रूप में प्रस्तुत करता है। एसलिब द्वारा सन् 1985 में ही अपनी शोधपरक गतिविधियों को बंद कर दिया गया। लेकिन प्रारम्भ में इसके द्वारा प्रभावशाली शोधकार्य किए गए थे। अब एसलिब द्वारा अपना ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रित किया जा रहा है :

(क) अपने सदस्यों के लिए सूचना सेवा उपलब्ध कराना। रेफरल सेवा के अतिरिक्त एसलिब द्वारा अपने सदस्यों को सूचना प्रबंधन के व्यावहारिक पहलुओं, जैसे- ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति विधियाँ, पुस्तकालय स्वचालन, नेटवर्किंग तथा लोकल एरिया नेटवर्क इत्यादि के ऊपर जानकारी दी जाती है।

(ख) अनुप्रयुक्ति सॉफ्टवेयर, तथा (ग) आधुनिक पुस्तकालय एवं सूचना संसाधनों का प्रबंधन।

(ii) एसलिब के पुस्तकालय में प्रलेख एवं सूचना विज्ञान से सम्बन्धित 20,000 खण्डों का संग्रह है तथा कुछ पत्रिकाओं का क्रय भी किया जाता है।

(iii) एसलिब द्वारा विशेषज्ञ अनुवादकों तथा अनुक्रमणीकारों की एक पंजी भी रखी जाती है। यह विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के लेखों के अंग्रेजी अनुवादों की अनुक्रमणिका भी तैयार करता है।

(iv) एसलिब तथा इसके विभिन्न विशेषज्ञ-समूहों द्वारा समय-समय पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों, अध्ययन-वृत्त एवं अन्य बैठकों का भी आयोजन भी किया जाता है। इनमें पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसायियों के लिए उपयोगी विषयों पर चर्चा की जाती है। इन बैठकों में प्रस्तुत लेखों को एसलिब प्रोसीडिंग्स् (ASLIB Proceedings) में प्रकाशित किया जाता है। एसलिब के वार्षिक सम्मेलन में एक मुख्य विषय रखा जाता है तथा इसमें सदस्यों की व्यापक उपस्थिति रहती है।

(घ) प्रकाशन

एसलिब द्वारा निम्नलिखित क्रमिकों का प्रकाशन किया जाता है :

एसलिब प्रोसीडिंग्स् (ASLIB Proceedings) (मासिक)

एसलिब बुक लिस्ट (ASLIB Booklist) (मासिक)

एसलिब इन्फॉर्मेशन (ASLIB Information) (मासिक)

एसलिब न्यूजलेटर (ASLIB Newsletter) (मासिक)

इन्डेक्स टु थिसेस (Index to Theses) (वार्षिक)

जर्नल-ऑफ डॉक्युमेन्टेशन (Journal of Documentation) (त्रैमासिक)

नेटलिंग (Net Link) (3 अंक)

प्रोग्राम : न्यूज ऑफ कम्प्यूटर्स इन लाइब्रेरिज (त्रैमासिक)

फोर्थकमिंग इन्टरनेशनल साइन्टिफिक एण्ड टेक्नीकल कान्फ्रेंस (Forthcoming International Scientific and Technical Conference) (त्रैमासिक)

टेक्नीकल ट्रांसलेशन बुलेटिन (Technical Translation Bulletin) (3 अंक)

इनके अतिरिक्त अनियमित प्रकाशन के रूप में मोनोग्राफो, निर्देशिकाओं, प्रतिवेदनों, कार्यवाहियों, पुस्तकालय प्रसूचियों इत्यादि का प्रकाशन किया जाता है। एसलिब के प्रकाशनों में उनके अंतर्विषय की गुणवत्ता तथा स्तर की झाँकी मिलती है। उदाहरण के लिए, इसलिब द्वारा प्रकाशित हैण्डबुक ऑफ स्पेशल लाइब्रेरियनशिप एण्ड इन्फॉर्मेशन वर्क (Handbook of Special Librarianship and Information Work) (5वाँ संस्करण, 1985) का बहुत स्वागत हुआ है तथा पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं तथा पद्धतियों के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है।

NOTES

(ङ) शिक्षा

एसलिब द्वारा शिक्षा के उद्देश्य से अपने सदस्यों तथा गैर-सदस्यों के लिए विभिन्न संक्षिप्त पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विषय का क्षेत्र व्यापक होता है तथा उनमें जो भी विषय रखे जाते हैं वे प्रायः व्यावहारिक होते हैं। इस प्रकार एक वर्ष की अवधि में लगभग चालीस पाठ्यक्रमों तक का आयोजन कर लिया जाता है। कुछ विषयों पर पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति भी की जाती है और नवीन क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है। एसलिब द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनी एक पहचान बना चुके हैं और इससे लाभ उठाने वालो की संख्या बढ़ी है।

(च) भविष्य के लिए परिदृश्य

एसलिब के पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों में काफी बदलाव आया है। साथ ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले कार्यक्रम भी बदले हैं। पुस्तकालयों को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य गौण हो गया है तथा सूचना का व्यवस्थापन और प्रबंधन इसका मूल कार्यक्रम बन चुका है। फिर भी, एसलिब का यू के तथा दुनियाँ के अन्य देशों के विशेष पुस्तकालयों के ऊपर वर्चस्व कायम है। यह अब एक सेवा-प्रदायक केन्द्र के रूप में उभर रहा है।

5.4 इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एण्ड इन्स्टीट्युशन्स (इफ्ला)

इफ्ला (IFLA : International Federation of Library Associations and Institutions) की स्थापना सन् 1929 में एक गैर-सरकारी व्यावसायिक संगठन के रूप में की गई। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य विभिन्न पुस्तकालय संघों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना है। प्रथम दो दशकों में, यह प्रायः यूरोप तथा अमेरिका के पुस्तकालय व्यवसायियों का मंच बना रहा। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद इसे यूनेस्को द्वारा परामर्शक का दर्जा प्रदान कर दिया गया और यह धीरे-धीरे इस दिशा में इसका विकास होने लगा। सन् 1961 में इफ्ला ने प्रसूचीकरण सिद्धांत पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Cataloguing Principles) का आयोजन पेरिस में किया जिसके कारण इफ्ला को बहुत प्रसिद्धि मिली। सन् 1971 में इसका मुख्यालय होगा (Hague) में स्थानान्तरित हो जाने के पश्चात् हर्मन लीबेयर्स (Herman Liebaers) की अध्यक्षता में इसकी गतिविधियों में विस्तार हुआ तथा इसके अन्तरराष्ट्रीय सदस्यों की सूची भी लम्बी हुई। वर्तमान समय में कुछ प्रमुख परियोजनाओं तथा विभिन्न लघु कार्यक्रमों के द्वारा इफ्ला विश्वस्तर पर पुस्तकालयों को प्रोत्साहन देने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है।

इफ्ला का प्रमुख उद्देश्य हैं : पुस्तकालय प्रक्रिया से संबंधित समस्त क्षेत्रों में ग्रंथात्मक एवं सूचना सेवा लिए अन्तरराष्ट्रीय समझ को प्रोत्साहित करने, सहयोग को बढ़ावा देने, विचार-विमर्श जारी रखने, शोध तथा विकास को सबल बनाने तथा पुस्तकालय सेवा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखारने के लिए एक मंच प्रस्तुत करना।

इफ्ला में दो प्रकार के सदस्य हैं-संघ, तथा संस्थान। सन् 1986 तक इफ्ला के सदस्य के रूप में 123 देशों के संघ तथा 823 संस्थान सदस्य के रूप में पंजीकृत थे। इनके अतिरिक्त यह व्यक्तियों को संबंद्ध-सदस्यता (personal affiliates) प्रदान करता है तथा एफ आई डी की गतिविधियों जैसी गतिविधियों में संलग्न अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं को परामर्शदायी निकायों के रूप में स्वीकृति देता है।

इसके सदस्यों के द्वारा एक परिषद् का चुनाव किया जाता है जो इसके सर्वोच्च शासकीय निकाय के रूप में कार्य करती है। इसके प्रमुख परिचालक निकाय के रूप में एक कार्यकारी बोर्ड (Executive Boards) तथा कई व्यावसायिक बोर्ड (professional Boards) कार्य करते हैं। कार्यकारी बोर्ड व्यावसायिक

गतिविधियों के प्रशासन तथा व्यवस्थापन का कार्य करता है तथा व्यावसायिक बोर्ड व्यावसायिक गतिविधियों के नियोजन तथा समन्वयन का कार्य करते हैं। व्यावसायिक कार्यों के निष्पादन के लिए गोल मेजों (Round Tables) तथा कार्यकारी दलों (Working Groups) का गठन भी किया जाता है। इफ्ला के इन्टरनेशनल ऑफिस फॉर बिब्लियोग्राफिक कन्ट्रोल (International Office for Bibliographic Control) तथा ऑफिस फॉर इन्टरनेशनल लेण्डिंग (Office for International Lending) क्रमशः ब्रिटिश लाइब्रेरी के रेफरेंस तथा लेण्डिंग विभाग (British Library Reference and Lending Division) में अवस्थित हैं। इसके दो क्षेत्रीय ब्यूरो कार्यालय (Regional Bureaus) भी बनाए गए हैं जो कुवाला लम्पु मलेशिया (Kuala Lumpu, Malaysia), तथा डाकर, सेनेगल (Dakar, Senegal) में अवस्थित हैं।

इफ्ला की गतिविधियाँ मीडियम टर्म प्रोग्राम (MTP : Medium Term Programme) के द्वारा निर्देशित होती हैं। इनका निर्माण प्रोग्राम डेवलपमेन्ट ग्रुप (Programme Development Group) के द्वारा कुछ विशेष अवधि के लिए किया जाता है, जैसे 1976-80, 81-85 तथा 1986-90 की अवधि के लिए। इफ्ला द्वारा अपने जिन कार्यों को प्रमुखता दी जाती है, उनमें सन् 1974 में शुरू किए गए युनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कन्ट्रोल (UBC : Universal Bibliographic Control), युनिवर्सल अवेलिबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन्स (UPA : Universal Availability of Publications), इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड बिब्लियोग्राफिक डेस्क्रीप्शन (ISBD : International Standard Bibliographic Description), तथा अन्तरराष्ट्रीय मार्क (International MARC) प्रमुख हैं। इनसे संबंधित कार्यक्रमों के लिए यूनेस्को द्वारा पर्याप्त सहायता मिलती है। पूरे विश्व पर इनका प्रभाव पड़ा है। इफ्ला की अन्य प्रमुख गतिविधियों में तीसरी दुनियाँ के देशों के पुस्तकालयों का विकास शामिल है। इस कार्य के लिए यह एशिया, अफ्रीका, अमेरिका तथा कैरिबियन देशों (Asia, Africa, America and Carribean countries) से भाग लेने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों की सूची रखता है तथा समय समय पर इनकी जानकारी एवं विकास के लिए सम्मेलन, संगोष्ठी, परिसंवाद, शिक्षावृत्ति इत्यादि की व्यवस्था करता रहता है।

इसके अन्य क्रियाकलापों के रूप में हम इसके द्वारा किये जाने वाले विभिन्न उन अध्ययनों को ले सकते हैं, जो विकासशील देशों में सूचीकरण, पुस्तकालय विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम बनाने में कठिनाई के निवारण, ब्रेल पुस्तकों (Braille books) के निर्माण में कठिनाई, तथा गाँवों में पुस्तकालय सेवा जैसी समस्याओं से संबंधित होते हैं। इनके अतिरिक्त इफ्ला ने अन्य क्षेत्रों जैसे पुस्तकालय कार्य के लिए मानक, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए अधिनियम, पुस्तकालयों की सांख्यिकी जैसे विषयों में भी अपनी रुचि दिखाई है।

इफ्ला के आम वार्षिक सम्मेलन भी कतिपय आकर्षण का केन्द्र बनते जा रहे हैं, जो पुस्तकालयाध्यक्षों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कराने के कार्य को प्रोत्साहित करते हैं। लगभग 2000 प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिवर्ष इसके वार्षिक आम सम्मेलन में भाग लिया जाता रहा है। वार्षिक सम्मेलन के साथ सम्मेलन के पूर्व एवं बाद में अनेक विचार गोष्ठियाँ तथा गोल मेज बैठकें आयोजित की जाती रही हैं जिनका संबंध किसी न किसी विशिष्ट विषय-क्षेत्र से होता है।

एफ्ला के सामयिक प्रकाशनों के रूप में इफ्ला जर्नल (IFLA Journal) (त्रैमासिक), इन्टरनेशनल कैटलॉगिंग (International Cataloguing) (त्रैमासिक), इफ्ला ऐनुअल (IFLA Annual) तथा इफ्ला डाइरेक्टरी (IFLA Directory) (वार्षिक), का नाम लिया जा सकता है। मोनोग्राफ ग्रन्थमाला के रूप में इफ्ला द्वारा बहुसंख्यक उपयोगी प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है जो के जी सौर (K. G. Saur) (म्युनित्व/लंदन) द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। इसके द्वारा यू बी सी शृंखला के अंतर्गत भी प्रलेख प्रकाशित किए जाते हैं।

NOTES

जहाँ तक इफ्ला में भारत की भागीदारी का प्रश्न है, इसने विलम्ब से ही अब इफ्ला के कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन तथा देश के अन्य कुछ दूसरे व्यावसायिक संघ तथा संस्थान भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। इफ्ला के कार्यकारी मंडल (Executive Board) में भारत काभी प्रतिनिधित्व है। यू ए पी पर इफ्ला के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन सन् 1985 में नई दिल्ली में आइ एल ए द्वारा किया गया था। यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सन् 1992 में इफ्ला जेनरल कान्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था जिसकी मेजबानी आइ एल ए ने की थी।

5.5 इन्टरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्फॉर्मेशन एण्ड डॉक्युमेन्टेशन (एफ आई डी)

एफ आई डी (FID : International Federation for Information and Documentation) की स्थापना पाल ऑट्लेट (Paul Outlet) तथा हेनरी लॉं फाण्टेन (Henri La Fontaine) के द्वारा बेल्जियम में 1895 में इन्टरनेशनल इंस्टीट्युट ऑफ बिब्लियोग्राफी के रूप में की गई थी। इसके नाम में 'इंफार्मेशन' शब्द 1986 में जोड़ा गया परंतु इसका संक्षिप्त रूप एफ आइ डी प्रचलित रहा। इसकी स्थापना का प्रारंभिक उद्देश्य था, डेवी डेसिमल क्लैसिफिकेशन के आधार पर यूनिवर्सल डेमिसल क्लैसिफिकेशन (UDC : Universal Decimal Classification) का निर्माण तथा उसका रख-रखाव, ताकि ग्रंथात्मक प्रविष्टियों के सार्वभौमिक ग्रन्थसूची का भण्डार बनाया जा सके। यद्यपि सार्वभौमिक ग्रंथसूची संग्रह परियोजना (Universal Bibliographic Repertory Project) असफल हो गई, परन्तु तब तक आई आई बी (IIB) अपनी विरासत छोड़ चुका था जो एफ आइ डी तथा यू डी सी के विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हुआ। इस कारण यू डी सी को आज के संदर्भ में सूचना एवं ज्ञान के वर्गीकरण के लिए प्रमुख वर्गीकरण प्रणाली के रूप में मान्यता मिली है।

प्रारंभ में एक आइ डी की गतिविधियाँ अत्यंत सीमित थीं तथा इसमें यूरोप के देशों के द्वारा ही भागीदारी की जाती थी। लेकिन 1938 में जब इसका मुख्यालय पूर्णरूपेण हेग (Hague) में स्थानान्तरित हो गया तो इन्टरनेशनल इन्सटीट्युट ने अपना नाम बदल कर 'इन्टरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्युमेन्टेशन' रख लिया ताकि इसकी गतिविधियों में जुड़े नये आयाम, अर्थात् प्रलेखन कार्य की झाँकी इसके नाम में मिल सके। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त इसके सदस्यों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी जिसके कारण इसे एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का दर्जा मिला।

एफ आइ डी निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक संगठन है। एक एक गैरसरकारी संस्था है। इसके हेग स्थित मुख्यालय से ही इसका स्थाई सचिवालय भी कार्य करता है। इसके सदस्य के रूप में राष्ट्रीय सदस्य (अलग-अलग साठ देश), दो अन्तरराष्ट्रीय सदस्य, तथा बड़ी संख्या में संबद्ध सदस्य हैं। इसकी आय के स्रोत के रूप में, सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क एवं प्रकाशन की बिक्री से प्राप्त राशि तथा यूनेस्को से मिलने वाला अनुदान, प्रमुख हैं।

इसका अभिशासन इसकी आम सभा (General Assembly) के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आम सभा की बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं। फेडरेशन की नीतियों को लागू करने के लिए एक परिषद् को अधिकृत किया गया है। परिषद् का गठन आम सभा के प्रतिनिधियों से ही तथा उनमें से ही चुनाव के द्वारा किया जाता है। फेडरेशन के कार्यों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। फेडरेशन के अध्यक्ष, स्थायी सचिव तथा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से कार्यकारी समिति का गठन होता है।

एफ आइ डी के कार्य विभिन्न तकनीकी समितियों तथा कार्यदलों (Task Forces) के माध्यम से सम्पन्न होते हैं। ये कार्यदल विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे : सूचना के सैद्धांतिक आधार पर शोध, सूचना विज्ञान, पारिभाषिक शब्दावली, प्रलेखन में भाषा विज्ञान, वर्गीकरण इत्यादि के ऊपर शोध कार्य। केन्द्रीय वर्गीकरण समिति-जो यू डी सी (UDC) में संशोधन हेतु सहयोग करती है : ब्राड सिस्टम ऑफ आर्डरिंग (Broad System of Ordering), सूचना प्रणाली एवं नेटवर्किंग डिजाइन (Information System and Networking Design), शिक्षा तथा प्रशिक्षण, पाठकों की आवश्यकता का अध्ययन, समाज विज्ञान में प्रलेखन एवं सूचना इत्यादि के संबंध में शोध कार्य इत्यादि। इन समितियों का गठन एफ आई डी की तकनीकी कार्यक्रमों की समीक्षा तथा योजना का निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर विकास के लिए एफ आइ डी के द्वारा रिजनल कमीशन फॉर एशिया एण्ड ओशिएनिया (FID/CAO : Regional Commission for Asia and Oceania) तथा रीजनल कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका (FID/CLA : Regional Commission for Latin America) का गठन किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा सूचना तथा प्रलेखन के क्षेत्रों में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य से एफ आइ डी तीन प्रमुख योजनाओं का निर्देशन करता है। ये तीन योजनाएँ हैं : आउटलाइन ऑफ लांग-टर्म पॉलिसी (Outline of Long-Term Policy) (1960), एफ आइ डी कार्यक्रम (FID Programme) (1970) तथा न्यू प्रोग्राम स्ट्रक्चर (New Programme Structure (1978)।

एफ आई डी ने अब तक अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु अब इसने और नयी योजनाएँ बनाई हैं। एफ आई डी की रुचि के सामान्य विषय हैं : सूचना स्रोत, सूचना भण्डारण एवं पुनर्प्राप्ति, पुनर्संवेष्ठन (Repackaging), सूचना सम्प्रेषण, सूचना के गुणधर्म, तथा पाठकों की आवश्यकताओं एवं उनके व्यक्तिगत विकास के लिए सूचना उपलब्ध कराना। इसकी रुचि के विशिष्ट विषय हैं : व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण; अनुवाद, वर्गीकरण एवं अनुक्रमणीकरण इत्यादि जैसे कार्यों के लिए सहायता। सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाओं का प्रचार करना, मुख्य कार्यक्रमों को सबल बनाना तथा विभिन्न क्रियाकलापों के संहवन के लिए रूपरेखा तैयार करना भी इसके प्रमुख कार्य हैं।

यू डी सी (Universal Decimal Classification) के संसोधन, उसके विकास तथा रख-रखाव के लिए एफ आइ डी सीधे जिम्मेदार है। सेन्ट्रल क्लैसिफिकेशन कमिटि (FID/CCC : Central Classification Committee) के पूर्ण समन्वयन के अन्तर्गत तीस से अधिक यू डी सी संशोधन समितियाँ (UDC Revision Committees) यू डी सी के विकास कार्य में अपना अपेक्षित सहयोग देती हैं। अन्य क्षेत्रों में इसके क्रियाकलापों का निष्पादन अनेक तकनीकी समितियों तथा कार्यदलों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप अनेक प्रतिवेदनों, प्रकाशनों इत्यादि को जारी किया गया है। यदाकदा सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा बैठकों का आयोजन भी तकनीकी समितियों के द्वारा होता है जिनके केन्द्र बिन्दु तकनीकी विषय ही होते हैं जो उपयोगी अनुशंसाओं के साथ प्रकाशित किए जाते हैं।

प्रत्येक दो वर्षों के अंतराल से एफ आइ डी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर सम्मेलनों (Congress) का आयोजन किया जाता है। सामान्यत: सम्मेलन के लिए एक आम विषय का चुनाव किया जाता है। सम्मेलन के पहले प्रस्तुत किए गए लेखों का खण्ड प्रकाशित किया जाता है। इसके सम्मेलन में सदस्यों की उपस्थिति की संख्या पर्याप्त रहती है। द्विवार्षिक सम्मेलन तथा तकनीकी समितियों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु कभी-कभी अध्ययन गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है। एफ आई डी/सी ए ओ (FID/CAO), एफ आइ डी/सी एल ए (FID/CLA) तथा क्षेत्रीय आयोगों द्वारा भी द्विवार्षिक सम्मेलनों तथा साधारण सभाओं का आयोजन किया जाता है।

NOTES

मोनोग्राफों के प्रकाशन के सक्रिय कार्यक्रम के अतिरिक्त एफ आई डी द्वारा मासिक रूप में एफ आई डी न्यूज बुलेटिन (FID News Bulletin) अंग्रेजी तथा रूसी भाषा में त्रैमासिक इन्टरनेशनल फोरम ऑन इन्फॉर्मेशन (Quarterly International Forum on Information), द्विमासिक रूप में आर एण्ड डी प्रोजेक्ट इन डॉक्युमेन्टेशन एण्ड लाइब्रेरियनशिप (R & D Projects in Documentation and Librarianship), वार्षिक रूप में एक्सटेंशन्स एण्ड करेक्शन्स टु द यू डी सी (Extensions and Corrections to the UDC) तथा द्विवार्षिक रूप में एफ आई डी डायरेक्टरी (FID Directory) इत्यादि का प्रकाशन भी किया जाता है।

एफ आइ डी के द्वारा अन्य संगठनों जैसे- यूनेस्को, इफ्ला, इन्टरनेशनल काउंसिल ऑफ अरकाइव्स (International Council of Archives) तथा इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन फॉर स्टैण्डर्डाइजेशन (ISO : International Organisation for Standardisation) की टेक्निकल कमिटी 46 (ISO/TC 46) इत्यादि को भी उनके कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया जाता है।

एफ आइ डी के साथ भारत का संबंध सन् 1948 से प्रारंभ हुआ। एफ आइ डी के भूतपूर्व मुख्य सचिव डॉ. डोंकर ड्यूविस (Dr. Donker Duyvis) के अनुरोध पर स्वर्गीय डॉ. एस. आर. रंगनाथन ने एफ आइ डी/सी ए (FID/CA-Committe for General Theory of Classification) तथा एफ आइ डी/सी आर (FID/CR-Committee for Classification Research) का कार्यभार संभाला।

एस. आर. रंगनाथन ने विगत दो दशकों तक इन समितियों के क्रमशः रैपोर्टियर-जेनरल (Rapporteur-General) तथा मानद अध्यक्ष (Honorary Chairman) की हैसियत से महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्सडॉक अपनी स्थापना वर्ष 1952 से ही एफ आइ डी का राष्ट्रीय सदस्य है। भारतीय प्रतिनिधि कई वर्षों तक एफ आइ डी के उपाध्यक्ष तथा परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे हैं। वर्ष 1957 में एफ आई डी द्वारा डॉ. रंगनाथन को मानद सदस्य (Member of Honour) चुना गया। आजकल इन्सडॉक सूचना सेवा के लिए गठित एफ आई डी/आइ एम (FID/IM) समितियों की अध्यक्षता कर रहा है तथा उनके सचिवालय भी इन्सडॉक में स्थित हैं। एफ आइ डी की अनेक तकनीकी समितियों में भी भारत का प्रतिनिधित्व है, जैसे- एफ आइ डी/सी आर (FID/CR): एफ आइ डी/ई टी (FID/ET): एफ आइ डी/आइ आइ (FID/II); एफ आइ डी/एस डी (FID/SD); एफ आइ डी/पी डी (FID/PD)। वर्गीकरण से संबंधित शोध विषय पर आयोजित तृतीय अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन की सन् 1975 में तथा वर्गीकरण शोध पर दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन की 1985 में भारत द्वारा में मेजबानी की जा चुकी है। एफ आइ डी के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए इन्सडॉक द्वारा एफ आइ डी के लिए विशेष रूप से एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त सन् 1998 में 49वें एफ आइ डी कांफ्रेंस एण्ड कांग्रेस (49th FID Conference and Congress) की मेजबानी इन्सडॉक द्वारा की गई थी।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

....

....

....

....

6. सार-संक्षेप

पुस्तकालय संघ एक विद्वत संस्था है, जो अपने सदस्यों में लोक सेवा की भावना के विस्तार हेतु पुस्तकालय सेवा का विकास करने के लिए अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए, तथा पुस्तकालय व्यवसाय की छवि को निखारने के लिए कार्य करता है।

इस अध्याय में हमने :

(i) भारत, अमेरिका तथा यू के के राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघों की भूमिका, लक्ष्य, उद्देश्यों, कार्यक्रमों, तथा गतिविधियों पर विचार किया है;

(ii) भारत के दो प्रमुख संघों अर्थात् इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ILA), तथा एसोसिएशन ऑफ़ स्पेशल लाइब्रेरिज एण्ड इन्फॉर्मेशन सेन्टर्स (IASLIC) का वर्णन किया है; उनके उद्देश्यों, संगठनात्मक ढाँचे, क्रियाकलापों, प्रकाशनों, शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तथा परामर्शी सेवा पर प्रकाश डाला है; तथा अन्य व्यावसायिक निकायों से उनके संबंध, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध तथा भविश्य के परिदृश्य की चर्चा की है।

(iii) अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ALA), यू के के लाइब्रेरी एसोसिएशन (The Library Association) तथा यू के के ही एसोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेन्ट (ASLIB), और इफ्ला (IFLA), तथा एफ आइ डी (FID) के उद्देश्यों, संगठनात्मक ढाँचे, क्रियाकलापों, प्रकाशनों इत्यादि का वर्णन किया है; सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम तथा पुस्तकालय शोध से संबंधित उनकी भूमिका तथा अन्य संस्थाओं के साथ उनके संबंध, इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार एवं पारितोषिक, अन्तरराष्ट्रीय संबंध तथा भविष्य के परिदृश्य इत्यादि का अध्ययन किया है।

7. प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. पुस्तकालयों का संघ एक विद्वत संस्था है। इसका कार्य किसी देश में पुस्तकालय आन्दोलन का विकास करना एवं इसको प्रोत्साहन देना है। ये संघ पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रक्रिया में पुस्तकालयों के संघ अपने व्यवसाय एवं व्यवसायियों की बेहतरी और विकास के लिए प्रयास करते हैं।

   व्यावसायिक संघों की स्थापना मूलत: संबंधित क्षेत्र के व्यवसायियों द्वारा तथा व्यवसायियों के लिए की जाती है जैसे कि पुस्तकालयाध्यक्षों, पुस्तकालय के कार्मिकों, पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों, पुस्तकालय उपयोक्ताओं इत्यादि के संघ।

2. पुस्तकालयों के संघ की स्थापना निम्नलिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है:

   - अपने देश में ज्ञान एवं सूचना तथा मानव संसाधान विकास के लिए पुस्तकालय आन्दोलन में अग्रदूत की भूमिका का निर्वाह करना;

   - सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को लागू कराने के लिए काम करना, इसके लिए प्रगतिशील तथा स्वस्थ सिद्धांतों पर आधारित एक विधेयक का प्रारूप तैयार करना, जनता में पुस्तकालय चेतना को जगाना, ताकि वे उपयुक्त सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के लिए अधिकारपूर्ण मांग

NOTES

कर सकें; स्वस्थ पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए सामाजिक दबाव को गतिशील करना;

- राष्ट्रीय नीति पर आधारित एकीकृत राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के विकास के लिए प्रयास करना, पुस्तकालय के वर्तमान बुनियादी ढाँचे में व्याप्त कमियों की ओर पदाधिकारी वर्ग का ध्यान आकृष्ट करना;
- पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए सूचना, विचारों, अनुभवों, तथा सुविज्ञता के परस्पर विनियम के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करना, पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन, पदमान, सेवा-शर्तों इत्यादि की बेहतरी के लिए कार्य करना;
- पुस्तकालय व्यवसाय के प्रति समाज में उच्च धारणा का निर्माण करना, पुस्तकालयों एवं पुस्तक व्यवसायियों के बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- संसाधनों की साझेदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यों में पुनरावृत्ति को रोकना;
- पुस्तकालय एवं सूचना कार्य के लिए जन-शक्ति विकसित करना जिसके अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, प्रेरणादायक कार्य, पुरस्कार एवं इनाम इत्यादि सम्मिलित है।

3. भारत में पुस्तकालय संघों की उपस्थिति के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। उदाहरण लिए, बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन (1910), आँध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, (1914), बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन (1927) तथा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन (1927) का उल्लेख किया जा सकता है। इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना सन् 1933 में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में पुस्तकालयों के संघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

   वर्तमान समय में हमारे देश में अनेक राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के पुस्तकालय संघ कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे संघ भी हैं जो विशेष श्रेणियों, विषयों तथा अन्य विशिष्ट रुचि क्षेत्र के पुस्तकालयों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया लाइब्रेरिज एसोसिएशन (GILA : Government of India Libraries Association), इण्डियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइंस (IATLIS : Indian Association of Teachers of Library and Information Science), माइक्रोग्राफिक कांग्रेस ऑफ इण्डिया (MIC : Micrographic Congress of India), सोसाइटी फॉर इन्फॉर्मेशन साइंस (SIS : Society of Information Science)) इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है।

4. इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (ILA : Inidan Library Association) की स्थापना सन् 1933 में कलकत्ता में की गई थी। यह एक पंजीकृत संस्था है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में कार्यरत है। यह संघ एक राष्ट्रीय स्तर का प्रथम राष्ट्रीय संघ है जो पूरे देश के पुस्तकालय व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है।

   इस संघ की स्थापना सितम्बर, 1933 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के समय कलकत्ता में हुई। इस सम्मेलन के आयोजन हेतु उस समय के सभी विख्यात पुस्तकालयाध्यक्ष सहायक सिद्ध हुए, तथा इस सम्मेलन के माध्यम से उनका उद्देश्य इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना करना था। सन् 1933 से लेकर 1947 के मध्य देश के विभिन्न भागों में सात अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। अपने आधिकारिक मुख पत्र (Official Organ) के रूप में आई एल ए द्वारा लाइब्रेरी बुलेटिन (Library Bulletin) नामक पत्रिका का प्रकाशन

किया जाता है। आइ एल ए द्वारा डायरेक्ट्री ऑफ इण्डियन लाइब्रेरिज (Directory of Indian Libraries) का प्रकाशन भी किया जाता है। आजादी के बाद इस संघ की गतिविधियाँ धूप-छाहीं स्थितियों से गुजरी हैं।

8. मुख्य शब्द

अनवरत शिक्षा/सत्त शिक्षा (Continuing Education)	:	अपने ज्ञान तथा अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए कार्य में संलग्न व्यवसायियों के लाभार्थ अनौपचारिक शिक्षा।
आचार-शास्त्र (Ethics)	:	किसी समूह-विशेष द्वारा आचार-व्यवहार के लिए स्वीकृति नियम।
आधिकारिक मुखपत्र (Official Organ)	:	किसी समूह-विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई पत्र, पत्रिका, समाचार-पत्र या अन्य प्रकाशन।
उद्देश्य (Objectives)	:	ऐसे विशिष्ट लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना अभीष्ट हो।
कार्यक्रम (Programme)	:	एक समन्वित कार्य-समूह जिसे सम्पादित या निष्पादित करना हो।
पुस्तकालय आन्दोलन	:	ज्ञान एवं सूचना के सार्वजनिक अभिगम को सुलभ बनाने के लिए पुस्तकालयों का उत्तरोत्तर विकास।
मंच (Forum)	:	किसी समूह-विशेष की समान-रुचियों से संबंधित मुद्दों या विषयों पर चर्चा-परिचर्चा करने के लिए एक सार्वजनिक स्थल।
मानक (Standard)	:	आदर्श, पथ-प्रदर्शक अथवा पथ-प्रदर्शन के लिए प्रतिमान।
व्यवसाय (Profession)	:	किसी ऐसी आजीविका में संलग्न व्यक्तियों का निकाय, जिसमें भाग लेने के लिए कला या विज्ञान की किसी शाखा में गहन शिक्षा की आवश्यकता हो।

9. अभ्यास-प्रश्न

1. व्यावसायिक संघों की आवश्यकता एवं महत्व का विवेचन कीजिए।
2. पुस्तकालय संघों के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का वर्णन कीजिए।
3. भारत के पुस्तकालय संघों का सामान्य लेखा-जोखा प्रस्तुत कीजिए।
4. अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन (A.L.A.) के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
5. दि लाइब्रेरी एसोसिएशन (एल. ए. यू के) के संगठन एवं गतिविधियों पर एक लघु निबन्ध लिखिए।

NOTES

10. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

American Library Association (1986), ALA World Encyclopaedia of Library and Information Science. 2nd ed. Chicago : American Library Association. pp. 43-49, 462-467.

Halsam, D. D. (1975). An Encyclopaedia of Library and Information Science. Marcel Decker, New York : The Library Association. Vol. 14, pp 312-337.

IASLIC, ILA, LA (UK) : Annual Report and Statement of Accounts (last five years).

Stern, J. (1986). An Encyclopeadia of Library and Information Sciences. Marcel Decker, New York : LA. Vol. 1. p. - 666.

Stevenson Grace, T. (1968). An Encyclopaedia of Library and Information Sciences. Marcel Decker, New York : American Library Association. Vol 1.pp. 267-302.

Prytherch, Ray (Comp.) (1987). Harrod's Librarian's Glossary and Reference Book. 6th ed. USA : Gower Pub. Co.

अध्याय-16

पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के विकास में संलग्न संगठन एवं संस्थान

अध्याय में सम्मिलित है :

1. अध्ययन के उद्देश्य
2. परिचय
3. अन्तरराष्ट्रीय संगठन
   3.1 यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइन्टिफिक एण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (यूनेस्को)
4. भारत के राष्ट्रीय संगठन
   4.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी)
   4.2 राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन (आर आर आर एल एफ)
5. विश्वस्तरीय सूचना प्रणालियाँ
   5.1 यूनाइटेड नेशन्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (यूनिसिस्ट) एवं जनरल इफॉर्मेशन प्रोग्राम (पी जी आई)
   5.2 इन्टरनेशनल न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (इनिस)
   5.3 इन्टरनेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑन एग्रीकल्चरल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी (एग्रिस)
6. भारत की राष्ट्रीय सूचना प्रणालियाँ
   6.1 नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (निसात)
   6.2 निसात द्वारा प्रायोजित स्थानीय पुस्तकालय नेटवर्क (एल एल एन)
7. भारत के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र
   7.1 इण्डियन नेशनल साइन्टिफिक डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर (इन्सडॉक)
   7.2 नेशनल सोशल साइंस डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर (नैसडॉक)
   7.3 डिफेन्स साइंस इन्फॉर्मेशन एण्ड डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर (डेसीडॉक)
8. सार-संक्षेप
9. स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्नों के उत्तर
10. अभ्यास-प्रश्न
11. संदर्भ ग्रन्थ सूची

NOTES

1. अध्ययन के उद्देश्य

अध्याय 15 में हमने व्यावसायिक संघों तथा पुस्तकालय विकास में उनके योगदान के बार में जानकारी प्राप्त की है। इस अध्याय में राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर के कुछ विशिष्ट संगठनों प्रणालियों, और केन्द्रों का विवरण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित व्यावसायिक निकायों की गतिविधियों की जानकारी दी गई है।

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :

- निम्नलिखित का विस्तृत वर्णन कर पाएँगे :
  - (क) पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के विकास में संलग्न अन्तरराष्ट्रीय संगठन;
  - (ख) सूचना के संग्रह, प्रक्रियाकरण एवं प्रसार के लिए समर्पित विश्वस्तरीय सूचना प्रणालियाँ;
  - (ग) सूचना सेवाओं के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए समर्पित भारत की राष्ट्रीय सूचना प्रणालियाँ; तथा
  - (घ) सूचना से संबंधित कतिपय कार्यों का निष्पादन करने वाले राष्ट्रीय स्तर के भारतीय सूचना केन्द्र।
- इन संगठनों द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के प्रोन्नयन, समन्वयन तथा विकास के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की व्याख्या कर पाएँगे।
- कुछ प्रतिनिधिक संगठनों एवं प्रणालियों, जैसे- यूनेस्को (UNESCO), यू जी सी (UGC), आर आर आर एल एफ (RRRLF), नेसडॉक (NASSDOC), यूनिसिस्ट (UNISIST), इनिस (INIS), एग्रिस (AGRIS), निसात (NISSAT), तथा निसात द्वारा प्रायोजित स्थानीय पुस्तकालय नेटवर्क, इन्सडॉक (INSDOC), डेसीडॉक (DESIDOC), तथा नैसडॉक (NASSDOC) की भूमिकाओं को समझ सकेंगे।

2. परिचय

राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आज कुछ संगठन, प्रणालियाँ तथा केन्द्र हैं जो पुस्तकालय एवं सूचना सेवा प्रोत्साहन देने, उसके समन्वय तथा विकास के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इनके अन्तर्गत शासी निकायों के साथ-साथ अनेक ऐच्छिक व्यावसायिक संगठन भी हैं। इनकी भूमिका परामर्शी, उत्प्रेरक, अनुदान देने वाली या सेवामुखी श्रेणियों से संबंधित है। आजकल सूचना के संचालन तथा सूचना सेवाओं में सिस्टम एप्रोच, संसाधन की सहभागिता और सहयोग पर बल दिया जा रहा है। ऐसी सिथति में इन संगठनों, प्रणालियों और केन्द्रों की उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है।

इस अध्याय में सुस्थापित अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संगठनों जैसे- यूनेस्को, यूनिसिस्ट; अन्तरराष्ट्रीय सूचना प्रणालियों, जैसे- इन्टरनेशनल न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (इनिस), इन्टरनेशनल सिस्टम ऑन एग्रीकल्चर साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी (एग्रिस); राष्ट्रीय स्तर के संगठनों जैसे यू जी सी तथा राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, नेशनल इन्फार्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया; तथा भारत के राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्रों, जैसे- इंडियन नेशनल साइन्टिफिक डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर (इन्सडॉक), नेशनल सोशल साइंस डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर (नैसडॉक) तथा डिफेन्स साइंस इंफॉर्मेशन एण्ड डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर (डेसीडॉक) का विवरणात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है।

3. अन्तरराष्ट्रीय संगठन

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संगठनों की संख्या विपुल है। इस स्तर के संगठनों के द्वारा विभिन्न देशों के बीच विविध सूचनाओं तथा अपने विचार तथा अनुभवों को आपस में बाँटने एवं विनिमय करने के लिए पारस्परिक सहयोग एवं संबंध का पालन किया जाता है। इनमें से कुछ अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संगठन, जैसे एफ आई डी (FID) काफी पुराने हैं। इन केन्द्रों की स्थापना के

पीछे मुख्य रूप से सार्वभौमिक ग्रन्थपरक नियंत्रण का उद्देश्य रखा गया है। यद्यपि एफ आई डी, तथा इफ्ला (IFLA) की स्थापना विस्तृत क्षेत्रों के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है, लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट संगठन भी हैं जो विशिष्ट एग्रीकल्चर क्षेत्रों से संबंधित सूचना सेवा का कार्य करते हैं जैसे- इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरियन्स एण्ड डॉक्युमेन्टलिस्ट (International Association of Agricultural Librarians and Documentalist), इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ला लाइब्रेरिज (International Association of Libraries), इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूनीवर्सिटी लाइब्रेरिज (International Association of Technological University Libraries)। यूनेस्को जो पुस्तकालयों, प्रलेखन, एवं सूचना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की पद्धति में कार्य करता है तथा एफ एक ओ (FAO), डब्लू एच ओ (WHO) तथा यूनिडो (UNIDO) जैसी संस्थाएँ जो अन्तरसरकारी संस्थाएँ हैं, को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है।

एफ आई डी इफ्ला (IFLA) तथा इस प्रकार के अन्य व्यवसायिक मंच हैं जिनका गठन अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा ज्ञान एवं अनुभवों के विनिमय तथा एकीकरण के लिए किया गया है। पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के विकास के लिए ये वार्षिक या द्विवार्षिक सम्मेलनों का आयोजन, विभिन्न परियोजनाओं का संचालन, विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन, परामर्शी भूमिकाओं का निर्वहन तथा सदस्य राष्ट्रों को सहयोग देने जैसे उत्तरदायित्वों के निर्वहन का कार्य भी करते हैं। दूसरी ओर यूनेस्को जैसे निकायों द्वारा सदस्य राष्ट्रों में पुस्तकालय तथा सूचना सेवा की उन्नति तथा विकास के लिए उत्प्रेरक विधियाँ, तकनीकी सहयोग, मानकीकरण, प्रशिक्षण कम्प्यूटर के अनुप्रयोग इत्यादि को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा क्षेत्रीय परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है।

3.1 यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइन्टिफिक एण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (यूनेस्को)

यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइंटिफिक एण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) की स्थापना सन् 1946 में संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली से संबद्ध एक अंतरसकारी एजेंसी के रूप में की गई। इसकी गतिविधियों का संबंध जिन विषयों से है उनकी जानकारी इसके नाम से ही मिल जाती है। साथ ही पुस्तकालय, प्रलेखन, सूचना, अभिलेखागारों, पुस्तक उत्पादन, प्रतिलिप्यधिकार एवं अन्य समान मामलों के साथ भी इसका संबंध है। इन सभी विषय-क्षेत्रों से संबंधित कार्य का संचालन यूनेस्को के मुख्यालय में गठित विभिन्न इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। यूनेस्को के दो विभागों-सूचना विभाग तथा प्रलेखन विभाग, जिनके द्वारा यूनिसिस्ट की गतिविधियों का संचालन किया जाता रहा है-को मिलाकर सन् 1976 में एक नये विभाग का गठन किया गया जिसे सामान्य सूचना कार्यक्रम या जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम (PGI : General Information Programme) कहते हैं। यूनेस्को की सूचना संचालन से संबंधित सेवाएँ, जैसे- प्रलेखन प्रणाली विभाग, कम्प्यूटर-आधारित प्रलेखन सेवाएँ, यूनेस्को पुस्तकालय तथा यूनेस्को अभिलेखागार प्रशासनिक रूप से पी जी आई से पृथक् हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि अभी हाल में इन दोनों (पी जी आई तथा सूचना संचालन से संबंधित सेवाएँ) को सामान्य सूचना सेवा के (General Information Services) रूप में एक ही प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कर दिया गया है।

प्रारंभ से ही यूनेस्को सक्रिय रूप में पुस्तकालय सेवा को प्रोत्साहन तथा सहयोग देने तथा इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसकी भूमिकाएँ प्रोत्साहन देने, परामर्शी, उत्प्रेरक तथा संवेदी प्रकृति की रही हैं। अपने तकनीकी सहायता कार्यक्रम (Technical Assistance Programme) तथा यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (UNDP : United Nations Devlopment Programme) के कार्यक्रमों के अंतर्गत यह विभिन्न परियोजनाएँ चलाता है जिनमें गोष्ठियों, सम्मेलनों तथा बैठकों का आयोजन किया जाता है; विशेषज्ञ, उपकरण, छात्रवृत्ति तथा परामर्शक उपलब्ध कराए जाते हैं; मैनुअलों का प्रकाशन किया जाता है; मानक तथा दिशा-निर्देश प्रलेख तैयार किए जाते हैं; ग्रंथात्मक परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाती है तथा परामर्शी सेवाएँ चलाई जाती हैं। विकासशील देशों को लाभ पहुँचाने वाले अनेक कार्यक्रम, परियोजनाएँ तथा गतिविधियाँ इसके द्वारा विशेष रूप से चलाई जा रही हैं।

NOTES

यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास, राष्ट्रीय पुस्तकालयों की स्थापना एवं संवर्धन, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार, ग्रंथात्मक सेवाओं तथा उपस्करों के विकास, संघ सूचियों के निर्माण, पाठ्यसग्रियों के उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशनों का आदान-प्रदान, उत्कृष्ट कृतियों के अनुवाद, प्रतिलिप्यधिकार कानून को समर्थन, यूनेस्को बुक कूपन योजना, पुस्तकों के लिए डाक-दर में छूट, सीमाशुल्क की बाधा दूर कराने तथा इस प्रकार के अन्य विषयों से संबंधित सशक्त कदम उठाये गए हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा संचालित समस्त गतिविधियाँ प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं।

पुस्तकालयों, प्रलेखन तथा सूचना से संबंधित यूनेस्को की गतिविधियों का संबंध निम्नलिखित पाँच विषयों से हैं :

(क) प्रलेखन, पुस्तकालयों, तथा अभिलेखागारों से संबंधित सेवाओं के लिए सिद्धांत और इनका स्वरूप

अपने विभिन्न सिद्धातों के माध्यम से यूनेस्को ने प्रलेखन, पुस्तकालय, एवं अभिलेखागार से संबंधित सेवओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूनेस्को के सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणापत्र (Public Library Manifesto) में सार्वजनिक पुस्तकालयों को एक नई छवि एवं विस्तृत कार्यक्षेत्र प्रदान किया गया है। यूनेस्को ने अपने सदस्य राज्यों तथा विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास को व्यापक रूप से प्रभावित किया है तथा समुदाय को शिक्षा उपलब्ध कराने में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भुमिका को एक सशक्त पहचान दी है।

यूनेस्को का विद्यालय पुस्तकालयों तथा शैक्षणिक प्रलेखन केन्द्रों से गहरा संबंध रहा है। यह विभिन्न समूहों को शिक्षित बनाने तथा पठनोन्मुख बनाने तथा पठनोन्मुख बनाने तथा अध्ययन रुचि के विकास के लिए आवश्यक सहायता देता है। विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट पुस्तकालयों के विकास के लिए भी सदस्य देशों में यूनेस्को द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप चलाए जाते हैं, जैसे- संगोष्ठी, तकनीकी सहायता एवं अनुदान, प्रकाशन इत्यादि। सूचना विस्फोट के परिवेश में विज्ञान एवं तकनीकी शोध की बढ़ती आवश्यकता का संतुष्ट करने के लिए इसके द्वारा सदस्य राष्ट्रों में वैज्ञानिकों एवं तकनीकी प्रलेखन केन्द्रों को भी सहायता देने की पहल की जाती है। यूनेस्को द्वारा सदस्य राष्ट्रों से अपने-अपने यहाँ राष्ट्रीय प्रणाली/नेशनल सिस्टम (NATIS) स्थापित करने की सिफारिश कर दी गयी है। इससे सूचना सेवाओं के क्षेत्र में क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा मिला है।

(ख) प्रलेखन, पुस्तकालयों, एवं अभिलेखागारों की सेवाओं का अन्तरराष्ट्रीयकरण

यूनेस्को द्वारा प्रलेखन, पुस्तकालयों, एवं अभिलेखागारों की सेवाओं के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अन्तरराष्ट्रीयकरण के लिए बहुत ही दृढ़ प्रयास किया गया है। इसके फलस्वरूप सूचना तथा प्रलेखन-जो मानवीय बौद्धिक उपलब्धियों की सजीव प्रतिमाएँ हैं-के निर्बाध प्रवाह को सहायता मिली है। यह एफ, आई, डी इफ्ला तथा आई ए (ICA) जैसे अन्तरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी समय-समय पर यह सहयोग करता रहा है जिससे इसके कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में विस्तार हुआ है। इसके द्वारा तथा इसकी सहायता से कई अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, पाठ्यक्रमों इत्यादि का आयोजन विश्व के विभिन्न भागों में किया जा चुका है। यूनेस्को विभिन्न प्रकार के प्रकाशन कार्यक्रमों के लिए अनुदान भी देता है या उन्हें प्रायोजित करता है।

(ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण

विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्रों में उपयुक्त योग्यताधारी व्यावसायिक कर्मचारियों की कमी के कारण पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के विकास में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं के निराकरण को उच्च प्राथमिकता देते हुए यूनेस्को ने कई विशिष्ट पाठ्यक्रमों तथा विशेषज्ञों की बैठकों का आयोजन किया है; पुस्तकालय विज्ञान विद्यापीठों में कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पाठयक्रम बनाया है, छात्रवृत्तियाँ दी हैं, तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों तथा पुस्तकालय विज्ञान विद्यापीठों की स्थापना में सहायता की है।

(घ) पुस्तक प्रोन्नयन

अपनी भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों का अभाव विकासशील देशों की एक विकट समस्या है। इस समस्या पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर यूनेस्को ने अनेक बैठकें आयोजित की। इनमें हुए विचार विमर्श के उपरांत सदस्य देशों के सहयोग से अनेक क्षेत्रीय पुस्तक-प्रोन्नयन केन्द्र (regional book promotion Centres) स्थापित किए जा चुके हैं।

(ङ) भविष्य

भविष्य में भी स्थिति में बदलाव आये, इसके लिए यूनेस्को का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। यूनेस्को के प्रयासों से ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा है और अब यह सूचना पद्धतियों के विकास के लिए कम्प्यूटर तथा संसार तकनीकों के अधिक से उपयोग पर बल दे रहा है। यूनेस्को के अन्य क्रियाकलापों का प्रमुख उद्देश्य है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यक्रमों में सुधार लाना। इन कार्यक्रमों में प्रमुख हैं-प्रशिक्षण, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठयक्रमों (refresher courses), प्रबन्धकों के लिए सेवाकालीन इत्यादि का आयोजन।

4. भारत के राष्ट्रीय संगठन

4.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC : University Grants Commission) एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना लोकसभा के एक अधिनियम के द्वारा सन् 1956 में की गई। यह एक राष्ट्रीय निकाय है जो विश्वविद्यालय शिक्षा में समन्वय लाने तथा शिक्षा में उच्च स्तरीयता को सुनिश्चित करने और उसे बनाये रखने का कार्य करता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा से संबद्ध संस्थानों के बीच यू जी सी एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। इन भूमिकाओं के अतिरिक्त यह देश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विभिन्न अनुदान भी देता है। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए यह संघ तथा राज्य सरकारों को सुझाव उपलब्ध कराता है। यह विभिन्न विषय के विशेषज्ञों तथा शिक्षाविदों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखता है तथा उनकी सलाह से कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है तथा विभिन्न मामलों-जैसे शिक्षा का न्यूनतम स्तर तथा प्राध्यापकों की योग्यता-से संबंधित नियम तथा विनियम बनाता है।

यू जी सी ऐक्ट की धारा 12 में इस बात का प्रावधन किया गया है कि यह आयोग संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर, शिक्षण शोध में स्तरीयता बनाए रखने हेतु ऐसे उचित कदम उठा सकता है जिन्हें वह उच्च शिक्षा के उत्कर्ष को बढ़ावा देने में आवश्यक समझता हो। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के स्तर में उत्कृष्टता लाने के लिए मानकों के विकास तथा अनुपालन के लिए आयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

देश में उच्च शिक्षा का शीर्ष निकाय होने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसके सौजन्य से अनेक पुस्तकालयों/सूचना केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों तथा समितियों की स्थापना की गई है जो पुस्तकालय एवं सूचना के क्षेत्रीय में गुणवत्तापूर्व शिक्षा एवं सेवा के लिए अपना महती योगदन दे रहे हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं :

(क) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता

(ख) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम विकास समिति (CDC : Curriculum Development Committee) का गठन

(ग) नेशनल इन्फॉर्मेशन सेन्टर्स (National Information Centres) की स्थापना

(घ) इंफ्लिबनेट (INFLIBNET) की स्थापना

(ड.) विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण

(च) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय समीक्षा समिति का गठन

NOTES

(क) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों (Deemed Universities) तथा महाविद्यालयों को पुस्तकालयों के निर्माण के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित अनुदान दिया जाता है ताकि वे छात्रों, शिक्षकों, तथा शोधकर्ताओं की मांग की पूर्ति कर सकें। इन पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के क्रय हेतु आयोग से पर्याप्त अनुदान उपलब्ध होता है। इन अनुदानों के अतिरिक्त प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि में पुस्तकालय के आवश्यक बुनियादी ढाँचे में विकास जैसे- भवन, उपस्कर, उपकरण इत्यादि के लिए भी अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। आयोग द्वारा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में बुक बैंक (Book Bank) की योजना चलाई गई थी तथा इसके गठन के लिए अपेक्षित अनुदान उपलब्ध कराया गया था ताकि विविध विषयों के पाठ्यक्रम में अनुशंसित पाठ्य-ग्रंथों की अनेक प्रतियाँ खरीदी जा सकें। इस योजना का उद्देश्य गरीब, अभावग्रस्त एवं योग्य छात्रों को नाममात्र के शुल्क पर दीर्घ अवधि के लिए पुस्तकों को घर ले जाकर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराया जाना था। लेकिन यू जी सी द्वारा अब यह योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर पाठ्यक्रम विकास समिति (सी डी सी)

यू जी सी द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास समिति (CDC : Curriculum Development Committee) का गठन समय-समय पर किया जाता है। इन्हें पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना के लिए गठित किया जाता है। इस समिति द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशालाओं के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं जिनका संबंध नामांकन नीति, छात्र तथा संकाय की संख्या, शिक्षा की विधियों, अध्यापन सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग इत्यादि से है। इसके अतिरिक्त यू जी सी द्वारा सब्जेक्ट पैनल ऑन लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइंस के नाम से एक अन्य समिति का भी गठन किया जाता है, जिसके द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम में गुणात्मक परिवर्तन के लिए सुझाव दिया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों की स्थापना

यू जी सी द्वारा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों (National Information Centres) की स्थापना की गयी है। इनकी स्थापना का उद्देश्य है, शोधकर्ताओं तथा शिक्षकों को बदलते परिवेश में उनके अध्ययन क्षेत्र में संबंधित सूचना प्राप्त कराने में सहयोग। अबतक इस प्रकार के तीन केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है और इन केन्द्रों द्वारा संदर्भ एवं सूचना सेवा, प्रलेखन सेवा तथा सामयिक जागरूकता सेवा के लिए कम्प्यूटर डेटाबेस का विकास किया जा रहा है। ये तीन केन्द्र हैं :

केन्द्र का नाम	विषय-क्षेत्र
1) नेशनल सेन्टर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन, इण्डियन इन्सटीट्युट ऑफ साइंस, बंगलौर (National Centre for Science Information, Indian Institute of Science, Banglore	भौतिक अनुप्रयुक्त, एवं प्रकृति विज्ञान (Physical Applied, and Natural Sciences)
2) महाराजा सयाजीराव बड़ोदा विश्वविद्यालय, बड़ोदरा (M.S University of Baroda. Vadodra)	समाज विज्ञान एवं मानविकी (Social Sciences and Humanities)
3) एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई (SNDT Women's University, Mumbai)	समाज विज्ञान एवं मानविकी (Social Sciences and Humanities)

(घ) इंफ्लिबनेट की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अप्रैल 1991 में इंफ्लिबनेट (INFLIBNET : Information and Library Network) कार्यक्रम की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। इसे इन्टर यूनिवर्सिटी सेन्टर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCA : Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics) पुणे की परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। इंफ्लिबनेट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है : विश्वविद्यालयों, महाविश्वविद्यालयों, शोध एवं विकास संस्थाओं, तथा सी एस आई आर (CSIR) आई सी एम आर (ICMR), आई सी एस एस आर (ICSSR), आई सी ए आर (ICAR), डी ओ ई (DOE) इत्यादि जैसे उच्च शिक्षा से जुड़े समस्त संस्थानों के पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों के बीच राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना करना है।

इंफ्लिबनेट, पुस्तकालयों एवं ग्रंथात्मक सूचना का कम्प्यूटर-संचारित नेटवर्क है। यह एक सहकारी नेटवर्क कार्यक्रम है जो विश्वविद्यालयों तथा शोध एवं विकास से संबंधित संस्थानों के पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों में सूचनाओं के एकीकरण, उनमें सहभागिता तथा साधनों के इष्टतम उपयोग के लिए समर्पित है। यह छात्रों, शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं के लिए (क) प्रसूची-आधारित सेवा, (ख) डेटाबेस सेवा, (ग) प्रलेखन सेवा, (घ) संग्रह विकास, तथा (ड.) संचार-आधारित सेवा के द्वारा सूचना उपलब्ध कराता है।

(ङ) विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण

सूचना एवं संचार तकनीकों के क्षेत्र में हो रहे विकास एवं उनकी उपयोगिता ने विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे अपनी सेवाओं तथा गतिविधियों में कम्प्यूटर का उपयोग करें तथा स्वयं को इंफ्लिबनेट जैसे विभिन्न नेटवर्क कार्यक्रमों से जोड़ें ताकि दक्ष, विश्वसनीय, तथा द्रुत कम्प्यूटरीकृत सेवाएँ पाठकों को उपलब्ध कराई जा सकें। पुस्तकालय सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए यू जी सी द्वारा 1994-95 तथा 1995-96 के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दो करोड़ (प्रत्येक को) तथा आजादी के पूर्व स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों को पचास लाख (प्रत्येक को) का अनुदान उपलब्ध कराया गया। इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य था पुस्तकालयों के क्रियाकलापों को कम्प्यूटर आधारित बनाना तथा उन्हे इंफ्लिबनेट कार्यक्रम से जोड़ना। इस अनुदान की राशि का निम्नलिखित उपयोग करने का प्रावधान था :

1) कम्प्यूटर प्रणाली, मॉनीटर, प्रिन्टर, टर्मिनल, सॉफ्टवेयर इत्यादि का क्रय
2) कम्प्यूटर फर्नीचर, बिजली फिटिंग, तथा वातानुकूलन की व्यवस्था,
3) मोडेम, टेलीफोन लाइन तथा निकटतम संचार माध्यम से संबंध स्थापित करना,
4) एक सूचना वैज्ञानिक की नियुक्ति,
5) डेटा-इन्ट्री कार्य,
6) पुस्तकों, पत्रिकाओं, तथा दृश्य-श्रव्य पाठ्य सामग्री की खरीद तथा उनका प्रक्रियाकरण
7) डेटा-इन्ट्री कनवर्सन (आधुनिकीकरण)
8) कर्मचारियों का प्रशिक्षण, तथा
9) अन्य आकस्मिक व्यय इत्यादि।

च) विश्वविद्यालय एवं महाविश्वविद्यालय पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय समीक्षा समिति

[जी सी द्वारा गठित इस समिति (National Review Committee on University and College ibraries) के तीन उद्देश्य हैं : प्रथमतः केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा कुछ राज्य विश्वविद्यालयों को मशः दो करोड़ तथा पचास लाख के दिए गए अनुदान की उपयोगिता की समीक्षा करना; दूसरा, भारत ो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा

NOTES

तीसरा, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों के भावी कार्यक्रमों के संचालन की योजना तथा दिशा-निर्देश तैयार करना।

4.2 राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आर आर आर एल एफ)

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (RRRLF : Raja Rammohan Roy Library Foundation) की स्थापना मई 1972 में राजा राममोहन राय की द्वितीय जन्म-शताब्दी के पुनीत अवसर पर की गई। यह प्रतिष्ठान एक स्वायत्तशासी संगठन है, जिसे भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित तथा-प्रयोजित किया गया है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में अवस्थित है।

इस प्रतिष्ठान का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देना तथा पोषण प्रदान करना है। इसके लिए यह पर्याप्त पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराकर तथा लोगों में अध्ययन तथा ज्ञान रुचि का विकास कर राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देता है तथा इस दिशा में अपेक्षित सहयोग प्रदान कराता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह पुस्तकालय सेवा, सांस्कृतिक गतिविधियों, वयस्क शिक्षा एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को अपना निरंतर सक्रिय सहयोग उपलब्ध कराता है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(1) राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रतिपादन तथा राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा उसे अपनाने के लिए कार्य करना, तथा जहाँ अबतक पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं हो पाया है, उसे लागू कराने की दिशा में सरकार को सहमत कराना;

(2) राष्ट्रीय पुस्तकालयों, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, जिला पुस्तकालयों तथा अन्य पुस्तकालयों की सेवाओं के एकीकरण के द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली का निर्माण करना, जैसे- अन्तर-पुस्तकालय आदान-प्रदान प्रणाली लागू करना;

(3) पुस्तकालय विकास से संबंधित विचारों तथा सूचनाओं के सम्प्रेषण लिए एक वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(4) पुस्तकालय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय संघों एवं पुस्तकालय विकास में संलग्न अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता देना;

(5) पुस्तकालय विकास से संबंधित समस्याओं पर शोध को बढ़ावा देना; तथा

(6) देश में पुस्तकालयों के विकास एवं उनकी उपयोगिता में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाना

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

1. यूनाइटेड नेशन्स ऐजुकेशनल, साइन्टिफिक एण्ड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन (यूनेस्को) का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

....

....

....

....

कार्यक्रम तथा सहायता-योजनाएँ

सभी कोटि के सार्वजनिक पुस्तकालयों के उन्नयन तथा विकास के लिए अपनी विभिन्न सहायता-योजनाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठान ने समुचित कदम उठाए हैं। इसकी कुछ योजनाओं के अंतर्गत शत-प्रतिशत सहायता तथा कुछ योजनाओं के अंतर्गत अंशदान-आधारित सहायता प्रदान की जाती है। इसके द्वारा, पुस्तक-रूप में सहायता देने के लिए दो योजनाएँ चलाई जाती हैं। ये योजनाएँ हैं : (i) पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्री तथा दृश्य-सामग्री के पर्याप्त संग्रह के निर्माण के लिए सहायता, तथा (ii) ग्रामीण पुस्तक संग्रह केन्द्र

तथा चल पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए सहायता। इनके अतिरिक्त सात अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है जो निम्नलिखित है :

(1) संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठयक्रमों (सुपरिचितकरण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) तथा पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजन के लिए सहायता;

(2) पुस्तकों के संग्रह तथा प्रदर्शन के लिए सहायता;

(3) सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता;

(4) जिला स्तर से निचले स्तर के सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्थान वृद्धि के लिए सहायता;

(5) शैक्षिक उद्देश्यों से राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को टी वी–सह–वी सी आर सेट (TV-cum-VCR Set) के लिए सहायता;

(6) बाल पुस्तकालयों तथा सामान्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के बाल विभाग के लिए सहायता (शत–प्रतिशत); तथा

(7) शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता।

अन्य प्रोत्साहक गतिविधियाँ

भारतवर्ष में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए यह संस्थान प्रोत्साहक, सलाहकार तथा परामर्शदायी संस्था के रूप में विगत पच्चीस वर्षों से अधिक समय से अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहा है। अपनी सहायता योजनाओं के अंतर्गत अब तक प्रतिष्ठान द्वारा पूरे भारतवर्ष में लगभग 30,000 पुस्तकालयों को सहायता दी गई है जिनका ब्यौरा निम्नलिखित हैं :

(क)	राज्य पुस्तकालय (State Library)	-	28
(ख)	जिला पुस्तकालय (District Libraries)	-	435
(ग)	अनुमण्डल/तालुक/तहसील पुस्तकालय (Sub-Divisional/Taluka Libraries)	-	501
(घ)	नेहरू युवक केन्द्र (NYKs)	-	242
(ङ)	बाल भवन/बालकेन्द्र (Bal Bhavans/Bal Kendras)	-	49
(च)	शहरी/ग्रामीण पुस्तकालय (Town/Rural Libraries)	-	28,635
(छ)	अन्य	-	128
	कुल		**30,018**

आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (199–97) में इस प्रतिष्ठान ने अपनी योजनाओं के अंतर्गत 11 करोड़ 88 लाख 53 हजार की राशि अनुदान के रूप में दी।

प्रतिष्ठान ने नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (National Policy on Library and Information System) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली एवं सेवा के लिए दिशा–निर्देश हेतु गाइडलाइन ऑन पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम एण्ड सर्विसेज (Guideline on Public Library System and Services) भी जारी किया गया है। इसने पुस्तकालयों में खोई पुस्तकों के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार कर उसे भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है। आजकल प्रतिष्ठान अपनी जयन्ती मना रहा है और इस उपलक्ष्य में किसी लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान् का व्याख्यान राजा राममोहन राय मेमोरियल लेक्चर (Raja Rammohun Roy Memorial Lecture) शृंखला के

NOTES

अंतर्गत आयोजित करता है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक संघों जैसे इफ्ला (IFLA), आइ इल ए (ILA), आइएसलिक (IASLIC) तथा विभिन्न स्तरों के विभिन्न राज्य संघों के साथ भी प्रतिष्ठान विचार-विमर्श करता रहता है।

प्रतिष्ठान की शैक्षणिक शाखा द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकाशन जारी किए गए हैं। आर आर आर एल एफ न्यूज लेटर (त्रैमासिक), वार्षिक प्रतिवेदन, तथा बुक्स फॉर द् मिलियन्स ऐट देयर डोरस्टेप्स (Books for the Millians at their Doorsteps) (जो एक सूचना मैनुअल है) के अतिरिक्त इसके निम्नलिखित प्रमुख प्रकाशन हैं :

(i) इण्डिन लाइब्रेरिज : ट्रेण्डस एण्ड पर्सपेक्टिव (Indian Libraries : Trends and Perspective)

(ii) राजा राममोहन राय एण्ड न्यू लर्निंग (Raja Rammohun Roy and New Learning)

(iii) डाइरेक्ट्री ऑफ इण्डियन पब्लिक लाइब्रेरी (Directory of Indian Public Libraries)

(iv) ग्रंथना : इण्डियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडिज (Granthana : Indian Journal of Library Studies)

अनुदान वितरण का कार्य करने के अतिरिक्त, यह सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय संस्थान है जो सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबोधन एवं विकास तथा पुस्तकालय आंदोलन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करता है। प्रतिष्ठान के निरंतर प्रयासों के कारण देश के दस राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है जिससे सार्वजनिक पुस्तकालयों को रख-रखाव, नियंत्रण/अभिशासन आशा के अनुकूल किया जा रहा है तथा स्थाई रूप से कोष उपलब्धि को सुनिश्चित कराया जा सका है। इसके सहायता कार्यक्रमों को राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार, स्वैच्छिक संगठनों, लेखकों, प्रकाशकों तथा सामान्य पाठकों द्वारा सराहा गया है।

5. विश्वस्तरीय सूचना प्रणालियाँ

यह सर्वविदित है कि साहित्य की संख्या में वृद्धि तथा अव्यवहारिक संचालन के कारण ग्रंथसूची के सार्वभौमिक नियंत्रण का प्रयास असफल सिद्ध हो चुका है।

सूचना संसाधन के प्रमुख उपकरण के रूप में कम्प्यूटर के उद्भव ने यंत्र पठनीय डेटाबेस (Machine Readable Database) के निर्माण की संभावना को अप्रत्याशित रूप में बढ़ा दिया है और इसने अन्तरराष्ट्रीय सूचना प्रणाली के विकास में एक नया अवसर प्रदान किया है। इस नये विकास को अन्तरराष्ट्रीय सूचना प्रणाली के प्रयासों द्वारा और भी उपयोगी बना दिया गया है जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के विकेन्द्रित निवेश के माध्यम से संभव हुआ है। कम्प्यूटर के माध्यम से केन्द्रीकृत सूचना की प्रक्रिया को सुरक्षित रख लिया जाता है तथा फिर भी सूचना का विकेन्द्रीकरण कर उस पाठकों तक पहुँचाया जाता है। इन्टरनेशनल न्युक्लियर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (INIS : International Nuclear Information System) की सफलता की कहानी इन विशषताओं को स्पष्ट रूप से बताती है। इनिस की तर्ज पर ऐसी अन्य प्रणालियों का भी विकास हुआ है, जैसे- एग्रिस (AGRIS), जो कृषि से संबंधित हैं, पोपीन्स (POPINS), जो जनसंख्या से संबंधित है, स्पाइन्स (SPINES), जो विज्ञान नीति से संबंधित है, तथा डेवसिस (DEVSIS), जो विकास विज्ञान से संबंधित है। इन प्रणालियों के अंतर्गत सूचनाओं के निवेश का कार्य उन राष्ट्रों द्वारा किया जाता है जहाँ सूचना की उत्पत्ति होती है। इन केन्द्रों का नाम भी उनके उद्देश्य के अनुरूप ही रखा जाता है। जिस देश की सूचना हो उसका उसी देश के द्वारा ही कम्प्यूटर में निवेश भी किया जाए, यह एक उत्तम नीति है क्योंकि इससे सूचना की विश्वसनीयता बढ़ती है तथा उसका व्यापक एवं समय से निवेश सुनिश्चित हो पाता है। प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा अपनी-अपनी सूचनाओं का कम्प्यूटर में निवेश एक मानक-रूप या फॉर्मेट (Format) में किया जाना चाहिए ताकि एकरूपता बनी रहे तथा सूचना के कम्प्यूटर आधारित आदान-प्रदान में कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो।

ऐसी प्रणालियों में केन्द्रीय इकाई के पास एक उच्चशक्ति युक्त कम्प्यूटर होता है जो राष्ट्रीय निवेश केन्द्रो

से प्राप्त या इनके द्वारा निवेशित सूचना का प्रक्रियाकरण करता है, पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों का विकास करता है तथा डेटाबेस को टेप (Tape) के साथ-साथ मुद्रित रूप में भी वितरित करता है। केन्द्रीय इकाई स्रोत प्रलेखों को माइक्रोफिश (Microfiche) रूप में रखती है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय केन्द्रों, जिन्हें केन्द्रीय इकाई द्वारा डेटाबेस का टेप भेजा जाता है, से यह आशा की जाती है कि वे उपयोक्ताओं को इसके आधार पर सामयिक जागरूकता तथा एस डी आई (SDI) सेवा देंगे। इनिस के द्वारा दी जाने वाली यह सेवा अधिक सफल सिद्ध हुई है जिसका कारण राष्ट्रीय सदस्यों की सुदृढ़ इच्छा और उनकी सुविकसित आणविक योग्यता है। बाद में स्थापित प्रणालियों का इतना विकास नहीं हो पाया है। फिर भी एग्रिस, पोपीन्स, स्पाइन्स तथा डेवसिस इत्यादि के द्वारा अपने विषय में उपयोगी सेवाएँ दी जा रही हैं।

5.1 यूनाइटेड नेशन्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (यूनिसिस्ट) एवं जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम (पी जी आई)

यनाइटेड नेशन्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (UNISIST : United Nations Information System for Science and Technology) को वर्ल्ड साइन्टिफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (World Scientific Information System) कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इसके साथ ही जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम (PGI : General Information Programme) को भी यूनेस्को के द्वारा पुस्तकालय, प्रलेखन तथा सूचना पर अधिक महत्व दिया जाता है। यह पूर्णरूपेण एक वैचारिक संरचना है अत: यह अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System) या संचालन तंत्र नहीं है। यह (यूनिसिस्ट) अपना ध्यान सूचना सेवा के लिए अन्तरराष्ट्रीय नेटवर्क के विकास पर केन्द्रित करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं : प्रणाली की विभिन्न इकाइयों के बीच अंतरसंबंध स्थापित करना, सूचना-हस्तांतरण श्रृंखला के अंतर्गत कार्यरत संस्थागत संगठनों को सबल बनाना, सूचना कार्य के लिए मानव-शक्ति का विकास करना, राष्ट्रीय सरकार के माध्यम से सूचना नीति का विकास करना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा सूचना के रख-रखाव एवं सेवा के संचालन के लिए सहायता करना।

यूनिसिस्ट के कार्यक्रमों को पी जी आई द्वारा लागू कर यूनेस्को के मुख्यालय में कार्यरत एक अन्तर-शासकीय परिषद् (Inter-governmental council) द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को के साथ संपर्क को नेशनल फोकल पॉइन्ट (National focal Point) तथा यूनिसिस्ट राष्ट्रीय सामिति (UNISIST National Committee) के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यूनिसिस्ट के प्रभावी कार्यक्रमों द्वारा सदस्य देशों के माध्यम से सूचना नीति को लागू करने हेतु जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में अपेक्षित योगदान दिया जाता है तथा विकासशील देशों में सूचना की आधार भूत संरचना के विकास, विशिष्ट सूचना प्रणाली की स्थापना और सूचना कार्य के सम्पादन के लिए मानव शक्ति के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा सूचना कार्य के लिए समुचित मानदण्डों, तथा मानकों को निर्धारित किया जाता है। इस दिशा में अन्तर-सरकारी सम्मेलनों-जिन्हें 1971 के यूनिसिस्ट-1 (UNISIST-1) 1974 के नाटिस (NATIS), तथा 1979 के यूनिसिस्ट-2 के नाम से जाना जाता है, के द्वारा विभिन्न अनुशंसाएँ की गईं, जिन्हें वास्तविक कार्यक्रमों के रूप में यूनेस्को के मीडियम टर्म प्लान (Medium Term Plan) (1977-82, 1984-89) में लागू किया गया। पी जी आई द्वारा संचालित गतिविधियाँ सदस्य राज्यों के माध्यम से व्यावहारिक क्रियाकलापों से संबंधित सुस्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंबन करती हैं। इनमें प्रारंभिक पाइलट परियोजनाएँ (Poilet Projects), प्रशिक्षणात्मक गतिविधियाँ, आधुनिक तकनीकों का अनुप्रयोग, जानकारी तथा अनुभवों का आदान-प्रदान तथा सामान्य रूप से उत्प्रेरक एवं बहुप्रभावी गतिविधियाँ शामिल हैं।

पी जी आई के वर्तमान कार्य में सबसे अधिक बल विकासशील राष्ट्रों में पुस्तकालय एवं सूचना कार्य में कम्प्यूटर के प्रयोग के प्रोत्साहन पर दिया जाता है। इसके लिए कम्प्यूटर तथा संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग नेटवर्क के विकास एवं स्थानीय क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए पी जी आई द्वारा विकासशील देशों में संगोष्ठियों

NOTES

तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। माइक्रोप्रोसेसर के उपयोग तथा ऑनलाइन सुविधा के विकास के लिए सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के लिए परामर्श सेवाएँ तथा छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं।

यूनेस्को/पी जी आई के महत्वपूर्ण प्रयासों में इस तथ्य को भी शामिल किया जाना चाहिए कि यह विकासशील राष्ट्रों को उपयोक्ता-मैत्री युक्त (user friendly) सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध कराता है जो ऐसे कम्प्यूटरों पर कार्य कर सकें जिनका उपयोग पुस्तकालय एवं सूचना के क्षेत्र में होता है। ऐसे प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं : सी डी एस/आई एस आई एस (CDS/ISIS), सुपरडॉक (SUPERDOC) तथा IV+V (Information Vermittling and Verarbeiting : अंग्रेजी अनुवाद -Information dissemination and processing)। वस्तुतः विकासशील राष्ट्रों के पुस्तकालय एवं सूचना के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण संबंधी क्रियाकलापों में यूनेस्को की इन गतिविधियों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित किया है।

यूनेस्को पी जी आई द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण नेटवर्क 1984 में स्थापित किया गया, जिसे एस्टिंफो या रिजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एण्ड एक्सपीरिएंस इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इन एशिया एण्ड द पैसिफिक (ASTINFO : Regional Network for Exchange of Information and Experience in Science and Technology in Asia and the Pacific) कहा जाता है। यह यूनेस्को-यू एन डी पी (UNESCO-UNDP) द्वारा प्रायोजित नेटवर्क है जो सामाजिक, आर्थिक विकास तथा क्षेत्रीय सहयोग से संबंधित है तथा अपने क्षेत्र में उपलब्ध सूचना स्रोतों तथा अनुभवों के बीच सहकारिता को प्रोत्साहित करता है। एसटिन्फो परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों को लागू करने का प्रस्ताव है। यद्यपि यू एन डी पी द्वारा राशि उपलब्ध कराये जाने का कार्य अभी बाकी है, फिर भी यूनेस्को/पी जी आई द्वारा अपने स्तर पर ही अपने सीमित साधनों द्वारा धनराशि जुटाई जाती है तथा कुछ गतिविधियों को चलाया जाता है। 1986 से यूनेस्को द्वारा एसोसिएशन ऑफ एशियन सोशल रिसर्च कांउसिल (Association of Asian Social Research Council) के सहयोग से एक-दूसरे नेटवर्क का भी संचालन किया जा रहा है जो एपिनेस या एशिया-पैसफिक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंसेज (APINESS : Asia-Pacific Information Network in Social Sciences) के नाम से पी जी आई के अतिरिक्त यूनेस्को विशिष्ट प्रकार के डेटाबेसों तथा सूचना प्रणालियों के विकास के लिए उत्तरदायी रहा है, जैसे डेटा रिट्रिएवल सिस्टम फॉर डॉक्युमेन्टेशन इन द् सोशल एण्ड ह्युमन साइंसेज (DARE : Data Retrieval System for Documentation in the Social and Human Sciences), साइंस पॉलिसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम (SPINES : Science Policy Information System), वास्तुशिल्पियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय सूचना प्रणाली के रूप में इन्टरनेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर आर्किटेक्चर (International Information System for Architechture), इन्टरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन डॉक्युमेंटेशन एण्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (IBEDOC : International Bureau of Education Documentation and Information System) तथा इन्टरनेशनल इन्फॉर्मेशन इन रिसर्च इन डॉक्युमेंटेशन (ISORID : International Information System in Research in Documentation)।

यूनेस्को द्वारा प्रकाशित यूनेस्को बुलेटिन फॉर लाइब्रेरिज अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका रही है, परंतु अब इसका प्रकाश बंद हो चुका है। अब यूनिसिस्ट न्यूजलेटर (UNISIST Newsletter) ने इसका स्थान ले लिया है जिसमें काफी सूचनाएँ दी जाती हैं तथा जिसे त्रैमासिक रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यूनेस्को द्‌वारा मोनोग्राफों, मैनुअलों, हैण्डबुकों, मानकों तथा निर्देशिकाओं, प्रशिक्षण मैनुअलों तथा पैकेजों, प्रतिवेदनों, विचार गोष्ठियों की कार्यवाहियों, परियोजना-प्रलेखों इत्यादि का प्रकाशन भी किया जाता है। ये सभी प्रकाशन अपने क्षेत्र में मान्यता रखते हैं तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के साहित्य के रूप में अपना मूल्यवान योगदान देते हैं।

भारत प्रारंभ से ही यूनेस्को का सदस्य रहा है और इसके कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से भाग लेकर अपेक्षित लाभ भी उठाता रहा है। इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

(Indian National Commission for-UNESCO) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के विज्ञान एवं औद्योगिक शोध विभागों का अंग-निसात भारत में यूनिसिस्ट/पी जी आई (NISSAT-UNISIST/PFI) का केन्द्र-स्थल है तथा यह भारत में एस्टिन्फो (ASTINFO) के कार्यक्रमों में समन्वयन का कार्य भी करता है।

नेसडॉक/आइ सी एस एस आर भारत में एपिनेस (APINESS) का केन्द्र स्थल है। भारत में यूनेस्को के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को चलाया जाता है तथा विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बैठकों तथा संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। यूनेस्को स्वयं भारत के विशेषज्ञों के अनुभवों से प्रभावित रहा है और दूसरे देशों में तथा अपने कार्यक्रमों में भारत के विशेषज्ञों को सम्मिलित करता रहा है। वर्तमान समय भारत के द्वारा एस्टिन्फो तथा एपिनेस परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया जा रहा है। इस प्रकार समग्र रूप में देखा जाय तो भारत यूनेस्को के साथ मिलकर पुस्तकालय एवं सूचना के क्षेत्र में लाभकारी कार्य सम्पन्न कर रहा है।

5.2 इन्टरनेशनल न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (इनिस)

इन्टरनेशनल एटॉमिक एॅनर्जी एजेन्सी (IAEA : International Atomic Energy Agency) वियेना के द्वारा प्रायोजित, इनिस ने सन् 1970 से कार्य करना प्रारंभ किया। इनिस (INIS : International Nuclear Information System) विश्व स्तर की सबसे प्रमुख सूचना प्रणाली है जो आणविक ऊर्जा के शांतिप्रिय उपयोग के लिए कार्य करती है। यह आई ए ई ए द्वारा स्थापित तथा सम्पोषित है जिसमें 99 देशों तथा 17 अन्तरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भाग लिया जाता है। इन सभी सहयोगी सदस्यों द्वारा उनके अपने देश से प्रकाशित होने वाली वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनाओं (आवणविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के शान्तिप्रिय उपयोग से संबंधित अनुसंधान) का निवेश इनिस के डेटाबेस में किया जाता है। साथ ही, सन् 1992 से गैरआणविक ऊर्जा स्रोतों के आर्थिक तथा पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा है। ये सारी सूचनाएँ इन देशों द्वारा इनिस के सचिवालय को भेजी जाती हैं जहाँ उनका संग्रह किया जाता है और उन्हें डेटाबेस में सम्मिलित कर लिया जाता है और तदुपरांत सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाता है। इस प्रकार इनिस का सर्वप्रमुख उद्देश्य है : आणविक विज्ञान से संबंधित सूचनाओं के संकलन तथा प्रचार-प्रसार में समय, श्रम तथा धन की बचत कर इन सूचनाओं के संकलन इत्यादि में पुनरावृत्ति को रोकना। इनिस की प्रमुख विशेषताएँ हैं : अन्तर्राष्ट्रीय सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली, भाग लेने वाले सदस्यों के बीच सूचना संचार के लिए सहकारी प्रयास, सूचना का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण, मानकों तथा नियमों का अनुपालन कम्प्यूटर आधारित प्रणाली, प्रलेख पुनर्प्राप्ति प्रणाली, विषयगत अनुक्रणीकरण हेतु थिसॉरस का उपयोग, उच्च स्तरीय निवेशयुक्त अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण सेवाएँ, एक गत्यात्मक तथा लचीली प्रणराली, यंत्र पठनीय (machine readable) सूचना सेवा, तथा लक्ष्य अभिमुखी प्रणाली का विकास।

प्रत्येक सदस्य देश में इन कार्यों के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी को मान्य किया गया है। ये केन्द्र अपने-अपने देश में संबंधित प्रलेखों का चयन कर उनके ग्रंथात्मक विवरण का श्रेणीकरण, प्रसूचीकरण, अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण कर उन्हें एक मानक-आरूप में प्रस्तुत करते हैं तथा प्रत्येक सूचना की एक प्रति उपलब्ध कराते हैं जिसकी उपलब्धि सामान्य प्रकाशन माध्यमों के द्वारा संभव नहीं। विषय अनुक्रमणीकरण हेतु इनिस द्वारा अपना थिसॉरस तैयार किया गया है। इन केन्द्रों द्वारा निवेशित सूचना की जाँच इनिस के मुख्यालय द्वारा की जाती है, आवश्यकता पड़ने पर उनमें संशोधन भी किया जाता है और तत्पश्चात् उन्हें यंत्र पठनीय स्वरूप में बदला जाता है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद निवेशित सूचना को कम्प्यूटर द्वारा संसाधित कर उसका चुम्बकीय टेप (magnetic tape) तैयार किया जाता है, जो आणविक विज्ञान पर अद्यतन साहित्य के रूप में द्वितीयक सेवा/ डेटाबेस का कार्य करती है। इनिस के द्वारा पाक्षिक रूप में सार पत्रिका के रूप में इनिस ऐटमिन्डेक्स (INIS Atomindex) का प्रकाशन भी किया जाता है। इनिस का यह उत्पादन पूर्णरूपेण विकेन्द्रित उपयोग के लिए उपलब्ध है। चुम्बकीय टेप के ऊपर इनिस

NOTES

ऐटमिन्डेक्स को राष्ट्रीय केन्द्रों को भेजा जाता है जिसके आधार पर वे सामयिक जागरूकता सेवा (CAS), एस डी आई सेवा (SDI) इत्यादि उपलब्ध कराकर स्थानीय सूचना-माँग को संतुष्ट करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय केन्द्र किसी भी स्रोत अभिलेख की प्रति को इनिस से प्राप्त कर सकते हैं।

भारत द्वारा भी इनिस में प्रारंभ से ही सक्रिय रूप से भाग लिया जा रहा है। भारत में भाभा आणविक शोध केन्द्र, मुम्बई (Bhabha Atomic Research Centre) का पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग इनिस की गतिविधियों के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करता है। सूचना निवेश तथा उनके उत्पाद के उपयोग के लिए यह अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहा है। फिर भी हार्डवेयर की असंगति के कारण एस डी आई सेवा के निष्पादन में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। परंतु इन शोध केन्द्रों द्वारा इनिस में भाग लेने के कारण भारतीय वैज्ञानिकों के लिए आणविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के प्रमुख साहित्य की प्राप्ति अब कोई समस्या नहीं है।

इनिस का गैर-परम्परागत साहित्य

गैर-परम्परागत साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य या सूचना से है जिन्हें इनिस डेटाबेस में सम्मिलित तो किया गया है परंतु जो वाणिज्यिक वितरण माध्यमों द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाते। अतः इनकी मुद्रित प्रतियाँ हासिल करना एक कठिन कार्य है। ऐसे गैर-परम्परागत साहित्य के उदाहरण हैं : वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रतिवेदन, पूर्व-सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए आलेख, पेटेंट, शोध-प्रबंध तथा गैर-वाणिज्यिक प्रकाशन। आई ए ई ए के इनिस संचिवालय में कार्यरत इनिस वितरण केन्द्र (INIS Clearing House) के द्वारा इनिस के डेटाबेस में सम्मिलित अधिकतर गैर-परम्परागत साहित्य की माइक्रोफिश के रूप में आपूर्ति की जाती है। इनिस डेटाबेस में सम्मिलित किए गए मानक, प्रतिवेदन, सम्मेलनों के आलेख इत्यादि-जो इनिस के वितरण केन्द्र से प्राप्य हैं-की पहचान आर एन (RN) कूट-शब्द से की जा सकती है। जनवरी 1977 से इनिस के गैर-परम्परागत साहित्य के सी-डी रोम तैयार किए जा रहे हैं।

5.3 इंटरनेशनल इंफार्मेशन सिस्टम ऑन एग्रिकलचरल साइंसेज एण्ड टेक्नोलाजी (एग्रिस)

एग्रिस (AGRIS : International Information System on Agricultural Sciences and Technology) एक अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है जिसकी स्थापना इनिस के स्वरूप पर ही आधारित है। यह 1975 से क्रियाशील हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के फूड एण्ड एग्रिकल्चरल आर्गेनाइजेशन (FAO : Food and Agricultural Organisation) द्वारा इसे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रायोजित किया गया हैं :

(i) विश्व-स्तर पर कृषि साहित्य के लिए एक अनन्य, व्यापक तथा अद्यतन सूची का निर्माण करना जो शोध के प्रतिफलों, खाद्य-उत्पादों तथा ग्रामीण विकास की जानकारी उपलब्ध करा सके, और विश्व-स्तर पर खाद्य-आपूर्ति के समस्त पहलुओं से संबंधित अपने उपयोक्ताओं की समस्याओं के निदान में सहायक होना;

(ii) उपयोक्ताओं की सूचना-परक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सूचना-पुनर्प्राप्ति सेवा चलाना तथा मांग होने पर प्रलेखों की प्रतियाँ उपलब्ध कराना; तथा

(iii) अनावश्यक पुनरावृत्ति को दूर करने तथा सेवाओं की कुशलता को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र की द्वितीयक सूचना सेवाओं से संपर्क बनाए रखना।

यह विश्व-स्तरीय कृषि सूचना की सहकारी प्रणाली है जिसमें 125 देशों तथा 20 अन्तरराष्ट्रीय संस्थान द्वारा भाग लिया जा रहा है। इनिस की तरह इस प्रणाली में भी सूचना का निवेश भाग लेने वाले देशों के द्वारा मानक आरूप में किया जाता है। इनिस तथा एग्रिस दोनों ही आई ए ई ए वियेना में स्थित समान कम्प्यूटर विन्यास (Common Computer Configuration) तथा सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करते हैं सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा संसाधित किया जाता है तथा प्रतिमाह दो प्रलेख निकाले जाते हैं, जो मुद्रित

रूप में क्रमशः एग्रिन्डेक्स (AGRINDEX) तथा चुम्बकीय टेप पर एग्रिस (AGRIS) के नाम से उपलब्ध हैं। इन सेवाओं में सभी संबंधित प्रलेखों के पूर्ण ग्रन्थपरक विवरण दिये जाते हैं तथा सूचना पुनर्प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एग्रिस डेटाबेस में 16 विषयों की 85 विषय श्रेणिओं के अन्तर्गत तथा 817 जिन्सों से संबंधित 1 करोड़ 20 लाख प्रविष्टियाँ हैं। इन डेटाबेस में प्रतिवर्ष 1.2 दो लाख नई प्राविष्टियाँ शामिल की जाती हैं। विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय डेटाकेन्द्रों, जैसे डायलॉग (DIALOG) आई ए ई एक (IAEA) तथा इ एस ए (ESA) के सहयोग से एग्रिस डेटाबेस का रख-रखाव ऑनलाइन पर किया जाता है। राष्ट्रीय केन्द्रों को एग्रिस डेटाबेस चुम्बकीय टेप पर उपलब्ध कराया जाता है। यद्यपि एग्रिन्डेक्स में लेखों के सार मुद्रित नहीं किए जाते, तथापि ये चुम्बकीय टेप तथा माइक्रोफिश आरूप में उपलब्ध कराए जाते हैं।

आइ सी आर के कृषि अनुसंधान सूचना केंद्र (Agricultural Research Information Center) के माध्यम से एग्रिस के कार्यक्रमों में औसतन 35,000 ग्रन्थपरक प्रविष्टियों को प्रतिवर्ष भारतीय निवेश के रूप में एग्रिस डेटाबेस में भेजा जाता है। एफ ए ओ (FAO) द्वारा प्रतिमास एग्रिस का चुम्बकीय टेप एग्रिकल्चरल रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर को भेजा जाता है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Statistics Research Institute) में बरोज बी-4700 कम्प्यूटर प्रणाली (Burrough's B-4700 Computer System) द्वारा कम्प्यूटर आधारित सूचना सेवा प्रदान की जाती है। अतीतात्मक खोज के लिए एक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का विकास भी किया गया है। वर्तमान समय में लगभग 200 प्रोफाईलों के लिए 'एस डी आई' सेवा दी जाती है।

विश्व स्तर पर कृषि-साहित्य के लिए एक अनन्य, व्यापक तथा अद्यतन सूची के रूप में एग्रिस सुदृढ़तापूर्वक स्थापित हो चुकी है तथा कृषि-वैज्ञानिकों एवं अन्य विशेषज्ञों की सूचना आवश्यकताओं को सराहनीय रूप से संतुष्ट कर रही है।

6. भारत की राष्ट्रीय सूचना प्रणालियाँ

पिछले तीन दशकों में हमारे देश में विभिन्न प्रकार के स्वामित्व एवं अधिकार क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विशिष्ट पुस्तकालयों, प्रलेखनों केन्द्रों तथा सूचना केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन सबको प्रारंभ में अलग-अलग स्थापित किया गया था तथा इनमें पारस्परिक ताल-मेल का अभाव था और इन केन्द्रों के बीच एक-दूसरे से सम्पर्क-सूत्र स्थापित नहीं हो पाया था। लेकिन देर से ही सही किन्तु यह समझ लिया गया कि इन केन्द्रों के स्रोतों तथा सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने एवं संसाधनों के अनावश्यक द्विगुणन से बचने के लिए इनके बीच आपसी समन्वयन या ताल-मेल आवश्यक है। आगे चलकर सूचना तकनीकों के संदर्भ में सूचना की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए यह आवश्यक हो गया कि पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों को उन्नत बनाया जाय तथा सूचना के आदान-प्रदान/या विनियम को बढ़ावा देने के लिए इन संस्थानों के विभिन्न अवयवों/ संघटकों की विविध विधियों इत्यादि में एक प्रमुख समरूपता को बनाए रखा जाए। इन कारणों से विभिन्न स्रोतों, सेवाओं तथा केन्द्रों के बीच परस्पर संबंध तथा समन्वय स्थापित करना अत्यंत आवश्यक माना गया है।

6.1 नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (निसात)

देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका में व्यापक वृद्धि हो चुकी हैं। इस परिस्थिति में उद्योगों में प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिए बहुत ही सघन दबाब बन चुका है? अपने देश में उत्पादित सूचनाओं के प्रति अभिगम के अतिरिक्त यह भी आवश्यक हो गया है कि देश के बाहर से उत्पादित उपयोगी सूचनाओं को अभिगमित कर देश के विकास के लिए चलाए जाने वाले शोध एवं विकास कार्यक्रमों में लाभ उठाया जाए। आज सूचना केन्द्र इस संदर्भ में अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं और विभिन्न उद्योगों तथा अनुसंधान कार्यों की सूचना आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। आज शोध एवं अनुसंधान तथा विकास इकाइयों का समन्वयन करने तथा एक एकीकृत प्रणाली को संगठित करने पर बल दिया जा रहा है ताकि अनियंत्रित विकास एवं क्रियाकलापों के द्विगुणन से बचा जा सके तथा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप इस कार्य को सम्पन्न किया जा सके।

NOTES

निसात (NISSAT : National Information System for Science and Technology) का लक्ष्य है : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ऊपर सुसंगत सूचना प्रणालियों के विकास को समर्थन तथा प्रोत्साहन देना तथा इन्हें एक नेटवर्क के रूप में परस्पर जोड़ना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह विद्यमान केन्द्रों, प्रणालियों तथा सेवाओं में उच्च-स्तरीय कार्यशीलता लाने का प्रयास करता है ताकि सूचना के उपयोक्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएँ प्रदान की जा सकें। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम सूचना संचालन के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करता है तथा देश में उपलब्ध आंतरिक क्षमताओं का विकास करता है।

(1) उद्देश्य

निसात द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य सम्पन्न किए जाते हैं :

- राष्ट्रीय सूचना सेवाओं का विकास करना;
- विद्यमान सूचना प्रणालियों तथा सेवाओं को बढ़ावा देना;
- सूचना संचालन के आधुनिक उपकरणों तथा तकनीकों का उपयोग करना;
- सूचना के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना;
- आन्तरिक उत्पाद एवं सेवा का विकास करना; तथा
- सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास को समर्थन देना।

युक्तियाँ-

- अन्तविर्षय पर बल;
- उपलब्ध आधारभूत संरचना का उपयोग; तथा
- सूचना सेवा का वाणिज्यीकरण।

निसात के विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कई उप-कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जैसे:

- विशिष्ट क्षेत्रों, विषयों, तथा उत्पादों से संबंधित सूचना केन्द्रों की स्थापना,
- सूचना संसाधनों के लिए पारस्परिक उपयोग प्रणाली का विकास, जैसे- पुस्तकालय नेटवर्क, संघ-प्रसूची तथा परामर्शक समितियाँ;
- अन्तर्राष्ट्रीय डेटाबेस अभिगम केन्द्रों की स्थापना;
- आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना ;
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना संचालन उपकरणों और तकनीकों के उपयोग में एवं इसी प्रकार के कार्यों में दक्षता विकसित करना।

(2) निसात के सूचना केन्द्र

(3) सेक्टोरल सूचना केन्द्र (Sectoral Information Centres)

सूचना केन्द्र, सूचना स्रोतों के विकास तथा सूचना के प्रसार के प्रमुख माध्यम हैं। ये विभिन्न उत्पादों, विषयों तथा लक्षित-कार्यों के ऊपर ग्रंथात्मक, तथ्यपरक, एवं संख्यात्मक सूचना उपलब्ध कराते हैं। सूचना के प्रति जागरूकता तथा शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकी वेत्ताओं, उद्यमियों, प्रबंधन-अधिकारियों तथा निर्णायकों की सूचनापरक आवश्यकतासओं को संतुष्ट करने के लिए निसात द्वारा अनेक सेक्टोरल सूचना केन्द्रों (Sectoral Infomation Centres) की स्थापना की गई है जिन्हें नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 1 : निसात के केन्द्र

संख्या	विषय क्षेत्र	परिवर्णी शब्द	मेजवान संस्थान
(i)	चर्म प्रौद्योगिकी (Leather Technology)	निक्लाई (NICLAI)	सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इन्सटीट्युट, चेन्नई (Central Leather Research Institute, Chennai)

(ii)	खाद्य प्रौद्योगिकी (Food Technology)	निक्फॉस (NICFOS)	सेन्ट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इन्सटीट्युट बंगलोर (Central Food Technology Research Institute, Mysore)
(iii)	यंत्रोपकरण एवं उत्पाद अभियांत्रिकी (Machine Tools & Production Engineering)	निक्मैप (NICMAP)	सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन्सटीट्युट बंगलोर (Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore)
(iv)	औषधि एवं औषधि निर्माण विज्ञान (Drugs and Pharnaoeuticals)	निक्डैप (NICDAP)	सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्सटीट्यूट, लखनऊ (Central Drug Research Institute, Lucknow)
(v)	टेक्सटाइल एवं समवर्गी विषय (Textiles & Alied Subjects)	निक्टास (NICTAS)	अहमदाबाद टेक्सटाइल इन्डसट्रिज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद (Ahmedabad Textile Industry's Research Association, Ahmedabad)
(vi)	रासायनिक एवं समवर्गी उद्योग (Chemicals & Allied Industries)	निकेम (NICHEM)	नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पुणे (National Chemical Liboratory, Pune)
(vii)	उच्च सिरामणिक एवं शीशा उद्योग (Advanced Ceramics and Glass Industry)	निकैक (NICAC)	सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक रिसर्च इन्सटीट्युट, कलकत्ता (Central Glass and Ceramies Research Institute, Calcutta)
(viii)	बिब्लियोमेट्रिक्स (Bibliometrics)	एन सी बी (NCB)	इण्डियन नेशनल साइन्टिफिक डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर, नई दिल्ली (Indian National Scientific Documentation Centre, New Delhi)
(ix)	क्रिस्टैलोग्राफी (Crystallography)	निक्रिस (NICRYS)	यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई (University of Madras, Chennai)
(x)	सी डी-रॉम (CD-ROM)	निक्ड्रो (NICDRO)	नेशनल एयरो स्पेस लेबोरेटरिज, बंगलोर (National Aerospace Laboratory, Bangalore)
(xi)	प्रबंधन विज्ञान (Management Science)	निक्मैन (NICMAN)	इण्डियन इन्सटीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट, अहमदाबाद (Indian Institute of Management, Ahmedabad)
(xii)	समुद्र विज्ञान (Marine Science)	निक्मास (NICMAS)	नेशनल इन्सटीट्युट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा (National Institute of Oceanography, Goa)

इन सूचना केन्द्रों का निर्माण तत्काल उपलब्ध एवं विद्यमान स्रोतों तथा उनमें प्राप्त सुविधाओं से किया गया है। इनके पास पुस्तक, पत्रिका, शोध प्रतिवेदन, विकास तथा व्यापार प्रतिवेदन इत्यादि के रूप में प्रकाशित साहित्य एवं पाठ्य सामग्रियों का व्यापक संग्रह है जिनका संबंध केन्द्रों से सम्बधित विषय क्षेत्रों से होता है। पुस्तकों एवं पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराने तथा ग्रंथसूची निर्मित करने के अतरिक्त इनके द्वारा एस डी आई सेवा, सांप्रतिक जागरूकता सेवा, पुनर्प्रतिलिपिकरण, सूक्ष्मलेखीय (micrographic) एवं तकनीकी पूछताछ सेवा, अनुवाद सेवा, तथा अन्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

NOTES

निसात के उपरिलिखित सेक्टोरल केन्द्रों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

(i) **निक्लाई** (NICLAI) इस केन्द्र के प्रमुख क्रियाकलाप को इसे चमड़ा एवं अन्य समवर्गी उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के रूप में विकसित करने के प्रति केन्द्रित किया गया है। इसकी विशषज्ञता के विभिन्न क्षेत्र हैं : चर्म विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पादुकाएँ (जूता, चप्पल) चमड़े की सामग्री, रासायनिक अभियांत्रिकी, कॉलेज (collages), पॉलिमर्स (Polymers), चमड़ा अर्थशास्त्र, बायोकेमिस्ट्री इत्यादि।

लेदर साइंस ऐब्सट्रेक्ट्स (LESA : Leather Science Abstracts) का प्रकाशन भी इसके द्वारा नियमित रूप में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह अनेक अन्य सेवाएँ चलाता है, जैसे- रंगीन फोटोग्राफ, स्लाइड, तथा विडियो इत्यादि तैयार करना। निक्लाई ने हाल में आठ विशेष प्रकाशन निकाले हैं। इसके द्वारा सी डी एस/आई एस आई एस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर दो डेटाबेस तैयार किए गए हैं जिनके उत्पाद के रूप में लेसा (LESA : Leather Science Abstracts) तथा लीकैट (LECAT : List of Periodicals Holding of CLRI Library) उपलब्ध हैं। केन्द्र के द्वारा 'ई मेल' की सुविधा भी द्रुत संचार के लिए सम्मिलित की गई है। अरनेट (ERNET) तथा निकनेट (NICNET) के अंतर्गत सर्वर (Server) की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। निक्लाई-द्वारा मैलिबनेट (MALIBNET) में भी सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है, जिसे अपने क्षेत्र में संसाधनों के प्रभाव पूर्ण साझेदारी के लिए सहकारी नेटवर्क के रूप में स्थापित किया गया है। केन्द्र द्वारा एम सी ए (MCA : Master of Computer Applications) के छात्रों को पाठ्यक्रम के लिए लघुशोध प्रबन्ध तैयार करने में तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ii) **निक्फॉस** (NICFOS) : एक ऐसा केन्द्र है जो देश में खाद्य-पदार्थों के प्रक्रियाकरण के ऊपर सभी प्रकार की सूचनाएँ उपलब्ध कराने का कार्य करता है तथा इससे संबंधित कई सूचनापरक कार्यक्रमों को संचालित करता है जो संबंधित उपयोक्ताओं की सूचना आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इन सेवाओं द्वारा वर्ष 1995-96 में केन्द्र को रु. 5.04 लाख की आमदनी हुई। इस केन्द्र द्वारा जो सेवाएँ दी जा रही हैं उनमें प्रमुख हैं : प्रलेखन सेवा प्रतिलिपिकरण सेवा, तथा कम्प्यूटर आधारित एस डी आई सेवा। केन्द्र से जिन नियमित प्रकाशनों को प्रस्तुत किया जाता है उनमें प्रमुख हैं : फूड टैक्नोलॉजी ऐब्सट्रैक्ट्स (मासिक) (Food Technology Abstracts) (Monthly); फूड डाइजेस्ट (त्रैमासिक) (Food Digest) (Quarterly); फूड पेटेण्टस (त्रैमासिक) (Food Patents) (Quarterly); एवं लाइब्रेरी बुलेटिन (Library Bulletin), केन्द्र के द्वारा खाद्य-प्रौद्योगिकी पर आठ डेटाबेसों को सम्पोषित किया जा रहा है। इन सब के अतिरिक्त केन्द्र समय-समय पर अपनी उपयोगिता को जाँचने के लिए पाठक-सर्वेक्षण का कार्य भी करता है।

(iii) **निक्मैप** (NICMAP) : यह केन्द्र मशीनी उपकरणों एवं उत्पादन अभियांत्रिकी पर सूचनाएँ उपलब्ध कराता है। सदस्यता, प्रकाशनों की बिक्री एवं प्रलेख आपूर्ति सेवा से यह केन्द्र रु. 6.5 लाख लाभ या आमदनी के रूप में प्राप्त करता है। इसके द्वारा ग्रंथसूचीपरक, सांख्यिकीय तथा उत्पादपरक 6 डेटाबेसों को सम्पोषित किया जाता है। यह केन्द्र अपने उपयोक्ताओं के द्वारा ऑनलाइन उपयोग के लिए सी एम सी (CMC : Computer Maintenance Corporation) के टाइफैकलाइन (TIFACLINE) के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।

केन्द्र के द्वारा अपने डेटाबेसों को सी डी रोम उत्पाद में रूपान्तरित करने के लिए इंफार्मेटिक्स (Informatics) तथा सिल्वर प्लैटर (Silver Platter) नामक एजेंसियों को चुना गया है। सिल्वर प्लैटर इसके लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा तथा उत्पाद का विपणन करेगा।

निक्मैप द्वारा अफ्रीकन रिजनन सेन्टर फॉर इंजीनियरिंग डिजाइन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (ARCEDEM : African Regional Centre for Engineering Design and Manufacturing) नाईजीरिया को एक सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए परामर्श सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। आरसीडेम (ARCEDEM)

की नई सेवाओं के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए निकमैप द्वारा अफ्रीका के विभिन्न देशों में संवेदनशील कार्यक्रम चलाए जाएँगे।

(iv) निक्डैप (NICDAP) : इसकी गतिविधियों में ड्रग फार्मेस्युटिकल बुलेटिन (Drug and Pharmaceutical Bulletin) का प्रकाशन, प्रलेख वितरण सेवा, औद्योगिक शोध एवं विकास तथा पेटेण्टों के ऊपर पूछताछ सेवा तथा डेटाबेस विकास प्रमुख हैं। अपनी उपयोगिता की जानकारी प्राप्त करने के लिए केन्द्र द्वारा अपने पाठकों/उपयोक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी। केन्द्र द्वारा अपनी सेवाओं से 2.32 लाख आमदनी हुई है।

केन्द्र के द्वारा सी डी-रोम आधारित सेवाएँ निम्नलिखित के लिए दी जाती हैं : मेड्लार्स (Medlars) केमिकल ऐब्सट्रैक्ट्स (Chemical Abstracts), पॉपलाइन (Popline), एक्सर्प्टा मेडिका (Excerpta Medica), इन्टरनेशनल फार्मास्युटिकल ऐब्सट्रैक्ट्स (International Pharmaceutical Abstracts), बायोटेक्नोलॉजी ऐब्सट्रैक्ट्स (Biotechnology Abstracts), ड्रग इन्फॉर्मेशन (Drug Information), नक्सी (NUCSSI), पी आई इन्वाइरनमेण्ट एशिया (PID Environment Asia) तथा करेन्ट कॉन्टेटस (Current Contents), केन्द्र द्वारा डेटास्टार-डॉयलाग (Datastar-Dialog) तथा एस टी एन (STN) का उपयोग कर ऑनलाइन सेवा भी प्रदान की जाती है। केन्द्र को रेनिक (RENNIC) के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है।

(v) निक्टास (NICTAS): इसके द्वारा जी जाने वाली सेवाओं में साहित्य की खोज, अनुवाद, संदर्भ सेवा, ई-मेल सुविधा तथा एसटिन्फो की प्रलेख वितरण सेवा का विपणन प्रमुख हैं। निक्टास द्वारा टेक्सीनमॉन (TEXINCON) तथा अन्य यथा-वस्तुस्थिति प्रतिवेदनों (State-of the art Reports) का प्रकाशन भी किया जाता है। निक्टास द्वारा अपने उपयोक्ताओं के परस्पर-वार्तालाप के लिए बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(vi) निकेम (NICHEM) : इस केन्द्र के द्वारा वर्ष 1995-96 में सूचना सेवा के निष्पादन का कार्य बहुत तत्परता के साथ किया गया है। इसकी लगभग 70 प्रतिशत सेवाओं से विभिन्न प्रकार के उद्योग-विशिष्ट रूप से, रासायनिक तथा फर्मास्युटिकल (दवा) उद्योग-लाभान्वित होते हैं। पिछले वर्षों में पेटेण्ट तथा अनुवाद की माँग में व्यापक वृद्धि हुई है। इन सब कार्यों से इस केन्द्र को लगभग रु. 38. 00 लाख की आमदनी हुई है जिसमें ऑनलाइन सेवा से प्राप्त रु..9.11 लाख सम्मिलित हैं।

एन सी एल (NCL) का एक सक्रिय शोध शिष्टमण्डल है जो पॉलिकार्बोनेट प्रोसेट केमिस्ट्री (Polycarbonate Process Chemistry) के क्षेत्र में कार्य करता है। इस क्षेत्र में विश्वस्तर पर किए जा रहे पेटण्टों की जानकारी रखना तथा इस विषय के शोधकर्ताओं के बीच संबंधित सूचना का संचार करना इसकी गतिविधियों का अभिन्न अंग है। इस उद्देश्य से इस केन्द्र द्वारा त्रैमासिक रूप से पालिकार्बोनेट मोनीटर (Polycarbonate Monitor) का प्रकाशन किया जा रहा है।

(vii) निक्ड्रोम (NICDROM) : इस केन्द्र द्वारा भी अपनी विशिष्ट गतिविधियाँ जारी रखी गई हैं। सीडी-फोकस (CD-Focus) शीर्षक से यह एक पत्रिका द्विमासिक रूप में नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा है जिसे 50 विभिन्न संस्थानों को भेजा जाता है। संबंधित संस्थानों में रखे गए प्रलेखों का सीडी-रोम भी इसके द्वारा तैयार किया गया है। केन्द्र द्वारा एन टी आइ एस (NTIS), एयरोस्पेस (Aerospace), इनसाइड इन्फॉर्मेशन (Inside Information), टी एफ पी एल डायरेक्टरी (TFPL Directory) नामक सीडी-रोम डेटाबेस मंगाये जाते हैं। केन्द्र द्वारा अपनी सेवाओं से रु. 5,036 की आमदनी हुई है।

(viii) निक्मैन (NICMAN) : इस केन्द्र के द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर खरीद लिया गया है तथा अपने पुस्तकालय में नेटवर्क की स्थापना की गई है। दूर-दराज स्थित सूचना के अभिगमन के लिए अपने संस्थान में उपलब्ध वी सेट (VSAT) सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। इस केन्द्र द्वारा निक्मैन केन्द्र के डेटाबेस तथा सीडी-रोम डेटाबेसों के उपयोग द्वारा सेवाएँ दी जा रही हैं। यह केन्द्र एक बी आई/इन्फॉर्म

NOTES

ग्लोबल (ABI/INFORM Global), इकोन्लिट (Econlit), प्रेडिकेट्स (Predicates) तथा आई एम आई (IMI)। सीडी-रोम डेटाबेस मंगाता है तथा इस केन्द्र के संस्थान के अंतर्गत ही अनेक सीडी-रोम डेटाबेसेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

(ix) **निक्मास** (NICMAS) : इस केन्द्र को अप्रैल 1996 में प्रारंभ किया। इसके पास विभिन्न उपकरण हैं तथा विभिन्न परियोजनाओं हेतु इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति की गई हैं। यहाँ इण्डियन ओशन (Indian Ocean) विषय पर डेटाबेस के निर्माण की गतिविधि प्रारंभ की गई है जिसके द्वारा रु. 20,000 की आमदनी हो चुकी है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

2. प्रलेखन, पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों की सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीयकरण में यूनेस्को का क्या योगदान है?

....

....

....

....

(ख) एल आई एस फोरम (LISFORUM)

यह भारत में सूचना सेवा के प्रदायकों तथा उपयोक्ताओं के लिए एक इलेक्ट्रोनिक-मेल आधारित विचार-विमर्श का मंच है। इसकी स्थापना एन सी एस आई में सन् 1995 में की गई थी। एल आई एस फोरम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा-परिचर्चा के लिए इलेक्ट्रॉनिक-मेल आधारित मंच प्रदान करता है। यह सुविधा अरनेट (ERNET) तथा अरनेट से जुड़े नेटवर्कों पर उपलब्ध है।

(ग) वैपिस (VAPIS)

देश के बदलते आर्थिक परिदृश्य तथा पेटेण्ट से संबंधित आइ पी आर (IPR) के लागू होने के कारण भारत में पेटेण्ट सूचना की गतिविधियों की आवश्यकता महसूस की गई। आज भारत के उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अतएव वह आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धा के प्रति जागरूकता, नवप्रवर्तनों और विदेशी प्रौद्योगिकी की सुलभता की पूर्ण जानकारी उद्यमियों को हो। इन बातों ने उद्योग में पेटेण्ट संबंधित सूचना को महत्वपूर्ण बना दिया है।

निसात ने भारत में राष्ट्रीय शोध एवं विकास प्रणाली में कार्यरत विशेषज्ञों तथा उद्योगों की सूचना संबंध ी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूर्ण (NCL : National Chemical Laboratory, Pune) तथा सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोनॉजी इंस्टीट्युट, बंगलोर (Central Manufacturing Technology Institute, Banglore) में वैल्यू ऐडेड पेटेंट इंफार्मेशन सिस्टम (VAPIS : Value Added Patent Information System) की स्थापना की। इसकी स्थापना या गठन का उद्देश्य विशेषज्ञता पूर्ण तथा मूल्य समर्थित सूचना सेवा देना है। इसकी सेवाएँ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के देशों तथा जापान के पेटेण्टों, जो सीडी-रोम पर उपलब्ध हैं, पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त रसायन पर डेटाबेस एन पी एल, पूणे तथा अभियांत्रिकी पर डेटाबेस सी एम टी आई (CMTI), बंगलोर में उपलब्ध हैं। पेटेण्ट पर, तथा आई पी आर से संबंधित अधिनियमों के ऊपर विभिन्न देशों की सूचनाएँ काउन्सिल ऑफ साईंटिफिक एण्ड इन्डस्ट्रीयल रिसर्च (CSIR : Council of Scientific and Industrial Research) के पास उपलब्ध हैं।

इस केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य अधिकतर संस्थानों के पास उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाना है तथा विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए पेटेण्ट के ऊपर गुणवत्तापूर्ण सूचना उपलब्ध कराना है। पेटेण्टों के

अंतर्विषय का विश्लेषण कर पेटेंट का मान या गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तथा इसके लिए (इनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए) इनमें प्रौद्योगिकीय विकल्पों एवं अंतरालों तथा सूचना के अन्य महत्वूर्ण पक्षों को जोड़ा जाता है।

इन केन्द्रों की गतिविधियों में उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं तथा सूचना की माँग तथा सेवाओं से प्राप्त आर्थिक लाभ पर ध्यान रखा जाता है।

(3) ऑनलाइन एवं सी डी-रोम आधारित चयनित सूचना प्रसार सेवा (SDI)

इस उद्देश्य से निसात ने 9 अभिगम केन्द्र स्थापित किए हैं जिन्हें निसात एक्सेस सेंटर्स टू इंटरनेशनल डेटाबेस सर्विसेज (NACIDS : NISSAT Access Centres to International Deatabase Services) के नाम से जाना जाता है। इनकी सूची सारणी-2 में दी गई है।

सारणी-2 : अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस सेवाओं के लिए निसात के अभिगम केन्द्र (नेसिड्स)

क्रम संख्या	स्थान	मेजवान/पोषक संस्था
(i)	बंगलोर	नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी (National Aerospace Laboratory)
(ii)	कोलकाता (कलकत्ता)	इण्डियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस (Indian Association for Cultivation of Science)
(iii)	चेन्नै (मद्रास)	सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इन्सटीट्युट (Central Leather Research Institute)
(iv)	नई दिल्ली	इण्डियन नेशनल साईटिफिक डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर (Indian National Scientific Documentation Centre)
(v)	पुणे	नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (National Chemical Laboratory)
(vi)	अहमदाबाद	अहमदाबाद टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिज रिसर्च एसोसिएशन (Ahmedabad Textile Industry's Research Association)
(vii)	मुम्बई (बंबई)	विक्टोरिया जुबली टेक्नीकल इन्सटीट्यूट (Victoria Jubilee Technical Institute)
(viii)	हैदराबाद	सैन्टर फॉर सेल्युलर एण्ड मोलिक्युलर बायोलॉजी (Centre for Cellular & Molecular Biology)
(ix)	थिरुवनन्थपुरम	केरल स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन (Kerala State Industrial Development Corporation)

सूचनाओं के संवाहन के लिए नैसिड्स निसात विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) के स्थानीय पैड (PAD) तक पी एस एस टी एन टेलीफोन लाइन (PSTN Telephone line) का उपयोग करता है जिसके द्वारा मुंबई स्थित गेटवे पैकेट स्विचिंग सर्विसेज (GPSS : Gateway Packet Switching Services) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं का संचार किया जाता है। ऑनलाइन खोज के लिए नैसिड्स द्वारा प्रशिक्षित (Intermediaries) मध्यगों की सहायता ली जाती है। इन केन्द्रों की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ रही है तथा इनके उपयोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। सूचना-खोज पर होने वाले व्यय का वहन उपयोक्ताओं द्वारा किया जाता है।

सीडी-रोम आधारित चयनित सूचना प्रसार (SDI) सेवा

सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन (SDI : Selective Dissemination of Information) सेवा उपयोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निरन्तर दी जाती है। ये सेवाएँ निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संबंधित विषय क्षेत्र में सीडी-रोम डेटाबेसों के द्वारा दी जाती है :

NOTES

सारणी 3 : निसात की सीडी-रोम आधारित एस डी आई सेवा

मेजबान संस्था तथा स्थान	डेटाबेस
अहमदाबाद टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिज एसोसिएशन, निक्टास, अहमदाबाद (Ahmedabad Textile Industry's Research Association, NICTAS Ahmedabad	कलर इन्डेक्स (Colour Index)
एडिनेट सोसाइटी (ADINET Society), अहमदाबाद	आंतरिक सूचना
बोनेट (BONET), मुम्बई	आंतरिक सूचना
कैलिबेनेट सोसाइटी (CALIBNET Society), कलकत्ता	आंतरिक सूचना
सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इन्सटीट्यूट निक्लाई, मद्रास (Central Leather Research Institute NICLAI, Madras)	बायोसिस (BIOSIS)
इण्डियन इन्सटीट्युट ऑफ साइंस, एन सी एस आई, बंगलोर (Indian Institute of Science NCSI, Bangalore)	एडोनिस (ADONIS)
नेशनल केमिकल लेबोरेटरी निकैम, पुणे (National Chemical Laboratory NICHEM, Pune)	सी ए सी सी तथा एल सी मार्क (CA, CC and LCMARC)
पुणेनेट सोसाइटी (PUNENET Society), पुणे	आंतरिक सूचना

सीडी-रोम डिपाजिटरी सेन्टर (CD-ROM Depository Centre)

निसात द्वारा इण्डियन इन्सटीट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली में 1996 में एक केन्द्र फाउण्डेशन फॉर इनोवेशन्स एण्ड टेक्नोनॉजी ट्रांसफर (Foundation for Innovations and Technology Transfer) के नाम से प्रारंभ किया जो सीड़ी-रोम डिपाजिटरी सेन्टर के रूप में कार्य करता है तथा भारत एवं भारत से संबंधित विषयों के ऊपर सीडी-रोम को एकत्रित करने का कार्य भी करता है। इस केन्द्र में संकलित सीडी-रोम के कुछ प्रमुख संकलनों का सम्बन्ध बिजनेस इण्डिया, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेट डाइरेक्टरी, इन्वाइरनमेण्ट एशिया, गाँधी, गोवा-द पर्ल ऑफ एशिया, गुरु नानक सीडी-रोम, हेल्थ एशिया, हिन्दी-इंगलिश डिक्शनरी, इण्डिया मिस्टिका, इन्विटेशन इण्डिया, इंफॉर्मेशन इंटरएक्टिव ऑन राजस्थान, इनोवेयर एजुकेशनल सी डी, इन्नोवेशन्स इण्डिया-सीडी रोम, आयंगर्स योगा फॉर ऑल, कोंपास इण्डिया 96, माइथोलॉजिकल कलेक्शन ऑन सीडी-रोम, सूचक, करिश्मा ताजमहल, वेल्थ एशिया, येलो पेजेज इत्यादि से है।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

आज के सदर्भ में इस बात की आवश्यकता बढ़ गयी है कि पुस्तकालय के दैनिक क्रियाकलापों में कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाय ताकि सूचनाओं की पुनर्प्राप्ति द्रुत गति से की जा सके, तथा विश्वस्तरीय डेटाबेसों का विश्लेषण आसानीपूर्वक किया जाए। इसी कारण निसात की स्थापना के बाद से ही इस बात पर अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी कि ग्रंथपरक सूचनाओं को कम्प्यूटर आधारित संसाधन से युक्त किया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति लिए निसात द्वारा परीक्षित सॉफ्टवेयर जैसे सी डी एस/आई एस आई एस का उपयोग ग्रंथपरक सूचना संसाधन के लिए तथा इडम्स (IDAMS) का उपयोग यूनेस्को से सांख्यिकीय डेटाबेसों के संसाधन के लिए किया जाता है। निसात के बाद में इन पैकेजों का भारत में वितरण करने का अधिकार यूनेस्को से प्राप्त किया। आज तक की तिथि में भारत में सी डी एस/आई एस आई एस का (CDS/ISIS) 1200 स्थानों तथा इडम्स (IDAMS) का 25 स्थानों पर प्रतिष्ठापन हो चुका है। उपयोक्ता समुदायों की बैठक बुलाकर तथा सर्वेक्षण कर सी डी एस / आई एस आई एस के कार्यान्वयन को नियमित रूप से मॉनिटर (monitor) किया जाता है।

निसात की पहल पर संजय (SANJAY) नामक एक प्रमुख सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। इसे भारत के पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों में उनके गृहकार्यों के व्यवस्थापन तथा उनकी सेवाओं के स्वचालन में सुधार करने के लिए विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर पैकेज मेनू चालित (Menu driven) है जिसका उपयोग सामान्य कर्मचारी भी कर सकते हैं। इस पैकेज को विपणन के लिए सितम्बर 1995 में जारी किया गया। निसात के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को प्रारंभ में विज्ञान एवं शिक्षा संस्थानों के उपयोक्ताओं के लाभ के लिए प्रारंभ किया गया था लेकिन बाद में इन्हें व्यापार एवं उद्योगों के लाभार्थ भी अभिकल्पित किया जा रहा है।

निसात ने सी डी एस / आई एस आई एस आधारित एक अन्य पैकेज का भी निर्माण किया है। जिसे तृष्ण (TRISHNA) के नाम से जाना जाता है। इसे निसटाड्स (NISTADS : National Institute of Science Technology and Development Studies), नई दिल्ली के सहयोग से बनाया गया है। जिस्ट कार्ड (GIST CARD) के उपयोग द्वारा इसमें देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियों में कार्य किया जा सकता है। इसा पैकेज का विवरण 'एसटिन्फो' के सदस्य देशों, जैसे- नेपाल तथा बंग्लादेश में किया गया है।

(5) सूचना प्रौद्योगिकी के लिए दक्षता का विकास

सूचना प्रौद्योगिकी के लिए पर्याप्त दक्षता का विकास करने के लिए भी निसात के महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। सूचना संचालन के आधुनिक उपकरणों, तकनीकों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना भी निसात का उद्देश्य रहा है। यद्यपि यह ठीक है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे वर्तमान परिवर्तन के अनुरूप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाया जा रहा है, परन्तु फिर भी इसके पूरक के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सतत् शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करते रहना आवश्यक है। अतः पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों में कम्प्यूटर के अनुप्रयोग, पर्सनल कम्प्यूटर तथा सी डी एस/ आई एस आई एस, पुस्तकालय सेवा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (TQM : Total Quality Management), विज्ञान तथा तकनीकी संचारए साइंटोमेट्रिक्स (Scientometrics) तथा बिब्लियोमेट्रिक्स (Bibliometrics), कम्प्यूटरों द्वारा प्रसूचीकरण, सीडी-रोम/ ऑनलाइन खोज, व्यवसाय एवं उद्योग के लिए सूचना अभिगम की आधुनिक सुविधाएँ इत्यादि विषयों पर देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम चलाने के लिए निसात द्वारा समर्थन दिया जाता है। डी आर टी सी (DRTC) बंगलोर, आर सी सी (RCC) कोलकाता तथा पूना विश्विविद्यालय, पुणे में ऐसे पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से चलाने के लिए सहायता दी जाती है। संबंधित वर्ष में इसके लिए लगभग 16 अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया।

(6) अनुसंधान एवं विकास तथा अध्ययन

निसात के द्वारा सूचना विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में अध्ययन, निर्देशिकाओं के निर्माण, डेटाबेस निर्माण तथा आधारभूत एवं अनुप्रयुक्ति अनुसंधान के लिए भी प्रोत्साहन तथा समर्थन दिया जाता है। इनसे संबंधित परियोजनाओं/प्रयासों का वर्णन क्रमांक 7 से 10 में नीचे किया गया है।

(7) साइंटोमेट्रिक्स कोआर्डिनेटेड कार्यक्रम (Scientometrics Coordinated Programme)

बौद्धिक तथा आर्थिक लाभ, इसके लिए आवश्यक लागत, तथा देश में इसके लिए उपलब्ध अवसंरचना के परिप्रेक्ष्य में साइंटोमेट्रिक्स तथा इन्फॉर्मेट्रिक्स के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने की योजना बनाई गई। साइंटोमेट्रिक्स/इन्फोर्मेट्रिक्स/बिब्लियोमेट्रिक्स पर समन्वित शोध के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निसात ने पहल की। इस दिशा में नेशनल मैपिंग ऑफ साइंस यूजिंग सीडी-रोम डेटाबेसज (National Mapping of Science using CD-ROM databses) के ऊपर नौ परियोजनाएँ चलाई गईं। ये हैं : सी ए (CA), कॉम्पेन्डेक्स (Compenendex), इन्सपेक्ट (Inspect), एस सी आई (ACI), मेडलाइन प्लस (Medline Plus), ऐम्बेस (EMBASE), जीओरेफ (Georef), कैब (CAB) एग्रिरीकोला (AGRICOLA), आइ एस ए (ISA)।

NOTES

(8) अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

एसटिन्फो/यूनेस्को (ASTINFO : Regional Network for the Exchange of Informations and Experiences in Asia and the Pacific/UNESCO) की गतिविधियों के साथ निसात ताल-मेल रखता है। निसारत की सलाहकार समिति यूनिसिस्ट के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति (National Advisory Committee) तथा एसटिन्फो के लिए राष्ट्रीय सलाहकार दल (National Advisory Group) के रूप में कार्य करती है। एसटिन्फो के अंतर्गत निसात की निम्नलिखित गविविधियाँ हैं :

यूनेस्कों द्वारा निसात के सचिवालय को सी डी एस/ आई एस आई एस सॉफ्टवेयर के लिए वितरण केन्द्र स्थापित करने तथा एसटिन्फो के क्षेत्रों में पुस्तकालय नेटवर्क विशेषज्ञों को डेटाबेस निर्माण करने के लिए एक परियोजना दी गई है। इसके अतिरिक्त एसटिन्फो की प्रलेख आपूर्ति सेवा को यूनेस्को द्वारा निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ आस्ट्रेलिया सर्विसेज् (National Library of Australia Services) के द्वारा समुद्र पार से प्रलेखों के लिए अनुरोध की व्यवस्था भी निसात के माध्यम से भारतीय मांगों की पूर्ति के लिए की जाती है। निसात के उत्पादों को मंगाने के लिए अनुरोध पत्र निक्टास/अटीरा (NICTAS/ATIRA) अहमदाबाद, जो निसात के उत्पादों के वितरण का कार्य करता हैं, से प्राप्त किये जा सकते हैं।

निसात द्वारा दो-दिवसीय भारत-जापान सूचना कार्यशाला (Indo-Japan information Workshop) का भी आयोजन किया गया। इस वर्कशाप में जापान इन्फॉर्मेशन सेन्टर एण्ड टेक्नोलॉजी (JICST : Japan Information Centre and Technology) अर्थात् 'जिक्सट' के द्वारा जापान का प्रतिनिधित्व किया गया। यह केन्द्र जापान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना का संग्रह तथा उसके प्रक्रियाकरण के लिए एक उत्कृष्ट संगठन है। इस वर्कशाप में जापान की योजनाओं को प्रस्तुत किया गया तथा जापानी डेटाबेसों का प्रदर्शन जापानी-अंग्रेजी अनुवाद प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट पर किया गया। इसी प्रकार का प्रदर्शन भारत के द्वारा भी किया गया।

(9) परिवीक्षण तथा समन्वयन (Monitoring and Coordination)

यदि देश में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना की आधारभूत संरचना के विकास के लिए निवेश हेतु सरकार पर निर्भरता को कम करना है तो इस दिशा में निसात के उत्पादों तथा सेवाओं का विपणन व्यापक उत्साह से करना अति आवश्यक है। इनकी बिक्री बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए निसात के विभिन्न केन्द्रों में सूचना के विपणन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। निसात संपोषित केन्द्रों को इस बात के लिए सदा प्रोत्साहित किया जाता रहा है कि वे अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि इसका उपयोग उनकी अवसंरचना के विकास के लिए किया जा सके। प्रोत्साहन के रूप में निसात द्वारा विभिन्न केन्द्रों को उनके लाभ के समतुल्य अनुदान (Matching Grant) दिया जाता है। निसात ने अपने उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन की जिम्मेदारी अपने अहमदाबाद स्थित 'निकटास' नाम के 'अटीरा' केन्द्र को दिया है। इस कार्य के लिए निसात ने अटीरा के साथ एक मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (MOU) पर भी हस्ताक्षर किया है

(10) इन्फॉर्मेशन टुडे एण्ड टुमारो (आई टी टी)

इन्फॉर्मेशन टुडे एण्ड टुमारो (ITT : Information Today and Tomorrow) निसात का न्यूजलेटर है इसमें सूचना-उत्पादों, सेवाओं, प्रणालियों तथा प्रौद्यागिकी के ऊपर विहंगम ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है सूचना तथा सूचना केन्द्रों तथा नेटवर्क के विकास से संबंधित विषयों की चर्चा इसमें की जाती है। इसके साथ ही नयी धारणा तथा सेवा, विचार गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता तथा नये उत्पाद के रूप में निर्देशिकाओं तथा सूचना प्रणाली इत्यादि से संबंधित राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की सूचना की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। निसात के एक केन्द्र, सी एल आर आई (CLRI चेन्नै के सहयोग से इसे त्रैमासिक रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा इसे 5000 व्यक्तियों एवं संस्थाओं में वितरित किया जाता है। निसात न्यूजलेटर को उपयोक्ताओं से बड़ी प्रशंसा मिल रही है।

6.2 निसात द्वारा प्रायोजित स्थानीय पुस्तकालय नेटवर्क (एल एल एन)

भारत में व्यापक स्तर पर सूचना सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निसात ने संसाधन में सहभागिता अभिमुखी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया है। इस अभिमुखीकरण का उद्देश्य विज्ञान एवं तकनीकी सूचना स्रोतों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना, सूचना केन्द्रों के क्रियात्मक भार को कम करना तथा अभिप्रेरक तत्वों को बड़े स्तर पर संचार के साधनों जैसे क्रियाकलापों द्वारा प्रोत्साहित करना है।

लाइब्रेरी नेटवर्क

सूचना एवं पुस्तकालय के नेटवर्क का मूल लक्ष्य सूचना स्रोतों को महानगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार आपस में जोड़ दिये जाने से है कि उपयोक्ता स्थान, स्वरूप, माध्यम भाषा, लिपि इत्यादि की बाधा के बावजूद भी अपनी सूचना प्राप्त कर सके। इस प्रकार के नेटवर्क के विकास के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे-प्रशिक्षण, सूचना आवाप्ति को बुद्धिसंगत कर दिया जाना, मानकों का विसरण, संघ प्रसूची तैयारी करना, डेटाबेस सेवा प्रारंभ करना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा संचार सुविधाओं को स्थापित करना। पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क की स्थापना तथा विकास के लिए निसात विभिन्न गतिविधियाँ चलाता है, जैसे- अहमदाबाद में एडिनेट (ADINET), मुम्बई में बोनेट (BONET), कलकत्ता में कैलिबनेट (CaLIBNET), दिल्ली में डेलनेट (DELNET), मैसूर में माइलिबनेट (MYLIBNET) तथा पूणे में पुणेनेट (PUNENET), निसात इस बात के लिए भी संघर्षरत है कि इन नेटवर्कों का आत्मनिर्भर प्रणाली के रूप में विकास किया जाय। इस बात को ध्यान में रखकर निसात द्वारा सामान्य आन्तरिक संरचना में सुविधा स्थापित करने के लिए नेटवर्क सेवा केन्द्रों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मानवशक्ति, एवं अन्य संगठनात्मक आवश्यकताएँ संचार सुविधाएँ इत्यादि के प्रावधान में सहायता की जाती है। इस दिशा में विकास तथा कौशल को कार्यान्वित करने में आने वाले परिवर्तन के कारण अब नेटवर्क में भाग लेने वाली संस्थाएँ अपने हार्डवेयर टर्मिनल, सॉफ्टवेयर, जनशक्ति तथा डेटा-कंवर्सन (Data Conversion) की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेती हैं। निसात के प्रयासों एवं इसकी पहल द्वारा स्थापित नेटवर्कों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(i) एडीनेट (ADINET) : इसमें दस संस्थागत सदस्य, पाँच संबद्ध संस्था सदस्य तथा दो व्यावसायिक सदस्य हैं। एडीनेट में एक केन्द्रीय डेटाबेस बनाया गया है। इसमें इंस्टीट्युट मास्टर (Institute Master), जर्नल मास्टर (Journal Master) तथा बुक डेटाबेस (Bool database) को सम्मिलित किया गया है। इसके द्वारा संबंधित वर्ष तक छः कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। एडीनेट के द्वारा अहमदाबाद के 30 पुस्तकालयों को ई-मेल की सुविधा प्रदान की गई है।

(ii) बोनेट (BONET) : इस नेटवर्क योजना के अन्तर्गत मुम्बई में लगभग 36 पुस्तकालयों को सम्मलित किया गया है जिसके अंतर्गत शक्ति (SHAKTI) नामक आई आई पी 027 (IIP027) कम्प्यूटर द्वारा सदस्यों को नेटवर्क अभिगम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह स्थानीय स्तर पर विकसित एक सॉफ्टवेयर, जिसका नाम रिक्वेस्ट (Request) रखा गया है, से अपने कार्य निष्पादित करता है। बोनेट के अन्तर्गत निम्नलिखित डेटाबेसों का निर्माण किया गया है :

(क) कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर 15,000 अभिलेखों का एक डेटाबेस,

(ख) क्षेत्र के 10 पुस्तकालयों की पत्रिकाओं की संघ प्रसूची,

(ग) नेशनल सेन्टर फॉर इंफार्मेशन (National Centre for Information) द्वारा निर्मित 250 भारतीय पत्रिकाओं के अंतर्विषय की सारणी।

सदस्यों के समक्ष प्रदर्शन हेतु तथा प्रशिक्षण कार्यों में उपयोग हेतु नोवेल सर्वर (Novell Server) पर अनेक सीडी-रोम डेटाबेसों की व्यवस्था की गई है।

NOTES

(iii) कैलिबनेट (CALIBNET) : कैलिबनेट में नेटवर्किंग की एक द्विमुखी प्रणाली अपनाई गई जो निम्नलिखित है :

(1) स्वयं निर्मित मैत्रैयी (MAITRAYEE) नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुस्तकालय नेटवर्क की संरचना; तथा

(2) ई-मेल तथा विभिन्न डेटाबेसों के ऑनलाइन अभिगम की सुविधा के लिए सदस्य पुस्तकालयों को इंटरनेट अभिगम देना।

इस प्रकार कैलिबनेट एक उच्च तकनीकी साधन आधारित नेटवर्क है जो निम्नलिखित सेवाएँ देता है :

(क) सदस्य पुस्तकालयों के लिए संघ प्रसूची प्रदान करना।

(ख) प्रलेखों के पूर्ण पाठ का वितरण करना।

(ग) डेटाबेस सेवाएँ।

(iv) डेलनेट : वर्तमान समय में दिल्ली के लगभग 100 पुस्तकालय डेलनेट के सदस्य हैं। उन पुस्तकालयों को इसका संस्थागत सदस्य बनाया जाता है, जिनमें 10,000 से अधिक पाठ्य सामग्रियों का संग्रह है। जिन पुस्तकालयों का संकलन 10 हजार से कम हैं उन्हें सहयोगी संस्था सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जाता है। डेलनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर विकास के साथ-साथ कई प्रकार की सेवाओं का भी विकास किया गया है। इसके सदस्य भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी हैं। सदस्य पुस्तकालयों के लिए डेलनेट स्वनिर्मित निम्नलिखित चार डेटाबेसों की ऑनलाइन उपलब्धि कराता है :

(क) सदस्य पुस्तकालयों के प्रलेख-संग्रह की संघ प्रसूची।

(ख) भारतीय विशेषज्ञों का डेटाबेस

(ग) बहुभाषिक ग्रंथों का डेटाबेस

(घ) नवीन क्रमिक प्रकाशनों की संघ सूची।

डेलनेट के द्वारा अपने सदस्यों को अरनेट (ERNET) के माध्यम से ई-मेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सदस्य पुस्तकालयों को इंटरनेट अभिगम की सुविधा प्राप्त है। डेलनेट के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है।

(v) माइलिबनेट (MYLIBENT) : मैसूर जैसे छोटे शहर में स्थापित किया गया प्रथम नेटवर्क है। माइलिबनेट की स्थापना मैसूर सिटी लाइब्रेरी कांसोर्टियम (MCLE : Mysore City Library Consortium) द्वारा 12 जून 1995 को गई थी। सी एफ टी आर आई (CFTRI), मैसूर के निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वयन समिति का गठन किया गया है। सूचना मिलने तक 16 संस्थाएँ इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुकी थीं। मैसूर शहर के पुस्तकालयों के संग्रह को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है तथा सॉफ्टवेयर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि उपयोक्ताओं द्वारा इस सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन उपयोग किया जा सके। माइलिबनेट अपने सदस्यों को ई-मेल सुविधा भी उपलब्ध कराती है।

(vi) पुणेनेट (PUNENET) : पुणे शहर के 24 पुस्तकालयों तथा 15 पुस्तकालय व्यवसायियों को मोडेम (Modem) के माध्यम से इस नेटवर्क का अभिगम प्राप्त है। पुणेनेट द्वारा सदस्यों को डेआ-अभिगम के साथ-साथ ई-मेल तथा इंटरनेट सुविधा भी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अपने सदस्यों के लिए निम्नलिखित डेटाबेस पुणेनेट पर उपलब्ध हैं :

- सभी सदस्य पुस्तकालयों के प्रलेख-संग्रह की सूची
- पूणे स्थित पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों में नवीनतम पत्रिकाओं की संघ प्रसूची

- प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रताओं से संबधित डेटाबेस
- सूचना तथा पुस्तक-विक्रेता डेटाबेस
- एस डी आई सेवा के लिए अद्यतन संदर्भ सामग्री के उच्च स्तरीय सार का संस्करण
- अन्तरराष्ट्रीय अनुदान तथा स्वास्थ विज्ञान में सहभागिता के लिए डेटाबेस
- बायोटेक्नोलॉजी (Biotechnoloty) के लिए हार्ड डेटाबैंक (Hard databanks)
- निकनेट (NICNET), एड्स डेटाबेस (AIDS Database), यू एस पेटेण्ट डेटारबेस (US Patent Database) इत्यादि का अभिगम
- इंटरनेट तथा इंटरनेट पर उपलब्ध डेटाबेसों के अभिगम की सुविधा
- पेटेण्ट सूचना
- ब्रिटेन के पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों की संघ प्रसूची

ई-मेल सुविधा (E-Mail Connectivity)

निसात द्वारा अपने सूचना केन्द्रों तथा लाइब्रेरी नेटवर्क संस्थानों इत्यादि के साथ अरनेट (ERNET) के माध्यम से ई-मेल सुविधा सुनिश्चित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से इन केन्द्रों के बीच-स्रोत-साझेदारी बढ़ाई जाती है तथा उपयोक्ताओं के बीच प्रभावी सेवा उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनी विभाग (Department of Electronics) के अंग अरनेट (ERNET) द्वारा इन नेटवर्कों के लिए विशेषज्ञ-ज्ञान तथा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

संघ प्रसूची

भारत के प्रमुख शहरों, जैसे- अहमदाबाद, बंगलोर, मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, गोवा, नागपुर, पुणे तथा राँची में उपलब्ध वैज्ञानिक पत्रिकाओं, पत्रिकाओं की संघ प्रसूची अर्थात् यूनियन लिस्ट ऑफ करेंट साइंटिफिक सीरियल्स (ULCSS : Union List of Current Scientific Serials) को विकसित करने के लिए निसात कार्य कर रहा है। यू एल सी एस एस (ULCSS) वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों तथा पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही इससे स्रोत एवं संसाधन की साझेदारी को प्रोत्साहित कर पत्रिकाओं की आवाप्ति में खाई भी दूर होगी।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

3. महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी पुस्तकालयों के विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के योगदान का उल्लेख कीजिए ।

....

....

....

....

7. भारत के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र

भारत में आजादी के बाद राष्ट्र के विकास के प्रयासों के लिए अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक विकास की योजना तथा निर्णायक मामलों में सफलता हेतु सूचना सहायता के लिए विभिन्न ग्रंथपरक सूचना केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। सूचना का महत्व सर्वमान्य है क्योंकि यह विकास के लिए बौद्धिक साधन तथा विकास प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। सूचना संचार प्रणाली की आवश्यकता एवं महत्व को महसूस करते हुए पूरे विश्व के देशों में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सूचना तथा प्रलेखन केन्द्रों की

NOTES

स्थापना की गई। भारत में भी इस दिशा में किए गए प्रयास पूर्णतः संतोषप्रद हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय सूचना प्रणाली में प्रत्येक स्तर के केन्द्र हैं, जैसे : राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र, आंचलित केन्द्र, स्थानीय सूचना एवं प्रलेखन इकाइयाँ तथा विशिष्ट पुस्तकालय। सूचना एवं प्रलेखन के राष्ट्रीय केन्द्र अपनी विशेषताओं के संदर्भ में अनूठे हैं। उनके संकलन तथा सेवाओं के क्षेत्र अति विस्तृत हैं तथा ये अपनी भूमिका का सराहनीय ढंग से निर्वाह कर रहे हैं।

भारत में अनेक राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र हैं, जैसे- इन्सडॉक (INSDOC), नैसडॉक (NASSDOC), डेसिडॉक (DESIDOC) तथा इन आई सी (NIC)। इनके साथ यहाँ बार्क (BARC : Bhabha Atomic Research Centre) लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन सर्विस डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) का एग्रिकल्चरल रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेन्टर नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, आई एच एफ डब्लू (NIHFW : National Institute of Health and Family Welfare) डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर एवं अन्य ऐसे संस्थानों का नाम भी लिया जा सकता है क्योंकि ये सभी राष्ट्रीय स्तर पर सूचना सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय केन्द्रों की वृद्धि और विकास तथा उपयोक्ताओं द्वारा इन केन्द्रों तथा इनकी सेवाओं के बढ़ते हुए उपयोग के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश में सूचना सेवाओं के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

7.1 इण्डियन नेशनल साइन्टिफिक डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर (इन्सडॉक)

इन्सडॉक (INSDOC : Indian National Scientific Documentation Centre) की स्थापना सन् 1952 में देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना केन्द्र के रूप में की गई। यह देश के वैज्ञानिक समुदाय को उच्चस्तरीय सूचना सेवा उपलब्ध कराता है। यह सत्य है कि किसी भी प्रकार के अनुंसध ान एवं विकास कार्यक्रम में सूचना का महत्व बहुत अधिक है। लेकिन यह भी सत्य है कि सूचना की आवश्यकता समय के साथ बदलती रहती है। अतएव इस केन्द्र का प्रयास रहता है कि परिवेश के साथ कदम के साथ कदम मिला कर अपने वैज्ञानिकों को शोध की उपलब्धि में सहायता दी जा सके।

संगठनात्मक स्वरूप

इन्सडॉक का मुख्यालय दिल्ली में अवस्थित है। इसकी गतिविधियों को निम्नलिखित पाँच समूहों में बाँटा जा सकता है :

(1) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुवाद समूह (ETTG : Education Training and Translation Group) जिसमें समाविष्ट हैं :

   (क) शिक्षा विभाग (ED: Education Division)

   (ख) प्रशिक्षण विभाग (TD : Training Division)

   (ग) इलेक्ट्रोनिक कक्षा प्रायोगिक परियोजना (PECP : Pilot Electronic Classroom Project)

   (घ) अनुवाद सेवा विभाग (TSD : Translation Services Divison)

(2) कार्यक्रम प्रबंधन एवं विपणन समूह (PMMG : Programme Management and Marketing Grouo) जिसमें समाविष्ट हैं :

   (क) कार्यक्रम प्रबंधन विभाग (PMD : Programme Management Divison)

   (ख) विपणन तथा उपयोक्ता सेवा विभाग (MCS : Marketing and Customer Services Division)

   (ग) सार्क डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर – नेशनल फोकल पॉइन्ट सेल (SDC-NFP Cell : SAARC Documentation Centre-National Focal Point Cell)

(3) पुस्तकालय, ग्रंथमिति तथा ग्रंथात्मक समूह (LBBG : Library, Bibliographic and Bibliometrics Group) जिसमें समाविष्ट हैं :

(क) राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय (NSL : Natiaonl Science Library)

(ख) प्रायोगिक इलेक्ट्रोनिक पुस्तकालय विभाग (PILD : Pilot Electronic Library Devision)

(ग) ग्रंथात्मक सेवा विभाग (BSD : Bibliographic Services Division)

(घ) ग्रंथमिति का राष्ट्रीय केन्द्र (NCB : National Centre for Bibliometrics)

(4) डेटा, कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर समूह (DCSG : Data Computer and Software Group) जिसमें समाविष्ट हैं :

(क) डेटा सेवा विभाग (DSD : Data Services Division)

(ख) कम्प्यूटर सेवा विभाग (CSD : Computer Services Division)

(ग) सॉफ्टवेयर विकास विभाग (SDD : Software Development Division)

(घ) इंजीनियरिंग सेवा सेल (ESC : Engineering Services Cell)

इण्डियन साइंस ऐब्स्ट्रेक्ट्स (आइ एस ए)

इण्डियन साइंस ऐब्स्ट्रैक्ट्स (ISA : Ineian Sciencc Abstracts) इन्सडॉक की एक अर्ध-वार्षिक सारकरण सेवा है। वर्ष 1990 से यह मुद्रित स्वरूप के अतिरिक्त मशीन पठनीय रूप में भी उपलब्ध है। इस डेटाबेस में मौलिक वैज्ञानिक शोध कार्यों को सम्मिलित किया गया है जिनमें भारत से प्रकाशित होने वाली 1200 भारतीय पत्रिकाओं में प्रकाशित वैज्ञानिक लेख, संक्षिप्त संचार, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विदेशों की पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेख समीक्षात्मक तथा सूचनात्मक लेख इत्यादि सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त इसमें भारत में आयोजित सम्मेलनों/अध्ययन गोष्ठियों/ संगोष्ठियों के कार्य-विवरण, मोनोग्राफ तथा भारतीय शोध संस्थानों में उपलब्ध तदर्थ वैज्ञानिक प्रतिवेदन, भारतीय पेटेण्ट तथा मानकों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें सामान्य प्रकृति के लेखों को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

इस डेटाबेस में लेखकों, लेखकों की संबद्धता, आख्या तथा मुख्य शब्दों की सहायता से सूचना ढूँढने की सुविधा है। डेटाबेस में मुख्य शब्दों तथा लेखक कोश तथा सम्मिलित पत्रिकाओं की सूची भी है। इसके सार शीर्षकों को यू डी सी से वर्गीकृत किया गया है। सार का मुद्रित संस्करण भी उपलब्ध है जो यू डी सी आधारित वर्ग संख्या के अनुसार व्यवस्थित है। प्रत्येक अंक में लेखक सूची तथा मुख्य शब्दों की सूची दी जाती है जो सार की क्रमसंख्या को संदर्भित करता है।

नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इण्डिया (नक्सी) डेटाबेस

नकसी (NUCSSI : National Union Catalogue of Scientific Serials in India) इंस्डॉक द्वारा तैयार किया गया एक प्रमुख डेटाबेस है। इसमें 3.2 लाख रिकार्ड हैं जिनका चयन 42,000 पत्रिकाओं से किया जाता है जो भारत के 861 वैज्ञानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास से सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य समान संस्थानों के पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। संबंधित वर्ष में इसमें 87 पुस्तकालयों के संग्रह की सूचना को अद्यतन किया गया। सन् 1991 तथा इसके बाद की करीब 104 पुस्तकालयों की अद्यतन सूचनाएँ ऑनलाइन के द्वारा अभिगम की जा सकती हैं। यह डेटाबेस सीडी-रोम पर भी उपलब्ध है। "नकसी-आन-सीडी-रोम" इन्सडॉक का प्रथम सीडी-रोम उत्पाद है। नकसी-आन-सीडी-रोम से 38,000 क्रमिक प्रकाशनों की जानकारी मिलती है जो 350 पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। यह डेटाबेस पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए सहकारी अधिग्रहण, आवाप्ति संसाधनों की साझेदारी, अन्तर-पुस्तकालय आदान प्रदान इत्यादि में अत्यन्त सहायक है।

पुस्तकालय स्वचालन

पुस्तकालय के स्वचालन (Library Automation) हेतु इन्सडॉक द्वारा 'ग्रंथालय' (Granthalaya) नामक एक उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। यह आधुनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों की आवश्यकता की पूर्ति करने में पूर्णरूपेण सक्षम है। यह पुस्तकालय स्वचालन हेतु उपयोग के लिए महत्वपूर्ण उपस्कर के रूप में कार्य करता है तथा छोटे-बड़े प्रत्येक आकार के पुस्तकालयों के लिए उपयुक्त है। यह एक समेकित पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर (Integrated Automation Software Package) है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- इसमें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मोड्यूल दिए गए हैं जिनमें से किसी भी मोड्यूल को आवश्यकतानुसार चुना जा सकता है।
- यह अन्तराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं।
- यह शब्दकोशों पर आधारित अभिनव डेटा एन्ट्री की धारणा का उपयोग करता है। अतः यह डेटा के उच्चस्तरीय एकीकरण तथा सटीकता को सुनिश्चित करता है। इसमें डेटा का निवेश कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति भी कर सकता है।
- यह विभिन्न मंचों (platform) पर उपलब्ध है, जैसे- एकल-उपयोक्ता के लिए डॉस (DOS) या विन्डोज (Windows) तथा बहुत-उपयोक्ताओं के लिए युनिक्स (Unix) मंच पर जिसमें विभिन्न प्रकार के आर डी बी एम एस (RDBMS) मंच, जैसे इंग्रेस (INGRES) या ओरेकल (ORACLE) का उपयोग किया जा सकता है तथा लैन (LAN) संस्करण जिसे 'नोवेल नेटवर्क' (Novell Network) या 'टीपीसी/आई पी' (TCP/IP) के परिवेश में चलाया जा सकता है।

इस पैकेज के प्रथम संस्करण में निम्नलिखित पाँच माड्यूल हैं :

(1) डेटा प्रशासन (Data Administration)

(2) पूछताछ (Query)

(3) देय-आदेय कार्य (Circulation)

(4) अधिग्रहण कार्य (Acquisition)

(5) क्रमिक प्रकाशनों का नियंत्रण (Serials Control)

प्रलेख-प्रदाय सेवा इन्सडॉक द्वारा चलाई जाने वाली एक माँग-आधारित या प्रत्युत्तरात्मक सेवा है। इसके अंतर्गत (i) उपयोक्ताओं द्वारा मांगे गए वैज्ञानिक प्रलेखों के संग्रह स्थान (पुस्तकालय) का निर्धारण कर उन प्रलेखों की प्रतियाँ प्राप्त की जाती हैं तथा उनकी आपूर्ति उपयोक्ताओं को की जाती है तथा (ii) उपयोक्ताओं की मांग पर संबंधित साहित्य को खोजकर उनके लिए लघु-ग्रंथसूचियाँ तैयार की जाती हैं। मांग-आधारित सेवा के अंतर्गत 18 विदेशी भाषाओं से अनुवाद, प्रलेख-प्रतिलिपिकरण तथा सूक्ष्मलेखी सेवाएँ भी दी जाती हैं। इंसडॉक की अनुमान-आधारित या प्रत्याशित सेवाओं के अंतर्गत कुछ सूचना प्रदायक प्रकाशन भी निकाले जाते हैं। ये द्वितीयक सूचना स्रोत हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

(i) इण्डियन साइंस ऐब्सट्रैक्ट्स (पाक्षिक): यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय सार पत्रिका है। इसमें वार्षिक रूप में भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि से संबंधित 25,000 वैज्ञानिक प्रलेखों की जानकारी मिलती है।

(ii) एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एण्ड डॉक्युमेन्टेशन (त्रैमासिक): यह एक प्राथमिक पत्रिका है जिसमें मौलिक तथा समीक्षात्मक लेखों एवं अन्य आलेखों को सम्मिलित किया जाता है।

इन्सडॉक द्वारा काफी दिनों से कम्प्यूटर पर आधारित क्रियाकलाप का निष्पादन किया जा रहा है तथा विभिन्न लाभकारी परियोजनाएँ एवं सेवाएँ भी चलाई जाती हैं, जैसे- व्यावसायिक 'डेटाबेसों' के द्वारा एस डी आई सेवा, जैसे 'का खोज' (Ca Search) द्वितीयक प्रकाशनों के रूप में अनुक्रमणिकाओं का प्रकाशन संघ प्रसूची के लिए कम्प्यूटर संसाधन का प्रयोग; मशीन पठनीय डेटाबेस बनाना; विभिन्न निर्देशिकाओं के संकलन का प्रक्रियाकरण: कम्प्यूटर प्रसूची का उत्पादन इत्यादि। हाल में माइक्रोप्रोसेसर द्वारा इन्सडॉक हार्डवेयर को समृद्ध किया है।

इन्सडॉक का राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय (National Science Library) जिसमें 1.3 लाख पुस्तकें तथा 4.700 पत्रिकाएँ हैं, के द्वारा राष्ट्र के लिए वैज्ञानिक साहित्य के संग्रह का उत्तरदायित्व निभाया जाता है तथा इसका भी ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में कहीं पर कोई कमी महससू हो तो उसे भी मँगवाकर पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जाय। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसी पाठ्य सामग्रियों को दुबारा न मँगवाया जाय जो पहले से उपलब्ध हैं। इन्सडॉक के भारतीय वैज्ञानिकों के लाभार्थ विश्व के अन्य राष्ट्रों से भी अपने संबंध स्थापित किए हैं। इसी सहयोगी प्रयास के अन्तर्गत रूस के विखण्डन के पूर्व ही वहाँ से लगभग 40,000 रूसी मोनोग्राफ तथा 600 वैज्ञानिक पत्रिकाओं के विगत अंक मँगवाए गए थे। यह संस्था भारत के पुस्तकालयों में संकलित वैज्ञानिक पत्रिकाओं की राष्ट्रीय संघ-प्रसूची के निर्माण का कार्य भी कर रही है। इस संघ-प्रसूची की ग्रंथमाला में 18 खंडों का प्रकाशन किया जा चुका है। संघ-प्रसूची के डेटा का प्रक्रियाकरण कम्प्यूटर द्वारा किया गया है तथा इन्हें मशीन पठनीय रूप में रखा गया है।

इन्सडॉक द्वारा समय-समर्थ पर सूचना अभिगम के लिए अनेक उपकरणों / संदर्भ निर्देशिकाओं का प्रकाशन किया जाता है जिनका संबंध अनुसंधान एवं विकास की आधारभूत संरचनाओं से है। इन्सडॉक ने साइंटिफिक एण्ड रिसर्च इंस्टीट्युशन्स इन इंडिया (Scientific and Research Institutions in India) की निर्देशिका, डाइरेक्ट्री ऑफ इंडियन, साइंटिफिक पीरिओडिकल्स (Directory of India Scientific Periodicals), करेण्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन सी एस आई आर लेबोरेटरीज (Current Research Projects in CSIR Laboratories) तथा एवार्ड्स एण्ड रिवार्ड्स इन साइंस (Awards and Rewards in Science) इत्यादि प्रलेखों का संकलन तथा प्रकाशन भी किया है।

जनशक्ति के विकास की दिशा में भी इन्सडॉक द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इसके लिए यह दो वर्षों की अवधि का एक उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है जिसको पूरा करने के बाद एसोशियेटशिप इन इन्फॉर्मेशन साइंस (Associateship in Information Science) की उपाधि दी जाती है। इस उपाधि की मान्यता पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के स्नातकोत्तर स्तर के बराबर है। इसके अतिरिक्त इन्सडॉक द्वारा समय-समय पर अनेक लघु पाठ्यक्रमों का आयोजन विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों के लिए किया जाता है। इसने अपने देशवासियों की सुविधा के लिए बंगलोर, कोलकाता तथा चैन्नै में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना भी की है जो आवश्यकता के अनुरूप अपने क्षेत्र विशेष में प्रलेखन सेवा का निष्पादन करते रहते हैं। एफ आई डी/आई एम (FID/IM) की समिति के राष्ट्रीय सदस्य, परिषद् सदस्य तथा अध्यक्ष के रूप में इन्सडॉक ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एण्ड डॉक्युमेंटेशन (FID : International Federation of Information and Documentation के साथ अन्तरराष्ट्रीय संबंध स्थापित किया है। यह यूनेस्को के विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेता है तथा एस्टिन्फो का संबद्ध-केन्द्र है।

7.2 नेशनल सोशल साइंस डॉक्युमेंन्टेशन सेन्टर (नैसडॉक)

नैसडॉक अर्थात् राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र (NASSDOC : National Social Science Documentation Centre) की स्थापना इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, (ICSSR) नई दिल्ली द्वारा 1970 में की गयी थी तथा इसकी स्थापना के पीछे यह उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि यह देश में होने वाले सामाजिक शोध एवं अनुसंधान के लिए सूचना उपलब्ध कराने के केन्द्र के

रूप में करेगा। नेशनल सोशल साइंस डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर (नैसडॉक) नाम से इसे सन् 1985 में दिया गया। यह संस्थान साधन एवं सुविधा से पूर्णरूपेण सम्पन्न है तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का संचालन करता है।

NOTES

नैसडॉक के पुस्तकालय में समाज विज्ञान से संबंधित बहुसंख्या पुरानी पत्रिकाओं तथा आधार संदर्भ पुस्तकों का संग्रह है। इसमें भारत से प्रकाशित होने वाली समाज विज्ञान से संबंधित लगभग समस्त पत्रिकाओं की आवाप्ति की जाती है। इसके पुस्तकालय का पुस्तक संग्रह मुख्य रूप से समाज विज्ञान, शोध पद्धति इत्यादि से संबंधित है। इसके द्वारा संकलित भारतीय शोध प्रबन्धों तथा परियोजनाओं के प्रतिवेदनों का संकलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह सूक्ष्मस्वरूपों (माइक्रोफार्म) में महत्वपूर्ण विषयों का संग्रह भी करता है। इसने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के सहयोग से एक इन्टर लाइब्रेरी रिसोर्स सेन्टर (Inter Library Resource Centre) की स्थापना की है जिसमें विभिन्न पुस्तकालयों में कम उपयोग होने वाली पाठ्य सामग्री को जमा करने का कार्य किया जाना है। संघ प्रसूची परियोजना के अन्तर्गत नैसडॉक द्वारा 1972-76 में 32 खण्डों में यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल सांइस पीरियोडिकल्स एवं सीरियल्स (Union Catalogue of Social Science Periodicals and Serials) तैयार किया गया। इसे यंत्र पठनीय स्वरूप में बनाने एवं अद्यतन करने का कार्य भी किया जाता है। इसमें 500 पुस्तकालयों में संकलित सामग्री की सूची है। इसके अतिरिक्त सन् 1971-72 में यूनियन लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल्स (Union List of Social Science Periodicals) का निर्माण चार खण्डों में किया गया तथा दिल्ली के पुस्तकालयों में क्रय किये जा रहे समाचार पत्रों की संघ प्रसूची भी बनाई गई। नैसडॉक द्वारा सामयिक जागरूकता प्रकाशन के रूप में निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए जाते हैं : एक्वीजीशन अपडेट (Acquisition Update) (मासिक); कान्फ्रेन्स एलर्ट (Conference Alert) (त्रैमासिक), इण्डियन डायरी ऑफ इवेन्ट्स (Indian Diary of Events) (त्रैमासिक); रिव्यू ऑफ कॉन्टेन्ट्स (Review of Contents) (द्विमासिक); सोशल साइंस रिसर्च इंडेक्स (Social Science Research Index) (अनियिमित); इंडेक्स टू सेलेक्टेड न्यूजपेपर्स इन इंगलिश (Index to Selected Newspapers in English) (मासिक) तथा सामाजिक विज्ञान समाचार (मासिक, हिन्दी प्रकाशन)

ग्रंथसूचियों के संकलन में नैसडॉक का अपना प्रभावी कीर्तिमान है। अपनी सूचना शोध सेवा के अंतर्गत यह विषय-परक तथा भाषा-परक ग्रंथसूचियाँ बनाता है। इसने हाल में ही छात्र-शिक्षण तथा वर्तमान विश्व में सामाजिक विज्ञान विषयों पर ग्रन्थसूचियाँ बनाई हैं। क्षेत्र अध्ययन से संबंधित ग्रंथसूचियाँ कुछ राज्यों के संदर्भ में तैयार कर ली गई हैं और कुछ राज्यों के ऊपर कार्य अभी प्रगति में है। इस क्षेत्र अध्ययन परियोजना के लिए लगभग 10,000 आख्याओं का चुनाव अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से किया गया है। भाषा-परक ग्रंथसूचियों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है तथा गुजराती, हिन्दी, कन्नड़ और उड़िया भाषा में कार्य प्रगति में है। सम्प्रति, नैसडॉक भारतीय पत्रिकाओं लेखों की एक अनुक्रमणी बनाने में व्यस्त है। यह समाज विज्ञान तथा मनोविज्ञान के ऊपर भारतीय पत्रिकाओं में 1915-70 के बीच प्रकाशित लेखों की पूर्वव्यापी संचयी अनुक्रमणी है।

नैसडॉक द्वारा शोध उपयोक्ताओं की मांग पर आधारित विशिष्ट विषयों पर अनेक लघुग्रन्थ सूचियों का निर्माण भी किया जाता है। शोधकर्ताओं को प्रलेख-प्रदाय सेवा भी दी जाती है जिसके अंतर्गत लेखों की फोटोप्रतियाँ उपलब्ध कराई जाती है। इसके पास लघु स्तर पर निजी मुद्रण सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। नैसडॉक द्वारा अनुक्रमणी तथा ग्रंथसूचियों इत्यादि के संकलन के लिए सहायतार्थ अनुदान भी दिया जाता है जो व्यक्तियों, संस्थानों, पुस्तकालयों तथा प्रलेखन केन्द्रों को उपलब्ध है। यह समाज विज्ञान प्रलेखन तथा सूचना के क्षेत्र में परामर्शी एवं परामर्शदायक सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है। अभी निकट में ही इसके द्वारा सामाजिक विज्ञान प्रलेखन में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। नैसडॉक द्वारा यूनेस्को के एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंसेज (APINESS : Asia Pacific Network in Social Sciences) में सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है। भारत में एपिनेस की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने

के लिए एपिनेस न्यूजेटर (APINESS Newsletter) का प्रकाशन किया जाता है। इन सब गतिविधियों के अतिरिक्त नैसडॉक का एफ आई डी तथा इफ्ला में भी प्रतिनिधित्व है। नैसडॉक द्वारा अपने यहाँ सूचनाओं के संसाधन की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है और इसके लिए एक माइक्रो-कम्प्यूटर प्रणाली की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसमें माइक्रोफिल्म तैयार करने के लिए भी एक इकाई स्थापित करने की योजना है। देश में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के विकास के लिए भी इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है।

नैसडॉक के कुछ प्रमुख प्रकाशन निम्नलिखित हैं :

(i) करेन्ट कॉन्टेन्ट टू इण्डिन सोशल साइंस जर्नल्स (त्रैमासिक)
(Current Contents to Indian Social Science Journals) (Quarterly)

(ii) क्रान्फ्रेन्स एर्ल्ट (त्रैमासिक)
(Conference Alert) (Quarterly)

(iii) एक्विजीशन अपडेट (द्विवार्षिक)
(Acquisition Update) (Bi-annual;)

(iv) बिब्लियोग्राफिक रिप्रिन्ट (अनियमित)
(Bibliographic Reprint) (Irregular)

(v) एपिनेस न्यूजलेटर (अर्ध-वार्षिक)
(APINESS Newsletter) (Bi-annual)

(vi) एज्ड इन इण्डिया : ऐन एन्नोटेटेड बिब्लियोग्राफी
(Aged in India : An Annotated Bibliography)

(vii) बिब्लियोग्राफी ऑन इण्डिया इन 2000 ए डी (सार सहित)
(Bibliography on India in 2000 A.D.) (with abstracts)

7.3 डिफेन्स साइंस इन्फॉर्मेशन एण्ड डॉक्युमेन्टेशन सेन्टर (डेसीडॉक)

डेसीडॉक (DESIDOC : Defence Science Information and Documentation Centre) की स्थापना 1958 में डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (DRDO : Defence Research and Development organisation) के अंतर्गत की गई। इसका मुख्य कार्य डी आर डी ओ के वैज्ञानिकों को सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सन् 1967 में इसे डी आरी डी ओ के अंतर्गत एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में मान्य किया गया। डी आर डी ओ के अन्तर्गत डेसीडॉक एक केन्द्रीय एजेन्सी के रूप ने कार्य करता है तथा विभिन्न प्रकाशित एवं आवश्यकताओं वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उन्हें संसाधित कर प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के विभिन्न उपयोक्ता समूहों को प्रदान करने का कार्य करता है। डी आर डी ओ की सूचना-व्यवस्था में इसकी अपनी एक समन्वयकारी भूमिका है।

डेसीडॉक के पुस्तकालय को रक्षा विज्ञान पुस्तकालय (Defence Seience Library) कहते हैं। इसमें रक्षा विज्ञान से संबंधित विविध क्षेत्रों के प्रकाशनों का संग्रह किया गया है। इसके संग्रह में 1.40 लाख विभिन्न पाठ्य सामग्रियों का संकलन है जिनमें 40,000 पुस्तकें, 40,000 प्रतिवेदन तथा 14,000 पत्रिकाओं के पुराने खंड एवं अन्य सामग्रियाँ हैं। इसमें 800 पत्रिकाएं मगाई जाती हैं।

अपने उपयोक्ताओं को सूचना प्रेषित करने के क्रम में डेसीडॉक द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएँ दी जाती हैं। पहले-पहले डी आर डी ओ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को तथा सुरक्षा मंत्रालय को एस डी आई सेवा

NOTES

हस्तचालित विधि से दी जानी प्रारंभ की गई थी। कुछ चूने हुए विषयों और व्यक्तियों को उनके प्रोफाइल (Profile) के अनुसार कम्प्यूटर आधारित एस डी आई सेवा भी दी जाती है। और इसका विस्तार किया जा रहा है। द्विमासिक आधार पर पेटेण्ट्स इन्फॉर्मेशन एलर्ट (Patents Information Alert) प्रकाशित कर भारतीय तथा विदेशों के पेटेण्ट वैज्ञानिकों को उनकी रुचि के विषय क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, डिफेन्स रिपोर्टस ऐब्सट्रैक्ट्स (Defence Reports Abstracts) भी प्रकाशित किया जाता है जो नासा (NASA), एन टी आई एस (NTIS), रैण्ड (RAND) डी आर आई सी (DRIC) एवं अन्य के प्रतिवेदन-साहित्य को भी समाविष्ट करता है। इसके द्वारा द्विमासिक अनुक्रमणिक सेवा भी डेसीडॉक लिस्ट (DESIDOC List) के नाम से प्रकाशित की जाती है। यह सामयिक जागरूकता सेवा है। डेसीडॉक द्वारा निकट वर्षों में कम-से-कम छः यथा वस्तुस्थिति-प्रतिवेदनों (State-of-the-art reports) का प्रकाशन किया गया है। यह साहित्य खोज तथा किसी विशिष्ट विषय पर ग्रंथसूची उपलब्ध कराने का कार्य भी करता है। इसके द्वारा डी आर डी ओ के पुस्तकालयों की पत्रिकाओं की संघ प्रसूची के संकलन का कार्य भी किया जा रहा है।

रक्षा-वैज्ञानिकों की अद्यतन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'डेसीडॉक' द्वारा "डी आर डी ओ" के मुख्यालय- सेना भवन भवन, नई दिल्ली-में एक तकनीकी सूचना केन्द्र की स्थापना की गयी है। इसके द्वारा परिसर में ही कुछ विदेशी भाषाओं में लेखों के अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह विदेशी भाषाओं में प्रकाशित ऐसे वैज्ञानिक लेखों, जिनमें डी आर डी ओ (DRDO) की रुचि हो सकती है, का अंग्रेजी भाषा में सार तैयार कर देश के रक्षा वैज्ञानिकों को पहुँचाता है।

डेसीडॉक द्वारा अनेक मौलिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया जाता है, जैसे : डिफेन्स साइंस जर्नल (Defence Science Journal) (त्रैमासिक) जो एक शोध पत्रिका है; आर एण्ड डी बुलेटिन (R&D Bulletin) (त्रैमासिक), जो एक वर्गीकृत प्रकाशन (Classified Publication) है; आर एंड डी डाइजेस्ट (R&D Digest) (पाक्षिक); पोपुलर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (Popular Science and Technology) (अर्द्ध-वार्षिक); डी आर डी ओ न्यूजलेटर (DRDO Newsletter) (मासिक); डेसीडॉक बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (DESIDOC Bulletin of Information Technology) (द्विमासिक) करेंट कांटेंट्स इन मिलिट्री साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (Current Contents in Military Science and Technology) तथा करेंट कांटेंट्स इन लाइब्रेरी एण्ड इंफॉर्मेशन साइंस (Current Contents in Library and Information Science)।

डेसीडॉक कम्प्यूटर आधारित सूचना गतिविधियों में भी संलग्न है। यह कम्प्यूटर आधारित एस डी आई सेवा भी देता है जिसे भविष्य में और व्यापक बनाने की योजना है। इसके डेटाबेस यंत्र पठनीय रूप में उपलब्ध हैं। डी आर डी ओ सूचना पुनप्राप्ति को विकसित करने की भी योजना है जो पूर्णतः कम्प्यूटर आधारित सूचना नेटवर्क होगा ताकि जो डी आर डी ओ के सारे पुस्तकालयों/टी आई सी को अपने दायरे में लेगा। डेसीडॉक के पास प्रतिलिपिकरण की सुविधा तथा श्रव्य-दृश्य उपकरणों का अच्छा संग्रह है तथा इसे अपने परिसर में ही मुद्रण की सुविधा भी उपलब्ध है।

डी आर डी ओ के सूचना वैज्ञानिकों तथा कार्मिकों के लिए समय-समय पर डेसीडॉक द्वारा सूचना विज्ञान के विविध क्षेत्रों से संबंधित अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इनके अतिरिक्त यह पुस्तकालय प्रलेखन एवं सूचना क्षेत्रों में तकनीकी सुझाव तथा परामर्श देने का कार्य भी करता है। सन् 1986 में डेसीडॉक द्वारा रक्षा विज्ञान से संबंधित सूचना विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर यह हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा सूचना विज्ञान प्रणाली को विकसित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा रहा है।

स्व-प्रगति परीक्षण प्रश्न

4. राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संक्षिप्त परिचय लिखिए।

....

....

....

....

8. सार-संक्षेप

सूचना एक अन्तरराष्ट्रीय संसाधन है। इसलिए सूचना के अविरल एवं निबार्ध प्रवाह की आवश्यकता है। जिन देशों में औद्योगीकरण का विकास हो चुका है वे सभी सूचना में सम्पन्न हैं, लेकिन तीसरी दुनिया के देश अभी भी इस अर्थ में साधन-विहीन ही हैं। इस परिस्थिति में इन दो प्रकार के देशों के बीच विद्यमान खाई को पाटना अत्यंत आवश्यक है। विकसित देश भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वे विज्ञान एवं तकनीकी सूचना के क्षेत्र में पूर्णरूपेण आत्म निर्भर हैं। अतएव इन्हें भी विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए सूचना हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। आज के परिवेश में सूचना के आदान-प्रदान में कम्प्यूटर तथा सूचना तकनीकों के अधिकाधिक उपयोग के लिए सूचना प्रणालियों में समरूपता का होना आवश्यक है। अतएव ऐसे कार्यों के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय अभिकरणों की स्वैच्छिक सहभागिता के द्वारा ही सूचना केन्द्रों का पालन-पोषण किया जाता है। इस कार्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से एक सूचना तंत्र के ढाँचे के साथ यंत्रों को भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यूनेस्को जैसी यूनाइटेड नेशंस की एजेन्सियाँ एक प्रकार से अन्तर-सरकारी निकाय हैं जिनकी भूमिका प्रोत्साहन प्रदायक एवं परामर्शी होती है तथा जिनकी गतिविधियाँ विभिन्न सदस्य राष्ट्रों के ऊपर उत्प्रेरक तथा बहुगुणक प्रभाव डालती हैं। दूसरी ओ, एफ आई डी तथा इफ्ला इत्यादि स्वैच्छिक संगठन हैं और विचारों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा परस्पर संपर्क कायम रखने के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार, विश्वव्यापी सूचना प्रणालियाँ जैसे- यूनिसिस्ट, इनिस तथा एग्रिस इत्यादि सहकारी प्रणालियाँ तथा सेवाएँ हैं। सहकारी कार्यों द्वारा ये सूचना पर सार्वभौम नियंत्रण रखने तथा उसके प्रसार में सहायक हैं।

अपने देश में भी विविध क्षेत्रों में शोध एवं विकास, औद्योगिक विकास या नियोजन तथा निर्णयन संबंधी कार्यों की सूचना-आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूचना प्रणालियों तथा केन्द्रों इत्यादि की स्थापना का कार्य निरंतर प्रगति पर है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सूचना प्रणालियों की स्थापना की गई है, जैसे निसात (NISSAT), जिसकी स्थापना मुख्य प्रणाली की अवसंरचना के समन्वयकारी तथा समेकित विकास के लिए की गई है। निसात के द्वारा भारत में अनेक स्थानीय लाइब्रेरी नेटवर्कों (LAN) को समर्थन दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के सूचना केन्द्रों, जैसे- इन्सडॉक तथा नैसडॉक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि ये समस्त राष्ट्रीय सूचना सेवा की सर्वांगीण आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे। आज के संदर्भ में सूचना की बढ़ती माँग तथा उपलब्ध सुविधा एवं सेवा के बढ़ते उपयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूचना प्रणालियों तथा सूचना केन्द्रों की आवश्यकता हमारे देश में सूचना की अवसंरचनात्मक सुविधा के लिए कितनी आवश्यक है तथा उनका महत्व कितना अधिक है।

9. स्व-प्रगति परीक्षरण प्रश्नों के उत्तर

1. **यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइन्टिफिक एण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (यूनेस्को) –** यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइंटिफिक एण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) की स्थापना सन् 1946 में संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली से संबद्ध एक अंतरसकारी एजेंसी के रूप में की गई। इसकी गतिविधियों

NOTES

का संबंध जिन विषयों से है उनकी जानकारी इसके नाम से ही मिल जाती है। साथ ही पुस्तकालय, प्रलेखन, सूचना, अभिलेखागारों, पुस्तक उत्पादन, प्रतिलिप्यधिकार एवं अन्य समान मामलों के साथ भी इसका संबंध है। इन सभी विषय-क्षेत्रों से संबंधित कार्य का संचालन यूनेस्को के मुख्यालय में गठित विभिन्न इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। यूनेस्को के दो विभागों-सूचना विभाग तथा प्रलेखन विभाग, जिनके द्वारा यूनिसिस्ट की गतिविधियों का संचालन किया जाता रहा है-को मिलाकर सन् 1976 में एक नये विभाग का गठन किया गया जिसे सामान्य सूचना कार्यक्रम या जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम (PGI : General Information Programme) कहते हैं। यूनेस्को की सूचना संचालन से संबंधित सेवाएँ, जैसे- प्रलेखन प्रणाली विभाग, कम्प्यूटर-आधारित प्रलेखन सेवाएँ, यूनेस्को पुस्तकालय तथा यूनेस्को अभिलेखागार प्रशासनिक रूप से पी जी आई से पृथक् हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि अभी हाल में इन दोनों (पी जी आई तथा सूचना संचालन से संबंधित सेवाएँ) को सामान्य सूचना सेवा के (General Information Services) रूप में एक ही प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कर दिया गया है।

2. यूनेस्को द्वारा प्रलेखन, पुस्तकालयों, एवं अभिलेखागारों की सेवाओं के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अन्तरराष्ट्रीयकरण के लिए बहुत ही दृढ़ प्रयास किया गया है। इसके फलस्वरूप सूचना तथा प्रलेखन-जो मानवीय बौद्धिक उपलब्धियों की सजीव प्रतिमाएँ हैं-के निर्बाध प्रवाह को सहायता मिली है। यह एफ, आई, डी इफ्ला तथा आई ए (ICA) जैसे अन्तरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी समय-समय पर यह सहयोग करता रहा है जिससे इसके कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में विस्तार हुआ है। इसके द्वारा तथा इसकी सहायता से कई अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, पाठ्यक्रमों इत्यादि का आयोजन विश्व के विभिन्न भागों में किया जा चुका है। यूनेस्को विभिन्न प्रकार के प्रकाशन कार्यक्रमों के लिए अनुदान भी देता है या उन्हें प्रायोजित करता है।

3. देश में उच्च शिक्षा का शीर्ष निकाय होने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसके सौजन्य से अनेक पुस्तकालयों/सूचना केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों तथा समितियों की स्थापना की गई है जो पुस्तकालय एवं सूचना के क्षेत्रीय में गुणवत्तापूर्व शिक्षा एवं सेवा के लिए अपना महती योगदन दे रहे हैं। इनमें कुछ प्रमुख हैं :

   (क) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता

   (ख) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम विकास समिति (CDC : Curriculum Development Committee) का गठन

   (ग) नेशनल इन्फॉर्मेशन सेन्टर्स (National Information Centres) की स्थापना

   (घ) इंफ्लिबनेट (INFLIBNET) की स्थापना

   (ङ.) विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण

   (च) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय समीक्षा समिति का गठन

4. राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (RRRLF : Raja Rammohan Roy Library Foundation) की स्थापना मई 1972 में राजा राममोहन राय की द्वितीय जन्म-शताब्दी के पुनीत अवसर पर की गई। यह प्रतिष्ठान एक स्वायत्तशासी संगठन है, जिसे भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित तथा-प्रयोजित किया गया है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में अवस्थित है।

   इस प्रतिष्ठान का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देना तथा पोषण प्रदान करना है। इसके लिए यह पर्याप्त पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराकर तथा लोगों में अध्ययन तथा ज्ञान रुचि का विकास कर राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देता है तथा इस दिशा में अपेक्षित सहयोग प्रदान कराता है।

10. मुख्य शब्द

अन्तर-सरकार (Inter-Government)	:	ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें राष्ट्रीय सरकारें सदस्य होती हैं।
आंचलिक केन्द्र (Sectoral Centres)	:	किसी विषय/विद्या के लिए उन्मुख सूचना केन्द्र।
अवसंरचना (Infrastructure)	:	सूचना संसाधनों तथा सुविधाओं से सम्पन्न समस्त सांस्थानिक निकाय।
उत्प्रेरक गतिविधि (Catalytic Activities)	:	किसी व्यक्ति या संस्था को अपने क्रियाकलपों को चलाने तथा उनमें गति प्रदान करने के लिए उत्प्रेरित करने वाली गतिविधियाँ।
केन्द्रीय स्थल (Focal Point)	:	किसी गतिविधि या ध्यानाकर्षण के लिए निर्धारित किया गया केन्द्रीय या प्रमुख निकाय।
गुणक (Multiplier)	:	एक प्रक्रिया जिसके द्वारा समान प्रकार की क्रिया की बहुलता की जाती है जिससे विकास-काग्र को गति मिलती है।
प्रोन्नयन (Promotion)	:	किसी लक्ष्य, उत्पाद, सेवा, संस्था इत्यादि के विकास के लिए प्रोत्साहन या बढ़ावा देना।
राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (National Information System)	:	विद्यमन सूचना संसाधनों तथा नवीन सेवाओं का ऐसा नेटवर्क जिसमें सेवाओं और संसाधनों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है जिससे प्रत्येक इकाई की गतिविधियाँ तथा कार्य क्षमता बढ़ाई जा सके।
विश्वस्तरीय सूचना प्रणाली (Global Information System)	:	पूरे विश्व के सभी प्रलेखों, विविध सेवाओं तथा उपयोक्ताओं के लिए कम से कम धन, समय तथा प्रयास के द्वारा सूचना प्रदान कराने का अन्तर्राष्ट्रीय, विश्वस्तरीय सहकारी या संयुक्त प्रयास।
समन्वयन (Coordination)	:	उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रणाली के अवयवों के बीच सौहार्दपूर्ण परस्परक्रिया के लिए किया जाने वाला कार्य।
सार्वभौम ग्रंथसूची (Universal Biblipgraphy)	:	एक ऐसी ग्रंथसूची जिसमें पूरे विश्व के सभी देशों, सभी भाषाओं तथा सभी प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया जाए।
सूचना केन्द्र (Information Centre)	:	एक ऐसा संगठन जो सूचनाओं का एकत्रण, रख-रखाव, प्रक्रियाकरण एवं विसरण वैसे व्यक्तियों के लिए करता है जो इसकी माँग करते हैं।
स्वैच्छिक (Voluntary)	:	स्वतः स्फूर्त अभिलाषा अथवा अन-आरोपित इच्छा से सद्भावनापूर्वक किया गया कोई कार्य।

NOTES

11. अभ्यास-प्रश्न

1. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित इंफ्लिबनेट कार्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. इन्टरनेशनल न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (इनिस) की कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए।
3. इन्टरनेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑन एग्रीकल्चरल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी (एग्रिस) के उद्देश्यों एवं कार्यों की समीक्षा कीजिए।
4. भारत की राष्ट्रीय सूचना प्रणालियों के संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।
5. भारत के किन्हीं दो राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्रों के क्रिया-कलापों का मूल्यांकन कीजिए।

12. संदर्भ ग्रन्थ-सूची

INDIA (1997). Annual Report (1996-97). Department of Scientific and Industrial Research of S & T New Delhi.

INSDOC. Annual Report (1996-97). New Delhi : INSDOC.

INFLIBNET (1995). CALIBER-95 Access through Networks. Ahmedabad : INFLIBNET.

RRRLF (1988). Books For the Millions at their Doorsteps. Calcutta : RRRLF

RRRLF (1997) Newsletter. Vol. XVII (I), Calcutta. RRRLF (25 years of service to the Nation : 1972-97)

UGC. (1995-96). Annal Report New Delhi : UGC